

वर्ष : १६ अंक : ६
जनवरी १९६८

नये वर्ष के उपलक्ष्य में पाठकों को हमारी
शुभकामना !

राष्ट्रपति की सलाह

अभी हाल में दक्षिण में मदुराई विश्वविद्यालय के भवन की नींव डालते हुए राष्ट्रपति ने राजनीतिक नेताओं को सलाह दी है कि वे भविष्य का सवाल करें, और शिक्षण-संस्थाओं को अलग छोड़ दें। अभी कुछ दिन हुए जब बंगाल में उपद्रव होने लगे और विद्यार्थी आगे बिये जाने लगे, तो वहाँ के प्रिंसिपल और हेडमास्टर्स ने माँग की कि नेता विद्यार्थियों को पढ़ने दें, उन्हें राजनीति में न घसीटें। कुछ इसी तरह की माँग उस दिन रघुनाथपुर गाँववाला ने की, जिन्होंने कहा "हमारे गाँव का आप बड़ा उपकार करेंगे अगर यहाँ से पचास हटवा दें।" मैंने पूछा "वह क्यों?" बोले "नेता आते हैं और भगडा लगाकर चले जाते हैं। हमलोगों को एक राय से चुनाव करने ही नहीं देते।" इसी तरह की बात एक दूसरे गाँव में रहनेवाले उस युवक ने की जिसने एक पार्टी का नाम लिया और कहा कि उसके कार्यालय के खुलने के महोत्सव भर के अन्दर गाँव में भगडा हुआ जिसमें सुलकर नारे लगाये गये और झण्डे फहराये गये। हिन्दी-अंग्रेजी आन्दोलन तो, ऐसा लगता है, जैसे विद्यार्थियों का ही है, यद्यपि पीछे हाथ सुलकर राजनीतिक पार्टियों का है।

वर्ष : १६

श्रंक : ६

सवाल उठता है कि ये राजनीतिक नेता गाँव में न जायें, और शिक्षा-संस्थाओं में न जायें, तो जायें वहाँ? अभी संसद ने भाषा का कानून पास किया है, लेकिन अब माँग हो रही है कि

भाषा के प्रश्न को हल करने के लिए एक 'राष्ट्रीय परिषद्' बुलायी जाय। अगर संसद ऐसे बड़े राष्ट्रीय प्रश्नों को भी नहीं हल कर सकती तो वह है किसलिए? आखिर, राजनीति देश का बौनसा सबाल हल करने के लिए है? स्थिति तो यह है कि आज हर आदमी राजनीति से ऊँचा हुआ है। इतना ही नहीं कि राजनीति प्रश्नों को हल नहीं कर पा रही है, बल्कि इससे बड़ी बात यह है कि वह हर प्रश्न पर, जो राजनीतिक नहीं भी हैं, राजनीति का रंग चढ़ा देती है, और वे पहले से कहीं अधिक उलझ जाते हैं। जनता के हाथ में इंट-पत्थर देकर राजनीति पीछे खड़ी होकर समाशा देखती है। दुर्भाग्य है कि शिक्षण-संस्थाएँ सबसे अधिक राजनीति की शिकार हो गयी हैं। उनमें बाहर की राजनीति तो घुसती ही है, उनके भीतर भी राजनीति पैदा हो जाती है। दोनों ने मिलकर ऐसा कर दिया है कि शिक्षण-संस्थाओं में शिक्षण-जैसी चीज रह ही नहीं गयी है।

जो विप गाँव से लेकर संसद तक हर स्थान, हर वाम, को विद्रोहित कर रहा है, वह बड़ा नेत्राब्ज से अपील करने से निकलेगा, जब कि उन्होंने तय-सा कर लिया है कि वे विद्यार्थियों को राजनीति की वारुद की तरह इस्तेमाल करेंगे? समय आ रहा है कि अभिभावकों और सम्भदार विद्यार्थियों को उठना चाहिए और जोरदार ढंग से आवाज लगानी चाहिए। विद्यालय के तीन ही सम्भदार हैं— विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक। विद्यालय में न सरकार की जगह है, न पार्टी की। यह माँग गाँव-गाँव, नगर-नगर से की जानी चाहिए तब कहीं राष्ट्रपति की अपील कारगर होगी। —राममूर्ति



कुछ समय पहले मुझे लगा था कि असल में बुनियादी शिक्षा का कोई सुपरिणाम नहीं निपल रहा है। आलोचकों ने उसका दूसरा अर्थ लगाया और यह राग अलापना शुरू कर दिया कि बुनियादी शिक्षा असफल रही और यह व्यावहारिक नहीं है। लेकिन मेरा मतलब यह था कि देश के विभिन्न भागों में बुनियादी शिक्षा का विकास के साथ कार्यान्वयन नहीं हुआ न कि यह कि अच्छे परिणाम देने में ही वह असमर्थ है।

—डा० जाकिर हुसेन

वेडघी (गुजरात)

१६ अक्टूबर १९६७

पूसा रोड में शिक्षा-शास्त्रियों की परिपद

८-६ दिसम्बर, १९६७ को पूसा रोड में आयोजित बिहार के शिक्षा-शास्त्रियों की परिपद में विनोबाजी ने कहा कि मुझे प्रेरणा हुई है कि ग्रामदान ग्राम-स्वराज्य के साथ वे शिक्षा की अहिंसक क्रान्ति का वाग भी करें। उस परिपद के समापन-समारोह में बोलने हुए उन्होंने कहा कि बिहार में शिक्षा की अहिंसक क्रान्ति के लिए क्या करना होगा, इसे सोचना चाहिए। वे अनुभव करते हैं कि इस अहिंसक क्रान्ति में योगदान करने की अथवा उसका नेतृत्व करने की उनमें क्षमता है—भूदान ग्रामदान-आन्दोलन के नेतृत्व से अधिक क्षमता। यह कार्य कैसे करेंगे इसका संकेत भी उनके भाषण में है।

वे कहते हैं—“मेरी अवस्था अथ आत्म चिन्तन की है। फिर भी मैं मदद करूँगा, उसका मतलब आप समझ लीजिये। बाबा का आपके ऊपर आक्रमण नहीं होगा। बाबा सन्दर्भ-पुस्तक (रेफरेंस बुक) जैसा रहेगा ‘रेफरेंस बुक’ आलमारी में पड़ी है। आप उपयोग करना नहीं चाहेंगे तो पुस्तक उठकर आपके पास नहीं आयगी।”

कहा जाय तो यो कहना चाहिए कि विनोबाजी का यह उदगार देश के शिक्षा-शास्त्रियों के लिए एक चुनौती है। स्वराज्य के बीस वर्षों में राष्ट्रीय शिक्षा का रूप निश्चित नहीं हुआ है। उसे निश्चित करने के लिए सन् १९६५ में एक शिक्षा आयोग बँटाया गया। उसकी बृहत् रिपोर्ट विचाराधीन है। अभी तक उसका कार्यान्वयन नहीं हुआ है। फूँक फूँककर कदम रखा जा रहा है। डेढ़ साल में भी अभी कदम उठाया नहीं गया है। और इस बीच छान्दों में सत्तागत राजनीति में भाग लेकर उपद्रव करने अथवा तौड़ फोड़ करने की हिंसात्मक प्रवृत्ति बढ़ी है। विनोबाजी ने अपने भाषण में स्पष्ट कर दिया है—शिक्षा की प्रक्रिया अहिंसक क्रान्ति की ओर ले जानेवाली होगी और इसका पहला कार्य यह है कि शिक्षक सत्तागत राजनीति से दूर रहे। इस भूमिका में राष्ट्रीय शिक्षा का ढाँचा बने तो देश का कल्याण होगा। इस ढाँचे के बनाने में विनोबाजी सन्दर्भ पुस्तक का काम करेंगे।

हम मानते हैं कि नयी तालीम-परिवार ऐसा राष्ट्रीय ढाँचा बनाये। “नयी तालीम” मूलतः अहिंसक क्रान्ति की अप्रदूत है—अप्रदूत बनेगी—ऐसा कथन गांधीजी का था। तो नयी तालीम के अधिकारी विद्वान अगर आज की परिस्थिति परिस्थितियों के अनुकूल कोई ढाँचा बनावें तो वह विनोबा की कल्पना

के शैक्षिक ढाँचे के अधिक निकट होगा और उसे उनका सक्रिय समर्थन प्राप्त हो सकेगा। उस ढाँचे में विनोबाजी की बन्नना साकार होगी, ऐसी भाशा भी हम कर सकते हैं। अतः हम निवेदन करते हैं कि नयी तालीम के चिन्तक और कार्यकर्ता मिलें—बुनियादी शिक्षा और कोठारी कमीशन की संस्तुतियों के मन्दर्भ में योजना बनावें—और विनोबाजी का मार्गदर्शन प्राप्त कर आगे बढ़ें। इससे देश का कल्याण होगा।

श्री धीरेन्द्र मजूमदार ने अपने भाषण में शिक्षा-पद्धति और समाज की स्थिति में संगति स्थापित करने की चर्चा की है, जिससे शिक्षा-पद्धति की परिणति राष्ट्रीय विकास में हो। इसके लिए उन्होंने लोकमत बनाने और लोक-शिक्षक-समाज की प्रतिष्ठापना की बात कही है। यह भी एक क्रान्तिकारी कदम होगा।

श्री जयप्रकाश बाबू ने परीक्षाओं और विधियों को समाप्त करने और छात्रों की शक्ति को विधायक कामों में लगाने की बात की है।

शिक्षा का राष्ट्रीय ढाँचा बनाते समय इन दृष्टिकोणों को ध्यान में रखकर चला जाय तो शिक्षा क्रान्ति की वाहन होगी, ऐसी आशा है।

—वंशीधर श्रीवास्तव

शिक्षण · क्रान्ति के लिए

मुझे प्रेरणा हुई कि शिक्षा के काम में आपको मदद दूँ। बिहार में शिक्षा में अहिंसक क्रान्ति के लिए क्या करना होगा, इस पर सोचना चाहिए। मेरे हृदय में जो स्फूर्ति हुई वह मेने आपके सामने रखी। मेने कहा कि मे इस काम के लिए अपने को ज्यादा लायक मानता हूँ। आप पूछ सकते हैं कि फिर यही काम मेने क्यों नहीं उठाया? इसका उत्तर देना चाहता हूँ। उत्तर यह है कि इस काम में विद्वानों का सहयोग मुझे मिलेगा, इसका मुझे भरोसा नहीं था। दो विद्वान् एक जगह आ जायें और उनमें मतभेद हो जाय तो बहुत बड़ी घटना हुई, ऐसा कहना चाहिए।

दूसरा कारण यह है कि बाबा के हृदय में करुणा काम कर रही है। जितने भी महाज्ञानी विद्वान् पुरुष हो गये, उन्होंने करुणा का महत्व दिया। बाबा बहुत विद्वान् तो नहीं हैं। उनके पास कुछ विचार जरूर हैं, लेकिन उसकी स्थिति "एरडोसिप ड्रुमायते" जैसी है। लोगों में अविद्या है, तो थोड़ी विद्या के कारण बाबा विद्वान् समझ जाते हैं। लेकिन करुणा का कार्य छोड़कर बाबा विद्वानों के पीछे जायें तो विद्वान् ध्यान नहीं देंगे, यह बाबा ने माना। मैं भारत भर पैदल घूमा हूँ; कितनी हीन-दीन दशा भारत की है, वह सब आँखों ने देखा। बाबा ने भारत भर में बहुत दुःख देखा—सामने को अन्न नहीं, ओढ़ने जनवरी, '६८]

को बसत्र नहीं, घर पर छप्पर नहीं, बच्चों को दूध नहीं, जिस जमीन पर भोपड़ी बनी है, वह जमीन भी उसकी नहीं, दवा का प्रबन्ध नहीं, तालीम का सवाल ही नहीं !

ग्रामदान का काम छोड़ नहीं सकता । अब उस काम के साथ शिक्षा में अहिंसक क्रान्ति का काम भी बिहार में होना ऐसा दृश्य दीख रहा है ।

लेकिन मेरी एक शर्त है । बाबा ५० साल काम कर चुका है । जीवन के अन्तिम काल में आत्मचिन्तन में समय जाना चाहिए । अन्तर के सूक्ष्म में प्रवेश करना चाहिए, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं । अतः बाबा सूक्ष्म में गया है । फिर भी मदद करूँगा कहना है, उमका मनलव आप मुमक लीजिये । बाबा का आपने ऊपर आक्रमण नहीं होगा । बाबा रेफरेंस बुक (सन्दर्भ-मुस्तक) जैसा रहेगा । रेफरेंस-बुक आलमारी में पड़ी है । आप उपयोग करना नहीं चाहेंगे तो पुस्तक उठकर आपके पाग नहीं अ यनी ।

कहना के बगैर विद्या कोई काम की नहीं । इसलिए बाबा के करुणा-कार्य में आपका सहयोग मिलना चाहिए । बिहार में हर २-३ गाँवों के पीछे स्कूल हैं, शिक्षक सब जगह हैं । गाँव गाँव में ग्रामसभा बनाने के काम में वे मदद करेंगे । वे यदि भाग-दशन का और नेतृत्व का जिम्मा उठावेंगे तो शिक्षकों के द्वारा बहुत काम हागा । आचार्यों ने ही भारत को बनाया है । आधुनिक जर्मनी का शिक्षकों ने बनाया, ऐसा कहा जाता है । आप यदि ग्रामदान-आन्दोलन में अपना छुट्टी का समय देंगे तो आपके दिल को भी सन्तोष होगा । दुनिया में आत्मसन्ताप में बढ़कर कोई चीज नहीं है । दीन-मुक्तियों की सेवा से जो आत्म-सन्ताप प्राप्त होता है, वही मनुष्य जन्म में सबसे श्रेष्ठ प्राप्ति है । अब बिहार-दान की बान ही रही है, इसलिए बाबा के साथ आपका पूरा सहयोग मिलना चाहिए । आप अध्यापन का काम करते हैं । उसके साथ ग्रामदान का काम करेंगे तो अध्यापन का 'वायप्राडक्ट' (उपजात) वह होगा । पदयात्रा में बाबा ने जो अध्यापन किया, उसमें से कुछ ग्रथ प्रकाशित हुए हैं, यह बाबा की पद-यात्रा का 'वायप्राडक्ट' है । और, कई दफा कारखाने को 'वायप्राडक्टर्स' से ही अधिक लाभ होता है । तो, आप वायप्राडक्ट के तौर पर इस काम को उठा लें ।

अब तीसरी बान, आपको अपने का राजनीति से ऊँचा रखना चाहिए । राजनीति का अध्ययन जरूर करना चाहिए, चिन्तन-भवन होना चाहिए, लेकिन 'पार्टी-पॉलिटिक्स' (दलगत राजनीति) या 'पावर पॉलिटिक्स' (मत्तगन राजनीति) जिसको कहते हैं, उससे अपने को ऊपर रखना चाहिए । इसीमें शिक्षक का गौरव है । बेसा आप करेंगे तो चन्द दिनों में आपकी ताकत बढ़ेगी ।

—विनोबा

आज की हमारी शिक्षा-वृद्धि और समाज की स्थिति में बहुत विसंगति है। हमारा देश अल्प विकसित (अडर डेवलप्ड) है। हमारी शिक्षा-प्रणाली ऐसी हानी चाहिए कि उस प्रणाली की परिणति ही राष्ट्रीय विकास में हो। गांधीजी ने बहुत पहले इस बात को रखा। फिर दूसरे शिक्षाशास्त्रियों ने भी इस चीज को दोहराया। अभी जो बोठारो-बमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, उसमें उसकी ओर इशारा है।

लेकिन आज की शिक्षा-वृद्धि नौकरी का 'पासपोर्ट' देनेवाली है। पढ़कर हाउ निर्द्वार का गुणवत्ता में, इसके लिए कोई नहीं पढ़ता है। इस शिक्षा-वृद्धि में से स्तनत्र नागरिक का निर्माण ही नहीं होता।

मैं हमेशा कहता हूँ कि 'जनरल एजुकेशन' (सामान्य शिक्षण) होना चाहिए। आज की शिक्षा 'वोकेशनल' (व्यावसायिक) है। 'एक केडर' (डाँचा) बनाने के लिए यह शिक्षण है। नतीजा यह हुआ है कि शिक्षा का स्तर गिर गया है और अनुशासनहीनता बढ़ी है। डिग्री या सर्टिफिकेट ही यदि नौकरी के लिए पर्याप्त है तो फिर स्तर (स्टैण्डर्ड) की जरूरत क्या है ? वास्तव में शिक्षा-प्रणाली का लक्ष्य राष्ट्रीय विकास (नेशनल डेवलपमेण्ट) का और उसमें नागरिक बनाने का होना चाहिए। फिर, वह लक्ष्य भले ही नौकरी में भी चला जाय।

आज की शिक्षा-वृद्धि समाज-निरपेक्ष बन गयी है। समाज की क्या आवश्यकता है, उसका विचार शिक्षण में नहीं है। इसलिए इस प्रकार की शिक्षा पाया हुआ विद्यार्थी राष्ट्रीय विकास के कार्य में उपयोगी नहीं होता। विद्यार्थियों में जोश है, शक्ति है, उनको राष्ट्र-विकास के कार्य में नहीं लगायेंगे तो उधम मचायेंगे। विद्यार्थियों को अपने भविष्य के सम्बन्ध में भरोसा (कान्फिडेंस) नहीं है, निश्चितता (सिक्युरिटी) नहीं है, तो उसमें अनुशासन कैसे रहेगा ?

इस तरह की शिक्षा-प्रणाली बनाने के लिए लोकमत बनाना होगा। लोकमत कैसे बनता है ? उसके लिए क्रान्ति चाहिए, आन्दोलन चाहिए। शिक्षक-वर्ग क्रान्ति का अच्छा माध्यम बन सकता है। लोकमत बनाने का काम सरकार नहीं कर सकती। सरकार तो लोक-प्रतिनिधि होती है। वह लोगों के पीछे जानेवाली होती है, पीछे जानेवाले लोग नेतृत्व (लीड) नहीं दे सकते। नेतृत्व देने का काम लोक-नेताओं का, लोकनायकों का है। जब तक देश में लोकमत नहीं बदलेगा, तब तक हमारे शिक्षण का उद्देश्य भी नहीं बदलेगा। यह कार्य लोक-शिक्षक-समाज ही कर सकेगा। यह समाज राज्य-निरपेक्ष होना चाहिए। उसके लिए उद्गम (रूट) में जाना चाहिए। वैसे उद्गम (रूट) तो भगवान है,

लेकिन उसको छू नहीं सकते। भगवान के बाद माता-पिता (पैरेण्ट) आते हैं। इसलिए हमें माता पिता का शिक्षण करना होगा।

न्यायपालिका (ज्यूडीशियरी) जैसे राज्याधीन (स्टेट-कण्ट्रोल) से अलग है, वैसे शिक्षण (एजुकेशन) राज्याधीन (स्टेट-कण्ट्रोल) से अलग होना चाहिए, ऐसा बिनाबाजी कहते हैं। लेकिन न्यायपालिका को अलग नहीं रखेंगे तो राज्य (स्टेट) का अपना ही अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए ज्यूडीशियरी का राज्य (स्टेट) ने आत्मरक्षा के ख्याल से अलग रखा है। वैसे स्थिति शिक्षण की नहीं है। लेकिन दरअसल शिक्षण में गुरुसंप्रदाय की प्रतिष्ठा हानी चाहिए। राज्य-शक्ति के विकल्प में शिक्षा-शक्ति को खड़ा करना होगा। यह काम स्वतंत्र लोक शिक्षक-समाज ही कर सकता है। सरकार का स्थान केवल आर्थिक सहायता देने मात्र का रहे।

हमारी शिक्षा-व्यवस्था को भी आज के विज्ञान के जमाने में गतिशील बनना होगा। आज से पच्चीस वर्ष बाद दुनिया की हालत वैज्ञानिक प्रगति के कारण इतनी बदलनेवाली है कि जितनी पहले के जमाने में शायद पाँच-दस साल में भी नहीं बदली होगी। इसलिए आपके पास जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए आयागा, उसका पच्चीस वर्ष बाद जिस सामाजिक परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा, उसकी तैयारी कर देनी होगी। इसलिए शिक्षकों को अपनी भूमिका (रोल) और अपनी जिम्मेवारी ठीक-ठीक समझनी होगी। समाज को काल प्रवाह के साथ ले जाने की जिम्मेवारी शिक्षकों की है। समाज का नेतृत्व करने की जिम्मेवारी शिक्षकों की है। शिक्षण और प्रशासन, यह परस्पर विरोधी चीज है।

—धीरेन्द्र मजूमदार

निर्माण का आधार

अभी धीरेन्द्रभाई ने जो बात कही उसीको मैं थोड़ा आगे ले जाकर कहना चाहता हूँ। वह मेरे अकेले का विचार है ऐसी बात नहीं है। शिक्षा-शास्त्रियों ने भी इस विषय पर सोचा है। आज जो शिक्षा प्रणाली चल रही है वह अंग्रेजों की कायम की हुई है। यह नौकर पैदा करने की प्रणाली है। शिक्षण किस लिए? तो नौकरी के लिए। यह शिक्षण और नौकरी का सम्बन्ध तोड़ना चाहिए, तभी शिक्षा का उद्धार होगा। सरकार की तरफ से यह घोषणा की जानी चाहिए कि "नौकरी के लिए डिग्री का कोई मूल्य नहीं है। जिस पद के लिए हमें लोग चाहिए उसका विज्ञापन हम निकालेंगे और उसके लिए क्या योग्यता चाहिए, इसका ऐलान करेंगे। उम्मीदवारों की हम अलग से परीक्षा करेंगे और उसमें जो सफल होंगे उनमें से लोगों का चुनाव करेंगे।" यह चीज

जब तक तही होती तब तक चाहे जितनी बार शिक्षा-सुधार की बात दोहराते रहिये, शिक्षा का उद्धार नहीं होगा :

इसका दूसरा पहलू यह होगा कि डिग्रियाँ और परीक्षाएँ समाप्त की जानी चाहिए। प्रायमरी से हाईस्कूल तक जो भी आठ या दस साल रखने हो और उनमें प्रायमरी, सेकेंडरी, मिडिल इत्यादि जो विभाग करने हो वे बिये जायें, लेकिन सर्टिफिकेट (प्रमाण-पत्र) इतना ही दिया जाय कि अमुक लड़का इतने साल अमुक विद्यालय में अमुक विषय लेकर पढ़ा। इसके बाद उसको विद्व-विद्यालय में जाना हो तो जैसे आज का ३ या ४ साल का अम्यासक्रम है, उसमें वह पढेगा। वहाँ से भी उसको इतना ही प्रमाण-पत्र दिया जाय कि अमुक विषय लेकर वह अमुक कालेज में अमुक साल पढ़ा। इतने प्रमाण-पत्र पर उस विद्यार्थी को नौकरी नहीं मिलेगी। उसको जहाँ नौकरी के लिए जाना होगा, वहाँ उसको उस विभाग की परीक्षा देनी पड़ेगी।

इस दिशा में अन्य राष्ट्रों के अनुभव भी जाने जायें। आज भी डिग्री क्लास न अलावा अलग-अलग डिपार्टमेन्ट (विभाग) की अपनी ट्रेनिंग (प्रशिक्षण) है ही। सरकार ऐसी विशिष्ट ट्रेनिंग रखे। तब विद्यार्थी को भी यह निश्चिन्त रूप से मालूम होगा कि वह क्या बनने के लिए प्रशिक्षण ले रहा है।

चीन ने परीक्षाएँ रद्द कर दी है। यह रेडिकल (बुनियादी) बात लगनी है। लेकिन शायद यह अधिक व्यावहारिक है। मे अपने देश के युवकों की हालत से बहुत चिन्तित हूँ। इसमें युवकों का दोष नहीं है। युवक हमारे पास शिक्षण के लिए आते हैं। वे मिट्टी हैं और शिक्षक कुम्हार हैं। घड़ा अगर ठीक नहीं बना तो कुम्हार का दोष है। आज युवकों की चिन्ताजनक हालत है, उनके लिए अपना समाज, माता-पिता, शिक्षक, युनिवर्सिटी, सरकार, सब जिम्मेवार हैं। शिक्षा के मामले में बिहार और भी कमजोर है। शायद बिहार का नम्बर सबसे नीच का होगा। यह प्रदेश वैसे ही पिछड़ा है। शिक्षा की यहाँ हालत रही तो और भी पिछड़ेगा।

इसलिए मेरा सुझाव है कि विद्यार्थियों को विधायक वर्ग की दिशा में भावना चाहिए। राज्य की आर से वह अनिवार्य न किया जाय, चम्कि ऐच्छिक रखा जाय। यदि अच्छा और ठोस आयोजन बनाकर विद्यार्थियों के सामने रखा जाय तो कुछ चुने हुए विद्यार्थी इसमें आकर्षित हो जायेंगे और धीरे-धीरे आगे राह खुल जायगी। शुरू में भले वह छोटी धारा दिये, लेकिन आगे चलकर वह रग का रूप लेगी।

हर काल में उत्पन्न चान्चि-सेना का केन्द्र बने ऐसा मे चाहता हूँ। मे इसको अनिवार्य बनाने के पक्ष में नहीं हूँ। जो चीज अनिवार्य की जाती है, उसमें आगे चलकर दंग बढ़ता है। इसलिए इसको ऐच्छिक रखा जाय। मे जनवरी, '६८]

नही चाहता कि यह सरकार की चीज बने। बड़ी अजीब बात है अपने देश में कि अच्छी चीज को भी जब सरकार छूती है तो वह बिगड़ जाती है। जवाहर लालजी ने यही बात कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में कही थी। इसलिए इस काम में मैं आपका व्यक्तिगत सहयोग चाहता हूँ। जिन लोगों को स्फूर्ति हो वे मुझे मदद करें।

अपने देश में लाखों विद्यार्थी और हजारों शिक्षकगण हैं। आपके हृदय से प्रेरणा निकलेगा तब इस काम में बल आयेगा। इसमें विद्यार्थियों को किसी तरह का प्रलोभन न दिखाया जाय। इसमें शरीक हो तो आगे सरकारी नौकरी में अप्रियता दी जायगी, इत्यादि बातें न कही जायें।

—जयप्रकाश नारायण

उन्नीसवें गणतंत्र दिवस के पुनीत पर्व पर

उत्तर प्रदेश सरकार आह्वान करती है

अन्न में आत्मनिर्भरता, उत्पादन में वृद्धि साधनों के विकास
के लिए

किसान, मजदूर, बुद्धिजीवी वर्ग सभी
लगन और उत्साह से कठिन परिश्रम
के साथ-साथ

राष्ट्रीय बचत योजनाओं में
अधिक-से-अधिक योगदान

तथा

परिवार-कल्याण नियोजन विधियों

को अपना कर

विकास-कार्यों में तेजी लाये और नये समाज की रचना
में सहायक बने

सूचना विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा प्रसारित

परिचय

दक्षिण-उत्तर का ऐक्य

श्री त्रिगुण सेन—'इन्डियन इन्स्टीट्यूट' के लिए आप क्या उपाय सुभाते है ?

श्री विनोबाजी—'लिम्बिस्टिक स्टेट्स' (भाषायी राज्य) तो आपने बना ही लिमे हैं । अब आपको 'इन्स्टीट्यूट' (एकता) के लिए कदम उठाने हैं । मैं सुभाऊंगा कि विश्वविद्यालयों में राष्ट्र की भिन्न-भिन्न भाषाओं के अध्ययन को उत्तेजन दिया जाना चाहिए ।

एक कोष (डिक्शनरी) बनानी चाहिए, जिसमें सब पन्द्रह भाषाओं में होनेवाले समान (कामन) शब्दों की सूची हो । जैसे 'प्रयत्न' शब्द है । भारत के सब भाषाओं में यह शब्द है । उसी तरह कुछ शब्द तेरह भाषाओं में, कुछ चौदह में 'कामन' होंगे । उन्हें भी कोष में शामिल किया जाय । इस तरह समान शब्दों का एक कोष बनना चाहिए । इस तरह का कोष बना तो प्रादेशिक सरकारें अपने प्रदेशों में भाषा की पाठ्य-पुस्तकों दो लिपियों में—स्थानिक लिपि में और नागरी लिपि में—छापें, और पढ़ने के बारे में स्वतंत्रता दें । जिसे जो लिपि पसन्द हो, उसमें वे पढ़ें, उसीमें उत्तर दें और उसीमें बालें, इस तरह की स्वतंत्रता रहे । दो लिपियों के छापने में खर्चा तो बढ सकता है, लेकिन वह अच्छा काम होगा । कुछ दिनों बाद उसका फायदा दिखाई देगा । असम में आदिवासी (ट्राइबल्स) हैं, वे नागरी में असमिया सीखना पसन्द करेंगे, क्योंकि उसमें से उन्हें असमिया और हिन्दी, दानी भाषाएँ सीखने में सुविधा होगी ।

कुछ वर्षों पहले एक राष्ट्रीय एकता परिषद (नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ़ एकीकरण) हुई थी । उसकी एक बैठक हुई थी, एक समिति भी नियुक्त की गयी थी । बाद में चीन का हमला आया, देश में एकता निर्माण हुई, ऐसा दीखने लगा और एग समिति का काम बन्द हो गया । जब तक हमले की गर्मी थी, देश में जनवरी, '६८]

एकता का प्रदर्शन था। बाद में जो हम पहले करते थे, वही हमने करना शुरू किया। इसका अर्थ हुआ कि हमारी एकता के लिए चीन के हमले की हमें जरूरत होती है। यह दुःखद बात है।

“गीता प्रवचन” का १५ भाषाओं में तर्जुमा हुआ है। कुछ भाषाओं में हमने बहू दोनो लिपियों में छपा है। जैसा बंगला भाषा का “गीता प्रवचन” बंगला लिपि में और नागरी में छपवाया है। उसी तरह कन्नड भाषा का भी कन्नड और नागरी में छपवाया है। अखिल भारत में चलनेवाली इस तरह की किताबें दोनों लिपियों में छपवायी जानी चाहिए।

श्री नारायण सेन द्वारा चीनी भाषा नागरी लिपि में लिखवाने की तैयारी करने को मैंने कहा था। सुना है, उसकी किताब तैयार है। उस पर से चीनी भाषा आसानी से सीखी जा सकती है।

प्रश्न—दक्षिण उत्तर के भावात्मक एकता ‘इमोजनल इन्टीग्रेटन’ के लिए खास तौर पर क्या करें ?

उत्तर—केरल, कर्नाटक, आन्ध्र में उत्तर का और हिन्दी का खास विरोध नहीं है, जो विरोध है वह तमिलनाडु में है। तमिल भाषा दो हजार वर्ष पुरानी है। इसलिए उसका अभिमान होना स्वभाविक है। अभिमान है तो अच्छी बात है। उनका कहना है कि हिन्दी लादने का आपह न रहा तो हम हिन्दी सीखेंगे। राजाजी ने एक लेख तमिल में लिखा था, करीब एक साल पहले। वह अपेजी में नहीं छपा था। मैंने वह तमिल में ही पढ़ा। उन्होंने लिखा था, हिन्दी लादना गलत है और हिन्दी न सीखना गलत है। उनकी बात समझ में आ सकती है। दक्षिणवालों के लिए व्यापार इत्यादि के लिए हिन्दी आवश्यक है। इसलिए हिन्दी न सीखना गलत होगा। इस चीज को हमें समझना चाहिए।

भावनात्मक ऐक्य के लिए पदयात्राएँ शुरू करनी चाहिए। एक भाषिक प्रदेश से दूसरे भाषिक प्रदेश में जानेवाली पदयात्रा हो। इससे भाषा का ज्ञान बढ़ेगा। हमने हाल ही में बहनों की एक पदयात्रा शुरू करायी है। उसे हम ‘लोक-यात्रा’ कहते हैं। बहनों की एक टोली १२ साल के लिए निकल पडी है। उसमें एक बहन असमिया है। हिन्दी जानते हुए भी वह असमिया में ही बोले, ऐसा मैंने उसे कहा है। उसका तर्जुमा किया जाता है। उससे असमिया भाषा का ‘टोन’ समझ में आता है। अभी वह टोली इन्दौर में धूम रही है। ●

विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका

डा० आत्माराम

[इस अंक में हम केन्द्रीय विज्ञान और उद्योग अनुसन्धान परिषद् के अध्यक्ष डाक्टर आत्माराम के भाषण का सारांश दे रहे हैं, जिसे उन्होंने भारतीय विज्ञान कांग्रेस के पचपनवें अधिवेशन के अवसर पर ३ जनवरी, मन् १९६८ को बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में अध्यक्ष-पद से प्रस्तुत किया था। इस भाषण में उन्होंने 'श्रम-मूलक टेक्नोलॉजी को भारत ऐसे श्रम-प्रधान देश के अनुकूल बनाकर उस औद्योगिक नीति का समर्थन किया है, जिसका परिणाम विकेन्द्रीकरण होगा और प्रारम्भ से ही गांधी-विनोबा की औद्योगिक नीति रही है। इस भाषण के लिए हम डाक्टर आत्माराम को साधुवाद देते हैं।—सम्पादक]

हमारा ध्येय वैज्ञानिकों और जनता के बीच सजीव सम्पर्क स्थापित करना है। यदि हमें ऐसा सम्पर्क स्थापित करना है तो यह आम धारणा मिटानी होगी कि वैज्ञानिकों का काम जनता की समझ-बूझ से बाहर है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी का प्रभाव जन-साधारण पर पड़ता है, इसलिए वैज्ञानिकों के लिए यह जरूरी है कि वे अपने काम को जनता के सामने रखें और जनता के विचारों को मालूम करें।

हम ऐसे समय एकत्र हुए हैं, जब कि हम एक नये युग में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ समय पूर्व शुक्र के अपारदर्शक वायुमण्डल को भेदता हुआ मनुष्य का बनाया यन्त्र उसकी सतह पर उतारा गया। यह एक अभूतपूर्व कार्य है। हम सब भारतीय वैज्ञानिक उन साथी वैज्ञानिकों को बधाई दें, जिन्होंने यह महान सफलता प्राप्त की है। इस प्रसंग में हम यह नहीं भूल सकते कि जहाँ एक ओर उन्नत देशों का प्रयास यह है कि 'मनुष्य चन्द्रमा पर कैसे चले', वहाँ दूसरी ओर विकासशील देशों की प्रमुख समस्या है—'मनुष्य को पृथ्वी पर ही ठीक तरह चलने योग्य कैसे बनाया जाय।'

नेहरू भारत में विज्ञान को इतना महत्व क्यों देते थे? विज्ञान पर इतना अधिक बल देने में हमारा उद्देश्य क्या है? विज्ञान से रचनात्मक विचारधारा का विकास होता है और ज्ञान का भंडार बढ़ता है। परन्तु इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी उद्योग और कृषि के जनवरी, '६८]

विकास में और स्वास्थ्य रक्षा में अति उपयोगी ही नहीं, बल्कि अनिवार्य है। संक्षेप में कह सकते हैं कि विज्ञान की सहायता से जीवन-स्तर ऊँचा करने में सहायता मिलती है। मनुष्य को अपनी भलाई के लिए पहले कभी इतना ज्ञान और तकनीक उपलब्ध नहीं थे जितने आज हैं। इसीलिए आज विज्ञान का इतना महत्व है। मानव-कल्याण में योगदान देने का पूरा-पूरा दायित्व भारतीय वैज्ञानिकों पर है। हमें देखना है कि हम अपने समाज और जन-साधारणों के कितने समीप हैं और हमारा काम हमारे समाज की अशांति और इच्छाओं में कहां तक सम्बद्ध है।

मैं यह अनुभव करता हूँ कि विज्ञान की शिक्षा में प्रयोगात्मक पहलू पर पर्याप्त बल नहीं दिया जाता। इसके लिए यह जरूरी नहीं कि हमारे पास बड़े-बड़े जटिल यंत्र हों। हम अपने आप ही उपकरणों को बनाने की आदत डालनी चाहिए। इसीमें कायकुशलता आती है और मशीना की समझ भी, साथ ही शिक्षा प्रणाली उत्पादन उन्मुखी होगी।

विज्ञान के क्षेत्र में हमारे पूर्वजों ने ज्ञान का भण्डार बढ़ाने में महान योग दिया लेकिन यह ज्ञान समाज की जरूरतों में सम्बद्ध नहीं रहा। धीरे-धीरे विज्ञान में हम अपना स्थान खो बैठे। राजा राममोहन राय के प्रयासों के फलस्वरूप भारत में नवजागरण हुआ और भारतवासियों को अपने शासक-वर्गों में से बौद्धिक समानता प्राप्त करने की इच्छा प्रबल हो उठी। उच्च काठि के वैज्ञानिक हुए, जो मंदार के वैज्ञानिकों से कंधे से-कंधा मिलकर चले।

हमारी विज्ञान और उद्योग-नीतियों की जोड़नेवाली एक टेक्नोलॉजी नीति की घोषणा बहुत जरूरी है। इस घोषणा में अर्थ-बानों के अलावा ये बातें भी ध्यान में रखनी चाहिए —

(१) अधुनिक टेक्नोलॉजी पूंजी प्रधान है, 'बल-श्रम-न्यून'। भारत की परिस्थिति भिन्न है—पूंजी की कमी, धर्म की अधिकता। विदेशी मुद्रा की विशेष रूप से कमी है। ऐसी स्थिति में हमारे लिए कौनसी टेक्नोलॉजी उचित होगी?—सबसे उच्च प्रकार की अथवा अपनी परिस्थिति के अनुकूल, जिससे सामाजिक असन्तुलन न हो और बेरोजगारी न रहे। टेक्नोलॉजी अपनाते समय प्रतिष्ठा का सवाल नहीं उठना चाहिए। यह धारणा गलत है कि गैर-स्वचालित टेक्नोलॉजी पिछी पिटी है और उच्चतम टेक्नोलॉजी केवल स्वचालित ही हो सकती है।

(२) किन किन क्षेत्रों में देश को बाहर से जानकारी लाने की जरूरत है और ऐसे कौनसे क्षेत्र हैं जिनमें हम अपनी प्रयोगशालाओं और संस्थाओं द्वारा जानकारी तथा प्रक्रियाएँ विकसित होने तक प्रतीक्षा कर सकते हैं। यदि उपभोक्ता माल के लिए हम धर्म प्रधान टेक्नोलॉजियों को अपनायें तो अच्छा है।

(३) कतिपय क्षेत्रों में, जैसे—इस्पात निर्माण, मूल रसायनों, रक्षा और स्वास्थ्य में हमें सर्वोत्तम टेक्नोलाजी ही अपनानी होगी ।

टेक्नोलाजी नीति और कच्ची सामग्री की उपलब्धि का सम्बन्ध महत्वपूर्ण है । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में हमें उन चीजों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करना चाहिए, जिसमें हमारी स्थिति अच्छी है और ऐसे क्षेत्रों में हमे अच्छी-से-अच्छी विधियाँ प्रयोग में लानी चाहिए । मसलन हमें जूट, टेक्सटाइल उद्योगों से सम्बन्धित अनुसन्धान पर निरन्तर ध्यान देना चाहिए था । इन उद्योगों से हमें काफी विदेशी मुद्रा मिलती है । इन क्षेत्रों में हम विज्ञान के बल पर अपनी स्थिति सुदृढ़ बनायें । इसी प्रकार अन्य सवाल हो सकते हैं, जिन पर हमें अपनी टेक्नोलाजी नीति पर बलवत् घोषित करना चाहिए । अच्छा हो, हम अपनी टेक्नोलाजी नीति को कुछ स्पष्ट करें ।

मानव-साधनों का विकास

भारत को गरीब-बगैर देश कहा जाता है । हमारे पास साधनों की कमी नहीं, लेकिन देश में गरीबी है । विकास के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत है—भौतिक साधनों का विस्तृत सर्वेक्षण और उनका उपयोग, पूंजी निर्माण और उद्योगों को प्रोत्साहन तथा मानव साधनों का विकास ।

इसमें मानव-साधनों का विकास सबसे अधिक महत्वपूर्ण है । आर्थिक प्रगति के लिए पूंजी, टेक्नोलाजी और आर्थिक जानकारी, प्रबन्ध योग्यता, आधुनिक औद्योगिक कुशलता तथा कठिन परिश्रम के लिए निष्ठा चाहिए । पूंजी का छोड़कर दोष का सम्बन्ध मानव-साधनों से है । ऐसे देशों के भी उदाहरण हैं, जिन्होंने अधिक पूंजी न होने पर भी अपने मानव-साधनों के बल पर उल्लेखनीय प्रगति की है । इतिहास में ऐसे देशों की मिसालें भा हैं, जिन्होंने सब कुछ होने हुए भी अपनी बेवकूफी से देश को उजाड़ बना दिया है ।

देश का विकास केवल कठिन परिश्रम से ही हो सकता है । विभिन्न रूपों की विदेशी सहायता केवल सहायक हो सकती है । हमारे परिश्रम का स्थान नहीं ले सकती, न हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं । जब तक वैज्ञानिक और तकनीकी योग्यताओं, औद्योगिक कुशलताओं और आधुनिक सामाजिक मान्यताओं पर आधारित देश के अन्दर सन्निधियों का निर्माण नहीं होगा, तब तक हम विकास का समुचित आन्तरिक ढाँचा नहीं बना सकेंगे ।

जब तक वैज्ञानिक यह अनुभव नहीं करेंगे कि समाज की प्रगति में वे एक घाम्भीरर की तरह हैं, वे समाज पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकेंगे और न समाज का विनाश ही प्राप्त कर सकेंगे ।

समाज को डालने में सक्थियों का जो षटल जाल है, उसमें विज्ञान और टेक्नोलाजी एक महत्वपूर्ण अंग है । एक सच्चे वैज्ञानिक में विनम्रता का अनन्तरी, '६८]

आभास होना चाहिए। हम अन्य पहलुओं की उपेक्षा नहीं कर सकते। व्यावहारिक विज्ञान अभी विकास की आरम्भिक अवस्था में है। सम्भवतः इन विज्ञानों के विक्रम से हम व्यक्ति और समाज को गहराई से समझ सकेंगे।

आचार्य विनोबा भावे कहते आये हैं कि आधुनिक संसार में विज्ञान और अध्यात्म ने राजनीति और धर्म का स्थान ले लिया है। यह बात हमारे लिए बड़ा महत्त्व रखती है। नेहरूजी ने हमारे जैसे समाज के लिए इसका महत्त्व समझा। यदि हम धर्म का अर्थ रूढ़िवाद, अन्धविश्वास और ऐसी ही बात से लगाते हैं, तो हमें इन्हें दूर करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। मानव-जीवन में अध्यात्म का यादा पुट आवश्यक है। विज्ञान ने अभी ऐसी कोई औपधि पैदा नहीं की है, जिससे मानव में अच्छे गुण आये और न ऐसी कोई ऐन्टीबायोटिक ईजाद हुई है, जो कट्टरता को हटा सके।

हमारी सम्प्रदाय बहुत प्राचीन है, इसलिए हमारे लोग परम्पराओं में डूबे हुए हैं। लेकिन हमें समस्याएँ बहुत समझ-बूझकर सुलझानी हैं। बजाय इसके कि हम अपना समय दूसरों की कमी जताने में व्यतीत करें, हमें विज्ञान और टेक्नोलॉजी के कुछ रचनात्मक काम और लाभ करके दिखाने चाहिए। गांधीजी कहा करते थे—गरीब के लिए ईश्वर रोटी या चावल के निवाले में ही प्रकट होता है। इससे पहले कि हम आशा करें कि लोग रूढ़िवादिता छोड़ें और वैज्ञानिक रूप अपनायें, हम अपने से यह भी पूछ लें कि हमने कहाँ तक उन्हें जीवन की आवश्यकताएँ—भोजन, कपड़ा, मकान यानी आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है।

स्वदेशी की भावना

देश में ऐसी भावना भी व्याप्त है कि हर विदेशी माल देशी माल से अच्छा है। यह भावना हमारे विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी है। यदि किसी माल पर विदेशी नाम की छाप ही हो तो उसके विक्रेते में कोई अड़चन नहीं। स्वदेशी की भावना जो स्वतंत्रता के पहले इतनी प्रबल थी, अब बहुत कम दिखायी देती है। शायद इसके लिए गांधीजी को फिर भारतवर्ष में जन्म लेना होगा।

स्वदेशी की भावना का यह मतलब नहीं कि जो तकनीकी जानकारी जानी-बूझी हो और बाहर से मिल सकती हो, उसका हम पुनः आविष्कार करें और हमारे जो सीमित साधन हैं, उनको इसीमें लगाये रहे। यदि राष्ट्रीय हितों को देख लगे बिना हम विदेशों से टेक्नोलॉजी ले सकते हैं तो उसे लेने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। इस टेक्नोलॉजी को लेने पर भी हमारे वैज्ञानिकों का महत्त्व कम नहीं होगा, क्योंकि उनका काम इस विदेशी टेक्नोलॉजी को देश की जरूरतों और परिस्थितियों के अनुसार ढालना होगा।

देश में वैज्ञानिक जनमत तैयार करने की जरूरत जितनी इस समय है,

उतनी पहले कभी नहीं रही। वैज्ञानिकों को 'संघटन' की चमक-दमक में सावधान रहना चाहिए। जिस प्रकार विमान जाड़ू नहीं है, उणी प्रचार केवल संघटन भी चमत्कार नहीं है। मैं एक निवेदन धरस्य बरना चाहूँगा, विरोधः युवक-युवतियों से कि वे नाद-बिवादों और नारों में न पड़ें। बटिन परिश्रम और लगन का स्थान और कोई चीज नहीं ले सकती। हम अपने में परिश्रमी जीवन की प्रबल भावना पैदा करें। मेरी समझ में अच्छे, सुखद और लम्बे जीवन के लिए युवा पीढ़ी की बढ़ती महत्वाकांक्षा पूरी करने का यही तरीका हो सकता है। ●

'विनोबा चिन्तन'

आचार्य विनोबा भावे के वर्गीकृत-विचारों का मासिक प्रकाशन 'विनोबा-चिन्तन' के रूप में फरवरी, ६६ से हो रहा है। अब तक 'विनोबा-चिन्तन' के २२ अंक विविध विषयों पर निकल चुके हैं। आचार्य विनोबा की बहुमुखी प्रतिभा, अगाध विद्वत्ता, अपरिमित अध्ययन तथा गहरी अनुभूतियों से युक्त अभिव्यक्तियाँ हर चिन्तक और विचारक के समक्ष विविध विषयों पर नवीन आलोक बिखेरती हैं।

गत सितम्बर-अक्तूबर '६७ के 'विनोबा-चिन्तन' के संयुक्तांक से प्रस्तुत हो रहा है 'संत मुरभि'। नवम्बर '६७ का अंक भी उसी विषय का पूरक अंक है। आगे भी यह क्रम चलेगा। भारतीय सन्तों की जीवन-मुरभि को जिसे विनोबा ने मधुप की तरह संग्रहित किया है, भारतीय दर्शन में रुचि रखने वाले हर विद्वान, शोधक व चिन्तक के लिए अनिवार्यतः पठनीय, मननोप्य, संग्रहणीय है।

वार्षिक मूल्य : ५ रुपये

एक अंक का : ५० पैसे

भवदीय,
रामचन्द्र राही
व्यवस्थापक, पत्रिका-विभाग

सर्व-सेवा-संघ प्रकाशन

राजघाट, वाराणसी-१

समवाय-शिक्षण-पद्धति का विकास—२

वंशीधर श्रीवास्तव

संयोजन और अनुबन्ध समवाय के विकास का दूसरा महत्वपूर्ण कदम था— संयोजन (इन्टीग्रेशन) । विषयों के सह-सम्बन्ध के सिद्धान्त में विषयों की अलग-अलग सत्ता बनी रही और पाठ्यक्रम अलग-अलग विषयों का समुच्चय बना रहा । विषय-सामग्री का संगठन भी पहले जैसा ही रहा । केन्द्रीकरण के सिद्धान्त में भी एक प्रकार परम्परित विषयों की अलग-अलग सत्ता बनी रही, 'मूल ही केन्द्रीय विषय का महत्व अधिक हा गया हो । परन्तु अमेरिका के शिक्षा-शास्त्री जान डिवी ने पाठ्यक्रम को समन्वित रूप में प्रस्तुत करने की बात कही । उन्होंने कहा, चूंकि मन 'एक अखण्ड-अविभाग्य' इकाई है, अतः बालकों को जान भी 'अखण्ड-समन्वित' रूप में ही दिया जाय । इसके लिए आवश्यक है कि विषयों की परम्परित सीमा भंग कर उनका एक में विलयन (पयुशन) अथवा एकीकरण (युनिफिकेशन) कर दिया जाय, जिससे ज्ञान विभिन्न विषयों की टुकड़ियों में न बँटकर समन्वित, अविभक्त रूप में प्रस्तुत किया जा सके । डिवी के पहले शिक्षा भावी जीवन की तैयारी मानी जाती थी अतः उस तैयारी के लिए विशेष गुणों और आदतों के विकास को आवश्यक माना जाता था । अब उन्हींके अनुसार विभिन्न विषयों की योजना बनायी जाती थी । परन्तु डिवी ने कहा कि शिक्षा जीवन ही है, जो अखण्ड और सम्पूर्ण है । अतः स्कूल में शिक्षा की योजना भी ऐसी बनायी जाय, जो सिखाने की क्रिया को समन्वित-अखण्ड-सम्पूर्ण इकाई के रूप में प्रस्तुत करे ।

डिवी लिखते हैं, "प्रारम्भ में बालक के लिए विश्व धूमिल अविभक्त इकाई है । वह उसे भौगोलिक अथवा ऐतिहासिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक आदि किसी विदिष्ट दृष्टिकोण से नहीं देखता । अभी तो वह प्रकृति और मनुष्य में भी अन्तर नहीं कर पाना । आदिम मानव की भाँति वह सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में 'जीव' देखता है, जीव की एकता देखता है । ऐसी दशा में इस ऐक्य भावना को नष्ट कर ज्ञान पर 'भूगोल', 'इतिहास', 'कला', 'विज्ञान' आदि विषयों की विण्णियाँ लगाकर प्रस्तुत करना अमनोवैज्ञानिक और हानिकर है ।"

एक दूसरी बात और है । इस स्तर पर बालक के पाठ्य-पुस्तकों के चयन,

उनमें काम आनेवाली वस्तुएँ और उन धर्मों को करनेवाले पेशेवर, उनका सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण और उस वातावरण के जीव जंतु एवं क्रिया कलाप ही उसकी रूचि के केन्द्र हैं। अतः अधिक अच्छा और मनोवैज्ञानिक यही होगा कि इन्हीं धर्मों और जीव जंतुओं के उसके अनुभव के चारा और ज्ञान का ताना-बाना बुना जाय। स्कूल में परम्परित विषयों को परम्परागत ढंग से पढ़ाने के स्थान पर इन्हीं धर्मों, अनुभवों आदि के माध्यम से दूसरे विषयों को पढ़ाया जाय, तो बालक इसे अधिक सरल ढंग से सीख सकेंगे। इस प्रकार की ताना-बाना बुनने की प्रक्रिया संयोजन और पद्धति अनुबन्ध है।

इसके दो परिणाम हुए। एक तो स्वयं अपनी विद्या और अनुभव के माध्यम से सीखने के फलस्वरूप संयोजन का कार्य बालक ने किया, जो मनोविज्ञान-सम्मत है। दूसरे विभिन्न विषयों का पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करने के स्थान पर किसी एक क्रिया अथवा धर्म के माध्यम से दूसरे सभी विषयों के शिक्षण अनुबन्धन अधिक हट हुआ। 'सह-सम्बन्ध' में संयोजन का काम अध्यापक करते थे। वहीं भिन्न भिन्न विषयों के समान अंशों का चयन और संगठन करते थे जिससे विभिन्न विषयों का समन्वित ज्ञान सम्भव हो सके। परन्तु अनुबन्ध (कोरिलेशन) में संयोजन का काम बालक स्वयं करते हैं। यही स्वाभाविक भी है, क्योंकि वास्तव में संयोजन तो एक आन्तरिक मानसिक क्रिया है बाह्य प्रवास नहीं है। यथार्थ जीवन में भी संयोजन का यह काम बालक स्वयं करता भी है। किसी क्रिया को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने के लिए बाह्य उपादान एकत्र करता है और फिर उन्हें व्यवस्थित कर कार्य करता है। यह व्यवस्था ही संयोजन है। जितना अक्सर बालक को स्वयं संयोजन करने का दिया जायगा उतना ही उसकी व्यावहारिक कार्य-क्षमता बढ़ेगी। इसी दृष्टि से अनुबन्ध-पद्धति सह-सम्बन्ध पद्धति से भिन्न है।

बच्चों का यह अनुबन्ध हर्बर्ट के सह-सम्बन्ध से भिन्न है। सह-सम्बन्ध में विषय-सामग्री के संगठन में किसी प्रकार का डबल-केर नहीं होता। केवल सम्बन्ध स्थापन की दृष्टि से उसमें से कुछ अंशों का उपयोग कर लिया जाता है। किन्तु संयोजन में पाठ्य विषयों के संगठन में किसी वांछित योजना की पूर्ति के लिए बालक मनमाना परिवर्तन कर लेता है और इस परिवर्तन में उनके संश्लेषक संगठन का अथवा उनकी क्रमबद्धता का ध्यान नहीं रखा जाता। सह-सम्बन्ध के सिद्धान्त में विषयों का क्रमबद्ध ज्ञान ही दिया जाता है। परन्तु योजना-पद्धति (अनुबन्ध-पद्धति) में इस क्रमबद्धता की अवहेलना करनी पड़े, तो ही जाती है। वहाँ तो किसी योजना की पूर्ति ही लक्ष्य है। उस पूर्ति में विषयों का कोई भी अंश कहीं से ले लेते हैं। ध्यान केवल बालक की क्षमता और आवश्यकता का रखा जाता है विषय की क्रम बद्धता का नहीं।

शिक्षा की इस पद्धति को अनुबन्ध अथवा याजना-पद्धति कहने है। डिग्री के अनुयायियों और सहकर्मियों—किल्पेट्रिक और स्टीवेन्सन आदि ने इस पद्धति का विकास किया। योजना एक समस्यामूलक कार्य है, जिसे यथार्थ परिस्थिति में पूरा किया जाता है। कार्यान्वयन के लिए योजना को इकाइयों (यूनिट्स) में बाँट लिया जाता है। इकाई का निर्माण बालक की केन्द्रीय रुचि या समस्या के चारों ओर होता है। किसी भी इकाई को पूर्णतः आत्मसात् करने के लिए, और वैज्ञानिक ढंग से उसके सम्पादन के लिए भाषा, गणित, सामाजिक विषय, विज्ञान, कला आदि विषयों को जानना आवश्यक हो जाता है। सभी विषयों से सामग्री ग्रहण की जाती है। जीवन की जिन समस्याओं को हम हल करते हैं उनमें अनजाने ही हम भाषा, गणित, विज्ञान आदि नाना विषयों का सहायता लेने ही हैं। इसी प्रकार इकाई-सम्बन्धी क्रियाओं को सम्पन्न करने के लिए अथवा योजना की समस्याओं के निराकरण के लिए हम सभी विषयों में सहायता लेने हैं और पाठ्यक्रम में दिये हुए विषयों के वर्गीकरण अथवा क्रम-बद्धता से बँधकर नहीं चलते। वास्तव में 'इकाई' को पूर्ण करने के लिए हमें विभिन्न विषयों की सामग्री का अपने ढंग से मयोजन करना पड़ता है। सयोजन की इस प्रक्रिया में सब विषयों की सामग्री का विलयन हो जाता है।

'सयोजन विलयन अनुबन्धन' योजना-पद्धति की विधियाँ हैं। इनमें और सह-सम्बन्ध तथा केन्द्रीकरण में अन्तर है। सह-सम्बन्ध में पाठ्यक्रम के विषयों में आपसी सम्बन्ध स्थापित किया जाता है। केन्द्रीकरण में एक ही विषय से दूसरा विषयों को सम्बन्धित करने की कल्पना की जाती है। परन्तु अनुबन्धन में प्रायोगिक विषयों अथवा स्वर्जित अनुभवों से सम्बन्धित कर दूसरे विषयों को पढ़ाया जाता है जिसमें विषयों का विलयन अथवा एकीकरण हो जाता है।

इस सयोजन अथवा अनुबन्धन पद्धति और समवाय पद्धति में भी अन्तर है। सयोजन-पद्धति में कर्म द्वारा ज्ञान देने का सिद्धान्त मनोवैज्ञानिक होने से माय हुआ है। परन्तु यहाँ कर्म का स्थान गौण है, प्रमुखता ज्ञान की है। समवाय पद्धति में कर्म और ज्ञान का समान महत्त्व है। कर्म गौण नहीं है। वह साधन मात्र नहीं है, साध्य भी है।

विनोबाजी ने सयोजन-पद्धति के इस लक्षण की ओर ध्यान दिलाया है। वे लिखते हैं, "योजना-पद्धति में कर्म का गौण स्थान दिया गया है। कुछ ज्ञान देना है तो उसके अनुकूल एक सयोजन लेकर पढ़ाया जाता है। इसके विपरीत "समवाय-पद्धति" में कोई एक जीवन-व्यापी और विविध अग्रयुक्त मूल-उद्योग शिक्षण के माध्यम के तौर पर लिया जाता है। यह उद्योग शिक्षण का सिर्फ एक साधन नहीं, बल्कि उसका अविभाज्य अंग होता है। उस उद्योग के द्वारा इन

तीनों उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। (१) बच्चे की सब तरह की शक्तियों का विकास करना, (२) बच्चे को जीवनपर्यागी विविध ज्ञान देना और (३) बच्चे को धार्मिकता का एक समर्थ साधन प्राप्त करा देना।”

समवाय में ज्ञान और कर्म का अन्तर मिट जाता है। इस पद्धति में ज्ञान कर्म की व्याख्या धनकर आता है। वहाँ कर्म बला, समाप्त हुआ और वहाँ ज्ञान-पक्ष प्रारम्भ हुआ, यह छात्र को मान्य नहीं होता। यही समवाय वैदिक शिक्षा की अपनी पद्धति है, जिसे सह-सम्बन्ध पद्धति का विकास-चरण कह सकते हैं।

विनोबाजी ने इस अन्तर को एक स्थान पर एक रूपक द्वारा भी स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि समोजन-पद्धति में ज्ञान गणेश है और कर्म इस ज्ञान का वाहन रूपक है। यहाँ रूपक-रूपी कर्म इसीलिए पूज्य है कि वह ज्ञान-रूपी गणेश का वाहन है। देवता के साथ देवता का वाहन भी पूज्य हो उठा है। परन्तु वह वह वाहन-मात्र—गोण। साधन और साध्य की इस एकता की ओर गांधीजी ने भी स्पष्ट करके दिया है। वे कहते हैं—“बुनियादी तालीम का उद्देश्य धार्मिक, बौद्धिक और नैतिक विकास करना है। इसलिए उद्योग और शिक्षण ऐसी द्वैती भाषा मुझे पसन्द नहीं आती। मैं तो उद्योग-शिक्षण ऐसा अद्वैती समीकरण मानता हूँ।”

समवाय पद्धति और सामाजिक वातावरण

बालक का सामाजिक वातावरण समवाय का तीसरा प्रमुख केन्द्र है। राष्ट्रीय पर्व और त्योहार तथा स्थानीय मेले और समारोह इस वातावरण के अभिन्न अंग हैं। इनके माध्यम से समाज के विकास के विषय में और समाज की रहन सहन के विषय में बहुत कुछ समझ-समझाया जा सकता है। यदि इन त्योहारों और पर्वों को वैज्ञानिक ढंग से मनाया जाय तो समाज की अनेक प्रवृत्तियों का और लोक प्रचलित अनेक रस्म-रिवाजों का बड़ा अच्छा अध्ययन हो जाता है। प्रत्येक पर्व अथवा त्योहार का अपना मनोरंजक इतिहास है। प्रत्येक का सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा ऐतिहासिक महत्व है। जब ये पर्व वैज्ञानिक ढंग से स्कूलों में मनाये जायेंगे तभी इनके रहस्य और महत्व बालकों की समझ में आयेंगे और तभी ये समवायित शिक्षण की महत्वपूर्ण सर्वांगीण इकाई बन पायेंगे।

राष्ट्रीय पर्व-त्योहार और स्थानीय मेले

ये पर्व और त्योहार योजनाओं के रूप में मनाये जायें। यह शिक्षा और

४ आचार्य विनोबा भावे—‘शिक्षण-विचार’, पृष्ठ-५७।

मनोरजन दोना ही दृष्टियों से उपादेय होगा। योजनाओं के रूप में मनाने से इनका शैक्षणिक दायरा बहुत बढ़ जायगा।

इन पर्वों और त्योहारों को स्कूलों में समुदाय के साथ मनाया जाय तो अच्छा होगा, क्योंकि इससे स्कूल और समुदाय एक-दूसरे के निकट आ जायेंगे। प्राचीन शिक्षा-नीति का एक परिणाम यह हुआ था कि स्कूल और समुदाय का सम्बन्ध विच्छेद हो गया था। आज हमारी एक बड़ी समस्या यह भी है कि हम समुदाय को स्कूल के कार्यकलाप में दिलचस्पी लेना कैसे सिखलायें। महत्व के पर्वों और त्योहारों को मनाने से हम कुछ इस समस्या को हल कर सकेंगे। पर्वों को मनाने के बहाने ही जब समुदाय के लोग स्कूलों में आयेंगे तो वे स्कूल के दूसरे कार्यकलापों में रुचि लेना भी सीख लेंगे।

स्कूल में पर्वों को समुदाय के साथ मनाने का एक लाभ यह भी होगा कि लोग पर्वों को सुशुचिपूर्ण ढंग से मनाना सीख लेंगे और उनके महत्व से भी परिचित हो जायेंगे। विद्यालय में वैज्ञानिक ढंग से मनाये जाने से पर्व और त्योहार लोक-शिक्षण के बहुत बड़े माध्यम बन जायेंगे। आवश्यकता इस बात की है कि पूरी छान बीन के बाद इन त्योहारों और पर्वों के सम्बन्ध में साहित्य तैयार किया जाय और उसे बालक के शिक्षा क्रम का अभिन्न अंग बनाया जाय। इस प्रकार का काम बुनियादी प्रशिक्षण सस्थाएँ करें। इससे सामाजिक अध्ययन की एक बहुत बड़ी कमी पूरी होगी।

त्योहारों को स्कूल में मनाने के सम्बन्ध में सबसे बड़ी अड़चन यह है कि अधिकतर त्योहारों के समय छुट्टियाँ होती हैं। होली, दिवाली, ईद-मुहर्रम-बशा दिन आदि ऐसे ही त्योहार हैं। कुछ पर्व ऐसे भी हैं जिन्हें स्कूल में मनाया जाता है और फिर आधे दिन की छुट्टी भी हो जाती है, जैसे—स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, बाल दिवस, शिक्षक दिवस आदि। ये हमारे महान् राष्ट्रीय पर्व हैं। और इन्हें स्कूलों में मनाने की परम्परा हो गयी है। यह बहुत अच्छा है। चेष्टा इस बात की करनी है कि इन समारोहों में समुदाय के लोग भी सम्मिलित हों। जिन पर्वों के समय छुट्टियाँ हो जाती हैं, और जिन्हें बालक अपने परिवारवालों के साथ मनाना चाहते हैं, उन्हें त्योहारों की छुट्टियों के तुरत पहले अथवा बाद में मनाया जाय। होली के पहले लड़के और शिक्षक सुशुचिपूर्ण ढंग से होली खेलें और उस अवसर पर अभिभावकों को भी बुलावें। होली हफ्तों पहले से खेली ही जाती है। इसी तरह ईद के बाद स्कूल खुलने पर ईद के महत्व पर प्रकाश डालकर एक बार फिर मुह मीठा कर गले मिलने में कोई बुराई नहीं है। ऐसा करने से भावनात्मक एकता बढ़ेगी, जिसकी इस देश को बहुत बड़ी जरूरत है।

नीचे हम होली का त्योहार मनाने पर एक योजना-भाठ दे रहे हैं, जिससे

मालूम हो जायगा कि अगर ल्योहारो को स्कूलों में ठीक ढंग से मनाया जाय तो छात्रों को अपने सामाजिक वातावरण को समझने में ही आसानी नहीं होगी, उन्हें सहज ढंग से काम करते-करते अनेक विषयों का ज्ञान ही जायगा।

पाठ-सकेत

योजना—“होली का उत्सव मनाना।”

उप-योजना—“योजना का प्रारम्भ।”

(अ) “योजना के सम्बन्ध में विचार-विमर्श।”

(ब) “कार्य नियोजन और कार्य-वितरण।”

दिनांक	कक्षा १ से ८ तक	समय—८० मिनट
--------	-----------------	-------------

सामान्य उद्देश्य .

१ किसी समस्यात्मक कार्य द्वारा सामाजिक वातावरण में बालकों को ध्यायहारिक ज्ञान प्रदान करना।

२ छात्रों में अपनी संस्कृति के प्रति अनुराग उत्पन्न करना।

३ योजनानुसार कार्य करने की क्षमता उत्पन्न करना।

४ बालकों को होली का पर्व मनाने की उचित विधि का बोध कराना।

मुख्य उद्देश्य

१ बालकों को होली का उत्सव मनाने के सम्बन्ध में प्रचलित विभिन्न मतों से अवगत कराना।

२ विभिन्न प्रान्तों में होली किस प्रकार मनायी जाती है, इससे बालकों को परिचित कराना।

३ विद्यालय में होली का उत्सव मनाने के सम्बन्ध में छात्रों की सहायता से योजना निर्मित करना तथा प्रत्येक कक्षा के लिए कार्य का वितरण।

सहायक सामग्री .

१. होलिका-दहन का चित्र।

२. अल्पना का चित्र।

३. ब्रज की होली का चित्र।

पूर्वज्ञान

१. बालक होली का पर्व मनाने की विधि से परिचित है।

प्रेरणात्मक प्रश्न .

१. होली क्यों जलाते हैं ?

उद्देश्य-कथन :

भाज मैं तुम लोगों को बताऊँगी कि होली जलाने व होली का पर्व मनाने जनपरी, '६८]

की प्रथा कब से प्रचलित है तथा विभिन्न प्रान्तों में होली का पर्व किस प्रकार मनाया जाता है ।

प्रस्तुतीकरण :

१. होली का पर्व हम लोग क्यों मनाते हैं ? (समुचित उत्तर न मिलने पर शिक्षिका बालकों को होली जलाने के सम्बन्ध में प्रचलित "होलिका-दहन" की कथा सुनायगी ।

शिक्षिका द्वारा :

(यहाँ पर शिक्षिका "होलिका का प्रह्लाद को गोद में लेकर अग्नि में बँटने" का चित्र दिखाकर अपने भाव को स्पष्ट करेगी ।)

प्रथम सोपान : शिक्षिका द्वारा कथन

(अघ्यायिका बच्चों को बतायगी कि वरदान प्राप्त होने के बावजूद होलिका स्वयं जल गयी, भगवान का भक्त होने के कारण अग्नि ने प्रह्लाद का कुछ नहीं बिगाड़ा । आज भी हम इसी स्मृति में होली जलाते हैं । वह भक्त प्रह्लाद के बचने पर सार्वजनिक रूप से खुशियाँ मनाते हैं ।)

द्वितीय सोपान :

होली के पर्व के सम्बन्ध में इस कथा के अतिरिक्त और कौनसा मत प्रचलित है ? (बालकों के विभिन्न उत्तरों के आधार पर शिक्षिका उन्हें होली जलाने के सम्बन्ध में दक्षिण भारत में प्रचलित कथा सुनायगी ।)

कामदेव दहन .

दक्षिण भारत में लोग इस प्रथा का सम्बन्ध "कामदेव के दहन" से स्थापित करते हैं । एक बार जब शिवजी तपस्या कर रहे थे, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए देवताओं ने कामदेव को भेजा ।

होली का त्यौहार मनाने के सम्बन्ध में इस कथा के अतिरिक्त और क्या विचार प्रचलित है ?

बोधोत्प्रेरक प्रश्न :

१. होलिका जलाने के समय अग्नि में नया अन्न क्यों डाला जाता है ?

२. यह प्रथा कब से प्रचलित है ?

आयों के समय से आज तक होली जलाते वक्त अग्नि में गेहूँ और जौ की बालें डाली जाती हैं । नये अन्न के पकवान बनाकर देवताओं को प्रसन्न करते हैं, लड़ाई-झगड़े व भेदभाव मिटाकर सब एक-दूसरे के गले मिलते हैं व आमोद-प्रमोद मनाते हैं ।

अब हम यह पढ़ेंगे कि होली का त्यौहार विभिन्न प्रान्तों में किस प्रकार मनाया जाता है ?

विकासात्मक प्रश्न

- 1 हमारे प्रान्त म होली का पर्व किस प्रकार मनाया जाता है ?
- 2 भारत के अ्य प्रान्तो में होली का पव किस प्रकार मनाया जाता है ?

विभिन्न प्रान्तो मे होली का पर्व

हाली का पव विभिन्न प्रान्तो-में भिन्न भिन्न ढग से मनाया जाता है, इस बात से अवगत करातो हुई शिक्षिका बालको को बगाल, राजस्थान व ब्रज की होली मनाने की विधि से परिचित करायगी ।

बगाल में होली

- 1 बगाल में होली का पर्व किस प्रकार मनाया जाता है ?

समुचित उत्तर न मिलने पर शिक्षिका बालको को बतायगी कि बगाल मे बाल-वृष्ण को भूले में बैठाकर घर के सब लोग भुलाते है । वृष्ण को गुलाल चढाया जाता है जिसे प्रसन्न-स्वरूप सुबको लगाया जाता ।

राजस्थान की होली

- 2—राजस्थान में होली का मव किस प्रकार मनाया जाता है ?

उत्तर न मिलने पर शिक्षिका बालको को बतायगी कि राजस्थान म दस दिन स्त्री-मुख्य मिलकर होली खेलते है । स्त्रियाँ दरवाजे पर चित्र, रगोली व अल्पना बनाती है ।

शिक्षिका द्वारा अल्पना के चित्र का प्रदर्शन

(अल्पना का भाव स्पष्ट करने के लिए अपना वे चित्र का प्रदर्शन ।)
होली के उत्सव के उपलक्ष में अपने हाथ स बने मिष्ठान मुहल्ले में वांटती है ।
ब्रज की होली

- 3 ब्रज में हालो किस तरह मनायी जाती है ?

विभिन्न उत्तरों के आधार पर शिक्षिका बालको को बतायगी कि ब्रज में हालो के दिन वृष्ण व गोपियो की रासलीला की स्मृति में पुरुष व स्त्रियाँ नृत्य करती है । नृत्य के साथ ही विविध वृष्ण-लीलाओ के सवाद भी चलते है ।

(शिक्षिका ब्रज की होली का चित्र दिखाकर ब्रज की होली की विशेषता को स्पष्ट करेगी ।)

बोधोत्प्रेरक प्रश्न

- 1 मुझे किस स्थान की होली विशेष महत्वपूर्ण लगी ?—ब्रज की हाली ।
- 2 ब्रज की होली की क्या विशेषता है ?

(वृष्ण-लीला व रासरग सवाद)

सूच्यावन तथा नवीन पाठ की समस्या

- 1 शुभ राग होगी का पर्व किस प्रकार मनाते हो ?

२. होली का उत्सव मनाने की परम्परा कब से प्रचलित है ?
३. विभिन्न प्रान्तों में होली का पर्व किस प्रकार मनाया जाता है ?
४. अपने स्कूल में होली का त्यौहार मनाने के लिए तुम-सोम क्या करोगे ?

उद्देश्य-कथन :

अब हम लोग अपने स्कूल में होली का उत्सव मनाने के लिए कार्य का नियोजन, व कार्य का वितरण करेंगे।

कार्य-नियोजन व कार्य-वितरण :

१. विद्यालय में होली का उत्सव मनाने के लिए हमलोग क्या करें ?

बालको द्वारा प्रस्तावित कार्यों को शिक्षिका एक के बाद एक श्यामपट्ट पर लिखेगी।

२. होली का त्यौहार मनाने के लिए हमारे पास कितने दिन का समय है ? — (४ दिन)

३. पर्व मनाने का कार्य कौनसी तिथि से कब तक चलेगी ? — (१५ से १८ तक)

४. आज १५ तारीख को त्यौहार मनाने के सम्बन्ध में हमें क्या काम करने हैं ?

१. निमंत्रण-पत्र बनाना,
२. होली खेलने के लिए पिचकारी,

१—निमंत्रण-पत्र :

५. आमन्त्रित अतिथियों के लिए निमंत्रण-पत्र बनाने का कार्य कौन-सी कक्षा के लिए उपयुक्त होगा ?

विचार-विमर्श के पश्चात् यह कार्य कक्षा ५ को सौंपा जायगा।

२—पिचकारी बनाना :

६. होली खेलने के लिए पिचकारी बनाने का कार्य कौनसी कक्षा करेगी ? — (कक्षा ६)

७. १६ तारीख को पर्व के लिए तैयारी करने के हेतु हम कौन-कौनसे कार्य करेंगे ?

३—आलू का ठप्पा बनाना :

१. आलू का ठप्पा बनाना,
२. होली खेलने के लिए रंग बनाना,
३. होली सम्बन्धी गीतों का चयन,

८. डालू का ठप्पा बनाने का कार्य किस कक्षा के लिए उपयुक्त होगा ?
विचार-विमर्श के पश्चात् यह कार्य कक्षा ५ को सौंपा जायगा ।

४—रंग बनाना :

९. होली खेलने के लिए रंग बनाने का कार्य कौनसी कक्षा आसानी से कर सकेगी ?

विचार-विमर्श के आधार पर यह कार्य कक्षा ४ को दिया जायगा ।

५—गीतों का चयन .

१०. होली सम्बन्धी गीतों का चयन किस कक्षा के लिए उपयुक्त होगा ?
—(कक्षा ५)

११. अब हमारे पास और कौन-कौनसे काम बाकी है ?

१. होली के लिए पकवान बनाना,

२. रंग मज बनाना,

३. फूलदान सजाना ।

१२. होली के पर्व सम्बन्धी इन कार्यों को हम किस तारीख को करेंगे ?
—(१७)

६—पकवान बनाना :

१३. होली के लिए पकवान बनाने का कार्य कौनसी कक्षा के लिए उपयुक्त होगा ?
—(कक्षा ७)

७—रंगमंच बनाना .

१४. रंग-मंच बनाने का कार्य कौन-सी कक्षा आसानी से कर सकेगी ?
—(कक्षा ६)

८—फूलदान सजाना .

१५. फूलदान सजाने का कार्य कौनसी कक्षा करेगी ? —(कक्षा ४)

९—अभ्यन्ता बनाना :

१६. अन्तिम दिन १८ तारीख को हम क्या कार्य करेंगे ?

१. अभ्यन्ता बनायेंगे,

२. होली खेलेंगे व उत्सव मनायेंगे ।

१७. अभ्यन्ता बनाने का कार्य किस कक्षा के लिए उपयुक्त होगा ?
—(कक्षा ५)

निशिवा बालकों की सहायता से विभिन्न कक्षाओं के कार्य स्वामपट्ट पर लिखती जायगी ।

श्यामपट्ट-कार्य • १ हाली से सम्बन्धित विभिन्न कथाएँ—

(क) होलिका दहन,

हिरण्यकश्यप—भगवान का शत्रु,

प्रह्लाद भगवान का परम भक्त,

होलिका—जिसे अग्नि में न जल सक्ने का वरदान प्राप्त ।

(ख) दक्षिण में प्रचलित कथा—काम-दहन ।

(ग) फसल के उत्सव से सम्बन्धित आर्यों के समय से प्रचलित कथा ।

२ विभिन्न प्रान्तों की होली—

(क) बंगाल की होली—श्रीकृष्ण को गुलाल चढ़ाना व प्रसाद-स्वरूप सबको गुलाल लगाना ।

(ख) राजस्थान—नृत्य आमोद प्रमोद ।

(ग) व्रज की होली—' कृष्ण-लीला व रास रग सवाद' ।

श्यामपट्ट-कार्य कार्य निर्धारण व कार्य वितरण

दिनांक	कार्य	कक्षा
	निमन्त्रण-पत्र	५
	पिचकारी बनाना,	६
	आलू का ठप्पा	५
	रग बनाना	४
	गोती का चयन	५
	फकवान बनाना	७
	रग भस्म बनाना	६
	गुलदस्ता सजाना	४
	अल्पना बनाना	५

सोजना का समापन—होली खेलना और मूल्यांकन ।

८. बालू का ठप्पा बनाने का कार्य किस कक्षा के लिए उपयुक्त होगा ?
विचार-विमर्श के पश्चात् यह कार्य कक्षा ५ को सौंपा जायगा ।

४—रंग बनाना :

९. होली खेलने के लिए रंग बनाने का कार्य कौनसी कक्षा आसानी से कर सकेगी ?

विचार-विमर्श के आधार पर यह कार्य कक्षा ४ को दिया जायगा ।

५—गीतो का चयन

१०. होली सम्बन्धी गीतो का चयन किस कक्षा के लिए उपयुक्त होगा ?

—(कक्षा ५)

११. अब हमारे पास और कौन-कौनसे काम बाकी है ?

१. होली के लिए पकवान बनाना,

२. रंग मच बनाना,

३. फूलदान सजाना ।

१२. होली के पर्व सम्बन्धी इन कार्यों को हम किस तारीख को करेंगे ?

—(१७)

६—पकवान बनाना :

१३. होली के लिए पकवान बनाने का कार्य कौनसी कक्षा के लिए उपयुक्त होगा ?

—(कक्षा ७)

७—रंगमच बनाना :

१४. रंग-मच बनाने का कार्य कौन-सी कक्षा आसानी से कर सकेगी ?

—(कक्षा ६)

८—फूलदान सजाना

१५. फूलदान सजाने का कार्य कौनसी कक्षा करेगी ?

—(कक्षा ४)

९—अल्पना बनाना :

१६. अन्तिम दिन १८ तारीख को हम क्या कार्य करेंगे ?

१. अल्पना बनायेंगे,

२. होली खेलेंगे व उत्सव मनायेंगे ।

१७. अल्पना बनाने का कार्य किस कक्षा के लिए उपयुक्त होगा ?

—(कक्षा ५)

शिक्षिका बालको की सहायता से विभिन्न कक्षाओं के कार्य स्वामपट्ट पर लिखती जायगी ।

प्रारम्भिक शिक्षा के स्तर पर सामान्य-विज्ञान-शिक्षण का उद्देश्य

श्री सुमतीशचन्द्र चौधरी

विज्ञान ने व्यक्ति का स्वस्थ, नीराग तथा अधिक दिनों तक जीने का अवसर प्रदान किया है। उसने मनुष्य का आनागमन, संचार तथा विनियम की सुविधाएँ दी हैं। उसने राष्ट्रों को समृद्धि (उद्योग तथा कृषि), सुव्यवस्था तथा सुरक्षा की कुजी दी है। अतः आज के इस विज्ञान-युग में कोई राष्ट्र, समाज या व्यक्ति विज्ञान और उसके आविष्कारों की उपज्ञा नहीं कर सकता। इस युग में उन्नति करने के लिए राष्ट्र और व्यक्ति का विज्ञान के व्यापक क्षेत्र की एकाधिक शाखाओं की पग पग पर सहायता लेनी पड़ती है। उसे विज्ञान के साधना के लाभ को समझना-बुझना तथा जीवन में उपयोग करना पड़ना है। इसलिए आवश्यक है कि लोगों में विज्ञान की शिक्षा के प्रति अभिरुचि जागृत की जाय।

विज्ञान और तकनीकी युग में लोगों के लिए वैज्ञानिक तथा तकनीकी व्यवसाय (इंजीनियर, ओवरसीयर, टेकनिशियन) में प्रस्तुत होना आवश्यक है, क्योंकि विज्ञान और तकनीकी आविष्कारों के आधार पर जीवन के सभी क्षेत्रों में नित्य सुख और सुविधा बढ़ रही है। साधारण कार्यालयों में विद्युत् का प्ला, प्रकाश, बमरा गरम करने की व्यवस्था, टेलीफोन इण्टर-कम्युनिकेशन, जोड़ने घटाने के यन्त्र, एयर कण्डिशनर, डिक्टाफोन, ऊपरी मजिल में जाने के लिए लिफ्ट इत्यादि का प्रचलन बढ़ रहा है। अतः इनके उपयोग का ज्ञान भी व्यक्ति मात्र के लिए धीरे धीरे अनिवार्य-सा होता जा रहा है।

विज्ञान का प्रभाव केवल व्यावहारिक जगत् तक ही सीमित नहीं है, 'वैज्ञानिक विधि'—विज्ञान की एक अनमोल देन है। इसीके आधार पर प्रारम्भ से अद्ब तक वैज्ञानिक आविष्कार हुए तथा भविष्य में भी हाते रहेंगे। इसका प्रयोग केवल वैज्ञानिक आविष्कार तक ही सीमित नहीं। यह प्रत्येक के लिए उसके अपनी समस्याओं के हल करने की सर्वोत्तम पद्धति है। इसी विधि से किसी भी समस्या को हल करने के लिए व्यक्ति प्रमाणों को एकत्रित करता है, पक्ष और विपक्ष के साक्ष्यों को तोलकर निष्कर्ष निकालता, और निष्कर्ष को

स्वीकार करने के लिए उसकी जांच करता है। इस प्रकार व्यक्ति तर्क, बालोचनात्मक चिन्तन में पटु होता है तथा भूडे प्रचार और अफवाहो से बचता है।

वैज्ञानिको का एक दृष्टिकोण होता है, जिसे 'वैज्ञानिक दृष्टिकोण' की आख्या दी गयी है। इस दृष्टिकोण में पक्षपातरहित होना अन्धविश्वासो से मुक्त होकर अपनी हट या जिद पर अडे न रहकर दूसरो के प्रामाणिक विश्वास-योग्य विचारो को मानने के लिए प्रस्तुत रहना आदि गुण अन्तर्निहित है। स्पष्ट है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में सफलता प्राप्त करने के अतिरिक्त दोनो की समस्यात्मक परिस्थितियो को सुलभाने में सहायक सिद्ध होता है।

उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट है कि विज्ञान जैसे उपयोगी विषय क्षेत्र का सामान्य अनुभव तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपरिहार्य है। स्वस्थ रहने, किसी उद्योग-धंधे का सफल ढंग से अनुशीलन, व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में वैज्ञानिक आविष्कारो का सफल उपयोग, वैज्ञानिक पद्धति तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण इत्यादि के प्रारम्भ से विज्ञान के अनेक क्षेत्रो से अनुभव प्राप्त करने की व्यापक व्यवस्था हानी चाहिए।

आज शिक्षा का केन्द्र बालक माना जाता है। उसका सर्वांगीण विकास (मानसिक, शारीरिक, आचारिक तथा सामाजिक) ही शिक्षा का लक्ष्य है। विज्ञान में विभिन्न क्षेत्रो के अनुभव द्वारा जब बालक के तर्क और चिन्तन का विकास होगा तभी वह स्वस्थ व्यक्ति बन सकेगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही उससे आचार की सहिता होनी चाहिए। वह सत्य का अन्वेषक और सत्य का पुजारी बने और विज्ञान की शक्ति का उपयोग कर समाज को सफल बना सके, यही शिक्षा का ध्येय होना चाहिए। इसके लिए विज्ञान का ज्ञान आवश्यक है और इसीलिए सामान्य विज्ञान की शिक्षाक्रम में एक प्रमुख स्थान मिलना चाहिए।

उद्देश्य—बालको की स्वामाविक रुचि अपने निकट के वातावरण में होनी है। उनमें सदा इससे प्रति कौतुहल बना रहता है। वह हमेशा 'क्या', 'क्यों' और 'कैसे' का उत्तर जानने के लिए उत्सुक रहता है। सामान्य विज्ञान के अध्यापक को इसी रुचि को उत्पन्न करने तथा उसे स्थायी बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। प्रकृति में पाये जानेवाले जीव, वनस्पति, जल, वायु, ग्रह उपग्रह, गगन, तारामंडल आदि की वैज्ञानिक व्याख्या द्वारा छात्रो को बतलाना चाहिए कि समुदाय इनसे कैसे लाभ उठाता है।

त्रियाशीलता, विषयबता तथा खल बालक की जन्मजात प्रवृत्तियो होनी है। वह ध्यानबीन करना चाहता है। उसे देखने, सुनने, सूपने, चसने, छूने में मनचरी, '१८]

आनन्द मिलता है। यही प्रवृत्ति आगे चलकर निरीक्षण-परीक्षण में विकसित होती है। अतः आरम्भ से अध्यापक का ध्येय बालकों में निरीक्षण-परीक्षण इत्यादि की प्रवृत्ति को उत्पन्न और विकसित करना होना चाहिए। बालक को उपकरणों तथा यन्त्रों के निरीक्षण और प्रयोग करने का कौशल देना विज्ञान-शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए।

अर्जित व्यावहारिक ज्ञान तथा दक्षताओं के आधार पर व्यवहार परिवर्तन के लिए अभिवृत्तियों, अभ्यासों तथा रुचियों का विकास होता है। सामान्य विज्ञान के क्षेत्र में अर्जित व्यावहारिक ज्ञान तथा दक्षताओं के आधार पर निम्न-लिखित का विकास अनायास ही सम्भव होता है —

१. वैज्ञानिक अभिवृत्ति—बालक में नयी बातें स्वयं अपनी चेष्टा द्वारा खोजकर निकालने की प्रवृत्ति, उसकी सत्य के प्रति निष्ठा, निणय लेने में जल्दी या पक्षपात न करके पर्याप्त आधारों पर अपने एवं दूसरों के विचारों को उचित महत्व देना, किसी घटना के वास्तविक कारण के ज्ञान से अन्धविश्वास, और मिथ्या धारणाओं का निवारण।

२. लाभप्रद अभ्यास—सामान्य विज्ञान के क्षेत्र के अनुशीलन से बालक में उचित स्वास्थ्य-रक्षा की आदतों, वैज्ञानिक उपकरणों तथा घटनाओं से (विजली के यन्त्र, आग, वर्षा) से अपने को सुरक्षित रखने तथा किसी कार्य को मरलता और सुगमता तथा दक्षतापूर्वक करने की उपयोगी आदतों का प्रायोगिक ढंग से निर्माण।

३. रुचियाँ—प्रकृति के क्षेत्र में विचरण करने से तथा सामान्य विज्ञान के क्षेत्र से प्राप्त अनुभवों के आधार पर वस्तुओं (ककड़, खनिज, जीव तथा वनस्पति जगत से प्राप्त होनेवाले पदार्थों) को ढंग से एकत्र करने, व्यवस्थित भ्रमण, सर्वेक्षण, फोटोग्राफी तथा वैज्ञानिक साहित्य के अध्ययन आदि सम्बन्धी रुचियों का स्वभाविक ढंग से विकास।

४. रसानुभूति—लोगों की धारणा है कि विज्ञान का विषय वस्तु-पदार्थ या घटना के सौन्दर्य तथा बलारमक पक्ष की उपेक्षा करता है। वास्तव में तो निरीक्षण ही सौन्दर्य-बोध तथा रसानुभूति का आधार होता है। इसी आधार पर ही प्रकृति के क्षेत्र से आकार और रंग का प्रत्यक्ष-बोध होता है। इसके अनिर्वक्त और भी कई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ सम्भव हैं, जैसे—

(क) जीव तथा वनस्पति सभार में आत्म तथा पारस्परिक निर्भरता के ज्ञान।

(ख) जीव तथा वनस्पति जगत में वातावरण के अनुकूलन का ज्ञान।

(ग) वैज्ञानिकों के परिश्रम, त्याग और लगन के आदर्श।

(घ) प्रत्येक घटना के मूल में किसी-न-किसी कारण की उपस्थिति का बोध।

(ड) मनुष्य का प्रकृति पर विजय प्रपाम का ज्ञान ।

(च) विज्ञान के आविष्कारों का मानव-जीवन को सुविधाजनक तथा समृद्ध बनाने का ज्ञान ।

प्रारम्भिक बंधाओं में सामान्य विज्ञान शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य

सामान्य विज्ञान के शिक्षण के उद्देश्यों पर सामान्यतः विचार करने के पश्चात् यह स्वाभाविक है कि उन उद्देश्यों पर पृथक् रूप से विचार कर लिया जाय, जो प्रारम्भिक स्तर के लिए हैं । ये उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

१ बालकों को अपने निकट वातावरण में रुचि लेने के लिए प्रोत्साहित करना ।

२ विज्ञान के आविष्कारों से परिचित कराना, जिससे बालक उनका सम्यक् उपयोग वस्तुओं को परखने, अपने धर्म की रक्षा करने और जीवन में स्वस्थ और प्रसन्न रहने के लिए करें ।

३ भागे चलकर छात्र विज्ञान के अध्ययन के लिए प्रेरित हो ।

४ छात्र कार्य-कारण सम्बन्ध की उपलब्धि से अन्धविश्वास से मुक्त हो सकें ।

५ दैनिक जीवन की समस्याओं को कुशलता से (वैज्ञानिक पद्धति से) सुलझाने के योग्य बनें ।

जूनियर हाई स्कूल पर सामान्य विज्ञान-शिक्षण के उद्देश्य

१ मानसिक विकास - विज्ञान के तथ्य, सिद्धान्त तथा प्रत्यक्षों के व्यावहारिक ज्ञान से बुद्धि, तर्क, कल्पना, निरीक्षण, जिज्ञासा, रुचि, सत्य के आदेपण का विकास ।

२ शारीरिक विकास - स्वस्थ रहने के नियम तथा सिद्धान्तों के अनुभव तथा अभ्यास द्वारा स्वस्थ जीवन बिताने और सुरक्षा का ध्यान रखने की क्षमता का विकास ।

३ आचारिक विकास - विज्ञान के उपकरणों के प्रयोग तथा आविष्कारों के प्रयोग में दक्षता का विकास ।

४ सामाजिक विकास - वैज्ञानिक पद्धति से सामाजिक समस्याओं को सुलझाने, समाज का स्वस्थ रखने के उपायों का पालन करने, समाज में विज्ञान के आविष्कारों का व्यक्तिगत एवं सामूहिक उपयोग करने और उनसे होनेवाले हानियों से बचने की क्षमता का विकास ।

५ मास्युतिक विकास - विज्ञान की भाषा समझे हुए घटनाओं तथा आविष्कारों की व्याख्या करने की योग्यता का विकास तथा प्रकृति के सौन्दर्य, रहस्य, वैज्ञानिकता का त्याग, वैज्ञानिक आविष्कारों की उपयोगिता की सराहना करने की क्षमता का विकास ।

हिन्दी-शिक्षण

वर्तनी या अक्षरी शिक्षण

ब्रजभूषण शर्मा

देवनागरी लिपि में एक ही ध्वनि के लिए एक ही लिपि प्रतीक है। अतः इस अनुसृतता के कारण वर्तनी की अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। परन्तु वास्तविकता यह है कि कम वैज्ञानिक लिपियों की भाषावालों की अपेक्षा हिन्दी में इस प्रकार की अशुद्धियाँ सर्वाधिक होती हैं। इसका एक कारण तो यह भी है कि सैद्धान्तिक दृष्टि से उच्चारण समान होने पर भी व्यावहारिक दृष्टि से एकरूपता नहीं है। उच्चारण वैषम्य के अतिरिक्त बोलनेवालों की अक्षमता के कारण बहुत-सी ध्वनियाँ शुद्धरूप में नहीं मुखरित होती। स, श, प, अन्तिम 'इ' और 'उ' (शान्ति और दयालु) 'स' के साथ संयोग आदि (स्पष्ट आदि)। परन्तु अशुद्धियाँ होने का मुख्य कारण यह है कि विद्यालयों में वर्तनी की शिक्षा होती ही नहीं, जिसका परिणाम यह होता है कि वर्णमाला और लिपि के सम्बन्ध में भी विद्यार्थियों को पूरी जानकारी उच्च वक्षाओं तक नहीं हाती और अनुस्वार, स्थान, मात्रा और संयोग की, विशेषकर 'र' के संयोग की बहुत-सी भूलें करते हैं—'ज्ञ' 'ऋ' 'य' 'क्ष' की रचना का भी बहुतों को ज्ञान नहीं।

वर्तनी की अशुद्धियों को हम निम्न वर्गों में बाँट सकते हैं—लिपि की अज्ञानता, उच्चारण की विषमता, व्याकरण की अनभिज्ञता तथा सर्वमाय रूप का अभाव।

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण हैं, जो विद्यार्थियों को वर्तनी-शिक्षण अथवा व्याकरण के साथ पढ़ा देनी चाहिए।

हिन्दी शब्दों में हलन्त का प्रयोग नहीं होता। अन्तिम 'अ' का उच्चारण प्रायः हल के ही समान होता है। राम, स्थाम, रात, दिन आदि में अन्तिम अक्षर का हलन्त के समान उच्चारण होने पर भी लिखने में हलन्त का प्रयोग नहीं होना। ह्रस्व स्वरात् चार अक्षरों के शब्दों में दूसरा अक्षरान्त अक्षर भी हलन्त के समान बोला जाता है, जैसे हलचल, मानसिक आदि। दीर्घ स्वरात् चार अक्षरवाले शब्दों में तीसरे अक्षर के 'अ' का उच्चारण अपूर्ण हाता है, जैसे—निकलना, प्रबलता, समझना आदि।

समुकाक्षर नागरी लिपि की विशेषता है। इस लिपि में ध्वनि छोटी होने पर लिपि-सकेत भी छोटा हो जाता है जिन ध्वनियों में स्वर नहीं रहता, वे आधी लिखी जाती हैं। हिन्दी में लगभग १५० समुक्त ध्वनियाँ हैं। इनके संयोग की विधि निम्नलिखित है—

१ पाई वाले अक्षरों की पाई निकाल दी जाती है, जैसे क, र, ष, आदि।

२ वे पाई के अक्षर (द, ढ, ध, ट आदि) संयोग के आदि में भी पूरे लिखे जाते हैं, समुक्त अक्षर शिरोरेखा निकालकर नीचे लिख दिया जाता है। पढ़ते समय पूरा लिखा हुआ अक्षर आधा पढ़ा जाता है और आधा लिखा हुआ पूरा पढ़ा जाता है, जैसे भट्टा, हट्टी, प्रह्लाद आदि।

३ 'र' का संयोग अनेक प्रकार से होता है —

(क) जब किसी आधे अक्षर में पूरा 'र' मिलता है, तब एक तिरछी रेखा () उस अक्षर के नीचे लग जाती है जैसे भ्रम, क्रम, उग्र नग्न।

(ख) जब आधा 'र' किसी पूरे अक्षर में मिलता है तो ध्वनि स्थान के आगेवाले अक्षर के ऊपर इस प्रकार () लग जाता है, जैसे धर्म, अर्थ, कर्म।

(ग) ट, ठ, ड, ढ में 'र' इस प्रकार मिलता है () जैसे राष्ट्र।

(घ) 'र' में 'उ' और 'ऊ' की मात्रा भी अर्ध अक्षरों की अपेक्षा दूसरे ढग से लगती है, जैसे रु, रू।

(च) 'ग' के साथ 'र' का संयोग होने पर 'ध' होता है।

४ 'ह' के संयोग में प्रायः भूल हो जाती है और उसके आधे रूप में मिलनेवाले अक्षर उसके पहले लिख दिये जाते हैं जैसे बिन्दु (बिद्ध) ब्रह्म (ब्रह्म) षोडश के शब्द ही गूढ़ हैं।

५ 'क' और 'त' का संयोग 'क्त', 'त्त' दोनों रूपों में होता है, जैसे— मक्त, मत्त, गक्ति, गक्ति।

६ 'न' और 'त' का संयोग 'त्त' के रूप में होता है, जैसे 'पत्ता', 'कुत्ता' आदि।

हिन्दी में अनुस्वार के सम्बन्ध में भी प्रायः भूलें हो जाती हैं। हिन्दी में दा अनुस्वार है—पूरा () और आधा () इसके प्रयोग में निम्नांकित नियमों का पालन होना चाहिए—

(अ) पूर्ण अनुस्वार में केवल बिन्दु () तथा अर्ध अनुस्वार में चंद्र-बिन्दु () लगाना चाहिए, जैसे हस, हँस, अथर, अंधेरा।

(आ) शब्द के अन्त में दीर्घ स्वर आने पर अनुस्वार के उच्चारण में प्रायः नेद नहीं होता। कर्मो-कर्मों प्रारम्भ में भी नहीं होता, जैसे नहीं है, ईश्वर, जनकरी, '६८]

ऊँट आदि । इनमें लाग () और (") दोनों का प्रयोग करने है । कामता प्रसाद गुरु के अनुस्वार यदि मात्रा ऊपर है तो () अनुस्वार लगाना चाहिए और नहीं तो चन्द्र-बिन्दु (") । जैसे नही, भाँति, ऊँट, मे, आदि ।

हिन्दी में वर्तनी की अगुदियाँ लिपि-अज्ञानता और उच्चारण वैषम्य के कारण तो होती ही है किन्तु बहुत-सी अगुदियाँ शब्द-रचना की अनभिज्ञता के कारण हो जाती हैं । यथा सन्धि के नियम का ज्ञान न होने से हम प्रायः अगुद शब्द लिख जाने हैं । वृत्त्यनुसार (वृत्ति+अनुसार) के स्थान पर वृत्यानुसार, रीत्यनुसार (रीति+अनुसार) के स्थान पर रीत्यानुसार आदि अगुदियाँ प्रायः दोख पडती हैं ।

सन्धि के नियम न जानने के कारण-वर्तनी सम्बन्धी अगुदियाँ बहुत होती हैं । यथा—वाद्-विवाद के स्थान पर वादाविवाद निःपराध के स्थान पर निर्पराध या निरापराध ।

वचन एवं लिंग-परिवर्तन से जो शब्द-विकार होत है, उनके न जानने में वर्तनी की अगुदियाँ हो जाती हैं । अनेक शब्द हम एक वचन में शुद्ध लिखते हैं किन्तु बहुवचन में अगुद । जैसे 'माडी' से 'साडीयाँ' नहीं बल्कि 'साडियाँ' । 'घोडा' से 'घोडे' ठीक है पर 'राजा' से 'राजे' नहीं बल्कि 'राजाओ' ठीक होगा । लिंग-परिवर्तन से भी वर्तनी की अगुदियाँ हो जाती हैं, जैसे, 'स्वामी' से 'स्वामीनी' नहीं बल्कि 'स्वामिनी' ठीक है ।

'अ' और 'आ' के सम्बन्ध में प्रायः भूल हो जाती है । किसी सज्ञा शब्द में 'इक' प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाते हैं और उसके आदि में 'अ' स्वर रहता है ता वह 'आ' में बदल जाता है, जैसे—समाज, सामाजिक, समय, सामयिक ।

'इ' और 'ई' की मात्रा-सम्बन्धी अगुदियाँ उच्चारण की अगुद के कारण अधिक होती हैं 'कि' और 'की' की अगुद छान्ना द्वारा प्रायः होती है । 'कि' सदाजक अव्यय और 'की' विभक्ति सम्बन्ध कारक का चिह्न है । यथा राम की पुस्तक । उसने कहा कि मैं जाऊँगा ।

हम प्रायः सस्कृत के उकारान्त शब्दों का उच्चारण ऊकारान्त करते हैं, जैसे साधू (साधु), गुरु (गुरु) कभी-कभी उकारान्त को हम अकारान्त भी बालने हैं जैसे दयाल (दयालु) कृपाल (कृपालु) ।

'उ' 'ऊ' के भाँति ही 'ए' और 'ऐ' की भी अगुदियाँ होती हैं । 'ऐनक' को हम 'एनक' और मतेव्य को मनेव्य लिख देते हैं । कभी-कभी 'पैसा' 'जैसा' को बालक उच्चारण-क्रम के कारण पयसा, जयसा लिखते हैं ।

'व' और 'ब' की अगुद हिन्दी में सर्वाधिक देखने में आती है । इन दोनों के लिखने की कुछ समानता के साथ-साथ उच्चारण-दोष भी इसका कारण है ।

'व' का उच्चारण दत्तोष्ठ है अर्थात् नीचे के ओष्ठ पर उपर की दन्तावलि का स्पर्श होता है। 'ब' का उच्चारण दोनो आठों की मिलाकर होना है।

श, स, प के उच्चारण में सर्वाधिक भ्रम पाया जाता है और इस कारण लिखने में भी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। शासन को सासन, विशेष को विसेश बोलते हुए प्रायः सुना जाता है। पर 'श' 'स' 'ष' तीनों के उच्चारण-स्थान भिन्न हैं। 'श' के उच्चारण में निम्न जिह्वा को दोनो ओर फैलाकर ऊपर की दन्तावलि से सटा लिया जाता है और अग्र भाग वायु फँकने के लिए खुला रहता है। इसीलिए इसे 'तालव्य' कहते हैं। 'ष' के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग 'र' की भाँति ऊपर की दन्तावलि से ऊपर जो मगूठा है, उसके ऊपरी भाग से नीचे को रगड़ता हुआ सा चलता है और मूर्धा को स्पर्श करता है। इसीसे इसको 'मूर्धान्य' कहते हैं। 'स' का उच्चारण नीचे की दन्तावलि और जिह्वा का अग्रभाग लगाकर करते हैं। इसी कारण इसको 'दन्त्य' कहते हैं।

अतः आवश्यक यह है कि रचना का अभ्यास कराते समय वर्तनी सम्बन्धी अभ्यास विधिवत् कराये जायें। इस दृष्टि से अशुद्धियों को वर्गों में बाँट लेना अच्छा होगा। एक वर्ग का अभ्यास ही एक साथ रखा जाय, यथा—१ अ, आ की मात्रा, २ इ, ई की मात्रा, ३ उ, ऊ तथा ए, ऐ की मात्राएँ, ४. र, ऋ, रि, ५ क्ष, छ, ६ श, ष, स, ७ विपर्यय जैसे चिन्ह ८. वर्ण-लोप जैसे—अध्ययन। इन अभ्यासों के कुछ उदाहरण नीचे दिये हुए हैं। निम्नलिखित शब्दों में जो शुद्ध हो, उन्हें रेखांकित करो—

१ अधीन, आधीन, आध्यात्मिक, अध्यात्मिक, व्यंग्यात्मिक, व्यावसायिक, अराधना, आराधना, अनधिकार, अनाधिकार, उत्तरादायित्व, उत्तरदायित्व, अहार, आहार, हस्ताक्षेप, हस्तक्षेप।

२ 'ईय', अथवा 'इक' जोड़ कर विशेषण बनाओ—
व्यापार, व्यवहार, व्यवसाय, राजनीति, विश्वास।

३ निम्नलिखित को एक शब्द से व्यक्त करो—

(क) जिसको देखकर दया आये।

(ख) जो विचार के योग्य हो।

(ग) जो प्रशंसा के योग्य हो।

(घ) जो सबसे उत्तम हो।

(ङ) जो सबसे अधिक हो।

निम्नलिखित वाक्यों में जो शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हो, उनके शुद्ध रूप लिखो—

(क) मैं ऐसि परिस्थिति में पड गया हूँ की परिक्षा देना निश्चित नहीं है।

(ख) गर्मीशो मे नदि का पानी बिलकुल सूख जाता है ।

(ग) प्रदर्शनी जाकर श्याम शीघ्र ही लौट आया क्योंकि वहाँ सगृहित सामग्री को देखकर उसके मन मे तृप्ती नहीं हुई ।

(घ) हरीश्चन्द्र की जितनी उनकी प्रतिज्ञा पूर्ती के कारण ही फेली । अब प्रतिज्ञा करना अतिअन्त कठिन हो रहा है ।

सामान्यत अगुद्ध लिखे जानेवाले शब्द और उनके शुद्ध रूप नीचे दिये जाते हैं —

अगुद्ध	शुद्ध	पद्मनी	पद्मिनी
अध्यात्मिक	आध्यात्मिक	परिणित	परिणत, परिणति
अपरान्ह	अपराह्न	पुंलिंग	पुल्लिंग
अराधना	आराधना	पूछा	पूछा
आशिवाद, आशिर्वाद	आशीर्वाद	प्रदर्शनी	प्रदर्शनी
आसाढ़	आषाढ	बर्षे	वर्षे
इशा	इच्छा	वर्षा	वर्षा
उद्योगिक	औद्योगिक	बामन	वामन
उपरोक्त	उपर्युक्त	बीणा	वीणा
अहार	आहार	भंडार, भण्डार	भाण्डार, भांडार
अधीन	अधीन	भारती	भारतीय
छात्र (विद्यार्थियों के लिए)	छात्र	मध्याह्न	मध्याह्न
गडरिया	गडरिया	मनु	मनु
ग्रह	गृह (घर)	वादविवाद	वादविवाद
घटा	घटा, घण्टा	व्यावसायिक	व्यावसायिक
धबड़ाहट	धबराहट	व्यवहारिक	व्यवहारिक
चिन्ह	चिह्न	स्वास्थ्य	स्वास्थ्य
दड	दण्ड, दड	सौहार्द	सौहार्द
दुकान	दुकान	स्थिती	स्थिति
द्रष्टव्य	द्रष्टव्य	श्मशान	श्मशान
द्वारिका	द्वारका	स्मृति	स्मृति
निरोग	नौरोग	सयासी	सन्यासी



खादी और ग्रामोद्योग हमारे राष्ट्र की
अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग हैं ।

इनके सम्बन्ध में पूरी जानकारी
के लिए पढिये

खादी ग्रामोद्योग (मासिक)

(सम्पादक-जगदीश नारायण वर्मा)

हिन्दी और अंग्रजी में प्रकाशित
प्रकाशन का चौदहवाँ वर्ष

विश्वस्त जानकारी के आधार पर
ग्राम विकास की समस्याओं और
सम्भाव्यताओं पर चर्चा करनेवाली पत्रिका

खादी और ग्रामोद्योगों के
अतिरिक्त ग्रामीण उद्योगीकरण
तथा शहरीकरण के विकास पर
मुक्त विचार विमर्श का माध्यम

ग्रामीण उत्पादन में उच्च तकनालाजी के समावेशनाय
अनुसन्धान-कार्यों की जानकारी देनेवाला मासिक पत्रिका

वार्षिक शुल्क २ रुपये ५० पैसे

एक अंक . २५ पैसे

अब प्राप्ति के लिए लिखें

प्रचार निर्देशालय,
खादी और ग्रामोद्योग कमीशन,
“ग्रामोद्योग”
इलाहाबाद, बिलेपाली (पश्चिम),
- बम्बई—५६, ए० एस०



धार्मिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा

डा० महेशचन्द्र सिंघल

आज हम विनाश के उस बगार पर खड़े हैं, जहाँ से कुछ भी बचनेवाला नहीं है, विश्व में सांस्कृतिक, सामाजिक सभ्य उत्पन्न हो गया है, प्रत्येक व्यक्ति अज्ञान है और उस अज्ञान का प्रमुख कारण है—मानव-मूल्यों का पतन। पतन की इस प्रक्रिया पर केवल एक प्रकार से विजय प्राप्त की जा सकती है—वह है विद्या की प्रक्रिया में धार्मिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा को पर्याप्त स्थान दिया जाय।

शिक्षा-शास्त्रो प्रायः इस समस्या पर एकमत नहीं रहे हैं। उनका विचार है कि धर्म निरपेक्ष राज्य में धार्मिक शिक्षा या धर्म जैसी शिक्षा को स्थान नहीं मिलना चाहिए। पर हम यह भूल जाते हैं कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति जन्म से लेकर मरण तक धर्म से बंधा है और वह उससे किसी भी प्रकार अलग नहीं हो सकता।

आज शिक्षा-आयोग ने जिस आधुनिकता को प्राप्त करने की चर्चा की है उसके साथ-साथ आयोग ने यह भी स्वीकार किया है कि भारतीय समाज एक महान सस्कृति का उत्तराधिकारी है।^१ आयोग ने यह भी स्वीकार किया है—आधुनिकीकरण का यह तात्पर्य नहीं कि हमारी राष्ट्रीय परिस्थितियों में नैतिक, आध्यात्मिक एवं आत्मानुशासन के मूल्यों के निर्माण के महत्त्व को पहचानने में इनकार किया जाय, आधुनिकीकरण यदि जीवन्त शक्ति है तो इसे आत्मा सशक्ति प्राप्त करनी होगी।^२

कहा जाता रहा है कि आध्यात्मिक, नैतिक एवं धार्मिक मूल्यों का सम्बन्ध व्यक्तिगत विकास से है। इसलिए सामाजिक उत्थान के लिए इसकी आवश्यकता क्या? परन्तु इस सन्दर्भ में आयोग के विचारों में सामुदायिक कल्याण की ध्वनि गूँज उठती है कि व्यक्ति और समुदाय एक-दूसरे के पूरक हैं। आयोग ने कहा भी है —

१ शिक्षा-आयोग का प्रतिवेदन—पृष्ठ १८, पैरा १.६३

२ शिक्षा-आयोग का प्रतिवेदन—पृष्ठ १६, पैरा १.६८

“यह स्वभाजत व्यक्ति की प्ररणा एव मूल्यों के अत्रबोध पर निर्भर करता है कि वह वैयक्तिक सन्तोष के लिए या समुदाय एव भावी कल्याण के लिए इन मूल्यों को ग्रहण करे।”^१

आवश्यकता बयो ?

आज हम जिस दौर स गुजर रहे है वह सांस्कृतिक सघप का युग है, भौतिकता तथा अध्याम का सघप है, ब्यक्ति ओर नौति का सघप है, विवेक ओर अविवेक का सघप है। मूल्या प्रतिमानो स्कूलो प्रत्यया का सघप है। सघपों की इस प्रक्रिया स मानव दिशाभ्रमित हो गया है आयोग ने इस परिस्थिति का अनुभव किया भी है—

नयो पीढी मे सामाजिक एव नैतिक मूल्या की निबलता पश्चिमी समाज स अनेक शम्भोर सामाजिक ओर नैतिक सघपों को उत्पन्न कर रही है। पाश्चात्य विचारक यह अनुभव करने लगे है कि ज्ञान एव कौशल मे सन्तुलन हो, विज्ञान तथा तकनीकी नैतिकता तथा धम से सम्बधित किया जाय, स्वयं के ज्ञान स अनुसधान हो जीवन का अर्थ माना जाय मानव मात्र के सम्बधो का ज्ञान हा एव वास्तविक सत्य का उदघाटन हो।^२

आज हम जिस प्रकार नैतिक उत्थान की आवश्यकता अनुभव कर रहे है, वह नयो बात नही है।

अग्रजी सरदार ने भी धार्मिक तथा नैतिकता को शिक्षा की आवश्यकता की ओर सकेत किया था। सन् १८८२ मे शिक्षा आयोग ने प्राकृतिक धर्म के आधारभूत सिद्धान्तो के आधार पर पाठ्यपुस्तको के निर्माण का सुझाव दिया था। यह भी कहा था कि हर शिक्षण सस्था में प्रधानाचार्य अथवा कोई प्राध्यापक मानव-कल्पयो के विषय से सम्बधित भाषण माला का आरम्भ करे। यद्यपि के० टी० नैलग ने इसका विरोध करते हुए कहा था—“धर्मनिरपेक्ष राज्य में धार्मिक शिक्षा से वह उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा, जो हम चाहते हैं। धर्म के पक्ष स हम वह सफलता प्राप्त नहा कर पायेंगे, जो हम चाहते हैं और जो परिणाम होंगे उनसे गिरावट ही आयगी।”

सन् १९४४-४६ में सेट्रल एडवाइजरी कमेटी ने कहा—(१) धर्म को उदार रूप मे शिक्षा को प्रोत्साहन देना चाहिए और पाठ्यक्रम का निर्माण नैतिक आधार पर होना चाहिए। (२) चरित्र निर्माण में अध्यात्मिक तथा नैतिक मूल्या की आवश्यकता है अत पर तथा समुदाय पर इस प्रकार के गुणो के विकास का उत्तरदायित्व होना चाहिए।

१ वही पृष्ठ १६ पैरा १ ६४

२ वही पृष्ठ १६ पैरा १ ६४

सन् १९४८ में विश्वविद्यालय आयोग ने नैतिक मूल्यों की शिक्षा के लिए एक विस्तृत पाठ्यक्रम दिया और उसे शिक्षा आयोग (१९६४ ६६) ने समर्थन दिया है ।

हमारा सविधान धारा २८ तथा ३० में राजकीय अथवा राजकीय सहायता प्राप्त सस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का विरोध करता है । केवल ट्रस्ट द्वारा स्थापित सस्थाएँ धार्मिक शिक्षा प्रदान करती हैं । सरकार धर्म के आधार पर कोई सहायता नहीं देगी । मुदालियर कमीशन ने धर्म की अनौपचारिक शिक्षा पर बल दिया है । शिक्षा आयोग ने घर तथा समुदाय के वातावरण को नैतिकतापूर्ण बनाने पर बल दिया है ।

मूल्यों का विवाम कैसे हो ?

शिक्षा आयोग ने धार्मिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों के विकास के लिए ये उपाय सुझाये हैं ।

- केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा सभी शिक्षण-सस्थाओं में भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मायताओं की शिक्षा की व्यवस्था की जाय । यह शिक्षा विश्वविद्यालय आयोग द्वारा सस्तुत पाठ्यक्रम के अनुसार दी जाय ।
- व्यक्तिगत प्रबन्धकों द्वारा संचालित शिक्षा सस्थाओं में भी इन सुझावों के अनुसार नैतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा दी जाय ।
- प्राथमिक स्तर पर नैतिकतापूर्ण कहानियों के माध्यम से शिक्षा दी जाय ।
- विद्यालय के समयविभाग चक्र में एक या दो कालासों की व्यवस्था की जाय ।
- शिक्षक अच्छे आदर्श उत्पन्न करें ।
- विश्वविद्यालय में तुलनात्मक धर्म नामक विभाग की स्थापना की जाय ।
- माध्यमिक स्तर पर विचार विमर्श पर बल दिया ।

आयोग ने धीप्रकाश समिति के विचारों को भी समर्थन प्रदान किया है । इस समिति ने नैतिक विनास के लिए आवश्यक सुझाव दिये थे ।

आयोग द्वारा प्रस्तावित सस्तुतिया पर विचार करने से हम तो इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आज के समाज में मनुष्य सुख चाहता है । सुख की प्राप्ति विनृणा से प्राप्त नहीं होगी । सुख को प्राप्त करने के लिए मनुष्य का अपने जीवत-क्रम में परिवर्तन लाना होगा । ये परिवर्तन लानेवाले मूल्य हमें अपने देह से प्राप्त होंगे । आयोग का विचार है—

मूल्यों के निर्माण में हमें अपनी रूढ़ियों एवं प्रथाओं पर निर्भर रहना चाहिए। साथ ही अन्य देशों की प्रथाओं एवं संस्कृतियों को साय लेना चाहिए। भारतीय विचारों में भी वह प्रवाह है, जो हमें नये दृष्टिकोण की ओर लेजा सकता है, जो व्यक्ति को जीवन की स्वीकृति एवं हर्ष प्रदान कर सकता है।^१

हमारे देश में अनेक धर्म हैं। सभी धर्मों की शिक्षा विद्यालयों में नहीं दी जा सकती, फिर भी सभी धर्मों का मूल आधार एक है, मूलभूत आधारों का ज्ञान तो प्रदान किया ही जा सकता है।

भारत जैसे बहुधर्मी देश में राज्य का धर्म के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण होना चाहिए। धार्मिक शिक्षा एवं धर्म निरपेक्षता की व्याख्या होनी चाहिए। धर्मनिरपेक्ष नीति का अर्थ है कि धार्मिक भेदभाव के बिना प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक अधिकारों के भोग की स्वतंत्रता होगी।^२

धर्मनिरपेक्ष राज्य में हमारी वास्तवाओं को चेतावनी मिली है कि हम क्या ऐसी परिस्थिति में भी सनातन मूल्यों की रक्षा एवं विकास कर सकते हैं? यह चेतावनी मनुष्य को उसकी आस्था एवं विश्वास को शक्ति प्रदान करने के लिए है। आयोग ने केन उपनिषद् का यह मंत्र अपने प्रतिवेदन में उद्धृत किया है—

केनेपित पतति प्रेपितं मनः

केन प्राणः प्रथमः प्रेति युक्तः

केनेपिता वाचाभिर्मं वदन्ति

चक्षु श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति

आज एकांगी होकर हम अपने अस्तित्व को नहीं बनाये रख सकते। हमें प्रगति की इस दौड़ में मध्यम तथा समन्वय का मार्ग ग्रहण करना होगा, तभी हम जिज्ञा के माध्यम से आध्यात्मिक, नैतिक एवं धार्मिक मूल्यों का विकास कर सकेंगे। आयोग ने इस मध्यम मार्ग को स्वीकार भी किया है। यदि विज्ञान एवं अहिंसा, विश्वास एवं आस्था तथा व्यवहार से युक्त हो जायें तो मानव उपयोगिता, वैभव एवं आध्यात्मिक ज्ञान का नवीन सौर्य प्राप्त कर लेगा।

१. वही, पृष्ठ २०१ पैरा १.६६

२. वही, पृष्ठ २०१ पैरा १.६८

राष्ट्रीय शिक्षा-परिषद् का विलयन

सम्भवतः शिक्षा-जगत् में भी यह बहुत ही कम व्यक्तियों को मालूम होगा कि भारत सरकार के शिक्षा-मंत्रालय द्वारा संचालित बुनियादी शिक्षा के राष्ट्रीय संस्थान को वन्द कर दिया गया है। राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा संस्थान को जो केवल बुनियादी शिक्षा के विभाग के रूप में ही रह गया था, अब राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा संचालित पाठ्यक्रम और मूल्यांकन विभाग के साथ मिला दिया गया है। और इस प्रकार कोठारी-आयोग द्वारा संस्तुत प्रस्ताव के किसी भी शैक्षिक स्तर का नाम 'वेसिक' न रखा जाय, सबसे पहले भारत सरकार द्वारा ही कार्यान्वित हुआ है। भारत सरकार का यह कार्य किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। शिक्षा के किसी भी स्तर का नाम 'वेसिक' अथवा 'बुनियादी' न रखने के सम्बन्ध में आयोग ने जो तर्क दिये हैं, उस पर विभिन्न मत हो सकते हैं, परन्तु जब आयोग ने स्वीकार किया है कि वेसिक शिक्षा के सिद्धान्त मूलतः पक्के हैं, तो इन सिद्धान्तों पर शोध करने के लिए जो एक राष्ट्रीय संस्थान कायम किया गया था उसे समाप्त कर एक दूसरे विभाग के साथ मिला देने में कोई औचित्य नहीं दिखाई पड़ता। शिक्षा-आयोग ने बुनियादी शिक्षा के एक से अधिक सिद्धान्तों को शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर लागू करने की सिफारिश की है। अब यह उचित होता कि राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा-संस्थान अपना काम करता रहता और वेसिक शिक्षा के सिद्धान्तों को शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर लागू करने के लिए कार्यक्रम बनाता—उस पर शोध करता और उसके सम्यक् प्रसार के विषय में कार्यकर्ताओं का पथ-प्रदर्शन करता। अपने उत्तर में यद्यपि श्री कृपाल ने आश्वासन दिया है कि बुनियादी शिक्षा पर शोध-कार्य होता रहेगा, परन्तु एक दूसरे विभाग की देखरेख में वह काम पूरी शक्ति के साथ नहीं होगा। जो भी हो शिक्षा-आयोग की संस्तुति के अनुसार वेसिक शिक्षा की राख को शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर फैलाने के लिए भारत सरकार के इस कदम से बुनियादी शिक्षा के उसूलों की रक्षा नहीं होगी। डेढ़ वर्षों से शिक्षा-आयोग की किसी संस्तुति पर अमल नहीं हुआ है—अमल हुआ है तो इसी संस्तुति पर जिसका सम्बन्ध वेसिक शिक्षा के नाम को मिटाने से है। हम नीचे दोनों पत्रों को मूल में उद्धृत कर रहे हैं।

—संपादक

श्री पी० एन० कृपाल,
 सचालक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,
 १६ रिग रोड, नयी दिल्ली ।

प्रिय श्री कृपाल,

बुनियादी शिक्षा विभाग का पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन विभाग में मिला दिये जाने की जानकारी पाकर मेरी परिषद को गहरा दुःख और चिन्ता है। ऐसा माना गया है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने न सिर्फ बुनियादी शिक्षा विभाग के नाम का त्याग कर दिया है, बल्कि बुनियादी शिक्षा का सम्बन्ध में होनेवाले सभी शोध-कार्यक्रमों को भी खुद कर दिया है। यह बात इस तथ्य से स्पष्ट हो जाती है। बुनियादी शिक्षा विभाग के कर्मचारियों का राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण-परिषद के विभिन्न विभागों में बांट दिया गया है।

हमारे देश में बड़ी तादाद में जो लोग बुनियादी शिक्षा का रुचिकर काम कर रहे हैं, उन्हें तथा बुनियादी शिक्षा के शिक्षा शास्त्रियों का बुनियादी शिक्षा विभाग के बन्द किये जाने की बड़ी विचारा है। शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने अपना जा मौलिक अम्वास किया है वह बुनियादी शिक्षा के रूप में देश के नामने आया इसीलिए केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय को राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा परिषद की स्थापना करने के लिए राजी करने में बड़े प्रयत्न करने पड़े थे। यद्यपि बुनियादी शिक्षा परिषद को स्थापना हुई लेकिन उस कभी अपना निजी भवन मयस्वर नहीं हो पाया न शोध तथा अन्य कार्यों के लिए पर्याप्त सुविधाएँ ही मिल सकीं। धीरे धीरे उसे एक विभागीय अस्तित्व मिला और अब उसे भी समाप्त कर दिया गया है।

शाप्य यहाँ राष्ट्रीय अनुसंधान आयोग की रिपोर्ट में से कुछ शब्द उद्धृत करना और हाँ—'इस आन्दोलन को तोड़ मराड और अलतधमानी से बचाने के और सही हुगर और तरीकों का विकास करने के लिए यह वर्षों के समय और भारी ओगितों की जरूरत होती। (पेज ५५८)

मेरी परिषद का मानना है कि चूँकि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण-परिषद एक राष्ट्रीय संगठन है, इसलिए वह बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में योग्य तथा अन्य काम करने की जिम्मेदारी से मुक्त नही हो सकता। ऐसा उदा समय सम्भव हो सकता है, जब कि इस काम के लिए एक जलग विभाग ही हो। इसीलिए यदि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण-परिषद बुनियादी शिक्षा विभाग के बन्द करने-सम्बन्धी अपने फैसले पर फिर से विचार करती है, तो मेरी परिषद इस कार्य को प्रशस्तनीय मानेगी। मेरी परिषद यह स्वीकार करती है

जनवरी, '६८]

[२८४

कि शैक्षिक अनुसन्धान-विभाग के विभिन्न पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन-विभाग के बीच निकट सहयोग होना चाहिए लेकिन इसके साथ ही वह यह भी माननी है कि बुनियादी शिक्षा-विभाग के विलयन से इस उद्देश्य को हानि पहुँचती है।

मुझे विश्वास है, इस अनुरोध पर राष्ट्रीय शैक्षिक-अनुसन्धान और प्रशिक्षण-परिषद अनुकूलता से विचार करेगी।

सदभावनापूर्वक आपका,
वजूमाई पटेल
अवैतनिक मंत्री

उत्तर

प्रिय श्री पटेल,

६ नवम्बर, '६७ को आपकी ओर से राष्ट्रीय शैक्षिक और प्रशिक्षण अनुसन्धान परिषद के संचालक तथा भारत सरकार के शिक्षा-सचिव श्री पी० एन० वृपाल को लिखे गये पत्र और उसी दिन भारत सरकार के शैक्षिक सलाहकार श्री जे० पी० नायक को बुनियादी शिक्षा-विभाग के विलयन के सम्बन्ध में लिखे गये पत्र के सन्दर्भ में मैं यह पत्र आपका लिये रहा हूँ। भारत में बुनियादी शिक्षा के दर्शन और कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जितनी आपको चिन्ता है, उतनी ही हमें भी है। जैसा कि आप जानते हैं, शिक्षा-आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सस्तुति की है कि कार्यानुभव विद्यालयी शिक्षा के प्रत्येक स्तर के शिक्षण का अंग बनेगा। उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम को प्रवेश दिलाने के सम्बन्ध में भी विचार हो रहा है। हम कार्यानुभव का पाठ्यक्रम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। विद्यालयी शिक्षा के सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के अग के रूप में कला, उद्योग और विज्ञान के शिक्षण का हम रा० शै० अ० प० में विकास कर रहे हैं। बुनियादी शिक्षा के सम्बन्ध में हमने जो प्रशासकीय प्रबन्ध किया है, उससे बुनियादी शिक्षा के मूलभूत सिद्धान्त विद्यालयी पाठ्यक्रम में समाविष्ट होंगे ऐसी हमारी राय है। शोध के क्षेत्र में अतीत में परिषद ने बुनियादी शिक्षा के लिए अनुदान दिया है और आगे भी वह इस कार्य के लिए अनुदान देती रहेगी, बसतें कि गोप-सम्बन्धी उपयुक्त परियोजना पेश की जाय।

(मूल अक्षेत्री से)

—विश्वासपूर्वक आपका,
ह० सि० व० क० मित्र

राजभाषा विधेयक : शैक्षिक दृष्टिकोण

उच्च शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएँ हो अथवा अंग्रेजी, इस विषय को लेकर काफी बहस-मुवाहिजा सदन में अथवा दूसरी समितियों में हुआ, फिर समस्या को चोराहे पर ईंट-पत्थर से हल करने की चेष्टा की गयी। सिद्धांततः बात किसीको अस्वीकृत नहीं थी। समय को लेकर ही मतभेद था। एक बात मन में थी कि अगर सब काम क्षेत्रीय भाषाओं में ही होने लगेगा और एक राष्ट्रभाषा अथवा सम्पर्क-भाषा का सूत्र छिन्न हो जायगा तो राष्ट्र विखर जायगा। अतः इस विरोधवाले सूत्र का नाम जो अंग्रेजी भाषा इस समय कर रही है, उसे तब तक रहने दिया जाय, जब तक 'हिन्दी' इतनी समर्थ न हो जाय कि वह अंग्रेजी का स्थान ले ले। कब तक हिन्दी को समर्थ माना जायगा, यह अहिन्दी-भाषी राज्यों पर छोड़ दिया जाय और तब तक हिन्दी के प्रचार-प्रसार का काम हो। श्री चामला के त्याग-पत्र की सबसे बड़ी दलील यही थी। उस समय इस पत्रिका के अक्टूबर १९६७ के संपादकीय में यह आशंका व्यक्त की गयी थी कि इस तर्क का अर्थ होता है 'हिन्दी का उसी प्रकार का साम्राज्यवाद' जिस प्रकार अंग्रेजी का रहा है, जो राष्ट्र के प्रजातान्त्रिक ढाँचे में उचित नहीं होगा और जिसका विरोध होगा। अन उचित हागा शीघ्राति-शीघ्र क्षेत्रीय भाषाओं को उच्चतम शिक्षा तक का माध्यम बनाना और राज्यों का सारा कामकाज उन्हींके माध्यम से करना। इस बीच में त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत अंग्रेजी और हिन्दी का अनिवार्य अध्ययन होता रहे और 'जब' हिन्दी देश की राजभाषा का स्थान ग्रहण कर ले तो अंग्रेजी को छोड़ दिया जाय और इस 'जब' का निर्णय तो 'अहिन्दी' राज्य ही करेंगे।

परन्तु राजभाषा-संशोधन विधेयक को लेकर जो तूफान उठ खड़ा हुआ, उससे क्षेत्रीय भाषाओं की बात पीछे पड़ गयी है। असल बात, जिसका सम्बन्ध प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त से और छात्र के व्यक्तित्व के विकास अथवा कुण्ठा से है, पीछे पड़ गयी है और आगे आ गयी है केन्द्र में नौकरी की बात। सारे तर्कों और ईंट-पत्थरों के पीछे नौकरी का यह स्वार्थ ही है। आरम्भ से ही यह रहा है—

सिद्धान्त की आद में, देग की एकता की रक्षा की आद में यही स्वाय बोलता रहा है। अब बात साफ हो गयी है और साफ कहा जाने लगा है कि हिन्दी राजभाषा हुई तो हिन्दीवालो को एक ही भाषा पढ़नी पड़ेगी और अहिन्दी भाषा प्रदेशों को अपनी भाषा के अतिरिक्त अंग्रेजी भी। इसमें केन्द्रीय नौकरियों की प्रतिबन्धिता में हिन्दीवाले जीतेंगे। अतः सब अपनी भाषा पढ़ें और दूसरी अंग्रेजी। यह न्याय-संगत नहीं होगा। यह कितना घाया तक है। अगर यह कहा जाता है कि हिन्दीवाले भी एक अहिन्दी (दक्षिण की हा) भाषा पढ़ें तो बात समझ में आती और राष्ट्रीय एकता की दोहाई का भी कुछ अर्थ होता। परन्तु यह तो ऐसी बात है, जिमने पीछे शुद्ध आज की केन्द्रीय नौकरी का रङ्गिन स्वाय बोल रहा है। इससे देग की राष्ट्रीयता को सबसे बड़ा खतरा है क्योंकि इससे देग सदा के लिए अंग्रेजी और गैरअंग्रेजी वर्गों में बंट जायगा। अब इसके मानने का अर्थ होगा—एक ऐसी अप्रजातांत्रिक प्रवृत्ति को स्थान देना जिसकी गिला पर भारत का नया प्रजातन्त्र चकनाचूर हो जायगा। इसका दूसरा अर्थ होगा क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में अवरोध जिसका परिणाम होगा छात्र का कुण्ठित, अविकसित व्यक्तित्व जो राष्ट्र को ले डूवेगा। अतः राजभाषा समोघन विधेयक की बात छोड़कर शिक्षा की दृष्टि से हमें नीचे लिखी बातें करनी हैं

१ क्षेत्रीय भाषाओं को जल्दो-से जल्दी प्रारम्भिक स्तर से शोध स्तर तक शिक्षा का माध्यम बनाया जाय और उन्हींमें राज्य का सारा काम किया जाय।

२ हिन्दी भाषी राज्यों में ईमानदारी के साथ विद्यार्थियों को अनिवाय रूप से एक दूसरी भाषा और अधिक अच्छा होगा—दक्षिण की कोई एक भाषा—पढ़ायी जाय।

३ अहिन्दी भाषी प्रदेशों में ईमानदारी के साथ अपनी क्षेत्रीय भाषा के अतिरिक्त विद्यार्थियों को हिन्दी अनिवाय रूप से पढ़ायी जाय।

४ हिन्दी और अहिन्दी क्षेत्र दूसरी भाषा पढ़ाने का कार्य क्या १० के बाद, जिसका सामान्य प्रारम्भ की शिक्षा का अंतिम वर्ग मानना चाहिए करें। ऐसा इसलिए कि केन्द्रीय नौकरियों में उच्च शिक्षा के विद्यार्थी ही जाते हैं। अब दूसरी भाषा पढ़ाने का काम उच्च शिक्षा के स्तर पर ही हो। इस कार्य में अपेक्षाकृत कम पसा लगेगा। प्रारम्भिक अथवा जूनियर हाईस्कूल स्तर पर दूसरी भाषा का पढ़ाना आर्थिक दृष्टि से शक्य नहीं होगा।

—वशीधर श्रीवास्तव

सम्पादक मण्डल

श्री धीरेन्द्र मजूमदार—प्रधान सम्पादक

श्री वशीधर श्रीवास्तव

श्री राममूर्ति

अनुक्रम

राष्ट्रपति की सलाह	२४१	आचार्य राममूर्ति
पूसारोड में शिक्षा शास्त्रियों	२४३	आचार्य विनोबा श्री धीरेन्द्र मजूमदार श्री जयप्रकाश नारायण
दक्षिण उत्तर का ऐतम	२५०	आचार्य विनोबा
विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका	२५२	डा० छात्माराम
समवाय शिक्षण-पद्धति का विकास-२	२५७	श्री वशीधर श्रीवास्तव
प्रारम्भिक शिक्षा के स्तर पर	२६६	
हिन्दी शिक्षण	२७३	श्री व्रजभूषण शर्मा
धार्मिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक	२७६	डा० महेशचन्द्र सिंघल
राष्ट्रीय शिक्षा परिषद	२८३	
राजभाषा विधेयक	२८६	श्री वशीधर श्रीवास्तव

जनवरी, '६८

मुखपृष्ठ नये साल की नयी सुबह (छविकार) अनिकेत



निवेदन

- 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से आरम्भ होता है।
- 'नयी तालीम' का वार्षिक चन्द्रा छ रुपये है और एक अंक के १० पैसे।
- पत्र-व्यवहार करने समय ग्राहक अपनी ग्राहकसंख्या का उल्लेख अवश्य करें।
- रचनाओं में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है।

जनवरी, '६८]

[२८८

नयी तालीम : जनवरी '६८

पहले से डाक-म्युच विषे बिना भेजने की अनुमति प्राप्त

लाइसेंस नं० ४६

रजि सं० एल. १७२३

“डे-टु-डे विथ गांधी” भाग-१

पृष्ठ लगभग : ४००

लेखक—महादेव भाई देगई

सामान्य संस्करण रु० १५-००

पुस्तकालय संस्करण रु० २०-००

“महादेव भाई की डायरी” जिसके हिन्दी में अब तक ५ खण्ड हमारे यहाँ से प्रकाशित हो चुके हैं, उसके पहले खण्ड का अंग्रेजी संस्करण “डे-टु-डे विथ गांधी” जनवरी १९६८ में प्रकाशित हो जायगा। इस डायरी के अग्रिम ग्राहकों का शुल्क निम्न प्रकार है :

१२०-०० सामान्य संस्करण	१० खण्डों के लिए
१६०-०० पुस्तकालय संस्करण	१० खण्डों के लिए
२२५-०० सामान्य संस्करण	२० खण्डों के लिए
३००-०० पुस्तकालय संस्करण	२० खण्डों के लिए

फुटकर में सामान्य संस्करण के पहले खण्ड की कीमत १५-०० और पुस्तकालय संस्करण की कीमत २०-०० प्रति है। एक साथ १० या २० खण्डों के ग्राहक बनने पर उपर्युक्त छूट दी जायगी। डायरी के खण्ड ज्यों-ज्यों प्रकाशित होंगे ग्राहक को रजिस्ट्री द्वारा प्राप्त होते जायेंगे।

कृपया रकम अग्रिम भेजकर ग्राहक बनें.


सर्व सेवा संघ प्रकाशन

राजघाट, वाराणसी-१

श्री श्रीकृष्णदत्त भट्ट, सर्व-सेवा-संघ की ओर से प्रकाशित खण्डेलवाल प्रेस
एण्ड पब्लिकेशन्स मानमि

नयी तालीम

सर्वस्वास्थ्य की नींव



विशेष

फरवरी-मार्च '६६

बच्चों की समग्रता के अर्थ में विद्यार्थी शिक्षा का समय

मूल्य : एक रुपया

(दलनिष्ठ नहीं लोकनिष्ठ) कह सकते हैं । विज्ञान और अहिंसा का अर्थ है मनुष्य को बौद्धिक नैतिक इकाई के रूप में स्वीकार करना । शरीर से अधिक मनुष्य एक आध्यात्मिक सत्य है और इसी बात को सामने रखकर उसके विकास की बात सोचनी चाहिए । इस विकास की पद्धति और परिस्थिति का निर्माण करना शिक्षण का काम है ।

यत्रवाद और युद्धवाद को आज की सभ्यता में अनुकूल परिस्थिति का निर्माण होना संभव नहीं है । उसके लिए आवश्यक है कि एक ओर मनुष्य का चित्त बदले और दूसरी ओर उसका वातावरण बदले । यह तब होगा जब मनुष्य का जीवन छोटे समुदायों में संगठित होगा ताकि वह उत्पादन प्रकृति और समाज से एक साथ जुड़ा रह सके । इसलिए गांधीजी चाहते थे कि एक समुन्नत गांव में ही जीवन का स्वाभाविक वातावरण बन सकता है ।

गांव कैसा हो ? एक पूरा गणराज्य ही जिसमें दमनमुक्त सहकारी व्यवस्था हो आज के ऊँच-नीच धनी गरीब के भेद भाव न हो जहाँ यत्र और थर्म के शोषणमुक्त सहयोग से खेती-उद्योग पशुपालन मिश्रित उत्पादन होता हो तथा जहाँ लोग सभ्य किन्तु सादा और स्वाश्रयी जीवन बिताते हो और उसके लिए समान रूप से सबको आवश्यक साधन और सुविधाएँ प्राप्त हो ।

बुनियादी तालीम के पीछे जीवन का जो चित्र (डिजाइन फार लिविंग) था उसे समझे बिना केवल रंग चढ़ाने की बात करने में क्या सार है ? बात यह है कि सम्पूर्ण जीवन को एक साथ सामने रखकर सोचने की शक्ति विशेषज्ञों में नहीं होती । अलग-अलग क्षेत्र के लिए विशेषज्ञ योजना बना सकते हैं लेकिन जीवन की योजना वही बना सकता है जिसने जीवन का शोध किया है जिसमें कल्पना है, दृष्टि है मूल्यों की भूमिका है । ऐसी समग्र दृष्टि शिक्षक में ही हो सकती है । लेकिन आज तो वह सेठ और शासक का टहलुआ मात्र है । और आज के योजनाकार विकास की—चाहे शिक्षण का चाहे खेती और उद्योग आदि की—जो योजना बनाते हैं उसमें जीवन की कोई डिजाइन नहीं है । गांधीजी के पास पूरी डिजाइन थी । वह डिजाइन पूरी का पूरी छोड़ी या अपनायी जा सकती है । इसलिए बुनियादी तालीम का रंग जैसी क्या चीज रह जायगी जब तक वह रंग एक डिजाइन मनभरा जाय । हम माचेंगे कि हमें वैसी डिजाइन चाहिए ।

—राममूर्ति

आयोग-संस्तुत शिक्षा का लक्ष्य

वनाम

बुनियादी शिक्षा

कृष्ण माधव

किसी राष्ट्र के बच्चों को क्या शिक्षा दी जाय, इसका निश्चय उस राष्ट्र का जीवन-दर्शन करता है। उसी प्रकार किसी व्यक्ति का जिन जीवन मूल्यों में विश्वास रहता है, उन्हींके अनुरूप वह शिक्षा प्रणाली विकसित करने का चेष्टा करता है। जीवन-दर्शन हा यह निश्चय करता है कि किस प्रकार की शिक्षा दी जाय, जिससे वांछित जीवनादर्शों के अनुरूप व्यक्तित्व का विकास हो। गांधीजी एक विशेष प्रकार के जीवन मूल्यों में निष्ठा रखने थे इसलिए वह देश में शापण विहीन अहिंसक नमाज का स्थापना करना चाहते थे—ऐसे समाज की, जिसमें समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, उसका उदय प्रथम हा। परम्परागत कृतावी शिक्षा पाये हुए व्यक्ति से इस प्रकार के समाज की स्थापना सम्भव नहा थी, क्योंकि जिस व्यक्ति का हाथ न किसी समाजापयोगी काम को करने की शिक्षा नही मिली है, वह दूसरा का शापण करने की प्रवृत्ति का शमन नहा कर पाना। इसलिए गांधीजी ने बुनियादी शिक्षा की नींव डाली और हाथ के उत्पादक काम को इस शिक्षा प्रणाली के केन्द्र न रखा। प्रारम्भ से अंत तक, अर्थात् जिस दिन से बालक शाला में आता है उस दिन से जतक वह शाला में रहता है उस दिन तक वह एक समाजोपयोगी उत्पादक धंधे (शिल्प) को वैज्ञानिक ढंग से सम्बन्धता हुआ उसके माध्यम से पढे लिखे और अपने व्यक्तित्व का संस्कार कर, ऐसे सत्त्वता गांधीजी की थी। ऐसा हागा सभी एक स्वावलम्बी व्यक्तित्व का विकास हागा शापण की प्रवृत्ति खेगी और शापण विहीन समाज का स्थापना हागा। गांधीजी के सामने यह उद्देश्य स्पष्ट था, इसलिए उन्होंने शिल्प का बुनियादी शिक्षा प्रणाली में केन्द्राय स्थान दिया। यह शिल्प शिक्षा का माध्यम हागा, अलग से एक विषय नही हागा—शिक्षा, केन्द्र मनोरजन के लिए सम्पादित होनेवाला काम (हाथी) तो यह निश्चय हा नही हागा। उत्पादकता इस शिल्प शिक्षण का पहली घात है और स्वावलम्बन इसकी तजारी जाय। इसलिए उन्होंने कहा कि शिल्प का शिक्षा कक्षा १ से कक्षा ८ तक चले और उन्हींके लिए उतना ही समय दिया जा, जितना अन्य दूसरे विषयों के शास्त्राय अभ्यसन का मिलाकर, अर्थात् आधे घण्टे काम करना और आधे घण्टे पढना।

बाबा रोता क्यों नहीं ?

इन दिनों बाबा हँसता ही रहता है। इसलिए हँसता है कि रोना वाजिब नहीं है, अगरचे हालत रोने लायक है। और इसलिए भी हँसता है कि बाबा को उसका उपाय सूझा हुआ है। बाबा देखता है कि यह उपाय अगर लोगों को सूझेगा तो सारे भारत में आनन्द होगा। यह आनन्दमय निश्चित भविष्य ध्यान में रखकर बाबा हँसता है। और वह इसलिए भी हँसता रहता है कि वह इस दुनिया को निकम्मा समझता है। बहुत ज्यादा वास्तविक अस्तित्व इसको है, ऐसा बाबा को प्रतीत होता है।

और, मेरा मतलब है कि परिस्थिति बहुत खोचनीय है भारत की। क्या-क्या भयानक प्रकार हिन्दुस्तान में हो रहे हैं, ऐसा प्रश्न पूछने के बजाय यही पूछना बेहतर होगा कि कौनसे प्रकार नहीं हो रहे हैं। सार्वजनिक जीवन के विषय में जितने शराब प्रकाश हो सकते हैं लाजिकली उतने सब हो रहे हैं। और इसलिए अन्दर से बहुत वेदना का अनुभव होता है।

—विनोबा

कैसी डिजाइन ?

गांधीजी के किसी एक विचार को उनके दूसरे विचार से अलग रखने से पूरी बात समझ में नहीं आती। अलग-अलग रखने से पूरा चित्र इतना अधूरा और खण्डित हो जाता है कि करीब-करीब अग्राह्य हो जाता है। यह बात विशेष रूप से उनके शिक्षण-सम्बन्धी विचारों पर लागू होती है। आजकल के शिक्षण से ऊबकर बहुत से लोग गांधीजी की बुनियादी या नयी तालीम की ओर मुड़ते हैं, लेकिन जब वे देखते हैं कि गांधीजी का एक विचार दूसरे विचार से अलग किया नहीं जा सकता तो वे विदक जाते हैं, और अन्त में उनके हाथ कुछ लगता नहीं।

जिस शिक्षण-आयोग की पिछले दिनों बहुत चर्चा रही उसने अपनी शक्ति भर पहली बार शिक्षण को राष्ट्रीय विकास के साथ जोड़ने की कोशिश की। स्वभावतः उसका ध्यान गांधीजी के विचारों की ओर गये बिना रह नहीं सकता था। और, उसने बुनियादी तालीम के विचार को अत्यन्त मूल्यवान पाया—इतना मूल्यवान पाया कि साफ-साफ ऐसा कहना उसे जरूरी नहीं लगा। वस इतना कहकर रह गया कि बुनियादी तालीम का रंग नीचे से ऊपर तक पूरे शिक्षण पर चढ़ना चाहिए।

सत्य और अहिंसा—ये दो गांधीजी के बुनियादी जीवन-मूल्य थे। आजकल की भाषा में सत्य को विज्ञान और अहिंसा को लोकतंत्र

वर्ष : १६

अंक : ७-८

१

नयी तालीम : जनवरी '६८

पहले से डाक-व्यय दिये बिना भेजने की अनुमति प्राप्त

लाइसेंस नं० ४६

रजि सं० एल. १७२३

“डे-टु-डे विथ गांधी” भाग--१

पृष्ठ लगभग . ४००

लेखक—महादेव भाई देसाई

सामान्य संस्करण र० १५-००

पुस्तकालय संस्करण र० २०-००

“महादेव भाई की डायरी” जिसके हिन्दी में अब तक ५ खण्ड हगारे यहाँ से प्रकाशित हो चुके हैं, उसके पहले खण्ड का अंग्रेजी संस्करण “डे-टु-डे विथ गांधी” जनवरी १९६८ में प्रकाशित हो जायगा। इस डायरी के अग्रिम ग्राहकों का शुल्क निम्न प्रकार है

१२०-०० सामान्य संस्करण	१० खण्डों के लिए
१६०-०० पुस्तकालय संस्करण	१० खण्डों के लिए
२२५-०० सामान्य संस्करण	२० खण्डों के लिए
३००-०० पुस्तकालय संस्करण	२० खण्डों के लिए

फुटकर में सामान्य संस्करण के पहले खण्ड की कीमत १५-०० और पुस्तकालय संस्करण की कीमत २०-०० प्रति है। एक साथ १० या २० खण्डों के ग्राहक बनने पर उपयुक्त छूट दी जायगी। डायरी के खण्ड ज्यो-ज्यो प्रकाशित होंगे ग्राहक को रजिस्ट्री द्वारा प्राप्त होते जायेंगे.

कृपया रकम अग्रिम भेजकर ग्राहक बनें.

सर्व सेवा संघ प्रकाशन

राजघाट, वाराणसी-१

श्री श्रीहरणरत्न भट्ट, सर्व सेवा-संघ की धार में प्रकाशित खण्डेनवाल प्रेस
एंड पब्लिशिंग मानसिंदर, वाराणसी में मुद्रित

कैसी डिजाइन ?

गांधीजी के किसी एक विचार को उनके दूसरे विचार से अलग रखने से पूरी बात समझ में नहीं आती। अलग-अलग रखने से पूरा चित्र इतना अधूरा और खण्डित हो जाता है कि करीब-करीब अग्राह्य हो जाता है। यह बात विशेष रूप से उनके शिक्षण-सम्बन्धी विचारों पर लागू होती है। आजकल के शिक्षण से ऊबकर बहुत से लोग गांधीजी की बुनियादी या नयी तालीम की ओर मुड़ते हैं, लेकिन जब वे देखते हैं कि गांधीजी का एक विचार दूसरे विचार से अलग किया नहीं जा सकता तो वे विदक जाते हैं, और अन्त में उनके हाथ कुछ लगता नहीं।

जिस शिक्षण-आयोग की पिछले दिनों बहुत चर्चा रही उसने अपनी शक्ति भर पहली बार शिक्षण को राष्ट्रीय विकास के साथ जोड़ने की कोशिश की। स्वभावतः उसका ध्यान गांधीजी के विचारों की ओर गये बिना रह नहीं सकता था। और, उसने बुनियादी तालीम के विचार को अत्यन्त मूल्यवान पाया—इतना मूल्यवान पाया कि साफ-साफ ऐसा कहना उसे जरूरी नहीं लगा। वस इतना कहकर रह गया कि बुनियादी तालीम का रंग नीचे से ऊपर तक पूरे शिक्षण पर चढ़ना चाहिए।

सत्य और अहिंसा—ये दो गांधीजी के बुनियादी जीवन-मूल्य थे। आजकल की भाषा में सत्य को विज्ञान और अहिंसा को लोकतंत्र

वर्ष : १६

अंक : ७-८

(दलनिष्ठ नहीं, लोकनिष्ठ) कह सकते हैं । विज्ञान और अहिंसा का अर्थ है मनुष्य को बौद्धिक-नैतिक इकाई के रूप में स्वीकार करना । शरीर से अधिक मनुष्य एक आध्यात्मिक सत्य है, और इसी बात को सामने रखकर उसके विकास की बात सोचनी चाहिए । इस विकास की पद्धति और परिस्थिति का निर्माण करना शिक्षण का काम है ।

यंत्रवाद और युद्धवाद की आज की सभ्यता में अनुकूल परिस्थिति का निर्माण होना संभव नहीं है । उसके लिए आवश्यक है कि एक ओर मनुष्य का चित्त बदले और दूसरी ओर उसका वातावरण बदले । यह तब होगा जब मनुष्य का जीवन छोटे समुदायों में संगठित होगा ताकि वह उत्पादन, प्रकृति और समाज से एक साथ जुड़ा रह सके । इसलिए गांधीजी चाहते थे कि एक समुन्नत गाँव में ही जीवन का स्वाभाविक वातावरण बन सकता है ।

गाँव कैसा हो ? एक पूरा गणराज्य हो, जिसमें दमनमुक्त सहकारी व्यवस्था हो । आज के ऊँच-नीच, धनी-गरीब के भेद-भाव न हों, जहाँ यंत्र और श्रम के शोषणमुक्त सहयोग से खेती-उद्योग-पशुपालन-मिश्रित उत्पादन होना हो, तथा जहाँ लोग सभ्य किन्तु सादा और स्वाश्रयी जीवन बिताते हों, और उसके लिए समान रूप से सबको आवश्यक माधन और सुविधाएँ प्राप्त हों ।

आयोग-संस्तुत शिक्षा का लक्ष्य

बनाम

बुनियादी शिक्षा

कृष्ण माधव

किसी राष्ट्र के बच्चों को क्या शिक्षा दी जाय, इसका निश्चय उस राष्ट्र का जीवन-दर्शन करता है। उसी प्रकार किसी व्यक्ति का जिन जीवन मूल्यों में विश्वास रहता है, उन्हींके अनुरूप वह शिक्षा प्रणाली विकसित करने का चेष्टा करता है। जीवन-दर्शन ही यह निश्चय करता है कि किस प्रकार की शिक्षा दी जाय, जिससे वांछित जीवन-दर्शों के अनुरूप व्यक्तित्व का विकास हो। गांधीजी एक विशेष प्रकार के जीवन मूल्यों में निष्ठा रखते थे, इसीलिए वह देश में शापण विहीन अहिंसक समाज की स्थापना करना चाहते थे—ऐसे समाज को, जिसमें समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, उसका उदय प्रथम हो। परम्परागत कितनी शिक्षा पाये हुए व्यक्ति से इस प्रकार के समाज की स्थापना सम्भव नहीं थी, क्योंकि जिस व्यक्ति का हाथ ने किसी समाजागमोपी काम को करने की शिक्षा नहीं मिली है, वह दूसरों का शापण करने की प्रवृत्ति का शमन नहीं कर पाता। इसलिए गांधीजी ने बुनियादी शिक्षा की नींव डाली और हाथ के उत्पादक काम को इस शिक्षा प्रणाली के केंद्र में रखा। प्रारम्भ से अंत तक, अर्थात् जिस दिन से बालक शाला में आता है उस दिन से जबतक वह शाला में रहता है उस दिन तक वह एक समाजोन्मोगी उत्पादक धंधे (शिल्प) को वैज्ञानिक ढंग से सीखता हुआ उसके माध्यम से पढ़े लिखे और अपने व्यक्तित्व का संस्कार कर, ऐसी सकलना गांधीजी का थी। ऐसा हागा तभी एक स्वावलम्बी व्यक्तित्व का विकास हागा, शापण की प्रवृत्ति दूरेगी और शापण-विहीन समाज की स्थापना होगी। गांधीजी के सामने यह उद्देश्य स्पष्ट था, इसीलिए उन्होंने शिल्प का बुनियादी शिक्षा प्रणाली में केन्द्रीय स्थान दिया। यह शिल्प शिक्षा का माध्यम हागा, अलग से एक विषय नहीं हागा—गांधीजी, केन्द्र मनोरंजन के लिए सम्पादित होनेवाला काम (हाथी) तो वह निश्चय ही नहीं हागा। उत्पादकता इस शिल्प शिक्षण की पहला शर्त है और स्वावलम्बन इसकी तेजाबी जाँच। इसलिए उन्होंने कहा कि शिल्प का शिक्षा कक्षा १ से कक्षा ८ तक चले और उन्होंने उसने लिए उतना ही समय दिया था, जितना अन्य दूसरे विषयों के शास्त्रीय अध्ययन का मिलाकर, अर्थात् आधे वकत काम करना और आधे वकत पठना।

यहाँ 'शिल्प' शब्द को स्पष्ट कर देना भी आवश्यक है। गांधीजी शिल्प का अर्थ 'शामोण उद्योग' ही करते थे, 'शक्तिचालित केन्द्रीकृत उद्योग' नहीं। एक में मानव की शारीरिक और बौद्धिक शक्ति का उपयोग होता है, दूसरे में यंत्र द्वारा और यंत्र के मालिक द्वारा मानव का शोषण होता है। गांधीजी यंत्र के खिलाफ नहीं थे, परन्तु वहाँ तक जहाँ तक वह मनुष्य के सुख-सुविधा का साधन बने और उसके बौद्धिक विकास का कारण हो, लेकिन जब वह उसके शोषण का साधन बनता है तो वह उसे त्याग्य मानते थे। इसीलिए उन्होंने बेसिक शिक्षा के मूल में शिल्प को रखा और साफ कहा कि इस शिल्प से छात्र के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। यह सोचना गलत है कि चूँकि गांधीजी के सामने औद्योगिक भारत का चित्र नहीं था, इसलिए उन्होंने 'शिल्प' के भाष्य में भी बात नहीं की। वह औद्योगीकरण की अच्छाइयों को खूब जानते थे और भारतीय संस्कृति की पुष्टभूमि में, जो अध्यात्ममूलक है, वे उद्योगमूलक भौतिकवाद के अभिशापों को भी पहचानते थे। विज्ञान और टेक्नालाजी के गुण-दोषों से भी वह भली-भाँति परिचित थे और अपने अनेक लेखों में उन्होंने इनकी स्पष्ट व्याख्या भी की है और भारतीय संस्कृति की रक्षा करने हुए विज्ञान और टेक्नालाजी के उपयोग की वकालत भी की है। बेसिक शिक्षा, जिसे वह नयी तालीम कहते थे, उनकी इसी वकालत का परिणाम है। शिल्प की वैज्ञानिक शिक्षा, जिससे वह उत्पादक हों, और युद्ध तथा मन का विकास करें, की संकल्पना में विज्ञान और अध्यात्म का सम्बन्ध ही तो है। भारत के भूतपूर्व शिक्षामंत्री श्री चागला ने जब आयोग के अपने उद्घाटन-भाषण में कहा था कि इस देश की गरीबी को दूर करने के लिए विज्ञान और टेक्नालाजी का व्यापक प्रचार आवश्यक है, परन्तु शिक्षा के वैज्ञानिक और तकनीकी पहलुओं पर बल देते हुए भी हम अपने महान अतीत को न भूलें, हम आगे देखें और आधुनिक बनें। लेकिन हमारे पैर हटनापूर्वक हमारे देश की धरती पर हों, तो वह अध्यात्म और विज्ञान के सम्बन्ध की ही बात कही थी, वही जो शिल्पकेन्द्रित शिक्षा के रूप में गांधीजी ने कही थी।

परन्तु श्री चागला के आश्वासन के बाद भी आयोग ने शिक्षा के लक्ष्यों के सम्बन्ध में जो संस्तुतियाँ की हैं, बेसिक शिक्षा के लक्ष्यों से भिन्न हैं। बंशपि आयोग ने बार-बार बेसिक शिक्षा के सिद्धान्तों की इज्जत की है और कहा है कि बेसिक शिक्षा के मिशन इनके मर्त्यपूर्ण हैं कि शिक्षा के प्रत्येक स्तर का मार्गदर्शन उनके आधार पर होना चाहिए और इस रिपोर्ट में जो संस्तुतियाँ की गयी हैं, वे भी इन्हींके आधार पर बनायी गयी हैं। हम इस अन्तर को तनिक विस्तार से देखेंगे।

आयोग कहता है कि शिक्षा राष्ट्र के जीवन के माध्य सम्बन्धित होनी चाहिए, जिसमें वह देशवासियों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप होकर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का सशक्त साधन बन सके। इस व्यापक लक्ष्य की पूर्ति तभी होगी, जब (१) शिक्षा उत्पादक होगी, (२) वह सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को दृढ़ करने का साधन होगी, (३) लोकतंत्र को शक्तिशाली बनायगी, (४) आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देगी, और (५) सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करेगी। ये ही पाँचो आयोग द्वारा सन्तुन शिक्षा के लक्ष्य है।

१. शिक्षा की उत्पादकता—सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य है शिक्षा की उत्पादक बनाना। शिक्षा को उत्पादक बनाने के लिए आयोग ने शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर कार्यानुभव के आयोजन की सन्तुति की है। कार्यानुभव द्वारा शिक्षा उत्पादक बने इसके लिए कार्यानुभव का तकनीकी और औद्योगिकीकरण से सम्बन्ध आवश्यक है। यह तभी सम्भव होगा जब विज्ञान विद्यालयी शिक्षा का अन्वि-वार्य विषय होगा। विज्ञान और तकनीकी का जब हाथ के काम में मेल होगा तभी शिक्षा उत्पादक होगी, ऐसा विचार आयोग का है। परन्तु कार्यानुभव का जो विश्व आयोग ने प्रस्तुत किया है उसकी रेंजिंग पुष्ट और स्पष्ट नहीं है। न तो उसकी सकल्यता स्पष्ट है और न पाठ्यक्रम में उसका स्थान (स्टेटस)। कुछ लोग कहते हैं कि कार्यानुभव में आप्रह 'उत्पादन' पर है, शिक्षा पर नहीं, और दूसरे कहते हैं कि कार्यानुभव का तभी कुछ अर्थ होगा जब उससे बालक के चरित्र का विकास होगा। कुछ कहते हैं कि कार्यानुभव पाठ्येतर विषय है और उसकी परीक्षा न ली जाय। दूसरे कहते हैं कि कार्यानुभव अगर विद्यालयी शिक्षा के पहले स्तर से अन्तिम स्तर तक सन्त विद्यारमान प्रवृत्ति का न रहा तो उमहा बोद्ध शैक्षिक मूल्य नहीं होगा और उसमें छात्र में किसी गुण-बोधल या आदत का विकास नहीं होगा। अन्य अयोग जहाँ एक ओर कार्यानुभव के दर्शन को वैश्विक शिक्षा के दर्शन के समान बनाता हुआ, उन्हें शिक्षा के उच्च प्रारम्भिक स्तर पर शिक्षा का ही कार्यक्रम बताता है, वहीं दूसरी ओर उसे समाज-सेवा के कार्यक्रम के अन्तर्गत बनाने हुए समाज-सेवा के शिक्षियों तक ही सीमित कर देता है। इसका प्रमुख कारण केवल यह है कि आयोग के सदस्य किसी विशेष जीवन-आदर्श में शामिल नहीं रहे थे।

इसका परिणाम यह हुआ कि आयोग विज्ञान, टेक्नालाजी, तथा आध्या-त्मिकता का सम्बन्ध नहीं कर पाया है और सम्बन्ध स्थापन के जिस पवित्र लक्ष्य को लेकर वह चला था वह आधुनिकता को औषधी में बह गया है। अतः यदि आयोग के सन्तुतियों का कार्यान्वयन किया गया, तो भले ही देश की राष्ट्रीय-बहुत भौतिक प्रगति हो जाय, विज्ञान और टेक्नालाजी का प्रसार इस

प्रकार नहीं होगा, जिससे आध्यात्मिकता की रक्षा हो और ऐसे मानव का निर्माण हो जो शरीर के सुख के ऊपर आत्मा के सुख को तरजीह दे।

(२) शिक्षा-आयोग द्वारा सस्तुत दूसरा लक्ष्य है सामाजिक और राष्ट्रीय एकता प्राप्त करना और इसके लिए आयोग ने सार्वजनिक स्कूल-पद्धति के विकास की और त्रिभाषा सून में सुधार करने की सस्तुतियाँ की है। बेसिक शिक्षा ने राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति के लिए, देश के सभी बच्चों के लिए एक ही प्रकार के यानी बेसिक स्कूल की सस्तुति की थी और स्पष्ट कहा था कि देश के सभी बच्चे बेसिक स्कूलों में ही पढ़ेंगे, जहाँ बिना भेद-भाव के सब हाथ का उत्पादक उद्योग करेंगे। जहाँ अपेजी नहीं पढ़ायी जायगी, सबके लिए अपनी मातृभाषा ही माध्यम होगी और सबको हिन्दुस्तानी (दोनों लिपियों में) सीखनी होगी। आयोग सार्वजनिक स्कूलों की स्थापना की सस्तुति करता हुआ भी विशिष्ट विश्वविद्यालयों की स्थापना की सस्तुति करता है। एक ही स्कूल में दो पाठ्यक्रम चलाने की सस्तुति करता है, मानो देश में एक-दो शिक्षा की प्रणालियाँ चलाने की सिफारिश करता है। वह त्रिभाषा सून में इस प्रकार परिवर्तन करता है, जिससे यदि प्रदेश चाहे तो देश की राष्ट्रभाषा हिन्दी का अध्ययन छाड़ दें। (उदाहरणार्थ, वगालों जिस छात्र की मातृभाषा है आयोग की परिवर्तित भाषा-नीति के अनुसार, यदि वह चाहे तो वगालों पढ़े, अंग्रेजी पढ़े, और तीसरी भाषा उड़िया पढ़े और हिन्दी बिलकुल न पढ़े।) यह देश की राष्ट्रीय एकता को बनाये रखने की बात नहीं है। फिर राजभाषा के अध्ययन को वैकल्पिक बनाकर और क्षेत्रीय भाषाओं का प्रत्येक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बनाने में इस एकता में गूँठ होने का खतरा और भी बढ़ जाता है।

आयोग ने यही किया, जिसका परिणाम ही रहा है आज का भाषा-संघर्ष। आयोग की रिपोर्ट पढ़ने से तो ऐसा लगता है, माना आयोग की सारी हलचलों का मूल में एक बच्चा रहा है कि समाज के एक विशिष्ट वर्ग को, अंग्रेजी पढ़े-लिखे लागे को, जो विशेषाधिकार प्राप्त है उसे ही वे अनुष्ण करने रहे। और उनकी सन्तान अनन्त काल तक इन अधिकारों का उपभोग करती रहे। आयोग के सामने साठ पाँच लाख गाँवों से बने हुए समग्र भारत को व्यापक दृष्टि से देखना का अभाव रहा है। सिफारिश करते समय उसके सामने नगर, उद्योगो-गुप्त नगर अधिक रहे हैं, गाँव कम, अंग्रेजी पढ़े लिखे नगर के विशिष्ट लोग अधिक रहे हैं, गाँव के गैर-गैर-गैर कम।

आयोग ने बेसिक शिक्षा के कुछ सिद्धान्तों का अपनाने की बात की है। बेसिक शिक्षा के जीवन मूल्यों का छाड़कर, उसके 'शिल्प' के सिद्धान्त का छाड़कर, उद्योगी विवेकित नीति का छोड़कर, उसकी गर्वोद्वेग और समानता की नीति का छोड़कर, उसके कुछ सिद्धान्तों को अपनाने से कुछ नहीं होगा। ●

विद्यालयी शिक्षा का पाठ्यक्रम और शिक्षा-आयोग

भुवनेशचन्द्र गुप्त

शिक्षा-क्षेत्र में पाठ्यक्रम-संगठन से अधिक कोई महत्वपूर्ण समस्या नहीं है। देश की सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक स्थिति के कारण भी इसमें परिवर्तन, परिष्कार एवं परिवर्द्धन होता रहता है। सामान्यतः राष्ट्र की नीति के अनुसार ही किसी देश विशेष की शिक्षा का पाठ्यक्रम संगठित किया जाता है। किसी भी देश, काल की प्रगति उसकी शिक्षा के पाठ्यक्रम को देखकर ही समझी जा सकती है, क्योंकि समाज की भांग के अनुसार ही बच्चों में शिक्षा द्वारा कुछ भावना भरने का प्रयास किया जाता है। यदि शिक्षा की हम एक दौड़ मान लें और शिक्षा के उद्देश्य को अपना गन्तव्य स्थान या लक्ष्य तो पाठ्यक्रम को वह माग कह सकते हैं, जिस पर चलकर हम अपने लक्ष्य पर पहुँच सकते हैं। बच्चापक तो केवल हमारा मार्गदर्शक होना है। कोठारी आयोग ने पाठ्यक्रम के संगठन और सुधार के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव दिये हैं —

(१) विश्वविद्यालयों, प्रशिक्षण महाविद्यालयों, शिक्षण संस्थाओं और माध्यमिक शिक्षा विभाग का पाठ्यक्रम में शोध करानी चाहिए जिससे कि पाठ्यक्रम में सन्तुष्टि विवास हाता रहे।

(२) इन शोधों के आधार पर पाठ्यक्रम में परिवर्तन करते जाना चाहिए।

(३) प्रत्येक शाला को अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल नये पाठ्यक्रम पर प्रयोग करने की सुविधा एवं स्वतन्त्रता अवश्य देनी चाहिए ।

भाषा का शिक्षण

शाला-स्तर पर भाषा-शिक्षण में भी परिवर्तन अपेक्षित है । इसके लिए भाषा सम्बन्धी नयी नीति का निर्माण होना चाहिए । भाषा-सम्बन्धी प्रस्ताव में आयोग ने निम्नांकित मार्ग-निर्देशन करनेवाले सिद्धान्त सुझाये हैं :—

(१) चूंकि हिन्दी भारत सभ की राजभाषा है अतः उसे इस रूप में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है । मातृ-भाषा के पश्चात् उसका द्वितीय स्थान है ।

(२) अंग्रेजी का सामान्य ज्ञान छात्रों के लिए भविष्य में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा ।

(३) इन भाषाओं को सीखने के लिए उपयुक्त उम्र निम्न माध्यमिक स्तर अर्थात् कक्षा ८ से १० तक है । इस परिवर्तन में कम अध्यापकों की आवश्यकता होगी और व्यय कम लगेगा ।

(४) हिन्दी अथवा अंग्रेजी को उस समय स्थान देना चाहिए जबकि उसके लिए अधिक से अधिक घंटे एवं आवश्यकता का अनुभव हो ।

(५) किसी भी स्तर पर चार भाषाओं का शिक्षण अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए ।

त्रिभाषा सूत्र में इन सिद्धान्तों के आधार पर निम्न प्रकार सुधार कर लेना चाहिए ।

(१) मातृ-भाषा या प्रादेशिक भाषा ।

(२) राजभाषा या सहयोगी भाषा जब तक वह चल रही है तथा

(३) एक आधुनिक भारतीय अथवा यूरोपीय भाषा जो (१) और (२) में से न हो और शिक्षा के माध्यमवाली भाषा से अलग हो ।

१. निम्नतर प्राइमरी स्तर पर छात्र केवल एक भाषा का अध्ययन ही करेगा, जो कि उसकी मातृ-भाषा या प्रादेशिक भाषा ही हो सकती है ।

२. उच्चतर प्राइमरी स्तर पर शिक्षार्थी दो भाषाओं का अध्ययन करेगा, जो कि उसकी मातृ-भाषा अथवा प्रादेशिक भाषा तथा राजभाषा अथवा सहयोगी राजभाषा होगी ।

३. निम्न माध्यमिक स्तर पर वह तीन भाषाओं का अध्ययन करेगा, जो कि उसकी मातृ-भाषा अथवा प्रादेशिक भाषा तथा राजभाषा अथवा सहयोगी राजभाषा एवं एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी । यह छात्र पर निर्भर होगा कि वह राजभाषा अथवा सहयोगी राजभाषा का अध्ययन करे । किन्तु

कार्य-सूची-संख्या '६८]

[२६६]

उच्चतर माध्यमिक स्तर पर केवल दो भाषाओं का ही अध्ययन करना अनिवार्य होगा ।

४ प्रत्येक राज्य में अंग्रेजी अथवा हिन्दी की अपेक्षा, अंग्रेजी को छोड़कर कम कोई महत्वपूर्ण आधुनिक पुस्तकालीय भाषाओं का अध्ययन ऐच्छिक रूप में कराने की व्यवस्था होती चाहिए । इसी प्रकार अहिन्दी क्षेत्रों में भी आधुनिक भारतीय भाषाओं का अध्ययन करने की व्यवस्था कुछ चुने हुए विद्यालयों में हिन्दी अथवा अंग्रेजी की बजाय सम्भव होनी चाहिए ।

५ हिन्दी और अंग्रेजी का अध्ययन कालाश में प्रत्येक स्तर पर निश्चित होना चाहिए । राजभाषा और सह राजभाषा को दो स्तरों पर निश्चित करना चाहिए—एक तीन वर्ष तथा एक छह वर्ष के अध्ययन के लिए ।

६ उच्च शिक्षा स्तर पर किसी भी भाषा का अध्ययन अनिवार्य नहीं होना चाहिए ।

७ राजभाषा हिन्दी का अध्ययन स्वेच्छा से करनेवालों के हेतु एक राष्ट्र-व्यापी कार्यक्रम संगठित करना चाहिए, जिससे कि उसका प्रसार हो सके, किन्तु यह अध्ययन का कार्य किसी पर जबरदस्ती थोपा न जाय ।

८ भारतीय भाषाओं की लिपियों में भारी अन्तर रहने के कारण भाषाओं का अध्ययन बड़ा बोझिल हो जाता है । इसके लिए आधुनिक भारतीय भाषाओं का कुछ साहित्य देवनागरी एवं रोमन लिपियों में तैयार करना चाहिए । सभी भारतीय भाषाओं को अन्तर्राष्ट्रीय अंक स्वीकार कर लेने चाहिए ।

९ सामान्यतः अंग्रेजी का अध्ययन पाँचवी कक्षा के पूर्व नहीं प्रारम्भ करना चाहिए, जब तक कि मातृभाषा पर छात्र का अधिकार न हो जाय । क्योंकि कक्षा पाँच के पूर्व अंग्रेजी के अध्ययन पर बल देना शैक्षिक दृष्टि से दोषपूर्ण है ।

१० संस्कृत अथवा अरबी जैसी प्राचीन भारतीय शास्त्रीय भाषाओं का अध्ययन कक्षा आठ से वैकल्पिक आधार पर विद्यालयों में प्रोत्साहित करना चाहिए । और समस्त विश्वविद्यालयों में इन भाषाओं के अधिक-से-अधिक केन्द्र खोले जाने चाहिए । कुछ चुनीन्दा विश्वविद्यालयों में इन भाषाओं के 'उच्चतर अध्ययन-केन्द्र' भी खोले जाने चाहिए । भविष्य में कोई भी संस्कृत विश्व-विद्यालय नहीं खोला जाना चाहिए ।

विज्ञान और गणित

विद्यालयों शिक्षण के प्रथम दशक में विज्ञान और गणित की शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए ।

१. विज्ञान का अध्ययन—निम्न प्राइमरी कक्षाओं में विज्ञान का अध्ययन बच्चों के वातावरण के अनुकूल होना चाहिए। रोमन अक्षरों को कक्षा चार से सिखाना चाहिए, जिससे कि स्विकृत अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान के प्रतीक समझने में सुविधा हो, जिनका प्रयोग विज्ञान के मापन, मानचित्र, चार्ट तथा अकन चारित्रिया में किया जाता है।

२. उच्चतर प्राइमरी स्तर पर उचित ज्ञान-प्राप्ति पर ही सारा जोर होना चाहिए, जिससे कि वे तर्कपूर्ण ढंग से उच्च स्तरों तथा उच्च स्तर पर ज्ञान तथा तर्क के सुन्दर में ठीक-ठीक निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त कर सकें। विज्ञान-शिक्षण में अलग-अलग विज्ञान की शिक्षा के दृष्टिकोण अपनाना सामान्य विज्ञान-शिक्षण की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होगा।

३. निम्न प्राइमरी स्तर पर विज्ञान-बोध (साइन्स कान्सेप्ट) तथा उच्च प्राइमरी स्तर पर एक लेव्हर-कम-लेवोरेटरी कक्षा की कम-से-कम आवश्यकता होगी।

४. निम्न माध्यमिक स्तर पर विज्ञान को मानसिक अनुशासन के रूप में विकसित करना चाहिए। इस स्तर पर भौतिक, रासायनिक एवं जीव-विज्ञान तथा प्रायोगिक दृष्टिकोण की नवीन धारणाओं पर विज्ञान सीखने में जोर डालना चाहिए।

५. उच्च विज्ञान की शिक्षा उन मेधावी छात्रों को मिलनी चाहिए जिनका चयन उन निम्न माध्यमिक स्तर के विद्यालयों से किया जायगा, जहाँ आवश्यक एर योग्य स्टाफ तथा प्रयोगशाला की सुविधा हो।

६. विज्ञान की शिक्षण देहाती-क्षेत्रों में कृषि के साथ सम्बद्ध करना चाहिए और शहरी-क्षेत्रों में टेक्नालाजी के साथ। किन्तु उनकी स्तरानुकूल उपलब्धियाँ और उच्च शिक्षा की सम्भावना दोनों प्रकार के विद्यालयों के लिए समान होनी चाहिए।

७. गणित का अध्ययन—गणित के अध्ययन को आधुनिक बनाने के लिए उचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

८. गणित के पाठ्यक्रम को प्रत्येक स्तर पर उसके नियम एवं सिद्धान्तों तथा तर्कपूर्ण वैचारिकता के विकास के हेतु अत्यन्त आधुनिक बनाना चाहिए।

९. गणित और विज्ञान की शिक्षण-विधि—गणित और विज्ञान की शिक्षण-विधि आधुनिक होनी चाहिए। उद्यम शोध और मूल सिद्धान्तों को समझने का सुनिश्चारी दृष्टिकोण होना चाहिए। इस दृष्टिकोण को बनाने के लिए शिक्षकों को निरंतर सम्प्री जुड़ानी चाहिए। प्रयोगशाला के कार्य में पर्याप्त

सुधार अपेक्षित है। शमतावान् बालक की विशेष आवश्यकता का ध्यान रखने की दृष्टि से इसमें पर्याप्त लोच होनी चाहिए।

सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान

१ भावात्मक समन्वय तथा अच्छे नागरिकों के विकास के लिए सामाजिक अध्ययन का प्रभावशाली कार्यक्रम प्राथमिक आवश्यकता है।

२ पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय एकता एवं मानव एकतावाले विचारों पर अधिक जोर देना चाहिए।

३ सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सभी स्तरों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

कार्यानुभव

१ नयी समाज-व्यवस्था में कार्यानुभव का अच्छा अभ्यास दिया जाना चाहिए। निम्न प्राइमरी स्तर पर हस्तकला का सामान्य कार्य सिखाया जाना चाहिए परन्तु उच्च प्राइमरी स्तर पर कला-कौशल का ज्ञान देना उपयोगी होगा। निम्न माध्यमिक स्तर पर कारखाने अथवा फार्म में व्यावहारिक शिक्षण के रूप में और उच्च माध्यमिक स्तर पर शालाओं में विद्यालय की शिल्प शालाओं, खेतों, अथवा व्यावसायिक एवं औद्योगिक उद्योगों में कार्यानुभव का शिक्षण कराया जाना चाहिए।

२ जहाँ शालाओं में शिल्पशाला (वर्कशाप) का अभाव हो या व्यवस्था न हो सके, वहाँ पर सस्ते मूल्य पर औजार दिलाने की व्यवस्था होनी चाहिए।

३ इस योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए अध्यापकों का प्रशिक्षण, शिल्पशालाओं का प्रायोजन और स्थानीय स्रोतों को गतिशील बनाने के लिए उसके साहित्य का निर्माण तथा कार्यक्रम की रूपरेखा बनाकर उसे लागू करना अनिवार्य है।

४ कार्यानुभव प्रत्येक स्तर की शिक्षा का अभिन्न अंग होना चाहिए और प्रत्येक स्तर के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होना चाहिए।

समाज-सेवा

१ भिन्न भिन्न आयु के लिए क्रमिक रूप में समाज-सेवा और सामुदायिक-विकास में सहयोग प्राप्त करने के कार्यक्रम सभी स्तर पर अपनाये जाने चाहिए।

२ घम एवं समाज-सेवा-कैम्प वर्ष भर चलाने चाहिए और इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक जिले में एक विशेष संगठन का निर्माण करना चाहिए। ये कैम्प समाज-सेवा के आयोजन करके शालाओं को समाज-सेवा कार्यक्रम की सुविधाएँ

प्रदान करेंगे। इस प्रकार के कायनग आदर्श रूप में पाँच प्रतिगत जिलों में प्रारम्भ करने चाहिए और शनै-शनै इतका विस्तार दूसरे जिलों तक करते जाना चाहिए।

शारीरिक शिक्षा

१ शारीरिक शिक्षा का शारीरिक क्षमता बनाये रखने की दृष्टि से बड़ा महत्व है जिससे कि व्यक्ति की शारीरिक क्षमता निपुणता मानसिक स्वास्थ्य और अथ चारित्रिक तथा मानसिक विकास को ठीक-ठीक दिशा मिल सके।

२ वर्तमान शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम को बच्चे की याद और उन्नति के बुनियादी सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए पुनर्जाँच करके उसे नया आकार देना चाहिए।

नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा

१ नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा के लिए शाला में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रीति से संगठित प्रयत्न किया जाना चाहिए। विश्व के महान् धर्मों के नैतिक मूल्यों की सहायता से ऐसा शिक्षण दिया जा सकता है।

२ नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों के विकास के लिए शाला के कार्यक्रम में प्रति सप्ताह एक या दो बालाशिक्षण हेतु रखने चाहिए। इस विषय का स्वल्प व्यापक होना चाहिए तथा शाला के पाठ्यक्रम अलग-अलग करके उससे उसका ठीक ताल-मेल बैठाना चाहिए।

सृजनात्मक क्रियाएँ

१ भारत सरकार को बाला शिक्षण की वर्तमान स्थिति का सर्वे करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बठानी चाहिए और उस जायजे के आधार पर उसके विस्तार एवं व्यवस्थित विकास की सम्भावना पर विचार करना चाहिए।

२ स्थानीय लोगों की सहायता से देश के कोने-कोने में बालवाड़ी एवं वाकमत्रनों का निर्माण करना चाहिए।

३ सृजनात्मक अभिव्यक्ति के लिए छात्रों को विभिन्न प्रकार की पाठ्येतर सहगामी क्रियाओं का संगठन करना चाहिए।

बालक एवं बालिकाओं के पाठ्यक्रम में अन्तर

१ महिला-निर्माण की राष्ट्रीय कौशल या हस्त-मेहुता समिति ने जो गारनुति की है उसे बोटारो-आयोग स्वीकार करता है। समिति के अनुसार लिंग के आधार पर पाठ्यक्रम में कोई भेद नहीं होना चाहिए।

२ गृह विज्ञान बालिकाओं के लिए अनिवार्य विषय न होकर वैकल्पिक विषय होना चाहिए।

३ फाइन-आर्ट एव संगीत के शिक्षण की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, और गणित तथा विज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहन देना चाहिए ।

नया पाठ्यक्रम और बुनियादी शिक्षा

१ बुनियादी शिक्षा के मूलभूत सिद्धान्त हैं—उत्पादक क्रियाएँ, पाठ्यक्रम का उत्पादन कार्य तथा वातावरण के साथ परस्पर सम्बन्ध एव स्थानीय समाज के साथ सम्पर्क । ये सिद्धान्त इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनसे शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर मार्ग निर्देशन लेना चाहिए और उसी के आधार पर शिक्षा की पद्धति गढ़ी जानी चाहिए ।

२ सार रूप में इस रिपोर्ट के सिद्धान्त इसी आधार पर रखे गये हैं :

३ अतः शिक्षा के किसी एक भी स्तर पर बुनियादी शिक्षा का नाम देना आवश्यक नहीं है ।

राष्ट्रीय शिक्षा-आयोग की सस्तुति के अनुसार शिक्षा के किसी स्तर का नाम बुनियादी शिक्षा नहीं होना चाहिए क्योंकि उनकी दृष्टि से बुनियादी शिक्षा के मूल तत्त्व शिक्षा के प्रत्येक सोपान को अनुप्राणित और निर्देशित करेंगे । आयोग के विचार से बुनियादी शिक्षा के मुख्यतः तीन मूल तत्त्व होते हैं, जिनका अनुमानन आयोग के प्रतिवेदन में सबत्र दृष्टिगत होता है । वे मूल तत्त्व आयोग ने निम्नलिखित बताये हैं —

(१) शिक्षा में उत्पादकता ।

(२) उत्पादन के साथ शिक्षा का समन्वय (प्राकृतिक एव सामाजिक परिवेश) तथा

(३) शाला एव समाज का निकट सम्पर्क ।

शिक्षा-आयोग द्वारा उपर्युक्त जिन मूल तत्त्वों की चर्चा की गयी है, वास्तव में बुनियादी शिक्षा की असफलता के मूल कारण वे ही हैं । इस पर भी शिक्षा-आयोग द्वारा उन्हें मूल्यवान् तत्त्व मानना और 'बुनियादी शिक्षा' नाम की अस्वीकृति एक प्रकार की प्रवचना ही मानी जायगी । सत्य तो यह है कि न तो आयोग को बुनियादी शिक्षा में ही विश्वास है और न आयोग द्वारा कल्पित समाज बुनियादी शिक्षा द्वारा कल्पित समाज के समरूप ही है । आयोग ने पाश्चात्य आदर्शों एव उससे रूप को भारतीय चौखटे में रखकर देखने का प्रयास किया है जो कि कदापि हितकर नहीं है । आयोग की सस्तुति का अध्ययन करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि आयोग ने बुनियादी शिक्षा को न तो निकट से देखा है, न उस पर गहराई से विचार ही किया है न उसको जांचा या परखा है, क्योंकि आयोग ने उपर्युक्त जिन तत्त्वों को बुनियादी शिक्षा

२ माध्यमिक स्तर

(१) निम्न माध्यमिक स्तर-कक्षा ८ से १० तक—

१ तीन भाषाएँ—अहिन्दी भाषी प्रदेशों में सामान्यतः निम्नलिखित तीन भाषाएँ होनी चाहिए—

(१) मातृ भाषा अथवा प्रादेशिक भाषा ।

(२) उच्च हिन्दी या निम्न स्तर की सामान्य हिन्दी, तथा

(३) उच्च या निम्न स्तर की अंग्रेजी ।

हिन्दी भाषी क्षेत्रों में सामान्यतः निम्नांकित भाषाएँ होनी चाहिए—

(१) मातृ भाषा या प्रादेशिक भाषा ।

(२) अंग्रेजी या हिन्दी (यदि अंग्रेजी मातृ भाषा के रूप में ले ली गयी है) ।

(३) हिन्दी के अतिरिक्त एक अन्य आधुनिक भारतीय भाषा ।

नोट—राष्ट्रीय भाषा का अध्ययन भी वैकल्पिक आधार पर उपयुक्त भाषाओं के अतिरिक्त भी किया जा सकता है ।

२ गणित ।

३ विज्ञान ।

४ इतिहास भूगोल तथा नागरिकशास्त्र ।

५ कला ।

६ कार्यानुभव तथा समाज-सेवा ।

७ शारीरिक शिक्षा ।

८ नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा ।

(२) उच्च माध्यमिक स्तर, कक्षा ११ से १२ तक—

१ कोई दो भाषाएँ—जिनमें कोई एक आधुनिक भारतीय भाषा, कोई आधुनिक विदेशी भाषा तथा कोई राष्ट्रीय भाषा सम्मिलित हो ।

२ निम्नांकित में से कोई तीन विषयों का चयन करें—

(१) एक अतिरिक्त भाषा ।

(२) इतिहास ।

(३) भूगोल ।

(४) अर्थशास्त्र ।

(५) तकशास्त्र ।

(६) मनोविज्ञान ।

(७) समाजशास्त्र ।

आयोग ने त्रिभाषा सूत्र में परिवर्तन करके नया सूत्र दिया है, जिसे प्रचलित त्रिभाषा सूत्र को अक्षरानुसार और कम्पिा से बचा जा सके और तीन भाषाओं के पठाने से राष्ट्र की एकता टूट हा । आयोग द्वारा सस्तुन भाषा-नीति के अन्तर्गत छात्र तीन भाषाएँ पढ़ेंगे :

१. मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा ।

२. सभ की राजभाषा या सहयोगी भाषा (जब तक यह है) ।

३. एक आधुनिक भारतीय भाषा या विदेशी भाषा, जो (१) या (२) के अन्तर्गत न ली गयी हो ।

आयोग के इस सुझाव का एक परिणाम यह हुआ है कि अहिन्दी भाषी प्रदेशों में हिन्दी का अध्ययन नहीं रह गया है । इस सस्तुति के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए उस समय भूतपूर्व शिक्षामंत्री श्री चागला ने कहा—
“जहाँ तक मैं समझता हूँ इस सुझाव के पीछे यह धारणा है कि हिन्दी का प्रसार छात्र को हिन्दी चुनने या न चुनने की स्वतंत्रता देने से होगा, उस पर हिन्दी सादने से नहीं । आयोग ने भी कहा है कि हिन्दी के स्वतंत्र अध्ययन का एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम बनाया जाय, पर अनिच्छुक लोगों पर हिन्दी की पडाई न लादी जाय ।” (८.४३, पृ० १६३)

निम्न प्राथमिक स्तर पर (कक्षा १ से ४ तक) आयोग ने केवल मातृ-भाषा या प्रादेशिक भाषा सिखाने का सुझाव दिया है । मातृभाषा अथवा प्रादेशिक भाषा का विकल्प छात्र की इच्छा पर होगा जो सर्वथा सगत और उचित प्रतीत होता है, क्योंकि बालक की शिक्षा उसकी मातृभाषा से आरम्भ हानी चाहिए, जो कि उसकी अभिव्यक्ति का सहज साधन है । उच्च प्राथमिक स्तर पर द्वितीय भाषा आरम्भ करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, परन्तु यह द्वितीय भाषा कौनसी हो ? आयोग ने हिन्दी अथवा अंग्रेजी के बीच विकल्प रखा है और आयोग ने आशा की है कि ‘हिन्दी क्षेत्र के प्राय सभी

बालक तथा अहिन्दी क्षेत्र के अधिकांश स्नातक द्वितीय भाषा के रूप में सम्भवतः अंग्रेजी सीखेंगे, परन्तु अहिन्दी क्षेत्र के अनेक स्नातक हिन्दी भी ले सकते हैं।" (८ ३६, पृ० १६३) इस उद्धरण से यह स्पष्ट ही है कि आयोग उच्च प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी प्रारम्भ करना चाहता है, हिन्दी तो केवल मन को समझाने के लिए रखी गयी है। एक सौ पचास वर्षों के अंग्रेजों के शासन और उसके प्रसार के अथक परिश्रम के बावजूद अंग्रेजी भारत के दो प्रतिशत लोगों तक भी नहीं पहुँच पायी है। ऐसी भाषा क्या भारत की पचास करोड़ जनता की सम्पर्क-भाषा बन सकती है ? बच्चों की इस आयु पर स्ट्रुक्चरल विधि से ही क्यों न हो, अंग्रेजी के नाम पर कुछ शब्द एवं वाक्य सिखा देने से क्या सम्पर्क-भाषा का काम चल सकेगा ? इस अवस्था पर अंग्रेजी को प्रारम्भ करने का अर्थ होगा कि न्यूनतम शिक्षा की आयु तक बच्चे को भारत की सम्पर्क-भाषा से वंचित रखना और उसे भारतीय जनमानस से अलग-अलग करके भारतीय सभ्यता से वंचित कर देना। यदि शिक्षाविदों और अंग्रेजी-प्रेमियों का यही रुख रहा तो भारत की कोई सम्पर्क भाषा विकसित ही न हो सकेगी और हमारी सततियाँ सदा-सर्वदा के लिए अंग्रेजी भाषाविदों से ज्ञान की याचना करती रहेगी। शिक्षा-आयोग का विचार भी भारतवर्ष की 'ग्रहण करनेवाले सिरे पर' (रिसेविंग एण्ड आफ नालेज) सदा-सर्वदा के लिए रखने का नहीं है। फिर आयोग की यह सद्भावना कैसे पूरी होगी, इयकी ओर आयोग ने [कोई संकेत नहीं दिया है। दूसरे, आयोग ने अपना उद्देश्य 'भारतीय एकीकरण' का रखा है, किन्तु प्रश्न यह है कि क्या दस वर्ष की आयु से अंग्रेजी का अध्ययन उसका युक्तियुक्त समाधान है, और आज का भारतीय जनमानस क्या अंग्रेजी को राष्ट्रीय-एकीकरण का साधन मानने को तैयार है ? चाहे अतीत में अंग्रेजी कुछ बुद्धिजीवियों के एकीकरण का साधन ही क्यों न रही हो ? आज हमें स्वतंत्र प्रजातन्त्र के शापेक्ष में इस प्रश्न का हल ढूँढना होगा। अतीत में भी अंग्रेजी कुछ पढ़े लिखे लोगों की सम्पर्क-भाषा ही थी, परन्तु भारतीय विशाल समुदाय और कुछ पढ़े-लिखे लोगों के बीच इसने जो गहरी खाई खोद दी है, क्या वह खाई भी भरी जा सकती है ? अतः उच्च प्राथमिक कक्षा के प्रथम वर्ष (पाचवी कक्षा) में हिन्दी तथा अहिन्दी, दोनों ही क्षेत्रों में एक अन्य भारतीय भाषा प्रारम्भ करनी चाहिए न कि अंग्रेजी। अतः हिन्दी राज्यों में हिन्दी से परे कोई दूसरी भारतीय भाषा और अहिन्दी राज्यों में हिन्दी का अध्ययन अध्यापन कराया जाना चाहिए। अंग्रेजी को जितनी जल्दी सम्पर्क-भाषा के पद से हटाया जायगा, भारतीय सभ्यता की स्थापना की दृष्टि से उतना ही अच्छा होगा।

आयोग की सन्तुति है कि मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा को विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। आयोग चाहता है कि

‘विश्वविद्यालय-अनुदान आयोग’ यह लक्ष्य दस वर्षों में प्राप्त कर ले। (१-५१, पृ० १३) साथ ही क्षेत्रीय भाषाएँ प्रदेशों में प्रशासन का माध्यम बना दी जायें, ताकि प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से लोग उच्च अधिकारी बन सकें। अतः विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में आधुनिक भारतीय भाषाओं को पढ़ाने की उचित व्यवस्था करनी चाहिए और विश्वविद्यालयों की उच्च कक्षाओं में एक साथ दो आधुनिक भारतीय भाषाएँ पढ़ाना सम्भव करना चाहिए। परन्तु यदि छात्र एक तीसरी अनिश्चित भाषा भी पढ़ाना चाहे तो वह वैकल्पिक रूप से लेकर उसका अध्ययन कर सकता है। (१-५४, पृ० १४) आयोग ने अखिल भारतीय शिक्षा-संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी को ही शिक्षा का माध्यम बनाने रखने पर जोर दिया है। उसकी सन्तुष्टि है कि सर्वोत्तम कोटि के स्नातकान्तर अध्ययन और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के शोध-कार्य के लिए छद्म महा-विद्यालय खोले जायें, जिनमें अंग्रेजी भाषा ही शिक्षा का माध्यम हो। इन विश्वविद्यालयों में अध्यापन-कार्य करने के लिए समस्त देश से अध्यापकों का चयन किया जाय और उनमें अखिल भारतीय स्तर से चयन करके छात्रों को प्रवृत्त किया जाय। इन विश्वविद्यालयों को वर्तमान विश्वविद्यालयों में से ही चुन लिया जाय। इन अखिल भारतीय संस्थाओं में अंग्रेजी ही शिक्षा का माध्यम रहे, इसके स्थान पर हिन्दी को लाने के लिए कालान्तर में विचार करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षा स्तर नीचे न गिरने पाये, जिससे कि छात्र उन्हें अंग्रेजी या हिन्दी के स्थान पर अध्ययन करें। आयोग ने यद्यपि संस्कृत भाषा के अध्ययन के महत्त्व को स्वीकार किया है, किन्तु उसने संस्कृत के नये विश्वविद्यालयों के खोलने के विचार को स्वीकार नहीं किया है। एक प्रकार से आयोग ने संस्कृत की अनदेखली की है। जिस व्यक्ति को भी तथ्यों का ज्ञान है, वह इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि भारतीय संस्कृति में संस्कृत ने महान् योग दिया है। भारतीय जीवन का कोई भी अंग ऐसा नहीं है, जिस पर संस्कृत का गहरा प्रभाव न पड़ा हो। भारत का अधिकांश प्राचीन साहित्य, संस्कृत में ही सुरक्षित है। आयोग ने इन महत्त्वपूर्ण बातों पर ध्यान नहीं दिया है।

आयोग की सन्तुष्टि के अनुसार “अंग्रेजी इस देश की सबसे महत्त्वपूर्ण पुस्तकालयों भाषा, (ऐसी भाषा जिसके माध्यम से विश्व का बढ़ता हुआ ज्ञान प्राप्त किया जा सके) रहेगी और इस हैसियत से उच्च शिक्षा में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अतः इस भाषा का दृढ़ आधार शालाओं में ही रखा जाय और अंग्रेजी कक्षा ५ से ही पढ़ायी जाय।” आयोग कक्षा तीन से अंग्रेजी पढ़ाने के पक्ष में नहीं है। (८-४६, पृ० १६७)

“आयोग की भाषा-सम्बन्धी नीति के कार्यान्विष्ट होने पर आयोग शिक्षा

में जो व्रन्ति लाने का लक्ष्य लेकर चला था, यह प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि व्यवहार में आयोग की भाषा-नीति 'प्रादेशिक भाषा-नीति' की ही विरोधी बन जायगी, क्योंकि छात्रों का भुकाव अधिकतर अंग्रेजी की ओर ही होगा, जो कि भारतीय भाषाओं के विकास में सदा बाधक रहेगी। इस सस्तुति के बड़े दूरगामी परिणाम हाने, जो कि समाजवादी राष्ट्र की दृष्टि से वदपि उचित नहीं कहा जा सकता। इसके परिणामस्वरूप समस्त राष्ट्र में शिक्षा की दो धाराएँ एक साथ बहेगी—एक सार्वजनिक शिक्षा की सामान्य धारा, जिसमें प्रादेशिक भाषाएँ ही शिक्षा का माध्यम होगी और दूसरी उच्च शिक्षा की विशिष्ट धारा, जिसमें अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम होगा। इन विशिष्ट विश्व-विद्यालयों में आयोग की सस्तुति के अनुसार अध्ययन एवं अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी ही रहेगा। क्योंकि यदि किसी छात्र की आवाक्षा और प्रतिभा शोध करने की है तो उसे अपनी मातृ भाषा में अधिक अंग्रेजी पर ध्यान देना होगा और मातृ भाषा को छोड़ना या गौण स्थान देना होगा, तभी वह विशिष्ट विश्वविद्यालयों का स्नातक हो सकेगा। इसका परिणाम यह होगा कि मातृ-भाषा की शिक्षा के साथ सदा-सबदा के लिए हीनत्व की भावना जुड़ जायगी। अतः अंग्रेजी का पठन-पाठन विशाल स्तर से ही अबाध गति से निरन्तर चलता रहेगा। सम्भवतः यही कारण है कि आयोग ने कक्षा ५ से या उच्च प्राथमिक स्तर से ही अंग्रेजी पढ़ने का सुझाव रखा है।”

(बशीधर श्रीवास्तव, 'नयी तालीम')

अतः अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की सस्तुति करके आयोग अपने मूल लक्ष्य से भटक गया है, जो कि उसकी समस्त हलचलों के मूल में रहा है अर्थात् शिक्षा को भारतीय जन-जीवन से सम्बन्धित करना। यह कार्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से ही हो सकेगा, किसी विदेशी भाषा के माध्यम से नहीं। जिन्हे यह बात समझ में नहीं आती और जो इसमें साम्प्रदायिकता की गन्ध देखते हैं वे राष्ट्र के अमणल एवं स्वार्थ की भाषा बोलते हैं। अतः यह विश्वविद्यालय की बात सस्तुत करके आयोग ने भारतीय भाषाओं के विकास की राह में बहुत बड़ा अवरोध उत्पन्न कर दिया है। “स्पष्ट और अस्पष्ट, दोनों ही ढंगों की वकालत को है उससे लगता है, उसका एक प्रमुख ध्येय ही यह था। राजभाषा हिन्दी की पूरी तरह अवहेलना ही आयोग ने नहीं की, अपितु भारतीय भाषाओं के साहित्य के लिए रोमन लिपि का सुझाव ही कमीशन की उन्नत मनोवृत्ति का सूचक है। भारत के सभी राज्यों के मुख्यमन्त्री कई वर्ष पूर्व एक मत से देवनागरी लिपि को सामान्य लिपि स्वीकार कर चुके हैं, पर आयोग की दृष्टि में राष्ट्रीय निर्णय का भी कोई महत्व नहीं रहा।” (प्रकाशवीर शास्त्री, 'नवभारत टाइम्स')

फरवरी मास, '६८]

[३०८]

आयोग का संशोधित फार्मूला पूर्ण रूप से राष्ट्र एवं संविधान के विरुद्ध है। इसके अन्तर्गत हिन्दी और अंग्रेजी को वैकल्पिक रखा है, जिसका अभिप्राय यह होगा कि छात्रों के लिए हिन्दी का पढ़ना आवश्यक नहीं होगा, जब कि वैधानिक रूप से हिन्दी राष्ट्रभाषा है। अतः आयोग द्वारा प्रस्तावित फार्मूला पूर्ण रूप से राष्ट्र एवं संविधान के विरुद्ध है। ठीक बात तो यह होती कि त्रिभाषा सूत्र के स्थान पर आयोग द्विभाषा सूत्र प्रस्तावित करता—हिन्दी क्षेत्रों में हिन्दी और आधुनिक भारतीय भाषा, और अहिन्दी क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषा और हिन्दी।

अन्य विषयों का अध्ययन

१. विज्ञान एवं गणित—आयोग ने विज्ञान-शिक्षण को विशेष महत्वपूर्ण स्थान दिया है और उसे विद्यालय पाठ्यक्रम का एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण अंग मानकर बच्चों के लिए अनिवार्य विषयों की श्रेणी में रख दिया है। इस उद्देश्य की सफलता के हेतु आयोग ने प्राथमिक स्तर पर बच्चों को रोमन लिपि सिखाने का सुझाव दिया है, ताकि वे अन्तर्राष्ट्रीय सकेतों को समझ सकें।

आयोग ने विज्ञान-शिक्षण का प्रारम्भ निम्न प्राथमिक स्तर से आरम्भ करने का सुझाव दिया है। आयोग के अनुसार इस स्तर पर विज्ञान-शिक्षण का उद्देश्य भौतिक एवं जैविक वातावरण के मूल तथ्य, घटनाओं तथा प्रक्रियाओं का बोध कराना है। निम्न प्राथमिक स्तर की पहली एवं दूसरी कक्षाओं में विज्ञान-शिक्षण बालक के भौतिक तथा सामाजिक वातावरण से सम्बन्धित होगा तथा तीसरी-चौथी कक्षाओं में विज्ञान के मूल तत्त्व तथा तथ्य सिखाये जायेंगे।

उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान-शिक्षण का आग्रह वातावरण से अलग हटाकर ज्ञान-प्राप्ति तथा तार्किक ढंग से विचार करने की दक्षता प्राप्त करना होना चाहिए। आयोग ने 'सामान्य-विज्ञान' को अनावश्यक बताते हुए सुझाव दिया है कि सामान्य-विज्ञान की अपेक्षा इस स्तर पर विज्ञान-शिक्षण भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीव-शास्त्र, भूगर्भ-शास्त्र तथा ज्योतिर्विज्ञान के रूप में होना चाहिए। कक्षाओं की दृष्टि से आयोग ने विषयों का वर्गीकरण निम्नांकित रूप में किया है :—

कक्षा ५—भौतिकशास्त्र, भूगर्भशास्त्र और जीव-विज्ञान।

कक्षा ६—भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र तथा जीव-विज्ञान।

कक्षा ७—भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीव-विज्ञान तथा ज्योतिर्विज्ञान।

आयोग का सुझाव है कि निम्न माध्यमिक स्तर पर भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीव-विज्ञान तथा भूमि से सम्बन्धित विज्ञानों को पढ़ाया जाना चाहिए। निम्न माध्यमिक स्तर पर विज्ञान को मानसिक अनुशासन के रूप में विकसित किया जाना चाहिए तथा प्रतिभावान छात्रों के लिए एडवान्स कोर्स की व्यवस्था

करनी चाहिए। विज्ञान की शिक्षा कृषि तथा टेक्नालोजी को जोड़नेवाली होनी चाहिए।

उच्च माध्यमिक स्तर पर आयोग ने विज्ञान की अनिवार्यता सभी बच्चों के लिए नहीं मानी है, अपितु इस स्तर पर छात्रों के लिए विविध विषयों की व्यवस्था रहेगी। छात्रों को भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित, भूगर्भशास्त्र, जीव-विज्ञान एवं वनस्पति शास्त्र में से किन्हीं तीन विषयों का चयन करना पड़ेगा।

गणित का आधुनिक शिक्षा में जो महत्वपूर्ण स्थान है, आयोग ने उसे स्वीकार किया है और उसे शिक्षा-क्रम में महत्वपूर्ण स्थान दिया है, क्योंकि यह विषय भौतिक विज्ञान एवं जैविक विज्ञान दोनों विषयों के विकास में महत्वपूर्ण योग देता है। इसी कारण प्राथमिक स्तर पर गणित के सम्बन्ध में आयोग का सुझाव है कि अकगणित एवं बीजगणित, दोनों को पृथक्-पृथक् रखना उचित नहीं है, अपितु इन दोनों को स्वीकृत करके समन्वित रूप से पढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे गणित के उन सिद्धान्तों एवं नियमों पर बल दिया जाय जिनसे तर्क-सुवत चिन्तन का विकास किया जा सके। आयोग के अनुसार निम्न तथा उच्च माध्यमिक स्तरों पर गणित के पाठ्यक्रम को आधुनिकतम बनाया जाना चाहिए।

आयोग के उपर्युक्त सुझावों का चिन्तन करने के पश्चात् ऐसा प्रतीत होता है कि आयोग रूसी शिक्षाक्रम से अभिभूत है और सामान्य विज्ञान पढ़ाने के स्थान पर इतने शीघ्र मूल विज्ञानों को प्रारम्भ करने का सुझाव दे बैठा है। आयोग विज्ञान से भी इतना अभिभूत प्रतीत होता है कि उसे 'साधन' न मानकर 'साध्य' मान बैठा है। आयोग यह मानता है कि सभी छात्रों में विज्ञान-अध्ययन करने की क्षमता और रुझान है। यदि यह सत्य भी हो तो इसे विज्ञान की अनिवार्य बनाने का एक परिणाम यह होगा कि भारत में कला तथा ज्ञान के अन्य क्षेत्रों की उपेक्षा की जायगी। फिर भी यह सही है कि आज के युग में विज्ञान का मुद्द ज्ञान सबको होना चाहिए, परन्तु उसके लिए 'सामान्य विज्ञान' ही अथिक् उपयोगी होगा।

सामाजिक अध्ययन

आयोग ने प्राथमिक तथा निम्न माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विषयों के शिक्षण में समन्वय पर जोर दिया है। सामाजिक अध्ययन की विषय-सामग्री में राष्ट्रीय एकता एवं मानव एकता के निचारों पर जोर देने की सस्तुति आयोग ने की है। इसके लिए सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम में उन महापुरुषों को स्थान दिया जाना चाहिए, जिन्होंने मानव-जाति को सान्ति एवं समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर किया है। आयोग की सस्तुति के अनुसार माध्यमिक स्तर पर परवशो-मार्च, '६८]

भारतीय इतिहास का अध्ययन विश्व इतिहास के सन्दर्भ में किया जाना चाहिए । उच्चतर माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का अध्यापन विशेष विषयों के रूप में कराने की भी सस्तुति आयोग ने की है । इस प्रकार सामाजिक अध्ययन का जो रूप राष्ट्रीय शिक्षा-आयोग ने सुझाया है, वह बुनियादी शिक्षा की भावना के अनुरूप ही है ।

शारीरिक शिक्षा

आयोग ने शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम के निर्माण हेतु निम्नांकित सिद्धान्तों को आधार मानने का सुझाव दिया है—

१. शारीरिक शिक्षा बच्चों की दृष्टि तथा क्षमता को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए ।
२. परम्परागत खेलों एवं शारीरिक क्रिया-कलापों को भी उचित स्थान मिलना चाहिए ।
३. शारीरिक क्रिया-कलापों के प्रति गर्व की भावना का विकास होना चाहिए ।
४. शारीरिक शिक्षा में सहयोग एवं उत्तरदायित्व बहन करने की भावना का विकास करनेवाले शारीरिक क्रियाकलापों को स्थान मिलना चाहिए ।
५. शारीरिक शिक्षा में विद्येप दृष्टि रखनेवाले, योग्य एवं प्रतिभाशाली छात्रों को विद्येप निर्देश देने की व्यवस्था पाठ्यक्रम में होनी चाहिए ।
६. कार्यक्रम स्थानीय परिस्थिति एवं आर्थिक साधनों के अनुरूप बनाये जाने चाहिए ।

कला एवं पाठ्येतर सहगामी क्रियाएँ

आज के इस वैज्ञानिक युग में शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान की शिक्षा पर इतना अधिक ध्यान दिया जाने लगा है कि ललित कलाओं को हेय दृष्टि से देखा जाने लगा है । शिक्षा-क्षेत्र में कलाओं की शिक्षा का अभाव सोन्दर्यात्मक मूल्यों के ह्रास का कारण है, अतः आयोग ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वह एक विद्येप कमेटी नियुक्त करे और इसके विकास को सभी सम्भावनाओं एवं साधनों का उपयोग करे । इस कार्य के लिए स्थानीय सहायता से 'बालभवन' खोलने का सुझाव देकर शाला और समाज दोनों को सक्रिय सहयोग के लिए आमन्त्रित किया है । साथ ही विश्वविद्यालय में कला की स्थापना करके शोध एवं अनुसंधान को विद्येप महत्व देने की सस्तुति की है । इसी प्रकार छात्रों की दृष्टि एवं क्षमता का ध्यान रखकर सृजनात्मक अभिव्यक्ति के लिए परदेसुर सहगामी क्रियाओं के अन्तर्गत प्रिय कार्यों, नादविवाद प्रतियोगिता, नाटक आदि का आयोजन अवश्य किया जाना चाहिए ।

कार्यानुभव

आयोग की सस्तुति के अनुसार समय शिक्षाक्रम को 'उत्पादन' अथवा 'कार्यानुभव' से जोड़ देना है। कक्षाओं में कार्यानुभव का उद्देश्य बालकों को अपने हाथों का स्वयं उपयोग करने की शिक्षा देना है, जिससे उनका बौद्धिक एवं भावनात्मक विकास हो सके। आयोग ने कार्यानुभवों को अथवा शैक्षिक अनुभवों के समान ही उपयोगी माना है, परन्तु उसने इस बात पर विशेष बल दिया है कि 'कार्यानुभव' वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान से समुन्नत हो। परन्तु विद्यालयों में 'कार्यानुभव' केवल शारीरिक धर्म ही रह जायगा, क्योंकि वहाँ समवाय की कोई चर्चा या उल्लेख नहीं है। दूसरे आयोग का कार्यानुभव का सुभाव विद्यालय में वक्शाप, खेत या उद्योग के अभाव में बुनियादी शिक्षा के समान असफल होगा। देश ने विज्ञान और तकनीक का मार्ग चुना है। इसलिए आयोग ने प्रारम्भ से ही कार्यानुभव के साथ विज्ञान एवं तकनीकी ज्ञान को समुन्नत करने की सलाह दी है। कार्यानुभव को वास्तविकता प्रदान करने के लिए उसे स्थानीय प्रचलित उद्योग घण्टों, वक्शाप, फैक्टरी आदि के साथ ताल-मेल बैठाना आवश्यक है। परन्तु देश की वर्तमान परिस्थिति में क्या यह सम्भव है ?

नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा

आयोग ने नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा के रूप में एक नया विषय पाठ्यक्रम में रखा है। उसके अनुसार शिक्षा के दो तरीके हैं— (१) परोक्ष रूप से और (२) प्रत्यक्ष रूप से। आयोग ने बहानियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा प्रदान करने का सुझाव दिया है।

स्त्री शिक्षा

आयोग ने स्त्री शिक्षा पर हटा बनेटी की सस्तुतियाँ को स्वीकार कर लेने का सुझाव दिया है। इसके परिणामस्वरूप स्त्री और पुरुषों के पाठ्यक्रम में लिंग के आधार पर कोई भेद नहीं रहेगा। गृह विज्ञान वैकल्पिक विषय बन जायगा। संगीत तथा उल्लिखित-बलाया की सुविधाएँ बढ़ाते हुए भी छात्राओं को गणित एवं विज्ञान विषय लेने के लिए प्रोत्साहन अवश्य देना चाहिए। परन्तु इन विषयों के अध्यापन के लिए अधिक अध्यापिकाओं की आवश्यकता होगी। अतः उन्हें गणित तथा विज्ञान के शिक्षण के लिए तैयार करने हेतु विशेष प्रयास करने चाहिए। इस प्रकार आयोग की सस्तुति के अनुसार रिश्ता को भी पुरुषों के समकक्ष स्थान का प्रयास किया गया है। यही कारण है कि आयोग ने बालक-बालिकाओं के लिए समान पाठ्यक्रम का सुझाव दिया। ●

शैक्षिक प्रशासन

लक्ष्मण कुमार शर्मा

शिक्षा का गिरता स्तर इस बात की ओर संकेत करता है कि शिक्षा के प्रशासन में कहीं पर दोष है। वास्तविकता यह है कि शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति बहुत असा तक शिक्षा के प्रशासनिक तंत्र पर निर्भर करती है। यदि प्रशासनिक तंत्र कुशल है तो शिक्षा का स्तर ऊँचा होगा और प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा।

यद्यपि शिक्षा सुविधान में राज्य की अनुवर्ती सूची में है, फिर भी राज्य तथा केन्द्र दोनों ही शिक्षा के विकास के लिए प्रयत्नशील हैं। आयोग ने यह अनुभव किया है कि शिक्षा का प्रशासन ऐसा हो, जिससे समुदाय तथा शिक्षा में सम्बन्ध बना रह सके। यह तभी सम्भव होगा, जब शैक्षिक प्रशासन का आधार विकेंद्रीकरण हो। (पृष्ठ ४४४)

शैक्षिक प्रशासन के तीन प्रमुख स्तर हैं — (१) केन्द्र, (२) राज्य, (३) स्थानीय निकाय। राज्य सरकार स्थानीय निकायों में शैक्षिक प्रशासन के मूल्य का निर्माण कर सकती है। शिक्षा के नियोजन में राज्य सरकार की प्रमुख भूमिका रहती है। आयोग के अनुसार विद्यालयी शिक्षा का सम्पूर्ण दायित्व राज्य पर है और स्थानीय समुदाय की सहायता से शिक्षा के कर्तव्य का निर्वाह करना है। विद्यालयी शिक्षा स्थानीय तथा राज्य की साझेदारी है और उच्च शिक्षा का दायित्व केन्द्र तथा राज्य का है। (पृष्ठ ४४७, पैरा १८) स्थानीय प्रशासन

आयोग ने स्थानीय प्रशासन के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिशों की हैं — हमारा तात्कालिक उद्देश्य यह होना चाहिए कि ग्राम-क्षेत्रों में ग्राम-पंचायतें तथा नगर-क्षेत्रों में नगरपालिकाएँ स्थानीय विद्यालयों को अनुदान प्रणाली के माध्यम से चलायें। यह उद्देश्य राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया जाय।

जिला-स्तर पर कुशल स्थानीय शिक्षा निकाय (लोकल एजुकेशन अथॉरिटी) की स्थापना की जाय। यह जिला शिक्षा परिषद् (डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन बोर्ड) के नाम से अभिहित किया जाय। इसको विश्व विद्यालय स्तर से नीचे की समस्त शिक्षा के विकास एवं संचालन का अधिकार दिया जाय।

● जिला विद्यालय परिषद के क्षेत्र में बड़ी नगरपालिकाओं को छोड़कर जिले का सम्पूर्ण क्षेत्र होना चाहिए। महानगरपालिकाओं में भी इस प्रकार की परिषदें होनी चाहिए। इस परिषद का कार्य जिले में शिक्षा विकास के लिए योजनाएँ बनाना भी है। इस परिषद का कार्य एक शिक्षा-सचिव करे, जो भारतीय शिक्षा-सेवा का व्यक्ति (आई ई एस) हो।

राज्य स्तर पर शिक्षा प्रशासन

यद्यपि शिक्षा के अनेक विषया, यथा केन्द्रीय विश्व विद्यालयों, व्यावसायिक प्रशिक्षण, चिकित्सा अनुसन्धान आदि की व्यवस्था केन्द्र सरकार करती है तो भी माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा का दायित्व राज्य सरकारों पर है। राज्य सरकारों के सम्यक् म प्रशासन सम्बन्धी सुझाव इस प्रकार है —

● राज्य स्तर पर एक वैधिक परिषद का निर्माण किया जाय। इसका अध्यक्ष राज्य-मंत्री हो। इसमें राज्य के विश्वविद्यालयों, शिक्षा के विभिन्न अंगों के निदेशकों तथा कुछ शिक्षा शास्त्रियों का प्रतिनिधित्व हो। इस परिषद का काम राज्य का शिक्षा सम्बन्धी परामर्श देना हो। इस परिषद का प्रतिवेदन विधान सभा में प्रस्तुत किया जाय।

● शिक्षा सचिव भारत सरकार के परामर्शदाता की भाँति राज्य का प्रत्यात शिक्षाशास्त्री हो। शिक्षा सचिव की नियुक्ति प्रशासकीय अधिकारियों में से न हो।

● उच्च स्तर पर अधिकारी थोड़े नियुक्त किये जायें, जिससे व्यय में कमी की जा सके। ये अधिकारी योग्य एवं कुशल व्यक्ति होने चाहिए।

● राज्य में राज्य शिक्षा-सेवा (स्टेट एजुकेशनल सर्विस) आरम्भ की जाय। इसमें प्रथम तथा द्वितीय श्रेणियों हो। जिला विद्यालय परिषदों के सचिव प्रथम श्रेणी के हो। इस सेवा में ७५% नवीन भर्तियों तथा २५% को विभागीय उन्नति दी जाय। द्वितीय श्रेणी में निरीक्षक एवं अध्यापक हो। इसमें ०% पदों पर नवी भर्तियाँ हो।

● राज्य में शिक्षा प्रशासकी के प्रशिक्षण के लिए सभी बरतन-मजिद के लिए राज्य-निर्देशा संस्थानों में सेवा-बालीन कार्यक्रम आयोजित किये । सम्मेलन, सेमिनार तथा विचार-मोष्ठियाँ हो।

राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा प्रशासन

कोटारी-आयोग के अनुसार गिना की इमारत की तीन मजिलें हैं। उच्च गिना तीसरी मजिल है। तीनों मजिला में आपस में सम्बन्ध होना ही चाहिए। अत आयोग के सुझाव इस प्रकार हैं।

● राष्ट्रीय गिना का नियोजन करना।

- शैक्षिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करना ।
- सभ क्षेत्रों में वित्त, संचालन तथा व्यवस्था करना ।
- हिन्दी-प्रचार विकास तथा समृद्धि ।
- राष्ट्रीय सस्कृति का संरक्षण एवं विकास ।
- यूनेस्को के साथ कार्य करना ।
- छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करना ।

आयोग ने उपर्युक्त कार्यों को कुशलतापूर्वक करने के लिए ये सुझाव दिये हैं—

- शिक्षकों की स्थिति तथा अध्यापकों की शिक्षा में सुधार ।
- शिक्षा में सभी क्षेत्रों में मानव-शक्ति का नियोजन ।
- शैक्षिक अवसरों की समानता ।
- अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था ।
- माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायिक रूप का विकास ।
- वैज्ञानिक तथा शैक्षिक अनुसन्धान पर बल देना ।

केन्द्र इन सभी कार्यों को शिक्षा-मंत्रालय के अन्तर्गत करता है। अतः शिक्षा-मंत्रालय को प्रशासन-सम्बन्धी सुझाव इस प्रकार दिये गये हैं—

- प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री को शिक्षा सचिव एवं परामर्शदाता नियुक्त करना । इसका कार्यकाल ६ वर्ष हो ।
- संपुक्त सचिवों के पदों पर राज्य के शिक्षा विभागों से व्यक्तियों को नियुक्त करना ।
- शिक्षा-मंत्रालय में सांख्यिकी विभाग की स्थापना करना ।
- शिक्षा-परामर्शदाता-परिषद् को गत्यात्मक बनाना ।
- विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग एवं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण-परिषद् को प्रभावशाली बनाना ।

शिक्षा-आयोग ने स्थानीय, राज्य तथा राष्ट्र, तीनों स्तरों पर प्रशासन को सुदृढ़ करने के महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। इन सुझावों की एक ही ध्वनि है—शिक्षा को स्थानीय आवश्यकता तथा परिस्थितियों के अनुसार विकेन्द्रित किया जाय ।

विकेन्द्रीकरण सहज ही नहीं हो जायगा। इसके लिए राज्य, राष्ट्र तथा स्थानीय निकायों को एक-दूसरे से सन्नद्ध होकर कार्य करना पड़ेगा तभी विविधता में एकता के दर्शन होंगे, अर्थात् शिक्षा के इस स्वरूप के माध्यम से राष्ट्र-विक्रम के चरम लक्ष्य तक पहुँच सकेंगे । ●

हिन्दी समिति के कुछ प्रकाशन

१ हलायुध कोश

हलायुध भट्ट

यह ग्रन्थ संस्कृत के प्राचीन कोशकार श्री हलायुध भट्ट के अभियान रत्न माला नामक ग्रन्थ का सटीक अभिनव संस्करण है। इसे श्री जटाङ्कर जोशी द्वारा सम्पादित कराकर 'हलायुध कोश' के नाम से प्रकाशित किया गया है। इधर कुछ दिनों से यह अप्राप्य था। परन्तु अब सशोधित संस्करण प्राप्त है।

मूल्य २५ रुपये

२ उर्दू-हिन्दी शब्दकोश

स्व० श्री मुहम्मद मुस्ताफा खाँ "भदाह"

हिन्दी में अपने ढंग का यह पहला बृहत् कोश है। इसमें हजारों अरबी फारसी तुर्की और उर्दू शब्दों की प्रामाणिक व्याख्या की गयी है। मूल शब्दों को नागरी लिपि में भी दिया गया है।

मूल्य १६ रुपये

३ भाषा (जो यान्द्रियाज)

अनु० श्री जगवशकिशोर बलवीर

मानव समाज के लिए भाषा की समस्या स्वयं सिद्ध है। प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखक ने भाषा के प्रमुख तत्त्वा उपकरणों, व्याकरण और शब्दकोश का विस्तृत विवेचन किया है। हिन्दी पाठकों और भाषा शास्त्र के अध्ययन करनेवाले छात्रों का वाञ्छित लाभ होगा।

मूल्य ७५०

४ भाषा विज्ञान पर भाषण

भाग १ व २ एफ० मैक्समूलर के० एम०

अनु० डा० हेमचन्द्र जोशी

इस पुस्तक को दो भागों में प्रकाशित किया गया है। इसमें मैक्समूलर के रामन इन्स्टीट्यूट में लिये गये भाषणों का अनुवाद है। हिन्दी के छात्रों एवं पाठकों के लिए इसका अनुवाद प्रसिद्ध भाष्यविद् डा० हेमचन्द्र जोशी से कराया गया है।

मूल्य ८ रुपये

वृषया व्यापारिक मुविधाओं के लिए लिखें :

सचिव

हिन्दी समिति, सूचना विभाग

उत्तरप्रदेश शासन

लखनऊ

कार्यानुभव

प्रताप सिंह

कुछ वर्षों पूर्व विद्यार्थी को दस्तकारी या उद्योग द्वारा शिक्षा देने की बुनियादी शिक्षा-प्रणाली चली। उसके पश्चात् बहुदुदेशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में उद्योग को स्थान देने का दौर चला। अब शिक्षा में कार्यानुभव की चर्चा है। नये-नये आयोग और नये-नये प्रतिवेदन हमारे देश का ठर्रा-सा बन गया है।

इन सबके पीछे एक बात स्पष्ट दिखाई पड़ती है। वह यह कि वर्तमान शिक्षा से हम असन्तुष्ट हैं। यह निजम्मी और बेकारी बढ़ानेवाली साबित हुई है। अतः इसमें परिवर्तन लाने का प्रयत्न होना ही चाहिए। कभी परिवर्तन वादनीय और उपयागी होता है, कभी निरर्थक और पैसा, समय तथा शक्ति खपानेवाला।

हमारा दुर्भाग्य ही समझना चाहिए कि हमारे शिक्षा विषयक परिवर्तन कुछ ऐसे ही रहें हैं। शिक्षा में उद्योग के नाम पर बहुत धोखालेदर हुई है और हा रही है। इसका स्पष्ट कारण यह है कि कुछ विचारकों के मतानुसार तथा कुछ देशों की देखादेखा हम शिक्षा में उद्योग लाना तो चाहते हैं, पर हमारे स्वयं के दिलों में उसका कोई स्थान नहीं है। धर्म को हीन समझने की मनावृत्ति हमारे मन में ऐसी जमकर बैठी है कि कोई भी धर्मसाध्य कार्य प्रारम्भ होते ही समाप्ति की ओर बढ़ने लगता है। बुनियादी शिक्षा में और बहुदुदेशीय माध्यमिक शिक्षा में उद्योग के नाम पर जो कुछ किया गया और आज भी किया जा रहा है, वह इसका प्रमाण है।

बुनियादी विद्यालयों में पढ़े लिखे और सभ्रान्त लोगों के बच्चे नहीं पड़ते। बुनियादी और गैर-बुनियादी, दो प्रकार के विद्यालय चले और चल रहे हैं। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में एक वर्ष का समय इसलिए बढ़ाया गया था कि

वहाँ से विद्यार्थी कोई उद्योग सीखकर स्वावलम्बी बनकर निकलें। लगभग सत्तर प्रतिशत विद्यार्थी विभिन्न कारणों से उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने में असमर्थ रहते हैं। अतः उद्देश्य यह था कि जिनकी शिक्षा इसी स्तर पर समाप्त हो रही है वे केवल नौकरी के लिए दफतरो के दरवाजे खटखटानेवाले बलक ही न बनें पर कुछ हुनर सीखकर निकलें, जिससे जीविकोपार्जन गमय हो। पर क्योंकि उद्योग के प्रति हीन मनोवृत्ति के लोगों के बच्चे भी इन माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ते थे उन्होंने धीरे धीरे महा से उद्योग को तराशना शुरू कर दिया जिससे आज वह एक दिखावे की चीज बनकर रह गया है। उच्च माध्यमिक शिक्षा की अन्तिम कक्षा ग्यारहवीं से उद्योग को निकाल दिया गया है। दसवीं कक्षा की परीक्षा के साथ उद्योग की अन्तिम परीक्षा समाप्त हो जाती है। नाम के लिए परीक्षा तो रखी गयी है पर इसमें उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं समझा गया। अन्य विषयों की तुलना में उद्योग को बहुत कम समय दिया जाता है। फिर मला विद्यार्थी इस विषय पर बड़ी ध्यान देने लगे। आज की शिक्षा परीक्षा का लक्ष्य लेकर ही चलती है। जिस विषय का परीक्षा की दृष्टि से कोई महत्व नहीं वह उपेक्षणीय बन गया है। अब केवल कहने को शिक्षा में उद्योग रह गया है। जिस उद्देश्य से चलाया गया था वह ता समाप्त हो गया।

शिक्षा-आयोग की कल्पना

अब आया है शिक्षा में कार्यानुभव। शिक्षा-आयोग ने अपने प्रतिवेदन में ही इसको इस तरह प्रस्तुत किया है कि शिक्षा में उद्योग द्वारा जो उपलब्ध किया जा सकता है वह स्पष्ट नहीं है। इतना ही स्पष्ट है कि विद्यार्थी को ज्ञानात्मक विषयों के अध्ययन के साथ साथ अपने हाथों से भी कुछ कार्यों का अनुभव करना चाहिए। आयोग के विचार में वर्तमान शिक्षा अत्यधिक किताबी है। उत्पादक कार्यानुभव से उसमें सुधार लाया जा सकेगा। इससे होनेवाले शैक्षणिक, सामाजिक और व्यावहारिक कुछ लाभों की आशा भी आयोग ने व्यक्त की है पर वह बहुत स्पष्ट नहीं है। आयोग ने कार्यानुभव को आने की प्राविधिक-शिक्षा की तैयारी भी माना है।

आयोग के अनुसार प्राथमिक स्तर पर हाथ का काम बच्चों के बौद्धिक तथा भावात्मक विकास में सहायक होता है। माध्यमिक स्तर पर कोई दस्तावेजी विशेष शिक्षा दी जा सकती है जिससे प्राविधिक विचार धारा और सृजनात्मक योग्यता पनप सके। दस्तावेजी के साथ-साथ सलाह, कारखानों या जीवनोपयोगी अन्य कार्यों में भी विद्यार्थियों का हाथ बँटाना आवश्यक समझा गया है। प्रत्येक परधरो मास, '६८]

विद्यालया में या कुछ विद्यालयों में सम्मिलित रूप से एक कारखाना होना चाहिए। विद्यार्थियों को खेता तथा अन्य व्यावसायिक या प्रौद्योगिक प्रतिष्ठानों में भी कार्य करना चाहिए। इस प्रकार कार्यानुभव-क्षेत्र की व्याख्या की गयी है और उपलब्ध साधन-सामग्री तथा प्रशिक्षित भागद्वारों के अनुसार प्रत्येक विद्यालय को कार्यानुभव या कार्यक्रम बनाने की छूट भी दी गयी है।

आयोग बुनियादी शिक्षा को भी भुला नहा सका। अतः उसका नाम लेकर इतना ता कहना ही पडा कि कार्यानुभव-द्वान या बुनियादी शिक्षा-द्वान में निष्ठा का सम्बन्ध है। साध-साध यह भी स्वीकार करना पडा कि बुनियादी शिक्षा में कार्यानुभव होता है। बुनियादी शिक्षा का एक जीवन्त मिश्रित शिक्षा को उदाहरण-काय क साथ समन्वित करना है परन्तु उसमें दस्तकारी या उद्योग का दायरा बडा सीमित रहा है। अतः आयोग का सुझाव है कि बुनियादी शिक्षा में भी नये समाज की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन किया जाना चाहिए।

आयोग को भारत के अस्थी प्रतिशत गाँवों का भी ध्यान आया और उसने विचार व्यक्त किया है कि गाँवों में कार्यानुभव कृषि और साधारण प्राविधिक प्रक्रियाओं के सहारे ही अधिक सम्भव है। गाँवों में जहाँ कारखाने खोलना सम्भव नहीं है वहाँ विद्यार्थियों के उपयोग के लिए सस्ते औजारों की पेटियाँ बनाकर भेजी जायें। दूसरी तरफ शहरों के विद्यार्थियों को कृषि का अनुभव कराने के लिए शहरी विद्यालया में बगीचे लगाये जायें।

क्याकि सभी विद्यालयों में तत्काल ऐसा करना सम्भव नहीं होगा, अतः आयोग का सुझाव है कि कुछ विद्यालयों से प्रारम्भ करके दीर्घातिमीघ्र उसका विस्तार किया जाय। सक्रमण काल में बच्चे अपने घरेलू षधों में कार्यानुभव करें। इनमें भी विद्यार्थियों को नवीन वैज्ञानिक और प्राविधिक प्रक्रियाओं की ओर प्रवृत्त किया जाय। आयोग की सम्मति में कार्यानुभव की सफलता काय के आधुनिकीकरण पर ही निर्भर है।

शिक्षक साधन-सामग्री और कार्यक्रम के विस्तार के सम्बन्ध में भी आयोग ने सुझाव दिये हैं। शिक्षकों के अल्पकालीन प्रशिक्षण की बात कही है कारीगरों से भी काय लेने का सुझाव दिया है और शिक्षाधिकारियों को भी इस योजना से अवगत कराने की आवश्यकता समझी है।

विचारणीय प्रश्न

विचारणीय प्रश्न है कि बुनियादी तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में दस्तकारी तथा उद्योग को जो स्थान दिया गया है उसकी तुलना में इस कार्यानुभव योजना में क्या विशेषता है? क्या पुरानी चीज को ही यह नया नाम

नहीं दिया गया है ? क्या व्यक्ति के विकास की, समाज निर्माण की या बेकारी दूर करने की इसमें अधिक क्षमताएँ हैं ? इस प्रकार के कई प्रश्न मस्तिष्क में चक्कर लगा जाते हैं ।

इनके पीछे छिपा वह मूक प्रश्न फिर सामने आता है कि शिक्षा में उद्योग-दस्तकारी को स्थान ही क्यों दिया गया ? इस प्रश्न के समुचित उत्तर पर ध्यान न देकर नयी-नयी कल्पनाएँ और नये-नये प्रयोग चलाने का प्रयत्न हो रहा है, जिसका कोई सुफल आज दिखाई नही पड़ता ।

शिक्षा में दस्तकारी तथा हुनर का प्रवेश केवल कार्यानुभव के लिए ही नहीं किया गया, बल्कि इसलिए कि व्यक्तित्व के विकास का यह एक बहुत ही कारगर माध्यम है । साथ ही बुनियादी तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में इसका एक बहुत बड़ा स्थान स्वावलम्बन रहा है । जैसे व्यक्ति के जीवन का कोई पहलू इससे अछूता नहीं रहता । शारीरिक, बौद्धिक, चारित्रिक, भावात्मक, सामाजिक सभी प्रकार का विकास इससे सम्भव है अनेक विषयों का समन्वित ज्ञान इसके द्वारा होता है, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि व्यापक बनती है और स्वावलम्बन के कारण आत्म विश्वास दृढ़ होता है । व्यक्ति निर्भयता तथा स्वतन्त्रता का अनुभव करता है और उसमें कई सद्गुण और अच्छी आदतें पनपती हैं । उद्योग तथा दस्तकारी में व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने की अपार क्षमता भरी पड़ी है । इतनी क्षमता किसी एक ज्ञानात्मक विषय में तो नहीं होती है, पर सबको मिलाकर भी नहीं है । विद्यार्थी बरके सीखता है । उसको इससे सृजनात्मक ध्यान द प्राप्ति होता है, जो कि व्यक्ति की एक उच्च स्तरीय उपलब्धि है । इन क्षमताओं के कारण ही पाठ्यक्रम में ढेर सारे विषय होते हुए भी दस्तकारी तथा उद्योग को स्थान दिया गया है । बेरोजगारी की समस्या आज की हमारी विकट समस्याओं में से है । इसका समाधान भी सतत चलनेवाली दस्तकारी या उद्योग से ही सम्भव है । फिर इसके स्थान पर यह विश्व का कार्यानुभव कैसे उपयोगी होगा, यह समझ में नहीं आता ।

कार्यानुभव के लिए कल्पना की गयी है कि वह खेत में, कारखाने में, घर में, विद्यालय में, कहीं भी किसी काम के रूप में हो सकता है । इसका अर्थ यही हुआ कि इसके द्वारा कोई निश्चिन्त हुनर बच्चा नहीं सीखेगा । यह जब जो सुविधा हुई काम करता रहेगा । अतः शिक्षा के द्वारा बेकारी को हल करने की समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी ।

कार्यानुभव के उदाहरण

अपने खेत और घर के साधारण कार्यों को भी कार्यानुभव में शामिल किया गया है । इस प्रकार कार्यानुभव के कार्यक्रम की रूपरेखा कुछ विचित्र-सी बन करवरी भाव, '६८]

पयी है। कुछ राज्या ने इसको कार्यान्वित करने का निश्चय किया है। यह इसके चलानेवालों के सामने भी इसके उद्देश्य स्पष्ट नहीं हैं। कुछ दिनों पूर्व एक कार्यगोष्ठी इस सम्बन्ध में हुई थी। उसके विचार विद्वानों में एक यह भाषा कि विद्यालय में चपरासी न रखा जाय। बच्चे वहाँ का सब काय करें। उस काय को कार्यानुभव के रूप में स्वीकार किया जाय।

इसी प्रकार की भ्रान्तियाँ उत्पादन के सम्बन्ध में भी हैं। आयोग ने कहा है कि काय उत्पादक हों। किस काय को उत्पादक माना जाय इसमें विचारका का मतभेद नहीं है। इसीलिए चपरासी के काम को इसी श्रेणी में लिया जा रहा है। इस तरह विभिन्न प्रकार का सूक्ष्म-सूक्ष्म अभी इस सम्बन्ध में चल रही है।

क्याकि सरकार ने आयोग का प्रतिवेदन मान लिया है और कुछ राज्यों ने भा इसे चलाने का निश्चय कर लिया है। शिक्षाधिकारी तथा शिक्षक भी इसे चलाने में अपनी तत्परता दिखाना चाहते हैं। यह कार्यक्रम आदेशों द्वारा ऊपर से नीचे पहुँचने की उतावली में है। परन्तु न तो अभी इसकी कोई सुव्यवस्था बनी है न उद्देश्य और रूपरेखा ही स्पष्ट है। अतः इसका मनमाना अर्थ लगाया जा रहा है।

हाल ही में कुछ शिक्षाधिकारियों ने एक कक्षा तथा आद्यौषिक प्रशिक्षण केंद्र का निराक्षण यह पता लगाने के लिए किया कि अध्यापकों को कार्यानुभव यात्रा चलाने का प्रशिक्षण देने में केंद्र क्या कर सकता है। उनका विचार था एक-एक माह के प्रशिक्षण के लिए अध्यापकों को भेजना जिसमें वे केंद्र में चलनेवाले उद्योगों, दुकानों में से कोई एक सीख लें। जब उन्हें बताया गया कि एक माह में तो किसी दुकान का अर्थ, भा भी नहीं सीखा जा सकता तब उन्होंने अधिकारियों तीन माह के लिए भेजने की सम्भावना व्यक्त की। इस पर भी उनसे कहा गया कि तीन माह के अल्प समय में भी वे बच्चों को सिखाने योग्य तो क्या बनेंगे स्वयं भी बहुत कम—नगण्य सा—सीख पायेंगे। उन्होंने कहा बस। उनको दो चार चीजें बनाना सिखा दीजिये, जिससे वे ही चीजें व बच्चों से बनवा सकें। यह है कार्यानुभव का स्वरूप, जिसे हमारे शिक्षाधिकारी अबतक समझे हुए हैं।

इसका स्पष्ट अर्थ यही है कि दस्तकारी की पूणता उसके द्वारा स्वावलम्बन और व्यक्तित्व के विकास जैसी ता कोई बात सम्भव नहीं है। स्वयं उद्योग या दस्तकारी एक तमांगा बनकर रह जायगी।

कवल दिमागी दौड़ के विषय हम पर इतने हावा हो गये हैं कि साथ के काम को ता हम पनपने ही नहीं देते। न बुनियादी शिक्षा का प्रयोग निष्ठा से चलाया गया न उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का ही। जब दस्तकारी इन योजनाओं

में ही न पनप सही तो कार्यानुभव के ढीले-ढाले, लचीले कार्यक्रम में उसके पनपने का प्रश्न ही समाप्त हो जाता है। इस तरह शिक्षा में उद्योग की हत्या ही आयाग के द्वारा हो गयी है।

आयोग का सुझाव है कि विद्यार्थी आस पास के खेतों और कारखानों में कार्यानुभव प्राप्त करें। यह सुझाव व्यावहारिक नहीं लगता। वहाँ यदि वे जायें भी तो कौन अपनी वस्तु उनके हाथों बिगड़ने देगा? क्या शिक्षक के लिए यह सम्भव होगा कि वह वहाँ जाकर बच्चा के काय को देखे? क्या खेतवाला और कारखानेदार इसको अपने काम में दखल देने देगा? विद्यार्थी यदि मजदूर की तरह वहाँ काम करना चाहें तब भी उनको वहाँ सुविधा मिलना कठिन है। हमारे देश में न तो वह हवा है न सुविधाएँ। वहाँ तो घर के लोगों के लिए भी पूरा काम नहीं हाता तब बाहर के लोगों को काम में लाने की तो बात ही क्या हो सकती है?

एक धुँधला चित्र

एक मुख्य बात है इस योजना के उद्देश्यों को पूरातया समझने की। अतः एवप्रथम आवश्यकता यह है कि शिक्षा के उच्चातिउच्च अधिकारी से लेकर प्राथमिक शिक्षा के शिक्षक तक प्रत्येक कार्यकर्ता इसे समझे। गोपियों, साहित्य प्रकाशन छोटे छोटे दलों में विचार विमर्श आदि द्वारा यह कार्य किया जाय। उद्देश्य और क्रियात्मक कार्यक्रम की रूपरेखा स्पष्ट होने पर ही इसका ठीक स्वरूप सामने आ सकता है। उसके प्रकाश में ही इसकी सही तुलना बुनियादी तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा से भी की जा सकती है। यदि यह उनकी तुलना में निबल लगे तो फिर उनके स्थान पर यह नया नाम देकर इसको स्थान का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। उन्ही योजनाओं को सचेत करके निष्ठापूर्वक चलाने का पुनः प्रयत्न किया जाय। बिना पूरी तरह सोचे-समझे एक योजना को चला देना समय, शक्ति तथा धन का अपव्यय ही करना है। समझ के बिना न आस्था पैदा होती है और न आस्था के बिना सफलता मिलती है।

जो कार्यानुभव आयोग ने सुझाये हैं वे तो बुनियादी तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की सतत चलनेवाली दस्तकारियों और उद्योगों के साथ भी हो सकते हैं।

नया नाम नयी योजना शिक्षकों का नया प्रशिक्षण और विद्यार्थियों का नया शिक्षण और वह भी सब अस्पष्टता के कोहरे से धिरा, कुछ विचित्र तथा अटपटा ही लग रहा है। अब हमारी शिक्षा नीति सबल बनकर व्यक्ति तथा राष्ट्र को समस्याओं को हल करने में समर्थ हो सकेगी? कुछ नहीं कहा जा सकता। ●

कार्यानुभव :

बेसिक शिक्षा के उद्योग का विकल्प

वंशीधर श्रीवास्तव

शिक्षा-आयोग ने राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के लिए जिन सस्तुतियों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया है, उनमें कार्यानुभव (वर्क एक्सपीरियन्स) भी एक है। आयोग ने माना है कि कार्यानुभव शिक्षा को जीवन से जोड़ने की एक कड़ी है। हमारी शिक्षा जीवन की वास्तविक परिस्थितियां से दूर ले जाने-वाली वितावी और अनुत्पादक है। कार्यानुभव द्वारा वह उत्पादक बनेगी। अतः आयोग की सस्तुति है कि कार्यानुभव को प्रत्येक स्तर पर सामान्य अथवा व्यावसायिक शिक्षा का अभिन्न अंग बना दिया जाय।

कार्यानुभव की कल्पना

आयोग के अनुसार कार्यानुभव की परिभाषा है—“छात्रों द्वारा विद्यालय में, घर में, खेत में, कारखाने में, अथवा किसी भी दूसरी उत्पादक परिस्थिति में जो जीवन की यथार्थ परिस्थितियों से मिलती-जुलती है, सक्रिय भाग लेना।” (आयोग का प्रतिवेदन - पृष्ठ-७-१ २५) आयोग लिखता है—“कुछ दिन पूर्व गांधीजी ने इस देश में बेसिक शिक्षा के रूप में एक प्रान्तिकारी प्रयोग किया था। कार्यानुभव की सकल्पना मुलत बेसिक शिक्षा की सकल्पना के ही समान है। हम कह सकते हैं कि यह सकल्पना उनके शैक्षिक विचारों की, उस समाज के सन्दर्भ में जो औद्योगीकरण के मार्ग पर चल रहा है, पुनर्बुद्धियां (रि-बेफिन्शन) है। (पृष्ठ-८-१.२८) मैं इसे यों समझता हूँ कि आयोग द्वारा सस्तुत कार्यानुभव बेसिक शिक्षा के उद्योग का विकल्प है—बदली परिस्थितियों के लिए बदला हुआ विकल्प। कम-से-कम शिक्षा-आयोग ऐसा ही मानता है। वह दानों में बहान अन्तर करके नहीं देखता। इसीलिए वह एक दूसरे स्थान पर (पृष्ठ-२०२-८ ७५) कहता है कि—“कार्यानुभव की सकल्पना का बेसिक शिक्षा के जीवन-दर्शन से निकट का सम्बन्ध है। बेसिक शिक्षा का

कार्यक्रम भी प्राइमरी स्कूल में सभी बच्चा के लिए कार्यानुभव की शिक्षा थी, यद्यपि जो उद्योग पाठ्यक्रम के लिए प्रस्तावित किये गये थे उनका सम्बन्ध गाँव के घरेलू उद्योग घघा से ही था और यद्यपि अम्पास में वेसिक शिक्षा कुछ गिल्लो (क्राफ्टो) में ही सीमित हो गयी थी, फिर भी उसने शिक्षा का उत्पादकता से जोड़ने के मूलभूत सिद्धांत पर हमेशा जोर दिया था। अब आवश्यकता इस बात की है कि वेसिक शिक्षा के कार्यक्रमों को उस समाज की आवश्यकता के अनुरूप बनाया जाय, जिसे विज्ञान और तस्नीकी सहायता से बदलना है। दूसरे शब्दा में, कार्यानुभव को नयी समाज-व्यवस्था के अनुरूप प्रगतिगामी (फारवर्ड लुकिंग) होना चाहिए।'

प्रतिवेदन के आठवें अध्याय में पाठ्यक्रम की चर्चा करते हुए आयोग ने फिर लिखा है कि— हमलागा द्वारा प्रस्तावित कार्यानुभव की कल्पना वेसिक शिक्षा के उत्पादक उद्योग के समान ही है। शिक्षा के प्रारम्भिक स्तर पर दीना कार्यक्रमों के बीच की समानता बहुत निकट की है।" (पृ १०६) इस स्तर के लिए आयोग ने कार्यानुभव के जो पाठ्यक्रम सुझाये हैं उनकी इस स्तर की वेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम से लगभग अभिनता-सा है। नीचे दी हुई सूचियाँ से यह स्पष्ट हो जायगा —

वेसिक शिक्षा के उद्योग मुख्य और गौण

(कक्षा १ से ८ तक)

- १ पुस्तक शिल्प (बुक क्राफ्ट) बागज और गत्ते का काम
- २ कतार्ई-धुनाई
- ३ गृह विज्ञान (सिलाई, धुनाई, कढ़ाई, रसोई बनाना, गृह-मुसज्जा, रोगी शुश्रूषा, आदि ।)
- ४ बागवानी और खेती
- ५ बेंत और धाँस का काम
- ६ चमड का काम
- ७ काष्ठकला (बडईगिरी)
- ८ धातु का काम
- ९ साबुनसाजी
- १० टेलरिंग (दर्जी का काम)
- ११ रगाई-धपाई
- १२ पशुपालन और दुग्धशाला का काम
- १३ फल संरक्षण

- १४ दरी मिचर, आसन गलीचे बुनना
- १५ मधुमक्खी पालन
- १६ हाथ-कागज बनाना
- १७ मिट्टी का काम और बतन बनाना

आयोग द्वारा सस्तुत कायानुभव

लोअर प्राइमरी (कक्षा १ से ५ तक)

- १ कागज काटना
- २ गत्त काटना और मोडना
- ३ मिट्टी अथवा प्लास्टिक के माडल बनाना
- ४ कनाई जहाँ वातावरण के स्वभाविक हो
- ५ सरल सिलाई
- ६ गमले अथवा खेत में पीधे उगाना
- ७ गाक छद्मी उगाना

उच्च प्राइमरी (कक्षा ६ से ८ तक)

- १ बेंत और बान का काम
- २ चमडे का काम
- ३ बतन बनाना
- ४ मुई का काम (सिलाई कनाई)
- ५ बुनाई
- ६ बागवानी
- ७ माडल बनाना
- ८ फट वक
- ९ फाम पर काम करना (खेती)

लोअर सेकेण्डरी (कक्षा ९ १०)

- १ लकड़ी का काम
- २ घातु का काम
- ३ टोकरी बनाना
- ४ चमड़े का काम
- ५ सेरेमिक्स
- ६ साबुन बनाना
- ७ चमड़ा सिझाना
- ८ बुनाई

- ६ विजली की मरम्मत
 १० भोजन बनाना
 ११ माडल बनाना
 १२ सरल वैज्ञानिक यंत्र बनाना
 १३ कमरे की सुसज्जा
 १४ गलीचा दरी बनाना
 १५ जिल्दमाजी
 १६ खिलौने बनाना
 १७ कपड़े की छपाई
 १८ लिनोकटिंग
 १९ लकड़ी पर खोदाई का काम
 २० सरल कृषि के यंत्र बनाना
 २१ पशुओं की देखभाल
 २२ भूमि की देखभाल
 २३ चक्राप प्रैक्टिस

हायर सेकेण्डरी

क्रियाएँ लोअर सेकेण्डरी की ही भाँति, परंतु अधिक चक्राप प्रैक्टिस ।

वस्तु, शिक्षा-आयोग ने कार्यानुभव की जो व्याख्या की है, उससे बेसिक शिक्षा की समानता पर जो जोर दिया है, और ऊपर कार्यानुभव की जो सूची दी है, उससे नीचे लिखी बातें स्पष्ट हो जाती हैं —

१—शिक्षा-आयोग की राय में कार्यानुभव बेसिक शिक्षा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धान्त—उद्योग के सिद्धान्त—का प्रसार है, आयोग के शब्दों में—
 उद्योगोन्मुख नये समाज की पृष्ठभूमि में बेसिक शिक्षा के एक सिद्धान्त की पुनर्जाँच है ।

२—अतः कार्यानुभव के लिए जो काम चुना जाय वह इस प्रकार का हो, जिसका शैक्षिक मूल्य हो जैसा मूल अथवा गौण उद्योग का बेसिक शिक्षा में था । शैक्षिक मूल्य उसी काम का होता है, जिसमें बौद्धिक प्रक्रिया निहित होती है । हाथ के जिस काम से बुद्धि का विकास हो, वही कार्यानुभव के लिए चुना जाय । बेसिक शिक्षा में उद्योग बौद्धिक विकास का साधन था । विद्यार्थी यदि किसान और मजदूर की तरह उत्पादन मात्र के लिए यात्रिव ढंग से काम करता है तो उस काम के लिए न तो बेसिक शिक्षा में कोई स्थान था और न कार्यानुभव में उसे कोई स्थान मिलना चाहिए । अतः जो यह समझने है कि कार्यानुभव का मूल आश्रय उत्पादन पर है अतः सिद्धान्त पक्ष पर ध्यान न देकर करवरी माच, '६८]

काम पर ही ध्यान दिया जाय, और जिस प्रकार एक किसान या मिस्री उत्पादन करता है, उसी प्रकार उत्पादन का अनुभव छात्रा को दिया जाय, वे गलत समझते हैं। स्कूल में शारीरिक धम सम्बन्धी चार प्रकार के काम होते हैं—खेतरना, खेलकूद, अव्यवस्थित काम और शैक्षिक काम। कार्यानुभव के अन्तर्गत अन्तिम प्रकार के काम ही आने चाहिए। यह राय उन शिक्षा विशारदों की भी है, जो वायानुभव पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के पाठ्यक्रम और मूल्यांकन विभाग द्वारा आयोजित 'कार्यानुभव सेमिनार' में शामिल हुए थे। उनको स्पष्ट राय है कि कार्यानुभव में शैक्षिक और सामाजिक उपलब्धि का अधिक मूल्य है, आर्थिक उपलब्धि तो गौण है। यहाँ कार्य का अर्थ है 'शैक्षिक कार्य', अर्थात् इस प्रकार का कार्य जो छात्र के मस्तिष्क के संस्कार में सहायक हो सक, तत्पूण ढंग से सोचना सिखलाये, और उसके चरित्र के विकास का साधन हो। इस प्रकार का काम जो केवल शारीरिक ढंग से किया जाय कार्यानुभव के कार्यक्रम में नहीं आना चाहिए। वही काम जो सम्योजन सिखाया जाय और कुशलतापूर्वक सीखा जाय तथा बुद्धिमानी के साथ किया जाय, कार्यानुभव कहलायगा। संक्षेप में बेसिक शिक्षा में मूल उद्योग चुनने के लिए जो बातें थी, वही बातें कार्यानुभव के लिए भी होनी चाहिए। उसे शीकिया एक "हॉबी" के तौर पर करना अपना कुछ पैसा कमाने के लिए यत्नवत् करना गलत है।

३—कार्यानुभव के लिए वही प्रवृत्तियाँ चुनी जायें, जिनका सम्बन्ध समुदाय की आवश्यकताओं से हो, नहीं तो प्रयोजनहीन होने से उनका सामाजिक और आर्थिक महत्व नहीं रहेगा और वे अनुत्पादक बन जायेंगी। उत्पादकता को आयोग ने कार्यानुभव की आवश्यक शर्त रखी है। कार्यानुभव एक समाजोपयोगी उत्पादक प्रवृत्ति है। समाज अपने को धारण करने के लिए जिन उद्योग-व्यवहों का अवलम्बन करता है और जिन परिस्थितियों में काम करता है, उनसे विभिन्न परिस्थितियों में कार्यानुभव का अन्वेषण समाज-विमुक्त होने से निरर्थक होगा। समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन में जो कार्यक्रम चलाता है, उन कार्यक्रमों में भाग लेने से ही उपयोगी कार्यानुभव की प्राप्ति होगी। अन् हाथ के जिस काम के द्वारा छात्र अपनी क्षमता के अनुकूल समुदाय में उपयोग होने योग्य वस्तुओं का निर्माण नहीं करते, उस काम को कार्यानुभव के कार्यक्रम में स्थान नहीं देना चाहिए। एक ऐसी प्रवृत्ति जिसका अन्त समाजोपयोगी वस्तु के निर्माण में नहीं होता, और जो केवल खिलवाड़ बनकर रह जाता है, उसे कार्यानुभव में स्थान नहीं मिलना चाहिए। क्षमता और साधन होने पर भी यदि छात्र ऐसा सूत्र कातते हैं, जिसका कोई उपयोग नहीं हो सकता तो उसे 'कार्यानुभव' की श्रेणी में

नहीं रखा जायगा। प्रौढों की शिक्षा के लिए बधाएँ चलाना अत्यन्त महत्व का काम है। परंतु मैं इसे भी कार्यानुभव के श्रेणी में नहीं रखता। इसी प्रकार दूसरे समान-सेवा के कार्यों को कार्यानुभव के अन्तर्गत मानना ठीक नहीं होगा।

४—कार्यानुभव में उन्हीं प्रवृत्तियों अथवा उद्योग धन्यों को स्थान मिलना चाहिए, जिनका एका कक्षा से दूसरी कक्षा तक क्रमिक विकास सम्भव हो। अगर कार्यानुभव का लक्ष्य विद्यार्थी के व्यक्तित्व को सम्पन्न बनाना है, तो विद्यालय में शिक्षा की जो प्रक्रियाएँ चल रही हैं, उनके साथ कार्यानुभव के लिए चुनी हुई प्रवृत्ति का पूर्ण समन्वय भी होना चाहिए। और यह समन्वय तभी सम्भव होगा, जब कार्यानुभव शैक्षिक दृष्टि से एक पूरी प्रक्रिया हो। प्रक्रिया का सतत विकास उसके शैक्षिक होने की आवश्यक शर्त है। बालक की बौद्धिक और शारीरिक क्षमताओं के साथ-साथ क्रिया का भी विकास होना चाहिए। आयोग ने इस के जिस कार्यानुभव का उदाहरण दिया है, (सल्लीमेन्ट्री नोट II, आयोग का प्रतिवेदन—पृष्ठ २२१-१२) उसमें पेपर कटिंग, कार्डबोर्ड अथवा प्लेस्टीकोन और मिट्टी के काम अथवा पोथो का उगाना और बागवानी अथवा सिलाई, कढ़ाई और बुनाई आदि की सभी प्रक्रियाएँ अपने क्रमशः विकसित रूप में कक्षा ८ तक चलती हैं। पहली कक्षा की सरल प्रक्रियाएँ आगे की कक्षाओं में क्रमशः अधिक उन्नत प्रक्रियाओं का रूप लेती जाती हैं। पेपर कटिंग का विकास क्रमशः काडबोर्ड और लकड़ी के काम में और बागवानी का विकास घेती में होता है। ये सारी प्रक्रियाएँ स्कूल के दूसरे विषयों से जैसे जीव शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, सामान्य विज्ञान आदि से भी सम्बन्धित रहती हैं। इस प्रकार का यह सम्बन्ध बेसिक शिक्षा में भी है, और अगर कार्यानुभव को शिक्षा की दृष्टि में भी उपयोगी होना है तो उसका उस प्रकार सम्बन्ध स्कूल के दूसरे विषयों से भी रहना चाहिए। कार्यानुभव उत्पादन की योजना नहीं है, शिक्षा की योजना है, शिक्षा को उत्पादक बनाने की योजना है। कार्यानुभव को बर्द और मजदूर की तरह केवल उत्पादन की योजना मात्र बना लेने से उसमें से शिक्षा का तत्त्व खतम हो जायगा। तब उससे व्यक्ति का संस्कार नहीं बनेगा। अतः राजस्थान के शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तावित पुस्तिका के कतिपय मार्गदर्शक सिद्धान्तों में दिया हुआ यह कथन कि कार्यानुभव का प्रयोजन उद्योग शिक्षा न होकर उत्पादन है, अतः एक किसान या मिस्त्री जैसा प्रकार उत्पादन करता है उसी प्रकार का अनुभव छात्रों को दिया जाना चाहिए, भ्रामक है। यह पूरी योजना को गलत समझना-समझाना है। और राजस्थान का यह दृष्टिकोण राष्ट्रीय शिक्षा-संस्थान द्वारा आयोजित सेमिनार में स्वीकृत नहीं हुआ।

५—टाकर जाकिर हुसैन ने शैक्षिक कार्य के चार लक्षण बताये हैं कार्य की समस्या को समझना, उसको पूरा करने के लिए योजना बनाना, उसका कार्यान्वयन और मूल्यांकन। कार्यानुभव के लिए जो प्रवृत्तियाँ चुनी जायें उनके सम्पादन में ये चार लक्षण हों, नहीं तो प्रवृत्ति का शैक्षिक मूल्य नष्ट हो जायगा।

६—कार्यानुभव विद्यालय के पाठ्यक्रम का अविभाज्य अंग है। उसे पाठ्यक्रम में न रखकर केवल एक पाठ्यक्रमकेतर विषय अथवा हावी अथवा फुटकर प्रवृत्ति की तरह मानना गलत होगा। अतः कार्यानुभव की योजना अनिवार्य रूप से सभी विद्यार्थियों के लिए होनी चाहिए। कार्यानुभव पाठ्यक्रम का अंग है और पाठ्यक्रम के दूसरे विषयों की तरह टाइमटेबुल में उसकी व्यवस्था करनी चाहिए।

७—विद्यालय के दूसरे विषयों का जो महत्व है वही महत्व कार्यानुभव का भी होना चाहिए और उसका मूल्यांकन भी होना चाहिए तथा छात्र की कम्पोजिशन पर भी इसका प्रभाव पड़ना चाहिए। मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन का विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग किया जाय। अध्यापक और विद्यार्थी नियमित रूप से कार्यानुभव की प्रगति का लेखा रखें और कार्यानुभव की प्रयोजन और शैक्षणिक परिणामों का हिसाब। इस कार्य का मूल्यांकन सतत प्रक्रिया हो और आंतरिक मूल्यांकन को सफल पद्धति का विकास किया जाय क्योंकि केवल बाह्य परीक्षा द्वारा कार्यानुभव का सफल मूल्यांकन नहीं हो सकता।

८—कार्यानुभव के लिए कितना समय दिया जाय वह काम करनेवाले छात्रों की अवस्था और क्षमता कार्यानुभव की प्रकृति और स्थानीय परिस्थिति पर निर्भर करेगा, फिर भी कार्यानुभव के लिए विद्यालय के कुछ समय का एक-तिहाई से कम नहीं मिलना चाहिए, ऐसा विचार उन सभी शिक्षाशास्त्रियों का था, जो ऊपर लिखे हुए भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यानुभव के सेमिनार में शामिल हुए थे। अर्थात् यदि स्कूल में प्रतिदिन काम के लिए कुल छह घंटे हों तो कम-से-कम दो घंटे कार्यानुभव के लिए रखे जायें और ये दो घंटे लगातार हों। इससे कम समय देने में कार्यानुभव बिलबाद रह जायगा और कार्यानुभव को पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बनाने का लक्ष्य ही समाप्त हो जायगा।

कार्यान्वयन

कार्यानुभव के कार्यान्वयन के लिए आयोग ने साधन और प्रशिक्षित अध्यापकों की बात रखी है। यह ठीक है, क्योंकि साधन और प्रशिक्षित अध्यापकों के अभाव में कार्यानुभव की योजना उगी प्रकार असफल रहेगा जिस प्रकार बेसिक

शिक्षा अनेक प्रदेशों में रही है। अतः कार्यान्वयन की समस्या के हल के लिए आयोग ने तीन बातें सुझायी हैं (पृष्ठ-२०२, २०३-८.७८) :—

१. अध्यापकों का प्रशिक्षण

इस कार्य के लिए प्रत्येक राज्य में विशेष संस्थाएँ खोली जायें। आयोग ने पंजाब राज्य का उदाहरण दिया है और आशा प्रकट की है कि इसी प्रकार का प्रवन्ध अन्य राज्य भी करेंगे। प्रत्येक स्कूल में प्रशिक्षित अध्यापक का होना आवश्यक है। दूसरे देशों में इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए बुद्धाल और अर्ध-कुशल कारीगरों और व्यावसायिक स्कूलों के स्नातकों का, जिन्हें अध्यापक के काम का अल्पावधि प्रशिक्षण दे दिया जाता है, इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ भी, जहाँ सम्भव हो, इसे करना चाहिए। ऐसे अध्यापक एक या एक से अधिक स्कूलों में काम करें।

२. साधन

यथाशक्ति गाँव के स्कूलों के साथ उचित फार्म संलग्न किये जायें, परन्तु जब तक यह न हो गाँव के खेतों में कृषि सम्बन्धी कार्यानुभव दिये जायें। गाँव और शहर के बड़े-बड़े स्कूलों में कारखाने (वर्कशाप) खोले जायें, जिससे उद्योगों की वैज्ञानिक शिक्षा दी जा सके।

३. कार्यक्रम का विकास

आयोग ने सुझाव दिया है कि कार्यान्वयन के लिए १९६७-६८ तक सभी स्तर के एक प्रतिशत स्कूलों में योजना आरंभ कर दी जाय। १९७१-७२ तक २० प्रतिशत स्कूल योजना के अन्तर्गत आ जायें और १९७६-७७ तक सभी स्कूलों में कार्यानुभव की योजना लागू हो जाय।

उन सुझावों को देते समय निःसन्देह आयोग के सामने बेसिक शिक्षा के प्रसार की कठिनाइयाँ रही हैं और उसने अनुभव किया है कि साधन और प्रशिक्षित अध्यापकों के बिना कार्यानुभव की योजना भी सफल नहीं होगी। परन्तु चूँकि बेसिक शिक्षा के विगत २० वर्षों के प्रयोग के फलस्वरूप देश के अधिकांश विद्यालयों में शिल्प का कार्यक्रम चल रहा है और जो स्कूल बेसिक नहीं हैं वहाँ भी किसी-न-किसी प्रकार के हाथ का काम होता है, अतः सभी प्रकार के स्कूलों में कार्यानुभव का कुछ-न-कुछ काम तो आरम्भ किया ही जा सकता है और जिन बेसिक स्कूलों में साधन और प्रशिक्षित अध्यापक दोनों ही मौजूद हैं, वहाँ तो शिल्प का पूर्ण कार्यक्रम प्रारम्भ करना ही चाहिए। बेसिक स्कूलों में चलनेवाला शिल्प का कार्यक्रम कार्यानुभव की योजना का “प्रारम्भ बिन्दु” बन सकता है। जहाँ भी सम्भव हो, पड़ोस के खेतों, फार्मों और फरवरी-मार्च, '६८]

कारखानों में भी अनुभव दिया जाय, परन्तु देश की परिस्थिति को देखते हुए, इसकी सम्भावनाएँ कम हैं और राज्य को विद्यालय के भीतर ही कार्यानुभव प्रदान करने का प्रबन्ध करना चाहिए ।

उचित वातावरण का सृजन

कार्यानुभव की दृष्टि से समाज में उचित वातावरण के सृजन की भी आवश्यकता है । देश में उचित वातावरण के अभाव में कार्यानुभव का वेत्ते हुए विरोध होगा, जैसे वैसिक शिक्षा का हुआ है । वैसिक शिक्षा के विरोध के कारण सबको ज्ञात है । जो परिस्थितियाँ वैसिक शिक्षा के प्रारम्भ के पहले देश में थी, तोस वष के बाद भी वैसी ही हैं । आज भी बौद्धिक बग में शारीरिक श्रम के प्रति विरोध की भावना है । अंग्रेजी का मोह और हाथ से काम न करने का भाव आज भी ज्या-का-ज्यो है । और इसमें सन्देह नहीं कि देश का बौद्धिक बग कार्यानुभव की योजना का वेत्ते ही विरोध करेगा, जैसे उसने वैसिक का किया था । आयोग ने तीन सुझाव ऐसे दिये हैं, जिन्हें अगर ईमानदारी से कार्यान्वित किया गया तो देश में अनुकूल हवा बनेगी और कार्यानुभव की योजना सफल होगी । ये सुझाव हैं—

१ क्षेत्रीय भाषाओं को प्रारम्भिक स्तर की शिक्षा से लेकर उच्चतम स्तर की शिक्षा का माध्यम बनाना ।

२ सार्वजनिक शिक्षा के लिए एक सामान्य विद्यालय प्रणाली (कामन सिस्टम आफ पब्लिक एजुकेशन) का सृजन और

३ समाज-सेवा के कार्यों को सभी स्तर की शिक्षा का अभिन्न अंग बना लेना ।

मेरा विचार है कि अगर हमारी शिक्षा प्रणाली ने इन तीनों सुझावों को नहीं अपनाया और इनमें से किसी एक का भी विरोध हुआ तो कार्यानुभव की योजना सफल नहीं होगी । इन तीनों सुझावों का कार्यान्वयन, ईमानदारी से शीघ्रताशीघ्र कार्यान्वयन, कार्यानुभव की योजना की सफलता की आवश्यक शर्तें हैं । और अगर कार्यानुभव की योजना सफल नहीं हुई अर्थात् देश के प्रत्येक छात्र ने अपने हाथ से समाजोपयोगी काम करना न सीखा तो पढ़े लिखे बेकारों की पीढ़ी बढ़ती रहेगी और देश की शिक्षा-पद्धति देश को ऐसे कार्य-कुशल नागरिक नहीं दे सकेगी, जिसकी इस उद्योगो-मुख कृषि प्रधान देश को आवश्यकता है । इसीलिए आयोग ने कार्यानुभव को शिक्षा के व्यावसायीकरण की आवश्यक शर्त रखी है । ●

ZANDU and Dhanvantari

Since 1910,
has been within
the reach of
every one, even in
the remote-corner
of our country in
Quality, Reliability &
Economy

This 55 years old firm
has been based on the
sound principles of
aid to the ailing
to restore the health, &
prosperity within
their means

In keeping pace with
the times, this
**Sign & Seal of
Confidence**



to-day is a leading
name in the
manufacturing of
**AYURVEDIC, ALLOPATHIC,
'OLOGICAL, MEDICINES.**



ZANDU
PHARMACEUTICAL
WORKS LTD
Gokhale Road South Bombay 28 (INDIA)

माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण

सुरेश भटनागर

शिक्षा-आयोग ने माध्यमिक ही नहीं शिक्षा के सभी स्तर पर शिक्षा का व्यावसायीकरण प्रस्तावित किया है क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली को पढ़े लिखे ऐसे बेकार नहीं उत्पन्न करता है जिन्हें अपने हाथ में कुछ करना ही नहीं आये बल्कि ऐसे कुशल एवं व्यावहारिक व्यक्तियों का निर्माण करना है जो पढ़ने लिखने के अलावा समाजोपयोगी उत्पादक धंधों के करने की क्षमता भा र्खते ह।

युग का बदलता मा यनाओं क बीच हमारा देग प्रगति की दौड़ में अय उन्नत देगा की तुलना में सैकड़ों वष पीछ है। हम चाहते हैं हम उन्नत देगा के समकक्ष आ जाय। इस प्रक्रिया म हम जब तक उनके समकक्ष पहुँचेंगे वे और भी आगे व चुँवेंगे इसका कारण है हमारे ज्ञान का आधुनिक विज्ञान तथा तकनीकी के साथ सम्बन्ध नहीं रहता है। अब हमें अपनी शिक्षा प्रणाली को अ धुनिक विज्ञान और तकनीक पर भी आधारित करना होगा।

इसलिए आयोग ने उत्पादन तथा उत्पादन के आपसी सम्बन्धों पर विचार करके शिक्षा क पुनर्निर्माण की योजना का आधार इस प्रकार प्रस्तुत किया है —

- १ विज्ञान शिक्षा एवं ससृष्टि आधार होना चाहिए।
- २ सामान्य शिक्षा म कायानुभव अभिन्न अंग के रूप में आना चाहिए।
- ३ उद्योग कृषि तथा व्यापार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का व्यावसायीकरण होना चाहिए।
- ४ कृषि तथा सम्बन्धित विज्ञान पर विशेष बल देते हुए विश्वविद्यालय स्तर पर बौद्धिक तथा प्राविधिक शिक्षा की व्यवस्था हानी चाहिए।

माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण क्या ?

शिक्षा-आयोग के व्यावसायीकरण की कल्पना का स्वरूप आगे दिया जा रहा है —

प्रारम्भिक स्तर की शिक्षा

'कक्षा ७ या ८' के बाद लगभग २० प्रतिशत विद्यार्थी पठना छोड़कर काम-घरे में लग जायें और लगभग २० प्रतिशत किसी व्यवसाय की शिक्षा में। शेष ६० प्रतिशत सामान्य शिक्षा की धारा में बने रहें।

इसी प्रकार १० वष की सामान्य शिक्षा के बाद अर्थात् निम्न माध्यमिक स्तर के बाद भी लगभग ४० प्रतिशत विद्यार्थी पठना लिखना छोड़कर काम-घरे में लग जायें और लगभग ३० प्रतिशत व्यावसायिक शिक्षा में। शेष लगभग ३० प्रतिशत सामान्य शिक्षा की धारा में २ वर्ष तक और अर्थात् कक्षा १२ तक बने रहें।

इस व्याख्या के बाद अध्याय २१८ में आयोग ने सुझाव दिया है कि कक्षा १० तक सबको सामान्य शिक्षा दी जाय और इस कक्षा तक न किसी प्रकार स्पेशलाइजेशन हो और न ट्राइपलपाइंड कोर्सेज का प्रबन्ध हो। स्पेशलाइजेशन कक्षा ११ से प्रारम्भ हो और इस स्तर पर अर्थात् उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कक्षा ११ और १२ के विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न विषय लेने की सुविधा हो। परन्तु वे चाहे विज्ञान में विशेष योग्यता प्राप्त करें अथवा कला के विषयों में प्रत्येक दशा में, उन्हें वापसिभव, आर्ट और ड्राफ्ट के विषय लेने होंगे। इस प्रकार इन दोनों विषयों को रखकर आयोग ने इस सामान्य शिक्षा को भी व्यावसायोमुख बनाया है, जिससे कक्षा १२ की सामान्य शिक्षा के बाद भी प्रत्येक विद्यार्थी को हाथ से उपयोगी काम करने का अनुभव हो। अगर वह उच्च व्यवसाय की शिक्षा में न भी जाना चाहे तो किसी घरे में लग सके। इस प्रकार जो विद्यार्थी सामान्य शिक्षा की धारा में न रहे, आयोग ने उनके लिए प्रारम्भिक स्तर के बाद और सेकेंडरी स्तर के बाद भी, व्यावसायिक शिक्षा की सत्सुति की है चाहे वह अशकालीन हो अथवा पूणकालीन।

शिक्षा-आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण के लिए जो कल्पना की है उसके अनुसार निम्न माध्यमिक "लोअर सेकेंडरी" स्तर पर अर्थात् कक्षा ८ से १० तक २० प्रतिशत छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा १६८५ ८६ तक प्राप्त हो जानी चाहिए। इसी प्रकार कक्षा ११ १२ में १६८५ ८६ तक ५० प्रतिशत छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा देने की कल्पना आयोग ने की है।

आयोग लिखता है, 'जिन महत्वपूर्ण सुधारों को हम सुझा रहे हैं, उनमें से एक है उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में कुल छात्र संख्या का ५० प्रतिशत लेना भी है।

(आयोग प्रतिवेदन, पृष्ठ १७३ ७ ४७)

आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के दोनो स्तरों पर व्यावसायिक शिक्षा के सम्बन्ध में अपने विचार इस प्रकार दिये हैं—

१ निम्न माध्यमिक स्तर

१ औद्योगिक प्रशिक्षण-संस्थानों में प्राथमिक शिक्षा के पश्चात् के पाठ्यक्रम भी है। यदि इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश की आयु १४ वर्ष कर दी जाय तो प्राथमिक पाठशाला से निकलने के पश्चात् छात्रों की बहुत बड़ी संख्या इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले लेगी। यह आयु १६ वर्ष है और इसे घटाकर १५ वर्ष कर दिया गया है।

२ वे छात्र जो कक्षा ६ या ८ के पश्चात् पढ़ना छोड़ देते हैं, वे पारिवारिक व्यवसाय में काम करते हैं। कुछ का विचार यह होता है कि वे लघु स्तरीय उद्योग या व्यापार करेंगे। ऐसे लोगों के लिए अशकालीन पाठ्यक्रमों की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे वे योग्यता प्राप्त कर सकें एवं अपने कौशल का विकास कर सकें।

आयोग ने सस्तुति की है—“शिक्षा विभाग में अलग से एक अनुभाग की स्थापना की जाय जो ऐसे युवकों के सम्पर्क में रहे और उन्हें पूणकाल या अशकाल के आधार पर सामान्य शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण का उचित अवसर प्रदान करे।”

३ ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश छात्र परिवार के खेतों में काम करेंगे। उन्हें भावी शिक्षा के साथ-साथ सामान्य शिक्षा एवं व्यावसायिक कुशलता का प्रशिक्षण प्राप्त करने के अवसर प्रदान किये जायें।

४ लड़कियाँ बहुत बड़ी संख्या में विद्यालय छोड़ने के तुरत या कुछ देर बाद, विवाह कर लेती हैं। उनके लिए गृहविज्ञान तथा सामान्य शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। (पृष्ठ १७३, ७४८)

२ उच्चतर माध्यमिक स्तर

आयोग ने इस स्तर पर बहुत बड़ी संख्या में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की है —

१ आयोग का सुझाव है कि पूर्वकालीन अध्ययन की सुविधाया के प्रसार के साथ-साथ, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, अशकालीन पाठ्यक्रम की व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे वह प्रवर्धित उद्योगों, दिन के पश्चात्, मिले-जुले एवं पत्राचार पाठ्यक्रमों के द्वारा हो।

२ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अधिकांश पाठ्यक्रम ऐसे हों, जिनकी प्रवेश-योग्यता कक्षा १० उत्तीर्ण हो।

३ ये पाठ्यक्रम स्वास्थ्य, व्यापार, प्रशासन, लघु उद्योग एवं ऐसे कार्यों

का प्रशिक्षण दें, जिनका समय छह मास से तीन वर्ष तक का हो एव छात्रों की प्रमाणपत्र या डिप्लोमा दिया जाय।

शिक्षा-आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण पर इतना अधिक जोर दिया है कि इस अभियान को चलाने के लिए केन्द्र सरकार को, केन्द्र-शासित राज्यों को सहायता देने की सस्तुति को है। अमेरिका या सन्दर्भ देते हुए आयोग ने सब सरकार पर ही माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण का दायित्व सीमा है। (पृष्ठ १७४, ७४६)

माध्यमिक स्तर पर विद्यमान व्यवस्था के अनुरूप व्यावसायी शिक्षा का प्राविधान उतना नहीं है, जितना आगामी बीस वर्षों में चाहिए। वर्तमान की स्थिति निम्न सारिणी से स्पष्ट हो जायगी।

सारिणी—१

व्यावसायिक विद्यालयों के प्रकार (१९६१-६२)

[आयोग प्रतिवेदन, पृष्ठ १८२]

क्रम	संस्थाओं के प्रकार	संस्थाओं की संख्या	कुल छात्र	संस्थानुसार छात्र संख्या
१	कृषि	१०६	८,४२८	८०
२	इंजिनियरिंग तथा प्राविधिक	२६५	८६,२२८	२६२
३	चिकित्सा	१७७	११,२५७	६४
४	शिक्षक प्रशिक्षण	१,१३४	१,२१,६५२	१०७
	सभी व्यावसायिक संस्थान	३,८४६	४,१६,०६३	१०६

माध्यमिक स्तर पर ये विद्यालय केवल ३ प्रतिशत आवश्यकता पूरी करते हैं। १९६५-६६ में इसमें २२ प्रतिशत वृद्धि हुई। १९८५-८६ में निम्न माध्यमिक स्तर पर २० प्रतिशत वृद्धि होनी चाहिए, यह परिवर्तन आयोग की रही है।

शिक्षा-आयोग ने आगामी बीस वर्षों में व्यावसायिक विद्यालयों में २४,१०,००० छात्रों के प्रवेश की व्यवस्था की है। इसी प्रकार व्यावसायिक महाविद्यालयों में ६,८७,३०० छात्रों की व्यवस्था की है, जो कुल छात्र-संख्या का ४३ प्रतिशत है। आयोग ने अपना लक्ष्य ५० प्रतिशत निर्धारित किया है।

शिक्षा-आयोग का लक्ष्य

शिक्षा-आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की प्रगति तथा उपलब्धि किस प्रकार आँकी है, यह इस सारिणी से स्पष्ट हो जायगा।

सारिणी—२

माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा

[आयोग प्रतिवेदन, पृष्ठ १७२]

स्तर वर्ष	व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश (हजारों में)			कुल प्रवेश का प्रतिशत		
	छात्र	छात्राएँ	योग	छात्र	छात्राएँ	योग
वर्ग ८ से १०						
१९६५-६६	६० (१६७)	४७ (१६२)	१०७ (१६७)	१६	३३	२२
१९७०-७१	२२२ (१६७)	११३ (१६२)	३३५ (१६६)	३४	५०	३८
१९७५-७६	५४६ (१६७)	२७२ (१६२)	८१८ (१६६)	६०	७६	६४
१९८०-८१	१,३४४ (१६७)	६५५ (१६२)	१,९९९ (१६६)	११०	१२४	११४
१९८५-८६	३,३०५	१,५६८	४,८७३	२००	२००	२००
वर्ग ११ से १२						
१९६५-६६	४७७ (८६)	८७ (१२६)	५६४ (६३)	४०७	३८५	४०३
१९७०-७१	७२१ (८६)	१५७ (१२६)	८७८ (६५)	४२५	४०२	४२१
१९७५-७६	१,०८६ (८६)	२८४ (१२६)	१,३७० (६५)	४६३	४४५	४५६
१९८०-८१	१,६४५ (८६)	५१४ (१२७)	२,१५९ (६७)	४८१	४७२	४७६
१९८५-८६	२,५०२	६३४	३,१३६	५००	५००	५००

विद्यालयी स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा

आयोग ने विद्यालयी स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के विकास के लिए अपने विचार इस प्रकार प्रकट किये हैं।

१. केन्द्र-सरकार की ओर से १४ से १८ वर्ष के लड़के-लड़कियों के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने के प्रयत्न करने चाहिए। इसके लिए अमेरिका के स्मिथ-सूडोएवट के समानान्तर संघ-सरकार पर ही इसका उत्तरदायित्व होना चाहिए। व्यावसायिक संस्थागत मार्ग-प्रदर्शन, निर्देशक मूचनाएँ एवं अन्य सामग्री प्रधानाध्यापकों, अध्यापकों, अभिभावकों के लिए बनाने हेतु कार्य करें।

२. जहाँ तक प्रतिभाशाली छात्रों का प्रश्न है, उन्हें अलग से पाठ्यक्रम न दिलाकर उसीके अन्तर्गत सघन कार्य कराकर इस अभाव को पूरा किया जा सकता है।

३. इस समय देश में ३५६ पालीटेकनीक संस्थान हैं, जिनमें ११,१३,००० छात्रों के अध्ययन की व्यवस्था है।

४. आयोग ने जूनियर टेकनीकल स्कूलों के नाम को बदलकर 'टेकनिकल हाईस्कूल' कर देने की सिफारिश की है। आई० टी० आई० तथा टेकनीकल हाईस्कूल 'उत्पादनोन्मुख प्रशिक्षण' की व्यवस्था करें।

कक्षा ११ तथा १२ के लिए अधिकांश सत्या में पाठ्यक्रम प्रस्तुत किये जाने चाहिए। आयोग ने कहा है—इस स्तर पर, पालीटेकनीक संस्थानों के साथ-साथ हमारी सामान्य शिक्षा-प्रणाली को भी व्यावसायिक करना होगा।

व्यावसायीकरण का अभिन्न अंग : कार्यानुभव

व्यवसाय के प्रति निष्ठा उत्पन्न करने के लिए आयोग ने कार्यानुभव प्रस्तावित किया है। कार्यानुभव को आयोग ने इस प्रकार परिभाषित किया है— हम कार्यानुभव को विद्यालय, घर, कार्यशाला, खेत, फैक्ट्री या किसी अन्य उत्पादक कार्य में सहयोग देने के रूप में परिभाषित करते हैं।

आयोग ने शिक्षा के हर स्तर पर कार्यानुभव लागू करने की बात कही है। कार्यानुभव का मूल आधार है—'विद्यार्जन तथा घनार्जन' की प्रक्रिया को साथ-साथ सम्पन्न करना। वास्तविकता यह है कि कार्यानुभव से श्रम के प्रति निष्ठा का दृष्टिकोण विकसित होगा।

आयोग ने उच्च कक्षाओं में कार्यानुभव के बारे में कहा है—उच्च कक्षाओं में यह कला शिक्षण का रूप ले सकता है, जिससे छात्र की रचनात्मक योग्यता एवं प्राविधिक चिन्तन का विकास हो, तब भी कार्यानुभव, जीवन की वास्तविक फरबरी-मार्च, '६८]

परिस्थितियों में दिया जा सकता है, जैसे—कटाई या बुवाई के समय खेतों पर काम कराना या किसी पारिवारिक इकाई में किसी प्रकार का उत्पादन-कार्य करना एवं इसी प्रकार के अवसरों का अधिकाधिक उपयोग करना ।

आयोग ने कहा है—हर विद्यालय या विद्यालयों के समूह के लिए एक कार्यशाला की व्यवस्था आगामी दस वर्षों में हो जानी चाहिए । कार्यानुभव कार्यशाला प्रशिक्षण का स्वरूप निम्न माध्यमिक स्तर पर ले सकता है । उच्चतर माध्यमिक स्तर पर जहाँ पर छात्र अधिक परिपक्व होते हैं और तुलना में उनकी संख्या भी कम होती है, उन्हें कार्यानुभव कार्यशाला, खेतों एवं औद्योगिक तथा व्यापारिक संस्थानों में दिया जाना चाहिए । (पृष्ठ २०२, ८ ७३)

विद्यालय शिक्षण में अनेक प्रकार की सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है । उन सामग्रियों का उत्पादन भी कार्यानुभव के द्वारा विद्यालयों एवं संस्थानों में होना चाहिए । कहा गया है कि कुछ चुने हुए संस्थान (वैज्ञानिक तथा तकनीकी) पूर्ण स्तर पर उत्पादन करें और कुछ संस्थानों में विद्यालयों एवं कालेजों के लिए कार्यशाला एवं प्रयोगशाला में काम आनेवाले यंत्रों का उत्पादन हो और कुछ संस्थाएँ फर्नीचर, सहायक सामग्री आदि का उत्पादन करें ।

छात्रवृत्ति और व्यावसायीकरण

आयोग ने माध्यमिक स्तर पर अनेक प्रकार की छात्रवृत्तियों की व्यवस्था, व्यावसायीकरण के लिए की है । आयोग के शब्दों में—व्यावसायिक विद्यालयों में छात्रवृत्तियों का प्राविधान अधिक है । यह अनुपात सामान्य शिक्षा की छात्रवृत्तियों से अधिक है । इससे आगे विकास के आधार इस प्रकार होने चाहिए १—प्रवेश में उदारता की नीति, २—छात्रवृत्तियों की घनराशि में वृद्धि । (पृष्ठ ११८, ६ ३१)

भारत जैसे देश में अधिकांश व्यक्ति अपने बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा इसलिए नहीं दिला पाते कि उनकी आर्थिक स्थिति इस योग्य नहीं होती । इसीलिए आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियों की मात्रा में उदारता की मस्तुति करके व्यावसायीकरण को सफल बनाने का प्रयत्न किया है ।

व्यावसायीकरण उपलब्धियाँ

माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण से अनेक समस्याओं का अंत हो जायगा । ये समस्याएँ अभी विकराल हैं । बाद में इनका दमन होगा । आयोग ने बुनियादी शिक्षा के समान ही नौकरियों को प्रोत्साहित नहीं किया है । देश का प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र की आवश्यकता के लिए कार्य करे और उसके कार्य का हर अंश राष्ट्र विकास में योग दे, यही आयोग की नीति है ।

व्यावसायीकरण के उपयोग से हानिकारी उपलब्धियाँ द्रग प्रकार हामी—

१ राजगार एव शिक्षा का सम्मन्ध सीधा हा जायगा ।

२ व्यक्ति को जीवन यापन करने के लिए दपनरो की अपेक्षा आने बाजुओ पर निर्भर करने की क्षमता का विकास होगा ।

३ शिक्षा के व्यावसायीकरण से देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी एव जन शक्ति के निदाशन का उपयोग किया जायगा ।

४ हर पढ़े लिखे व्यक्ति को प्रमाण पत्र के साथ-साथ रोजगार दिया जा सकेगा ।

५ छात्रो म शिक्षा की साद्देयता का दृष्टिकोण विवमित होगा । उन्हें अनुभव होगा कि राष्ट्र निर्माण के लिए उनकी भी आवश्यकता है ।

६ माध्यमिक शिक्षा क व्यावसायीकरण से भारतीय परिस्थितिया एव सीता का उचित उपयोग किया जा सकगा ।

७ विज्ञान तथा तकनीका की आधार मानने से आधुनीकरण की दिशा म प्रगति होगी ।

इसलिए आयाग ने स्पष्ट सस्तुति की है—माध्यमिक स्तर की शिक्षा का व्यावसायीकरण कर दिया जाय । और इतने व्यवसायी-पाठ्यक्रम प्रारम्भ कर दिये जायें कि माध्यमिक स्तर की कुल सख्या के आधे विद्यार्थी उनमें खप सकें ।

वास्तविकता यह है कि माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण नयी योजना नहा है, परंतु देश की दतमान स्थिति का देखने हुए यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दें । यह तभी सम्भव हो पायग जब शिक्षा क हर स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा दी जायगी । माध्यमिक स्तर शिक्षा के सभा स्तरों से अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसके पश्चात् ५० प्रतिशत छात्रों को जीवनयापन के लिए प्रयत्न करने पड जाते हैं । यदि इस अवसर पर उन्हें काम नहा दिया गया ता मानव शक्ति का अप व्यय हागा । मानव शक्ति का अपव्यय राष्ट्र की क्षति है । अत माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण आवश्यक है ।

वाली अनेक विषम एवं गम्भीर समस्याओं का समाधान सरलता से किया जा सकता है। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के शिक्षा-संस्थानों में जो समस्याएँ उठती रहती हैं, उनका सीधा सम्बन्ध छात्र और अभिभावकों से प्रायः नहीं रहता है। इनका मुख्य सम्बन्ध अध्यापकों के वेतन और वृत्ति-सम्बन्धी कुछ सुविधाओं तक सीमित रहता है। समस्याओं की विविधता और विकरालता तो शिक्षा के उच्च स्तर अर्थात् कालेज और विश्वविद्यालयों में देखने में आती है। कोठारी-आयोग ने कालेज और विश्वविद्यालय स्तर के शिक्षा-क्षेत्र में उठनेवाली विविध समस्याओं पर बड़ी गम्भीरता से विचार किया है और जो सुझाव दिये हैं, वे बड़े ही महत्वपूर्ण हैं।

कोठारी-आयोग ने विश्वविद्यालयों के स्वरूप, शिक्षा, विकास और उनमें उठनेवाली वैयक्तिक समस्याओं पर तथा सामान्यतः सम्बद्ध कालेजों और उनकी समस्याओं पर पृथक् रूप से विचार किया है।

विश्वविद्यालयीय शिक्षा

सामान्यतः दो प्रकार के विश्वविद्यालय होते हैं, एक तो वे जो विविध प्रकार के शिक्षण के साथ ही अध्येताओं और अध्यापकों के आवास की व्यवस्था भी करते हैं। इन्हें आवासीय विश्वविद्यालय कहा जाता है। प्राचीन भारत में बड़े-बड़े विश्वविद्यालय लक्ष्मिला, नालंदा, विक्रम, नागर्षक प्रभृति आवासीय विश्वविद्यालय ही थे। आधुनिक भारत के विश्वविद्यालयों का गठन बहुत कुछ पश्चिमीय देशों के विश्वविद्यालयों के आधार पर किया गया है। इसलिए उनके गुण और दोष इनमें भी आये हैं। कोठारी-आयोग के सदस्यों के मस्तिष्क में भारतीय विश्वविद्यालयों के गठन पर विचार करते समय, आदर्श पश्चिमीय विश्वविद्यालय ही रहे हैं। उन्होंने भारत के आवासीय विश्वविद्यालयों के जो उद्देश्य निर्धारित किये हैं, वे बड़े ही उदात्त एवं सार्वभौम हैं। समाज के सर्वांगीण विकास एवं उन्नति का दायित्व आयोग ने विश्वविद्यालयों पर ही डाला है। सामान्य शिक्षा से लेकर विविध क्षेत्रों में उच्च स्तर के शोध-कार्यों के साथ ही साथ प्रौढ शिक्षा जैसे अति महत्वपूर्ण कार्यों का भार भी इन्हीं पर डालने की सिफारिश आयोग ने की है। आयोग ने विश्वविद्यालयीय शिक्षा के जो आदर्श निर्धारित किये हैं, संक्षेप में वे इस प्रकार हैं

(१) ज्ञान के नये प्रकाश को प्राप्त कर सत्य के अन्वेषण में पूरी दक्षिण एवं निष्पक्षता से व्याप्त रहते हुए प्राचीन शास्त्रों के ज्ञान भण्डार की युग के नये ढालों में अनुस्यूत व्याख्या करना।

(२) जीवन के सभी क्षेत्रों में उचित नेतृत्व का विकास करना एवं युवक और युवतियों में बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक

और मानसिक उन्नति करते हुए नैतिक मूल्यों के प्रति आस्था जागृत करना ।

- (३) कृषि, कला, आयुर्वेद, विज्ञान, तकनीकी, शिल्प प्रभृति समाजोपयोगी क्षेत्रों के लिए सुयोग्य स्त्री-मुह्यता को उपयुक्त प्रशिक्षण देना ।
- (४) सामाजिक न्याय और समानता का प्रोत्साहन देते हुए उपयुक्त शिक्षा से सामाजिक वैषम्य और भेद भाव को मिटाना ।
- (५) सुसंस्कृत व्यक्ति एवं समाज के निर्माण के लिए आवश्यक उदात्त विचार और मूल्यों की अध्यापक तथा छात्रों में स्थापना ।

आज के सामाजिक एवं शैक्षिक विकास क्रम में कुछ विशिष्ट प्रकार के दायित्व भारतीय विश्वविद्यालयों को अपने ऊपर अवश्य लेने चाहिए । जैसे—

- (क) राष्ट्र की बौद्धिक चेतना के विकास के लिए समुचित प्रयत्न ।
- (ख) प्रौढ शिक्षा के प्रसार के कार्यक्रम ।
- (ग) दुर्बल एवं बोझिल सामाजिक रूढ़ियाँ का परित्याग ।
- (घ) शिक्षित जीवन के विकास के लिए देश में केन्द्रों का निर्माण ।

निम्नांकित तीन कार्यक्रमों को आगामी बीस वर्षों में अवश्य क्रियान्वित कर लेना चाहिए—

- (क) उच्च शिक्षा के स्तर और अनुसंधान कार्यों में मौलिक विकास होना चाहिए ।
- (ख) राष्ट्रीय आकाशमों की पूर्ति के लिए बहुमुखी उच्च शिक्षा का प्रसार होना चाहिए ।
- (ग) विश्वविद्यालयों की कार्यविधि तथा प्रशासन-व्यवस्था में सुधार होना चाहिए ।

कोठारी शिक्षा-आयोग द्वारा निर्दिष्ट ये उद्देश्य और आदर्श ऐसे हैं, जिनकी देग के बहुमुखी विकास के लिए वस्तुतः ही आवश्यकता है । ये आधारभूत बातें हैं । इनके बिना कोई भी विकासशील देश उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ नहीं सकता । अतः उच्च शिक्षा के विकास एवं प्रसार में उक्त सिद्धान्तों की उपेक्षा नहीं की जा सकती ।

प्रमुख विश्वविद्यालय

कोठारी शिक्षा-आयोग ने कुछ प्रमुख (मेजर) विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए सन्तुति की है । नयी भूमि में, नये सिरे से इनकी स्थापना की आवश्यकता नहीं है । परन्तु वर्तमान विश्वविद्यालयों में से ही लगभग छह को प्रमुख

विश्वविद्यालयों के रूप में विकसित करने के लिए कहा गया है। इनमें एक आई. आई. टी. और एक कृषि विश्वविद्यालय को सम्मिलित अवश्य करना चाहिए।

१. प्रत्येक प्रमुख विश्वविद्यालय में स्नातक स्तरीय तथा स्नातकोत्तर स्तरीय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा दी जानी चाहिए।
२. प्रमुख विश्वविद्यालय के प्रत्येक विभाग में कार्यकर्ताओं की नियुक्ति विशेष छान-बीन के पश्चात् सुयोग्य व्यक्तियों की होनी चाहिए एवं प्रत्येक विभाग में एक परामर्शदात्री समिति की स्थापना अवश्य की जानी चाहिए।
३. यह आवश्यक है कि प्रमुख विश्वविद्यालयों में उच्चस्तरीय अध्ययन के लिए लगभग पचास अध्ययन-केन्द्रों की स्थापना हो। भारतीय भाषाओं के विशेष अध्ययन की व्यवस्था भी अवश्य की जानी चाहिए।

सामान्य विश्वविद्यालय

दूसरे सामान्य विश्वविद्यालयों की प्रगति की ओर भी पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रमुख विश्वविद्यालयों के विशिष्ट प्रतिभावान् स्नातकों को प्राध्यापकों के रूप में दूसरे विश्वविद्यालयों में नियुक्त किया जाना चाहिए। इनमें लेक्चरर, रीडर और प्रोफेसरो को विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की आर्थिक सुविधाएँ देनी चाहिए। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि इन विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कालेजों के प्राध्यापकों को प्रमुख विश्वविद्यालयों में कुछ समय के लिए अवस्य निवास करना चाहिए। विश्वविद्यालयों एवं कालेजों के विशिष्ट विद्वान् और वैज्ञानिकों को बुलाकर, विशिष्ट क्षेत्रों में अनुसन्धान-कार्य को प्रोत्साहन देना चाहिए तथा विशेषज्ञों को व्याख्यानमालाओं का भी प्रवन्ध करना चाहिए।

सम्बद्ध कालेजों का विकास

कोटारी मिश्रा-आयोग ने जिस प्रकार से सामान्य विश्वविद्यालयों में से छह को प्रमुख स्थान देकर विशिष्ट विद्या में विकसित करने का सुझाव दिया है, उसी प्रकार से कुछ समुन्गत सम्बद्ध कालेजों को भी विश्वविद्यालयों की सीमा में पूणक् स्वतन्त्र रूप से विकसित करने का सुझाव दिया है। पहले भी कुछ विशेष प्रकार की संस्थाओं को सीमित अधिकारसम्पन्न विश्वविद्यालय का दर्जा देकर उनके कार्य को प्रोत्साहन दिया जाता रहा है। गुरुकुल कांगड़ी, काशी विद्यापीठ, दिल्ली की जामिया मिल्लिया, अहमदाबाद का गुजरात विद्यापीठ प्रभृति इसी प्रकार की संस्थाएँ हैं। ये स्वायत्त हैं और स्वयं परीक्षाएँ लेकर छात्रों को परी-मात्र, '६८]

को उपाधियाँ वितरित करती है। आयोग के सुभाव के अनुसार यदि सम्बद्ध कालेजों का स्वायत्त रूप में विकास किया जायगा तो उनका स्वरूप उक्त सस्याबा जैसा हो होगा या कुछ भिन्न, इस सम्बन्ध में अभी से स्पष्ट भविष्य वाणी करना सम्भव नहीं है। यह उनके स्वरूप और कार्य पर निर्भर करेगा।

तीन श्रेणियाँ

कोटारी शिक्षा-आयोग ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उपर्युक्त तीन प्रकार की सस्याबों का सुझाव दिया है। आई० आई० टी० और कृषि विश्वविद्यालय तो पहले से ही अपने विशिष्ट क्षेत्र में स्वतन्त्र रूप से कार्य कर ही रहे हैं। उनके छात्र और अध्यापक दोनों को ही अन्य विश्वविद्यालयों से अधिक ही सुविधाएँ प्राप्त हैं, कम नहीं। इनको प्रमुख विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने पर कार्य की अधिक सुविधाएँ प्राप्त होगी, इसमें सन्देह नहीं। आज भी इनमें चयन के पश्चात् विशिष्ट छात्र ही प्रविष्ट हो पाते हैं। आगे यह चयन और भी कठिन बन सकता है। अन्य प्रकार के प्रमुख विश्वविद्यालयों में मानव सम्बद्ध अनेक अर्थ विषयों का विशिष्ट अध्ययन हो सकता है। इनमें भी विशिष्ट प्रतिभा के छात्र ही प्रवेश पा सकते हैं। कुछ सम्बद्ध कालेजों को विश्वविद्यालयों से स्वायत्त रूप में विकसित करने में उनके भूतकाल के अच्छे कार्य को मान्यता एवं प्रोत्साहन देना ही मुख्य प्रतीत होता है। वस्तुतः सम्बद्ध कालेजों की स्वायत्तता का क्षेत्र यह होना चाहिए (१) उनमें प्रवेशार्थी छात्रों का चयन (एक निश्चित स्तर और उद्देश्य को दृष्टि में रखकर), (२) प्राध्यापकों की नियुक्ति और तरक्की (३) पाठ्य विषयों का निर्धारण (४) अध्यापन-पद्धति, परीक्षा तथा अध्यापन का माध्यम, (५) शोध-कार्य को दिनाएँ तथा क्षेत्र।

अध्यापन में सुधार

आयोग ने विश्वविद्यालयों एवं कालेजों के अध्यापन में सुधार के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं—

- (१) प्रत्येक विश्वविद्यालय एवं उच्चस्तरीय कालेज में एक सम्पन्न पुस्तकालय के लिए हर प्रकार का प्रयत्न होना चाहिए। अच्छा पुस्तकालय किसी भी शिक्षण-संस्था का मेरुदण्ड होता है, जिसके पुष्ट आश्रय के बिना छात्र और अध्यापक दोनों ही दुबल रहते हैं।
- (२) छात्रों में मौलिक चिन्तन की प्रवृत्ति को जागृत एवं प्रोत्साहित करना चाहिए। बिना समझे विषयों को रटकर परीक्षा पास करने की वृत्ति को अनुत्साहित करना चाहिए।

(३) किसी प्राध्यापक को वर्ष के एक सत्र में सात दिन से अधिक अनुपस्थित नहीं रहना चाहिए ।

(४) प्राध्यापको की सभी नयी नियुक्तियाँ वार्षिक वर्षारम्भ से पूर्व अवकाश के दिनों में कर देनी चाहिए और किसी प्राध्यापक को सत्र बीच में छोड़ने की अनुमति नहीं देनी चाहिए ।

इसके साथ ही आयोग को यह सिफारिश भी जोर देकर करनी चाहिए कि 'सत्र के मध्य में किसी अध्यापक को सेवामुक्त न किया जाय ।'

(५) अध्यापन पद्धति में सुधार के लिए वि० ज० आ० के द्वारा एक विद्वान् समिति की नियुक्त की जानी चाहिए ।

(६) सब वार्षिक विश्वविद्यालयों में बाह्य परीक्षाओं के स्थान पर वही वे अध्यापको द्वारा छात्रों के कार्य का मूल्यांकन किया जाना चाहिए ।

(७) परीक्षा को पारिधमिक देना बन्द कर देना चाहिए और वर्ष में किसी भी अध्यापक को पाँच से उत्तरपुस्तकों से अधिक नहीं दी जानी चाहिए ।

अन्तिम सुभाव कुछ अव्यवहार्य सा प्रतीत होता है । किन्तु विश्वविद्यालयीय परीक्षाओं में जब बाह्य परीक्षक नियुक्त नहीं किये जायेंगे और वहाँ के अध्यापक छात्रों के कार्य के आधार पर उसका मूल्यांकन करेंगे तो उसके लिए उन्हें अतिरिक्त पारिधमिक देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । परन्तु इस सिद्धान्त का, जब तक की यह परीक्षा-पद्धति समाप्त नहीं कर दी जाती, सर्वत्र पालन व्यवहार्य एवं वाञ्छनीय नहीं है ।

शिक्षा का माध्यम

आयोग ने सिद्धान्त रूप में तो विश्वविद्यालय स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं का माध्यम के रूप में स्वीकार किया है, किन्तु इसके कार्यान्वयन की अवधि इस वर्ष निर्धारित की है । इसने साथ ही आयोग ने स्नातक वक्ताओं तक ही क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम के रूप में स्वीकार किया है । स्नातकोत्तर वक्ताओं के लिए तो केवल अंग्रेजी को ही माध्यम बनाये रखने की सिफारिश की है । अध्यापकों के लिए क्षेत्रीय भाषा के ज्ञान के साथ अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक माना है ।

ऐसा प्रतीत होता है कि आयोग के मत से अंग्रेजी के बिना शिक्षा में पूर्णता सम्भव नहीं है । कम-से-कम उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए तो अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान आवश्यक है ही । अंग्रेजी के ज्ञान के बिना किसी परबरी भाषा, '६८]

भारतीय विद्वविद्यालय में किसी भी विषय की उच्च शिक्षा प्राप्त करना सम्भव नहीं है। इसीलिए बी० ए० को प्रथम वर्ष में अंग्रेजी को एक ऐच्छिक पाठ्य-विषय के रूप में पढ़ाने की सिफारिश की है।

आयोग ने उच्च शिक्षा पर विचार करते समय भाषाओं के अध्ययन-क्रम में संस्कृत की कहीं चर्चा तक नहीं की है। संस्कृत की उपेक्षा करके न तो हम अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को समृद्ध बना सकते हैं और न 'भारतीयता' की ही रक्षा कर सकते हैं। संस्कृत का आश्रय लेकर ही आज तक क्षेत्रीय भाषाएँ पनपनी, फूलती और फलनी रही हैं। संस्कृत एक ऐसा स्रोत है, जो सहस्रा वर्षों से संकट भरा भाषाओं को विपुल शब्द राशि लुटाकर भी 'अक्षय' बना हुआ है और रहेगा। उसकी रचना कुछ ऐसी वैज्ञानिक पद्धति पर हुई है कि उसका शब्द भंडार कभी समाप्त हो ही नहीं सकता। विश्व की ऐसी कोई शिष्ट भाषा नहीं है, जो किसी-न किसी रूप में संस्कृत की अनुजीवी न रही हो।

छात्रों में अनुशासन की समस्या

कोठारी शिक्षा-आयोग का ध्यान छात्रों में अनुशासन की समस्या की ओर भी आकृष्ट हुआ है। इसके समाधान के लिए आयोग ने कुछ सुझाव दिये हैं। यदि विद्वविद्यालयों और कालेजों के अधिकारी उन सुझावों पर ईमानदारी से मनल करें तो कुछ अगो तक छात्रों का समस्याओं का समाधान प्राप्त किया जा सकता है। आयोग के कुछ सुझाव इस प्रकार हैं —

- (१) सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं में नव प्रविष्ट छात्रों के मार्गदर्शन के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था या कार्यक्रम होने चाहिए, जिससे वे नये वातावरण में स्वयं को अनुकूल बना सकें। प्रत्येक छात्र को एक शिक्षा परामर्शदाता से सम्बद्ध कर देना चाहिए, जिससे वे अपनी कठिनाइयों उसके समक्ष प्रस्तुत कर सकें और वह उन्हें उनके सामान्य जीवन एवं अध्ययन-कार्यक्रम में समुचित सहायता दे सके।
- (२) लगभग २५ प्रतिशत स्नातक कक्षाओं के छात्रों को और ५० प्रतिशत स्नातकोत्तर कक्षाओं के छात्रों को छात्रावासों में निवास की सुविधा मिल जानी चाहिए। विद्यालयों में केवल अध्ययन के लिए आने वाले छात्रों के लिए भी अध्ययन-कक्ष होने चाहिए, जिनके साथ जलपान-गृह हो जो अल्प मूल्य पर सन्तुष्ट दें।
- (३) एक सहस्र छात्र-समूह के लिए कम-से-कम एक परामर्शदाता अवश्य होना चाहिए।

- (४) न केवल सत्र काल म अपितु अवकाश के समय मे भी विविध प्रकार के उपयोगी कार्यक्रमो को चलाने के लिए एक छात्र कल्याण समिति होनी चाहिए, जो पूरे समय कार्य करे ।
- (५) प्रत्येक छात्र छात्रसघ का सदस्य रहेगा, परन्तु छात्रसघ का समूहन इस प्रकार का होना चाहिए कि प्रत्येक छात्र को किसी-न किसी आयोजन में अवश्य ही भाग लेने का अवसर प्राप्त हो जाय ।
- (६) छात्रमण्डल का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन-पद्धति से विविध छात्र-परिपदो के द्वारा होना चाहिए तथा उन छात्रो को पदाधिकारी नही बनाना चाहिए, जो दो या तीन वर्ष पर्यन्त एक ही धेणी में रहे है ।
- (७) छात्र और अध्यापको को एक सयुक्त समिति की स्थापना होनी चाहिए जो छात्रो की वास्तविक कठिनाइया को समझे और उन्हें दूर करे ।
- (८) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रतिवर्ष किसी विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालयो एव कारेजो के छात्रसघो के प्रतिनिधियो का एक सम्मेलन आयोजित करना चाहिए ।
- (९) शिक्षा का सम्बूहन कुछ इस प्रकार का होना चाहिए कि युवक और युवतियाँ शिष्टता के मूल्य को समझे और अपने आचरण में लायें ।
- (१०) बडी ईमानदारी से छात्रो की शिक्षा-सम्बन्धी कठिनाइयाँ दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए और एक सन्त-सम्पन्न कार्यपालिका की स्थापना होनी चाहिए जो अगान्ति की घटनाओ की रोक-थाम कर सके ।

ऊपर की पणितयो से यह बात स्पष्ट है कि आज के छात्रो की अनुशासन हीनता के कारणो का आयोग ने गम्भीरता से अध्ययन किया है तथा उसे दूर करने के लिए कुछ उपयोगी सुझाव भी दिये हैं, जो वस्तुतः महत्वपूर्ण हैं ।

हमारे युग और हमारी वर्तमान शिक्षा-पद्धति का एक सबसे बडा दोष यह है कि उसमें कहीं पर भी नैतिक शिक्षा पर ध्यान नही दिया जाता है । घर से विश्वविद्यालय पर्यन्त यह स्थिति एव जैसी ही है । एव शिशु माता की गोद से विश्वविद्यालय की शिक्षा पर्यन्त, घोरक से यौवन की सीडी तक, धोखा, भूठ-फरेव, छत्र-चपट, बेईमानी आदि व दूषित वातावरण में स्वस लेते-लेते आगे करवरी-मार्च, '१८]

बढ़ता चलता है। नैतिक घरातल पर चरित्र का निर्माण और विकास करने-वाले आलोक से वह प्रायः वंचित रहता है। यही कारण है कि वयस्क होने पर या उससे पूर्व भी, झूठ बोलने में, झल-वपट करने में, बलास में या बाहर घोखा देने में, लड़कियों का पीछा करने में, बंदों को अनमानित करने में, बिना परिधम के परीक्षाओं में अच्छी धेणी प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों के प्रयोग करने में, दूषित कार्य करके भी सदा अस्वीकारने में, हडताल या आन्दोलन का दबाव डालकर अन्याय्य वाता को भी मनवाने आदि कार्यों के करने में वह कभी भिन्नकृता नहीं है। सुभ परामर्श भी बहुधा उसे अगुम प्रतीत होता है। इसलिए छात्रा का सुधार करने से पूर्व उस समाज को ही सुधारने की आवश्यकता है, जो उन्हें दूषित बनाता है और पयभ्रष्ट करता है। आज स्वार्थ और निम्न स्तर की राजनीति का प्रवेश प्रत्येक क्षेत्र में हो गया है। शिक्षा का क्षेत्र भी उससे अछूता नहा रहा है। अवाछनीय व्यविनया ने सरस्वती के मन्दिरा का भी दूषित कर दिया है। नि सदेह, अनुशासनहीनता की समस्या गम्भीर है, परन्तु इसका सम्बन्ध केवल छात्र-वर्ग से नहीं, पूरे समाज से है—शोकसभा में लेकर सामपचायन तक। सबने परिशोधन की आवश्यकता है। तभी इस गम्भीर समस्या का वास्तविक समाधान प्राप्त हो सकता है।

इसमें सन्देह नहीं कि कोठारी शिक्षा-आयोग ने छात्रों में सार्वभौम रूप से व्याप्त अनुशासनहीनता पर गम्भीरता से विचार किया है एवं उसको दूर करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण परामर्श दिये हैं। आयोग ने स्थिति की गम्भीरता को खूब आँका है, किन्तु उसके कारणों की परीक्षा में वह अधिक गहरायी तक नहीं उतर पाया है। मेरे विचार में किसी भी समस्या के समाधान का हल खोजते समय उसके मूल कारणों की खोज अवश्य करनी चाहिए। अनुशासित माना पिता, अनुशासित परिवार, अनुशासित समाज, अनुशासित शिक्षक, अनुशासित प्रिंसिपल, अनुशासित प्रबन्धक, अनुशासित उप-कुलपति, अनुशासित नेतागण, अनुशासित शासक (प्रधान मंत्री, मुख्यमंत्री एवं मन्त्रिगण), अनुशासित राज्य-कर्मचारी जब तक अनुशासन-बद्ध नहीं बनते हैं तब तक नयी पीढ़ी में अनुशासन-बद्धता की आशा करना व्यर्थ है।

छात्रा में अनुशासनहीनता की समस्या के समाधान के लिए आयोग ने जो सुझाव दिये हैं, कालेज और विश्वविद्यालयों के प्रबन्धक यदि उन्हें पूर्ण रूप से म्रियान्वित करें तो आशा करनी चाहिए कि एक अच्छी मात्रा में स्थिति में सुधार हो सकता है। ●

'नयी तालीम' मासिक का प्रकाशक-वक्तव्य

('यूजपेपर रजिस्ट्रेशन ऐक्ट (फाम न० ४, नियम ८) के अनुसार हर एक जलवार के प्रकाशक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के साथ साथ अपने अखबार में भी वह प्रकाशित करनी होती है । तदनुसार यह प्रतिलिपि यहाँ दा जा रही है । —स०)

- | | |
|--|--|
| (१) प्रकाशन का स्थान | वाराणसी |
| (२) प्रकाशन का समय | माह में एक बार |
| (३) मुद्रक का नाम | श्रीकृष्णदत्त भट्ट |
| राष्ट्रीयता | भारतीय |
| पता | नयी तालीम मासिक
राजघाट वाराणसी-१ |
| (४) प्रकाशक का नाम | श्रीकृष्णदत्त भट्ट |
| राष्ट्रीयता | भारतीय |
| पता | नयी तालीम मासिक,
राजघाट वाराणसी-१ |
| (५) सम्पादक का नाम | धीरेन्द्र भजूमदार |
| राष्ट्रीयता | भारतीय |
| पता | 'नयी तालीम मासिक,
राजघाट वाराणसी-१ |
| (६) समाचार-पत्र के संचालकों का नाम-पता | सब सेवा सघ (वर्धा) राजघाट वाराणसी
(सन् १८६० के सोसायटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट २१ के अनुसार रजिस्टर्ड सावजनिक संस्था)
रजिस्ट्र न० ५२] |

मे श्रीकृष्णदत्त भट्ट यह स्वीकार करता हूँ कि मेरी जानकारी के अनुसार उक्त विवरण सही है ।

वाराणसी, ता० २६ २ ६८

—श्रीकृष्णदत्त भट्ट
प्रकाशक

शालाओं में सामुदायिक जीवन

के० एस० आचार्य

यह बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि शिक्षा-आयोग ने सुझाया है कि "प्रत्येक शिक्षा सस्था को अपने यहाँ सुन्दर सामुदायिक जीवन का विकास करना चाहिए और उसमें अधिकाधिक भाग लेने का तथा उसका सगठन-संचालन करने का पूरा-पूरा अवसर छात्रों को देना चाहिए। शाला की बसाओ में, छात्रालयों में, खेल के मैदानों में और अन्य क्षेत्रों में भी इसके लिए पर्याप्त अवसर मिल सकते हैं। उदाहरण के लिए छात्र नौकरो का काम खुद कर सकते हैं। छात्रालयों से सम्बन्धित धर्म-काय कर सकते हैं, कक्षाओं में भी अनेक प्रकार के काम कर सकते हैं। ऐसे कामों से न केवल धर्मनिष्ठा निर्माण होगी, बल्कि काफी आर्थिक व्यय भी बच सकता है। इस बारे में शिक्षा-आयोग ने बुनियादी प्रशिक्षण-सस्थाओं की परम्पराओं की प्रशंसा की है, जहाँ नौकर चाकर, रसोइये आदि कोई अतिरिक्त श्रमिक नहीं रखे जाते हैं। आयोग ने सिफारिश की है कि सभी स्कूल-कालेजों में बुनियादी शिक्षा-सस्थाओं को यह सामुदायिक जीवन पद्धति लागू की जानी चाहिए।

नयी तालीम का सिद्धान्त और व्यवहार, दोनों ने स्कूलों में सामुदायिक जीवन के महत्व पर काफी बल दिया है। यह सामुदायिक जीवन प्राकृतिक तथा सामाजिक वातावरण में औद्योगिक क्रान्तियों के साथ शिक्षण का एक उत्तम माध्यम है। छात्रों में बौद्धिक, भावनात्मक तथा नैतिक बाह्यनीय वृत्तियों, संस्कारों, क्षमताओं के निर्माण तथा विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालनेवाली सस्था स्कूल कालेज है। इस बात की ओर ध्यान देना अत्यन्त आवश्यक है कि शालाओं का जीवन मुख्यतः लोकतन्त्रात्मक है या नहीं, क्योंकि जो समाज लोकतन्त्रात्मक जीवन-व्यवस्था को महत्व देता है, उसके लिए आवश्यक मनोवृत्ति, रुचि तथा प्रवृत्ति पर शालेय जीवन का ही विशेष प्रभाव पड़नेवाला है। यदि बचपन से ही बच्चों को शालेय जीवन में यह संस्कार दिया जाय और अनुकूल अवसर दिये जायें कि वे जिम्मेदारी निभा सकें, अधिकार का सद्विनियोग कर सकें, साधियों की

शालोचना सुन सर्वे इत्यादि, तो आज के जैसे अव्यवस्थित, पथभ्रष्ट, और कुत्सित राजनीतिक सत्ता की हीड के भड़के दृश्य न देखने पड़ें। आज स्कूलों में पाठ्यक्रम की पढाई में, प्रतियोगिताप्रधान प्रवृत्तियों में, खेल के मैदानों में और नौकरशाह प्रशासन में ऐसे जीवन की नींव डाली जा रही है, जो आगे चलकर नौकरशाह और सामाशाह बनाये, अनुशासनहीन, गैर-जिम्मेदार और बर्बलोलुप नागरिक तैयार करे।

जीवन में लोकतंत्र के मूल्य को प्रतिष्ठित करना बड़ा कठिन है। पाठ पढाना और उसका महत्व समझाना ही पर्याप्त नहीं है। उससे कुछ नहीं बनता। यदि शाला का सामुदायिक जीवन ही इस प्रकार से सगठित किया जाय कि छात्र प्रत्यक्ष जीवन में लोकतान्त्रिकता का अनुभव कर सकें, तभी छात्रों में सामाजिक तथा लोकतांत्रिक मूल्य रूढ़ हो सकते हैं। प्रेम, पडोसी से प्रेम, आपसी सहभाव आदि सामाजिक गुण तभी आ सकेंगे, जब इनका परस्पर-सम्बन्धों में प्रत्यक्ष अनुभव करने का मौका मिले।

प्र० एम० एल० जैक्स के अनुसार छात्रों में सहयोगी वृत्ति और मैत्री भावना का विकास छात्रों के नित्य जीवन में परहित चिन्ता के अभ्यास का परिणाम है। इसके लिए छात्रों को शालेय समाज के हित में अपनी जिम्मेदारी निभाने का, स्वयं अनुशासित रहने का सतत अभ्यास करना होगा, उनकी बुद्धि इस ढंग से तैयार होनी चाहिए कि वे स्पष्टता के साथ, भावुकता छोड़कर तर्कशुद्ध रीति से विचार कर सकें, उनको इस बात का अनुभव मिलना चाहिए कि सहयोग से तथा शुद्ध साधनों से उत्तम लक्ष्य सिद्ध होते हैं। उक्त संज्ञन का कहना है कि ये सारे गुण शालेय जीवन की स्वाभाविक विशेषताओं का परिणाम है। शाला की विशेषता यह होनी चाहिए कि "वहाँ आत्मविश्वास का वातावरण हो, सहयोग की पृष्ठभूमि हो, न्यायपूर्ण जीवन हो, जिम्मेदारियों का सुन्दर और व्यापक विभाजन हो, किशोरावस्था की प्रतिभाओं के खिलने के लिए पर्याप्त अवसर हो, स्वार्थ के बजाय सहकार की भावना हो और पढाई की पद्धति विवेकपूर्ण और प्रतिभासम्पन्न हो। ऐसी सहज विशेषता जिस शालेय जीवन में हो और उसे पर्याप्त ज्ञान का आधार मिल जाय तो वहाँ इतनी सहकारिता की भावना निष्पन्न होगी, जो संकष्ट व्याख्यानों से भी प्राप्त नहीं हो सकती।" (एम० एल० जैक्स—"माइनें ट्रेण्डस इन एजुकेशन")

यह दुर्भाग्य की बात है कि आज हमने छात्रों के सामने जिस लोकतान्त्रिक सगठन का नमूना पेशा किया है, वह केवल राजनीतिक ढाँचा है। उसका नित्य जीवन-स्वचरार के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहा है, जीवन का प्रमुख अंग बनना तो दूर रहा। यही देखने में आता है कि लोकतांत्रिक पद्धति ससद, विधान-परचरी-माचं, '५८]

मण्डल और राजनीतिक पक्षों की बैठकों तक ही सीमित हो गयी है। यदि शालेय जीवन के अविभाज्य अंग के तौर पर लोकतांत्रिक विचार और व्यवहार शामिल नहीं होते हैं, तो लोकतंत्र का यह राजनीतिक स्वरूप भी टिकनेवाला नहीं है। स्कूलों और कालेजों में सेवाप्रधान और लोकतंत्रात्मक मनोवृत्ति का विकास करना अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए स्कूल-कालेजों को समुदाय बनकर रहना चाहिए; केवल समूह या भीड़ बने नहीं रहना चाहिए।

सामुदायिक जीवन के कारण विकास का मार्ग खुलता है, परस्पर स्नेह और सहानुभूति की वृद्धि के लिए अवसर मिलता है और अपने साधियों को ठीक से समझने का अच्छा मौका मिलता है। साथी साथ-साथ काम करते-करते एक-दूसरे के साथ अधिक सहभावपूर्ण होते हैं, एक-दूसरे के अधिक निकट आते हैं और एक-दूसरे का अधिकाधिक सम्मान करना सीखते हैं। शालाओं के सामुदायिक जीवन का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम कक्षा की पढ़ाई से भिन्न, अनौपचारिक बैठकों और गोष्ठियों का है। वे अन्य उत्पादक कामों की तुलना में किसी प्रकार कम महत्व के नहीं हैं। उनसे प्राप्त होनेवाले अनुभव अत्यन्त मूल्यवान हैं। व्यवस्थित रूप से बैठकों का आयोजन करके एकसाथ बैठकर चर्चा-विचार करना एक बात है, सहज रूप से रसोई घर के कोने में, पानी की टकी के पास खेल के मैदान में या काम के समय में और ऐसे ही संकड़ों प्रसंगों में अनौपचारिक रूप से साथी मिलते हैं और चर्चा करते हैं, यह बिलकुल ही दूसरी बात है। परन्तु ये मिलन और ये चर्चाएँ पारस्परिकता बढ़ाने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, वास्तविक समाधान के अनोखे अवसर हैं।

पुराणपंथी शिक्षाशास्त्री विश्वास नहीं कर पाते हैं कि इस प्रकार का लोकतंत्र सम्भव है कि जिसमें सब लोग समान रूप से भाग ले सकें, वह भी शालाओं में व्यावहारिक हो सकता है। उनको शंका है कि ऐसा कुछ प्रयत्न होता भी हो तो उसका मूल्य मनोरंजनात्मक कार्यक्रमविशेष से अधिक कुछ हो सकता है। दूसरे कुछ लोगों के सामने प्रश्न है कि क्या छोटे-छोटे बच्चे चर्चा-विचार कर सकेंगे और क्या वे सामुदायिक जिम्मेदारी समझ सकेंगे? ऐसे छद्म शंकाशील लोगों को जान डूँने निम्न शब्दों में निवृत्त कर दिया है कि "आज तक कोई तानाशाह ऐसा नहीं हुआ—चाहे छोटा हो या बड़ा रहा हो, जिसने अपने समर्थन में यह नहीं कहा कि हमें प्रजा के बारे में शंका है कि वह राज्य का प्रशासन चलाने योग्य है।" बच्चों में अभिक्रम और विधायक शक्ति का विकास करने का उत्तम उपाय यही है कि उन्हें बड़ी करने दिया जाय। उन्हें अधिकार हो या शक्ति, दोनों उनका उपयोग और अभ्यास करने से ही आने-वाली बातें हैं।" ("जान डूँस फिलासफी")

स्कूल केवल पढ़ाई करने का ही स्थान नहीं है, वह एक प्रकार का समाज

है। लोकतन्त्र बालिगो के समाज का प्रशासन चलानेवाला मात्र एक पद्धति ही नहीं है, वह एक जीवन-पद्धति भी है, जिसमें सहयोग और सहविचार के माध्यम से सत्ता और सन्तुष्टियों में सहभाग लेने का व्यवहार सबको मिलता है। कोई कारण नहीं कि बच्चों का समुदाय इस प्रकार के लोकतन्त्र को न अपना सके। सामूहिक उत्तरदायित्व, जो कि लोकतन्त्र का एक महत्वपूर्ण गुण है, केवल बड़ों की ही बनी होती नहीं है। बच्चे सदा ठीक ही चलेंगे, ऐसी बात नहीं है लेकिन उनकी राय भी मूल्यवान है और उनसे भी राय लेना आवश्यक है। यह तो सक्ता अनुभव है कि औसत बालिग व्यक्ति बहुत उत्तम नहीं होता है।

प्रो० डब्ल्यू० बी० क्यूरो ने इस बात पर बड़ा जोर दिया है कि "बचन हीन स्कूल के बच्चा के समुदाय अपनी समझ के अनुरूप किसी भी विषय पर हमारे औसत बालिगा की अपेक्षा अधिक सगत निष्पत्ति ले सकते हैं।" ('दि स्कूल डब्ल्यू० बी० क्यूरो)

जिन लोगों को बुनियादी शालाया और बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालयों के सामुदायिक संगठनों का अनुभव है, उन्हें इस बारे में कोई शक नहीं है। बच्चे जिस ढंग से इन बुनियादी शिक्षा संस्थाओं में शालेय समाज का काम चलाते हैं, उनमें कितनी जिम्मेदारी की भावना है वैसा अनुशासन है, जिस तरह का भाईचारा है और कितनी समझदारी है, इन सबको प्रत्यक्ष देखने पर ही विश्वास होता है। बुनियादी शाला के जीवन में सामुदायिक जीवन और सामुदायिक संगठन ही प्रमुख तत्त्व है।

लेकिन एक बात निश्चित है। शाला का विकास वास्तविक सक्रिय समुदाय के रूप में करना चाहिए। शालेय समाज के संगठन और कार्य-संचालन का पूरा-पूरा भार विद्यार्थियों पर ही होना चाहिए उसमें कहीं कोई लाग-लपेट नहीं रहनी चाहिए। शाला का स्वायत्त प्रशासन खाली दिखावे की चीज नहीं होनी चाहिए। जाली लोकतन्त्र नहीं होना चाहिए। वास्तविक, गंभीर, शैक्षणिक कार्यक्रम होना चाहिए। श्री अर्नेस्ट प्रीन ने बड़े आपस के साथ कहा है कि "बच्चों को प्रत्यक्ष दिखाइये कि स्कूल का संचालन कैसे होता है। शिक्षा न यदि कोई सावभौम मूल्य है तो वह है सम्य समुदाय के रूप में राय रहना, यह निवास करना। श्री ए० एस० नील की बातें भी हमारे पुराने शिक्षाशास्त्रियों के लिए अजीब लगेंगी, क्योंकि उन्होंने भी यही बात जोरी से कही है कि शिक्षा में स्वायत्त-शासन का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। ये कहते हैं, सप्ताह भर पाठ्यक्रम के विषयों की पढ़ाई से बढ़कर, एक साप्ताहिक आमसभा का मूल्य कई गुणा अधिक है। यदि प्रत्येक स्कूल में ढंग का वास्तविक स्वायत्त शासन का सिलसिला जारी हो—लेकिन हाँ, यह शिक्षकों के ऊपर पुलिस-कारवाई करने करवरी भाव, '६८]

जैसी बेहूदी चीज न हो—तो नयी पीढ़ी ऐसी तैयार हो सकती है, जो सामाजिक समस्याओं को उच्च कोटि की नैतिकता के साथ मुलभानेवाली है। (' दट ड्रेडफुल स्कूल ए० एस० नील)

यदि बड़े और छोटे के बीच वास्तविक मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध नहीं रहा तो गालिये प्रशासन व्यर्थ है। बड़े लोगों के मन में बच्चों के प्रति दया बनी रहे वे उन्हें सन्देश की दृष्टि से ही देखते रहें तो काम नहीं बनेगा। प्रसंग आने पर बच्चा के अन्दर प्रधान अधिकारी का तथा अन्य कर्मचारियों का दृष्टकर सामना करने की भी हिम्मत और सुविधा होनी चाहिए। जो भी चर्चा हो, ठोस और वास्तविक होनी चाहिए, झाली गप्पाप नहीं। (डब्ल्यू० बी० प्युरी)

बच्चा में व्यक्तिगत विकास तथा सामाजिक आवश्यकता दोनों के बीच सन्तुलन रखने की कला तो प्रत्यक्ष जीवन के अनुभवों से ही आ सकती है। सामुदायिक वातावरण यदि हर प्रकार के भय से मुक्त हो, तो निश्चित ही वहाँ मैत्री और सहभाव का विकास हो सकता है। इससे बालक प्रसन्न रहेंगे अपने प्रति निभय और आश्वस्त रहेंगे।

गिरक तथा अधिकारियों को बालकों के रक्षक बनना चाहिए लेकिन साथ ही बालकों को खुली छूट भी देनी चाहिए। इससे होगा यह कि बच्चा में परम्परागत अंधविश्वास को तोड़ने की हिम्मत आयेगी, बच्चों में सेवा की तथा जिम्मेदारी की भावना जागृत होगी, जिससे वे बड़े होकर समाज की विधायक सेवा करनेवाले बन सकेंगे बजाय इसके कि रूढ़ियों के गुलाम बने रहें।

आज हमारे देश में शाला-कालेज के अन्दर आये दिन जो अनुशासन ज्ञानता देखने में आती है उसका एक कारण यह भी है कि ठेठ किंगोरावस्था से गालिये समुदाय के बच्चों में छात्रों को वहाँ की सामाजिक तथा शैक्षिक प्रवृत्तियों में सक्रिय योग देने का अवसर नहीं मिलता है।

प्रा० डेकर ब्रनेल ने अनुरोध किया है कि छात्रों को जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देने का मौका देना चाहिए। उनके कथनानुसार चूँकि किंगोरा को जीवन की प्रमुख घटनाओं और महत्वपूर्ण प्रसंगों में सक्रिय भाग लेने नहीं दिया जाता है इसीलिए स्कूल-कालेज उनके लिए निराशा और कुपुष्ठा का जन्मस्थान बन जाते हैं। वहाँ उनकी भावनाओं को सही आधार नहीं मिलता है, उद्दण्डना का शोक चन्ता है अश्लील शब्दों का प्रयोग सहज पनपने लगता है अमुक काम सिद्धि के लिए उग्र और हिंसापूर्ण व्यवहार करने लगते हैं और ऐसी सब परिस्थितियों के बीच हम अपेक्षा रखे हुए हैं कि वे बड़े होकर महान् लोकतंत्र के समाज-जीवन में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ सफलतापूर्वक सभालेंगे। शिक्षा तब तक सफल नहीं हो पायेगी जब तक सहकारमूलक सामूहिक काम का प्रत्यक्ष अनुभव छात्रों को नहीं मिलता और ' जब तक प्रत्यक्ष जीवन प्रसंगों

में, छोटा ही सही लेकिन एक वास्तविक समुदाय बनाकर, मिल-जुलकर परस्पर प्रेम और सहकार के साथ काम करने का उह अभ्यास न कराया जाय।”
 (' दि कालेज एण्ड दि कम्युनिटी')

अल सी० केला और मेरी एल० रैसी अपनी पुस्तक "एजुकेशन एण्ड दि नेचर आफ मैन में कहते हैं— 'अच्छा जीवन जीना सीखने का उपाय अच्छा जीवन जीना ही है स्वेच्छा से लोग लोकतन्त्रात्मक, जीवन-भद्रति को अपना सकें इसका उपाय यही है कि उह प्रत्यक्ष उस पद्धति का अनुभव लेने दें, उत्तरदायित्व की वृत्ति सीखने का उपाय यही है कि उन पर उत्तरदायित्व सौंप दिया जाय। यदि छात्रों के सामने सारी बातें पहले से तैयार और बनी-बनायी ही प्रस्तुत की जायें प्रत्यक्ष अनुभव का तत्त्व उनके शिक्षण में से निकाल लिया जाय, केवल आज्ञापालन ही उनका काम रह जाय तो फिर वह कोई जिम्मेदारी उठाना और निभाना कैसे सीख सकेंगे ? जिम्मेदारी के साथ जीना सीखने के लिए वैसा जीने का अवसर उह देना चाहिए प्रत्यक्ष अनुभव लेने देना चाहिए।”

इसलिए शिक्षा का आद्य कर्तव्य यह है कि छात्रों को सामुदायिक कृषि के विकास का अवसर दिया जाय और सहजीवन की कला सिखायी जाय। शिक्षा को चाहिए कि छात्रों को वह इस योग्य बनाये कि वे मानव के जीने योग्य ससार का निर्माण कर सकें। श्री बेन एस० मोरिस पूछते हैं कि क्या शिक्षा सहकारी और बहुस्वपूण समाज निर्माण नहीं कर सकती जहाँ मनुष्य का व्यक्तिगत विकास और सामाजिक आवश्यकताएँ, दोनों जीवन के बुनियादी मूल्यों के द्वारा सध सकें जो कि आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है ?

हमें स्मरण रखना चाहिए कि ऐसा न हो कि वे केवल चर्चा विचार करने तक ही सीमित रह जायें, बल्कि वे वास्तविक समस्याओं पर ठोस विचार कर सकें, वे मुक्त चर्चा करके उस पर अमल कर सकें, ऐसा होना चाहिए। यदि छात्र समाज पर पाबन्दी लगा दी जाय कि वे यह सब नहीं कर सकते, प्रत्यक्ष काम करके अनुभव नहीं ले सकते, खुलकर प्रयोग नहीं कर सकते, तो फिर ऐसे समुदायों को 'लोकतांत्रिक' कहने का कोई अर्थ नहीं है। चर्चा का परिणाम यदि कायस्थ में परिणत नहीं होता है तो उस चर्चा में वास्तविकता नहीं आ सकती।

इग्लैंड, अमरीका तथा ओर भी कई यूरोपीय राष्ट्रों में ओर हमारे देश के सैकड़ों बुनियादी विद्यालयों में शालेय स्वायत्त प्रशासन का जो प्रत्यक्ष अनुभव आया है उससे यह निःसंदिग्ध रूप से सिद्ध हो गया है कि शालाएँ बालका तथा विशोरो को जिम्मेदारी के काम निभाने के, सामाजिक वृत्ति [तथा स्वानुशासन की भावना का विकास करने के भरपूर अवसर दे सकती हैं। इस कार्यक्रम के लिए न अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है, न किसी विशेष सुविधा की जरूरत है। आवश्यकता है केवल दृष्टि और इच्छा की। ●

फरवरी-मार्च, '६८]

समाज-सेवा : कुछ विचार

राधाकृष्ण

शिक्षा-आयोग के प्रमुख सुझावों में एक यह है कि व्यापक पैमाने पर राष्ट्रीय समाज-सेवा कार्यक्रम लागू किया जाय। इसका कारण यह बनाया गया है कि आज शिक्षितों और अशिक्षितों के बीच, बुद्धिजीवियों और जनसाधारण के बीच जो दुर्भाग्यपूर्ण अन्तर आ गया है, वह इससे मिटाया जा सकेगा। समाज-सेवा अच्छी और उपयोगी शिक्षा का एक प्रमुख सहयोगी अंग मानी जाती है। इसलिए यह सुझाव रखा गया है कि समाज-सेवा का कुछ कार्य शिक्षा के आवश्यक विषय के तौर पर सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य बना दिया जाय। इसके समर्थन में यह दलील दी गयी है कि यह चरित्र-निर्माण में, अनुशासन की वृत्ति बढ़ाने में, शरीरधर्म के प्रति आस्था उत्पन्न करने में और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना जगाने में सहायक होगी।

इस विषय के सम्यक् परीक्षण के लिए इस कार्यक्रम के कुछ पहलुओं का उल्लेख आवश्यक होगा। ये पहलू हैं :

१. सभी विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय समाज-सेवा को अनिवार्य बनाना।
२. इस विषय को शिक्षा के अविभाज्य अंग के रूप में आयोजित करना।
३. कार्यक्रम के कुछ पहलू, जैसे—शाला का सामुदायिक जीवन, समाज-विकास के कार्यक्रमों में भाग लेना।
४. सेवा-कार्य उपयोग और सुविधाजनक हो सकने की दृष्टि से कार्यक्रम की अवधि।

अनिवार्यता से सेवा-भाव की हानि

किसी कार्यक्रम को सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य बनाने की कल्पना बड़ी आकर्षक अवश्य लगती है, परन्तु देश भर के सभी स्कूलों और कालेजों में

किसी एक कार्य का सर्वमान्य हो जाना और व्यापक मात्रा में उसे कार्यान्वित कर देना कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। कई अधिनायकवादी राष्ट्रों में भी समाज सेवा अनिवार्य नहीं है। प्रायः एक सुभाष आया करता है कि पाठ्य-पुस्तकें ऐसी होनी चाहिए, जो देशभर में समान रूप से पढ़ायी जायें, और सर्वत्र एक ही पाठ्यक्रम लागू हो। ये सारे सुभाव और ऐसे अन्य कार्यक्रम भी राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से सुभाष्ये जाते हैं। लेकिन हमारे देश में विविधता और जटिलता इतनी अधिक है कि शायद ही कोई एक कार्यक्रम ऐसा बन सकता है, जो घोड़ा-बहुत सुधार कर लेने की छूट देने पर भी सर्वमान्य हो सके। समाज-सेवा को एक अनिवार्य कार्यक्रम बनाने का परिणाम यही होगा कि समाज-सेवा के प्रति विद्यार्थियों की मनोवृत्ति विपरीत हो जायगी। राष्ट्रीय एकता की भावना दबाव से या अनिवार्यता का जोर देकर उत्पन्न नहीं की जा सकती। यह योजना अव्यावहारिक है, केवल इसलिए नहीं कि इतनी बड़ी संख्या में इसे लागू करना आसान नहीं है, बल्कि इसलिए भी कि इतने बड़े पैमाने पर सभी प्रारम्भिक शालाओं में इसे दालिल करने की पूर्वतयारी भी पर्याप्त रूप में नहीं हो पायी है, न इसके लिए आवश्यक साधन सामग्री समाज-विकास योजना में उपलब्ध है। 'अनिवार्य' शब्द सेवा की भावना और उत्साह को समाप्त कर देता है, और 'राष्ट्रीय' शब्द का इतना अर्थ रह जाता है कि केन्द्र-शासन द्वारा आयोजन बने, केन्द्र से सहायता मिले और केन्द्र ही सारा काम चलाये। वास्तव में कोई भी कार्यक्रम राष्ट्रीय तभी होगा जब वह लोकमानस का प्रतिबिम्ब रूप हो, लोकभावना से उत्सृप्त हो।

पिछले कुछ महीनों में, विशेषतया जिन परिस्थितियों में यह कार्यक्रम लागू किया गया है, उन्हें दुर्भाग्यपूर्ण कहा जायगा। यह सही है कि देशमुख-कमेटी ने ऐसी एक योजना सुभाषी थी, परन्तु 'छात्र असन्तोष' के समय उसे जल्दबाजी में लागू करने से क्षति ही पहुँची है। राष्ट्रीय सेवा ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है, जो छात्र-समाज के सारे रोगों को छुगन्तर से मिटा दे या छात्रों की उस प्रबल शक्ति को राष्ट्र की सेवा की दिशा में मोड़ दे। शिक्षा एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, एक कठिन काम है और जब तक शिक्षा नहीं सुधरेगी, तब तक छात्रों और युवकों की समस्या के समाधान की अपेक्षा करना व्यर्थ है। यदि शिक्षा को राष्ट्रीय विकास का मानवी मूलघन (ह्यूमन इन्वेस्टमेण्ट) मानते हैं, तो राष्ट्रसेवा की भावना को समुचित और उपयोगी शिक्षा का एक आनुपगिक फल होना चाहिए।

यदि विश्वविद्यालयी शिक्षा में शायित्वपूर्ण नेतृत्व के विकास को और चरित्रनिर्माण को प्रमुख स्थान दिलाना है, तो स्वानुशासन और आत्मनिष्ठाण करवरी-मार्च, '६८]

का शिक्षण ही उसका साधन हो सकेगा। अनेक शिक्षा-शास्त्रियों का मानना है कि यह शिक्षण तो छात्रों को स्वेच्छा से अपनी र्चि के अनुसार कोई भी समाजसेवा का कार्य चुनने की छूट देने से ही हो सकेगा। इससे छात्र अपनी ही स्वेच्छा से उस कार्य को स्वीकार करेगा और उसके लिए स्वयं अनुशासित रहेगा। समाज-सेवा की सफलता की कुंजी यही है कि वह काय छात्रों द्वारा स्वेच्छा से चुना हुआ हो, दबाव से थोपा हुआ न हो। विश्वविद्यालय के छात्रों को इससे दुहरा लाभ होगा। विद्यार्थी स्वयं ही मुक्त होकर स्वतन्त्रतापूर्वक यह विचार कर सकेगा कि कौनसा कार्यक्रम उपयोगी रहेगा, और पूरा विचार करके ही कार्यक्रम को वह अपनायगा। छात्रों के स्वनिर्णय की इस वृत्ति को प्रास्थाहित करना चाहिए और उनके निर्णय का आदर करना चाहिए। इस दृष्टि से समाजसेवा का अनिवार्य बनाने के प्रश्न पर गम्भीरता से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

शिक्षा का अभिन्न अंग बनाना कठिन

हो सकता है कि समाज-सेवा की कार्य-योजना बनाना और उसे कार्यान्वित करना कदाचित् उतना कठिन न हो, परन्तु उसे शिक्षा का अभिन्न अंग बनाना अवश्य कठिन है। अधिकांश शिक्षक और प्रशिक्षक कार्यक्रम को महत्व देने के लिए इसे वार्षिक परीक्षा के साथ जोड़ देंगे। लेकिन ऐसा कदम उठाने से बचकर दु स्थिति और कुछ नहीं होगी। दूसरी हानिकर बात है शिक्षकों के काम को पौजी अधिकारियों के हाथ में सौंप देना। इस कार्यक्रम के शैक्षिक तत्त्व तो उन योजनाओं के भीतर ही मिलेंगे, जो कार्यक्रम को पूरा करने के लिए ली जायेंगी, और उनमें ज्ञान और जानकारी का समावेश करके उन्हें अधिक ग्राह्य, ज्ञानवर्धक और एक-दूसरे से सम्बद्ध बनाया जा सकता है। योजनाओं के चयन और नियोजन में छात्रों को बहुत सारा ज्ञान दिया जा सकता है। समस्या को समझने में, समस्या की तरह तक जाने में, विवेचन करने में, योजना बनाने में और उसके सम्भावित परिणामों के विषय में उन्हें काफी शिक्षण दिया जा सकता है। योजना को कार्यान्वित करने और काम का मूल्यांकन करने में भी गिना होती है और वे टोलियाँ अपने अनुभवों का आदान प्रदान कर सकती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस कार्यक्रम का एक प्रमुख लक्ष्य है—विद्यार्थियों को देश की तात्कालिक प्रमुख समस्याओं के बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार करने और समझने के लिए प्रेरित करना। राष्ट्रीय महत्व के सामयिक प्रश्न जैसे, भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार, भारत की सांस्कृतिक परम्परा, आधुनिक भारत की राजनीतिक समस्याएँ और उनके कार्य, राष्ट्रीय प्रशासन-पद्धति के गुण-दोष आदि पर भी चर्चा होगी। यदि इन योजनाओं की बनाने की पद्धति लोक-सावित्र डग की हो, और उनको सहकारी पद्धति से अमल में लाने का प्रयत्न

हो, जिसमें शिक्षा और छात्र राजस्व सहभाग हो, तो शिक्षा की दृष्टि से वह बड़ा ही लाभदायक होगा। योजना की सफलता का महत्वपूर्ण अंग योजना की तैयारी में अर्तनिहित है, योजना के नियोजन की अवधि में ही नहीं, बल्कि शिक्षा की पूरी अवधि में, जिससे छात्रों का इस कार्यक्रम में आसानी से समझन हो सके, और उन्हें ऐसा न लगे कि पढाई के बीच में यह एक बाधा उपस्थित हो गयी है या एक बोझ आ गया है। गत १५ २० वर्षों का अनुभव यह रहा है कि जीवन मूल्य क्रमशः शालेय जीवन तक सहज प्रवाहित नहीं हो पा रहे हैं, विश्वविद्यालयों के योजना बना लेने मात्र से और न शालाओं में बनी भावना को बड़ी उम्र तक बनाये रखने की वृत्ति ही रहती है। शिक्षा काल में मूल्यों बलाआ और वृत्तियों का निरंतर अभ्यास शुरू से अन्त तक चलना चाहिए तभी वे स्थायी होंगे और उनका प्रभाव भी रहेगा।

समाज-सेवा का क्षेत्र

सुझाया गया है कि समाज सेवा के साथ निम्न सहायक प्रवृत्तियाँ चलनी चाहिए — १ व्यायाम, २ समाज सेवा और कार्यानुभव ३ सामाय शिक्षण और ४ सामुदायिक जीवन।

व्यायाम पर तथा शालेय जीवन के समय ही सामुदायिक प्रवृत्तियों के अवसर निर्माण करने पर जोर दिया गया है, यह बहुत उचित है, क्योंकि इनसे समाज सेवा की तैयारी हो जाती है। व्यायाम का अपने में ही महत्व है। रोद की बात यह है कि समाज-सेवा को कार्यानुभव का विकल्प मान लिया गया है। यद्यपि कार्यानुभव समाज सेवा का बहुत बड़ा अंग हो सकता है, तथापि इसे अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि समाज-सेवा की योजनाओं और विविधों में ही कार्यानुभव देना वाञ्छित नहीं होगा। कार्य-कौशल कार्यानुभव का महत्वपूर्ण तत्त्व है। जयया काम की उपलब्धि मन्द होगी, निरर्थक और अनुपयोगी होगी। कार्यानुभव यदि कुशलतापूर्ण होना है तो कालेज जीवन के पूरे समय में उसे जारी रखना होगा, ताकि कुछ-न-कुछ कौशल प्राप्त हो ही। समाज सेवा का शिक्षण देने का उद्देश्य यह नहीं है कि विकास-योजनाओं में अनुकूल धर्मिकों के बदले छात्रों को नियुक्त कर लें। धर्मिकों की आज कमी नहीं है। केवल धर्मिकों की संख्या ही बढ़ानी है तो यह सारा प्रयास व्यर्थ है, इसका विरोध ही होनेवाला है। योजना में जो धन लगाया जाता है और जो व्यक्ति लगते हैं, उन दोनों का औचित्य सिद्ध होना चाहिए। हमारा मुख्य ध्यान इस बात की ओर होना चाहिए कि सर्वसामाय कुशलता का ठीक से उपयोग हो सके, प्रत्येक समस्या को राष्ट्रीय दृष्टिकोण से समझने का प्रयास हो और वैयक्तिक हितों की ओर से लोगों का ध्यान राष्ट्रीय करवरी माच '६८]

हित को ओर मोड़ा जाय। इन सबके लिए केवल परिश्रमालय चलाने से भी कुछ अधिक करने की आवश्यकता है। कई स्पष्ट योजनाएँ सुभायी गयी हैं। इस बात का ध्यान रखना होगा कि उन योजनाओं की स्थानीय आवश्यकता कितनी है। फिर उनमें यह भी देखना होगा कि प्राथमिकता किसे दी जाय। सड़कें बनाना, तालाब खोदना, सिंचाई की सुविधाएँ, क्षेत्रीय विकास, सार्वजनिक सेवाओं का विकास, जंगल बड़ाना, भूमि का बटाव रोकना, साक्षरता तथा स्वास्थ्य के कार्यक्रम आदि कई काम हैं, जिन्हें ऐसी योजनाओं में शामिल किया जा सकता है। यदि इन योजनाओं को पाँचवें वर्ष तक चलाने का क्रम रखा जाय, तो किसी काम को अधूरा छोड़ जाने का प्रश्न उठेगा नहीं। यह योजना बनाना और अन्त तक काम पूरा करने का दायित्व कालेजों को लेना चाहिए। चूँकी स्कूल की ओर से ही काम की योजना चलायी जायगी, इसलिए कार्यक्रम के बाद स्कूल में वापस जाने पर भी छात्र क्षेत्रीय कार्य का ज्ञान प्राप्त करेंगे।

इस स्तर पर योजना की विशेष तस्वीर से चर्चा करना बहुत उपयोगी नहीं होगा। कार्यक्रम को कितनी दृढ़ता से उठाते हैं, उसे कितना समर्थन देने है, कालेज के काम के दिनों में क्या-क्या बुनियादी सुधार करते हैं और इन कार्यक्रमों की सफलता के लिए सगठन के ढाँचे के क्या-क्या परिवर्तन करते हैं, इन बातों पर बहुत कुछ निर्भर है। प्रधान मंत्री को परामर्श देने के लिए बनी हुई तथा शिक्षा-मन्त्रालय द्वारा निष्पुक्त अध्ययन-समितियों ने सगठन के तथा आर्थिक प्रश्नों के बारे में कुछ सुझाव जरूर दिये हैं। लेकिन इस स्थिति में जिस बात पर विशेष महत्त्व देना है, वह यह है कि इस कार्यक्रम को लागू करने का तरीका क्या हो, कबोकि प्रारम्भ में इन्हें लागू करने के जो तरीके होंगे, उनका विशेष प्रभाव होता है। पहले नीति-निर्धारण कर लेना चाहिए और फिर विश्वविद्यालयों को उस नीति के अनुसार चलने का, तथा राष्ट्रीय स्तर पर सकल करने का निश्चय करना चाहिए। इस सारे कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का काम आज विश्व-विद्यालयों को ही उठाना चाहिए, निम्न कक्षाओं को नहीं। बुनियादी शालाओं और हायर मेकेण्डरी स्कूलों को तो छोटे-मोटे उद्योगों में, विद्यालय-परिवार के सगठन में और विद्यालय के खेन और आँगन को साफ और सुन्दर रखने में ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। आज के आज हमें यह निश्चय करना चाहिए कि हमारी शालाओं में घटी बजान, समाचार लाने-ले जाने, कमरे बुहारने जैसे कामों के लिए डी-वर्ग के कर्मचारियों को हटगिज नहीं रखना है। दूसरा काम यह करना चाहिए कि जो-जो व्यक्ति तथा जो-जा मस्यौएँ ऐसी योजनाओं में विशेष रुचि रखती हैं, अनुभव रखती हैं, और आवश्यक पुरुषार्थ कर सकती हैं,

उनको इन कामों में सीखना चाहिए। उन ध्यवित्तियों और सस्याबा को अब लक्ष्यक भाषिक तथा व्यवस्था-सम्बन्धा अथ सुविधाएँ देनी चाहिए। इन सबसे उत्तम प्रशिक्षण का भी प्रबन्ध करना चाहिए। स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में भी इस प्रकार का परिवर्तन करने पर बल देना चाहिए जिससे अन्याय विषयों का पारस्परिक सम्बन्ध जुटे। जैसे विकास योजना के साथ अर्थशास्त्र का समाज विज्ञान के साथ सामाजिक तथा राजनीतिक समस्याबा का समन्वय करना चाहिए। कालेजा तथा विद्यालया का अभ्यासक्रम अब ऐसा बनना चाहिए कि उनसे समाज-सेवा की भावना परिपुष्ट हो आर राष्ट्रीय चर्चा भी सामाजिक और राष्ट्रीय हित साधने पर केन्द्रित हो।

गत कुछ वर्षों से सर्वोत्तम आन्दोलन की आर से युवका का एक गानि सगठन खडा करने का प्रयास किया जा रहा है जिसका नाम तरुण शान्ति-सेना है। उसका प्रारम्भ अनिवाय सैनिक प्रशिक्षण व विकल्प के रूप में हुआ है और उसका उद्देश्य है युवका को स्वानुशासन तथा अहिंसामूलक सगठन करने का अवसर मिले। यह युवको के लिए आकषक कार्यक्रम रहा है, और जगह जगह ऐसे सगठन खडा भी हुए है। इन लोगो के समय समय पर शिविर हांते है जिनमें सामूहिक जीवन का प्रत्यक्ष सेवा-काय का स्वस्थ मनी रजन के साथ वचारिक ज्ञान का पदायपाठ दिया जाता है। इस शान्ति सेना का मूल लक्ष्य अहिंसा की प्रतिष्ठापना तथा सपनों का अहिंसक हल खोजना है। इसके साथ ही प्राथमिक उपचार तथा सफाई के कार्यक्रम भी सिखाये जाते है। शिविर मे आनेवाले लोग व्यक्तिगत जिम्मेदारी तथा सामूहिक सहयोगात्मक अनुशासन की वृत्ति सीखते है। पिछले वर्ष बिहार के अकालप्रस्त इलाको मे तरुण शान्ति-सेनिको ने अमूल्य सेवा की है। राष्ट्रीय स्तर के शिविरो के माध्यम से तरुणो मे राष्ट्रीय भावना और विगाल दृष्टिकोण का विकास होने में सहायता मिलती है। यद्यपि यह आरम्भ बहुत छोटा है फिर भी मेरा विश्वास है कि समाज-सेवा तथा देश के विकास का विशाल और व्यापक माग प्रशस्त करने मे यह प्रयास विशेष सहायक सिद्ध होगा। देश मे अनेक प्रबुद्ध शिक्षक है जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सेवा के काम कर रहे है। सम्मान और प्रशंसा की कामना न रखते हुए मौन सेवा कर रहे है। ऐसे सेवा-कार्यों का समुचित सगठन किया जाय तो राष्ट्रीय स्तर पर समाज-सेवा के सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए बडा अनुकूल मानस निर्माण हो सकता है।



उभरता है कि 'संस्कृत क्यों ? आधुनिक परिस्थितियाँ में जब कि भारतीय विद्यालयाँ में प्रत्येक छात्र को मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, राष्ट्रभाषा (यदि वह मातृभाषा नहीं है) तथा विदेशी भाषा अंग्रेजी का अनिवार्य रूप से अध्ययन करना पड़ता है, तो उस पर संस्कृत पढ़ने का अतिरिक्त भार क्यों डाला जाय ? संस्कृत की क्या उपादेयता है ? आखिर पाठ्यक्रम में इसे अनिवार्य स्थान क्या दिया जाय ?

भाषा-शास्त्रियों के मतानुसार संस्कृत की पूर्ववर्तिनी जो मूल भारतीय भाषा कभी अस्तित्व में नहीं होगी, पूर्णरूपेण लुप्त हो चुकी है। अतः संस्कृत को ही संसार की सब प्राचीन भाषा होने का श्रेय प्राप्त है और ऋग्वेद का संसार का सर्वप्रथम साहित्यिक कीर्तिस्तम्भ होने का। किसी भी विषय का गम्भीर अध्ययन करने के लिए उसके आरम्भ तथा सदोपराक्त विकास को जानने की सहज प्रवृत्ति होनी चाहिए। भारत की ही नहीं, संसार की सभी प्राचीन-अर्वाचीन भाषाओं का सम्बन्ध संस्कृत से रहा है। यह हमारी आधुनिक उत्तर भारतीय भाषाओं की जननी तथा दक्षिण भारतीय भाषाओं की पोषक है। जब हम इन आधुनिक भाषाओं तथा विदेशी भाषा या भाषाओं का अध्ययन करते हैं तो फिर संस्कृत भाषा, जिसकी प्राचीनता एवं महत्ता को विदेशियों ने भी स्वीकार किया एवं सराहा है, का अध्ययन क्यों न किया जाय ? इसका ज्ञान संसार की समस्त भाषाओं के जन्म, पोषण एवं विकास की कहानी जानने के लिए भी तो आवश्यक है। आज व्यतीत हुए कल की नीबो पर स्थित है और हमारा साप्रत ज्ञान आज तक के संचित अनुभवों का परिणाम है। तो क्या हम आज की महत्ता से चकाचौंध हो कर उसे जम देनेवाले कल की नीबो को ताड़ दें ? अपने साप्रत ज्ञान से विमुग्ध होकर उन संचित विवोधनों एवं अनुभवों को भूल जायें, जिनसे साप्रत ज्ञान का अस्तित्व स्थिर है ? किसी भी कार्य का सफल बनाने के लिए हम पूवज्ञान की अपेक्षा उदैव रहती है और इसीलिए हमें पूवज्ञान को खोत संस्कृत भाषा एवं साहित्य को छोड़ना नहीं चाहिए।

अंग्रेजी साहित्य को छोड़कर संस्कृत साहित्य संसार का विशालतम साहित्य है। विश्व की कोई भी प्राचीन भाषा ऐसी नहीं, जिसका साहित्य संस्कृत-साहित्य की तुलना के लिए प्रस्तुत किया जा सके। यूरोप की सांस्कृतिक भाषाओं—ग्रीक और लैटिन के साहित्यों को मिला दिया जाय तो भी संस्कृत-साहित्य उससे कई गुणा अधिक होगा। मनुष्य तथा समय के वज्र प्रहारों को सहन करने तथा बहुत कुछ नष्ट हो जाने के पश्चात् भी जब यह स्थिति है तो हम इसके मूल साहित्य की समृद्धि एवं विशालता का अनुमान सहज रूप से कर सकते हैं। महाकाव्य, खण्ड काव्य, गीति काव्य, नाटक, प्रकरण छन्द, फरबरी-मार्च, '६८]

प्रहसन, सट्टक, कथा, आख्यायिका, चरित्र, चम्पू, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छन्द, ज्योतिष, निघन्त, इतिहास पुराण, धर्म, दर्शन, नीति इत्यादि पर उपलब्ध ग्रन्थ सस्कृत-साहित्य की विशालता के परिचायक हैं। साहित्य की जितनी विद्याओं के उदाहरण हमें सस्कृत भाषा के साहित्य में मिलने हैं, उतने शायद ही किसी अन्य भाषा में विद्यमान हो। ऐसे सुदूर, समृद्ध एवं विशाल साहित्य को छोड़ना हितकर नहीं होगा। जर्मन कवि गेटे जब अभिज्ञान साकुन्तल का अनुवाद पढ़कर आत्मविभार हो उसका प्रशस्ति-गान कर उठता है तो क्या हम उस साहित्य से विमुक्त रहें ? उससे अमूल्य रत्ना से अपरिचित रहे ? अभिज्ञान साकुन्तल तथा गीता और उपनिषद् के अंग्रेजी अनुवाद से जब यूरोपीय लोगों के मन आकृष्ट तथा उसके अध्ययन के लिए प्रेरित हो उठते हैं, तो हम अपने ऐसे साहित्य का रसाम्वाद क्यों न करें ? सस्कृत का भाषागत सौन्दर्य भी अपूर्व है।

सस्कृत हमारे धर्म, दर्शन एवं सस्कृति की भाषा है। धर्म ऐसा जिसमें समीकरण की वह क्षमता हो कि विरोधी तत्त्वों तक को भी अपने में मिला ले, जिसको विजयी विदेशी शासक अपना लें, जो समस्त मसार में समाहित हो, दर्शन ऐसा, जो सर्वांगीण हो, जिसमें सदसन् द्वैताद्वैत, साध्य, योग, न्याय, वैशेषिक एवं भौतिकवाद तक सम्मिलित हो और जिसका विदग्धि ने मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की हो, सस्कृति ऐसी जो सर्व प्राचीन, प्रशस्त एवं उदार हो। ऐसे धर्म, दर्शन एवं सस्कृति की भाषा को, जो युग-युग में विद्वानों का अपनी आर आकृष्ट करती रही हो हम कस छोड़ दें ?

दूसरी भाषाओं के समान सस्कृत केवल एक भाषा ही नहीं, बल्कि एक अनूठे ज्ञान का भण्डार है। इसमें हम अथशास्त्र, धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, आचारशास्त्र, शिल्पशास्त्र, संगीतशास्त्र, कामशास्त्र, पाकशास्त्र, गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि विभिन्न विषयों पर अनेकानेक प्रामाणिक ग्रन्थ मिलने हैं, जो इन विषयों के सम्पूर्ण ज्ञान एवं अनुसन्धान के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं।

भारत के प्राचीन इतिहास के ज्ञान तथा निर्माण के लिए भी सस्कृत भाषा का ज्ञान आवश्यक है। हम प्राचीन साहित्य के अध्ययन द्वारा तात्कालिक परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त करते हैं एवं अपने पूर्वजों के आचार-व्यवहार, धर्म-कर्म, रीति रिवाज जान पाते हैं। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद का अध्ययन वैदिक जीवन की भाँती हमारे सम्मुख उपस्थित करता है, तो रामायण महाभारत का परिशीलन तात्कालिक परिस्थितियों का परिचय देता है। इतिहास से सम्बन्ध रखनेवाले ग्रन्थों एवं सन्दर्भों के अनुशीलन तथा निरूपण से हम विवादास्पद शिष्यों सुलभाने में सफल हो सकते हैं। अब भारत के प्राचीन इतिहास के

सम्पन्न ज्ञान एवं निर्माण के लिए संस्कृत के योगदान की उपेक्षा नहीं की जा सकती ।

संस्कृत अनेक विषयों के स्वपाक्षिक परिशीलन के लिए भी आवश्यक है । घम दान नीति गणित संगीत गणित ज्योतिष आयुर्वेद, इत्यादि विषयों के गहन एवं स्वपाक्षिक अध्ययन के लिए प्राचीन शिलालेखों तथा हस्तलेखों के अध्ययन के लिए तथा मुक्त विज्ञान के लिए संस्कृत भाषा का ज्ञान अनिवार्य है । संस्कृत बिना इन विषयों का अध्ययन सर्वोत्तम नहीं बन पाता और इनमें पारंगत होने के लिए संस्कृत की जो महत्ता है वह इन विषयों के विद्वान् अच्छी प्रकार से बता सकते हैं ।

आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास के लिए भी संस्कृत आवश्यक है । हम जानते हैं कि संस्कृत भाषा तथा साहित्य बहुत समृद्ध है । संस्कृत में उपलब्ध साहित्य की विविध विधाओं का आधुनिक भाषाओं के साहित्यों में निवेश कर हम उन्हें भी विशाल एवं समृद्ध बना सकते हैं और संस्कृत के शब्द ग्रहण कर उनमें एक नए ढंग को अधिक विस्तृत बना सकते हैं ।

संस्कृत में शब्द निर्माण की विचित्र शक्ति है । संस्कृत भाषा तथा उसकी व्याकरण के सम्पन्न ज्ञान से राष्ट्रभाषा तथा प्रांतीय भाषाओं में पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में सफल प्रयास हो सकते हैं । संस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित डॉ० रघुवीर द्वारा पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण इस परिवर्तन का प्रमाण है । आज हम अपनी आधुनिक भाषाओं में विनोदतया राष्ट्रभाषा हिन्दी में पारिभाषिक शब्दों का निर्माण कर उन्हें अधिक समृद्ध बनाना है । हमारे विधान में राष्ट्रभाषा हिन्दी के विकास के लिए संस्कृत से शब्द ग्रहण का स्पष्ट निर्देश है । इसलिए हमें संस्कृत से विमुख नहीं होना चाहिए ।

प्रत्यक्ष देखा गया है कि संस्कृत जाननेवाले विशारदों हिन्दी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अधिक अधिकार रखते हैं । इन भाषाओं पर अधिकार प्राप्त करने के लिए संस्कृत सहायक होती है ।

संस्कृत भाषा ही केवल ऐसी भाषा है जो समस्त भारत को एक सूत्र में बाँधता है । राष्ट्रभाषा हिन्दी के विषय में जनता में मतभेद नहीं है परन्तु काश्मीर से कर्नाटकी तथा असम से सीराष्ट्र तक कोई प्रदेश अथवा जनपद ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें संस्कृत के प्रति सम्मान एवं श्रद्धा की भावना न हो । संस्कृत हमारे घम दर्शन एवं संस्कृति की भाषा है और हमारी राष्ट्रीय एकता की प्रतीक है । आज जब कि सारे देश में राष्ट्रीय एकता की भावना जाग्रत करने के लिए इतने प्रयास किये जा रहे हैं तो इस भावना को उत्पन्न करने वाली संस्कृत भाषा को पाठ्यक्रम में अनिवार्य स्थान दिया जाय ऐसा हमारा निश्चित मन है ।

संस्कृत हमें सत्य एवं अहिंसा का संदेश देती है और शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व की ओर अप्रसर करती है। 'वसुधैव कुटुम्बकम्', 'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया', 'समवाय एव साधु', इत्यादि अनेक सूक्तियाँ हमें समग्र संसार एवं सब जीव-जन्तुओं के हित में सोचने तथा कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। यह ऐसी भाषा है जो सबको सत्य, अहिंसा, समानता, बहुत्व एवं शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व का पाठ पढ़ाती है। आज मानवता का जीवन व इही मूल्यों की आवश्यकता है।

संस्कृत एशिया तथा यूरोप के देशों के साथ हमारी सांस्कृतिक शृंखला के रूप में है। मध्य एशिया, आर्बेरिया, मंगोलिया, चीन, तिब्बत, जापान इण्डोनेशिया, कम्बोडिया, अरब, ईरान तथा अफगानिस्तान के साथ संस्कृत का किसी-न-किसी रूप में या किसी-न-किसी समय पर प्रभाव एवं सम्बन्ध रहा है। अब यूरोप तथा अमेरिका में भी इसका अध्ययन एवं प्रसार होने लगा है। भारतीय भाषा तथा परिवार के लोग इसका महत्त्व का समझकर जब सब देशों में इसके अध्ययन में तत्पर हैं तो हम भारतवासी इसका अध्ययन छोड़ दें यह एक विडम्बना-सी लगती है। विदेशों में संस्कृत के प्रभाव एवं प्रसार से एक सद्भावना उत्पन्न होती है। उस सद्भावना का सर्वव्यापी बनाने के लिए भी हमें संस्कृत का अधिकाधिक अध्ययन, प्रचार एवं प्रसार करना चाहिए।

संस्कृत भाषा का अध्ययन इसकी अमूल्य विधियाँ को अन्य भाषाओं में अनूटित कर संस्कृत से अनभिज्ञ लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करने की दृष्टि से भी वाछनीय है। इसमें संस्कृत न जाननेवाला को भी लाभ होगा और अनुवादक यत्न एवं अर्थ का अर्थ भी करेगा।

संस्कृत ग्रीक तथा लैटिन की भाँति मृत भाषा नहीं है। इसका हमारे जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध है। हिंदुओं के सभी संस्कार इस भाषा के प्रयोग से ही सम्पन्न होते हैं। आज भी इस भाषा को पढ़ने, लिखने, समझने तथा बोलनेवाले विद्यमान हैं। आज भी इस भाषा में क्रिया-कलाप चलते हैं, जो नाटक खेल तथा रडियो से प्रसारित किये जाते हैं। इसमें पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित होती हैं और नव-साहित्य निर्माण होता है। यह एक जीवित और आधुनिक भाषा है जिसका अध्ययन दूसरी भाषाओं के समान आवश्यक है।

अतः इस सम्बन्ध में काठारी-कमीशन की संस्तुतियों की हमें अवहेलना करनी चाहिए।

एम० एड०, बी० एड०, एल० टी० तथा अन्य शिक्षक-प्रशिक्षण
पाठ्यक्रमों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए

प्रोफेसर सुरेश भटनागर

बुनियादी शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय, गांधी विश्वामन्दिर
सरदारसाहर (राजस्थान)

के

महत्वपूर्ण ग्रंथ

१. कोठारी कमीशन : विवेचनात्मक अध्ययन (दूसरा संशोधित संस्करण)
पहला संस्करण हाथो-हाथ बिक जाना इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है ।

मूल्य : १.५० रु०

२. Kothari Commission Recommendation and
Evaluation

कोठारी-कमीशन की सिफारिशों का मूल्यांकन देश के विद्वानों
के विचारों सहित किया गया है । यह संस्करण बहुत ही लोकप्रिय हो
रहा है ।

मूल्य : ४.०० रु०

३. मुदालियार कमीशन : सुझाव और समीक्षा

सन् १९५२-५३ में नियुक्त माध्यमिक शिक्षा-आयोग की सिफारिशों
की कोठारी-कमीशन के सुन्दर्भ में समीक्षा की गयी है । माध्यमिक-शिक्षा के
विकास की पूर्ण विवेचना ।

मूल्य : १.७५ रु०

४. शिक्षा . मनोविज्ञान

पुस्तक की उपादेयता इस बात से सिद्ध होती है कि हिन्दी भाषी
क्षेत्रों के शिक्षा-विभागों एवं विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम के अनुसार लिखी
गयी है । नवीनतम सूचनाओं, प्रयोगों एवं विकास के तथ्यों सहित ।

मूल्य : १०.०० रु०

हमारे अन्य प्रकाशन

१. शिक्षा में मापन—प्रो० सत्यप्रकाश कोशिक

मापन पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक ।

मूल्य : २.५० रु०

प्रकाशक : इन्टरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ—२४

वितरक : लायल बुक डिपो, गवर्नमेन्ट कान्प्लेज के निकट, मेरठ—२४

शिक्षा-योजना तथा उपलब्ध मानव-साधन

द्वारिका सिंह

सभी स्तरों पर भारतीय शिक्षा के सिद्धांत निरूपण तथा व्यावहारिक प्रक्रिया की रूपरेखा निश्चित करने के निमित्त कोठारी शिक्षा आयोग का गठन सन् १९६४ में किया गया। आयोग ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट सुझाव प्रस्तुत किये हैं कि शिक्षा के लिए उपलब्ध भौतिक साधनों तथा मानव-साधनों का राष्ट्रीय कल्याण के निमित्त किस प्रकार प्रयोग किया जाय।

नामांकन सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति के सम्बन्ध में आयोग की सन्तुति है कि आगामी बीस वर्षों के अन्तर्गत —

- (क) प्रत्येक बच्चे के लिए कम से कम सात वर्षों की अवधि की अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाय तथा निम्न माध्यमिक शिक्षा का यथासाध्य अधिकाधिक विस्तार किया जाय।
- (ख) प्रशिक्षित जन-शक्ति की आवश्यकता तथा समुचित स्तर निर्वाह को ध्यान में रखते हुए इच्छुक तथा सुयोग्य छात्रों के निमित्त उच्च माध्यमिक तथा विश्वविद्यालयी शिक्षा की व्यवस्था की जाय। साथ ही आर्थिक दृष्टि से विपन्न छात्रों को समुचित सहायता दी जाय।
- (ग) व्यावसायिक, प्राविधिक एवं जीवकोपार्जन सम्बन्धी शिक्षा पर बल दिया जाय और कृषि और उद्योग के विकास के लिए आवश्यक प्रवीणता प्राप्त व्यक्ति तैयार किये जायें।
- (घ) प्रतिभा की पहचान तथा उसके पूर्ण विकास में सहायता की जाय।
- (च) सामूहिक निरक्षरता को दूर किया जाय, तथा वयस्क शिक्षा की समुचित व्यवस्था की जाय।
- (छ) शैक्षिक सुविधाओं में समानता प्रदान करने का प्रयास किया जाय।

माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा में नामांकन नीति —

- (क) पिछली तीन योजनावधियों में माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा की माँग बहुत बड़ी है और भविष्य में और अधिक होने की सम्भावना है। इस प्रकार इसका लक्ष्य बहुत ऊँचा हो जायगा, जो अपने देश के धन, जल तथा साधनों से पूरा नहीं किया जा सकता। अतः उच्चतर माध्यमिक तथा विश्वविद्यालयों में कुछ चुने हुए योग्यतर व्यक्तियों के ही प्रवेश की नीति काम में लायी जानी चाहिए।

(ख) माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा के लिए सशक्त इच्छुक सभी छात्रों के लिए शिक्षा की व्यवस्था निकट भविष्य में नहीं की जा सकती, क्योंकि अपने साधन सीमित हैं। ऐसी स्थिति में इस लक्ष्य की पूर्ति का प्रयास करत हुए कम से-कम विशेष प्रतिभा-सम्पन्न छात्रों की शिक्षा की व्यवस्था तो कर ही देनी होगी। ऐसे छात्रों के आर्थिक व्यवधान छात्रवृत्तियाँ देकर दूर किये जायें।

सुपाम्य शिक्षकों की उपलब्धि, भौतिक साधन तथा वित्त इत्यादि कुछ ऐसे तत्त्व हैं, जिनके अभाव में किसी भी शिक्षा प्रणाली का स्वाभाविक विस्तार अव्यक्त हो जाता है। जनता की माँग के दबाव के कारण इन तत्त्वों की अनिवायता की दृष्टि में शिथिलता दृष्टिगोचर होती है। इस के महान कल्याण के निमित्त इन छोटे-छोटे प्रलोभनों से बचना चाहिए।

जीविका के उपलब्ध साधन शैक्षिक सुविधाओं के प्रसार की योजना के उत्तम आधार हैं। तीन बातों को दृष्टि में रखकर इसे समझना है

- १ जीविका के विभिन्न साधनों में नियुक्त होनेवाली जनसंख्या के अनुमान को सदैव सकलित आँकड़ों के आधार पर अद्यतन बनाये रखना चाहिए।
- २ उत्पादित जन शक्ति के गुण पर भी यथेष्ट बल दिया जाना चाहिए।
- ३ शैक्षिक सुविधाओं के प्रसार के सम्बन्ध में निम्न लेते समय विभिन्न जीविका-साधनों में जन-शक्ति की आवश्यकता ही एकमात्र कमीटी नहीं होनी चाहिए।

प्राक्कलन (इस्टीमेट्स) का शैक्षिक तात्पर्य—राष्ट्रीय आवश्यकता, जीविका के विभिन्न साधनों तथा जन शक्ति के उपयोग के सम्बन्ध में प्राक्कलन तैयार करने का तात्पर्य यह है कि —

- (क) यदि बड़े पैमाने पर शिक्षितों की बेकारी की समस्या से बचना है तो सामान्य माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा के अनियोजित एवं अनियमित विस्तार को रोकना होगा।
- (ख) माध्यमिक शिक्षा के औद्योगीकरण के निमित्त विशेष और जोरदार प्रयास करना होगा तथा विश्वविद्यालय स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा का विकास करना होगा।
- (ग) राज्य तथा राष्ट्र, दोनों स्तरों पर ऐसी समस्याओं की व्यवस्था करनी होगी जो राष्ट्रीय आवश्यकताओं तथा विभिन्न व्यवसायों के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों के अनुपात को सन्तुलित रखें, जिनमें यह आश्वासन रहे कि प्रत्येक व्यवसाय के लिए सुप्रशिक्षित कार्यकर्ता प्राप्त होंगे तथा उन्हें योग्यतानुसार काम मिल जायगा।

राष्ट्रीय स्तर पर याजना-आयोग एक ऐसी स्थायी समिति का निर्माण करे जो शिक्षित जन-शक्ति तथा राष्ट्रीय आवश्यकता का सतत अध्ययन करती रहे तथा समय-समय पर एतत्सम्बन्धी अपनी नीति तैयार करती और दुहराती रहे।

राज्य स्तर पर भी वैसी ही समिति रहे, जो राज्य के आवश्यकतानुसार वही सब काय करे, जो उपर्युक्त समिति राष्ट्रीय स्तर पर करे।

प्रत्येक स्नातक को डिप्लो या डिप्लोमा के साथ जीविका भी मिले।

अमोष्ट की प्राप्ति के लिए हमें राष्ट्र, राज्य तथा जिला स्तर पर ऐसी समन्वित योजनाएँ कार्यान्वित करनी हागी, जिनके लक्ष्य होंगे—(क) जन्म लेनेवाला की संख्या प्रायः आधी हो जाय, (ख) जीविकाजन के क्षेत्र का विस्तार हो तथा (ग) युवकों की विशेष व्यवसाय में प्रशिक्षित करनेवाली शिक्षा की व्यवस्था हो।

भारतीय जन-समुदाय वर्तमान की विभूतियों से बहुत हद तक वंचित रह कर अपने परम्परागत कृषि, गृह-उद्योग, पशु-पालन प्रभृति व्यवसायों में अलिप्त बन्द कर लगा हुआ है। उसके पास अद्यतन ज्ञान का प्रकाश नहीं कि वैज्ञानिक अनुसंधानों का ज्ञान देख-समझकर उनसे लाभ उठा सके। दूसरी तरफ पढ़े लिखे लोग हैं। वे अपनी जीविका के लिए कुछ-न-कुछ व्यवसाय अपनाये हुए हैं। उनकी चारित्रिक विघेपता हो गयी है, शरीर-श्रम से परहेज।

अतः हमें जहाँ पहली धेगी के व्यक्तियों के लिए ज्ञानाजन की परिस्थिति उत्तम करनी होगी, वहाँ दूसरी धेगी के साक्षरी ज्ञानसम्पन्न जन-समुदाय के लिए छोटे-भाटे उत्पादक उद्योगों में प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी होगी।

इस लक्ष्य पर पहुँचने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम निश्चित हों

- १ प्रारम्भिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा प्रक्रिया में उत्पादन का समावेश।
- २ सभी स्तरों तथा सभी प्रकार के कामों में लगे शिक्षित व्यक्तियों में श्रम निष्ठा का प्रादुर्भाव।
- ३ मस्तिष्क से काम करनेवालों के लिए लघु उद्योगों में प्रशिक्षण की व्यवस्था, ताकि अपने अवकाश के क्षणों में वे उत्पादक कार्य कर सकें।
- ४ राष्ट्र तथा राज्य की आवश्यकता को ध्यान में रखकर विभिन्न फेक्टोरियों में नामाङ्कन की व्यवस्था।
- ५ बड़े-बड़े कारखानों का प्रयोगशाला के रूप में उपयोग।
- ६ तकनीकी शिक्षाप्राप्त व्यक्तियों को काम दिलाने का आश्वासन।
- ७ तकनीकी शिक्षा पाने के अभिलाषियों के लिए उसकी व्यवस्था।
- ८ समुदाय के कल्याणार्थ समुदाय की सहायता एवं सहयोग से योजना-निर्माण। ●

आयोग द्वारा संस्तुत मूल्यांकन का नया कार्यक्रम

डा० देवेन्द्रदत्त तिवारी

लिखित परीक्षा के विरुद्ध विगत कई वर्षों से बहुत कुछ लिखा-पढ़ा जाता रहा है। शिक्षा के विभिन्न आयोगों और समितियों ने लिखित परीक्षा के गुण-दोषों का पर्याप्त विवेचन किया है। मुदालियर-कमीशन ने भी परीक्षा-प्रणाली में सुधार के लिए अनेक व्यावहारिक सुझाव दिये हैं, जिनके परिणामस्वरूप परीक्षा-प्रणाली में सुधार के अनेक प्रयास हुए हैं। मूल्यांकन के एक नये सुधार-आन्दोलन ने जन्म लिया है जिसको देश में अधिकाधिक स्वीकृति मिली है।

शिक्षा-आयोग ने भी अपने प्रतिवेदन में मूल्यांकन के लिए एक समूचा अध्याय दिया है। आयोग लिखता है—‘मूल्यांकन एतत् प्रक्रिया के रूप में शिक्षा की समग्र प्रणाली का अभिन्न अंग है और शैक्षिक लक्ष्यों से उसका घनिष्ठ सम्बन्ध है। यह विद्यार्थी की अध्ययन-पद्धति और अध्यापक की शिक्षण-विधियों पर अत्यधिक प्रभाव डालता है और इस प्रकार यह शैक्षिक योग्यता की जाँच करने में ही सहायता नहीं करता, बल्कि शिक्षा के गुणात्मक स्तर को भी ऊँचा उठाने में सहायक होता है। इसीलिए मूल्यांकन की विधियाँ उपयुक्त, वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय और व्यावहारिक होनी चाहिए।’

अतः, परीक्षा-पद्धति में सुधार करने और मूल्यांकन के कार्यक्रम को प्रभाव-पूर्ण बनाने के लिए आयोग ने निम्नांकित सुझाव दिये हैं :—

१—मूल्यांकन के नवीन दृष्टिकोण का प्रयोजन होगा लिखित परीक्षा-पद्धति में सुधार, जिससे वह छात्र की शैक्षिक उपलब्धियों को मापने का विश्वसनीय और वस्तुनिष्ठ साधन बन सके, और छात्रों के विकास के उन महत्वपूर्ण पहलुओं को मापने के लिए, जिनको लिखित परीक्षा द्वारा माप नहीं सकते, विभिन्न शैलियों की खोज। (६-६५-६८ पृष्ठ, २४३-२४४)

२—निम्न प्राथमिक स्तर—इस स्तर पर मूल्यांकन का लक्ष्य होगा छात्रों की प्रगति-माप, '६८]

की आधारभूत कुशलताओं की उपलब्धियों में सुधार और उनमें सम्यक आदतों और दृष्टिकोण के निर्माण में सहायता करना । (६-६६, पृष्ठ २४४)

३—उच्चतर प्राथमिक स्तर—इस स्तर पर आन्तरिक परीक्षा के रूप में लिखित परीक्षाओं के अतिरिक्त मौखिक तथा निदानात्मक परीक्षाओं का प्रयोग किया जाय । बालक के विकास अथवा बड़ोत्तरी की जाँच के लिए सरल संचित अभिलेखपत्रों (क्यूमुलेटिव रेकार्डस) का क्रमशः प्रयोग किया जाय । (६७१)

४—प्राथमिक स्तर की समाप्ति पर बाह्य परीक्षा होनी चाहिए । राज्य मूल्यांकन परिषद् द्वारा निर्मित सरल, किन्तु सुधरे हुए मानक टेस्टों के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी जिले के समस्त स्कूलों की परीक्षा लें, जिससे अन्तर विद्यालय समान स्तर-उपलब्धि की जाँच हो सके । प्राथमिक शिक्षा की समाप्ति पर छात्रों को सर्टिफिकेट भी दिये जाय । इस बाह्य परीक्षा के अतिरिक्त छात्र वृत्ति प्रदान करने के लिए अथवा विनोद प्रतिभा की खोज के लिए विनोद परीक्षाएँ ली जायँ । (६७४, पृष्ठ २४५)

५—बाह्य परीक्षाओं में सुधार—प्रश्न पत्र बनानेवालों की योग्यता में वृद्धि कर प्रश्न पत्र के प्रश्नों की यथासंभव वस्तुनिष्ठ बनाकर प्रश्नों की प्रकृति में सुधार कर जाँचने की विधि को अधिक वैज्ञानिक बनाकर बाह्य परीक्षा में सुधार किया जाय ।

६—प्राथमिक अथवा माध्यमिक परिषद् परीक्षा के अन्त में जो प्रमाण-पत्र दे, उनमें छात्रों द्वारा विभिन्न विषयों में उपलब्ध अंक दिये जायँ परन्तु वह पूरी परीक्षा में पास या फेल है, यह न लिखा जाय । विद्यालय की आन्तरिक परीक्षा और अभिलेखों, प्रपत्रों के आधार पर छात्र के मूल्यांकन का प्रमाण-पत्र भी परिषद् द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र के साथ सलग्न किया जाय (६८०-८१, पृष्ठ २४६-४७) ।

७—प्रयोगात्मक विद्यालयों की स्थापना—कुछ ऐसे प्रयोगात्मक विद्यालयों की स्थापना की जाय जिन्हें अपना पाठ्यक्रम बनाने अपनी पाठ्यपुस्तकें निर्धारित करने, मूल्यांकन के लिए अपनी प्रणालियों का प्रयोग करने और कक्षा १० के अन्त में स्वयं अपनी परीक्षा लेने का अधिकार हो । विद्यालय शिक्षा परिषद् इन प्रयोगात्मक विद्यालयों की सन्तुष्टि पर छात्रों को प्रमाण-पत्र प्रदान करे । विद्यालय परिषद् द्वारा नियुक्त समिति इस प्रकार के स्कूलों की एक सूची बनाये, जिसमें अनुभव के उपरान्त परिवर्तन और परिवर्धन किया जाय । (६८२-८३ पृष्ठ २४७) ।

८—आन्तरिक परीक्षा पद्धति—आन्तरिक परीक्षा अधिक व्यापक हो और

इसके द्वारा छात्र के सभी पहलुओं की, उनकी भी, जिनकी जाँच बाह्य परीक्षा से नहीं हो सकती, जाँच हो। बाह्य परीक्षाओं के साथ-साथ आन्तरिक परीक्षाओं को भी प्रमाण-पत्र देने का आधार बनाया जाय।

आन्तरिक जाँच के लिए विभिन्न रीतियों का प्रयोग किया जाय। जैसे— निरीक्षण, शिक्षक-निमित्त परीक्षण (टेस्टस) मौखिक और प्रयोगात्मक परीक्षाएँ, सचियों, कमानों, क्षमताओं और कौशल आदि की जाँच के लिए प्रमाणीकृत परीक्षण (स्टैण्डर्ड टेस्ट)।

आयोग द्वारा सस्तुत मूल्यांकन की इन विधियों का यदि अवलम्बन किया जायगा तो निःसन्देह छात्रों का मूल्यांकन अधिक वस्तुनिष्ठ और उपयुक्त हो सकेगा और यह भी सम्भव है कि उनके उन पक्षों की भी जाँच हो जाय जो अब तक निष्पातमक लिखित प्रणाली द्वारा नहीं हो पाती थी। आयोग ने आन्तरिक परीक्षा पद्धति पर ज़ार देकर मूल्यांकन के क्षेत्र में एक प्रगतिपूर्ण कदम उठाया है, क्योंकि इससे छात्रों के पूरे बप भर के काम का मूल्यांकन होगा। अतः वे परीक्षा के समय रट रटाकर किसी तरह परीक्षा पास करने के स्थान पर पूरे बप पढ़ने की चेष्टा करेंगे। इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव छात्रों के अनुशासन पर भी पड़ेगा।

ये सस्तुतियाँ अपने में महत्वपूर्ण हैं, परंतु इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण सस्तुति है प्रयोगात्मक विद्यालया द्वारा अपनी परीक्षाएँ लेने की सस्तुति। प्रत्येक राज्य में ही नहीं, प्रत्येक जिले में, इस प्रकार के प्रयोगात्मक विद्यालया की व्यवस्था दिया जाय ऐसी सस्तुति आयोग ने की है। इस सस्तुति क कार्यान्वयन से परीक्षा प्रणाली में विने-द्वीकरण की नीति का प्रवेश होगा, जो एक प्रगतिपूर्ण कदम होगा। जितनी जल्दी हो सके इस सस्तुति का कार्यान्वयन हो, क्योंकि यह अध्यापकों में विरवास नीति की परिचायक है, जिसकी आज बड़ी आवश्यकता है। इससे हमारा अध्यापक अपनी छाया हुई गरिमा को प्राप्त कर सकेगा और हमारा प्रयोग प्रभाव अनुशासन पर पड़ेगा। इसी प्रकार हाईस्कूल के प्रमाण पत्र में उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण न लिखकर केवल विषयों में प्राप्त अंक लिख देने की सस्तुति भी महत्वपूर्ण है और इसका तत्काल कार्यान्वयन होना चाहिए।

गिना आयोग ने अपनी प्रतिवेदन में गिना के राष्ट्रीय स्तरान द्वारा प्रचारित मूल्यांकन प्रणाली का अपनाते की सिफारिश की है। वैसे तो मूल्यांकन के लिए पूरे देश के लिए एक समान मूल्यांकन पद्धति विवक्षित करने की चेष्टा उतनी ही गलत है जितनी एक समान पाठ्यक्रम अथवा पाठ्यपुस्तकें बनाने की बात। परंतु इस स्थानान ने जो नये प्रकार के टेस्ट्स बनाये हैं उनमें अनेक तो उतने मूल्य के भी नहीं हैं, जितने मूल्य के कागज पर उन्हें लिखा गया है। उनमें करवरी-मार्च, '६८]

से क्रुद्ध तो दूषित और व्यर्थ भी है। आयोग को इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए था।

आयोग ने बाह्य परीक्षा के सुधार पर बल दिया है, परन्तु उसकी सस्तुतिया का पलड़ा बाह्य-परीक्षा के महत्व को कम करने की अपेक्षा उसको बढ़ाने की ओर अधिक झुका है। नही तो आयोग प्राइमरी के अन्त में जिलेभर में एक बाह्य-परीक्षा के आयोजन की सस्तुति न करता। आवश्यकता बाह्य-परीक्षा के महत्व को समाप्त करने की है। आज तो अध्यापक कोस की पुस्तकें न पढ़ाकर केवल बाह्य-परीक्षा में उत्तीर्ण होने की दृष्टि से पढ़ाता है। अधिकांश छात्र न पाठ्यपुस्तकें पढ़ते हैं और न अध्यापक के शिक्षण का ध्यान रखते हैं। वे तो केवल 'गेस पेपर्स' पढ़कर परीक्षोत्तीर्ण होने की सोचते हैं। अभिभावक अपने बच्चों के दारौरिक और मानसिक विकास की चिन्ता न करके केवल उनके बाह्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने की बात को ही महत्व देते हैं। आज के अनुचित साधनों के प्रयोग के मूल में और इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों को भ्रष्टाचार सिखाने में बाह्य-परीक्षा प्रणाली का ही हाथ है। आज हमारे पूरे शैक्षिक जीवन पर इसीका नियंत्रण हो गया है। आयोग को स्पष्ट इस नियंत्रण के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए था, जैसा उसने नहीं किया है। उसने आन्तरिक परीक्षाओं द्वारा और अभिलेखों द्वारा बालक के समस्त व्यक्तित्व को स्कूल के भीतर ही जाँचने की सिफारिश तो की है परन्तु एकरूपता और सादृश्य के नाम पर बाह्य-परीक्षा प्रणाली की समानान्तर धारा को अपुण्य गति से बहते रहने की सस्तुति का, एक ऐसी मनोवृत्ति का परिचय दिया है, जिसे स्तुत्य नहीं कहा जा सकता। संभवतः रूस के प्रभाव से वह बच नहीं सका है।

बाह्य-परीक्षाओं के महत्व को कम करने का एक ही माग है। वह यह कि नौकरी देनेवाली मस्याएँ चाहे वे सरकारी ही अथवा गैर-सरकारी, अपना परीक्षाएँ स्वयं लें और शिक्षा-परिषद अथवा विश्वविद्यालय के प्रमाण-पत्रों का नौकरी प्राप्त करने की आवश्यक दालें न माना जाय। आयोग ने इस प्रकार की स्पष्ट सस्तुति नहीं की है। और जब तक यह नहीं किया जाता तब तक न तो बाह्य-परीक्षाओं के महत्व में कोई कमी होगी और न अध्यापक की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अध्यापक की आज की अप्रतिष्ठा का मूल कारण यही कि छात्रों के मूल्यांकन में उसका कोई हाथ नहीं रह गया है। ●

शिक्षा-आयोग की महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ

शिक्षण और राष्ट्रीय लक्ष्य

१. शिक्षण में जिस अत्यन्त महत्वपूर्ण और आवश्यक सुधार की आवश्यकता है, यह है शिक्षा में परिवर्तन करना और उसे जीवन के साथ इस तरह सम्बद्ध करना, जिससे वह जनता की भावनाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति करे तथा इस प्रकार राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का वह शक्तिशाली यंत्र बन सके। इस उद्देश्य के लिए शिक्षण को इस प्रकार विकसित करना चाहिए, जिससे वह उत्पादक और उत्पादक शक्ति को बढ़ा सके, सामाजिक और राजनीतिक एकता की प्राप्ति कर सके, लोकतन्त्र को शक्तिशाली बना सके, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ा सके और सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को विकसित कर सके।

शिक्षा और उत्पत्ति

उत्पत्ति के साथ शिक्षण को सम्बद्ध करने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम आवश्यक है।

- (१) विज्ञान का शिक्षण—स्कूल की पढ़ाई में विज्ञान का शिक्षण एक अनिवार्य अंग होना चाहिए और बाद में विश्वविद्यालय-स्तर पर सभी पाठ्यक्रमों का एक अंग होना चाहिए।
- (२) कार्यानुभव—सभी प्रकार के शिक्षण में कार्य का अनुभव उसके अनिवार्य रूप में दायित्व होना चाहिए।
- (३) कार्य के अनुभव को तकनीकी और औद्योगीकरण के साथ मिलाने का पूरा प्रयत्न किया जाना चाहिए और उत्पादन की प्रक्रिया में विज्ञान का उपयोग होना चाहिए, जिसमें कृषि भी सम्मिलित है।
- (४) व्यावसायीकरण—भाष्यनिर निगम में उत्तरोत्तर व्यावसायीकरण करवरी मार्च, '६०]

हाना चाहिए और उच्चतर शिक्षण में कृषि और तकनीकी शिक्षण पर आज की अपेक्षा अधिक जोर दिया जाना चाहिए ।

सामाजिक और राष्ट्रीय एकता

३ सामाजिक और राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति शैक्षणिक पद्धति का एक आवश्यक अंग है । राष्ट्रीय चेतना और एकता को दृढ़ बनाने के लिए निम्न-लिखित उपाय करने चाहिए

- (१) सार्वजनिक स्कूल—शिक्षण के लिए सार्वजनिक स्कूल की पद्धति राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में स्वीकार करनी चाहिए और उसे क्रमिक रूप में अमल में लाने के लिए बीस वर्षीय कार्यक्रम बनाना चाहिए ।
- (२) सामाजिक और राष्ट्रीय सेवा—छात्रों के लिए सभी स्तरों पर सामाजिक और राष्ट्रीय सेवा अनिवार्य होनी चाहिए । हर शिक्षण संस्था को अपने ढंग का सामाजिक जीवन विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिए और स्कूल कालेजों में छात्रावास और खेल के मैदानों में छात्रों से आवश्यक काम कराना चाहिए ।
- (३) प्राइमरी से लेकर अडरप्रैजुएट तक शिक्षण में सबके छात्रों को सामुदायिक विकास, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के कामों में भाग लेना अनिवार्य होना चाहिए ।
- (४) एन० सी० सी० का कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना के अंत तक जारी रखना चाहिए । अडरप्रैजुएट स्तर तक लगभग ६० दिन के शिक्षण का पूरा कार्यक्रम चलाने का प्रयत्न करना चाहिए । समाज-सेवा के और भी विकल्प खोजने चाहिए और उनके अमल में आने पर एन० सी० सी० को ऐच्छिक कार्यक्रम बना देना चाहिए ।
- (५) भाषा-सम्बन्धी नीति—शिक्षण-पद्धति में एक उपयुक्त भाषा-पद्धति का विकास होना चाहिए ।
- (६) स्कूल और कालेज के स्तर में मातृभाषा का प्रमुख दावा है । गिना का माध्यम उसीको बनाना चाहिए । उच्च स्तर पर प्रशिक्षण के लिए क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम बनाना चाहिए ।
- (७) क्षेत्रीय भाषाओं में, विशेषतः वैज्ञानिक और तकनीकी पुस्तकें और साहित्य तैयार करने के लिए प्रभावपूर्ण प्रयत्न होने चाहिए । यह

विश्वविद्यालयों का उत्तरदायित्व माना जाय और युनिवर्सिटी प्राट कमिशन इसमें मदद करे ।

(ग) अखिल भारतीय संस्थानों को आज की भाँति अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाये रखना चाहिए । यथासमय हिन्दी उसका स्थान ले सकती है । उसके लिए कुछ विशेष संरक्षण सम्बन्धी नियम बनाये जा सकते हैं ।

(घ) क्षेत्रीय भाषाओं को सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए यथाशीघ्र शासन की भाषा बना देना चाहिए, जिससे कि जो लोग क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से पढ़ते हैं, वे उच्च सेवाओं की प्राप्ति से वंचित न रह जायें ।

(च) अंग्रेजी का शिक्षण और अध्ययन स्कूल के स्तर से लेकर ऊपर तक बढ़ाते रहना चाहिए । अन्य अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं, जैसे रूसी भाषा को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए ।

(छ) स्कूल के स्तर पर और विश्वविद्यालय के स्तर पर भी कुछ ऐसी शिक्षण संस्थाएँ खड़ी की जानी चाहिए, जिसमें शिक्षा का माध्यम विश्व की कुछ महत्वपूर्ण भाषाएँ हों ।

(ज) उच्च शैक्षणिक कार्य के लिए और बौद्धिक आदान-प्रदान के लिए उच्च शिक्षण में अंग्रेजी एक कड़ी की भाषा का काम करेगी । पर अंग्रेजी देश के अधिकांश लोगों के लिए कड़ी की भाषा नहीं बन सकती । ऐसा स्थान केवल हिन्दी ही ले सकती है और यथासमय उसे लेना ही चाहिए, क्योंकि यह सब की राजभाषा है और जनता की कड़ी की भाषा है, इसलिए गैरहिन्दी प्रदेशों में उसके प्रसार के सभी उपाय करने चाहिए ।

(झ) हिन्दी के अलावा सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं में अन्तर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान के लिए अनेक मार्ग निकालने चाहिए । भिन्न भाषावाले प्रत्येक प्रदेश में ऐसे कितने ही लोग होने चाहिए, जो दूसरी भारतीय भाषाएँ जानते हों । भिन्न भिन्न भारतीय भाषाएँ सिखाने के लिए हर विश्वविद्यालय में आयोजन होने चाहिए । बी० ए० और एम० ए० के स्तर पर दो भारतीय भाषाओं को मिलाने का प्रयत्न होना चाहिए ।

(ञ) राष्ट्रीय चेतना का विनाश—स्कूल की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य राष्ट्रीय चेतना का विनाश होना चाहिए । अपनी सांस्कृतिक

विरासन और भविष्य में महान् धडा के द्वारा यह भावना विकसित करनी चाहिए ।

लोकतंत्र के लिए शिक्षण

४ लोकतंत्र को स्थायी बनाने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम चलाये जा सकते हैं

- (१) १४ वर्ष तक की आयु के बच्चों को उत्तम प्रकार का निशुल्क और अनिवाय शिक्षण दिया जाय । प्रौढ शिक्षण का भी कार्यक्रम चलाया जाय, जिससे निरक्षरता ही दूर न हो, जनता की नागरिक और व्यावसायिक प्रतिभा भी विकसित हो ।
- (२) सामाजिक और उच्चतर शिक्षण को व्यापक करके सभी प्रतिभाशाली बालकों के लिए विकास की समान सुविधाएँ दी जायँ, जिससे उनकी नेतृत्व-शक्ति का विकास हो सके ।
- (३) लोकतांत्रिक मूल्या के विकास के लिए स्कूलों का कार्यक्रम ऐसा हो, जिससे लाकतांत्रिक मूल्य विकसित हो सकें, जैसे—वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सहनशीलता, जनसेवा, आत्मानुशासन, स्वावलम्बन, श्रमनिष्ठा आदि ।

शिक्षा और आधुनिकता]

- ५ (१) आज के समाज में ज्ञान का विकास अत्यन्त तीव्र गति से हो रहा है और सामाजिक परिवर्तन भी तीव्र गति से हो रहा है, इसलिए शिक्षा-पद्धति में क्रान्तिकारी परिवर्तन अपेक्षित है । बालकों की जिज्ञासा को इस प्रकार जाग्रत करना चाहिए कि वे स्वतंत्र रूप से सोचें, अध्ययन, मनन और निष्पत्ति करें ।
- (२) इसके लिए समाज को स्वयं अपने को गिनित करना होगा ।

सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य

- ६ (१) शिक्षा-पद्धति का मूलभूत सामाजिक नैतिक और आध्यात्मिक मूल्या के विकास पर जोर देना चाहिए, इस दृष्टि से—
- (क) केंद्रीय और राज्य-सरकारों को अपनी सभी शिक्षण-संस्थाओं में विश्वविद्यालय शिक्षा-आयोग और धार्मिक और नैतिक शिक्षण समिति द्वारा जो सिफारिशों की गयी हैं, उनसे आधार पर

शिक्षा में नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों का प्रवेश करना चाहिए ।

- (स) निजी शिक्षण-संस्थाओं में भी ऐसा होना चाहिए ।
- (ग) स्कूल में इसका अनिवार्य क्रम तो रहे ही, कभी-कभी बाहर के भिन्न भिन्न संप्रदायों के शिक्षकों को बुलाकर भी ऐसा शिक्षण देना चाहिए ।
- (घ) विश्वविद्यालयों के धर्मों के तुलनात्मक अध्ययनवाले विभागों को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए कि ये नैतिक मूल्य किस प्रकार अच्छे ढंग से लोगों को सिखाये जा सकते हैं । छात्रों और अध्यापकों के लिए ऐसा विशेष साहित्य भी तैयार करना चाहिए ।
- (२) अनेक परोपकार लोकात्मिक राज्य के लिए वह आवश्यक है कि वह सभी धर्मों के सहिष्णुतापूर्ण अध्ययन का विकास करे, जिससे उसके नागरिक एक-दूसरे को अधिक अच्छी तरह समझ सकें और एक दूसरे के साथ मिलकर प्रेम से रह सकें । स्कूलों और कालेजों में नागरिकता अथवा सामाजिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में एक महत्वपूर्ण अंश ऐसा रहना चाहिए, जिसमें सभी प्रमुख धर्मों के सम्बन्ध में अच्छे ढंग से चुनी हुई सामग्री रहे । उसमें यह बताना चाहिए कि विश्व के सभी महान् धर्मों में बुनियादी समानता है और वे सबके सब नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर एक समान जोर देते हैं । अच्छा हो कि इस विषय पर देश के सभी भागों में एक समान पाठ्यक्रम रखा जाय और एक ही सामान्य पाठ्यपुस्तकें हो । राष्ट्रीय पैमाने पर हर धर्म के अधिकारियों और उपयुक्त विद्वानों द्वारा इस तरह का साहित्य तैयार करना चाहिए ।

शिक्षा का ढाँचा और स्तर

- (१) शिक्षा का नया ढाँचा इस प्रकार होगा
- (१) स्कूल से पहले का शिक्षण एक से तीन साल तक ।
- (२) एक प्राइमरी स्तर ७ से ८ वर्ष का हो, जिसमें लोअर प्राइमरी ४ या ५ साल का हो और हायर प्राइमरी ३ या २ साल का हो ।
- (३) एक लोअर माध्यमिक स्तर तीन या दो साल का हो ।

(४) एक हायर माध्यमिक स्तर, जिसमें दो साल सामान्य शिक्षण दिया जाय अथवा एक से तीन साल तक औद्योगिक व्यावसायिक शिक्षण दिया जाय ।

(५) पहली उपाधि (डिग्री) के लिए तीन साल अथवा अधिक समय का एक उच्च शिक्षण-स्तर । उसके बाद दूसरी उपाधि अथवा दोष के लिए भिन्न भिन्न अवधियों का पाठ्यक्रम रहे ।

(२) कक्षा १ में भरती होने की उमर कम-से-कम ५ साल हो ।

(३) दसवें दर्जे के पहले किसी विषय में विशेषीकरण का प्रयत्न न किया जाय ।

(४) माध्यमिक शालाएँ दो प्रकार की हो—हाईस्कूल, जिसमें १० साल का सामान्य पाठ्यक्रम रहे, और उच्च माध्यमिक शाला जिसमें ११ अथवा १२ साल का ।

(५) हर माध्यमिक शाला को उच्च माध्यमिक स्तर पर ले जाने का प्रयत्न न किया जाय । केवल एक चौपाई स्कूलों को ऊपर उठाया जाय, जो अधिक बड़े और कायक्षम हो ।

(६) एक नया माध्यमिक शिक्षण-पाठ्यक्रम कक्षा ११ से शुरू किया । ११ और १२ कक्षा में भिन्न विषयों के विशेष अध्ययन का प्रबन्ध हो ।

७. (क) प्रीयुनिवर्सिटी कोर्स—१९७५-७६ तक विश्वविद्यालयों और सम्बद्ध कालेजों से प्रीयुनिवर्सिटी कोर्स उठाकर माध्यमिक शालाओं को दे दिया जाय और १९८५-८६ तक २ वर्ष का उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए ।

(ख) सेकेंडरी एजुकेशन बोर्डों का पुनर्गठन हो, जिससे वे हायर सेकेंडरी स्तर की जिम्मेदारी भी संभाल सकें ।

८ लोअर और हायर माध्यमिक स्तरों पर १ से ३ वर्ष तक विभिन्न प्रकार के औद्योगिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किये जायें ।

९ पहली उपाधि का पाठ्यक्रम तीन वर्षों से कम का नहीं होना चाहिए । दूसरी उपाधि का पाठ्यक्रम दो से तीन वर्ष का हो सकता है ।

१०. (१) स्कूलों में शिक्षण के दिवस साल में ३६ सप्ताह कर देना चाहिए, और कालेजों और पूर्वप्राथमिकी स्कूल में ३६ सप्ताह करना चाहिए ।

(३) माध्यमिक

कक्षा ८ से १२

या

कक्षा ९ से १२

(ए) निम्न माध्यमिक शिक्षा

कक्षा ८ से १०

या

कक्षा ९ और १०

(बी) उच्चतर माध्यमिक शिक्षा

कक्षा ११ से १२

१ हाईस्कूल

१ XI या पी० यू० सी०

२ जूनियर कालेज (केरल)

३ इण्टरमीडिएट कालेज

(उ०प्र० बम्बई)

४ प्री प्रोफेशनल प्री मेडिकल,

प्री इंजिनियरिंग

(४) उच्च शिक्षा

१ प्रोफेशनल डिग्री

एम० ए०, एम०एस-सी०

एम० काम, एम० एड०, बी० ई०,

एम० बी० बी० एस०, बी० एड०,

बी० टी०, एल-एल० बी० ।

२ सामान्य डिग्री

बी०ए०, बी० एस-सी०, बी० काम०

आदि इनमें प्रोफेशनल डिग्री नहीं है ।

३ अडर ग्रेजुएट

ये सभी पाठ्यक्रम, जो पहली डिग्री

दिलाते हैं ।

४ पोस्ट ग्रेजुएट

पहली डिग्री के बाद के सभी कोर्स,

जैसे एम०ए०, एल-एल०बी०, बी०

एड० आदि ।

(५) सामान्य

१ प्रथम स्तर की शिक्षा

१ इसमें प्री स्कूल तथा प्री प्राइमरी

स्कूल सम्मिलित हैं ।

२ द्वितीय स्तर की शिक्षा

२ हाईस्कूल तथा हायर सेकेंडरी स्कूल

३ तृतीय स्तर की शिक्षा

३ अडर ग्रेजुएट तथा पोस्ट ग्रेजुएट

- (२) सरकारी छुट्टियों के अलावा साल में १० दिन से अधिक की छुट्टियाँ नहीं होनी चाहिए । परीक्षा अथवा अन्य कारणों से स्कूलों में २१ दिन से अधिक और कॉलेजों में २७ दिन से अधिक पढ़ाई बन्द नहीं रहनी चाहिए ।
- (३) छुट्टियों का पूरा उपयोग विभिन्न अध्ययनों, समाज-सेवा शिविरों साक्षरता-आन्दोलनों आदि कार्यों में करना चाहिए ।
- ११ (१) शिक्षा के सभी स्तरों का स्तर ऊपर उठाने का ठोस प्रयत्न करना चाहिए ।
- (२) इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षण के विभिन्न स्तरों में आज की अपेक्षा कहीं अधिक परस्पर सहयोग हो ।

एकरूपता

आयोग चाहता है कि जहाँ तक सम्भव हो पूरे भारत में शिक्षा का स्तर दो या एक-सा रहे । शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर एकरूपता का होना देश के दीर्घकालिक हितों की एकता के लिए आवश्यक है ।

इसके लिए आयोग का प्रस्ताव निम्न प्रकार है

प्रस्तावित रूप

विद्यमान रूप

(१) पूर्व प्रारम्भिक	१ पूर्व प्रारम्भिक, २ पूर्व बुनियादी, बालबादी ३ किंडर गार्टन, ४ माटेसरी
(२) प्रारम्भिक (कक्षा १ से ७ या ८ तक)	१ प्राइमरी (कुछ राज्यों में) २ लोअर प्राइमरी
(१) निम्न प्रारम्भिक कक्षा १ से ४ या कक्षा १ से ५	३ जूनियर बेसिक ४ लोअर एलिमेंट्री
(११) उच्च प्राइमरी कक्षा ५ से ७ या कक्षा ६ से ८	१ मिडिल (कुछ राज्यों, पंजाब आदि में) २ जूनियर हाईस्कूल (उ० प्र०) ३ अपर प्राइमरी स्कूल (गुजरात) ४ सीनियर बेसिक स्कूल ५ हायर एलिमेंट्री स्कूल (मद्रास) ६ हाईस्कूल, ७ हायर सेनेयरी स्कूल

(३) माध्यमिक

कक्षा ८ से १२

या

कक्षा ६ से १२

(ए) निम्न माध्यमिक शिक्षा

कक्षा ८ से १०

या

कक्षा ६ और १०

(बी) उच्चतर माध्यमिक शिक्षा

कक्षा ११ से १२

१ हाईस्कूल

१ XI या पी० यू० सी०

२ जूनियर कालेज (केरल)

३ इण्टरमीडिएट कालेज

(उ०प्र०, बम्बई)

४. प्री प्रोफेशनल, प्री मेडिकल,

प्री इजिनियरिंग

(४) उच्च शिक्षा

१. प्रोफेशनल डिग्री

एम० ए०, एम०एस सी०

एम० काम, एम० एड०, बी० ई०,

एम० बी० बी० एस०, बी० एड०,

बी० टी०, एल-एल० बी० ।

२. सामान्य डिग्री

बी०ए०, बी० एस-सी०, बी० काम०

आदि इनमें प्रोफेशनल डिग्री नहीं है ।

३. अडर प्रेजुएट

ये सभी पाठ्यक्रम, जो पहली डिग्री

दिलाते हैं ।

४. पोस्ट प्रेजुएट

पहली डिग्री के बाद के सभी कोर्स,

जैसे एम०ए०, एल-एल०बी०, बी०

एड० आदि ।

(५) सामान्य

१ प्रथम स्तर की शिक्षा

१. इसमें प्री स्कूल तथा प्री प्राइमरी

स्कूल सम्मिलित हैं ।

२ द्वितीय स्तर की शिक्षा

२. हाईस्कूल तथा हायर सेकेंडरी स्कूल

३. तृतीय स्तर की शिक्षा

३. अडर प्रेजुएट तथा पोस्ट प्रेजुएट

सम्पादक मण्डल

श्री धीरेन्द्र गजूमदार—प्रधान सम्पादक

श्री वशीधर श्रीवास्तव

श्री राममूर्ति

वर्ष . १६

अंक ७८

अनुक्रम

कौसी डिजाइन ?	२८६ श्री राममूर्ति
आयोग-सन्तुत शिक्षा का लक्ष्य बनाम	
वुनियादी शिक्षा	२९१ श्री कृष्णभाषव
विद्यालयी शिक्षा का पाठ्यक्रम	२९५ श्री भुवनेश्वर गुप्त
भाषा	३०५ श्री भुवनेश्वर गुप्त
शैक्षिक प्रशासन	३१३ श्री लक्ष्मेन्द्रकुमार शर्मा
कार्यानुभव	३१७ श्री प्रताप सिंह
कार्यानुभव बेसिक शिक्षा के उद्योग का विकल्प	३२३ श्री वशीधर श्रीवास्तव
माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण	३२३ श्री सुरेश भटनागर
शिक्षा-आयोग के सन्दर्भ में उच्च शिक्षा	३४१ डा० धर्मोदनाथ दाळी
शालाओं में सामुदायिक जीवन	३५१ श्री के० एस० आचार्य
समाज सेवा कुछ विचार	३५७ श्री राधाकृष्ण
संस्कृत क्यों ?	३६३ श्री देवेन्द्र हाण्डा
शिक्षा-योजना तथा उपलब्ध मानव साधन	३६६ श्री द्वारिका सिंह
आयोग द्वारा संस्तुत मूल्यांकन	३७२ डा० देवेन्द्रदत्त तिवारी
शिक्षा-आयोग की महत्वपूर्ण सरतुतियाँ	३७६

फरवरी मार्च '६८

निवेदन

- नयी तालीम का वष अगस्त से आरम्भ होता है।
- 'नयी तालीम का वापिस' खादा छ रुपये है और एका अंक के ५० पैसे।
- पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहकसख्या का उल्लेख अवश्य करें।
- रचनाओं में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है।

विश्व-साहित्य की अनमोल निधि

ऐतिहासिक आलेख और साहित्यिक प्रतिभा से समृद्धित

महादेव भाई
की
ढायरी
(हिन्दी)



DAY-TO-DAY
WITH
GANDHI
(अंग्रेजी)

सन् १९१७ से १९४२ तक

महादेव भाई

द्वारा अंकित

गांधीजी के जीवन का हर पल, हर दिन

- राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास
- विचारों के अन्तस्तल में प्रविष्ट लोग
- राष्ट्र-मानस का सजीव चित्र
- अन्तर्राष्ट्रीय सन्दर्भ और हलचलें
- अहिंसा के अमर पथिक के अभियानों

की

जीती-जागती कहानी

विशेष जानकारी के लिए लिखें :-

सर्व सेवा संघ प्रकाशन

राजघाट : वाराणसी-१

‘भूदान-यज्ञ’

भूदान-यज्ञ मूलक ग्रामोद्योग प्रधान अहिंसक
क्रान्ति का सन्देशवाहक—साप्ताहिक

विनोबा, दादा धर्माधिकारी, श्री जयप्रकाश नारायण,
श्री शंकरराव देव, श्री धीरेन्द्र मजूमदार आदि विचारकों
के लेख तथा ग्रामदान, शान्तिसेना के आन्दोलनों
की जानकारी सहित पठनीय तथा मननीय

सम्पादक : राममूर्ति

वार्षिक चन्दा : १० रु०

एक प्रति : २० पैसे

प्रकाशक

सर्व सेवा संघ प्रकाशन

राजघाट, वाराणसी-१

श्री तालिम

श्री तालिम, श्री तालिम, श्री तालिम



चौथी योजना में शिक्षा-व्यवस्था में सुधार

अपने मंत्रालय की मांगों पर वहस का जवाब देते हुए केंद्रीय शिक्षा-मंत्री डाक्टर त्रिगुण सेन ने लोकसभा में घोषणा की है कि चौथी योजना में शिक्षा-आयोग (कौठारी-आयोग) की सिफारिशों को शिक्षा के पुनर्गठन का आधार बनाया जायगा और १९६८-६९ से इन सिफारिशों को बड़े पैमाने पर लागू किया जायगा। इस प्रसंग में उन्होंने चार सूत्री कार्यक्रम लागू करने की बात कही है —

१—राष्ट्रीय सेवा का इस प्रकार विकास जिससे एन० सी० सी० अनिवाय नहीं रहे और छान इसके अतिरिक्त शारीरिक शिक्षा (खेलकूद) अथवा राष्ट्रीय सेवा के किसी कार्यक्रम में शामिल हो सके।

२—पुस्तक प्रकाशन संगठन का सम्बद्धन जिससे राष्ट्रीय एकता को बल मिले। भावनात्मक एकता के विकास तथा बच्चों के लिए पुस्तकों का प्रकाशन राष्ट्रीय आधार पर किया जायगा। स्कूलों के लिए अच्छी पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशन का और विश्वविद्यालयों के लिए भारतीय भाषाओं में पुस्तकों तैयार करने का काम भी किया जायगा।

३—विज्ञान की शिक्षा का व्यापक विकास विनोद विद्यालयी स्तर पर होगा। विद्यालय स्तर पर विज्ञान की शिक्षा को सुव्यवस्थित किया जायगा विज्ञान के शिक्षकों के प्रशिक्षण का प्रबंध किया जायगा और स्कूलों को इसके लिए प्रोत्साहन

साधन दिये जायेंगे । विज्ञान से सम्वन्धित संस्थानों के काम में सुधार किया जायगा और समन्वय स्थापित किया जायगा ।

४—तकनीकी शिक्षा का विकास इस प्रकार किया जायगा कि उसको उद्योगों की जरूरतों से जोड़ा जा सके ।

इसमें सन्देह नहीं कि इस चार सूत्री कार्यक्रम को मफलतापूर्वक चलाया गया तो देश की शिक्षा में कुछ सुधार होगा; परन्तु कोई बड़ा गुणात्मक सुधार नहीं होगा । इसी प्रकार यदि सभी राज्य-सरकारों ने डाक्टर सेन की बात मान ली और तत्काल प्रारम्भिक शिक्षा को निःशुल्क बना दिया और उसमें बालिकाओं, पिछड़ी जातियों और समाज के निर्धन तबकों के अधिकाधिक बच्चों को ले भी लिया तो भी इसमें शिक्षा में गुणात्मक सुधार होनेवाला नहीं है । यहाँ तक कि विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करनेवाले सभी संघटनों के प्रयासों को समन्वित कर विज्ञान के स्तर को ऊँचा करने की कोशिश में सफलता मिल जाने पर भी शिक्षा के क्षेत्र में वह क्रान्ति नहीं होने जा रही है, जिसको देश को अपेक्षा है ।

शिक्षा-आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्ति ऐसी कोई बात होगी या नहीं होगी, इस विवाद में न पड़कर हम यहाँ इतना ही कहना चाहेंगे कि शिक्षा-आयोग की सिफारिशों में ही ऐसी महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं, जिनकी चर्चा इस भाषण में होनी चाहिए थी और जिन्हे इस चार सूत्री कार्यक्रम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए था, क्योंकि तब चाहे क्रान्ति भले ही न होती; परन्तु शिक्षा में कुछ गुणात्मक सुधार अवश्य होते । हम यह नहीं कहते कि महत्वपूर्ण संस्तुतियों पर शिक्षा-मंत्रों की दृष्टि नहीं है, परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि इन्हें इस प्रकार रेखांकित किया जाय कि उनकी ओर सबका ध्यान आकर्षित हो । शिक्षा-आयोग की वे महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नांकित हैं :

१—कार्यानुभव को शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर शिक्षा का अभिन्न अंग बना देना और माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण, जिससे शिक्षा उत्पादक हो और सक्षम व्यक्तित्व का निर्माण सम्भव हो ।

२—प्रारम्भिक स्तर से विश्वविद्यालयी स्तर तक क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाना और राज्य-सरकारों द्वारा शासन का सारा काम क्षेत्रीय भाषाओं में होना, जिससे शिक्षित और अशिक्षित के बीच की खाई पटे । यह काम अधिक-से-अधिक दस वर्ष में हो जाना चाहिए ।

३—पड़ोसी स्कूलों की स्थापना, जिससे देश में शिक्षा की एक ही सार्वजनिक पद्धति चले और शिक्षा समाजवादी समाज के निर्माण में सहायक हो सके ।

४—शैक्षिक प्रशासन नियोजन और विकास के लिए जिले को इकाई के रूप में विकसित करना जिससे राष्ट्रीय लक्ष्यों की भूमिका में स्थानीय परिस्थितियों में शिक्षा का नियोजन अधिक यथाथ और प्रभावपूर्ण ढंग से करना सम्भव हो ।

आयोग की ये ऐसी सिफारिशें हैं जिनका कार्यान्वयन करने में शिक्षा का रूप बदलेगा, शिक्षा जीवन के निकट आयगी उत्पादक बनेगी और प्रशासन में विकेंद्रीकरण की नीति का प्रवेश होगा । ये ऐसी बातें हैं जिनको आयोग ने वैश्व शिक्षा के आधारभूत सिद्धान्त कहकर स्वीकार किया है और स्पष्ट शब्दों में घोषणा की है कि प्रतिवेदन को प्रस्तुत करते समय वह हर कदम पर इन कमूलों से निर्देशित हुआ है । चौथी पंचवर्षीय योजना में यदि शिक्षा का पुनर्गठन कोठारी-आयोग की सिफारिशों के आधार पर होने जा रहा है तो हम सचेष्ट प्रयास करना चाहिए कि राष्ट्र का अधिक-से-अधिक साधन इन महत्वपूर्ण सिफारिशों के कार्यान्वयन में लगे नहीं तो सीमित साधनोंवाले इस देश का धन ऐसी सिफारिशों को लागू करने में व्यय हो जायगा, जिनसे न तो शिक्षा के क्षेत्र में कोई गुणात्मक सुधार होगा और न शिक्षण जन-जीवन से सम्बन्धित होकर देश के विकास का साधन बन सकेगी । हम ऐसा कुछ न करें, जिससे शिक्षा आज की तरह अनुत्पादक बनी रहे ।

—वशीधर श्रीवास्तव



अध्ययन : विद्यार्थी-जीवन की आवश्यक शर्त

विनोबा

मुझे विद्यार्थियों की सभा में बोलना बहुत ही रुचिकर मानूँ होता है। वैसे आम समाज में भी भाषण दिया जाता है, ता शब्दा लगना है। समाज का दगन होना है ता मुझे परमारना वा सागात्कार होता है। वेद नारायण ने कहा है—सहस्रगोर्वा पुष्य । परमात्मा के हजार हजार सिर हैं। जहाँ आम सभा हानी है वहाँ सहस्रगोर्वा परमात्मा का दगन होता है। लेकिन विद्यार्थी-समाज में बोलने का मोका आता है तो मुझे रुचि मानूँ होती है, वह रसप्रद मानूँ होता है। इसका क्या कारण है? कारण यह है कि मैं आज ७३ साल का विद्यार्थी हूँ। आप जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उनमें से १८ साल के, २० साल के २५ साल के हैं लेकिन मैं ७३ साल का विद्यार्थी हूँ। और बाद तिन जाता रहा कि जिस दिन मैंने किसी विद्या वा अध्ययन न किया हा। आज के दिन भी मेरा अध्ययन हुआ है और अध्यापन भी साथ-साथ हुआ है। अभी तो मैं एक ही स्थान पर १५२० दिन बैठता हूँ लेकिन जब मैं पैदल घूमता था, तब घूमने में समय जाता था, ३३ घण्टा घूमते थे तबसे समय जाता था लेकिन फिर भी रोज का अध्ययन चलता ही था। मुझे याद नहीं कि कोई दिन ऐसा गया हो कि जिस दिन हमने अध्ययन न किया हो। ऐसे कुछ दिन जरूर रहे हैं कि जब हमने खाना नहीं खाया हो, कम है लेकिन कुछ है। परन्तु जिस दिन अध्ययन न हुआ हो ऐसा कोई दिन गया हो याद नहीं।

बाबा निरंतर अध्ययन करता चला जा रहा है और हम देखते हैं, इन दिनों लडके कितना अध्ययन करते हैं। परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं। वे कहते भी हैं कि एक पेपर क बाद दूसरे पेपर के बीच में ७ दिन, ८ दिन, १० दिन का अवकाश दीजिये ताकि हम भरपूर तैयारी कर सकें। ७ दिन के तैयारी करके कण्ट करने अ योगे और जवाब लिख देंगे। अगर १५ दिन के वा फिर से वही परीक्षा ली जाय तो फेल होंगे क्योंकि ७ दिन के लिए यह

तैयारी थी। यानी क्या हुआ ? मानो वास्टर आयल ले लिया। वास्टर आयल ले लेने से क्या होता है ? पेट की सफाई हो जाती है, कुछ भी बात बाकी नहीं रहती। परीक्षा का अर्थ हुआ वास्टर आयल। परीक्षा के बाद बस फिर कोरा कागज तैयार है। लड़का जैसा का तैयार है। सारी विद्या आयी और गयी।

ऐसे अल्प ज्ञान से भारत कभी आगे नहीं बढ़ सकता। भारत आजाद हो गया है तो उसकी कसौटी हो रही है। सारे विश्व में भारत का कुछ अंश तब पढ़ सकता है जब भारत में अध्ययन-सम्पन्न और अनेक प्रकार के विद्या सम्पन्न ज्ञानी तैयार होंगे। अन्यथा आज हालत यह है कि इधर-उधर थोड़ा सा ज्ञान हासिल कर लिया और फिर जि दगी भर में अध्ययन है ही नहीं। एक दफा एम० ए० हो गये, तो फिर आगे कुछ नहीं। बहुत दफा में कहता हूँ कि एम० ए० तो तुमने कर लिया, और अब जो छोड़ा बाकी है, वह भी कर लो, तो पूरा हो जायगा। तो पूछते हैं कि उसके आगे क्या किया जाय ? तो मैं कहना है जरा 'डी' किया जाय, 'डी'। वे समझेंगे डी० लिट्०। लेकिन डी० लिट्० की बात नहीं हो रही है। एम० ए० के बाद 'डी' और जोड़ने की बात है। एम० एड० बस इतना बाकी है। कहने का सार यह है कि यह तो नाममात्र का एम० ए० है। न कुछ आता है न जाता है। ज्ञान तो है ही नहीं। और क्या है ? क्या ताकत है ? ताकत भी नहीं है। छाती कितनी चौड़ी है ? छातियाँ कमजोर हैं। मिलिटरी के लिए लोग को लेना होता है, तो ३२ इंच चौड़ी छाती चाहिए और कोई खास बीमारी नहीं होनी चाहिए, तो बस ले लिया जायगा। ऐसे कितने लोग निकलेंगे ? बहुत ही कम परसेण्ट निकलेंगे। यानी मिलिटरी के लिए भी परसेण्टेज कम है, और विद्या तो है ही नहीं। और काम भी कुछ नहीं जानते। खाना जरूर जानते हैं। बस, समाप्तम्। अगर वही याया पर निकले या मिलिटरी में गये और रसोई बनाने का मौका आया, तो रसोई बनाना भी जानते नहीं। यानी कोई भी काम नहीं जानते। अब इनमें विद्यार्थियों का दोष नहीं है, उन्हें जो विद्या दी जाती है, उस विद्या का ही दोष है।

मैं तो कहना यह चाहता था कि विद्यार्थियों को अत्यन्त अध्ययनसम्पन्न बनना चाहिए। तब उनकी वाणी भी खुलेगी। बिना वाणी के मनुष्य चित्त ही नहीं कर सकता। मनुष्य में और दूरग्रे प्राणियों में क्या फर्क है ? आप देखेंगे कि कई प्राणी चूँ चूँ चूँ चूँ बस बनना ही जानते हैं। वे इंसते ज्यादा बाल नहीं सकते। बोंबों की एक ही भाषा है—का का का का। एक का का

हो गया तो दुनिया भर के सारे कोशों की भाषा हो गयी। एक होता है वू वू चू, एक है ट्यूं ट्यूं ट्यूं, एक होता है दू दू दू दू। ऐसे कुछ क वाले है, च वाले है, ट वाले है, ड वाले हैं और ठ वाले भी है। एक बोलता है म्याओ, उसका नाम मयूर है। और दूसरा मार्जार (बिल्ली) है। वह भी म्याओ-म्याओ बोलता है। वह म वाला है। तो ये सारे तरह-तरह के परती है और उनके शब्द सीमित है और मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, जो मागोभाग प्रत्येक विचार शुद्ध ढंग से बना सकता है। इस वास्ते वाणी का सम्बन्ध उद्योग सम्भन्धा, उत्तम-पे-उत्तम शब्द ठीक अर्थ में बोलना, कम-से-कम शब्दों में अपना आशय सुव्यक्त करना यह बहुत बड़ी शक्ति भगवान ने मनुष्य को दी है। यह शक्ति विकसित होनी चाहिए।

ऐसा क्या स्कूल में होता है ? कोई-कोई विद्यार्थी ही प्रज्ञावान होंगे, लेकिन सबको प्रज्ञा मिलनी चाहिए और उसके साथ-साथ वाणी उनकी उत्तम होनी चाहिए। लेकिन जब अध्ययन ही नहीं है, तो क्या किया जाय ?

विद्यार्थी = परीक्षार्थी

परीक्षा में धमकी होती है। परीक्षा का चेराव भी होता है। विद्यार्थी कहते है कि हमको पेपर नकल करने का हक होना चाहिए और हम पर इस प्रकार की रोक नहीं होनी चाहिए। ताकि हम पास हो जायें। तो ऐसे विद्यार्थी तो वास्तव में विद्यार्थी ही नहीं है। एक अच्छा शब्द उनके लिए हिन्दी में है 'परीक्षार्थी'। विद्यार्थी नहीं, परीक्षार्थी। अब परीक्षार्थी शब्द भी गलत है, 'नौकरीअर्थी' होना चाहिए। ये नौकरीअर्थी है। नौकरी के लिए परीक्षा होती है। वही भी नौकरी की उम्मीद ही है। लेकिन यह उम्मीद बिल्कुल गलत है। आप लोग जानते है भारत में ५० करोड़ लोग है। अभी २० परसेंट लोगो को तालीम मिलती है। इसका मतलब है कि १० करोड़ लोग शिक्षित हैं। उन १० करोड़ में से नौकरियों में तो ५५ लाख है, और ५ लाख आर्मी (फौज) में है। भारत में कुल नौकर ६० लाख है तो १० करोड़ शिक्षित में से ६० लाख को नौकरी मिलेगी। आज स्थिति ऐसी है। अब आप सोच लीजिये कि १६ मनुष्यों में से १ को नौकरी मिले तो बाकी १५ क्या करेंगे ? हमने कई दफा कहा है कि यह सरकार तो कहलाती है कांग्रेस-सरकार और मिली-जुली सरकार भी है। लेकिन यह सरकार क्या करती है ? कम्युनिस्ट बनाने के कारखाने खोलती है। क्योंकि लोगो को शिक्षा मिल जाय, नौकरी न मिले, तो क्या होता है ? वे लोग कम्युनिस्ट बन जाते हैं। संस्कृत में एक कहावत है—असन्तुष्टाः द्विजा नष्टाः। द्विज होते है पढ़े-लिखे लोग।

अप्रैल, '६८]

[३६०

पढ़े लिखे लोग यदि असन्तुष्ट हैं, तो वे नष्ट होते हैं। हमने नयी कहावत बनायी है—“असन्तुष्टा द्विजा कम्बुनिष्ठा।” यानी पढ़े लिखे लोग असन्तुष्ट होने हैं ता कम्बुनिष्ठ बनने हैं।

इसका मतलब यह है कि आज की हवा में अध्ययन-भ्रूण्यता है। हमारे इञ्जीनियर अगर पुल बनायेंगे तो कोई भरोसा नहीं कि पुल टिकेगा ही। ऐसे इञ्जीनियर बनें, तो वे किस काम के? जो परीक्षा में पास हो, लेकिन काम करना न जानते हों, उनको नौकरी देना खतरनाक हो जायगा।

भारत का विचार

हमारे जितने सारे ज्ञान विज्ञान के भाग हैं, वे उज्ज्वल होने चाहिए, तब भारत का खिर ऊँचा होगा, भारत दुनिया में टिकेगा और अपना मिशन परिपूरण करेगा। अथवा, अगर अध्ययन भ्रूण्यता रही तो फिर सम्भ्र लीजिये कि भारत की काइ तश्वत बनेगी नहीं।

मैंने अ प लोगो के सामने अध्ययन का महत्व रखा। आपको अध्ययन के लिए समय मिला है। काइ वाक आपके खिर पर रखा नहीं है। माता-पिता आपका पालन पोषण करत हैं। आपको पढ़ाने के लिए बड़ बड़े प्रोफेसर रखे जाते हैं। इतना सारा इतनाम करके खूब अध्ययन करने का आपको मौका दिया गया है। उसके बाद समाज में जब अ प दाखिल होंगे तब इतना समय मिलना मुश्किल है।

कुछ बाबा के जैसे लाग होते हैं जो किसी प्रकार समय निकाल लेते हैं। कैसे समय हासिल करते हैं बाबा? ५। बजे बाबा को निद्रा आती है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि बाबा इनना बूढ़ा होने के बाद भी इतनी जल्दी सोता है। लेकिन बाबा ५। बजे सोयेगा और जिस वकन आप सोने की तैयारी करेगे, उस वकन जाग जायगा। आप सारे सो जाने हैं तो बाबा जागता है, सबत्र शांति, कोई आवाज नहीं, तब बाबा अपना चिन्तन मनन ध्यान करत रहेगा। १२, १२।। बजे से शुरु करेगा और ४, ४।। घण्टा अध्ययन के लिए, चिन्तन के लिए, ध्यान के लिए, समाधि के लिए बाबा को बड़ा सुन्दर समय मिलेगा। लेकिन शाम को जल्दी सो जायगा। वेद में वर्णन आया है— 'यो जागार तमुच कामयन्ते यो जागार तमु सामानि यति।' जो बड़ो फजर जागता है। उसको विद्या प्राप्त होती है, वेद उसको प्राप्त होते हैं, सगीत उसको प्राप्त होता है। सुबह बड़ो फजर उठ करके जो अध्ययन करेगा उसके लिए सब वरदान है। परन्तु आज तो यह होता है कि लडके १२।। बजे सोयेंगे, कोई १० बजे भी सोते हागे। जल्दी सो गये तो १० सम्भ्र लीजिये। यह भी लिखा है गीता में—'या

निशा सर्वं भूतानाम् तस्या जागति सयमी ।” जब सारे लोग सो जाने हैं तो सयमी पुष्ट्य जागते हैं । “यस्या जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने ” और जब ये सारे जागते रहते हैं तो वह सादेगा । यह भारत का बहुत बड़ा विचार है ।

भारत का एक सिद्धान्त है कि मरण के समय जो धारणा होगी, तदनुसार अगला जनम मिलेगा । इसलिए मृत्यु के समय परमात्मा का चिन्तन करो और कोई सद्बिचार रखो तो तदनुसार अगले जनम में उत्तम गति मिलेगी । यह भारत का अपना विचार है । लेकिन यह क्या अपने हाथ की बात है कि मरण के समय कैसा क्या विचार आयेगा ? तो, कहा कि रोज मरने का अभ्यास करो । जैसे नाटक से पहले उसकी पूर्वतैयारी करते हैं, ऐसे मरने का पूर्व-प्रयोग करो । रात को जो निद्रा होती है वह छाटी मी मृत्यु ही है । मनुष्य वा एक दिन खतम होता है और दूसरा दिन उगनेवाला है । जैसे मरते समय जो चिन्तन होगा तदनुसार अगला जनम मिलता है, वैसे रात को सोते समय जो चिन्तन होगा, अगले दिन सुबह उठते ही वही अकुरित होगा, वही स्फुरित होगा । इसका बहुतो ने अनुभव लिया है । मुझे ता इसका बहुत ही अनुभव आता है । बड़े-बड़े कठिन प्रश्न आये । उनको चर्चा में दिन भर करता रहा । उत्तर मिला नहीं । रात को सोते समय फिर मे चिन्तन किया और सो गया । सुबह उठा तो एकदम उत्तर मिल गया । जो उत्तर दिनभर सोचने से मिला नहीं था, वह दूसरे दिन उठते ही मिल गया, क्योंकि बीच में गाढ निद्रा आ गयी और निद्रा के पहले उसी प्रकार का चिन्तन हुआ, तो निद्रा की समाप्ति में वही विचार एकदम खुल करके निकला और उसका जवाब मिल गया । यह तो बाबा ने कई दफा अनुभव किया है ।

आप लोग जानते हैं बीज जमीन में, मिट्टी में, बोया जाता है । उस पर मिट्टी ढाँक देते हैं । अगर मिट्टी न ढँके, तो पक्षी बीज खा जायेंगे । मिट्टी से ढँकने पर जब वह बीज दीखता नहीं है, तो बच्चे समझते हैं कि बीज हमने बोया, लेकिन उठा ही नहीं । मालूम नहीं क्या हुआ । लेकिन उस पर मिट्टी ढाली है, तो अन्दर ही अन्दर वह अकुरित होता है । दो-तीन दिन में वह उठ जाता है । उसी प्रकार रात को सोते समय अपने चित्त में जो विचार बोया गया उसको गाढ निद्रा की मिट्टी से ढँका गया । तो दूसरे दिन एकदम अकुरित होता है । इसलिए सोने समय परमात्मा का ध्यान करना चाहिए या विद्या का चिन्तन करना चाहिए । लेकिन अभी किया क्या जाता है ? मरण के समय यानी निद्रा के समय ? सिनेमा अनन्तरम् निद्रा । सिनेमा देखकर सोते हैं । फिर अर्पण, '६८]

सिनेमा के वे सारे चित्र आँखों के सामने आये, कान में धुसे, और वह सुबह उठने ही सिनेमा के गाने शुरू कर देता है। यानी हिन्दुस्तान का अध्ययन का जो अनुभव है वह सबका सब हम भूल गये हैं। जो थोड़ा-बहुत पढ़नेवाले हैं, उन विद्यार्थियों का अध्ययन कब चलता है ? रात को। दिनभर खाना हुआ, पीना हुआ, थकान भी आ गयी और रात को सोने के बदले अध्ययन शुरू कर दिया और पुस्तक भी क्या पढ़ते हैं ? अंग्रेजी। अगर कुछ हिन्दी बगैरह होती तो कुछ समझ में भी आये। अंग्रेजी कुछ समझ में नहीं आती। तो क्या करते हैं ? चाय पीते हैं ? चाय पी-पीकर के जागते हैं। उसके बजाय अगर जल्दी सो जायें, शान्ति से निद्रा लें, बड़ी फजर जल्दी उठें और प्रातःकाल की मंगल-वेला में अध्ययन करें, तो घण्टेभर के अध्ययन में जो ज्ञान प्राप्त होगा, वह दूसरे समय ३३ घण्टे पढ़ने पर भी नहीं मिलेगा। क्योंकि चित्त शान्त, एकाग्र रहता है। निद्रा ले चुके हैं, इसलिए चित्त प्रसन्न है। ऐसी हालत में मुँह धो लिया और बंध गये अध्ययन के लिए, तो उस प्रसन्न चित्त पर थोड़े में एकदम ज्ञान की धारा पड़ती है। जो अल्प समय में पड़ती नहीं। इसलिए जिस किसीने प्रातःकाल का समय खोया, उसने अपनी आत्महत्या कर ली। बाकी का सारा समय उसका रजोगुण, तमोगुण का होता है। प्रातःकाल का जो समय होता है, वह सत्वगुण का होता है और इस वास्ते उस समय जरा अध्ययन करते हैं, तो उत्तम अध्ययन होता है।

यह सारा मैने आपके सामने इसलिए रखा कि आप विद्यार्थी हैं। आप पर भारत की आशा है। आप अगर अध्ययन-शून्य बन गये, तो समझ लीजिये कि हिन्दुस्तान गिरता जायगा। आज ऐसी हालत है कि बड़े-बड़े नेता लोगों को भी अध्ययन के लिए समय नहीं है। नाम तो है मंत्री। मंत्री का मतलब बिट्ठी-उट्ठी रखनेवाले, फाइल-बाइल रखनेवाले नहीं। वास्तव में मंत्री यानी मनन करनेवाला। तो, मंत्री लोग बहुत कुछ कह डालते हैं। लेकिन मनन के लिए उसको समय नहीं है।

मन्त्री बनने से चिन्तन-मनन के लिए समय नहीं रहना हो सो बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि आजादी की लड़ाई में जितने नेता हो गये, वे सारे अध्ययन सम्पन्न थे। श्री अरविन्द, राजा राममोहन राय, रवीन्द्रनाथ टैगोर, लाकमान्य तिलक, अबुल कलाम आजाद, डा० एनी बेसेंट, मगवानदास—सब अध्ययनशील थे। लाकमान्य तिलक का दिनभर राजनीति में समय जाता था और रात को १२ घंटे सोने के लिए जाते थे तो वेद का अध्ययन करते थे। जब जेल में गये तो, एक जेल में वेदों पर किताब लिखी और एक जेल में

गीता पर किताब लिखी। ऐसे अध्ययन-सम्पन्न थे वे। पुराने नेता अध्ययन सम्पन्न थे, इसीलिए उनकी प्रतिभा चमकती थी। अगर प्रतिभा नहीं चमकती तो स्वराज्य मिलनेवाला था नहीं। वं० नेहरू से मैंने एक बार पूछा कि आपकी अध्ययन के लिए समय मिलना है कि नहीं? तो बोले—'मिलना क्या है, खीच लेता हूँ।' 'कहाँ से खींच लेने है?' बोले—'रात को तो १२ बजे तक पाइल चलती है। उसके बाद सोने का समय होता है। सोने से पहले एक घण्टा पुरा लेता हूँ। 'कितना समय रखा है साने के लिए?' बोले—'रात को सोने के लिए रखे हैं ६ घण्टे, और दिन में रखा है आधा घण्टा। कुल ६।५ घण्टे। लेकिन दिन का आधा घण्टा ज्यादातर मिलता नहीं और रात के छ घण्टे में से एक घण्टा पुराकर ले लेता हूँ।' तो उनके इलेक्शन के लिए जाना पटना था। हवाई जहाज में बैठे-बैठे अध्ययन करते थे। इस प्रकार से उन्होंने अध्ययन किया, तो उस अध्ययन के परिणामस्वरूप उन्होंने दुनिया का इतिहास लिखा, भारत का इतिहास लिखा। ये सारे षष्ठ अत्यन्त अध्ययन के बिना लिखे नहीं जा सकते थे। हमारे नेता उस जमाने के ऐसे थे। अब ऐसे नेता कहीं से आयेंगे? आज जो लड़के हैं आगे जाकर इन्हींमें से नेता पैदा होंगे। इस वास्ते आपका अध्ययन अत्यन्त उत्तम होना चाहिए यह हमारी राय है। ●
(मुजफ्फरपुर में छात्रों के बीच दिये गये भाषण से)

पढिये

खादी ग्रामोद्योग (मासिक)

सम्पादक जगदीश नारायण वर्मा

- हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशित । ● प्रकाशन का चौदहवाँ वर्ष ।
- ग्राम विकास की समस्याओं और सम्भाव्यताओं पर चर्चा करनेवाली पत्रिका ।
- खादी और ग्रामोद्योग तथा ग्रामीण उद्योगीकरण के विकास पर मुक्त विचार विमर्श का माध्यम ।
- ग्रामीण उत्पादन में अनुसंधान और सुधरी तकनालाजी का विवरण देनेवाली पत्रिका ।

वार्षिक मूल्य २ रुपये ५० पैसे

एक अंक २५ पैसे

अंक-प्राप्ति के लिए लिखें

✻ प्रचार निर्देशालय ✻

खादी और ग्रामोद्योग कमीशन, 'ग्रामोद्योग'

इर्ला रोड, विलपार्ले (पश्चिम) बम्बई-५६ ए एस

वेसिक शिक्षा का समवाय-पत्र समवाय और उद्योग

वंशीधर श्रीवास्तव

वेसिक शिक्षा के जिस पक्ष का आरम्भ से ही विरोध हुआ है वह है उद्योग अथवा दस्तकारी द्वारा दूसरे सभी विषयों का ज्ञान देना। गांधीजी ने १९३७ ईसवी में 'हरिजन' नामक पत्र में बुनियादी शिक्षा पर अपने विचार व्यक्त करने के आठ वर्ष पहले 'यंग इंडिया' में लिखा था, "जब हमारे बालक पाठशालाओं में भरती होते हैं तो उन्हें पेन्सिल और पुस्तकों की नहीं, परन्तु देहात के उन सीधे-सादे औजारों की जरूरत है, जिनका वे आजादी से उपयोग कर सकें और जिनके जरिये वे कुछ कमा भी सकें। इसका मतलब शिक्षा के तरीकों में क्रांति है।"^१

परन्तु इस क्रांति के लिए देश के शिक्षा-शास्त्री १९३७ ई० में भी तैयार नहीं थे, और आज भी तैयार नहीं हैं। यह क्रांति तभी होती जब शिक्षा के माध्यम के रूप में शिल्प अथवा दस्तकारी को वही महत्व दिया गया होता जो गांधीजी चाहते थे या विनोबा चाहते हैं। अर्थात् केवल उद्योगों का ही वैज्ञानिक ढंग से शिक्षण हो और इस शिक्षण के लिए उस ज्ञान-समूह में से, जिसे हम शास्त्रीय विषय कहते हैं, ज्ञान के प्रसंग ले लिये जायें। परन्तु यह नहीं हुआ और जाकिर हुसैन समिति की रिपोर्ट में ही कहा गया कि "जहाँ तक सम्भव हो सके" अन्य विषयों की शिक्षा किसी केन्द्रीय दस्तकारी से ही दी जाये। इस रिपोर्ट का तीसरा प्रस्ताव, जिसका सम्बन्ध समवाय से है, इस प्रकार है —

यह परिषद् गांधीजी की इस तर्जबीज का समर्थन करती है कि इस तमाम पुस्त (सात से चौदह वर्ष की आयु तक) में शिक्षा का केन्द्र किसी विस्म की उत्पादक दस्तकारी होनी चाहिए और बच्चों में जो दूसरे गुण पैदा करने हैं

१ यंग इंडिया, ११-७-१९२९ ई०

और उनको जो शिक्षा-दीक्षा देनी है, उसका सम्बन्ध, जहाँ तक हो सके इसी केन्द्रीय दस्तकारी से होना चाहिए और इस दस्तकारी का चुनाव बच्चों के वातावरण और स्थानीय परिस्थिति को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।^१

“जहाँ तक हो सके” का यह वाक्यांश गांधीजी की समवाय की बुनियादी सकल्पना के प्रति एक प्रकार का विरोध-सा है। गांधीजी की सकल्पना में उद्योग अथवा हाथ के काम साध्य थे और दूसरे विषय चाहे वे जितने भी महत्व के हों, केवल साधन थे। उनकी पृथक् सत्ता की आवश्यकता यदि वे समझते, तो साक्षरता शिक्षा नहीं है—ऐसा वे नहीं कहते। परन्तु जाकिर हुसैन समिति के ‘शिक्षा-शास्त्री-सदस्य’ परम्परित विषयों की शिक्षा को अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। उनकी राय थी कि बालकों के व्यक्तित्व के सम्यक् विकास के लिए उनका अध्यापन आवश्यक है। अगर उन्हें उद्योग अथवा कर्म से समवायित करके पढ़ाया जा सके तो अच्छी बात है, क्योंकि तब व्यक्तित्व का विकास सन्तुलित होगा, परन्तु अगर उन्हें समवायित करके नहीं पढ़ाया जा सकता तो या तो ‘उन्हे समवाय के अन्य दो केन्द्रों से सम्बन्धित करके पढ़ाया जाय’, जिसकी चर्चा इसी रिपोर्ट में दूसरी जगह की गयी है,^२ और नहीं तो

१ बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा—जाकिर हुसैन समिति का विवरण और विस्तृत पाठ्यक्रम—प्रकाशक हिन्दुस्तानी तालीमी सघ—१९३६, पृष्ठ २।

२ अपनी रिपोर्ट में हमने खेती और बड़ईगिरी दो बुनियादी धन्धों का विस्तृत पाठ्यक्रम वर्गक्रम से दिया है। इन पाठ्यक्रम की तफसील को अगर छोड़ भी दें तो भी हमें विश्वास है कि सामान्य पाठ्यक्रम के विषयों को, इन दोनों में से किसी भी दस्तकारी के द्वारा (खेती और बड़ईगिरी) सिखाया या समन्वित किया जा सकता है। शिक्षा का गहरी उद्देश्य है कि बालक जिस वातावरण में पैदा होता है और पलता है, उस वातावरण को बुद्धिमानीपूर्वक समझें और उसको अपने काम में ला सके। इसीलिए यह जरूरी है कि शिक्षा के विभिन्न विषय परस्पर एक-दूसरे के साथ और बालक के जीवन के साथ, सम्बन्ध रखते हों। इसीलिए हम लोगों ने मनुष्य-जीवन के तीन पहलुओं को शिक्षा का केन्द्र माना है—एक तो प्राकृतिक वातावरण, जिसमें वह जन्म लेता है, दूसरा सामाजिक वातावरण, जिसमें उसकी जिन्दगी बीतती है और तीसरा धन्धे का काम (शिल्प या दस्तकारी) जिसमें पहले दोनों पहलू सहज रूप में मिलते हैं, क्योंकि किसी धन्धे के मार्गत ही मनुष्य प्रकृति की शक्तियों का उपयोग करके सामाजिक जीवन बिताता है। (बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा—हिन्दुस्तानी तालीमी सघ—१९३६, पृष्ठ ६५)

किसी भी दूसरी 'शिक्षा-जगत् में मान्य मनोवैज्ञानिक शिक्षण-पद्धति से पढाया जाय' जिसका स्पष्ट उल्लेख सन् १९५४ में भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार बोर्ड की उस बैठक में हुआ, जिसमें वैसिक शिक्षा की सकल्पना को देश के सामने स्पष्ट किया गया।^१

उद्योग द्वारा समवाय के विषय में यह विचार-भेद सन् १९३९ में पूना के पहले ही बुनियादी शिक्षा-सम्मेलन में प्रकट हो गया। इस सम्मेलन में और के रहनेवाले श्री भारतानन्द ने समवाय पद्धति पर चर्चा करते हुए कहा, "शिक्षा देने समय शिक्षक के दिमाग की पृष्ठभूमि में ज्ञान सम्पूर्ण रीति से दस्तकारी से ही जुटा हुआ हो। उसे यह खयाल हो कि मैं दस्तकारी सिखा रहा हूँ—अज्ञानी पूरी योग्यता से। अलग-अलग समय में उसे अलग विषयों की निम्न नही हानी चाहिए। अगर वह सोचेगा कि मैं अमुक विषय दस्तकारी द्वारा पढाने लगा हूँ, तो जरूरी है कि वह उस विषय को कोई मुख्य वस्तु समझे, जैसे हम अपने विचार भाषा द्वारा प्रकट करते हैं, लेकिन मुख्य चीज विचार होता है, न कि भाषा...बुनियादी तालीम कहती है—'बच्चे का दस्तकारी

१ जैसा कि शिक्षा की किसी भी अच्छी प्रणाली में होना चाहिए, बुनियादी शिक्षा में भी ज्ञान का क्रिया, व्यावहारिक अनुभव और पर्यवेक्षण से सम्बन्धित होना चाहिए। इसीलिए बुनियादी शिक्षा निर्विवाद रूप से यह मानती है कि पाठ्यक्रम के विषय सहसम्बन्ध के तीन मुख्य केन्द्रों के साथ सम्बन्धित होने चाहिए—अर्थात् शिल्प प्राकृतिक वातावरण और सामाजिक वातावरण से जिस समझदार अध्यापक ने अच्छी ट्रेनिंग पायी हो, वह जो भी ज्ञान बच्चों को देना चाहता हो, जो उसके लिए आवश्यक और उसकी रुचि के अनुसार हो, वह सह-सम्बन्ध के इन केन्द्रों में से किसी एक से सम्बन्धित कर सकता है। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो इसका अर्थ यह है कि या तो उसमें अपेक्षित बुद्धि नहीं है अथवा पाठ्यक्रम में ज्ञान की ऐसी बातें रख दी गयी हैं जो उस विशेष अवस्था में आवश्यक और महत्वपूर्ण नहीं हैं। यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि पाठ्यक्रम में बातें ऐसी होंगी जो ऊपर बताये गये तीन केन्द्रों में से किसी एक के साथ भी आसानी से सम्बन्ध नहीं की जा सकती। ऐसी सूरत में उन चीजों को अध्यापन की उन पद्धतियों से पढाया जा सकता है जो किसी भी अच्छे स्कूल में इस्तेमाल की जाती हैं। इसका अर्थ यह है कि ऐसे पाठों में भी रुचि और प्रेरक शक्ति के सिद्धान्त और अभिव्यक्ति के सिद्धान्त का महत्व मानना पड़ेगा। (बुनियादी शिक्षा सन्दर्शिका—शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्रालय—१९५७, पृष्ठ ७८)

सिखा दो और उधरे साथ जो भी सिखाना चाहते हो सिखा दो।' कम से कम मैं तो यही सोचता हूँ। पाठ्यक्रम को अलग-अलग पाठ्य विषयों में बाँटना और शिक्षकों को उन पाठ्य विषयों को दस्तकारी से जोड़ना भरे खयाल में एक अस्वाभाविक तरीका हा सकता है।" भारतानन्दजी का यह विचार समवाय और 'बुनियादी शिक्षा-व्यवस्था' पर गांधीजी के विचारों का अधिक ठीक प्रतिनिधित्व करता है।

भारतानन्दजी के इस कथन के बाद जब कुछ सदस्य ने कहा कि भारता नन्दजी की बात साफ-साफ समझ में नहीं आयी तो पूना परिषद के अध्यक्ष डाक्टर सेयदेन ने इस पर अपना मत देने हुए कहा—'वास्तव में प्रश्न यह है कि हम दस्तकारी को ही मुख्य पाठ्य विषय माने या उस ज्ञान को मुख्य विषय मानें जो हम सिर्फ दस्तकारी द्वारा देना चाहते हैं। मेरा अपना खयाल है कि अगर हम बाकी सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को छोड़कर दस्तकारी को ही मुख्य वस्तु मान लेंगे तो वर्षा-योजना का गाम्भीर्य कुछ कम हो जायगा। सबसे भुनासिब दृष्टिकोण यह है कि हम दस्तकारी को शिक्षा का माध्यम मान लें और उसके द्वारा बच्चे की सारी शक्तियों का विकास करें। जो ज्ञान शिक्षक को बच्चे को देना है उसकी रूपरेखा अपने मन में स्थिर करनी चाहिए। बच्चे को सिर्फ कारीगर ही नहीं बनाना है उसे समाज, देश और ससार का एक बहुमूल्य अंग बनाना है।

इसी सभा में काका कालेलकर जैसे विद्वान भी थे जिन्होंने मध्य मार्ग ग्रहण किया। उन्होंने कहा— यह जो अनुबाध के साथ सिखाने का तरीका है (काका साहब समवाय के स्थान पर अनुबाध शब्द को अधिक उचित मानते हैं) वह हमें बहुत दूर तक ले जा सकता है और जब हम किसी दस्तकारी के साथ ज्ञान देने बैठते हैं तब तो दुनिया की सब बातें उसमें आ सकती हैं क्योंकि दस्तकारी में कुदरत से कच्चा माल लेकर मनुष्य अपनी कुशलता (दस्तकारी) में ऐसा रूप देता है कि वह मनुष्य समाज के काम को बन जाती है। इस तरह प्रकृति का परिचय, मनुष्य शक्ति का परिचय और सामाजिक जीवन की रचना का परिचय, दस्तकारी के साथ ही आ जाता है। अनुबाध के ये तीन प्रस्थान हैं। इस प्रस्थानत्रयी के अन्दर न आ सके ऐसी कोई चीज दुनिया में है ही नहीं। जहाँ सीधा सम्बन्ध नहीं है वहाँ ठोक-पीटकर अनुबाध नहीं बनाना चाहिए। १

१ एक कदम आगे—हिंदुस्तानी तालीमी सध—पृष्ठ ६६

मोगा (पंजाब) के रेवरेंड ए० ई० हापर और मिसेज हापर ने दस्तकारी को शिक्षा का केन्द्र किस तरह बनाया जाय और प्राथमिक शिक्षा के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल दस्तकारी की क्रिया से किस प्रकार निकाला जाय, के विषय पर बोलते हुए कहा—“हमारा काम का तरीका यह है कि बालक अपने लिए अपने भौतिक और सामाजिक जीवन से सम्बन्ध रखने-वाला कोई प्रोजेक्ट (संयोजन) पसन्द कर लेता है और उसीके आधार पर शिक्षा दी जाती है। इसी तरह के प्रोजेक्ट्स के आधार पर बुनियादी तालीम भी क्यों न दी जाय बुनियादी पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा-क्रम में मेल मिलानेवाले तीन केन्द्र हैं—भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण और इन दोनों को मिलानेवाली दस्तकारी। तो फिर हर कक्षा के लिए दिलचस्पी का ऐसा केन्द्र क्यों न चुन लिया जाय, जो इस तीनों पहलुओं का मेल मिला दे। मसलन, अगर बुनियादी दस्तकारी खेती हो तो, ‘बाग’, ‘रोटी’, ‘खेती के जानवर’, ‘हमारा भोजन’, ‘पेड़’, ‘किसान और उसका काम’ इत्यादि विषय पसन्द किये जा सकते हैं। इसी तरह अगर बुनियादी दस्तकारी कातना और बुनना हो तो ‘कपास’, ‘हमारे कपड़े’, ‘राष्ट्रीय जीवन में चरखा’, विषय मेल मिलाने (समवाय) के दिलचस्प केन्द्र बनाये जा सकते हैं। इस तरह दस्तकारी की कला का नियमपूर्वक अभ्यास करने की प्रेरणा भी मिलेगी और भाषा, विज्ञान, गणित, समाज विज्ञान की जरूरत भी महसूस होगी।”

इस तरह पूना सम्मेलन में इस प्रकार के विचार भी प्रकट हुए कि दस्तकारी को छोटी-छोटी योजनाओं के रूप में लिया जाय, जिससे उनके द्वारा अधिक प्राकृतिक ढंग से समवाय स्थापित किया जा सके। ऐसा करने से दस्तकारी की क्रियाएँ स्वयं क्रियाएँ भी अधिक रोचक हो जायँगी और दूसरे विषयों का प्राकृतिक ढंग से अनुबन्ध हो सकेगा।

इस प्रकार हम देखते हैं कि समवाय की समस्या को लेकर पूना सम्मेलन में जो चर्चा हुई उसका निष्कर्ष यही निकला कि केवल दस्तकारी की क्रियाओं-उपक्रियाओं से समवाय करने के स्थान पर अधिक मनोवैज्ञानिक यह होगा कि बालक के जीवन की दूसरी क्रियाओं को भी लिया जाय, जिससे समवाय का दायरा बढ़े। इस प्रकार के निर्णय से भले ही समवाय पद्धति मनोवैज्ञानिक और प्राकृतिक बनी हो, पर वैदिक-शिक्षा की मूलभूत संकल्पना कि बालकों को साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान इत्यादि सभी विषयों की शिक्षा

उद्योग द्वारा ही दी जानी चाहिए, भुला दी गयी। दूसरे शब्दों में गांधीजी के क्रान्तिकारी विचारों के प्रति प्रच्छन्न विरोध और कमजोर समझौता की जो भावना जाकिर हुसैन समिति में प्रकट हुई थी, वह पूना सम्मेलन में और भी दृढ़ हो गयी और केवल उत्पादक उद्योगों को शिक्षा के केन्द्र में रखने की बात पीछे पड़ गयी। गांधीजी चाहते थे, उद्योग द्वारा व्यक्तित्व का संस्कार और विकास। यह तभी सम्भव था जब उद्योग बालक की शिक्षा का सहो मानें में केन्द्र होता। समवाय को लेकर उद्योग के इस महत्त्व का कम करने का एक परिणाम यह हुआ कि 'उद्योग' वैश्विक शिक्षा का केन्द्र नहीं रह गया और उद्योग का शिक्षण उद्योग में निष्पात ऐसे शिक्षकों द्वारा ही हो, जो अन्य विषयों को भी जानते हों। जिससे उद्योग की प्रक्रियाओं और क्षेत्र विषयों में समान रूप से अंतर्दृष्टि हो—यह बात पीछे पड़ गयी, अवहेलित हो गयी।

जो भी हो पूना सम्मेलन समवाय मूलक शिक्षण के इतिहास में एक सीमा विह्वल है। समवाय के केन्द्र और ढंग के विषय में, इस सम्मेलन में खुलकर चर्चा हुई और भविष्य में काम करने के लिए निर्णय किये गये। यह तो नहीं कहा जा सकता कि इस विषय में अन्तिम शब्द कह दिये गये, और (शिक्षा के सम्बन्ध में 'अन्तिम शब्द' ऐसी कोई चीज होती भी नहीं) और सर्वसम्मत से एक राजपथ का निर्माण हो गया, फिर भी दो बातें तो कही ही गयी। एक तो यह कि समवाय का क्षेत्र अधिक व्यापक बनाया जाय और समवाय के लिए एक ही केन्द्र (उद्योग) को न लेकर उन दोनों केन्द्रों (प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण) को भी लिया जाय जिनकी सस्तुति डा० जाकिर हुसैन समिति ने की है। दूसरा यह कि समवाय स्थापित करने के लिए सीधे-सीधे न की जाय और बनावटी समवाय न स्थापित किया जाय। पूना सम्मेलन का निर्णय निम्नांकित है —

लेकिन यह समवाय या अनुबंध स्वामस्वाह लादा नहीं जाना चाहिए बल्कि शिक्षा का ढंग ऐसा होना चाहिए कि उसका समवाय न सिर्फ बुनियादी दस्तकारी के साथ हो, बल्कि बच्चे के जीवन से सम्बंध रखनेवाली कुदरती और सामाजिक घटनाओं से भी हो। ये घटनाएँ ऐसी हों, जिनसे काफी फायदा उठाया जा सके और बच्चों के बुनियादी ज्ञान के पढ़ाने में सहायक हों।^१

इस चर्चा और निर्णय के दो व्यावहारिक परिणाम हुए—एक तो यह कि समवाय-पद्धति संयोजन-पद्धति के निकट आ गयी और उसमें भी "योजनाओं

१ एक कदम आगे—हिंदुस्तानी तालीमी सघ—१९३६, पृष्ठ २१६

और इकाइयों" के माध्यम से शिक्षण देने का विधान हुआ। बाद में समवाय पर जो पुस्तकें लिखी गयीं, उनमें यही सिद्धान्त रूप में भी कहा गया और उदाहरण देकर समझाया भी गया।

दूसरी ओर हिन्दुस्तानी तालीमी सच ने भी, जिसे गांधीवादी शिक्षा के कट्टर दृष्टिकोण का प्रतिनिधि समझा जाता था और जो दस्तवारी द्वारा ही समवाय करने के पक्ष में था, समवाय के केन्द्र की अपनी सफलता को अधिक व्यापक बनाया। बुनियादी तालीम के कार्यक्रम में उसने पाँच प्रवृत्तियों को शिक्षा के माध्यम के रूप में चुना और उनका विस्तृत पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया। इन प्रवृत्तियों का बालक के जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध था और इसके माध्यम से उन्हें समवायित पद्धति से अधिक-से-अधिक शिक्षा दी जा सकती है और उनके व्यक्तित्व का अधिक सन्तुलित विकास किया जा सकता था। ये प्रवृत्तियाँ निम्न हैं :—

- (१) शुद्ध और स्वस्थ जीवन बिताने का अभ्यास।
- (२) स्वावलम्बन का अभ्यास।
- (३) किसी एक उत्पादक बुनियादी दस्तकारी का अभ्यास।
- (४) समाज में नागरिकता का अभ्यास।
- (५) रचनात्मक और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का अभ्यास।^१

समवाय के दायरे को इस प्रकार व्यापक बनाकर हिन्दुस्तानी तालीमी सच ने बेसिक शिक्षा को 'जीवन के लिए तालीम' बनाने की चेष्टा की। यरवदा जेल से छूटने के बाद १९५४ ई० में गांधीजी ने नयी तालीम की व्याख्या करते हुए कहा था कि "यह जीवन के लिए तालीम है। इसका क्षेत्र सात से चौदह साल तक के बच्चे ही नहीं है। माँ के पेट में आने से लेकर, मरते हैं, वहाँ तक हमारा अर्थात् नयी तालीम का क्षेत्र है।" अब समवाय के दायरे का यह विस्तार इस परिभाषा के अनुरूप ही हुआ।



१. आठ सालों का सम्पूर्ण शिक्षा-क्रम—हिन्दुस्तानी तालीमी सच—१९५७,

शिचा-दर्शन का एक क्रान्तिकारी आयाम

रोहित मेहता

मन प्रधान सभ्यता में जीवन की ओर देखने की दृष्टि मूलतः मनोनिष्ठ ही होती है लेकिन अब श्री कृष्णमूर्ति ने अपनी युवितयुक्त और विचार-सगत शैली में यह स्पष्ट दर्शाया है कि मन किस प्रकार अपने ही दायरे में चक्कर फाटता रहता है और अपनी अखण्डता (कण्ठिन्धूदटी) के क्षेत्र से किस प्रकार बाहर निकल ही नहीं पाता है । अपने इसी स्वभाव के कारण मन हमें आमूल परिवर्तन की दिशा में एक कदम भी नहीं ले जा पाता । लेकिन आज की इस आधुनिक सभ्यता में आवश्यकता इसी आमूल परिवर्तन की है, समूची समाजरचना में ही आमूल क्रांति की है । इसलिए यह निश्चित है कि उस आमूल परिवर्तन के लिए हमें जो साधन खोजना है, और जिन मूल्यों का सहारा लेना है वे मन पर आधारित न हा यह जरूरी है । इसका अर्थ यह भी है कि हमें आजकल प्रचलित अनेक धार्मिक तथा अधार्मिक सभी रूढ़ियों का त्याग करना होगा । लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि सहज भावनाओं के विच्छेद चलना है उससे तो नयी उलभनें ही पैदा होगी, जो विश्व पहले से ही अनेक प्रकार की व्यक्तिगत और सामूहिक उलभनों से भरा है, वह और भी उलभ जायगा । श्री कृष्णमूर्ति भावनाओं के विपरीत चलने को नहीं कहते हैं, बल्कि मन अपने को जिस दायरे में समेटे रहता है, उस दायरे से बाहर निकलकर देखने को, मन के परे जो एक तत्त्व है उसे खोज लेने को कहते हैं । तो, उनके कथन में दो बातें हैं एक, मन की मर्यादाओं को समझना, और दूसरी, मन के बाहर का तत्त्व देखना । कैसे देखा जाय तो यह कोई द्विविध प्रक्रिया नहीं है, एक ही है क्योंकि जो ही हम हर परिस्थिति में मन की मर्यादाओं को जानने और उनके प्रति सावधान होने लगते हैं, तो ही मन का दायरा टूटने लगता है उन मर्यादाओं के प्रति सावधान रहना ही उस घेरे को फाटना है, और

इसीलिए उस स्थिति में मन के परे रहनेवाले तत्त्व का बोध भी स्वयं होने लगता है। उस तत्त्व का बोध हुआ कि नया मार्ग सूझने लगता है और प्रत्येक व्यक्ति, विचार और पदार्थों के साथ के सम्बन्धों में परिवर्तन आ जाता है।

श्री कृष्णमूर्ति की पुस्तक "एज्युकेशन एण्ड दि सिग्निफिकेन्स आफ लाइफ" का मूल्यांकन इसी भूमिका से किया जा सकता है। श्री कृष्णमूर्ति की जीवन की जो दृष्टि है उसी दृष्टि से इस पुस्तक में शिक्षासम्बन्धी कुछ मूलभूत समस्याओं पर विचार किया गया है। दूसरे शब्दों में, हम यह कह सकते हैं उन्होंने इस पुस्तक में यह सिद्ध किया है कि शिक्षा की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए मन प्रधान दृष्टिकोण पर्याप्त नहीं है, उसके लिए समस्त बन्धनों और बन्धनकारक संस्कारों से सर्वथा मुक्त मन की आवश्यकता है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह पुस्तक बड़ी ही प्रेरणादायी है और सर्वथा नवीन दृष्टिकोण से भरी हुई है। प्रचलित शिक्षा-मदति के सामने—केवल प्राचीन परम्परागत पद्धति के ही नहीं, जिसे हम प्रगतिशील और उत्कृष्ट मानते हैं उसके सामने भी—शिक्षासम्बन्धी मान्यताओं और उपलब्धियों की दृष्टि से इस पुस्तक का प्रत्येक पृष्ठ चुनौती देने वाला है।

पूरी पुस्तक का मुख्य सार तीन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है (१) भयमुक्ति, (२) प्रामाण्यमुक्ति और (३) अनुशासनमुक्ति। पुस्तक में इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन विवेचित विषय का सार इन शब्दों में आ जाता है। जैसे स्थूल रूप से देखें तो आज के प्रगतिशील शिक्षा-शास्त्री इन तत्त्वों को स्वीकार करने में हिचकेंगे नहीं, लेकिन श्री कृष्णमूर्ति जिस गहराई से इन का विवेचन करते हैं, उसे देखने पर मालूम होगा कि हमें अपनी भावनाओं और सिद्धान्तों में आमूल परिवर्तन करना ही होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि इस तथ्य का भान हमसे पहले हमें हुआ ही न हो।

आज जो शिक्षा-मदति प्रचलित है और जो शिक्षण-संस्थाएँ चल रही हैं वे मानवता की पोषक नहीं, बल्कि घातक हैं। कृष्णमूर्ति हमारा ध्यान मूल दृष्टि की ओर ही खींचते हैं, जिसमें हमें परिवर्तन करना आवश्यक है और जिसमें परिवर्तन न करने पर मनुष्य निश्चित ही एक स्वयंचालित यंत्र से अधिक कुछ नहीं रह जायगा। आज की सभ्यता मनोमूलक सभ्यता है, और इसमें मनुष्य को जीवन के सभी क्षेत्रों में मात्र एक मनोवैज्ञानिक यंत्र बना देने का ही प्रयत्न चारों ओर से चल रहा है। शिक्षा-क्षेत्र में भी जब यही दृष्टिकोण धाकिल हो गया, तो यह मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कृष्णमूर्ति के शब्दों में, आज हमारे छोटे स्कूल और कालेज तथा विरजुपिबालक मानव को

अनुभव एक प्रकार में गडने के साँचे हैं, जिसमें ढलकर मनुष्य रुढ़िप्रिय (पनफार्मिस्ट) बनता है, विजय का व्यासा बनता है और सुरक्षा (सेक्यूरिटी) के लिए लालायित होता है। कृष्णभूर्ति ठीक ही कहते हैं—“रुढ़िवाद के चलने मनुष्य ओसत रो ऊँचा नहीं उठ पाता है।” मनुष्य जहाँ ओसत स्तर का हो रहा, वहाँ उसमें सृजनशीलता या नहीं सकती। इसलिए यदि हमें शिक्षा को सृजनशील (क्रियेटिव) बनाना है तो शिक्षा की पद्धति और प्रक्रियाओं में से उन सब बातों को हटा देना होगा, जो हमें रुढ़िप्रियता की ओर सुरक्षा को लालसा की ओर ले जाती हैं। सृजनशील शिक्षा में ओसत का स्थान प्रज्ञा लगी। कृष्णभूर्ति का कहना है कि रुढ़िवाद और सुरक्षा को भावना के कारण मनुष्य की बुद्धि और मन, दोनों जब हो जाते हैं। वे कहते हैं—

‘ जिस रूप में जो अनुभव आये उसे उसी रूप में स्वीकार करें और उसका सामना करें, उससे भाँपें नहीं तथा उसे अपनी भावना के रंग में रंगे नहीं, किसी प्रकार दूषित न करें तभी हमारी बुद्धि साक्षित रहेगी, उसमें उत्तम जागृति निर्माण होगी और जो बुद्धि जागृत होती है वही अन्त स्फूर्ति (इन्स्पूशन) कहलाती है और वही जीवन का सही भागदशक है।’

इस प्रकार प्रज्ञा को जागृत करना शिक्षा का प्रमुख काम है। दली बात को विस्तार से समझते हुए कृष्णभूर्ति कहते हैं—“हम भले ही खूब पढ़े लिखे हो, लेकिन यदि हमारे विचारों और भावनाओं में गहरा सामंजस्य (डीप इंटिग्रेशन) न हो तो हमारा जीवन अधूरा है, उसमें अतर्विरोध भरे होते हैं और वह अनेक प्रकार के भयों से विपरा होता है। जब तक शिक्षा जीवन के प्रति समजस और समग्र दृष्टि नहीं देती है, तब तक वह निरर्थक है।”

जीवन के प्रति यह समग्र दृष्टि तब आ सकती है जब प्रज्ञा जागृत हो, जिससे मनुष्य खुद को एक सम्पूर्ण इकाई के रूप में देख सके और जीवन की समग्रता को ग्रहण कर सके। ध्यान में रखने की बात यह है कि जब व्यक्ति किसी विचार या व्याचार विशेष का अनुगामी बन जाता है तब यह समग्रता की दृष्टि कमी नहीं आ सकती, वह पूणतया सामंजस्यविहीन हो रहेगा। हमारी शिक्षा— चाहे वह पारम्परिक हो या प्रगतिशील—एक ऐसे तंत्र (टेक्नोक) से जकड़ी हुई है, जिससे व्यक्ति की क्षमता का तो विकास अवश्य होता है, परन्तु समग्रता की दृष्टि नहीं आ सकती। जैसे कृष्णभूर्ति कहते हैं : “इस शिक्षा से क्षमता आती है, पूणता (कम्प्लीटनेस) नहीं आती।” यह पूर्णता मनुष्य की वह समग्रता है जिसके बिना उसका जीवन ‘अतर्विरोधों और दुःखों का बड्डा बन जाता है।’ वे यह नहीं कहते हैं कि ज्ञान और क्षमता अनावश्यक है, बल्कि अप्रसन्न, '६८]

इन्को वे अत्यावश्यक मानते हैं, लेकिन 'उन्होको प्रमुख मान लेने से संघर्ष और उलझनें ही बढती हैं ।'

यहाँ वे क्षमता के दो भाग करते हैं—एक वह, जो महत्वाकांक्षा से प्रेरित होता है; दूसरा वह, जो प्रेम से उत्सूर्ण होता है । महात्वाकांक्षा से प्रेरित होनेवाली क्षमता कठोरता और नृनासता को जन्म देती है । हठारी वर्तमान शिक्षा विजय की लालसा पर अत्यधिक बल देती है, इसीलिए मानव को कठोर और क्रूर बनाती है । आज जो भीषण प्रतिस्पर्धा और आपसी सहार की तूफानी दौड़ चल रही है वह इसी बात का प्रमाण है । विशेष तकनीकी प्रवीणता के कारण जो क्षमता प्राप्त होती है उससे मनुष्य एकांगी बनता है, उस मनुष्य के लिए अणविशेष ही प्रमुख बन जाता है, उसकी दृष्टि से 'पूर्ण' संघर्षा महसूस हो जाता है । श्री कृष्णमूर्ति ठीक ही कहते हैं "शिक्षा का अर्थ केवल कुछ जानकारी एकत्रित करना नहीं है, तथ्यों का सचय और सकलन करना ही शिक्षा नहीं है, शिक्षा तो जीवन को उसकी पूर्णता के साथ देखना है ।" जीवन को पूर्णता के साथ देखना एकमात्र प्रज्ञा से ही सम्भव है । वर्तमान शिक्षा का यह जो विश्लेषण कृष्णमूर्ति कर रहे हैं उस पर आधुनिक शिक्षाशास्त्रियों को गम्भीरता के साथ सोचने की जरूरत है ।

श्री कृष्णमूर्ति कहते हैं "शिक्षा का प्रमुख काम ऐसे मानव का निर्माण करना है जो समग्र (इण्टेग्रेटेड) है और जो प्रज्ञावान (इण्टेलिजेण्ट) है । बिना प्रज्ञा के ही पदवीधर हो सकते हैं, यत्रशास्त्रनिपुण हो सकते हैं, तकनीकी विशेषज्ञ बन सकते हैं । प्रज्ञा कोरी जानकारी का नाम नहीं है । यह पुस्तकों से प्राप्त होनेवाली नहीं है । न वह खण्डन-मण्डनात्मक बौद्धिक पाण्डित्य से निष्पन्न होती है । इसके विपरीत एकदम अनपढ़ आदमी इन पण्डितों से बड़ी मढ़नर प्रज्ञावान हो सकता है । हम लोगों ने ता परोक्षा और पदवी को ही विद्या वा मानदण्ड बना दिया है और मानव मन को इतना दौन और निस्वैज बना रखा है कि वह जीवन की महत्वपूर्ण समस्याओं से बचकर भागने की ही ताक में रहता है । लेकिन प्रज्ञा वह शक्ति है जो किसी भी वस्तु के अन्त सत्व का दर्शन करती है, जो 'है' उसे वह देख सकती है, और इसी शक्ति का विकास करने का नाम शिक्षा है ।"

कृष्णमूर्ति जिसे प्रज्ञा कह रहे हैं वह निश्चिन् ही एक ऐसी शक्ति है, जिससे मनुष्य में जीवन की क्षण-क्षण बदलती हुई प्रत्यक्ष समस्या को ठीक से देखने की, समस्या जैसी 'है' वैसी ही ग्रहण करने की ओर उसका समुचित उपाय सोचने की सामर्थ्य उत्पन्न होती है । इसके लिए आवश्यक है कि

मन सदा ग्रहणशील रहे, निरन्तर सजग और सावधान रहे, तथा अपनी आवलनक्षमता को जागृत रखे। मन ग्रहणशील तभी हो सकता है जब वह बन्धनहीन और उन्मुक्त रहता है, किसी विशिष्ट विचार या व्याचार से जकड़ा नहीं होता है। वही मन 'वस्तुओं का वास्तविक मूल्य समझ सकता है जो मूल्य पूर्वग्रहमुक्त शोधन से और सजगता से ही जाना जा सकता है।' ग्रहणशील चित्त ही वास्तव में जीवन की समस्याओं का सही समाधान खोज सकता है। विशिष्ट विचारों से जकड़ा हुआ और लकीर का फकीर बना हुआ मन हमेशा भयभीत रहता है और किसी भी समस्या से बचने की ही तजवीज करता रहता है। आज की शिक्षा मनुष्य को अनेक गहतुओं से यही बचने की और सुरक्षा खोज लेने की ही विद्या सिखाती है, ताकि जीवन में कहीं असफलता का सामना न करना पड़े। आज समाज में 'सफल' मनुष्य का बड़ा मान होता है और सफल मनुष्य वह है जो अपने बचाव की कला का खूब उपयोग कर सकता है। यह निश्चित है जो व्यक्ति जीवन के प्रत्येक प्रसंग में अन्दर-अन्दर अपना बचाव खोजता रहता है, वह बुरी तरह भयमस्त रहता है। इसलिए आज की हमारी शिक्षा के मार्ग में भय का तत्त्व निहित है ही।

आदमी यदि सबसे अधिक किसीसे डरता है तो खुद से। वह अपने से बचकर भागने की हरदम कोशिश करता रहता है, और वर्तमान शिक्षा हमें यही सिखा रही है। शिक्षा के हमारे ढाँचे में अपने को पहचानने का माहा है ही नहीं। लेकिन शिक्षा का यही अर्थ 'अपने को ठीक से समझना' ही है। यह आत्मज्ञान जीवन के हर कदम पर होना चाहिए। दूसरे शब्दों में—'मन की पूर्ण सावधानता ही आत्मज्ञान' है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इस ज्ञान की अपनी तकनीक है। यानी वे तकनीक मात्र का निषेध नहीं करते हैं। लेकिन उनका कहना यही है कि अमुक विशिष्ट तकनीक से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि तकनीक तो ज्ञान की अभिव्यक्ति के प्रकार विशेष का नाम है। आज हमारी शिक्षा-मदति में ज्ञान से अधिक तकनीक को महत्व दिया गया है, इसलिए ज्ञान रहा ही नहीं। हम आज की शिक्षा के द्वारा विशेषज्ञों और टेक्नीशियनों का निर्माण कर रहे हैं जो अभिव्यक्ति की कला में तात्पुण्य है, लेकिन अभिव्यक्त करने की उनसे पास मूल में कुछ है ही नहीं। कृष्णमूर्ति कहते हैं—'शुद्धि हमने जीवन की समझना को न जानते हुए केवल तकनीकी कुशलता प्राप्त की है, इसलिए यह टेक्नालाजी आज हमारे दिनांक का साधन बन गयी है।'

ज्ञानपूय तकनीकी विद्या मनुष्य को न केवल मूर्ख और कठोर बनाती है, अप्रति, '६८]

बल्कि उससे मनुष्य की आर्यस्तता की भावना पुष्ट होती है। इसीलिए तकनीकी विद्या में पारंगत व्यक्ति जीवन की समस्याओं का समाधान सुरक्षा की भावना की दृष्टि से ही खोजता है। लेकिन मनुष्य जब पूर्वनिश्चित मनोवृत्ति को लेकर जीवन की ओर देखता है, तो वह जीवन को पूर्ण रूप से देख नहीं पाता। इससे विपरीत जो मनुष्य जीवन की पूर्णता को जानता है वह चाहे जिस प्रकार की समस्या का हल करने का साधन पा जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं—“यदि किसीके पास वास्तव में कुछ कहने योग्य वस्तु है तो उसे कहने की उसकी अपनी शैली बनती है, किंतु आन्तरिक स्फूर्ति ही न हो तो केवल कहने की शैली का अभ्यास करने से वह कृत्रिम बनता है।”

हमारी वर्तमान शिक्षा में अत्यधिक प्रवीणताओं और विशेषज्ञताओं के बावजूद कृत्रिमता दूर नहीं हुई है, बल्कि भरी हुई है। सब तो यह है कि कृत्रिमता का मूल कारण ही विशेषज्ञता (स्पेशलाइजेशन) है। कृत्रिम जीवन हमेशा अनुकरणात्मक होता है, अभिन्मूलक (इनिशियेटिव) नहीं। आज की शिक्षा हमें अनुकरणशील बनाती है, इससे हम अपनी रटी रटापी शैली का पुनरावर्तन करने में उत्तम यांत्रिक कोशल दिखा सकते हैं। हम अपने स्वतंत्र ढंग से व्यवहार करने से डरते हैं, क्योंकि हमें उस चीज का अनुभव नहीं है। जैसे जैसे हम अदर से सूखने जाते हैं, वैसे-वैसे बाहरी उपकरणों, शैलियों और अभिव्यक्ति की छटाओं पर अधिकाधिक जोर देते जाते हैं। वास्तव में हमारी शिक्षा की बसली समस्या यही है। तकनीक अपने आप में कोई समस्या नहीं है। लेकिन आज हम विद्यार्थियों के सामने शिक्षा के सभी स्तरों में आचार और विचार के खास नमूने ही पेश करते जाते हैं और अपेक्षा रखते हैं कि विद्यार्थी उन्हीं नमूनों का यथावत् अनुकरण करें। इस प्रकार की शिक्षा व्यक्ति की निजी अभिन्मशीलता के मूल में ही आघात पहुँचानेवाली है। वह नमूना प्रायः किसी भी पुरुष का, अवतार का या किसी नेता का होता है, कभी तो विचारधारा का भी हो सकता है। हमारे तथाकथित धार्मिक शिक्षण का भी यही प्रयत्न रहता है कि बच्चों के सामने कोई-न-कोई पौराणिक या वैचारिक आदर्श प्रस्तुत किया जाय। फिर वही आदर्श प्रमाण बन जाता है, बच्चों को उसी आदर्श के पीछे चलना पड़ता है और उसीका अनुकरण करना पड़ना है। लेकिन समझने की बात यह है कि इस प्रकार एक आदर्श प्रस्तुत करके हम बच्चों से अनुकूल दृष्टिकोण को निर्धारित करते हैं, उनके मन में एक स्वल्प विरोध को अंकित कर देने हैं। इसका परिणाम यह होता है कि

बच्चा हर समस्या को ओर उसी दृष्टिकोण से देखने का आदी होता है, वही समूचे जीवन को ओर देखने का उसका दृष्टिकोण बन जाता है। लेकिन जो मन आदर्श विशेष को मान लेता है—वह आदर्श कितना ही सुंदर क्यों न हो, वह मन जीवन की पूर्णता का आवलन नहीं कर सकता। श्री कृष्णमूर्ति कहते हैं—

“त्रिदोषज्ञो वी ही तरह आदर्शवादियों को भी ‘पूर्ण’ से कोई मतलब नहीं है, उनके लिए अश ही सब कुछ है। उत्तम आचरण का आदर्श प्रस्तुत कर देने से ही जीवन की पूर्णता का दर्शन नहीं हो जाता। ऐसे कई आदर्शवादी शिक्षक हैं जिन्होंने आदर्श के पीछे प्रेम को तिलाजलि दे दी है, अंदर से बिलकुल नीरव हो गये हैं। बालक का अध्ययन करने के लिए, बालक को ठीक से समझने के लिए बिलकुल सजग, सावधान और तत्पर रहना होता है। इस सावधानता के लिए उत्तम प्रज्ञा और प्रेम आवश्यक है, आदर्श नहीं।”

इससे बहुत स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षको का दायित्व कितना बड़ा है। शिक्षक को अत्यन्त सावधान रहना होगा कि वही वह खुद ही बालकों के मन पर हावी न हो जाय। उसका अपना व्यक्तित्व अथवा उसका पाण्डित्य बालक के लिए प्रमाण न बन जाय। आज तो आदर्श शिक्षा का अर्थ—चाहे वह धामपथी हो या दक्षिणपथी—अमुक विचार या आचार का आदर्श प्रस्तुत करना ही हो गया है। आगे चलकर यह आदर्श ही अनुशासन का रूप ले लेता है। दूसरे शब्दों में, हर प्रकार के अनुशासन का जन्म विशिष्ट विचार या आचार से ही होता है। सभी शालाओं में—पारम्परिक तथा प्रगतिशील दोनों प्रकार के स्कूलों में—बालकों को अमुक एक विचार या आचार के आदर्श में ढालने का ही प्रयत्न किया जाता है। कभी-कभी यह प्रयत्न पबरदस्ती का रूप लेता है, तो कभी धीम्य होता है, समझाने-बुझाने का होता है। प्रयत्न चाहे जिस स्वरूप का हो, लेकिन वही प्रयत्न बराबर चलाता है कि बालक को बिछी-न बिछी सीने में ढाला जाय। इस प्रयत्न में निरिधन ही यह विचार निहित है कि हम बालक को यह रूप देना चाहते हैं या वह नहीं है। यह जैसा ‘है’, उसमें कुछ भिन्न ‘बनाना’ चाहते हैं। परंतु, जैसे कृष्णमूर्ति कहते हैं, पास्तविक शिक्षा तो “बालक जैसा है वैसा ही उसे जानना है, वह क्या बने यह सोचकर उस पर कुछ-न-कुछ आदर्श थोपना नहीं।” बालक को उसके अथली रूप में स्वीकार करना शिक्षा का धारम्भ है। परंतु यह जानना तभी सम्भव है जब बालक पर कोई आदर्श लादने का या उसे अमुक सीने में ढालने का प्रयत्न शिक्षा की धार में न हो। बालक को अग्रिम, '६८]

किसी कृत्रिम माध्यम से, आदर्श या पद्धति-विशेष के द्वारा देखना गलत है, यह उसका गलत रूप देखना है। वृष्णभूति कहते हैं—

“शिक्षक यदि सही है तो वह किसी पद्धति-विशेष पर निर्भर नहीं रहेगा, प्रत्येक छात्र का अलग-अलग अध्ययन करेगा। हमारे पास जो बच्चे हैं वे कोई यत्र तो हैं नहीं कि ठोक-पीटकर काम के लायक बना लें, वे तो चेतनवान् व्यक्ति हैं, ज्ञान, भावना और बुद्धि सब उनमें है, उनमें भी भय, प्रेम आदि वृत्तियाँ हैं। उनके साथ काम करना है तो हममें पूरी समझ, धीरज और प्रेम का तत्त्व भरपूर होना चाहिए।”

तो, प्रश्न यह है कि शिक्षा के आधारभूत यह सही समझ प्राप्त कैसे होगी? हमें पहले समझ लेना चाहिए कि सही शिक्षा सही शिक्षक पर निर्भर है। वृष्णभूति ने कहा है कि सही शिक्षा के लिए बालकों को हर प्रकार के बन्धनों से, उनके मन को जकड़नेवाले सभी सस्कारों से मुक्त रखना परम आवश्यक है। लेकिन बालक जब स्कूल जाता है, उससे पहले ही घर की और समाज की परिस्थितियों का प्रभाव उस पर पड़ चुका होता है। अब स्कूल में आने पर उसके दिमाग में शिक्षक अपना सस्कार भरने की कोशिश करता है। और इस तरह से बालक के मन पर उसका अपना और शिक्षक का, दो-दो सस्कार लड़ने लगता है। इसलिए शिक्षा का मुख्य काम इन सस्कारों को मिटाना ही है, बालक के मन को बन्धनों से मुक्त करना ही है। यह काम तब हो पायेगा जब शिक्षक को अपने बन्धनों का भान हो। वह अपने सस्कारों और बन्धनों से अवगत हो जाता है तो कम-से-कम इतना तो करेगा ही कि बालक के मन पर अपना सस्कार लाने से रुक जाय। कहना न होगा कि इस प्रकार का शिक्षक अत्यन्त संवेदनशील होगा। ऐसी संवेदनशीलता की मन स्थिति में ही बालक का ठीक से समझना सम्भव होता है। जो शिक्षक अपने सस्कारों और बन्धनों के प्रति सतत जागरूक रहता है वह बालक के अन्दर ऐसी योग्यता उत्पन्न करेगा कि वे अपने बन्धनकारक सस्कारों के प्रति सजग रहें। इस पद्धति से शिक्षक और छात्र दोनों बाह्य प्रभावों और सस्कारों के प्रति अधिक संवेदनमय होंगे। अपने सस्कारों के प्रति सजग रहनेवाले शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्र भी समझ सकता है कि वह स्वयं क्या क्या बातें अपने ऊपर लाद लेता है और कौन-कौनसे नये मूल्य गड़ लेता है। इतना समझ लेने के बाद वह यह भी समझ सकता है कि “वे स्थायी मूल्य कौनसे हैं, जो जीवन को किसी भी बन्धन में जकड़नेवाले नहीं हैं।”

संका उठ सकती है कि इस प्रकार समस्त संस्कारों और पावन्दियों से मुक्त हो जाने पर समाज में अनुशासन रह नहीं जायगा, नैतिकता का ह्रास होने लगेगा और समाज का पतन होगा। समझने की बात यह है कि समस्त संस्कारों से मुक्त मन की अवस्था एक ऐसी अवस्था है, जिसमें कोई भी प्रतिक्रिया रह नहीं जाती। अनुशासन और अनुशासन-हीनता, दोनों मन की विशिष्ट प्रतिक्रियात्मक अवस्थाएँ ही हैं। वह विशिष्ट अवस्था मन के संस्कारों का ही परिणाम है। इसलिए जिसे हम स्वतंत्रता समझते हैं, चूँकि वह एक प्रकार की अनुशासनहीनता ही है, इसलिए स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि वह स्थिति संस्कारमुक्त स्थिति नहीं है। मन को जब संस्कारों से सर्वथा मुक्त करते हैं तभी मन और बुद्धि, दोनों सवेदनशील होंगे। लेकिन वह सवेदनशीलता दबाव से आनेवाली नहीं है। किसी विचार या आचार का अनुयायी बनना दबाव ही तो है। इसलिए सवेदनशील मनुष्य कभी अनुशासन-हीन नहीं हो सकता, न लापरवाह ही हो सकता है। कृष्णमूर्ति के शब्दों में "सुव्यवस्था अनुशासन से नहीं, प्रज्ञा से आती है।"

इसलिए शिक्षा में सुधार का आरम्भ शिक्षकों और माता-पिताओं के शिक्षण से होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, शिक्षकों और माता-पिताओं को पहले अपने संस्कारों और बन्धनों से अवगत हो लेना चाहिए, तभी वे बालकों को ठीक से समझ सकेंगे। ठीक से समझना ही तो शिक्षा का श्रीगणेश है। जो शिक्षक छात्र को ठीक से समझता है वही उसे अन्त तक मार्ग दिखा सकेगा। जो शिक्षा छात्र को 'अपना ज्ञान' न कराये, वह शिक्षा ही नहीं है। अपना ज्ञान का अर्थ है, वह जैसा 'है' वैसा जानना। हमारे मन पर इतने संस्कार पड़े होते हैं कि हम यह जान ही नहीं पाते कि हम वास्तव में क्या 'हैं'। इस आत्मज्ञान के बिना व्यक्ति में अभिन्नम (इनिशियेटिव) का, पहल करने की वृत्ति का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए सही शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षक और शिक्षार्थी, दोनों को समान रूप से संस्कारमुक्त होना अत्यन्त आवश्यक है। ●

शिक्षा में विकेन्द्रीकरण

देवेन्द्रदत्त तिवारी

विकेन्द्रीकरण का अर्थ है समाज के मुट्ठीभर लोगों के हाथ से जनता के हाथ में, केन्द्र के हाथ से स्थानीय इकाइयों के हाथ में और केन्द्रीय शासन के हाथ से नागरिकों के हाथ में, अर्थात् ऊपर से नीचे अधिकार और दायित्व का हस्तान्तरण। दूसरे शब्दों में, विकेन्द्रीकरण कोई विशेष प्रशासनिक प्रबन्ध नहीं है जिसमें सरकार की, विभिन्न स्तरों की अलग-अलग इकाइयों के बीच कुछ कार्यक्रमों का विभाजन हो, बल्कि उसमें राष्ट्र का दशन, जनता का दृष्टिकोण और समस्या के समाधान की बुनियादी पद्धति का भी समावेश है। उसमें सरकार की जगह नागरिक पर, और केन्द्रीय शासन की जगह स्थानीय स्वायत्त शासन की इकाइयों पर जोर निहित है। विकेन्द्रीकरण लोकतंत्र की कोणशिला है।

विशाल दृष्टि से कहें तो, राजनीति में विकेन्द्रीकरण का अर्थ केन्द्रीय, प्रान्तीय तथा स्थानीय शासन संस्थाओं के बीच सत्ता का सहभाग है, जिसमें स्थानीय संस्थाओं का कार्य और दायित्व प्रमुख है। अर्थनीति में विकेन्द्रीकरण का अर्थ है बृहत् उद्योगों के बजाय लघु उद्योगों का व्यापक फैलाव। शिक्षा-क्षेत्र में उसका अर्थ है कि शैक्षिक विकास में जनता का सहयोग और शाला तथा शिक्षकों को पूर्ण त्रिया-स्वातन्त्र्य। इसका अर्थ यह भी है कि इसमें सरकार का अथवा प्रशासकीय तंत्र का कम-से-कम हस्तक्षेप रहना चाहिए।

शिक्षा के विकेन्द्रीकरण के प्रश्न पर दो पहलुओं से विचार किया जा सकता है: एक—केन्द्र से राज्य के स्तर पर विकेन्द्रीकरण और दूसरा—राज्य से स्थानीय संस्थाओं के स्तर पर विकेन्द्रीकरण। जहाँ तक शिक्षा को केन्द्र के हाथों से राज्यों के हाथों में विकेंद्रित करने का प्रश्न है माण्टेस्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा मही प्रयत्न किया गया था और उसके परिणामस्वरूप शिक्षा राज्य का विषय बनी। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि स्वतंत्रता से पहले शिक्षा पर केन्द्रीय नियंत्रण कम था, राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्राप्त थी जो स्वतंत्रता के बाद नहीं रही। जहाँ तक राज्य से स्थानीय संस्थाओं के स्तर पर शिक्षा

को विकेंद्रित करने का प्रयत्न है, यद्यपि सन् १९२९ में हरटाग कमेटी ने और १९४४ में सार्जेंट कमेटी ने उसके प्रतिबल राम दी थी, फिर भी सन् १९५१ की खेर कमेटी तथा १९५७ की बलवन्तराम मेहता कमेटी की सिफारिशों के फलस्वरूप उस ओर काफी महत्वपूर्ण कदम उठाये गये। अन्तिम दोनों कमेटियों ने त्रिस्तरीय पद्धति का सुझाव दिया—पहला ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखण्ड स्तर पर पंचायत समिति या क्षेत्र समिति, और जिला-स्तर पर जिला परिषद। इस प्रकार तीन बुनियादी इकाइया मानी गयी थी। इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ कि पहले विकेंद्रिकरण की प्रमुख इकाई जिले को माना गया था, तो अब जिले की बड़ी हुई जनसंख्या और समस्याओं की वृद्धि को देखते हुए, तथा इसलिए भी कि स्थानीय प्रशासन में जनता का सहयोग अधिकाधिक मिल सके, ग्रामपंचायतों और क्षेत्रीय समितियों का विशेष प्रधानता दी जानी लगी। माध्यमिक शिक्षा-क्षेत्र में यद्यपि जनता के निजी प्रयत्नों का विशेष महत्व है, फिर भी अनुदान तथा मायता की पद्धति के द्वारा राज्य सरकार का बड़ा प्रभावकारी नियंत्रण माध्यमिक शिक्षा पर है। अभी तक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के नियंत्रण पर अलग से विचार किया जाता रहा है, परन्तु भारतीय शिक्षा आयोग ने सुझाव दिया है कि प्राथमिक (एलिमेण्टरी) और माध्यमिक शिक्षा का नियंत्रण एक साथ जिला स्कूल बोर्ड के ही हाथों में रहे। इंग्लैंड और अमेरिका में स्कूल तक की सारी शिक्षा का और कुछ हद तक उच्च शिक्षा का भी प्रशासन लोकल बोर्ड या एल० ई० ए० के ही अधीन है।

वस्तुतः यह एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है कि स्थानीय प्रशासन की इकाई क्या हो, उसका आकार कितना रहे। इंग्लैंड, अमेरिका तथा अन्य राष्ट्रों में भी इन इकाइयों का निश्चय आबादी, सघनता, जनता की इच्छा और ऐसी ही अन्य बातों के आधार पर किया जाता है। वहाँ गाँवों या आकार भिन्न भिन्न हैं—इंग्लैंड में एक देहात २६००० का है, तो लन्डन शहर के रेटलैंड में २० २२ लाख का है।^१ अमेरिका के स्कूल जिले की जनसंख्या भी समान नहीं है। वेदास्वा में ४५५ सा ग्यूसार्क में १४०००। सन् १९६० की जनगणना के अनुसार।^२ हमारे यहाँ शिक्षा के प्रशासन की बुनियादी इकाई के रूप में जिला बहुत बड़ा पक्ष है। जिले की अपेक्षा प्रखण्ड अधिक सुविधाजनक

१. लन्दन के शिक्षा विभाग द्वारा प्रसारित ३१-१०-६६ की शिक्षा रिपोर्ट के अनुसार।

२. दि टोपर एण्ड स्कूल आर्गनाइजेशन—ले० जिया एम० वेम्बरलीन और डब्ल्यू० लिण्डर्ट लिचली (चतुर्थ संस्करण १९६६) पृ० ६५।

अप्रैल, १९८]

[४१२

होगा, क्योंकि एक प्रखण्ड में लगभग १०० गाँव होते हैं। सबसे महत्व की बात यह ध्यान में रखनी है कि शिक्षा की समस्याओं में स्थानीय जन-समुदाय का प्रत्यक्ष और सक्रिय सहयोग उपलब्ध होना चाहिए। इस दृष्टि से प्रखण्ड अधिक सुविधापूर्ण इकाई प्रतीत होता है। अन्य देशों के समान यहाँ भी माध्यमिक, व्यावसायिक अथवा अन्य उच्च शिक्षा के मामले में कई प्रखण्डों को आपस में मिलकर प्रयत्न करना आवश्यक होगा।

कुछ राज्यों में प्राथमिक शिक्षा का विकेंद्रीकरण करने के लिए प्रखण्डों को बुनियादी इकाई के रूप में स्वीकार किया गया है। हाल के वर्षों का अनुभव यना रहा है कि विकेंद्रीकरण के परिणाम सतोपजनक नहीं रहे हैं। इसके कई कारण हैं। एक कारण यह कि इसके दायित्व और अधिकार में हाथ वँटाने की जिला परिषदा की इच्छा नहीं थी। दूसरा यह कि क्षेत्र-समितियों के हाथों में आवश्यक निर्णय लेने के पास अधिकार नहीं दिये गये थे। तीसरा कारण था कि इन प्रखण्ड समितियों को न्यायिक डेवलपमेंट आफिसर के माफत सरकारी नियंत्रण के अधीन रखा गया था। अन्तिम कारण यह था कि अधिकांश अधिकारीगण बाहरी जीवन के ओर वहाँ की सुविधाओं के आदी थे, इसलिए प्रखण्ड के केन्द्र स्थानों पर रहना नहीं चाहते थे क्योंकि वहाँ उनको शहर की सारी सुविधाएँ मिल नहीं सकती थी।

स्थानीय समस्याओं की अर्थात् जिला प्रखण्ड तथा ग्राम स्तरीय प्रशासन पद्धति की विफलता का सारा दोष राज्य तथा केन्द्र-सरकारों पर है, क्योंकि इस विकेंद्रीकरण के प्रयत्न की ओर उठाने पूरी आस्था से सही ओर पूरा ध्यान नहीं दिया। यहाँ खेर कमेटी के कुछ अभिप्राय उद्धृत हैं जो प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित हैं फिर भी सामान्य शिक्षण पर भी उससे काफी प्रकाश पड़ता है

१ विकेंद्रीकरण का प्रमुख उद्देश्य यह होना चाहिए कि उससे स्थानीय नेतृत्व स्थानीय अभिन्न और उत्तरदायित्व की भावना का निर्माण हो। परन्तु इस उद्देश्य पर कभी यथोचित बल नहीं दिया गया। इसके विपरीत विकेंद्रीकरण का उद्देश्य स्थानीय चन्द्रा एकत्रित करना मान लिया गया।

२ एक सामान्य निष्कर्ष स्पष्ट होता है कि प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन के साथ स्थानीय जनता का सहयोग प्राप्त करने के प्रयोग की ओर अपेक्षाकृत अल्प ही ध्यान दिया गया और वह भी पूरे मन से नहीं दिया गया, और अभी तक यही स्थिति दीखती है।

१ प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में राज्य-सरकारों और स्थानीय समस्याओं के सम्बन्ध पर शिक्षा मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट (१९५४)।

३ इतिहास बताता है कि सन् १८८२ में लार्ड रिपन ने इस प्रयोग को सफल बनाने के लिए जा सुझाव प्रस्तुत किये थे उन पर उस समय के प्रशासकों ने अमल नहीं किया। उसने स्पष्ट कहा था कि यह नया प्रयोग तभी सफल हो सकेगा जब (१) स्थानीय सस्थाओं को पर्याप्त साधन सामग्री उपलब्ध करायी जाय (२) यदि अतिरिक्त व्ययसाध्य काम जोड़ने है तो साथ साथ अतिरिक्त आय के साधन भी दिये जायें, (३) यदि सरकारी अधिकारी स्वतंत्र राजनैतिक जीवन के प्रारम्भिक छोटे छोटे प्रयत्नों में पूरी निष्ठा और तत्परता के साथ कटिबद्ध होकर जुटते हैं और वे यह अनुभव करते हैं कि इससे उन्हें प्रशासनिक और संचालन शक्ति के विनियोग का अधिक उत्तम क्षेत्र प्राप्त हुआ है। परन्तु दुर्भाग्य से इन सुझावों को जल्दी ही भुला दिया गया।

४ लोगो को यह आम धारणा थी कि प्राथमिक शिक्षा की कठिनाइयों का यह एक कारण है कि उसे स्थानीय सस्थाओं के हाथों में सौंपा गया, और यदि उसे सफल करना है तो उसका एकमात्र उपाय यही है कि उसे राज्य के शिक्षा विभाग के प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाया जाय, लेकिन इस धारणा को इतिहास ने निराधार सिद्ध कर दिया है।

इस पृष्ठभूमि में शिक्षा के विरे-द्रोहरण के प्रश्न के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना उपयोगी होगा। हमें शिक्षा के उद्देश्यों पाठ्यक्रमों, शिक्षण पद्धति, तकनीक, मूल्यांकन योजना और प्रशासन के पहलुओं पर विचार करना चाहिए। यद्यपि ये सब पहलू परस्पर एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और मिले-जुले हैं, फिर भी प्रत्येक पर अलग-अलग विचार करने की आवश्यकता है। शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य

समाज द्वारा निर्धारित सामाजिक राजनैतिक और आर्थिक लक्ष्यों के आधार पर शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य तय किये जाते हैं। हमारे संविधान के प्रांशकण में यह स्पष्ट कहा गया है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र की स्थापना की जायगी और प्रत्येक व्यक्ति को 'याव' समता और विचार-आचार की स्वतंत्रता प्रदान करने के सिद्धांत पर अमल किया जायगा। निरादेह में हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य है। इस सन्दर्भ में देखें तो राष्ट्रापृष्ण कमेटी, मुदलिवार आयोग और हाल के राष्ट्रीय शिक्षा-आयोग आदि किसी भी समिति ने जो कुछ कहा हो, उससे भिन्न शिक्षा के आगे कोई राष्ट्रीय लक्ष्य नहीं रखा गया। वर्तमान शिक्षा मंत्री संसद के द्वारा एक निश्चित राष्ट्रीय शिक्षा नीति तय करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह एक दुर्भाग्य की ही बात है कि अगस्त, '६८]

शिक्षा यद्यपि राज्य का विषय है, फिर भी निश्चित शिक्षा-नीति बनाने के मामले में राज्या का कोई ध्यान नहीं रखा गया। जब राज्यों की ही यह स्थिति है, तब यह स्वाभाविक ही था कि स्थानीय सस्थाओं या स्थानीय इकाइयों—जिनमें से कई तो संसार के अनेक स्वतंत्र राज्यों और राष्ट्रा जितनी बड़ी हैं—का ध्यान शिक्षा के लक्ष्य को और गया ही नहीं। मेरे कहने का मुख्य आशय यह है कि शिक्षा को सही दिशा देने के बारे में स्थानीय जनता का, बल्कि राज्यों का भी योगदान नहीं रहा।

अब दूसरे पहलू से विचार करें। यह एक निर्विवाद सत्य है कि जब हम कोई कार्यक्रम या योजना हाथ में लेते हैं तो उसके लक्ष्य और उद्देश्यों को व्यक्तियों के सामने स्पष्ट रखना ही चाहिए। शिक्षा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, लेकिन यह भाग्य की विडम्बना ही है कि हमारे स्कूल और शिक्षक उन उद्देश्यों के प्रति विलकुल ही अनभिज्ञ हैं, जिसके लिए वे काम कर रहे हैं। शिक्षा के लक्ष्य और नीति के निर्धारण में उनको स्थान देने का प्रयत्न ही नहीं है, बल्कि इस पर विचार ही नहीं होता है। स्थानाय समुदाय को इससे कोई वास्ता नहीं है और माता पिता की कोई आवाज नहीं है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षार्थियों का सहभाग्य के नाते स्थान है यह बात अभी हाल में मान्य हुई है। इन सबसे यहो सिद्ध होता है कि शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करने में स्थानीय अभिज्ञम काम नहीं कर रहा है। यही कारण है कि शिक्षा उद्देश्य हीन हो गयी है। अग्रगण्य लोकतांत्रिक राष्ट्रा की स्थिति ऐसी नहीं है कि वहाँ स्थानीय जनता, बल्कि प्रत्येक स्कूल के अपने लक्ष्य स्पष्टनया निर्धारित हैं और उन लक्ष्यों को सिद्ध करने के लिए वे पूरी शक्ति से काम करते हैं। इसीलिए इस देश में शिक्षा में स्थानीय आवश्यकताओं का कोई स्थान नहीं रह गया है।

यहाँ विभिन्न आयोगों और कमेटियों द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं वे जन-साधारण की, अथवा स्कूल की, अथवा शिक्षक या शिक्षार्थी की समझ से परे हैं और इसीलिए उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक कदम उठाने के प्रति वे सर्वथा उदासीन रहते हैं। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा-आयोग ने देश के सामने आर्थिक समृद्धि और चारित्र्य विकास का लक्ष्य रखा, जिसका कोई अर्थ नहीं है। इस लक्ष्य के निर्धारण का कोई प्रभाव स्कूलों और शिक्षकों पर नहीं पड़ा, क्योंकि रिपोर्ट तैयार करनेवालों और क्षेत्रीय कार्यकर्तियों के बीच बहुत बड़ी खाई है।

शिक्षा के लक्ष्य या उद्देश्य कई प्रकार के हो सकते हैं। एक लक्ष्य यह

भी है जिसे मैं बुनियादी मानता हूँ, वह श्री टी० पी० नन् के शब्दों में व्यक्तित्व का विकास (डेवलपमेंट आफ इंडिविडुअल) है। यह लक्ष्य हर समय के लिए सही है, और किसी भी शिक्षा-पद्धति में इस बात के लिए गुंजाइश रहनी ही चाहिए कि बच्चों को शारीरिक तथा बौद्धिक क्षमता का पूरा विकास हो सके। कुछ लक्ष्य ऐसे भी होते हैं, जो विशिष्ट परिस्थिति की भाग को सामने रखकर निर्धारित किये जाते हैं। जैसे—आर्थिक समृद्धि, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा, जन-सख्यावृद्धि का नियन्त्रण और राष्ट्रीय एकता—ये सब राष्ट्रीय स्तर के कुछ विशेष लक्ष्य हैं। इसी प्रकार राज्य तथा स्थानीय स्तर के भी कुछ विशेष लक्ष्य हो सकते हैं, कुछ विशेष लक्ष्य केवल स्कूल और शिक्षकों से ही सम्बन्धित भी होते हैं। इन सबके प्रति जनता तभी जागरूक हो सकती है जब बुनियाद में काम करनेवाले लोग स्वयं अपनी उन्नति के एक साधन के रूप में उन लक्ष्यों को निर्धारित करें। इसके बिना शिक्षा-पद्धति की लोक बदल नहीं सकती।

पाठ्यक्रम—

छात्रों को किस पद्धति से ज्ञान दिया जाय इसका निर्णय आज प्राथमिक स्तरों में शिक्षा-विभाग करता है और उच्च स्तरों में सेकेण्डरी एजुकेशन बोर्ड या ऐसी ही कोई समिति करती है। लेकिन पाठ्यक्रम की रूपरेखा कौन तैयार करे, यह एक विवादग्रस्त प्रश्न है। अधिनायकशाही राष्ट्रों में जहाँ कि सरकार का नियंत्रण सर्वोपरि है और जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अमुक सामाजिक आवश्यकता के अनुकूल एक विशिष्ट संचे में ही डालना होता है, वहाँ पाठ्यक्रम का निर्माण और निर्धारण सरकार ही करती है। परन्तु प्रगतिशील प्रजातांत्रिक राष्ट्रों में जहाँ कानून के द्वारा व्यापक नीति-नियमों को अंगीकार करना सम्भव है, पाठ्यक्रम का ब्यौरेवार निर्धारण स्कूल ही करते हैं।

जब से रुस ने अन्तिरिक्षा में स्तुतनिक भेजा, तब से पाठ्य-विषयों की ओर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। खासकर अमेरिका में राष्ट्रीय शिक्षा समितियाँ विभिन्न वैज्ञानिक विषयों के अभ्यासक्रम तैयार कर रही थी। लेकिन देखा गया कि ये अभ्यासक्रम विशेष रूप से सैद्धांतिक, तार्किक और थोड़ा बालक की पहुँच के परे हैं, इसलिए ऊपर से विरोधों द्वारा लादे गये उन अभ्यास-क्रमों के खिलाफ गम्भीर प्रतिक्रिया प्रकट हुई। अभ्यास-क्रम को समयानुकूल और ताजा बनाये रखना जरूरी है, तो उसके लिए यह भी जरूरी है कि एक तरफ बच्चों की क्षमता, सामाजिक माँग और आवश्यकता से, तथा दूसरी ओर उन विषयों के सही ज्ञान के बीच सार्वभूम्य स्तूतने न पावे, दोनों का समुल्लन न बिगड़े। जो

संके विश्वविद्यालयीन शिक्षा प्राप्त करनेवाले नहीं हैं, उन्हें आधुनिक या प्रौढ गणित पढ़ाने का कोई प्रयोजन नहीं है। न्यूनतम रिपोर्ट में यह बिलकुल सही निर्देश दिया गया है कि हमें औसत बालको और औसत से नीचे के बालको की शिक्षा पर सही ध्यान देना चाहिए। राष्ट्र की अपार मानवशक्ति उन्हीं में है, और हमारी औद्योगिक और आर्थिक उन्नति प्रनिभावान बालको से कम इन पर निर्भर नहीं है।

हमारे देश में पाठ्यक्रम बनाने की प्रक्रिया में केन्द्रीकरण की ओर बड़ा झुकाव है और इस मामले में शिक्षक को कुछ भी स्वतन्त्रता नहीं है। नेशनल इस्टीमेट आफ एजुकेशन में पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तको और मूल्यांकन का एक विभाग है, जिसे शालाओ के विभिन्न विषयो के अलग-अलग अध्यासक्रम बनाने, बदलने और रद्द करने का अधिकार है। यदि यह मान्यता सही है कि शिक्षा को बच्चो की क्षमता, परिस्थिति और आवश्यकता पर आधारित होना चाहिए, तो सारे देश के लिए, जहाँ कि बहुत विभिन्नता है, एक समान पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए केन्द्रीय विभाग या समिति बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह मानने का कोई कारण नहीं कि शालाओ का समुचित पाठ्यक्रम बनाने की क्षमता राज्य या स्थानीय स्तर पर नहीं है।

पाठ्यक्रम पर केन्द्रीय नियंत्रण के समर्थन में अंश तौर पर निम्न दलीलें दी जाती हैं। पाठ्यक्रम में एकरूपता इसलिए आवश्यक है कि माता-पिता का तबादला हो और वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जायें तो उनके बच्चो की पढ़ाई में दिक्कत न हो। लेकिन यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे लोगों का प्रतिशत नगण्य जैसा है, और इतने के लिए समूची शिक्षा की स्वस्थ परम्परा का त्याग करना कोई पसन्द नहीं करेगा। समान पाठ्यक्रम के समर्थन में दूसरी दलील राष्ट्रीय एकता की है। लेकिन राष्ट्रीय एकता की समस्या का समाधान पाठ्यक्रम की एकरूपता नहीं है, बल्कि इसमें तो कट्टर सैनिकीकरण (रेजिमेंटेशन) जैसी आपही वृत्ति निर्माण होगी। आग्रहशून्यता अच्छे पाठ्यक्रम का आवश्यक और अत्यन्त महत्वपूर्ण गुण है। जो समान और अपरिवर्तनीय पाठ्यक्रम राज्य या केन्द्रीय समिति द्वारा तैयार किया जाता है। उसमें छीजन अधिक प्रमाण में होती है। आवश्यकता न होने पर भी पाठ्यक्रम में परिवर्तन नहीं किया जा सकता और ध्यान न हो तब भी आर्थिक व्यय जारी रहना है। दूसरी तरफ अमेरिका जैसे बड़े राष्ट्रों में भी पाठ्यक्रम काफी लचीले हैं। स्टेनाफोर्ड में मैंने देखा कि लोकल बोर्ड ने एलक्ट्रानिक से सम्बन्धित पाठ्यक्रम को रद्द कर दिया, क्योंकि स्थानीय एलक्ट्रानिक कारखाना किसी दूसरे स्थान

पर स्थानान्तरित हो गया था। इस प्रकार के लचीलेपन अथवा अनाग्रह की कल्पना हमारे देश में नहीं की जा सकती। ज्ञान के क्षेत्र में नित नये क्षितिज तेजी से खुलते जा रहे हैं, जिसके कारण पाठ्यक्रम में नित्य परिवर्तन और सशोधन की आवश्यकता पड़ रही है। पाठ्यक्रम के निर्माण की प्रक्रिया को जब तक विकेंद्रित न कर दिया जाए तब तक यह सम्भव नहीं है। जो अपरिवर्तनीय पाठ्यक्रम ऊपर से लादा जाता है, उसमें तो शिक्षक को किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं रहती है, और बच्चों की आवश्यकताओं और माँगों की भी सबका उपेक्षा होती है। अगर हम कर सकते हैं तो आदरा व्यवस्था यह है कि प्रत्येक बच्चे के लिए एक स्वतंत्र पाठ्यक्रम हों। अगर यह सम्भव नहीं है, तो कम-से-कम इतना तो होना चाहिए कि पाठ्यक्रम यथासम्भव लचीला और विविधताओं में पूर्ण हो। जब तक केन्द्रीय पाठ्यक्रम ही सबत्र लागू रहेगा—भले वह राज्य स्तर का हो चाहे केन्द्र स्तर का—तब तक शिक्षा-पद्धति में कोई सुधार सम्भव नहीं है। मैं ऐसे लोगो में नहीं हूँ, जिन्हें शिक्षक पर भरोसा नहीं है। मुझे इस बात में शक नहीं है कि तथाकथित विनोपज्ञों की अपेक्षा हमारे स्कूल शिक्षक अधिक उत्तम पाठ्यक्रम तैयार कर सकते हैं। (मूल अध्येत्री से)

साहित्य-समीक्षा

उजाला लेखक तथा सम्पादक श्री कस्तूरचन्द गुप्त, मूल्य पचास पैसे
साक्षरता निकेतन, लखनऊ-५

उजाला साक्षरता निकेतन, लखनऊ की ओर से प्रकाशित होनेवाला एक समाचार और विचार पत्र है, जो मुख्य रूप से प्रौढ नवसाधारों तथा कम पढ़े लिखे लोगो के लिए है।

प्रौढ कार्यकर्ता महात्मा गांधी के जीवन और उनकी अनोखी देन की सक्षिप्त और उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकें इस हेतु ५७ पृष्ठों के इस सचित्र अंक में लेखक ने गांधीजी के जीवन, विचार और सामाजिक कार्य की जानकारी सहज और सरल भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।

गांधी-संवसरी के प्रसंग में गांधीजी का सन्देश देश के गाँव गाँव और घर घर तक पहुँचाने की बात सोची जा रही है। इस दृष्टि से प्रौढ शिक्षा के बाध में लगे कार्यकर्ताओं को इस अंक से अपेक्षित प्रकाश प्राप्त होगा ऐसी भाशा है।

प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ है उन प्रौढ़ों की शिक्षा जिन्हें विद्यालयों में सविधिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला है। शिक्षा तो जीवन-पर्यन्त चलनेवाली प्रक्रिया है और शिक्षा प्राप्त करने के लिए आयु की कोई सीमा-रेखा नहीं खींची जा सकती। फिर भी जब हम प्रौढ़ शिक्षा की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य १४ वर्ष से ४५ वर्ष तक के उन ब्यस्कों की शिक्षा से होता है, जिन्होंने विद्यालयों में अथवा विद्यालय के बाहर किसी प्रकार की शिक्षा नहीं पायी है। आज के युग में तेजी के साथ बदलते हुए संसार का सामान्य ज्ञान प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है। प्रजातंत्र के प्रौढ़ नागरिक के लिए तो शिक्षित होना और भी आवश्यक है, क्योंकि उसकी विवेक-बुद्धि पर ही प्रजातंत्र की सफलता या असफलता निर्भर करती है। सन् १९४५ में जेल से छूटने के बाद गांधीजी ने जब बुनियादी शिक्षा-क्षेत्र विस्मृत किया तो उन्होंने प्रौढ़ों को बुनियादी शिक्षा देने की बात इसलिए की कि प्रौढ़ों को नयी तालीम देने से ही नयी तालीम का वातावरण घरों में रहेगा और तभी बालकों का नयी तालीम के लक्ष्यों और सिद्धान्तों में निष्ठा उत्पन्न होगी। ब्यस्कों की शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ यही है कि ब्यस्कों के पढ़ने लिखने से घरों में शिक्षा का वातावरण रहता है, जिसका बालकों को शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ना है।

भारत में प्रौढ़ शिक्षा का त्रिविध महत्व है। (१) भारत में प्रजातंत्र है—उसके ब्यस्कों का पडा लिखा होना इसलिए आवश्यक है कि वे समझ-बूझकर वोट दें। (२) आज के विज्ञान युग में अपड नागरिक उत्पादन और सुरक्षा का कार्य भी प्रभावपूर्ण ढंग से नहीं कर सकता। आज तो उत्पादन और सुरक्षा, बहुत हद तक, नागरिकों की उन उत्पादन और सुरक्षा-कार्यों में, जो अधिकाधिक वैज्ञानिक होते जा रहे हैं, सक्रिय रूप से भाग लेने की योग्यता पर निर्भर है। आज के विज्ञान और तकनीकी के युग में साक्षरता और शिक्षा के बिना देश की प्रगति सम्भव नहीं है और देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं हो सकती। देश की आर्थिक शोचताओं में स्थान करनेवाले व्यक्ति

१४ से ४१ वर्ष के ब्यस्क ही होते हैं और यदि वे निरक्षर और निपट हैं तो आजकल के टेकनासाजिकल उद्योगों में उनका सम्भ-बुभकर काम करना कठिन है। (३) अनपठ व्यक्ति में परम्पराओं से चिपटे रहने और परिवर्तन से बचने की प्रवृत्ति पायी जाती है। अतः प्रौढों की शिक्षा अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि अपठ नागरिक अन्ध विश्वास का त्याग कठिनता से ही कर पाता है। यही कारण है कि कोठारी शिक्षा-आयोग ने अपने प्रतिवेदन में प्रौढ-शिक्षा पर अलग न एक अध्याय लिखा है।

आयोग ने शिक्षा का अर्थ केवल साक्षरता नहीं किया है। उसका कहना है कि साक्षरता के कार्यक्रम को अगर किसी काम का होना है, उसे फलानल होना चाहिए अर्थात् प्रौढों का पढ़ना लिखना ही न सिखाया जाय, वरन् उनमें ऐसे गुणों को जो और अभिवृत्तियों का विकास भी किया जाय, जिससे वे अपना कार्य अधिक अच्छे ढंग से कर सकें। आयोग ने साक्षरता के कार्यक्रम के तीन आवश्यक पहलू बताये हैं—

१ साक्षरता जहाँ तक सम्भव ही उद्योग-आधारित हो और उसका उद्देश्य प्रौढों को वह गुण और ज्ञान प्रदान करना हो, जिससे वे जो काम कर रहे हैं, उसे अधिक बुद्धिमत्तापूर्वक कर सकें। इसे 'फलानल लिटरेसी' कहा है।

२ राष्ट्र की महत्वपूर्ण समस्याओं में रुचि लेकर वे देश के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में प्रभावपूर्ण भाग ले सकें।

३ उन्हें पढ़ने लिखने और हिसाब किताब करने का इतना ज्ञान दे दिया जाय, जिससे अगर वे चाहें तो स्वतन्त्र रूप से अथवा दूसरे की सहायता से अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रख सकें। (१७-१४, पृष्ठ ४२५)

निरक्षरता का उन्मूलन

आयोग ने प्रौढ शिक्षा के निम्नांकित कार्यक्रम सुभाये हैं—

यद्यपि साक्षरता शिक्षा नहीं है, फिर भी साक्षरता के बिना शिक्षा पूर्ण नहीं होती। अतः निरक्षरता का उन्मूलन प्रौढ शिक्षा का सबसे अधिक महत्वपूर्ण काम होना चाहिए। आयोग ने विफारिश की है कि देश से निरक्षरता को दूर करने का प्रत्येक सम्भव साधन काम में लाया जाय और २० वर्ष की अवधि में देश से निरक्षरता समाप्त कर दी जाय। इसके लिए आयोग ने दोहरा कार्यक्रम बनाने की सत्सुक्ति की है—

१ रचनात्मक पद्धति का उपयोग—इस पद्धति के अन्तर्गत उन ब्यस्कों की शिक्षा की व्यवस्था की जाय, जिनको सरलता से साक्षर बनाया जा सकता है।

इनको साक्षर बनाने के लिए बड़े-बड़े फर्मों को, वाणिज्यो और औद्योगिक केन्द्रों तथा दूसरे क्षेत्रों के मालिकों को उत्तरदायी बनाया जाय। सरकार इन सस्थाओं को प्रोत्साहन दे और आवश्यकता समझे तो अधिनियम बनाये।

सबसे पहले सार्वजनिक क्षेत्रों में काम करनेवालों को साक्षर बनाया जाय। सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रोडों को साक्षर बनाने के लिए सरकार यह अधिनियम बना सकती है कि प्रत्येक फर्म या औद्योगिक केन्द्र के मालिक प्रत्येक निरक्षर कर्मचारी को उसकी फर्म या कारखाने में नियुक्ति के तीन वर्षों के भीतर साक्षर बना दें।

२ सार्वभौमिक पद्धति—इसके अन्तर्गत देश के समस्त शिक्षित स्त्रियों और पुरुषों को प्रौढ-शिक्षा के काम में लगाया जाय। इस आन्दोलन में शिक्षकों, छात्रों तथा समस्त शिक्षा-सस्थाओं को सक्रिय रूप से सम्मिलित किया जाय। उच्चतर प्राथमिक, निम्न माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक व्यावसायिक विद्यालयों, तथा कालेजों और विश्वविद्यालयों के पूर्व स्नातक स्तर के सभी छात्रों को प्रोडों को पढ़ाने का काम दिया जाय। वयस्क शिक्षा का कार्य छात्रों से समाज-सेवा विविधियों में भी कराया जा सकता है। प्रत्येक शिक्षा-सस्था अपने क्षेत्र की निरक्षरता को दूर करने का प्रयास करे। विद्यालय को सामुदायिक जीवन का केन्द्र बनाया जाय, जहाँ प्रौढ शिक्षा का नियमपूर्वक काम हो।

३ स्त्रियों की साक्षरता दूर करने के लिए केन्द्रीय समाज-कल्याण परिषद द्वारा सक्षिप्त कोर्सों का आयोजन किया जाय और ग्रामीण क्षेत्रों की स्त्रियों को साक्षर और शिक्षित बनाने के लिए ग्राम-सेविकाओं की नियुक्ति की जाय।

४ साक्षरता को बनाये रखने के लिए चल और अबल पुस्तकालयों की योजना चलायी जाय और उपयुक्त पठन-सामग्री तैयार की जाय।

अनवरत शिक्षा

वास्तव में साक्षरता अभी शायँक समझी जायगी जब वयस्क में अपनी शिक्षा को जारी रखने की अभिवृत्ति का मूलन हो जाय। इस प्रकार की अनवरत शिक्षा के लिए शिक्षा-आयोग ने निम्नांकित उपाय सुभाये हैं —

१ सभी प्रकार की तथा सभी स्तर की शिक्षा-सस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाय कि वे अपने नियमित समय के पश्चात् उन वयस्कों को, जो नवसाक्षर हैं और आगे पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाने लिये की व्यवस्था करें।

२ शिक्षा-सस्थाओं को ऐसे पाठ्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए, जिनके माध्यम से वयस्कों के सामान्य ज्ञान और अनुभव में वृद्धि की जा सके। अगर इन पाठ्यक्रमों का सम्बन्ध उनके दैनिक जीवन से रहेगा तो इनमें रुचि लेंगे,

व्यक्ति इससे उन्हें अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में सहायता मिलेगी ।

३ वयस्क के लिए अशकालीन पाठ्यविषयों का आयोजन किया जाय, जिससे नव-साक्षर प्रौढ़ों को पुनः निरक्षर हो जाने से बचाया जा सके ।

४ केन्द्रीय समाज-कल्याण-परिषद् प्रौढ़ स्त्रियों के लिए कुछ सस्थाएँ चलाती है । मैसूर राज्य में भी प्रौढ़-शिक्षा के लिए विद्यापीठ हैं । इस प्रकार की सस्थाएँ देश भर में खोली जायें ।

५. किन्हीं कारणों से जो वयस्क अल्पकालीन पाठ्यक्रमों का अध्ययन भी नहीं कर सकते उनके लिए पत्र-पाठ-योजना चलायी जाय और जो वयस्क पत्र-पाठ योजना द्वारा अपनी शिक्षा जारी रखना चाहे उनके लिए कमी-कमी शिक्षकों से मिलने का कार्यक्रम बनाया जाय ।

६ नवसाक्षरों के लिए पुस्तकालय चलाये जायें । सभी विद्यालय में पुस्तकालय होते हैं । इनमें नवसाक्षरों की रुचियों और योग्यता के अनुसार पुस्तकें रखी जायें और उन्हें सार्वजनिक पुस्तकालयों के रूप में सगठित किया जाय । सचल पुस्तकालयों का आयोजन किया जाय, जिससे नवसाक्षरों तक पुस्तकों का पहुँचाना सम्भव हो सके ।

आयोग ने प्रौढ़-शिक्षा के सगठन और प्रशासन के लिए भी निम्नलिखित सुझाव दिये हैं :—

१ प्रौढ़-शिक्षा के प्रचार के लिए राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा-परिषद् की स्थापना की जाय, जिसमें समस्त सम्बन्धित मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व हो । शिक्षा मंत्रालय शीघ्र इस परिषद् की स्थापना के लिए कार्यवाही करे ।

२ इस परिषद् का कार्य प्रौढ़ शिक्षा और प्रौढ़-शिक्षक प्रशिक्षण के विविध कार्यक्रम बनाना और उनके सम्बन्ध में राज्य-सरकारों को परामर्श देना होगा ।

३ यह परिषद् देश में प्रौढ़-शिक्षा का काम करनेवाली विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी सस्थाओं में सामंजस्य और सम्पर्क स्थापित करेगी और इन्हें आवश्यक पत्र-सामग्री तैयार करने के लिए प्रोत्साहन देगी । परिषद् प्रौढ़ शिक्षा में अनुसन्धान-कार्य का भी प्रोत्साहित करेगी और समय-समय पर प्रौढ़-शिक्षा की प्रगति की जाँच कर और उसके उत्तरोत्तर प्रगति का सुझाव देगा ।

४ केन्द्रीय परिषद् की भाँति राज्यों में भी प्रौढ़-शिक्षा-परिषदों का निर्माण किया जाय और जिला स्तर पर प्रौढ़ शिक्षा समितियाँ बनायी जायें ।

५ प्रौढ़-शिक्षा के क्षेत्रों में जो व्यक्तिगत सस्थाएँ कार्य कर रही हैं, उन्हें आर्थिक सहायता दी जाय । ●

स्वदेश-प्रेम और भाषाई हल

राजेन्द्र प्रसाद सिंह

देश प्रेम की तरह हिन्दी प्रेम भी स्वातन्त्र्य आन्दोलनयुगोन भारत के सामान्य जनजीवन में स्वाभाविक रूप में मर्यादित और सर्व प्रकार से गौरवपूर्ण राष्ट्रीय परम्परा में समाविष्ट विषय था। जब देश को स्वतन्त्रता मिली और इसका सविधान बनने लगा तो इसीलिए सविधान निर्माताओं को केन्द्र के लिए राजभाषा के रूप में हिन्दी ही तय करने में देर नहीं लगी। उस समय हिन्दी को इस रूप में स्थापित करने की १५ वर्षों की एक अवधि तय की गयी। यह अवधि तैयारी की अवधि थी—अंग्रेजी से चलकर हिन्दी पर राजभाषा के रूप में स्थित और स्थिर होने के लिए।

धीरे-धीरे पन्द्रह वर्षों का समय कहुते-मुनते और हिन्दी के लिए कुछ भी किये बिना बीता। अचानक वह समय आया जब कि हिन्दी को लागू मानने की औपचारिकता सरकारी स्तर पर घोषणा के रूप में बरती गयी, बीते पन्द्रह वर्षों में हिन्दी को जब इस अवस्था पर सचमुच में लाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया तब भी। इसलिए हिन्दी इस समय न भरकर आयी और न उभरकर आयी। आयी केवल रिक्तता के साथ, न टाली जा सकनेवाली सरकारी औपचारिकता के साथ। आयी समलकर बैठने के लिए नहीं। आयी बाट नापने और दूसरों का मुँह ओहकर नहीं पहचानी जा सकनेवाली कण्ठवधु साकुन्तला की तरह शासकों की दुष्प्रवृत्ति का शिकार होकर, लौटकर

चली जाने के लिए । सबमुच भारत के राष्ट्रीय जीवन में, इसके प्रशासन में हिन्दी अपरिपक्ता होना रह रही है । दक्षिण भारत ने और विशेष रूप में राजाजी के तमिलनाडु ने उसे 'कलमंही' कहकर ही झिड़की दी है । राजाजी और उनकी स्वतंत्र पार्टी के लोगो ने तो गांधी, राममोहन राय, सुभाषचंद्र बोस की हिंदी को खुलआम अपने प्रबल और विशेष विरोध का विषय बनाया ।

हिंदी पहले देश की अक्षण्डता की साधना का माध्यम थी । गांधीजी ने इसके प्रयोग पर इसी दृष्टि से बल दिया था । हिन्दी गांधीजी के बाद हिंदुस्तान को टुकडो में बाँटी जानेवाली बनने लग गयी है । खण्डित भारत के औचित्य का चिन्तन राजाजी ने भी जिना की समझदारी को एक सुलभा हुआ विवेक समझकर किया था । आज उनका हिंदीभय हिंदुस्तान के स्पष्टतया दक्षिण और उत्तर के दो टुकडा में विभक्त होने की सम्भावना मानने लगा है ।

सभावनाओ और आशकाओ का ऐसा तक अगर उन्हें वास्तविकता में बदल डालने की पृष्ठभूमि निर्माण कर दे तो वह काफी निष्करण और भयावह है । इसलिए अब संभाल हिन्दी की ही नहीं देश की भी अत्यावश्यक है ।

स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने दक्षिण में हिन्दी विरोध को देखते हुए उन्हे यह आश्वासन दे रखा था कि अहिंदी भाषियो पर बलपूर्वक हिन्दी नहीं लादी जायगी और तत्सम्बन्धी सुरक्षा के लिए संसद में एक विशेष बिल पारित किया जायगा । स्वर्गीय गाँधीजी ने भी उसी तरह का आश्वासन दिया था । उन दोनों के वाद को इन्दिरा सरकार पर उनके आश्वासनो को पूरा करने की जिम्मेदारी आयी और इसने किया भी ।

परन्तु अब भी यह मामला बन्द नहीं मालूम पड रहा है । पहलेपहल हिन्दीवालो के विरोध का गिकार उक्त बिल को होना पडा । उत्तर प्रदेश और बिहार प्रमुख विरोध-केन्द्र रहे । दिल्ली और अन्याय प्रान्तो में भी विरोधा विचार प्रवाह की ही उमस रही । अगान्ति और उपद्रव ही विरोध का संचालन करते रहे । बदले में बिल में हिन्दी हित की दृष्टि से कुछ परिवर्तन किये गये । ऐसे परिवर्तनो के सम्बन्ध में दक्षिण में प्रतिक्रिया चल रही है । हिंदी को साक बनाने के काम में राष्ट्रीय सम्पत्ति में भी आग लगायी जा रही है, जैसे—रेलगाडियो स्टेशनो आदि । दक्षिणवाल अब बिल ने सन्तुष्ट न होकर संविधान में परिवर्तन की माँग कर रहे हैं । अब तक की ऐसी बातों में आतंक की अगुआद ही अधिक रही है और सरकार का सुविचारित जोर घटून कमजोर ।

इनकी बातें तो हो चुकी पर अब क्या हागा, शक का सवाल है । पिछली अप्रैल, '६८]

वार का हिन्दी विरोधी उपद्रव जो तामिलनाडु में हुआ था और उसमें हिंसा की जो आग भड़की थी उससे सत्त विनोबा को अनशन तक करना पडा । सरकार के सामने उनकी तीन माँगें आयी । वे इस प्रकार थी—(१) भाषाई प्रश्न को लेकर हिंसा न की जाय, (२) अंग्रेजी न चाहनेवालो पर अंग्रेजी न लादी जाय, (३) हिन्दी ने चाहनेवालो पर हिन्दी न लादी जाय । इन तीन शर्तों का सभी प्रान्तों के मुख्य मंत्रियों ने और केन्द्रीय सरकार ने माना और राष्ट्रपुष्प विनोबा का अनशन भंग हुआ । एक समाधान देस को मिला ।

हिन्दी को राजभाषा स्वीकार किये जाने की बात दक्षिण भारत की सदमावाना पर छोड दी गयी जो अच्छा हुआ, परन्तु साथ ही छोड दिया गया उत्तर भारत की अंग्रेजीपरस्त नौकरशाही को अंग्रेजी के प्रयाग के लिए निरकुश, जो बुरा हुआ । प्रशासन अंग्रेजियत के रोग और गरूरियत से सराबोर रहकर अंग्रेजी चलाता रहा । शिक्षण-सस्याएँ भी भिन्नमार्गी नहीं रही । अखिल भारतीय सेवाओं में अंग्रेजी ज्ञान से हीन विद्यार्थियों का 'प्रवेश निषेध' तो था ही, प्रान्तीय सरकार की सेवाओं के लिए भी अंग्रेजी की प्रमुखता बनी । जब शासन की भाषा अंग्रेजी रही तो शिक्षा-सस्याओं में क्षेत्रीय भाषाएँ शिक्षा का माध्यम क्यों बनायी जाती ? फल यह हुआ कि अंग्रेजी का सभी जगह प्रभाव बना रहा और हिन्दी और दूसरे क्षेत्रीय भाषाएँ उपेक्षित रही । भारत की अनेकता को बाँधने में हिन्दी की डोर भी ढीली रही ।

ऐसे ही समय में आया राजभाषा सशोधन विधेयक बिल, नेहरू और शास्त्री के आरवासनों को कार्यरूप देने के लिए । राजभाषा विधेयक में दक्षिण-वालो के हिन्दी विरोध को दान्त करने की चेष्टा हुई, तो अंग्रेजी विरोध की उमस पैदा करायी जाने लगी हिन्दी प्रान्तों में । हिन्दी भाषी देशों ने 'हिन्दी चलाओ' से अधिक जोर दिया 'अंग्रेजी मिटाओ' पर । दक्षिणवालो ने बहा हिन्दी छोडो और अंग्रेजी रखो । उत्तर का उपद्रव दान्त हुआ तो दक्षिण में गुन्र हुआ और अभी यद्यपि आग बुझी नहीं है, राख से ढक भर गयी है । हवा का हल्ला भोक्ता आया कि राख हटी और जलते अगारे प्रकट हो जायेंगे । इसका कोई हन है क्या ? हाँ है, भारतीय भाषाओं का विकास और अंग्रेजियत के मोह का परित्याग कर अपनी सस्कृति से प्रेम । गांधीजी का अंग्रेजी ज्ञान हमारे मंत्रिया एव अफसरों से बढकर और अतिगव समाहन या अंग्रेजी की दुनिया में भी । परन्तु उनकी दृष्टि सबसे अधिक रही स्वभाषा प्रेम की ओर । हमारे मंत्री हिन्दुस्तानी हाकिमों की अंग्रेजियत से मात खाने रहे । मार खाते रहे उसीसे, और हिन्दी का नाम लेने में भी हीनता का अनुभव

करते रहे। ऐसी बात है योग्य मंत्रियों के सम्बन्ध में अक्षर कटुओं की तो बात ही छोड़िये। राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर हिंदी प्रान्तों में जो पडयत्र होता रहा इसके आगे मद्रास का आंदोलन चर्चा योग्य भी नहीं है। अन्तः से हिन्दी विरोधी रहकर मंत्रियों और अफसरों ने हिंदी को बाहरी रूप में टिकाया और गांधी के सभी कार्यक्रमों की तरह इसकी भी उहाने अतिगम्य उपेक्षा की। सिपाही ही पहरेदारी से बेलतबर रहा। पिछली बार भी दक्षिण में हिन्दी में रग्यागो गयी भाग का धुआ ही भर इहोने देखा और फिर चुप हो गये।

गलाम हि दुस्तान में राजनीति से हो हमारी जिन्दगी के सभी क्षेत्रों को नेतृत्व मिलता रहा है। भाषाई प्रश्न भी राजनीति के माध्यम से ही अपना समाधान ढूँढता रहा है। गांधीजी ने हिंदी हित की तमाम बातों में सलग्न रखा। हिन्दी साहित्य सम्मेलन के मंच पर भी आये और दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की भी स्थापना की। इस काम के लिए एक खास जगह का निर्माण किया जो आज तक काम कर रहा है। गांधीजी के बाद हिंदी की उपेक्षित स्थिति को समाप्त करने की दिशा में सबसे अधिक प्रखर राजनातिक पुष्टप के रूप में आये डा० राममनोहर लोहिया। पिछली गतांती में अपने सामाजिक से व्याख्यान के जरिये चोलम्भा और 'जन' में लिखकर तथा ससद के भाषणों में सरकार का इस प्रश्न पर कासते हुए उहाने जो किया वह हिंदी साहित्य क्षेत्र के अतिगम्य सम्मानित पुरुषों से भी क्या कम है। भाषाई प्रश्न पर नेतृत्व अब तक राजनीति का ही रहा है जहाँ तक उसने हल के प्रयास का सम्बन्ध है। लेकिन जहाँ तक उसे समस्या के रूप में बिना समाधान की अवस्था में रखने की बात है राजनीति और साहित्य क्षेत्र के लोग बराबर बराबर दोषी हैं।

राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार के लिए गांधीजी के अत्यंत प्रयास की चर्चा ऊपर की कुछ पंक्तियों में आयी है। उनके दो आदेश अनुसर सत विनोबा एवं श्री जयप्रकाश नारायण ने सम्पूर्ण हिन्दुस्तान में हिंदी की प्रतिष्ठा के लिए अपने सामाजिक के जरिये काफी प्रयास किया। इनके हिंदी भाषण भी दक्षिण के लोगों को छूत रहे और उनसे राष्ट्र प्रेम का दिव्य सदेश भी उहें मिलता आया। जयप्रकाश और विनोबा का स्वदेश प्रेम और स्वभाषा प्रेम उनकी अगलत में जीव की चीजें नहीं बन सकती जो राजनीति एवं साहित्य दोनों के ही मंचों पर जरूरत से ज्यादा चिनोने साबित हो चुके हैं। सन् १९६७ के अक्ताल वष में जब बिहार के असह्य नर नारियों की लाश पचरा जानेवाली श्री जयप्रकाशजी ने बिहार के हिंदीभाषी नर नारिया के मुह में उतना दाना

पहुँचाया कि जिससे अकाल उनका कुद्व भी नहीं बिगाड सका। उसी प्रान्त के विचारियाने ने उनके स्वदेश और स्वभवा प्रेम को जाने बिना पटना स्थित उनके निवास-स्थान पर जाकर उनक विद्वद अमद प्रदर्शन किया। उनके सुविचारित प्रस-व्यवस्थक का विहार के हिन्दी आन्दोलनवालो ने अमद ढग से प्रतिवाद किया। क्या हिन्दी आन्दोलनवाले जयप्रकाशजी की हिन्दी सेवा का शताश भी कर पायेंगे ? 'छोटा मुँह और बडी बात' को चरिताथ करनेवाला उनका वचन-य, पटने में विदेशी मेहमाना के मुँह पर अलकनरो की पुताई आदि प्रेमी बातो से क्या हमार राष्ट्रीय सम्मान धरासायी नहीं हो जाता है ? इतने दिनों से राष्ट्रभाषा के प्रदन पर सरकार के मत्रियो की डिलाड, विद्वदविद्यालयो क जीवन में हिन्दी के प्रति निष्ठाहीनता का वातावरण उनकी तेज आवाज का गिकार क्यों नहीं हुआ ? राष्ट्रभाषा के प्रदन पर उसी जयप्रकाश ने बिनावा की उपस्थिति में राष्ट्रीय पचायत बैठाने की बात सबसे पहल की है जिसे हिन्दी आन्दोलनवाला ने आसानी से अपने आक्राश का शिकार बनाया। बल भी अगर राष्ट्रभाषा का प्रदन सुलभाया जा सवेगा तो देश में जयप्रकाश और विनोवा से अधिक सम्मानित माध्यम ढूँढना किसोके बश की बात नहीं है।

दक्षिणवालो म गाधीजी ने हिन्दी सीखने की भूख जगायी थी और आज वे हिन्दीद्रोह पर आमादा है। उनमें प्रेम से मनाने की शक्ति थी। प्रेम के अभाव में लगता है कि हम लोगो का मनाना कोई महत्व ही नहीं बना पा रहा है उनमें। हिन्दीवालो के लिए हिन्दी पहले से ही अपनी है। दक्षिणवालो को तो अब उमे अपनाता है और अननाते हुए उहे भय भी लगता है। हिन्दी के लिए सही अननत्व उनमें जगे, इस दिशा में उत्तर भारतीयो में दक्षिण की किसी एक भाषा का सीखने का आग्रह बनाना सही राय है। हिन्दी की उपेक्षा करनेवाले लोगो की भाषाआ को समादर देने की हमारी प्रवृत्ति ही उनमें अंग्रेजी के लिए अनुचित आग्रह को समाप्त कर सकेगी।

भाषाई उमाद के आग्रही चाहे वे दक्षिण के हा अथवा उत्तर के, स्वदेश प्रेम के आदर्श से भूल से ही सही, लेकिन पीछे हट गये हैं। यह उमाद अगर देश के टुकडे कर डाले तो राष्ट्रद्रोह की सीमा में पहुँच चुके इस उमाद से हमार, आपका और हम लोगो के स्वदेश का सर्व प्रकार बचाव जरूरी है। स्वदेश की प्रेरण जयपूरी मजबूत बनेगी, तब स्वभाषा उपेक्षिता का जीवन नहीं बितायगी। हिन्दी की व्यावहारिक उपयोगिता तब तक हिन्दी प्रान्तो में सरकार और समाज में अविलम्ब प्रमाणित और प्रतिष्ठित हो ले। अथाय प्रान्तों में भी ऐसा ही होगा। ●

योजना-पाठ-संकेत

वंशीधर श्रीवास्तव

[जनवरी महीने के अंक में होली की योजना का पाठ-संकेत दिया जा चुका है। प्रस्तुत पाठ-संकेत उसी क्रम में है।]

दिनांक	कक्षा ५	समय : १ घण्टा २० मिनट
योजना	:	होली उत्सव
उपयोजना	:	निमंत्रण-पत्र बनाना
सम्बन्धित विषय	:	हिन्दी
प्रसंग	:	निमंत्रण-पत्र लिखना

मुख्य उद्देश्य

1. छात्र निमंत्रण-पत्र बनाकर उसे अलंकृत करें।
2. अतिथि को आमंत्रित करने के लिए निमंत्रण-पत्र लिखें।

आवश्यक सामग्री

कैंची, गोद, स्केल, पेंसिल, रंगीन पेंसिल, आलेखन बने कागज और मोटा रंगीन कागज।

सहायक सामग्री

1. विभिन्न प्रकार के निमंत्रण-पत्र तथा आलेखन।

पूर्वज्ञान

1. छात्र 'होली-उत्सव'-योजना की रूपरेखा निश्चित कर चुके हैं।

प्रस्तावना

1. तुम्हारी कक्षा ने 'होली-उत्सव' के लिए क्या-क्या कार्य चुना है ?
(निमंत्रण-पत्र बनाना, पिचकारी बनाना, रंग खेलना, गुब्बिया बनाना, आलू का टप्पा, अल्पना तथा रंग बनाना और रंगमच बनाना।)
2. आज के लिए क्या कार्य चुना है ? (निमंत्रण-पत्र बनाना)
3. निमंत्रण-पत्र की क्रिया आज तीन दिन पहले ही क्यों चुनी गयी है ?

(ताकि २-३ दिन पहले ही बतियियों को आमंत्रित कर सकें, जिससे वे अपनी तैयारी कर सकें ।)

४. होली-उत्सव के लिए किस प्रकार का निमन्त्रण-पत्र बनाओगे ?

प्रस्तुतीकरण

१. निमन्त्रण-पत्र कितने प्रकार के होते हैं ? (जन्म उत्सव, निमन्त्रण-पत्र, विवाह, हाली, दीवाली आदि निमन्त्रण-पत्र) ।
अध्यापिका यहाँ विभिन्न प्रकार के निमन्त्रण पत्र कक्षा में प्रस्तुत करेगी ।
२. आजकल साधारण-तः किस तरह के निमन्त्रण-पत्र उपयोग में आते हैं ? (विभिन्न छात्र विभिन्न उत्तर देंगे)
३. इन निमन्त्रण-पत्रों में कौनसा निमन्त्रण-पत्र ऐसा है, जिसमें लिफाफे की आवश्यकता नहीं है ? (गुडा हुआ गुलाबी रंग का) ।
४. होली निमन्त्रण-पत्र का क्या आकार रखोगे ? (आयताकार)
५. निमन्त्रण-पत्र बनाने के लिए बैसा कागज होना चाहिए ? (मोटा तथा रंगीन)
६. रंगीन कागज क्यों चाहिए ? (जल्दी गन्दा न हो, तथा यह देखने में सुन्दर लगना है ।)
७. तुम्हारा निमन्त्रण पत्र कितना लम्बा और चौड़ा होना चाहिए ? (६" चौड़ा, ४½" लम्बा आधा खोलने पर, पूरा खोलने पर ६") (सम्भव है छात्र ठीक नाप न बता सकें, अतः अध्यापिका अनुकूल नाप बनायगी)
अध्यापिका श्यामपट्ट पर उमरा आकार खीचेगी ।
८. निमन्त्रण पत्र बनाने के लिए तुम सबसे पहले कौन-कौनसी क्रियाएँ करोगे ? (नागकर उचित निशान लगाना और काटना ।)
९. निमन्त्रण-पत्र को आकर्षक बनाने के लिए क्या करना चाहिए ? (आलेखन बनाना चाहिए ।)
यहाँ अध्यापिका विभिन्न प्रकार के आलेखन दिखायगी तथा प्रश्न पूछेगी ।
१०. इनमें से निमन्त्रण पत्र पर कौनसा आलेखन बनाना उपयुक्त होगा ? (विभिन्न छात्र विभिन्न उत्तर देंगे) ।
छात्रों के सुझाव के पदचात अध्यापिका भी कटे हुए आलेखन को चिपकाने का सुझाव प्रस्तुत करेंगी तथा कहेंगी—

(१) यह आलेखन होली का प्रतीक है ।

(२) यह महत्वपूर्ण स्थान ब्रज का दृश्य है ।

नोट — कोई भी आलेखन लिया जा सकता है । अतः यहाँ किसी एक आलेखन का उदाहरण नहीं दिया जा रहा है ।

आदर्श प्रदर्शन

अध्यापिका छात्रों को अपनी मेज के चारों ओर अष्टचक्राकार गोले में सजा करके उपयुक्त विधि से आदर्श प्रदर्शन करेगी तथा निम्न प्रश्न करती हुई क्रिया करेगी —

१ निमन्त्रण पत्र की कितनी लम्बाई तथा चौड़ाई रखेंगे ?

(६" चौ० ४ $\frac{१}{२}$ " ल० खोलकर ६")

२ निशान लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे ?

(पेंसिल नुकीली हो, टेटा-भेडा निशान न हो ।)

३ वाटने समय कौन कौनसी सावधानियाँ बरतनी चाहिए ?

(एक साथ कटे, सफाई से बटे)

४ निमन्त्रण पत्र पर आलेखन चिपकाते समय तथा किनारी बनाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखें ?

(सफाई में उपयुक्त जगह लगे)

वस्तुओं का वितरण

कागज, बँची, रंगीन पेंसिल, गाद, आलेखन बना कागज, स्केल तथा रफ़ी आदि वस्तुओं का वितरण ।

क्रियाशीलता

छात्र उपरोक्त विधि से निमन्त्रण-पत्र बनायेंगे और आलेखन चिपकायेंगे ।

निरीक्षण-कार्य

अध्यापिका व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करेगी और आवश्यकतानुसार सहायता देगी ।

मूल्यांकन तथा नवीन पाठ की समस्या

१ निमन्त्रण-पत्र बनाने में पश्चात् अब क्या करना दोष है ?

(लिपुत्ता)

२ निमन्त्रण-पत्र पर क्या-क्या लिखा जाता है ?

प्रस्तुतीकरण

१ तुम होली निमन्त्रण पर क्या-क्या लिखोगे ?

(गीत, कार्यक्रम, सम्बोधन, विवरण आदि)

- २ निमन्त्रण-पत्र के मुखपृष्ठ पर क्या लिखा जायगा ? (शीर्षक)
- ३ तुम्हारे निमन्त्रण-पत्र पर कौनसा शीर्षक लिखा जाय ?
(हाली उरसव निमन्त्रण पत्र)
- ४ निमन्त्रण पत्र पर कार्यक्रम कहाँ लिखोगे ?
(ऊपर के पृष्ठ में अदर की तरफ)
- यहाँ अध्यापिका स्टाटोकरण के लिए निमन्त्रण-पत्र का मुखपृष्ठ दिखायगी ।
- ५ हाला-उत्सव का कार्यक्रम क्या है ?
(विविध आमोद प्रमाद, होली मिलन, जलपान)
- ६ निमन्त्रण-पत्र में अतिथि को आमन्त्रित करने के लिए कहाँ लिखा जायगा ?
(अदर के दूसरे पृष्ठ पर)
- ७ अतिथि के लिए सम्बोधन में क्या शब्द लिखोगे ? (आदरमूचक)
- ८ कौनसा आदरमूचक शब्द लिखा जाय ? (मायवर)
- ९ सम्बोधन के पदधातु क्या लिखा जाय ? (विवरण)
- १० निमन्त्रण पत्र के अंत में क्या लिखेंगे ? (नाम व पता)

श्यामपट्ट-कार्य

अध्यापिका छात्रों द्वारा प्राप्त प्रारूप तथा विधि को निम्न प्रकार से श्यामपट्ट पर लिखेगी—विधि को पहले क्रिया के समय ही लिख देगी ।

विधि

- १ आकार—आयनाकार ।
- २ नाप—६" चौड़ा ४ $\frac{३}{४}$ " लम्बा—नाप लेते समय लम्बाई इसको दुगुनी होगी—९" । ३ बीच से मोड़ना । ४ अलकृत करना ।

प्रारूप

अध्यापिका यहाँ पूर्ण प्रारूप का चित्र श्यामपट्ट पर बनायगी ।

- १ शीर्षक । २ कार्यक्रम । ३ आदरमूचक शब्द । ४ विवरण । ५ अंत ।

लिखित कार्य

अध्यापिका निमन्त्रण-पत्र का उपयुक्त प्रारूप श्यामपट्ट पर लिखेगी तथा छात्रों को बनाये गये निमन्त्रण-पत्र पर लिखने को बहेगी ।

निरीक्षण कार्य

अध्यापिका व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करेगी तथा अगुद्वियों का संशोधन करती जायगी ।

कार्य समाप्त होने पर निमन्त्रण-पत्र एकत्रित कर उपयुक्त स्थान पर देगी । ●

सम्पादक मण्डल

श्री धीरेन्द्र भजूमदार—प्रधान सम्पादक

श्री वशीधर श्रीवास्तव

श्री राममूर्ति

वर्ग . १६

अंक ६

अनुक्रम

चौथी योजना में शिक्षा-अवस्था में सुधार	३८५	श्री वशीधर श्रीवास्तव
अध्ययन विद्यार्थी जीवन की आवश्यक शक्त	३८८	श्री विनोबा
बेसिक शिक्षा का समवाय पक्ष	३९५	श्री वशीधर श्रीवास्तव
शिक्षा दशन का एक क्रान्तिकारी आग्राम	४०२	श्री रोहित मेहता
शिक्षा में विकेंद्रीकरण	४११	श्री देवेन्द्रदत्त तिवारी
प्रौढ शिक्षा	४१६	श्री वशीधर श्रीवास्तव
स्वदेश प्रेम और भाषाई हल	४२३	श्री राजेन्द्रनारायण सिंह
योजना पाठ संकेत	४२८	श्री वशीधर श्रीवास्तव

अप्रैल '६८



निवेदन

- 'नयी तालीम' का वर्ष आरम्भ से आरम्भ होता है ।
- 'नयी तालीम' का वार्षिक चंदा छ रुपये है और एक अंक के ५० पैसे ।
- पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक-नामिका का उल्लेख अवश्य करें ।
- रचनाओं में अत्यन्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है ।

नयी तालीम : अप्रैल '६८

पहले से डाक व्यय दिये बिना भेजने की अनुमति प्राप्त

लाइसेंस न० ४६

रजि० सं० एल. १७२३

गांधी की हत्या हुई तो हमने सोचा कि भारत हृदियों में जकड़ा हुआ ऐसा देश है कि गांधी को पचा नहीं सका। लुथुली के अफ्रीका का भी यही हाल था।

लेकिन जब अमेरिका जैसे विज्ञान और वैभव में सिरमौर देश, डालर के ढेर पर बैठनेवाले और चन्द्रलोक की सैर करनेवाले देश में काले-गोरे जैसे प्रश्न पर किंग (डा० मार्टिन लूथर किंग) की हत्या हुई तो यह मानना पड़ा कि इस विज्ञान और वैभव में ही कहीं



कोई जहर है जो मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने दे रहा है। क्या है वह जहर? कैसे निकलेगा? क्या विज्ञान के साथ विकास का दूसरा भी कोई तत्व चाहिए जो अब तक गायब रहा है?

गांधी से लेकर किंग तक के बीस वर्षों ने यह सिद्ध कर दिया है कि हिंसा के साथ विज्ञान कितना खोखला, समता कितनी निरर्थक और वैभव कितना कृत्स्न है। अहिंसा से जुड़कर ही मनुष्य के लिए विज्ञान समता और समृद्धि की सार्थकता है। अहिंसा सन्त की आज्ञा नहीं, नागरिक की आवश्यकता है। राम्मन्वर्ति

आचार्यकुल विशिष्टा क
मई मास १९६८

नयी तालीम

... ..



आचार्यदेवो भव

त्यं नो घस्या घमतेस्त
क्षुयोऽभिरास्तेरय स्पृधि
त्व न जनो तव विप्रया
धिया शिष्या शचिष्ठ
गातुविद् ।

शिक्षण : मनुष्यता की अन्तिम आशा

गाडी में मेरे सामने बंठ हुए दोनो यात्री, एक युवक और एक युवती मास्ट्रेलिया के थे। चर्चा शुरू हुई तो बड़ी मुक्त बुद्धि से वे हर प्रश्न पर अपने विचारों प्रकट करते थे। होते होते चर्चा डा० मार्टिन लूथर किंग की हत्या पर होने लगी। मैंने पूछा "क्या कारण है कि अमेरिका जैसे समृद्ध और उन्नत देश में भी ऐसी घटनाएँ घटती जा रही हैं? वेनेडो की हत्या हुई, और भव किंग की हुई। मालूम, यह सब क्यों हो रहा है? विज्ञान और टेक्नालोजी की सम्पत्ता मनुष्य को मानवता की इतनी सामान्य वान भी क्यों नहीं सिखा पा रही है? मेरी बात सुनकर युवती ने अपनी विताव नीचे रख दी, और युवक कुछ गभीर हो गया। एक क्षण रुककर बोला "मनुष्य के चित्त में कोई चीज है जिसे धन दौलत की यह सम्पत्ता छू नहीं पा रही है। ...निश्चित ही समस्या चित्त के अन्दर है।" मैंने फिर पूछा "उपाय क्या है?" उसने उत्तर दिया 'शिक्षण' शिक्षण के सिवाय और कुछ नहीं।' युवती कुछ लम्बी साँस लेते हुए बोली 'शिक्षण मनुष्य की अन्तिम आशा है (एजूकेशन इज ह्यूमेनिटीज लास्ट होप)।

मनुष्य ने परमेश्वर को अनावश्यक कर दिया, अपने ज्ञान विज्ञान से प्रकृति पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया, लेकिन वही मनुष्य अपने पड़ोसी के साथ प्रेम के साथ नहीं रह पा रहा है। क्यों? उसके चित्त में वह कौनसी चीज है जो उसे पड़ोसी से नहीं जुड़ने दे रही है? हम दुनिया में देख रहे हैं कि गाँव हो, शहर या देश हो, अगर पड़ोसी पड़ोसी के साथ पड़ोसीपन का सम्बन्ध न रखकर परशेषपन का सम्बन्ध रहेगा तो सधप की चिनगारियाँ सहर की लपटें बनकर समाज को स्वाहा कर डालेंगी। अब यह बात किससे छिपी है कि भारत के सधप कितने भयंकर होते हैं—युद्ध से भी अधिक भयंकर। फिर भी होश कितने लोगो को है? मनुष्य के चित्त में जो पशु तत्व है उसे पिसल और कम करने की जगह उसे बराबर बढ़ावा कहाँ से मिलता रहता है? किस तरह उत्तेजित होकर पूर्वाग्रह प्रचण्ड उन्माद बन जाते हैं और मनुष्य कितनी

आसानी से विवेक खो बैठता है। पड़ोसी को हर वक्त पड़ोसी से भय है। कितनी विचित्र बात है कि जो बीसवीं शताब्दी शिक्षण, तबनीक और विज्ञान में इतनी अधिक उन्नत है वह इतिहास में सबसे अधिक गूनी भी सिद्ध हुई है। राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, विश्व विजय की महत्वाकांक्षा, यहाँ बहिष्कार, वैचारिक शत्रुता आदि प्रश्नों को लेकर इस शताब्दी में सगठित तरसहार हुए हैं, और होते चले जा रहे हैं। विज्ञान ने मनुष्य को जो शक्तियाँ दी हैं, उनका इस्तेमाल दिनोदिन मनुष्य द्वारा मनुष्य को समाप्त करने में किया जा रहा है। एक अजीब पागलपन का शिकार मनुष्य जैसे भ्रमने को समाप्त करने पर उतार है। पड़ोसी को न पहचानने की बात सचमुच कितनी छोटी है लेकिन समस्या कितनी बड़ी बन गयी है।

इस समस्या की जड़ कहाँ है? बात यह है कि विज्ञान ने मनुष्य को साधन तो दिये, लेकिन विज्ञान मनुष्य के जीवन का अंग नहीं बन सका। विज्ञान का प्रत्यक्ष जीवन में प्रवेश शिक्षण के माध्यम से हो सकता था। लेकिन शिक्षण वह माध्यम नहीं बन सका। क्यों? जिस समाज में हम रह रहे हैं उसका नेतृत्व राजनीति और व्यवसाय (पॉलिटिक्स और बिजिनेस) के हाथ में है। राजनीति सत्ता को सर्वोपरि मानती है और व्यवसाय सम्पत्ति को। मनुष्य सर्वोपरि है यह बात न राजनीति को मान्य है, और न व्यवसाय को। राजनीति के लिए मनुष्य मात्र 'वोटर है, और व्यवसाय के लिए 'कस्टमर'। मनुष्य मनुष्य के नाते भी कुछ है यह मान्यता नहीं है। मनुष्य की सत्ता-लिप्सा पर राजनीति जीवित है और सम्पत्ति लिप्सा पर व्यवसाय। ये दोनों हमारे चित्त के अन्दर छिपे हुए पशु-स्वभाव हैं जिन्हें जगाने, बढ़ाने और सगठित करने की कोशिश होती है प्रचलित शिक्षण द्वारा। परिणाम यह होता है कि हमारी पशुता व हमारी सम्यता का अंग बनकर पलकी है, बढ़ती है, और जीवन का मूल्य बन जाती है।

राजनीति और व्यवसाय ने शिक्षण को अपना दास बना रक्खा है। शिक्षण को भावी नागरिक के दिमाग में वे ही विचार, वे ही धारणाएँ, वे ही संस्कार और वे ही मान्यताएँ घुसाने पड़ती हैं जिनका प्रचलित राजनीति समर्थन करती है तथा व्यवसाय जिनके लिए पैसा देता है। जिसकी सरकार होती है, उसका शिक्षण होता है। शिक्षक नेता और रोठ का सेवक बन गया है। तभी तो किसी देश में शिक्षण पूँजीवादी है किसीमें साम्यवादी और किसीमें कुछ नहीं है, यो ही चरन रहा है। जो शिक्षण इस तरह सत्ता और संपत्ति द्वारा संचालित होगा, उसमें नये सम्यन्धों का स्वतंत्र समाज बनाने की शक्ति कहाँ से आयेगी ?

जाहिर है कि शिक्षण का इस्तेमाल ब्रह्मउच्च राजनीति और व्यवसाय में अपने अनुसूच्य नागरिक तैयार करके अपनी प्रभुत्व कायम रखने में किया है। इस प्रक्रिया से भेद तैयार हो सकती है आगच्छक, स्वतंत्र नागरिक नहीं। शिक्षण को रोटी का साधन या जीवन का भ्रूण माना जाता रहा है, शिक्षण स्वतंत्र शक्ति बन सकता है, यह मान्यता शिक्षण को अभी तक मिली नहीं है। लेकिन अगर शिक्षण को 'मनुष्यता की अन्तिम आशा' बनना है तो उसे सामाजिक शक्ति बनना चाहिए, राजनीति और व्यवसाय का दास रहकर शिक्षण मनुष्य को कितना ऊपर उठा सकेगा ?

इसलिए नये शिक्षण का अर्थ है समाज का नया नेतृत्व। राजनीति और व्यवसाय का नेतृत्व समाप्त होना चाहिए। राजनीति के नेतृत्व का अर्थ है, साम्यवाद, और व्यवसाय के नेतृत्व का अर्थ है पूँजीवाद। दोनों के सम्मिलित नेतृत्व का अर्थ है कल्याणवाद। इन 'दोनों' के 'विवाद' से मनुष्य की मुक्ति का प्रश्न इस वक्त साम्यता के विकास का मुख्य प्रश्न है। शिक्षण को यह प्रश्न हल करना है।

भले ही आज शिक्षक की स्थिति प्रतिकूल हो, किन्तु जो शिक्षक चेतन हैं उन्हें महसूस होना चाहिए कि नागरिक के साथ वे भी मुक्ति के अभियान में शरीक हैं। उनका स्थान नागरिक के साथ है दासक, सेठ या सिपाही के साथ नहीं। उसके सामने दो काम हैं, उसके दो पहलू हैं—एक, शिक्षण को राजनीति और व्यवसाय से मुक्त करना, दो, शिक्षण को ऐसी योजना बनाना कि मनुष्य के चित्त के भीतर वह जो पशु तत्व है जो मनुष्य को परमेश्वर से हटाकर पदोसी के साथ जुड़ने नहीं दे रहा है, उसका निराकरण हो, और मनुष्य को मनुष्य के नाते प्रतिष्ठा मिले।

यह काम कौन करेगा ? शिक्षक के सिवाय दूसरा कौन ? शिक्षक नागरिक भी है, और निर्माता भी। वह परिवार भावना का निर्माण करता है, इसलिए उसकी नागरिकता में परिवार ग्राह्य है।

शिक्षण के मित्रों में इस 'मिसाल' की प्रतीति हो उनसे विचार के लिए विनोबा के 'भाचार्यकुल' की योजना प्रस्तुत है। शिक्षण में मुक्ति की शक्ति है। उसे प्रकट करना है। उसका नेतृत्व युग की माँग है। उन माँग की पूर्ति का वाहन शिक्षक को बनना है। विज्ञान के इस युग में यह संभव भी है, और आवश्यक भी। इसलिए मुक्ति की शक्ति को शिक्षक से यह अपेक्षा रखने का अधिकार है।

—राममूर्ति

आचार्य कुल की भूमिका

बुनियादी शिक्षा के कर्णधार राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन जब पिछले साल आचार्य विनोबा से मिले तब और समस्याओं के अतिरिक्त शिक्षा एव शिक्षकों की समस्याओं पर भी चर्चा की। अध्यापकों की वर्तमान दुरावस्था से दुःखी होकर राष्ट्रपति ने आचार्य विनोबा से इस दिशा में मार्गदर्शन की अपेक्षा की। विनोबाजी ने उसे सहर्ष स्वीकार किया। विहार के तत्कालीन शिक्षा-मंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर ने इसको सुअवसर मान ७-८ दिसम्बर '६७ को पूसा रोड में विनोबाजी के सान्निध्य में विहार के सभी विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों, प्राचार्यों एव प्रमुख शिक्षा विशारदों की एक विद्वत् परिपद का आयोजन किया। केन्द्रीय शिक्षा-मंत्री श्री त्रिगुण सेन ने परिपद का उद्घाटन किया। परिपद को श्री जयप्रकाश नारायण एवं श्री घोरेंद्र मजूमदार का भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।

शिक्षा में अहिंसक क्रांति

इस परिपद को सम्बोधन करते हुए विनोबाजी ने शिक्षकों को उनके कर्तव्य के प्रति उद्बोधन किया और उनकी स्वतंत्र शक्ति खड़ी करने के लिए कृतसंकल्प होने की प्रेरणा दी।

उन्होंने कहा, "शिक्षकों के हाथ में सारे देश का मार्गदर्शन होना चाहिए। लेकिन आज वे 'गाइडेन्स' खोये हुए हैं, और एक सामान्य नौकर की हैसियत में आ गये हैं। यह शिक्षा-जगत् का दुर्भाग्य है कि जो स्वतंत्रता न्याय विभाग को है, उतनी भी स्वतंत्रता शिक्षा विभाग को नहीं है। न्याय विभाग की सरकार से ऊपर एक स्वतंत्र हस्ती है। वह सरकार के खिलाफ भी फैसला दे सकता है और उस फैसले का सरकार को अमल करना पड़ता है। यद्यपि उसको तनख्वाह सरकार की ओर से मिलती है, लेकिन वह सरकार के मातहत नहीं है। वैसे ही शिक्षक भी सरकार की ओर से तनख्वाह भले ही मिले, क्योंकि सरकार लोगों से ही लेकर देती है, लेकिन उसकी स्वतंत्र हस्ती होनी चाहिए। और शिक्षक देश के मार्गदर्शक हैं, ऐसा होना चाहिए।"

"परन्तु शिक्षा विभाग की स्वायत्तता को सच्चे अर्थ में उपलब्ध एव कार्यान्वित करने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक सत्ता के पोछे न भागकर स्वयं अपनी स्वतंत्र शक्ति का विकास करें। इसलिए

शिक्षको को पक्ष एवं भेदभाव, सत्ता एवं सत्कर्षण को कल्पित राजनीति से मुक्त होकर, सकीर्ण मतवादो से ऊपर उठकर, विश्व-व्यापक मानवीय राजनीति तथा जनशक्ति पर आधारित लोकनीति को अपनाना चाहिए। राजनीति से अलग हुए बिना राजनीति पर असर नहीं पड़ेगा। पहले राजनीति से अलग होना पड़ेगा। लेकिन राजनीति से अलग रहकर भी शिक्षको को जनता से सम्पर्क रखना चाहिए। अगर शिक्षको ऐसा मानने हैं कि हमने स्कूल-कालेजो में पढा दिया अब हमारा कोई कर्तव्य नहीं है तो चलेगा नहीं। शिक्षको का जनता से सम्पर्क होना चाहिए। जनता के साथ सम्पर्क न हो तो राजनीति पर असर नहीं पड़ेगा।' अन्त में शिक्षको का ध्यान भारतवर्ष में व्याप्त दुःख-दार्द्रिय, कलह और फूट तथा नित्यप्रति बढ़ती हुई हिंसा की ओर खींचते हुए उन्हें इसके लिए अपना पुरुषार्थ और पराक्रम प्रकट करने को प्रेरित किया।

इसीको विनोबाजी ने 'शिक्षा में अहिंसक क्रांति की सजा दी।

अशांति शमन

पूसा रोड से विनोबाजी मुजफ्फरपुर आये। वहाँ विहार विश्व विद्यालय के उप-कुलपति एवं प्रमुख प्राध्यापको के बीच विश्वविद्यालयों के अहातो में पुलिस के प्रवेश और हस्तक्षेप पर चर्चा करते हुए विनोबाजी ने कहा, इसकी मुझे ब्यथा है, परन्तु यूनिवर्सिटी के लोगो ने अपना कैम्पस इतना छोटा क्यों माना, इसका मुझे आश्चर्य है। सारा भारत ही यूनिवर्सिटी-कैम्पस है और उसमें पुलिस काम करती है तो वह आचार्यों एवं शिक्षको के लिए लाञ्छन है। आचार्य लोगो को विचार समझाते हैं, विचार-परिवर्तन करते हैं, हृदय-परिवर्तन करते हैं और जीवन-परिवर्तन की दिशा दिखाते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन करनेवाली शिक्षको की जमात पुलिस विभाग की आवश्यकता भारत में रहने दे, यही लाञ्छन है। भारत का नागरिक शांति से चलता है, परन्तु यदि समाज में कहीं अशांति हुई तो शिक्षक अपने विचार एवं नैतिक शक्ति द्वारा अशांति-शमन करें, ताकि सरकार की दण्ड-शक्ति को अशांति-शमन के लिए मौका ही न मिले। इस प्रकार भारत भर में दमन का अवसर ही न आये, सिर्फ शमन से काम हो। उसके लिए शिक्षको को अशांति-शमन के लिए कृत सकल्प होना चाहिए।'

अध्यापकों का संकल्प-पत्र

इन्ही उदार भावनाओं से प्रेरित होकर मुजफ्फरपुर के अध्यापकों ने एक संकल्प-पत्र^१ बनाया एवं लगभग १५० अध्यापकों ने निष्ठापत्र पर हस्ताक्षर किये। पटना में भी विश्वविद्यालय के शिक्षाविदों ने इस निष्ठा-पत्र का स्वागत एवं समर्थन किया। फिर विनोबाजी मुंगेर कालेज में दस दिनों तक शिक्षकों के बीच रहे, तो वहाँ के अध्यापकों ने अपने लिए एक विस्तृत कार्यक्रम तथा संगठन की रूपरेखा भी बनायी।^२ वहाँ यह भी तय हुआ कि हर जिला इस संगठन की इकाई होगा, जिसमें प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय-स्तर तक के सभी शिक्षक शामिल रहेंगे। हाँ, विश्वविद्यालय की विशेष समस्याओं पर विचार करने के लिए विश्वविद्यालय-स्तर पर भी इसकी एक कड़ी रहेगी।

आचार्यकुल की स्थापना

६-७ मार्च को जब विनोबाजी भागलपुर पधारे तो विद्वानों के साथ संगठन एवं कार्यक्रमों के विषय में विस्तृत चर्चाएँ हुईं। वहीं अखिल विहार आचार्यकुल नाम प्रकट हुआ। ८ मार्च को प्राचीन विक्रमशिला के समीप कहोल मुनि के नाम से प्रसिद्ध कहल गाँव में "आचार्यकुल" की स्थापना की घोषणा विनोबाजी ने की। इस प्रकार शिक्षकों के जीवन-निर्माण की दिशा में एक नया आरोहण आरम्भ हुआ। निवेदन

शिक्षकों की नेतिक प्रतिष्ठा बने और बढ़े एवं उनकी सामाजिक हैसियत का उन्नयन हो, न्याय-विभाग की भाँति शिक्षा-विभाग की स्वायत्तता सर्वमान्य हो, हिंसा-शक्ति की विरोधी और दण्ड-शक्ति से भिन्न लोक-शक्ति का निर्माण हो, विश्व-शांति के लिए आवश्यक वृत्ति एवं दृष्टिकोण बने तथा शिक्षा में अहिंसक क्रांति का श्रीगणेश हो, ऐसे कुछ उद्देश्यों से आचार्यकुल का प्रारम्भ हुआ है। शिक्षकों से निवेदन है कि वे इन मुद्दों पर गहराई से विचार करें, युग की आवश्यकता और अपनी महत्ता महसूस कर अग्रणी बनें, अध्यापकों का संकल्प-पत्र भरेँ और साथ बैठकर अपने कार्यक्रम तथा संयोजन के बारे में सोचकर निर्णय करे।

—कृष्णराज मेहता

१. परिशिष्ट—१, २. परिशिष्ट—२

आपके सामने कुछ विचार, जो मुझे सूझते हैं, पेश करने हैं। लेकिन मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करूँगा। आप लोग शिक्षा के जानकार हैं। वर्षों से काम करते आये हैं। अभी श्री त्रिगुण सेन बोले। वे शिक्षा के बहुत बड़े ज्ञानी हैं। उन्होंने आपके सामने कुछ विचार रखे हैं। ऐसे विशारदों के सामने जो कुछ विचार सूझते हैं रखूँगा, लेकिन नम्रतापूर्वक।

आरंभिक तौर पर थोड़ा कहना जरूरी है कि इन दिनों मैंने सूक्ष्म में प्रवेश किया है। यह बात जाहिर हो गयी है। फिर भी आप सब लोग नहीं जानते होंगे। स्कूल का प्रयोग पचास साल किया। फिर मन में विचार आया कि सूक्ष्म सशोधन होना चाहिए। साइन्स में भी जब से न्यूक्लीयर एनर्जी (आणविक शक्ति) आयी है, तब से ध्यान में आया है कि स्कूल शास्त्रों के बनिस्वत सूक्ष्म शास्त्र ज्यादा परिणामकारी होते हैं। जैसे उन्होंने साइन्स के क्षेत्र में सूक्ष्म शास्त्र निकाले, वैसे अध्यात्म के क्षेत्र में भी सूक्ष्म शोधन हो सकता है। उस दृष्टि से मैंने सूक्ष्म कर्म-योग में प्रवेश किया। और जाहिर किया कि सार्वजनिक सभाओं में अब नहीं बोलूँगा। वैसे बहुत बोल चुका हूँ। साढ़े तेरह साल पदयात्रा हुई, हर रोज औसत तीन तवरीरें तो हुईं। साल भर की हजार तकरीरें, यानी १३ साल में तेरह-चौदह हजार भाषण हो चुके। मेरे खयाल में यह एक रेकार्ड हो गया भाषणों का। इसलिए शब्दों से जितना हो सकता था, हो चुका है। तो सार्वजनिक सभाओं में बोलता नहीं। पत्रों का जवाब नहीं देता हूँ। नजदीक के भाई कुछ पत्रों की पहुँच बगैरह भेजते हैं। कोई मिलने आते हैं, और बात पूछ लेते हैं, तो उनको जैसा सूझता है, समझाता हूँ।

एक दिन कर्पूरीजी आये और कहने लगे कि यहाँ बिहार में कई समस्याएँ हैं। उन सब पर सोचने के लिए अगर विशारद लोग आयेंगे तो क्या आप समय देंगे? तब ऐसा पूछने पर यह कहना कि मेरे पास लोग आयेंगे फिर भी मैं समय नहीं दूँगा, तो यह सूक्ष्म प्रवेश

नहीं होगा, शून्य प्रवेश होगा। इसलिए मैंने वह दिया, ठीक है भाई। इस वास्ते आज आपके सामने पेश हूँ।

मैं तो शापक हूँ

मेरे विचार वर्षों से सोचे हुए और प्रयोग के बाद निश्चित हुए हैं। लेकिन फिर भी मैं यह अपेक्षा नहीं करता कि वे सब विचार सरकार को मान्य होंगे या विशारदों को मान्य होंगे या जनता को भी पसंद (एप्रिशीयेट) होंगे। इसकी अपेक्षा भी मैं रखता नहीं। बल्कि मेरे बारे में आप सब लोगों को अभयदान है। अभयदान दिया है, क्योंकि अपने विचारों का मुझे आग्रह नहीं है, मेरी कोई न्यूसेन्स वैल्यू (पीडा मूल्य) नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे विचार न माने गये तो जुलूस निकालूंगा, घेराव करूंगा या जगह-जगह जाकर व्याख्यान दूंगा, ऐसा नहीं है। अगर विचार लोगों को जँचे, मान्य हो और लोगों ने उस पर अमल किया तो अच्छी बात है, नहीं जँचे और अमल नहीं किया तो भी कोई खास दुःख की बात नहीं है। बाधा यह नहीं चाहता कि 'वाचा-वाक्यम् प्रमाणम्' चले। वह यही चाहता है कि लोग सोचे, समझे और सोच-समझकर जैसा उचित हो, वैसा करे। यह मैंने इसलिए कहा कि एक पुराना वाक्य है जो मेरी प्रवृत्ति के लिए अनुकूल है। 'ज्ञापकं शास्त्रं न तु कारकं।' जो शास्त्रकार होते हैं, वे हाथ पकड़कर करवाते नहीं। जैसे साईन बोर्ड रास्ता दिखाता भर है, कि यह रास्ता यहाँ से दरभंगा जा रहा है, आपका हाथ पकड़कर वह आपको दरभंगा ले नहीं जायगा। आपने देखा कि दरभंगा का रास्ता बताया गया है। आपको उस रास्ते जाना है तो उससे जा सकते हैं, नहीं जाना है तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन साईन बोर्ड ने अपना काम कर दिया। जो शास्त्रीय वृत्ति रखता है वह हमेशा शापक होता है, कारक नहीं होता, यानी करानेवाला नहीं होता। शापक यानी जतानेवाला, समझानेवाला, सुझानेवाला होता है। तो यह मेरी वृत्ति है। इस वास्ते आपको निर्भयतापूर्वक मेरे विचार सुनना है।

भारत का शिक्षा शास्त्र

आप जानते हैं कि इन दिनों यूरोप और अमेरिका में अनेक नये शास्त्रों की खोज हुई है और वहाँ से हमको बहुत सीखना है, इसमें

कोई शक नहीं। खास करके अनेकविध विज्ञान का विकास, इन पाँच-पचास सालों में वहाँ बहुत ज्यादा हुआ है। वह तो हमको सीखना ही चाहिए, बल्कि समझाना चाहिए कि साइन्स के बारे में छ महीना पहले की विज्ञान आज चलेगी नहीं। आज की विज्ञान चाहिए, क्योंकि साइन्स बहुत जोरो से आगे जा रहा है। पुराना साइन्स जल्दी-जल्दी ज्यादा पुराना होता जा रहा है। इस वास्ते हमको कई चीजें नयी-नयी सीखनी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर भी भारत की अपनी भी कुछ विद्याएँ हैं और कुछ शास्त्र यहाँ पर पुराने काल से विद्यमान हैं। उन शास्त्रों में शिक्षा-शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है, जिसका भारत में काफी विकास हुआ था, और काफी चर्चा हुई थी। यह नहीं है कि उस सिलसिले में हमको कुछ सीखना नहीं है, सीखना तो है ही। बल्कि वेद भगवान् ने आज्ञा दी—'आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतः'—दुनिया भर से मंगल विचार हमारे पास आये। हम सब विचारों का स्वागत करते हैं। और यह नहीं समझते कि यह विचार स्वदेशी है या परदेशी है, पुराना है या नया है। हम इतना ही सोचते हैं कि वह ठीक है या बेठीक है। जो विचार ठीक है वह पुराना हो, तो भी लिया जाय। इसमें कोई शक नहीं कि हमको बहुत लेना है। लेकिन जो अपने पास है, उसे भी पहचानना चाहिए। और यह इसलिए जरूरी है कि जो यहाँ का होता है, वह यहाँ की परिस्थिति और चारित्र्य के लिए अनुकूल होता है। यहाँ के जो विकसित शास्त्र हैं उन सब पर यह लागू होता है। आयुर्वेद को लीजिए—वेद्यक शास्त्र। अगर यही क वनस्पतिया का उपयोग लोग करेंगे, तो वे ज्यादा कारगर होंगे यह जाहिर बात है। यह नहीं कि नया जो वेद्यक शास्त्र है, उसमें सीखने की कोई बात नहीं है। फिर भी यहाँ का आयुर्वेद यही की वनस्पति की चर्चा करता है। इस वास्ते गाँव-गाँव में उसका अधिक उपयोग हो सकता है। उसी तरह यहाँ का बना हुआ जो शिक्षा-शास्त्र है वह हमारे स्वभाव के अनुकूल होने के कारण हमें काफी मदद दे सकता है। तो शिक्षा-शास्त्र व ऐसे जो ग्रन्थ संस्कृत भाषा में हैं, उन सबमें शिरोमणि ग्रन्थ है पतंजलि का 'योगशास्त्र'। मुझसे कोई पूछे कि शिक्षा शास्त्र पर सर्वोत्तम ग्रन्थ भारत में कौनसा है, तो मैं यही कहूँगा कि 'पातंजल योग-शास्त्रम्।' उसमें शिक्षा के विषय में मानस और अतिमानस दोनों दृष्टियों से विचार किया गया है। साइको

लाजिकली सोचना शिक्षा के लिए बहुत जरूरी होता है। उसके बिना शिक्षा-शास्त्र शुरू नहीं होता। लेकिन शुरू के लिए यद्यपि मानसशास्त्र की जरूरत होती है, तो भी उसकी आखिरी चोज क्या है, कहीं तक ले जाना है, यह समझने के लिए अतिमानस-भूमिका का भी ज्ञान होना जरूरी होता है। पतंजलि ने योगशास्त्र में वृत्तियों का परीक्षण करके वृत्तियों के अनुकूल कैसे बरता जाय और वृत्तियों से परे कैसे हुआ जाय, ये दोनों बातें बतायी हैं। वृत्तियों के अनुकूल अगर हम नहीं बरतते, तो संसार में कोई कार्य नहीं कर सकते। इसलिए वृत्तियों के अनुकूल सोचना पड़ता है। वृत्तियों से परे होकर अगर नहीं सोचते तो तटस्थ दर्शन होता नहीं और इसलिए नजदीक के ही छोटे-से चिन्तन में हम गिरफ्तार रहते हैं, तो दूरदृष्टि का अभाव हो जाता है। इस वास्ते अतिमानस दृष्टि की भी जरूरत रहती है और मानस दृष्टि की भी जरूरत होती है। दोनों दृष्टियों को ध्यान में रखकर पतंजलि ने बहुत थोड़े में योगशास्त्र में बात रखी है। इस पर अनेक भाष्य हुए हैं और यह योगशास्त्र आज तक विकसित होता आया है। भारत में आज भी इसका विकास हो रहा है। मैं इसके विषय में अधिक नहीं कहूंगा। मुझे इतना ही कहना है कि अपने यहाँ शिक्षा-शास्त्र बना हुआ है।

राजनीति : शिक्षा के द्विप खतरा

पतंजलि परमात्मा को गुरुरूप में देखते हैं। “स एष पूर्वेषामपि गुरुः”—यह परमात्मा कौन है? अपने जो प्राचीन ज्ञानी हो गये हैं, उनका वह गुरु है। मुझे बहुत-सी भाषाएँ पढ़ने का मौका मिला है। लेकिन किसी धर्मग्रन्थ में या किसी मानसशास्त्रीय ग्रन्थ में परमात्मा को गुरुरूप में देखा गया हो, ऐसा मैंने नहीं देखा है। परमात्मा को अवसर पिता के रूप में तो देखा ही जाता है। “पितासि लोवस्व” इत्यादि कहा जाता है। परमात्मा के लिए “फादर”—यह तो क्रिश्चियानिटी में हमेशा आता ही है। माता के रूप में भी आता ही है। लेकिन योगशास्त्र में गुरु के रूप में देखा है। तो आप सारे लोग गुरु को हैसियत रखते हैं, यह बहुत बड़ी बात है। परमात्मा गुरुरूप तो है ही, वह परमगुरु है। वह हम सबको शिक्षा देता है। वैसा ही हमको उसका अनुकरण करके सीखना-सिखाना है। गुरु

अत्यन्त तटस्थ होकर सिखाता है। उसके सिखाने की जो दृष्टि है वह तटस्थता की है। वह कोई चीज लादता नहीं। परन्तु इन दिनों हमारे यहाँ या दूसरे देशों में सरकारी तौर पर जो कुछ भी प्रयत्न हो रहे हैं, वे ये हो रहे हैं कि जिन-जिन विचारों की सरकारें बनी हुई होती हैं, वे अपने विचारों का विद्यार्थियों पर असर डालना चाहती हैं और उसकी पकड़ में विद्यार्थियों को रखना चाहती हैं। वे अपने सँचे में विद्यार्थियों को ढालना चाहती हैं। मान लीजिए कि अगर कम्युनिज्म हुआ, तो कम्युनिज्म की आइडियोलोजी सिखायी जायगी। इतिहास-शास्त्र भी नये ढंग से सिखाया जायगा। एक इतिहास शास्त्र था जो स्टालिन के जमाने में रूस में चलता था। जब स्टालिन पदच्युत हो गया तब वहाँ गुच्छों ने वह इतिहास सिखाना चार-छ महीना बन्द कर दिया। फिर से नया इतिहास लिखा गया जिसमें स्टालिन देवता नहीं रहा, दूसरे देवता का अधिष्ठान हुआ। चार छ महीनों में नया इतिहास बना और स्कूल में पढाया गया। अब आपको आश्चर्य होगा कि इतिहास भी क्या नया-नया बनता है? जो हुआ सो इतिहास। लेकिन अब, जो हुआ सो इतिहास नहीं, इतना हुआ कि हम जो ध्यान में रखना चाहते हैं सो इतिहास। इसलिए हमारे अनुकूल जो चीजें हैं उनको रखना और जो प्रतिकूल चीजें हैं उनको छोड़ना और वह इतिहास वहाँ सिखाना। अगर फासिज्म हुआ तो सारे विद्यार्थियों को फासिज्म सिखाया जायगा। और इसी प्रकार से भिन्न-भिन्न राज्य-व्यवस्थाएँ आती हैं, तो अपने बने-बनाये विचारों में विद्यार्थियों के दिमागों को ढालने की कोशिश होती है। यह सचमुच में डेमोक्रेसी पर बहुत बड़ा संकट उपस्थित है। डेमोक्रेसी कहती है कि हर एक को एक मत का अधिकार है। अरे भाई, मत का अधिकार देते हो, तो मनन-स्वातंत्र्य भी तो होना चाहिए। अगर मनन-स्वातंत्र्य नहीं है तो एक हाथ से आपने वोट का अधिकार दिया और दूसरे हाथ से उसे निवाल लिया, इतना ही होता है। यह बहुत बड़ा खतरा सब देशों में मौजूद है और अपने देश में भी है। इस वास्ते आप गुच्छों को सावधान होना चाहिए।

शिक्षक के तीन गुण

शिक्षकों में कम-से-कम तीन गुणों की आवश्यकता रहती है। (यह

सुनकर थी त्रिगुण सेन^१ को बड़ी खुशी होगी।) एक गुण शिक्षक में चाहिए, जिसका उल्लेख श्री त्रिगुण सेन ने किया। और वह यह कि विद्यार्थियों पर प्रेम होना चाहिए, वात्सल्य चाहिए, अनुराग चाहिए। यह शिक्षको का बहुत बड़ा गुण है, जिसके बिना शिक्षक बन ही नहीं सकता। शिक्षक का दूसरा बड़ा गुण है, उसको नित्य निरन्तर अध्ययनशील होना चाहिए। रोज नया-नया अध्ययन जारी रहे और ज्ञान की वृद्धि सतत होती चली जाय। इस प्रकार से उसे ज्ञान का समुद्र बनना है। उसको ज्ञान की उपासना करनी है।

ये दो गुण शिक्षक में प्रथम चाहिए। अगर आपमें वात्सल्य है और ज्ञान नहीं है तो आप उत्तम माता बन सकते हैं। माताएँ वे होती हैं जिनमें वात्सल्य भरा होता है, पर ज्ञान होता ही है ऐसा नहीं। परन्तु कुछ माताएँ होती हैं, जिनको ज्ञान होता है। कपिल महामुनि की माता ऐसी ही हो गयी हैं, जिनको कपिल महामुनि ने उपदेश दिया। बहुत बड़ी माता! ऐसी माताएँ भारत में होगी और दुनिया के दूसरे देशों में भी होगी, लेकिन सामान्यतया माताओं से ज्ञान की अपेक्षा हम नहीं करते, प्रेम और वात्सल्य की करते हैं। आपमें अगर वात्सल्य है और ज्ञान नहीं है तो आप प्रवृत्तिपरायण बन सकते हैं। माता वे नाते उत्तम प्रवृत्ति आप कर सकते हैं। अगर आपमें प्रेम नहीं है, वात्सल्य नहीं है, तटस्थता है और ज्ञान की साधना आप करते हैं, तो आप तत्त्वज्ञानी बन सकते हैं, विचारक बन सकते हैं, निवृत्तिनिष्ठ बन सकते हैं। देश को आपका बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। लेकिन आप गुरु नहीं बन सकते। इसीलिए गुरु के लिए जरूरी है निरन्तर चिन्तनशीलता—ज्ञान की वृद्धि प्रतिदिन होती रहे। यह दृष्टि, और शिष्यों के लिए अत्यन्त वात्सल्य और प्रेम, ये दो गुण तो होने ही चाहिए।

एक तीसरा गुण और होना चाहिए, जिसका थोड़ा-सा उल्लेख मैं नर चुका हूँ, इशारे से, परन्तु स्पष्ट कर देना अच्छा है। मैंने कहा कि इन दिनों विद्यार्थियों के दिमाग पर पालिटिक्स का बड़ा आक्रमण है; और वे विद्यार्थी हैं शिक्षकों के हाथ में। यदि शिक्षक ही पालिटिक्स

१. भारत के शिक्षा-मंत्री, जिन्होंने ७-१२-६७ को पूसा रोड, दरभंगा (बिहार) में उपकुलपतियों के सम्मेलन का उद्घाटन किया।

मे रगे हो और पालिटिक्स का बरदहस्त उनके सिर पर पडा हो तो समझना चाहिए कि गंगामैया समुद्र की शरण गयी, लेकिन समुद्र ने उसको स्वीकार किया नहीं। तो जो हालत गंगा की होगी वही हालत विद्या की होगी। विद्या शरण गयी प्रोफेसरो के, आचार्यों के, और शिक्षको के, और उन्होने उसको स्वीकार नहीं किया। राजनीति के खयाल से ही सोचा। समझना चाहिए शिक्षको का बहुत बडा अधिकार है, इसलिए वे सब राजनीति से मुक्त रहे। मान लीजिए कि कोई अस्पताल वा सेवक है, जो कांग्रेस या किसी राजनैतिक नेता का दोस्त है। यदि वह पार्टी-पालिटिक्स का खयाल करके रोगी की पक्षपातपूर्ण सेवा करता रहेगा, किसीकी ज्यादा और किसीकी कम, तो वह अस्पताल की सेवा के लिए नालायक है। अस्पताल की सेवा करनेवाला जो आदमी है उसे पक्षमुक्त होना चाहिए। यदि वह पक्षमुक्त है तो समझना चाहिए कि उस काम के लिए वह लायक नहीं है। इसी प्रकार न्यायाधीश को लीजिए। क्या कोई न्यायाधीश किसी पक्ष का हो सकता है? न्याय में क्या पक्षपात कर सकता है? नहीं कर सकता। असेम्बली के स्पीकर क्या किसी पक्ष वा पक्षपात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर उन्होने किया तो गलत माना जायगा। यही हैसियत शिक्षको की है। अगर शिक्षक राजनीति में पडे हुए हैं, तो समझना चाहिए कि वे कर्ता नहीं हैं, कर्म हैं। उनको बरनेवाले दूसरे हैं कर्ता, और वे उनके कर्म हैं। उनके हाथ में कर्तृत्व नहीं है। वह बर्मणि प्रयोग है, कर्तरि प्रयोग नहीं। उस हालत में शिक्षक का व्यवसाय बेकार हो जायगा। उसका अपना जो स्थान है, वह नहीं रहेगा।

सबके लिए एक से विद्यालय

प्राचीन काल में शिक्षा की यह स्थिति नहीं थी। भगवान कृष्ण की कहानी है। कृष्ण ने देश को कंस से मुक्ति दिलायी। भारत में इतना बडा पराक्रम बचपन में ही किया। फिर उनके पिताजी को याद आया कि इसको तालीम नहीं मिली है और इसके पास कोई डिग्री भी नहीं है। इस वास्ते इसे किसी गुरु के पास भेजना चाहिए। तब गुरु वे पास तालीम के लिए भेज दिया। गुरु ने सोचा कि 'यह एक महान् अवतार है। इसके हाथ से कंस-मुक्ति हो गयी। उसको तालीम

के लिए मेरे पास भेजा है। अच्छी बात है। उसको देगे तालीम।' ऐसा सोचकर उसको एक गरीब ब्राह्मण विद्यार्थी के क्लास में रखा और दोनो को काम दिया और कहा कि तुम दोनो जंगल से लकड़ी चोरकर लाता। यह ब्राह्मण अत्यन्त दरिद्र था—सुदामा, और कृष्ण एक महान राजपुत्र। दोनो को एक ही क्लास में रखा। यह नही कि नेतरहाट (बिहार का एक पब्लिक स्कूल) का स्कूल अमीर के लिए और गरीब के लिए दूसरा स्कूल। इन दिनों ऐसा होता है कि कुछ लोगो के लिए 'पब्लिक स्कूल' होता है। पब्लिक स्कूल वह, जहाँ पब्लिक नही जा सकती। वैसा भेद तो उस गुरु ने किया नही और दोनो को शरीरधर्म (फिजिकल लेबर) का बराबर का काम दे दिया। दोनो ने यह काम अच्छी तरह किया और दोनो को गुरु ने छ महीने में सर्टिफिकेट दे दिया। कृष्ण से कहा—'तुम्हारा काम बहुत अच्छा रहा, शानो तो तुम ही, केवल मेरा आदर बढ़ाने के लिए तुम आये थे। लेकिन तुमने बहुत अच्छा सेवा का काम किया और जो सेवा का काम करता है उसे जरूर ज्ञान मिलता है। इसलिए सारा ज्ञान तुम्हारे पास पहुँच चुका। अब मैं तुमको विदा करता हूँ।' फिर कृष्ण भगवान् गुरु को नमस्कार करने गये। गुरु ने कहा—'मुझसे कुछ माँग लो।' कृष्ण ने सोचा 'क्या माँगें?' उन्होने माँगा—'मातृहस्तेन भोजनम्'—मुझे मरने तक माता के हाथ से भोजन मिले। भले ही कृष्ण ने यह सोचा नही कि इसका अर्थ है कि उनकी माता को उनके मरने के बाद भी जीना पड़ेगा और उनको कितना क्लेश होगा। इतना ही सोचा कि उत्तम भोजन मिले। देश को उत्तम भोजन मिले। यह बहुत जरूरी बात है। इसलिए भगवान् कृष्ण ने गुरु से माँग लिया—'मातृहस्तेन भोजनम्।'।

न्यायालय की भाँति शिक्षा विभाग भी शासन से ऊपर

यह सारी कहानी आपने सामने मँने इसलिए रखी कि अपने यहाँ जो कुछ विचार था, उसमें राज्य-सत्ता की सत्ता गुरु पर थी नही। गुरु उससे परे था। तौ होना तो यहाँ यह चाहिए कि जैसे न्यायालय शासन से विलकुल ऊपर है और जहाँ ठीक लगे, वहाँ शासन का खिलाफ भी निर्णय ले सकता है, उसी तरह शिक्षा विभाग को भी शासन से ऊपर होना चाहिए। न्याय विभाग को शासन की तरफ से

तनखाह मिलती है, लेकिन फिर भी उस पर शासन का अकुश नहीं है। यह बात ज्युडिशियरी (न्याय विभाग) के बारे में जिस तरह मान्य हो गयी है, उसी तरह शिक्षा के बारे में भी मान्य होनी चाहिए। तब शिक्षा पनपेगी। (श्रोताओं ने ताली बजायी) आपने ताली बजायी। बड़ा आनन्द आया। लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि आपने बहुत बड़ा आनन्द खोया—आपका तो नहीं वह सकता, लेकिन बहुत लोगों का बहुत बड़ा आनन्द खोया। राजनीति में भाग लेने में कितना आनन्द आता है। लेकिन आपने ताली बजाकर यह आनन्द खोया। अगर यह बात ध्यान में आये कि आजकल हम पालिटिशियन्स की पकड़ में हैं, तो उस पकड़ से छूटे बिना शिक्षा का कोई मसला हल नहीं होगा।

खुश देश में तालीम का पुराना डाँचा अशोभनीय

पुरानी बात है, १९४७, १५ अगस्त, स्वातंत्र्य दिन की। मैं उन दिनों पवनार में रहता था, वर्धा के नजदीक। लोगों ने मुझको व्याख्यान देने के लिए वर्धा बुलाया। मैंने उनसे पूछा कि देखो भाई, स्वराज्य मिल गया। तो क्या पुराना झण्डा एक दिन के लिए भी चलेगा ? तो बोले, 'नहीं चलेगा। अगर पुराना झण्डा चले तो उसका अर्थ होगा कि पुराना राज्य ही चल रहा है। जैसे नये राज्य में नया झण्डा होता है, वैसे ही नये राज्य में नयी तालीम चाहिए। अगर पुरानी ही तालीम चली तो समझना चाहिए कि पुराने राज्य का ही एक्स्टेंशन चल रहा है, नया राज्य आया नहीं। गांधीजी ने दूर दृष्टि से नयी तालीम नाम की एक पद्धति सुझायी—और वह गांधीजी ने सुझायी इस वास्ते मान्य करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं, इसकी जिम्मेदारी हम पर नहीं कि वह बात हमें वैसी-की-वैसी माननी चाहिए, न गांधीजी स्वयं वैसा मानते थे कि उनकी चीज वैसी-की-वैसी माने—अगर मेरे हाथ में राज्य होता—जिसके होने का सम्भव था नहीं, और अब तो है ही नहीं, लेकिन अगर मेरे हाथ में राज्य होता तो सारे विद्यार्थियों को मैं तीन महीने की छुट्टी देता और कहता कि खेल-कूद लीजिए, जरा मजबूत बनिए, जरा खेती-उद्योग का काम कीजिए, स्वराज्य का आनन्द भोगिए। और तबतक शिक्षा शास्त्रियों का सम्मेलन बराया जायगा और तीन महीने के अन्दर उनको

हिन्दुस्तान की तालीम का ढाँचा तैयार करना होगा। वह तैयार हो जायगा तो तालीम शुरू हो जायगी। अगर मेरी चलती तो मैं ऐसा करता। इसके बदले एक पंचवार्षिक, दो पंचवार्षिक, तीन पंचवार्षिक, चार पंचवार्षिक योजनाएँ चली, और तालीम का ढाँचा पुराना-का-पुराना ही रहा। कोई बदल नहीं। और आजकल की सरकार कहती है कि शिक्षा के बारे में बड़े-बड़े प्रश्न हैं। एजुकेशन का एक्सप्लोजन हुआ है। भारत में शिक्षा का बहुत ज्यादा विस्तार हुआ है। इस वास्ते नयी-नयी समस्याएँ हमारे सामने आ खड़ी हैं। तो मैं पूछता हूँ कि (मैं इंग्लिश तो बहुत अच्छा नहीं जानता, थोड़ा-बहुत जानता हूँ) क्या अच्छी वस्तु का वही एक्सप्लोजन होता है ? अगर शिक्षा का एक्सप्लोजन हुआ है, तो मतलब है कि शिक्षा कोई बुरी चीज है। आज दरअसल ऐसा है। आज भारत की हालत ऐसी है कि अगर आप तालीम बढ़ाते नहीं तो लोग बेवकूफ रहेंगे, और अगर तालीम बढ़ाते हैं, तो बेकार बनेंगे। अब या तो बेवकूफ रहो, या बेकार बनो। दो में से एक तो बनना ही पड़ेगा। दोनों में से आप क्या मंजूर करेंगे ? आप देख लीजिए। यह बात मैंने जाकिर साहब के सामने रखी जब वे अभी हमसे मिलने आये थे। बोले—'बिनोबाजी, आपने कहा, जिनको यह तालीम मिलती है, वे बेकार बनते हैं। वे सिर्फ बेकार नहीं बनते, बेकार भी बनते हैं, बेवकूफ भी बनते हैं।' यह उन्होंने सुधार कर दिया। उन्होंने सुधार कर दिया कि अशिक्षित लोग बेवकूफ, और शिक्षित लोग बेकार, ऐसा है नहीं। अशिक्षित लोग बेवकूफ, और शिक्षित लोग बेवकूफ + बेकार। इस वास्ते शिक्षा का ढाँचा तुरत बदलना चाहिए था। जो हुआ सो हुआ, अब तो बदलना चाहिए।

(१) गुरु कैसा होना चाहिए, यह मैंने कहा। (२) शिक्षा के आधार पर ही सारा समाज बनेगा, इसलिए शिक्षा का ढाँचा बदलना है, यह सब लोगों को निश्चय करना चाहिए। इसका अत्यन्त महत्व है। इस तरफ भी ध्यान लीजा।

कहा जाता है कि भारत में शिक्षा की बड़ी समस्या है। मैंने कहा कि शिक्षा वह चीज है, जिससे समस्याओं का हल होता है, तो वह शिक्षा भी समस्या हो गयी। जिससे तमाम समस्याओं का परिहार होता है वही समस्या हो गयी। ऐसा क्यों होता है ? अब क्या कहा जाय ? राज्य के हाथ में शिक्षा गयी। जो अधिकार आपने

शंकराचार्य को दिया नहीं, जो अधिकार आपने तुलसीदास को दिया नहीं, वह अधिकार आपने एजुकेशन डायरेक्टर को दिया। वह एक किताब बनायगा और वह प्रिस्क्राइब्ड किताब सारे प्रान्त में चलेगी। हर लड़के को वह किताब पढ़नी पड़ेगी। बिल्कुल जमशेदपुर से जयनगर तक और दुमका से दुर्गावती तक, सारे बिहार में एक ही किताब चलेगी। अगर बच्चे ठीक अध्ययन नहीं करेंगे, तो फेल करेंगे। एजुकेशनवाले आदमियों ने जो किताब तय कर दी, जो पास कर दी, उसे पढ़ना पड़ेगा। यह अधिकार आपने न शंकराचार्य को दिया, न तुलसीदास को। तुलसीदासजी यह नहीं कर सके कि जबर-दस्ती हर एक को रामायण पढ़नी पड़ेगी। यह अधिकार तुलसीदासजी ने लिया नहीं और आपने दिया नहीं। काफी लोग रामायण पढ़ते हैं, पर अपनी स्वेच्छा से पढ़ते हैं। परन्तु यह कम्पल्सरी किताब सबको पढ़नी ही पड़ेगी। शिक्षा-अधिकारी की आपने इतनी योग्यता मानी!

सार इसका यह है कि हर एक का अपना-अपना स्थान होता है। शिक्षा का सारा-बा-सारा क्षेत्र शासनमुक्त होना चाहिए। यह मुक्त रहना आपके अधिकार में है। उनके पंजे से आप स्वयं मुक्त हो जायें, तो शिक्षा-मुक्त हो जाय।

शिक्षा : ज्ञान और कर्म का योग

गांधीजी ने, वृष्ण ने, पतंजलि ने, सबने हमें सिखाया कि ज्ञान और कर्म इकट्ठा होना चाहिए। ज्ञान और कर्म के दो टुकड़े नहीं होने चाहिए। ज्ञान कर्म से अलग नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ कि कुछ लोगों के पास ज्ञान और कुछ लोगों के पास कर्म हो, तो राहु-केतु का समाज बनेगा। राहु यानी सिर-ही-सिर, उसको छुड़ नहीं, सिर्फ मुण्ड। और केतु यानी छुड़-ही-छुड़, नीचे का हिस्सा, उसके मुण्ड नहीं। क्या होगा? देहात के सारे लोग केतु बनेंगे और शहर के लोग राहु बनेंगे। ऐसा राहु-केतु-समाज बना तो बड़ा मुश्किल होगा। देश में पहले से ही जातिभेद है, प्रातभेद है, भाषा-भेद है। एक नया पक्ष-भेद और दाखिल हो गया है। इसमें अगर यह भी एक भेद हो जाय कि कुछ लोग तो काम ही काम करें, कुछ लोग ज्ञान ही ज्ञान हासिल करें, ज्ञानवाले को काम नहीं, कामवाले को ज्ञान नहीं, काम करने की शक्ति किसान के हाथ में और

ज्ञान की शक्ति शहरवाले के हाथ में, तो क्या वह इसको देगा, और यह उसको देगा ? इस वास्ते अगर उत्पादन बढ़ाना है, पराक्रम का काम करना है, विकास करना है, तो ज्ञान और कर्म को इकट्ठा होना चाहिए । यह गांधीजी के कहने का तात्पर्य था ।

आश्चर्य की बात है कि यह जो गांधीजी की बात है, उसका स्वीकार भारत में अभी तक हुआ नहीं, लेकिन उसका पूरा स्वीकार चीन ने कर लिया । गांधी ने कहा और चीन ने सुना । गांधी और माओ इस मामले में एकमत हो गये । उन लोगों ने सारे देश के तमाम लोगों को एक ही स्कूल में रखा है । बड़े-बड़े स्कूल बनाये नहीं । उस स्कूल का नाम दिया हाफ-हाफ स्कूल । उसमें तीन घण्टे काम करना पड़ेगा और तीन घण्टे पढ़ना पड़ेगा । वहाँ तो कम्युनिज्म है । जो बात करते हैं, फौरन अमल करते हैं । यह कम्युनिज्म का एक बहुत बड़ा गुण है । और हम लोग हमेशा डाँवाडोल रहते हैं, सोचते रहते हैं, चिन्तन करते रहते हैं । कानून बनाते रहते हैं । नाटक कम्पनी आयगी, खेल दिखायगी ऐसा चलता है । तो चीन में सब-के-सब एक ही स्कूल में पढ़ते हैं । कन्धे-से-बन्धा लगाकर काम करते हैं । बराबरी के नाते से बर्ताव करते हैं । ऊँच और नीच का भेद खतम है । कर्म और ज्ञान दोनों को मिलता है । सबको एक ज्ञान और सबको एक काम । यह और बात है कि उनका कम्युनिज्मवाला और सोशलिज्मवाला ज्ञान रंगीन होता है । उनको रंग दिया जाता है, यह अलग बात । परन्तु सबको ज्ञान, सबको काम, दोनों आधा-आधा, यह चीज चीनवालों ने की । यहाँ पर भी हमको इस बात का आयोजन करना होगा कि हमारे सब बच्चों को काम और ज्ञान समान रूप से मिले । जैसे कृष्ण भगवान् सारथी होने के लिए तैयार हैं, लड़ने के लिए भी तैयार हैं, भगवद्गीता बहने के लिए भी तैयार हैं, गुरु बनने को तैयार, शिष्य बनने को भी तैयार, शोफर (सारथी) बनने के लिए भी तैयार । अर्जुन से कृष्ण भगवान् १६ साल बड़े थे । अर्जुन कृष्ण से पूछता है—“बयों भैया, मेरा शोफर बनेगा ? तब तो मैं लड़ सकता हूँ ।” भगवान् कृष्ण को सारथी होने के लिए बहना वितनी विलक्षण बात है । लेकिन कृष्ण भगवान् इतने नम्र थे कि उनको लेशमात्र भी अहंकार नहीं था । हर कोई उनकी काम बता सकता था । तो वे सारथी बन गये । अर्जुन क्षत्रिय था । युद्ध समाप्त हुआ तो शाम को संध्यावन्दन करता था ।

और कृष्ण भगवान् का काम था अर्जुन के घोड़े की मालिश करना । उनवी सध्योपासना यही थी । यह सारा दृश्य आपको महाभारत में मिलता है । जैसे भगवान् कृष्ण हो गये दोनों शक्तियों से सम्पन्न, जैसे ध्यास भगवान् हो गये दोनों शक्तियों से सम्पन्न, वैसे ही हमारे सारे शिक्षा शास्त्री और विद्यार्थी दोनों शक्तियों में समान होने चाहिए, तब अपना काम होगा ।

मजहब और राजनीति के स्थान पर अध्यात्म और विज्ञान

यह तो मैंने शिक्षा के सम्बन्ध में एक बात आपके सामने रखी । एक और बात मैंने जाहिर की है और अपनी यात्रा के दरम्यान बीसों बार दोहराया है । मुझे उत्तम प्रचारक मिले थे—पं० जवाहरलाल नेहरू । जहाँ-जहाँ गये, रूस में, अमरीका में, जहाँ भी गये, कहा कि बाबा का कहना है कि साइन्स और स्पिरिच्युअलिटी दोनों को इकट्ठा होना चाहिए पालिटिक्स एण्ड रिलीजन आर आउटडेटेड (राजनीति और धर्म पुराने पड़ गये ।) उनके दिन लड़ गये । धर्म-पन्थों के दिन लड़ गये । भिन्न भिन्न धर्मों की जगह स्पिरिच्युअलिज्म आना चाहिए, अध्यात्म आना चाहिए, और पालिटिक्स की जगह विज्ञान आना चाहिए, तब काम होगा । तो पंडितजी ने इस विचार का प्रचार किया । और मेरा खयाल है कि पटना में उनका व्याख्यान हुआ था, जिसे मैंने अखबार में पढ़ा था कि “मैं यद्यपि राजनीति में मुन्तिला हूँ, तो भी (जवाहरलाल बोल रहे हैं) आइ एम इनक्लाइण्ड टु एक्सेप्ट बाबाज व्यू !” (बाबा के विचारों को स्वीकार करने की मेरी इच्छा होती है ।) पालिटिक्स छोड़ना होगा, रीलीजन छोड़ना होगा । व्यापक साइन्स और व्यापक अध्यात्म स्वीकार करना होगा, तभी बुनियादी मसले हल होंगे । अन्यथा क्या होगा ? पालिटिशियन्स एकता के लिए जो काम करेंगे, वे फूट डालनेवाले होंगे । उनको सूझता नहीं कि उन्होंने क्या किया । उन्होंने बगला भाषा के दो टुकड़े कर दिये । उर्दू के दो टुकड़े कर दिये । पजाबी के दो टुकड़े कर दिये, जोर्डन, कोरिया, बर्लिन के दो टुकड़े कर दिये । वे टुकड़े करना जानते हैं, यह मानते हुए कि इससे एकता पैलेगी । इस प्रकार कभी दुनिया के मसले हल नहीं होंगे । दुनिया में सभी को मिलकर सामूहिक रूप से सोचना होगा, तभी मसले हल होंगे । और ये जो छोटी छोटी

राजनोति है, और ये जो छंटे-छोटे धर्मग्रन्थ हैं, उनसे मुक्ति पानी होगी। अब जहाँ धर्मग्रन्थ से मुक्ति की बात आयी तो यहाँ के लोग घबडा जाते हैं। मैं उनको समझाता हूँ कि घबडाने की बात नहीं है। उदाहरण के लिए यज्ञ को लीजिए। यज्ञ करना और घी जलाना प्राचीन काल में होता था। तो हम भी घी जलायें, क्या यह धम माना जायगा? यज्ञ माना जायगा? इस जमाने में घी जड़ेगा तो हालत क्या होगी? उस जमाने में तो अग्नि जलाने के लिए घी था। जगलो के जगल पडे थे। हजारों की तादाद में गाये थी। इस वास्ते घी उनका साधन था। बोल्हू-बोल्हू था नहीं, इसलिए तेल उस जमाने में था नहीं। घी ही एक साधन था। एक दफे एक शादी हमारे नियंत्रण में होनेवाली थी। दीक्षित ब्राह्मण ने कहा कि आहुति भी देनी पडेगी। मैंने उन्हें शास्त्र समझाया। ऐसा करो, एक सुन्दर पात्र बनाओ—ताम्रपात्र। उस पर लिखो "अग्नि"। वहाँ एक दीया रखो और लिखो, "साक्षी"। "अग्नये स्वाहा इदं नमम इन्द्राय स्वाहा इदं नमम, वरुणाय स्वाहा इदं नमम", ऐसी आहुतियाँ उस अग्निपात्र में डालो। और जो घी इवट्टा होगा उसे सबकी प्रसाद के तौर पर दे दो। यज्ञ भी सागोपाग होगा और वेद भगवान् की भी वृत्ति होगी। उन्होंने पूछा कि क्या ऐसा वेद में आधार है? मैंने कहा, "जी हाँ"। गीमासा शास्त्र में चर्चा है कि देवता कैसे होते हैं। अग्नि का स्वरूप क्या है? 'अग्नि', यह उसका स्वरूप है। अक्षरात्मका देवता। इन्द्र का स्वरूप है 'इन्द्र'। वरुण का स्वरूप है 'वरुण'। देवता सारे अक्षरात्मक हैं। अग्निपात्र में घी डालकर काम हो सकता है। लोगो ने कहा कि यह युक्ति अच्छी है। पुराने लोगो के प्रति जो आदर रखना चाहिए वह आदर भी इसमें कायम है और नये समाज के लिए जो जरूरी बातें हैं वे भी इसमें आ जाती हैं। पुरानी चीजें जो हो चुकी हैं, वे धम के नाम पर वैसे ही करना उचित काम नहीं माना जायगा, यह समझना चाहिए।

दूसरा उदाहरण, कौरव-पाण्डवों का वाद विवाद। द्यूत चल रहा है। और द्रौपदी पण में लगायी गयी। आखिर पाण्डव हारे और द्रौपदी दुर्योधन की दासी बन गयी। महान्-महान् पंडित वहा थे। भीष्म भी थे। द्रौपदी ने खडे होकर पूछा कि 'आप लोगो की राय में

स्त्री क्या पुरुषों की प्रापर्टी है और द्यूत में पण में, उसे लगा सकते हैं ? तो "भीष्म द्रोण विदुर भये विस्मित"। विदुर यानी कौन ? उस जमाने का अत्यन्त ज्ञानी । जो महान् ज्ञानी है, उसका नाम है विदुर । विदुर इतना बड़ा ज्ञानी था कि पाणिनि को उसके लिए स्वतन्त्र सूत्र बनाना पड़ा "यथा विदुरभिदुरौ" । विदुर और भिदुर, दो खास शब्द हैं । विद् घातु को उर प्रत्यय लगाकर विदुर शब्द बनता है । जो अत्यन्त ज्ञानी, महाज्ञानी उसका नाम विदुर । फिर भिदुर यानी अत्यन्त भेदन करनेवाला, प्रखर भेदन करनेवाला । एक है विदुर, एक है भिदुर । दो शब्द हैं संस्कृत में । ऐसे दोनों को इकट्ठा करके पाणिनि ने सूत्र बनाया—"यथा विदुरभिदुरौ" । इतना महान् ज्ञानी भी विस्मित हो गया, निर्णय नहीं ले सका । आज का बच्चा भी निर्णय देगा—'स्त्री क्या कोई सम्पत्ति है, जो द्यूत में लगा सकते हैं ? बिल्कुल गलत काम ।'

तो सार यह है कि पुराने जो विचारक हो गये हैं, उनके विचारों को जैसा का तैसा सनातन धर्म के नाम पर स्वीकार कर लेने में सार नहीं है । इसमें अध्यात्म का आधार लेना चाहिए ।

अब अपने यहाँ क्या होता है ? अध्यात्म विद्या का तो अपने यहाँ स्कूलों में कोई सवाल ही नहीं । एक चीज है सेक्यूलर के नाम से । सेक्यूलरिज्म है, इसलिए रामायण सिखा नहीं सकते, बाइबिल सिखा नहीं सकते, कुरान सिखा नहीं सकते । फिर क्या सिखा सकते हैं ? इसके लिए अंग्रेजी में एक सुन्दर शब्द है—लिटरेचर के तौर पर रामायण का 'पीस' हो सकता है । ऐसा पीस-पीस लेकर कोई अध्यात्म बनेगा ? तो हमारे यहाँ जो सर्वोत्तम साहित्य है, वह सबका सब त्याज्य हो जाता है, क्योंकि यह सब सेक्यूलरिज्म में नहीं आता है । यह सेक्यूलरिज्म का गलत खयाल है । सर्वोत्तम अध्यात्म विद्या जो भारत में थी, उसका अध्ययन-अध्यापन स्कूलों में होना चाहिए और उसके साथ-साथ माडर्न साइन्स का भी अध्ययन होना चाहिए ।

छात्रों की अनुशासनहीनता

विद्यार्थियों के बारे में मैं ज्यादा कहूँगा नहीं । क्योंकि अपने यहाँ एक शास्त्र है, एक सूत्र में सारा उत्तर दे दिया है—"शिष्यापराधे गुरोर्दण्डः" । यदि शिष्य से कोई अपराध हुआ है तो गुरु को डण्डा ।

इस वास्ते विद्यार्थियों के कितने भी अपराध हो, उनके गुनाहगार शिक्षक लोग हैं। यह अपने यहाँ का न्याय है। अगर ज़ालीम ठीक रहें और विद्यार्थियों को शिक्षा में कोई 'पर्पज' (लक्ष्य) मालूम हुआ, तो निश्चय है कि वे अध्ययन अच्छा करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज की हालत तो यह है कि उनकी सारी शिक्षा 'पर्पजलेस' (लक्ष्यहीन) है। सीखकर क्या करना है, इनको मालूम नहीं। इसलिए उनके बारे में मैं अभी कुछ कहूँगा नहीं।

भाषा का प्रश्न

एक बात और कहकर मैं समाप्त करूँगा, और वह त्रिपय है भाषा का। मुझे भाषाओं के लिए अत्यन्त प्रेम है। बोशिश करके मैंने अनेक भाषाओं का अध्ययन किया। हिन्दुस्तान के दोड़यूल में १५ भाषाओं के नाम हैं। उन सब भाषाओं का अध्ययन बाबा को हुआ है। उसके बाद परशियन और अरबी। इन दोनों भाषाओं का अच्छा अध्ययन बाबा को है और अरबी भाषा का तो बाबा पण्डित ही कहा जायगा। उसने कुरान का एक सार भी निकाला है। फिर हमने चीनी और जापानी भाषाओं के अध्ययन की थोड़ी बोशिश की। जापान के एक भाई मेरी यात्रा में आये थे और महीने उन्होंने मुझे जापानी सिखायी। मेरे ध्यान में आया कि यदि नागरी लिपि भारत में चलेगी तो जापान के लोग भी नागरी लिपि स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि वे लिपि की तलाश में हैं। एक बड़ी बात मैंने पायी कि उरबी भाषा की रचना भारतीय भाषा की जैसी है, न कि यूरोपियन भाषा की जैसी। शब्द तो उनके अलग हैं, लेकिन क्या रचना है? "इन दि रूम", यह इंग्लिश रचना है। "कोठरी में", यह अपनी रचना है। यानी अपने यहाँ 'पोस्ट-पोजिशन' होते हैं, 'प्री-पोजिशन' नहीं होते। 'प्री-पोजिशन' यानी नाम के प्रथम रखना, और बाद में रखना 'पोस्ट-पोजिशन'। यही रचना जापानी में भी है। "म कोठरी" नहीं बोलेगे, "कोठरी में" बोलेगे। उस वक्त थोड़ा-सा ध्यान हमें आया। लेकिन यह हमारा ज्ञान बड़ा खतरनाक है, "लिटिल नावेज इज डेजरस थिंग" (थोड़ा ज्ञान खतरनाक होता है।) यह प्रेम के लिए पर्याप्त है, ज्ञान के लिए पर्याप्त नहीं। फिर हमने चीनी भाषा के अध्ययन की कोशिश की। उसके लिए एक चीनी भाई भी मेरे पास आये थे। डिक्शनरी भी बहुत बड़ी-बड़ी मेरे पास आयी थीं। बहुत विकट भाषा है। चुंग चांग चुंग करके एक वाक्य

हो जाता है। छोटे-छोटे शब्दों में पूरा वाक्य बन जाता है। ऐसी बड़ी सुन्दर भाषा है। इसकी एक खूबी यह है कि यह चित्र-लिपि की भाषा है। और चित्रलिपि के नाते उसमें हजार-बारह सौ 'सिम्बल' (चिह्न) हैं। ये सारे 'सिम्बल' सीखने के बाद भाषा आती है। यह लिपि ऐसी है कि उससे आप अपनी भाषा भी पढ़ सकते हैं। मान लीजिए कि बाघ का चित्र आपने सामने खड़ा कर लिया तो इंग्लिश में कहेंगे 'टाइगर, टाइगर', और हम कहेंगे 'बाघ, बाघ'। जहाँ चित्र आपने देखा, 'बाघ' भी पढ़ सकते हैं, 'टाइगर' भी पढ़ सकते हैं। चीनी भाषा में यह खूबी है। चीन में अनेक भाषाएँ हैं। लेकिन उनकी एक लिपि-चित्र-लिपि होने के नाते उस लिपि पर से चीनी लोग अपनी-अपनी भाषाएँ पढ़ लेते हैं। मैंने उसमें से मराठी पढ़ना शुरू कर दिया।

तात्पर्य यह है कि मैंने भाषाओं के लिए परिश्रम किया है और मुझे भाषाओं के विषय में बड़ा आदर है। इंग्लिश तो मैंने थोड़ी सीखी ही है, थोड़ी फ्रेंच भी सीखी है। उसके बाद मेरी पदयात्रा में एक जर्मन लड़की आयी, तो उससे जर्मन सीख ली। इंग्लिश और फ्रेंच दोनों आती हैं, इसलिए जर्मन सीखने से ज्यादा परिश्रम पड़ा नहीं। महीने भर के अन्दर जर्मन आयी। दोनों-तीनों भाषाओं की रचना समान है। उसके बाद लैटिन का भी थोड़ा अभ्यास किया। पुराना संस्कृत लैटिन के नजदीक पड़ता है। मैंने समझा कि काफी अध्ययन कर लिया, बस है। लेकिन एक दिन एक भाई आये और बोले—'अध्ययन तो आपने काफी किया, लेकिन एक नयी भाषा का अध्ययन नहीं किया। इस वास्ते आपका ज्ञान बहुत ही कमजोर है। आपको 'एस्पिरेण्टो' सीखनी चाहिए।' मैंने कहा कि शिक्षक मिल जाय तो मैं 'एस्पिरेण्टो' सीख सकता हूँ। यूगोस्लाविया ने एक शिक्षक भेजा। मैं उन दिनों पंजाब में पदयात्रा में था। वह आदमी मेरे साथ पदयात्रा में रहे और मैंने २० दिन में 'एस्पिरेण्टो' सीख ली। यह कहानी मैंने इसलिए सुनायी कि मुझे सभी भाषाओं के प्रति अत्यन्त आदर है। आज भी यदि कोई भाषा सिखानेवाला मिल जाय और जल्द पढ़े तो नयी भाषा सीख सकता हूँ। इस वास्ते भाषा के बारे में मैं जो कहूँगा उसमें किसी भाषा के बारे में कोई 'प्रीजुडिस' (पूर्वाग्रह)—अनुकूल या प्रतिकूल—मेरे दिल में होगा, ऐसा नहीं मानना चाहिए। ऐसा है नहीं।

अंग्रेजी के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बहुत लोगो को लगता है कि अंग्रेजी के बिना शिक्षा बहुत अधूरी रहेगी, क्योंकि दुनिया के लिए वह एक 'विण्डो' (खिडकी) है। मैं यह बात मानता हूँ। लेकिन मैंने ऐसे घर देखे हैं कि उन घरवालो ने एक ही दिशा में एक ही खिडकी रखी थी, तो उनको विश्वदर्शन होता नहीं था, एक तरफ का ही दर्शन होता था। वैसे अगर आप एक ही 'विण्डो' रखेंगे तो सर्वांग दर्शन होगा नहीं, एक ही अंग का दर्शन होगा। तो कम-से-कम आपको ७ 'विण्डो' रखनी होगी। इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, ये चार यूरोप की, चायनीज और जापानीज, ये दो फार ईस्ट की, और एक अरबी ईरान से लेकर सीरिया तक का जो एरिया है, उसके लिए। तो इस तरह ७ 'विण्डो' आप रखेंगे तो ठीक होगा। अन्यथा एक 'विण्डो' आपने रखी तो बहुत ही एकांगी दर्शन होगा और दुनिया का सही (सम्यक्) दर्शन होगा नहीं, गलत दर्शन होगा। हम उस भाषा के अधीन हो जायेंगे और स्वतंत्र बुद्धि से सोचने का हमें मौका मिलेगा नहीं।

यह मैं मान्य करता हूँ कि हमारे यहाँ इंग्लिश सिखाने की सहूलियत काफी अच्छी है। इस वास्ते इंग्लिश सीखनेवाले लोग ज्यादा निकलेंगे, दूसरी भाषा के कम निकलेंगे। लेकिन इन सात भाषाओं के उत्तम जानकार अपने यहाँ होने चाहिए, तभी भारत ठीक चलेगा। नहीं तो भारत के लिए खतरा है। जाने-अनजाने वह इंग्लैंड के पक्ष में, अमरीका के पक्ष में रहेगा। मुझे इसका कोई विरोध नहीं है। अगर इंग्लैंड और अमरीका का पक्ष हमारे लिए अच्छा है तो अच्छा ही है। परन्तु हम निरन्तर अंग्रेजी भाषा ही पढते रहेंगे तो उन्हीकी सारी खबरे हम पर आक्रमण करती रहेगी, और उधर रूस में, जर्मनी में, जापान में, क्या चल रहा है हमको पता चलेगा नहीं। अगर चलेगा तो अंग्रेजी भाषा के द्वारा चलेगा, यानी 'प्रीजुडिस्ड' होगा। इस वास्ते हम इसको बहुत बड़ा खतरा मानते हैं कि इतने बड़े विशाल भारत के लिए हम एक ही दरवाजा रखें। यह गलत है। एक 'विण्डो' से काम नहीं चलेगा।

दूसरी बात यह है कि शिक्षा में अगर आठ साल की शिक्षा हम बच्चों को देनी है और उस आठ साल की शिक्षा के अन्दर अगर हमने अंग्रेजी, फ्रेंच या जर्मन, ऐसी कोई 'विण्डो' रखी, तो वह बेकार है।

उसकी जरूरत है नहीं। क्योंकि वे लोग जो इंग्लिश सीखेंगे या फ्रेंच सीखेंगे, ज्यादा सीखेंगे नहीं। और ऐसे थोड़े-से ज्ञान का कोई उपयोग नहीं, क्योंकि वे तो आठ साल की परीक्षा देकर चले जायेंगे। कोई खेती में जायगा, कोई बही जायगा, अपना-अपना काम करेगा। उन सब लोगों पर वह लादना ठीक नहीं। वे कहेंगे कि आपका 'विण्डो' हमारे लिए किस काम का? हम तो खेती में रहते हैं। 'विण्डो' तो उसको चाहिए, जिसके घर में दीवालें होंगी और हमारे घर में तो दीवालें होती नहीं। ऊपर से भी फटा रहता है। इसलिए उनको 'विण्डो' के फेर में नहीं डालना चाहिए और इन भापाओ से मुक्त करना चाहिए। परिणाम यह होगा कि अपनी भाषा का वे उत्तम अध्ययन करेंगे। अभी तो अपनी भाषा का भी ठीक से ज्ञान होता नहीं। और अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान कच्चा रहता है। अगर वे मातृभाषा का अध्ययन करें तो उनके जीवन में उसका कुछ उपयोग होगा। आश्चर्य की बात है कि आज का जो शिक्षक है—आप लोग मुझे जरा क्षमा करेंगे, वह हमाल (कुली) है। ऊपर से लिखकर आता है कि आपका टाइम-टेबुल ऐसा रहेगा। यह हमाल तदनुसार सिखायेगा। क्या सिखाना है यह तो लिखकर आता ही है। बौनसा विषय कितना 'पिरिण्ड' सिखाना यह भी लिखकर आता है। उस हालत में यह होता है कि मातृभाषा का ज्ञान कच्चा रहता है। इंग्लिश का भी पक्का होता नहीं। बजाय इसके अगर मातृभाषा का अच्छा अध्ययन करे तो इसका उसके जीवन में कुछ उपयोग होगा।

और मैं एक मुझाव देना चाहता हूँ कि जो हिन्दी सीखेगा, उसे संस्कृत सिखनी चाहिए। संस्कृत यानी 'गच्छामि, गच्छति' नहीं। संस्कृत में जिसे हम शब्द-साधनिका कहते हैं, वह शब्द-साधनिका हमारी भाषा का आधार है। यह सारी शब्द-साधनिका उनको सिखानी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर एक योग शब्द से योग, उल्लेख, संयोग, वियोग, प्रतियोग आदि शब्द बने। योग्य, अयोग्य ये विशेषण बने। युक्त, अयुक्त, आयुक्त, प्रयुक्त, नियुक्त, उद्युक्त—ये भूत कृदन्त बाल के रूप बने। योगी, वियोगी, संयोगी इत्यादि रूप बने। योज्य, योजनीय, प्रयोजनीय—ये शब्द बने। एक युज् धातु पर से कम-से-कम ४०० शब्द हिन्दी में चलते हैं। ये संस्कृत माने जायेंगे। यह वाप

की 'स्टेट' है जो वेटे की ही है। उसके बिना हिन्दी का ज्ञान अत्यन्त अघूरा रहेगा और हिन्दी भाषा सर्व-विचार-प्रकाशन में समर्थ नहीं होगी। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि शब्द-साधनिका सिखायी जाय। प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहार में एक ही धातु है। 'प्र' जोड़ने से ठोकने का अर्थ होता है। मारना, 'संहार' हुआ; नाशता, जलपान करना, 'उपाहार' हुआ; शंका-निरसन, 'परिहार' हो गया। इस प्रकार एक ही 'ह' धातु से इतने शब्द बनते हैं। और ये सारे शब्द आपकी सम्पत्ति हैं। संस्कृत की यह शब्द-साधनिका हिन्दी भाषा के अध्ययन का एक भाग होना चाहिए। इसके बिना हिन्दी भाषा का अध्ययन हुआ, ऐसा मानना नहीं चाहिए।

“मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू”

अब मैं इसको संस्कृत में कहता हूँ—

“मुद मंगलमय, सत्समाज., यो जगति जंगमः तीर्यराज.”।

यानी उन्होंने संस्कृत ही लिया है। उन्होंने इतना ही किया कि लोगो को संस्कृत का उच्चारण आता नहीं था, उन्हें उच्चारण नहीं सिखाना था, रामायण सिखानी थी, रामचरित सिखाना था, तो लोगो का उच्चारण ले लिया। संस्कृत बोलने पर जनता सीखेगी भी नहीं, और उन्हें नाहक उच्चारण क्यों सिखाये? “जागवलक मुनि क्या सुहाई”—‘याज्ञवल्क्य’ कौन कहेगा? इसलिए ‘जागवलक’ कह दिया। “धरम न अरथ न काम रुचि”—‘धर्म’ नहीं, ‘अर्थ’ नहीं, “धरम न अरथ न”। “गति न चहौ निरवान”—‘निर्वाण’ नहीं, निरवान। निर्वाण नाम है मृत्यु का। जनता की भाषा में बोलने से जनता सीखेगी। लेकिन उन्हें उच्चारण नहीं सीखना पड़ेगा। जैसे बंगाली लोग कहते हैं कि हमारी भाषा में तीन स हैं—श, प, स। एक ‘श’ शिवशंकर वाला, दूसरा ‘प’ है पण्मुख वाला, और तीसरा ‘स’ है सत्पुरुष वगैरह वाला। लेकिन उच्चारण में कोई फरक नहीं। उत्तम-से-उत्तम कवि जो हो गये हैं उन्हें भाषा सिखानी थी नहीं, धर्म-विचार सिखाना था। इसलिए उन्होंने लोकभाषा में प्रयुक्त उच्चारण को ही मानकर तदनुसार लिखा है। लेकिन जो लिखा है वह ज्यादातर संस्कृत मिला हुआ ही है। रवि ठाकुर की भाषा के लिए क्या कहा जाय? “जनगणमंगलदायक”—बितना बड़ा समास हो गया। इसी तरह आप

रवि ठाकुर की भाषा में बहुत संस्कृत पायेंगे। हमारी बहुत सारी भाषाओं में इस प्रकार के शब्द पायेंगे। तो वह जो संस्कृत शब्द-साधनिका है वह हिन्दी का अंग बनाना चाहिए। यदि हिन्दी को समृद्ध बनाना हो तो एक खास सूचना मैंने आपको दी।

फिर एक प्रश्न आता है कि मातृभाषा के द्वारा शिक्षा देनी है या नहीं। यह बड़ा विलक्षण प्रश्न है। इसमें तो दो राय होनी नहीं चाहिए। दो राय कैसे बनती होगी, हमारी समझ में नहीं आता। गधे के बच्चे से अगर पूछा जाय, 'तुम्हें गधे की भाषा में ज्ञान देना चाहिए कि सिंह की भाषा में?' तो वह कहेगा कि 'सिंह की भाषा चाहे जितनी भी अच्छी हो, मुझे तो गधे की भाषा समझ में आयेगी, सिंह की नहीं।' तो यह जाहिर बात है कि मनुष्य के हृदय को ग्रहण होनेवाली जो भाषा है वह मातृभाषा है। तो उसीके द्वारा शिक्षा होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए।

अब सवाल उठता है कि कितना समय इसके लिए लिया जाय। ४ साल, ५ साल? कमोशन की रिपोर्ट है, १० साल से ज्यादा न हो, ऐसा लिखा है। उन्होंने जो निर्णय दिया है वह काफी अच्छा है। मेरी अपनी राय है कि अगर पूरा प्रयत्न किया जाय तो पांच साल में भी हो सकता है। ऐसा आग्रह नहीं है कि पांच ही साल हो। लेकिन प्रयत्न करना चाहिए। मातृभाषा के द्वारा ही पहली से आखिरी तक सारी तालीम दी जानी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए।

मैं असम गया था। वहाँ असमिया भाषा का अध्ययन किया और वहाँ के धर्मग्रन्थों को पढ़ा। वहाँ के एक ग्रन्थ का सार-रूपेण संकलन करके प्रकाशित किया। उसका नाम है—'नामघोषा सार'। वहाँ मैंने पाया कि ४०० साल पहले भट्टदेव नाम के एक लेखक हो गये। उन्होंने 'प्रोज' (गद्य) लिखा है। अक्सर यह माना जाता है कि 'प्रोज' (गद्य) भारत में 'अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी भाषा के पीछे आया। परन्तु असमिया में मैंने देखा कि गीता पर 'कामेण्टरी' (व्याख्या) लिखी है। भट्टदेव ने भागवत पर भी 'कामेण्टरी' लिखी है। एक का नाम है—'कथा गीता' और एक का नाम है—'कथा भागवत'। कथा मानी 'प्रोज' गद्य। वह सारा-का-सारा ग्रन्थ मुझे बहुत सुन्दर लगा। गीता की 'कामेण्टरी' भट्टदेव ने लिखी है ४०० साल पहले। उसी समय इंग्लैंड के केक्सटन

का प्रिंटिंग प्रेस निकला था और बाइबल छप रहा था। तो बाइबल जिस जमाने में इंग्लैण्ड में छप रहा था, उसी वक्त असमिया भाषा में प्रोजेक्ट में भगवद्गीता लिखी जा रही थी। यह मिसाल मैंने इसलिए दी कि असमिया भाषा उत्तम समर्थ है। उसमें साइन्स के शब्दों की जरूरत होगी तो धीरे धीरे साइन्स के शब्द बनाते जायेंगे। और जब तक नहीं बने तब तक इंग्लिश शब्द इस्तेमाल करेंगे। इसमें आपको दिक्कत क्या है? अगर हमें यह कहना पड़े कि आक्सीजन दो भाग और हाइड्रोजन एक भाग मिलकर पानी बनता है तो हाइड्रोजन, आक्सीजन के लिए नये शब्द बनने तक रुकने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार आरम्भ कर देंगे तो आसानी से आरम्भ हो जायगा। हमारी भाषाएँ आज तक काफी विकसित हुई हैं और आगे हो सकती हैं।

एक और मिसाल दूँगा। 'कैण्टरबरी टेल्स' इंग्लिश में १२वीं शताब्दी का ग्रन्थ है। यह मैंने पढ़ा है। पढ़ा है और उसी समय की लिखी हुई ज्ञानेश्वर महाराज की ज्ञानेश्वरी मराठी में है। ज्ञानेश्वर के पास जितने शब्द हैं, उसका चौथाई हिस्सा भी 'कैण्टरबरी टेल्स' में नहीं है। और 'ज्ञानेश्वरी' मराठी भाषा का पहला ग्रन्थ नहीं है। उसके पहले भी ग्रन्थ लिखे जाते रहे हैं। लेकिन बहुत ही प्रतिष्ठित ग्रन्थ है 'ज्ञानेश्वरी'। उसकी सगठन-शक्ति और 'कैण्टरबरी टेल्स' की सगठन शक्ति में बड़ा अन्तर है।

मेरे प्यारे भाइयो! बहुत-सी बातों का मैंने विवेचन किया। अब समाप्तम्।

पूसा रोड (दरभंगा)

७-१२ १९६७

मुझको यह परिपद बहुत गंभीर मालूम हो रही है। इसमें मुझे कुछ ईश्वरी योजना दीखती है। मैंने याद किया कि मेरी पदयाना के दरम्यान, १२-१३-१४ साल में अथवा उसके पहले, या गांधीजी के जमाने में इस प्रकार की कोई परिपद हुई थी क्या। तो, ऐसा कोई स्मरण, मुझे हुआ नहीं। जब मैं मैसूर स्टेट में यात्रा कर रहा था, तब शिक्षा के बारे में एक परिपद हुई थी। लेकिन वह अखिल भारत के शिक्षण के अधिकारियों की परिपद थी। सन् १९५७ की बात है। १० साल हो गये। सारे भारत की विभूतियाँ इकट्ठा हुई थीं और शिक्षा के विषय में मेरे साथ कुछ चर्चा हुई थी। वह प्रसंग याद है। लेकिन वह कोई विद्वत्परिपद नहीं थी, वह कार्यभार चलाने-वालों की परिपद थी। यह विद्वत्परिपद है। और जब मैं पूरे इतिहास को देखने लगा तो मेरे ध्यान में आया कि इस प्रकार की परिपदे, जिनको प्राचीन काल में 'संगीति' कहते थे, गौतम बुद्ध के बाद बिहार में, और भारत के दो-तीन और जगहों में हुई थी। और भी कई हुई होंगी, लेकिन इतिहास में उनका रेकार्ड नहीं है। जिनका रेकार्ड है, मैंने उनकी याद की। तो मुझको लगा कि यह एक विशेष प्रसंग है। और आज की इस परिपद के आयोजन के लिए वादा को जरा भी तकलीफ नहीं हुई और वादा ने इस बारे में कुछ सोचा भी नहीं था। सारा आयोजन श्री कर्पूरी ठाकुर ने किया, और मैंने उसको मान लिया। और वे सुना रहे हैं कि उसमें सरकार का एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। इसलिए यह एक विशेष परिपद ही मानी जायगी, इसमें कोई शक नहीं।

ईश्वरीय आदेश

इसलिए मुझको लगा कि इसमें एक ईश्वरी आदेश है। अगर इस काम को हम उठा लेते हैं तो शिक्षा में अहिंसक क्रान्ति हम ला सकते हैं। यहाँ बिहार के सब यूनिवर्सिटियों के मुख्य-मुख्य लोग उपस्थित हुए और उन्होंने शिक्षा के बारे में और शिक्षकों की समस्याओं और विद्यार्थियों की समस्याओं इत्यादि के बारे में सोचा, तो इसमें

मैंने अपने लिए एक ईश्वरीय संकेत, एक ईश्वरीय आदेश माना। मेरी इच्छा हुई—इच्छा क्या हुई, प्रेरणा हुई—कि इस कार्य में जितनी मदद हो सकती है, मुझको देनी चाहिए। मैंने जैसे ईश्वरीय संकेत से भूदान-ग्रामदान कार्य को उठाया है, वैसे मुझे शिक्षा में अहिंसक क्रांति का कार्य भी उठाना चाहिए, ऐसा अन्दर से आभास हुआ। इसलिए मैंने कहा कि यह बहुत गम्भीर मौका है, ऐसा मैं समझता हूँ।

स्वाध्याय प्रवचन

मैं जब सोचता हूँ, तो मेरे ध्यान में आता है कि आज जो काम मैं कर रहा हूँ, इसको मैं अत्यन्त महत्व का और बुनियादी कार्य मानता हूँ। फिर भी उसके लिए मैं जितना लायक हूँ, उससे ज्यादा आपके इस काम के लिए लायक हूँ, क्योंकि मैं निरन्तर अध्ययनशील रहा हूँ। और आज भी जब आपके सामने यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और यद्यपि कई मुलावाते हुई हैं और समय भी काफी देना पड़ा है, लेकिन अध्ययन करके ही यहाँ आया हूँ। आज तक मेरा एक भी दिन बिना अध्ययन के गया नहीं। मेरे सारे जो संस्कार हैं और जो आदेश, निर्देश, उपदेश, संदेश मुझे मिले हैं, अन्दर से और हमारे शास्त्रकारों से, इन पर जब मैं सोचने लगा तब मुझे उपनिषद् याद आया, जिसमें मनुष्य के क्या-क्या कर्तव्य हैं इसकी फेहरिस्त दी हुई है (१) सत्य च स्वाध्याय प्रवचने च—सत्य का पालन करना चाहिए, और अध्ययन-अध्यापन करना चाहिए, (२) शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च—शांति रखनी चाहिए, मन पर काबू रखना चाहिए और अध्ययन-अध्यापन करना चाहिए, (३) दमश्च स्वाध्याय-प्रवचने च—इन्द्रियो का दमन करना चाहिए, (४) अतिययश्च स्वाध्याय प्रवचने च—अतिथि की सेवा करनी चाहिए और अध्ययन-अध्यापन करना चाहिए। तो जितने कर्तव्य बताये, उन सबके साथ अध्ययन-अध्यापन का सम्पुट किया। उसको शास्त्र में सम्पुट कहते हैं। ऊपर एक, नीचे एक पृष्ठ है, अन्दर कोई चीज है। यह सम्पुट है। तो, स्वाध्याय और प्रवचन के सम्पुट में सारे कर्तव्य बताये। यानी हर एक कर्तव्य के साथ स्वाध्याय प्रवचन होना चाहिए। तब मैंने अपने लिए समझ लिया कि भूदानं च स्वाध्याय प्रवचने च—भूदानके

काम में योग देना चाहिए और स्वाध्याय प्रवचन करना चाहिए, अध्ययन-अध्यापन करना चाहिए। ग्रामदानं च स्वाध्याय प्रवचने च, शांति-सेना च स्वाध्याय प्रवचने च, और ग्रामाभिमुखं खादी-कार्यं च स्वाध्याय प्रवचने च। और ऐसा ही मैंने व्यवहार किया। जितने काम किये उन सब काम के साथ अध्ययन-अध्यापन का कर्तव्य कभी दूर हुआ नहीं। सुप्त पुरुष का अपार सस्कार हुआ। बहुत बड़ा उपकार है, उन महात्माओं का, जिन्होंने मुझे यह आदेश दिया।

फिर, स्वराज्य प्राप्ति से पहले स्वराज्य-आन्दोलन में जो आधुनिक राजनैतिक नेता लगे हुए थे और जिनसे मुझको स्फूर्ति मिली, उनकी याद की। तब मैंने पाया कि मुख्य-मुख्य राजनैतिक नेता स्वाध्यायशील थे। इन दिनों के जो राजनैतिक नेता हैं उनको अध्ययन करने के लिए समय ही नहीं मिलता। उनका नाम है 'मन्त्री'। मन्त्री यानी मनन करनेवाला। लेकिन उनको मनन के लिए ही फुरसत नहीं मिलती। ऐसी आज हालत है। लेकिन पुराने-जमाने के जो नेता थे, वे ऐसे नहीं थे। जैसे—श्री अरविन्द महान् राजनैतिक नेता, क्रांतिकारी विचार के पुरस्कर्ता, अत्यन्त अध्ययन-सम्पन्न थे। अब २५ ३० किताबें उनकी हमको मिलती हैं। वे निरन्तर ज्ञान चर्चा करते थे। लोकमान्य तिलक, दिन भर राजनीति की चर्चा, रात को सोने की तैयारी, १२ बजे वेदाध्ययन शुरू, एक घण्टा वेदाध्ययन करने के बाद ही निद्रा। जेल में गये तो वेद के सशोधन पर ग्रन्थ लिखा। एक जेल निवास में 'गीता रहस्य' लिखा। वे राजनैतिक नेता थे, लेकिन उनका हृदय स्वाध्याय प्रवचन में था। वाग्नेस का जिन्होंने आरम्भ किया, वे थी रानडे, आधुनिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, प्राचीन सन्तों की वाणी इत्यादि का वे निरन्तर अध्ययन करते थे। डा० एनी बेसेण्ट ने होमरूल का इतना जोरदार आन्दोलन चलाया कि अंग्रेजी सत्तनत डिगने लगी। परन्तु वे अत्यन्त अध्ययन-सम्पन्न थीं। उनके बीसों ग्रन्थ आपको अध्यात्म विद्या पर मिलेंगे। अबुल कलाम आजाद अनेक विद्याओं के वेत्ता थे। जितने राजनैतिक क्षेत्र में मजे हुए थे उससे कुछ ज्यादा ही विद्या के क्षेत्र में मजे हुए थे। मैंने ये चार-पाँच मिसालें आपके सामने रखीं। उस समय के जो राजनैतिक नेता थे, वे ठोस थे, पोल नहीं थे। डोल

होती है पोल, और आवाज होती है जोरदार । ठोस चीज की आवाज कम होती है, पर परिणाम ज्यादा होना है । ऐसे नेता उस समय थे । यह तो राजनैतिक नेताओं की बात की । जो राजनैतिक नेता नहीं थे, जिनका जीवन विद्याप्रधान था, जैसे डा० भगवानदास, भाण्डारकर, रवीन्द्रनाथ ठाकुर आदि की तो बात ही नहीं करता । केवल राजनैतिक नेताओं की तरफ देखता हूँ तो वे भी अध्ययनशील थे । और उन सबके सस्कार मेरे चित्त पर हुए हैं । तो मुझे लगा कि आप लोगों को इस काम में मदद दूँ, ताकि बिहार में शिक्षा में अहिंसक क्रांति हो । इसके माने क्या होते हैं, क्या करना होगा ? इस पर सोचना होगा, चर्चा करनी होगी । लेकिन मैंने आपके सामने, अपने हृदय में जो स्फूर्ति हुई वह रखी । इसके आगे आप मुझसे व्यक्तिगत तौर पर मिल सकते हैं, समूहरूपेण मिल सकते हैं । एक सुन्दर योग आया है कि सब इकट्ठा हुए हैं । यह विद्वत्परिपद है, शिक्षामंत्री भी शिक्षा में अहिंसक क्रांति की अपेक्षा रखनेवाले हैं और वामा धापकी सेवा में उपस्थित है । तो इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए ।

शिक्षा का काम पहले क्यों नहीं उठाया ?

मैंने अभी कहा कि मैं इस काम के लिए ज्यादा लायक हूँ । तो फिर आप पूछेंगे कि अगर आप अपने को इस काम के लिए ज्यादा लायक समझते हैं, तो आपने यह काम अभी तक क्यों नहीं उठाया ? और यह भूदान-ग्रामदान का काम क्यों उठाया ? तो अभी तक यह क्यों नहीं उठाया, इसका मैं उत्तर देना चाहता हूँ । एक उत्तर यह है कि इस काम में विद्वानों का सहयोग मुझे मिलेगा, ऐसा मुझे भरोसा नहीं था । दो विद्वान् एक जगह आ जायें और उनमें मतैक्य हो जाय तो समझना चाहिए कि बहुत बड़ी घटना हो गयी । 'नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम् ।' जिसका वचन प्रमाण माना जाय, सो एक मुनि नहीं, मुनि अनेक हैं ।

• 'बहु मत मुनि, बहु पथ पुराननि जहाँ तहाँ ऋगरो सो ।'

तुलसीदासजी कहते हैं कि हमने खूब देखे, अनेक मुनि देखे, बहुत पथ देखे, अनेक पुराण देखे, जहाँ तहाँ हमने ऋगडा देखा । विद्वानो के विचारो मे मेल नहीं होता । तुलसीदास को गुरु ने आदेश दिया कि भगवान् की भक्ति करो यह मुझे राजमार्ग मालूम होता है— 'मोहि लगत राज डगरो सो' । समाप्तम् । पण्डितो के पीछे मत चलो, क्योंकि 'जहाँ-तहाँ ऋगरो सो' । 'गुरु कह्यो राम भजन नीको'—गुरु ने मुझ्मे कहा कि तू इस ऋगट में मत पड, इसमे तेरी कोई दाल गलेगी नहीं, तेरा अपना 'गम भजन नीको कर । सो तुलसीदास ने कहा कि मैं तो राजमार्ग पर चलता हूँ । इस कृति पर पंडित लोग हंसेंगे । यह जो मैं रामायण लिख रहा हूँ इसे देखकर पंडित हंसेंगे । तुलसीदासजी तो बड़े विनयशील हैं । तो कहते ह कि मैं मान लूंगा कि मैंने उन्हें हास्यरस की सामग्री प्रदान की । 'तिन्ह कहै सुखद हास रस एहू ।' साहित्य में नवरस होना है—वीर रस, शृ गार रस, हास्य रस आदि । तो अगर मैंने पंडितो को हास्य रस प्रदान किया तो भी मैं समझूंगा कि मैं कारगर हो गया, मेरा साहित्य सफल हुआ, ऐसा मैं मान सकता हूँ । यह कहकर तुलसीदासजी ने विनो द किया है । त जहाँ तुलसीदास को यह डर लगा कि मेरी चलेगी नहीं, तो बाबा की क्या हैसियत ? तो बाबा ने सोचा कि इसमे अपनी दाल गलेगी नहीं । इस वास्ते यद्यपि मैं इस काम के लिए ज्यादा लायक हूँ, फिर भी मैंने आज तक इसको लिया नहीं । शिक्षा का यह काम क्यों नहीं उठाया, इसका एक कारण हुआ ।

करुणा कार्य

दूसरा कारण यह है कि बाबा के हृदय मे करुणा काम कर रही है । शकराचार्य इतने बड़े गुरु हो गये, उनसे बढकर शायद ही कोई तत्त्वज्ञानी हुआ हो । परन्तु उन्होने भगवान् से प्रार्थना की—'भूतदया विस्तारय ।' 'अविनय मपनय विष्णो'—हे विष्णु, अविनय दूर कर

और भूतदया का विस्तार कर । शंकराचार्य इतने ज्ञाननिष्ठ थे । वे कहते हैं कि भूतदया मनुष्य का प्रधान कर्तव्य है और उसका विस्तार करना चाहिए । और उन्होंने एक जगह यह कहा कि अनेक विद्वान और पंडित ऐसे होते हैं, जिनके मुँह से शब्द भरते हैं भर भर भर भर, 'वाग्देसरी शब्दभरी' 'शास्त्रव्याख्यान कौशलम्'—शास्त्रों पर व्याख्यान देने में अत्यन्त कुशल, महाविद्वान् होते हैं । ऐसे विद्वानों का वैदुष्य, उनकी विद्वत्ता क्या काम आती है ? आचार्य लिखते हैं—'मुक्तये, न तु मुक्तये' । उनकी विद्या मुक्ति के काम में आती है, मुक्ति के काम में नहीं । वह तनखाह पाने की विद्या है, जो मुक्ति के काम में नहीं आती । यह आचार्य का कथन है । इस वास्ते करुणा की अत्यन्त जरूरत है । गुरु मूर्ति शंकराचार्य कठोर माने गये, परन्तु उनके शिष्य उनका वर्णन कर रहे हैं—'श्रुति स्मृति पुराणानामालयं'—आचार्य शंकर श्रुति, स्मृति, पुराणों के घर हैं, विद्या के आलय हैं । साथ ही 'करुणालयम्'—करुणा के आलय हैं । अगर वह करुणा शंकराचार्य में न होती, तो १६ साल भारत भर में जो लगातार उन्होंने यात्रा की, जगह-जगह जाकर लोकप्रचार किया, वह करने का कोई प्रयोजन नहीं था, और वह हो ही नहीं सकता था । गौतम बुद्ध कौन थे ? अनेक विद्या पारंगत राजपुत्र थे । राजा ने उन्हें तरह-तरह की विद्याएँ सिखा रखी थी । लेकिन वे घर से किस विद्या का नाम लेकर निकल पड़े ? वे करुणा का नाम लेकर ही निकले । 'कारुण्यवतारः' । इस वास्ते भारत पर उनका असर पड़ा, विचार में प्राप्ति हुई, उस जमाने से आज तक, सारे भारत पर उनका असर है । आज तो उनके विचारों की अत्यन्त आवश्यकता मासूम पड़ती है । वे करुणालय थे । यह मैंने आपके सामने रखा कि वे जो विद्या के आलय थे, महा-विद्वान् और ज्ञानी थे, उन्होंने केवल विद्या को महत्त्व दिया नहीं, करुणा के साथ ही विद्या को महत्त्व दिया ।

पंचवर्षीय योजनाओं की विफलता

बाबा के पास कोई खास विद्या नहीं है । विद्या उसके पास जरूर

है, इस माने में कि दूसरे लोगों के पास खास विद्या नहीं है, इस तुलना में 'एरण्डोपि द्रुमायते' होता ही है। इस माने में तो बाबा विद्वान् है ही। चूंकि लोगों के पास अविद्या है, इसलिए बाबा विद्वान् माना जाता है। इस हालत में बाबा कृष्णा का कार्य छोड़कर विद्वानों के पीछे जायेगा तो विद्वान् ध्यान देगे नहीं। बाबा भारत भर पैदल घूमा, कितनी हीन-दीन दशा भारत की है वह अपनी आंखों से देखा, बहुत दुःख देखा। खाने को अन्न नहीं, ओढ़ने को वस्त्र नहीं, घर पर छप्पर नहीं, बच्चों को दूध नहीं, जिस जमीन पर भोपड़ी बनी है वह जमीन भी उसकी नहीं, दवा का प्रबन्ध नहीं, तालीम का सवाल ही नहीं। ऐसी दशा है भारत की। तो उसमें सुधार करने के लिए पंचवर्षीय योजनाएँ बनायीं। परन्तु सुधार हुआ नहीं।

पंचवर्षीय योजना के सिलसिले में योजनावालों से बात करने का मुझे मौका मिला है। बाबा की यात्रा में अनेक पार्टियों के लोगों के साथ बात करने का मौका मिलता है। कांग्रेस, जन-कांग्रेस, स्वतंत्र, एस० एस० पी०, पी० एस० पी०, राइट-लेफ्ट कम्युनिस्ट और भी अनेक पार्टियाँ हैं; एक जे० पी० भी है, हर पार्टी में बाबा के मित्र हैं। मैंने योजनावालों से पूछा कि जो सबसे गरीब हैं, योजना में उनके लिए खास क्या प्रबन्ध है? योजना से सारे देश का जीवनमान कुछ बढ़ेगा, यह ठीक है, लेकिन गरीब के जीवनमान में क्या फर्क होगा? उन्होंने समझाया कि सबका स्तर बढ़ेगा तो नीचेवालों का भी स्तर कुछ बढ़ेगा। मैंने इसको थियरी आफ परकोलिशन नाम दिया। ऊपर बहुत वारिदा होगी तो जमीन के अन्दर भी कुछ पानी जायेगा। लेकिन कुछ जमीन के अन्दर चट्टान होनी है तो वहाँ नीचे एक बूँद भी पानी नहीं जाता। भारत में जातिभेद, आर्थिक विषमता आदि अनेक चट्टानें हैं। और भारत की औसत आय बढ़ने पर भी गरीब को कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि उसका जो लाभ है वह ऊपरवालों को मिल जायगा और नीचेवाले उससे वंचित रह जायेंगे। कई दफे उनके सामने मैंने यह बात रखी। लेकिन उनको यह हृदय ही कि अपने

देश को जल्द-से-जल्द दुनिया के प्रगतिशील देशों की कतार में लाकर रखना चाहिए। इसलिए नासिक के प्रिंटिंग प्रेस में नोट छापकर योजनाएं बनायीं, बड़ी बड़ी योजनाएं बनीं। दीर्घकालीन लाभ मिले, ऐसी योजनाएं बनीं। तुरत के लिए कुछ खास नहीं हुआ। हमने उनसे पूछा कि आप मिनिमम कब देंगे ? तो वे कहते हैं कि सन् १९८५ में नीचे के तबके के लोगों को मिनिमम (न्यूनतम) मिलेगा। मैं ऑप्टिमम (अधिकतम) की बात नहीं, मिनिमम की बात कहता हूँ। शरीर, और प्राण के पोषण के लिए कम से कम इतना तो देना ही चाहिए। वह आप कब देंगे ? वादे करते चले गये और कहते हैं कि १९८५ में देंगे। तो मैंने उन्हें तुकाराम का एक वचन सुना दिया। महाराष्ट्र में तुकाराम महाराज एक बड़े सन्त पुरुष हो गये हैं। उनका एक वचन है। एक मनुष्य नदी में डूब रहा है और दूसरा कहता है कि हाँ तेरे उद्धार की योजना परसों तक हो जायगी। तुकाराम पूछते हैं कि 'उद्धारासी काय उधारीचे काम'—अरे, उद्धार में उधार कैसे चलेगा ? आपको और कोई मदद देनी है, या जीवन की कोई सहूलियत प्राप्त करानी है, तो आज नहीं होगी, फल होगी, परसों होगी कहे तो कुछ समझ में आता है। लेकिन जो डूब रहा है, उससे कहें कि परसों तेरा उद्धार होनेवाला है, तो वह कहेगा कि 'खूब है'। उद्धार में उधार नहीं चल सकता। सन् १९८५ में क्या होगा, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। देश की हालत क्या से क्या होगी। इसलिए बाबा के दिल में बड़ा दर्द है।

भारत की जनता ने बहुत सहन किया। इस काम (गांव के काम) की योग्यता बाबा में कम है, न शरीर में शक्ति है, न किसानों के साथ कुदाल लेकर काम ही कर सकता है—कुछ कोशिश की भी है, लेकिन कर नहीं सकता—तो इस हालत में किसानों में जाकर उनको प्रेरणा देना और उनके द्वारा काम कराना, इस काम में बाबा की योग्यता कम है। योग्यता कम होते हुए भी आवश्यकता ज्यादा है यों समझकर बाबा ने अपना समय उस काम में दिया।

और आज भी उस काम की प्राथमिकता बाबा छोड़ नहीं सकता । लेकिन यह ईश्वरी दृश्य बाबा के सामने दीख रहा है, उससे बाबा को प्रेरणा मिल रही है कि कम से-कम विहार में शिक्षा में ग्रहिसक क्रांति का काम हम सब मिल कर कर । इसमें जितनी मदद में दे सकता है, देने को प्रस्तुत है ।

मेरी शर्तें

अब मेरी कुछ शर्तें हैं । एक शर्त तो यह है कि मैं ५० साल काम कर चुका हूँ । वैसे तो आदमी मरने तक काम कर ही सकता है । कोई खास बात नहीं । लेकिन बाबा का विचार उसके लिए अनुकूल नहीं । बाबा का विचार है कि अन्तिम काल में आत्मचिंतन में ही समय जाना चाहिए और सूक्ष्म में प्रवेश करना चाहिए । इसलिए बाबा ने सूक्ष्म में प्रवेश किया है । फिर भी बाबा कह रहा है कि आपको मदद देने के लिए प्रस्तुत है, तो उसका अर्थ यह होता है कि बाबा की तरफ से आक्रमण होगा नहीं, आपकी तरफ से होना चाहिए, बाबा उसको आक्रमण मानेगा नहीं । आक्रमण नहीं मानेगा यानी बाबा एक 'रेफरेन्स बुक (सदभूत पुस्तक)' जैसा रहेगा । आपकी जब जरूरत होगी तब खोल लीजिए । जो रेफरेन्स आप चाहते हैं वह आपको उस पुस्तक में मिलेगा । परन्तु आप अगर खुद-ब-खुद पुस्तक का उपयोग न करेंगे तो पुस्तक स्वयं आकर आपको कुछ कहनेवाली नहीं है । तो एक रेफरेन्स बुक के तौर पर बाबा का उपयोग आप कर सकते हैं और अगर सरकार को सद्बुद्धि हुई तो आपकी सरकार भी कर सकती है ।

इस सरकार के बत्तीस दात हैं और बत्तीस वचन हैं । ऐसे तो वचन तैंतीस हैं, लेकिन उसमें एक वचन जरा ढीला हुआ है । उसको छोड़ दें तो भी बत्तीस वचन इनको पालन करने हैं । स्थिति बड़ी कठिन है । बाबा के शरीर के जैसी इन बेचारों की स्थिति है । अनेक विरोधी तत्त्व इकट्ठे हैं । बाबा के शरीर की स्थिति क्या

है? बाबा अगर खायेगा तो गले को मंजूर नहीं, खांसी शुरू हो जायगी। बाबा दूध पीयेगा तो गले को कबूल है, पेट को नाकबूल है, गैस होता है। बाबा भाजी खायेगा तो पेट शिकायत करेगा, मलद्वार के लिए अच्छा रहेगा। बाबा स्टाची फूड लेगा तो पेट खुश रहेगा, लेकिन मलद्वार नाराज होगा। अब क्या किया जाय? गला विरुद्ध पेट, पेट विरुद्ध मलद्वार; और ये सारे परस्पर-विरोधी हैं, ऐसी स्थिति इनकी भी है। आपने देखा कि इन सब ग्रंथों की अलग अलग स्थिति होते हुए भी बाबा कुशलता से इनसे काम ले लेता है। ऐसे ही अब मैं उम्मीद करूँ कि ये (मंत्री लोग) भी जरा आपस में प्रेम बनाये। “रामहि केवल प्रेम पियारा, जानि लेहु जो जाननिहारा” थोड़ा प्रेम करो जनता पर। इसमें कोई एक मिनिस्टर दूसरे मिनिस्टर को गले लगाये, इसकी आवश्यकता नहीं है। सब मिलकर जनता पर प्रेम करे। मेरी समझ में नहीं आता कि आज भारत पर और कौनसी मुसीबत की जरूरत है और बिहार के लिए और कौनसी मुसीबत चाहिए? जो आज भोजपुर दीखती है उससे अधिक आपत्तियों की जरूरत है क्या? ऐसी हालत में जरा मिलजुलकर काम करे। कम-से-कम शिक्षा के क्षेत्र में आप सब लोगो का सहयोग होगा तो हो सकता है कि बाबा अपने सूदम प्रवेश के बावजूद एक ‘रेफरेन्स बुक’ के तौर पर आपकी सेवा में उपस्थित रहे। आक्रमण आपको करना होगा, यह शर्त है।

और दूसरी मेरी शर्त यह है कि आप अगर केवल विद्या की बात करोगे तो बाबा आपसे कहेगा कि कठिना के बिना विद्या का उपयोग नहीं। इसलिए बाबा जो कठिना-कार्य कर रहा है, उसमें आपका पूरा सहयोग मिलना चाहिए। जगह-जगह शिक्षक हैं। मेरा खयाल है गांव-गांव में शिक्षक हैं। सारे बिहार में दो गांव के बीच एक स्कूल होगा ही, तो शिक्षक सब जगह हैं। अगर वे ग्रामसभा बनाने में, ग्रामवासियों को मार्गदर्शन करने में, उनको विचार समझाने में, प्रेम की बात ठीक वैसे भ्रमल में लाना, इसका मार्ग दिखाने

में नेतृत्व करेंगे, तो शिक्षकों द्वारा बहुत बड़ा काम होगा। अगर देखा जाय कि भारत को विसने बनाया है, तो मालूम होगा कि आचार्यों ने बनाया है। हमसे कहा गया कि माडर्न जर्मनी शिक्षकों ने बनाया। वहाँ अनेक तत्त्वज्ञानी निकले, अनेक शिक्षक निकले, और शिक्षको ने जर्मनी बनाया। माडर्न जर्मनी को शिक्षका ने बनाया, यह बात जितनी सत्य है, उससे कम सत्य यह नहीं है कि भारत को आचार्यों ने बनाया। भारत का जितना धर्म विचार है, अर्थ विचार है, समाज विचार है, वह सब-का सब अनेक आचार्यों के विचारों के कारण बना हुआ है। ऐसा सारा भारत का इतिहास है। इस वास्ते आप अगर ग्रामदान के आन्दोलन को अपना आन्दोलन समझकर, अपने विद्यार्थियों के साथ, थोड़ा-सा समय अपनी छुट्टी में से दें, तो बहुत ही ऊँचा काम बिहार में हो सकेगा और आपके हृदय में सन्तोष भी होगा। दुनिया में प्राप्त करने की सबसे बड़कर कोई चीज है तो वह है आत्म-सन्तोष। अन्तरात्मा में सन्तोष होना चाहिए। जब मरने का दिन होगा और मैं परमात्मा के पास जाऊँगा, उस दिन मुझे आनन्द महसूस होना चाहिए कि मैंने कुछ किया है। अगर भगवान् ने शरीर दिया है तो दुखियों की सेवा के लिए दिया है। और अब मैं भगवान् के दरबार में प्रस्तुत हो रहा हूँ, तो उसकी गोद में मुझे उत्तम स्थान मिलेगा, ऐसा अन्तरात्मा में विश्वास होना चाहिए। यह जो आत्म-सन्तोष है यह है जीवन में प्राप्त करने की चीज, ऐसा वाचा मानता है। इस वास्ते वाचा के इस काम में आपका पूरा सहयोग चाहिए। अब बात हो रही है बिहारदान की। उसमें शिक्षको की जमात कूद पड़े। यह कार्य पण्यमुक्त है। इस वास्ते उसमें आप योग दे सकते हैं। आपको छुट्टियाँ भी ज्यादा मिलनी हैं। ३६५ दिन बनाये भगवान् ने। मेरा खयाल है यूनिवर्सिटीवालों ने १८० दिन बनाये। और भगवान् ने दिन के २४ घण्टे बनाये, इन्होंने उसके ३ घण्टे बनाये। इस वास्ते समय तो आपके पास है, ऐसा मैं मानता हूँ। उसमें से कुछ

समय अध्ययन में जाना चाहिए, यह भी मानता हूँ। लेकिन बाबा ने तो पदयात्रा में भी अध्ययन किया। बहुत सारा अध्ययन तो पदयात्रा में ही हुआ। बाबा ने पदयात्रा में अनेक ग्रन्थ भी लिखे और यह काम बाबा के कारखाने का 'वाइ प्राडक्ट' माना जाता है। कुछ कारखाने ऐसे होते हैं कि उनके 'वाइ प्राडक्ट' कम महत्व के नहीं होते, बल्कि उसके कारण कारखाना नुकसान में नहीं आता। 'वाइ प्राडक्ट' न बने तो कारखाने में नुकसान भी हो सकता है। ऐसे वे 'वाइ प्राडक्ट' होते हैं। बाबा ने इस १२-१३ साल के अन्दर जो कई ग्रन्थ प्रकाशित किये, वे आगे की पीढ़ी के काम में आर्यंगे। और मैं मानता हूँ कि वे पीढ़ियाँ कहेगी कि बाबा के कारखाने के ये 'वाइ-प्राडक्ट' बहुत काम के हैं। मैं कहना यह चाहता था कि आपको अध्ययन में कुछ समय देना ही चाहिए। परन्तु ग्रामदान का काम भी आपको उठाना चाहिए।

पिछली बार भी ग्रामदान में शिक्षकों के काम करने की बात आयी तो ऐसे विचित्र निकले थे सरकारपरायण कि अपने अधिकारियों से पूछा कि क्या हम शिक्षक लोग ग्रामदान के काम में अपना समय दे सकते हैं? ऐसा उन्होंने अपने परमेश्वर का आदेश माँगा। शिक्षामंत्री की तरफ से लिखित उत्तर आया कि आपकी फुरसत का जो समय है, उसमें आप जरूर ग्रामदान के काम में भाग ले सकते हैं, इसमें सरकार को कोई उज्र नहीं। मेरा खयाल है कि यहाँ कोई लिखित आर्डर की जरूरत नहीं। अगर आप ग्रामदान में अपनी फुरसत का समय देंगे तो आप उसके अधिकारी हैं। वह आपको देना चाहिए। यह दूसरी बात मैंने आपके सामने रखी। एक तो मेरी तटस्थता का उपयोग करना और दो, वरुणा-कार्य में अपने विद्यार्थियों के साथ अपना कुछ समय जरूर देना। इससे बिजली का संचार होगा।

तीसरी बात जो मैंने बल बही थी, उसको फिर से दोहराऊँगा कि आपको अपने को पालिटिक्स से ऊँचा रगना चाहिए। मैंने यह नहीं कहा कि आपको इसका अध्ययन नहीं करना चाहिए। पालिटिक्स का आपका अध्ययन होना चाहिए, वह भी अध्ययन का एक विषय है।

लेकिन आपकी मुख्य चिन्ता होनी चाहिए "जय जगत्" । सारी दुनिया का मला बरने का एक पालिटिक्स है, उसमें आपको पडना चाहिए, उसका चिन्तन, मनन करना चाहिए । परन्तु यह जो पावर पालिटिक्स (सत्ता की राजनीति) है, अथवा पार्टी-पालिटिक्स (दलगत राजनीति) है, उससे आपको अपने को मुक्त रखना चाहिए । उससे ऊपर अपने को रखना चाहिए, तब आपका गौरव है । इस छोटे पालिटिक्स में पडने से आपका गौरव है नहीं, बल्कि हानि है । यदि वैसा आप बरेगे तो चन्द दिनों में ही आप देखेंगे कि आपकी एक ताकत बन रही है । नहीं तो आज शिक्षक की हैसियत एक नौकर की हैसियत है ।

गुरु की हैसियत

प्राचीन काल का एक वचन है कि अत्यन्त आप्ततम कौन है, जिसकी सलाह मौके पर लेनी चाहिए, तो उत्तर मिला कि गुरु की सलाह लेनी चाहिए । सप्ताह-कार्य में कभी मुश्किल प्रश्न आया, कोई समस्या आयी, तो सलाह किससे माँगनी चाहिए ? तो शाखकारो ने कहा कि तटस्थ गुरुओं से सलाह माँगनी चाहिए । आज आप लोगों की स्थिति क्या है ? हर साल आप के हाथ से कम-से-कम २५-३० विद्यार्थी जाते होंगे तो २५-३० साल में हजारों विद्यार्थी आपके हाथ से निकले होंगे । इसमें कोई शक नहीं कि आपने उनको तालीम दी, शिक्षा दी । उन हजार विद्यार्थियों में से कितने विद्यार्थी आपके पास अपने जीवन की मुसीबत लेकर आये और आपकी सलाह ली ? वे माता की सलाह ले सकते हैं, पिता की सलाह ले सकते हैं, भाई की सलाह ले सकते हैं, पत्नी और पति की ले सकते हैं, मित्रों की ले सकते हैं, लेकिन शिक्षकों की कभी नहीं लेगे । यह क्या चीज है ? यानी जिसकी सलाह सबसे श्रेष्ठ सलाह मानी जानी चाहिए, उनकी सलाह तो कोई लेता नहीं, क्योंकि उनकी हैसियत शिक्षक की नहीं, एक नौकर की है । अगर आप पालिटिक्स से ऊपर जायेंगे और वर्ल्ड-पालिटिक्स की ओर ध्यान देंगे, तो आपकी हैसियत

ऊंची होगी। इसका परिणाम यह होगा कि लोग मौके पर आपकी सलाह लेने के लिए दौड़े आयेंगे। मीराबाई की कहानी है। यह ऐतिहासिक दृष्टि से कहां तक सही है, मैं नहीं कह सकता—जो कहानी है सो कहता हूँ। मीराबाई के जीवन में एक कठिन सवाल आया तो उन्हें सोचना पड़ा कि सलाह किसकी ली जाय। तो वह तुलसीदास के पास गयी। और लिखा कि मेरे सामने बड़ी दुविधा है। मेरे पिताजी मुझे यों कहते हैं, फलाने यों कहते हैं, पतिजी यों कहते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? तुलसीदासजी उनसे कहते हैं : “तज्यो पिता प्रह्लाद विभीषण बन्धु भरत महतारी।” भरत ने अपनी माँ का त्याग किया, प्रह्लाद ने पिता का त्याग किया, विभीषण ने भाई का त्याग किया। ‘जा के प्रिय न राम वैदेही, सो छाड़िये कोटि बैरी सम जद्यपि परम सनेही।’ जो रामजी के खिलाफ जाता होगा वह अत्यन्त मित्र होगा, प्राप्त होगा, तो भी कोटि बैरी रामभक्त-कर उसका त्याग करना—जा के प्रिय न राम वैदेही। और आखिर में नभ्रता से लिखते हैं कि—‘एतो मतो हमारो।’ यह तो हमारा मत है, फिर जैसा आपको सूझेगा, कीजियेगा। तो मीराबाई को इच्छा हुई तुलसीदास की सलाह लेने की। गुरु की वह हैसियत होनी चाहिए। गुरु की यह हैसियत है कि जहाँ जीवन में कोई समस्या खड़ी हो, उनके हजार-हजार शिष्य होंगे, वे अपने गुरु के पास जायेंगे और अपनी समस्या के बारे में सलाह माँगेंगे। यह जो हैसियत है, वह आप खो चुके हैं, भारत में आपकी वह हैसियत खत्म है। लेकिन यदि आप इस पालिटिक्स से ऊपर अपने को रखते हैं तो फिर वह आपको प्राप्त हो सकती है।

पूसा रोड (दरभंगा)

८-१२-१९६७

शिक्षा में अहिंसक क्रान्ति की योजना : ३ :

मुझे कहने को कम ही है। जो कुछ है, योजना करने को है। कहने को जो था, वह बहुत सारा मैं पूसा रोड में कह ही चुका हूँ। सारे विहार के विश्वविद्यालयों के प्राचार्य वहाँ इकट्ठा हुए थे। उस सभा में सागोपाग विचार हुआ था।

गांधीजी के जाने के बाद से, यानी २० साल से बाबा सतत घूम रहा है। १३-१४ साल पदयात्रा में होते। रोज के तीन व्याख्यान हुए—सुबह, शाम और बीच में। १३ हजार व्याख्यान बाबा ने दिये। मेरा खयाल है कि यह एक रेकार्ड ही हुआ। इससे ज्यादा व्याख्यानों की अपेक्षा बाबा से नहीं कर सकते। लोगों का काम है कि वे विचारों को सब जगह पहुँचायें। लेकिन विचार पहुँचाने के बारे में हम लोग अत्यन्त झालसी हैं, ऐसा मैंने भारतवर्ष में देखा और खास कर विहार में देखा। इसकी व्यवस्थित योजना होनी चाहिए।

यहाँ आप जो सुनेंगे, उसकी अपने अपने स्थानों में जाकर चर्चा करें और काम का कुछ अमली रूप बने, ऐसा होना चाहिए। वैसे तो शिक्षक भी व्याख्यान देते ही हैं। मैंने कहा कि मैंने १३ हजार व्याख्यान दिये हैं, तो शिक्षक भी कह सकते हैं कि हमने भी १३ हजार व्याख्यान दिये हैं। मेरा खयाल है कि व्याख्यान की संख्या में वे बाबा का बराबरी कर सकते हैं। वे व्याख्यान देने के तो आदी हैं ही। लेकिन उतने से काम बनता नहीं है। एक बात शिक्षकों के सम्झने की है कि उनका काम क्या है।

सरकार दो परस्पर विरोधी विभाग रखती है। एक है पुलिस विभाग, और दूसरा है शिक्षा विभाग। ये दोनों एक-दूसरे के विरुद्ध

हैं। देश में अनेक परस्पर विरोधी ताकतें काम करती हैं, तो परस्पर-विरोधी विभाग भी सरकार को रखना पड़ता है।

अशान्ति का शमन

पिछले दिनों कई जगह पुलिस यूनिवर्सिटी-कैम्पस में घुस गयी थी। अशान्ति हुई थी। उसके दमन के लिए पुलिस गयी। वह भी एक शिकायत (ग्रीव्यान्स) हो गयी कि यूनिवर्सिटी-कैम्पस में पुलिस का प्रवेश क्यों होना चाहिए। अक्सर नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि यूनिवर्सिटी के लोगो ने अपना कैम्पस इतना छोटा क्यों माना। यह सारा भारत यूनिवर्सिटी-कैम्पस है, और इसके अन्दर पुलिस काम करती है, यह बिलकुल लाइन है, शिक्षको और आचार्यों के लिए लाइन है। आचार्य सब विचार समझते हैं। लोगो का विचार-परिवर्तन करते हैं, हृदय-परिवर्तन करते हैं और जीवन-परिवर्तन की दिशा दिखाते हैं। इस प्रकार परिवर्तन करनेवाली यह जमात पुलिस की आवश्यकता भारत में रहने दे, यह लाइन है। भारत का नागरिक शांति से चले, अपने हक और अपने कर्तव्यों के प्रति वह जागरूक रहे, जो कुछ भी करे ठीक ढंग से, समझ-बूझकर करे तो पुलिस की जरूरत रहेगी नहीं। ऐसा हो तो, हम पुलिस डिपार्टमेंट को हटा देंगे। अगर आप सफल होंगे तो हमको बहुत खुशी होगी, ऐसा सरकार कहेगी। लेकिन जहाँ सफल नहीं हैं वहाँ हमें कुछ काम करना पड़ता है और शान्ति रखनी पड़ती है। अगर अशान्ति का शमन आप नहीं कर पाते तो अशान्ति के दमन का प्रबन्ध हमको रखना पड़ता है। एक है अशान्ति-शमन-विभाग, दूसरा है अशान्ति-दमन-विभाग। शिक्षा विभाग—जिसको हम कहते हैं, शिक्षको, प्रोफेसरों, आचार्यों का विभाग—वह है अशान्ति-शमन विभाग, और पुलिस विभाग जो सरकार रखती है, वह है अशान्ति-दमन-विभाग। अगर शमन होता है तो दमन की जरूरत नहीं रहती है।

कुछ लोगों को दुःख हुआ कि पुलिस का प्रवेश यूनिवर्सिटी-कैम्पस में हुआ। मुझे भी दुःख हुआ। दुःख के लायक ही बात थी। लेकिन हमको तो सारा देश ही अपना कैम्पस बनाना है। (१) आचार्यों का असर सारे भारत में पड़ना चाहिए। (२) पार्लियामेंट वगैरह जो भी होंगे, उन पर आचार्यों का असर होना चाहिए। और पुलिस को बतई आवश्यकता नहीं रहे, यह हमारा आगे का कार्यक्रम होना चाहिए। उस सिलसिले में हमको सोचना चाहिए, वजाय इसके कि यूनिवर्सिटी-कैम्पस के अन्दर-अन्दर घटनेवाली छोटी-छोटी घटनाओं के बारे में सोचा करें। वह भी सोचे, व्यापक तौर पर, जहाँ-जहाँ जो-जो घटनाएँ होनी हैं, उन पर सोचना पड़ता है। परन्तु हम सब मिलकर, इकट्ठा होकर व्यापक योजना करे।

बाबा ने यूनिवर्सिटी को मदद देना मान्य किया है कि आप मेरे पास आइए, बातचीत कीजिए, योजना बनाइए। आपको एक कार्यक्रम बनाना चाहिए कि भारत में दमन की जरूरत न पड़े, सिर्फ शमन से काम हो। अगर शिक्षक अपनी प्रतिष्ठा महसूस करे, अपनी महिमा महसूस करें, तो प्राचीन काल के आचार्यों का आशीर्वाद मिलेगा। भारत में जो प्राचीन काल से महान् आचार्य आज तक हो गये हैं उनकी बहुत बड़ी परम्परा यहाँ चली है, जितनी बड़ी परम्परा ग्रीस में भी नहीं चली होगी, वह यहाँ चली।

आचार्य की महिमा : आचार्य की स्वतंत्र हस्ती

रवीन्द्रनाथ ने बड़े अभिमान से कहा, वैसे रवीन्द्रनाथ अभिमानो नहीं थे, एक छोटे अर्थ में नेशनलिज्म को माननेवाले नहीं थे, विश्व-व्यापक दृष्टि के थे। फिर भी उन्होंने अभिमान से कहा—तेरे तपोवन में, भारत के तपोवन में, प्रथम सामरव हुआ। “प्रथम प्रभात उदिन तव गगने”। ज्ञान-कर्म की कहानी तो बनो में प्रथम हुई। उन्होंने कई बार समझाया है कि हमारी भारतीय संस्कृति न नागरिक संस्कृति है, न ग्रामीण संस्कृति है, यह धारण्यक संस्कृति

है। रोम की संस्कृति नागरिक संस्कृति थी और एशिया में जगह-जगह आदिवासियों की ग्रामीण संस्कृति चलती है, और भारत में जो संस्कृति चली, पली, वह आरण्यक संस्कृति थी। यहाँ के ज्ञानी आरण्य में रहकर यानी ससार से अलिप्त रहकर विरक्त भावना से चिंतन करते थे और जो निर्णय होता था, उन निर्णयों को लोगों में जाकर घर-घर प्रचार करते थे। 'आचार्य' शब्द के अन्दर 'चर' धातु है। आचरण करना, विचरण करना, विचार करना, संचार करना, प्रचार करना। आगे-पीछे, ऊपर-नीचे, चारों ओर 'चर' धातु भरा हुआ है।

खेतों में हमको बोना है, तो गेहूँ बोना है या चना बोना है, इसकी चर्चा बैल से नहीं की जाती। किसान तय करेगा कि इस खेत में चना बोना है। फिर बैल से कहेगा कि बैल भैया, अब तुम काम के लिए चलो। उससे यह पूछेगा नहीं कि बैल भैया, क्या बोना ठीक रहेगा इस खेत में? इस मौसम में आज इस प्रकार की हवा चल रही है। उस हवा में जमीन का खयाल करते हुए क्या बोना ठीक होगा? ऐसा बैल से कोई पूछेगा नहीं। हम खुद तय करेंगे और बैल से कहेंगे कि चलो, अब तुम काम पर चलो। ऐसे ही हमारे प्रोफेसर और आचार्य बैल हो गये हैं। ऊपर से आदेश आता है कि फलानी कित्ताब पढानी है। ये कहते हैं—जी हाँ! इन्हे तयशुदा कित्ताबें पढानी पडती हैं।

जिन लोगों के हाथों में सारे देश के गाइडेन्स का भार होना चाहिए, वे ही गाइडेन्स खोपे हुए हैं और एक सामान्य नौकर की हैसियत में आ गये हैं। यह ठीक है कि सरकार के द्वारा काम का आयोजन होता है, तो सरकार की तरफ से तनख्वाह मिले। कोई हर्ज नहीं। जैसी जुडिसियरी (न्याय-विभाग) है, जजों को तनख्वाह सरकार की तरफ से मिलती है, लेकिन न्याय-विभाग सरकार से ऊपर है, सरकार से अलग है। वह एक स्वतंत्र हस्ती है और वह सरकार के खिलाफ भी फैसला दे सकता है। और उस

पैसेले पर अमल करना पडता है। यह आप देखते हैं। न्याय-विभाग की अपनी प्रतिष्ठा है। यद्यपि उनको तनखाह सरकार की ओर से मिलती है, लेकिन वह सरकार के मातहत नहीं है। वैसे आप लोगो को भले ही सरकार की ओर से तनखाह मिले, क्योंकि सरकार लोगों से लेकर ही देती है, लेकिन आपकी स्वतंत्र हस्ती होनी चाहिए और आप देश के मार्गदर्शक हैं, ऐसा होना चाहिए। इसकी योजना आपको करनी है। इसके लिए आपको एक प्रतिज्ञा करनी होगी। मुजफ्फरपुर में आरम्भ कर दीजिए—“हम पोलिटिकल पार्टियों के हाथ की कठपुतली नहीं बनेंगे, हम उनके ऊपर हैं। इस तरह की प्रतिज्ञा कीजिए।

हम लोगो की संस्कृत शब्दों को गिराने की आदत पडी है। हम खुद गिरे हैं, इस वास्ते ऊँचे से-ऊँचे शब्दो को हम गिराते हैं। किसी शब्द को ऊँचे चढाना, यह तो हमसे होता नहीं है, लेकिन ऊँचे शब्दो को नीचे जरूर गिराते हैं। जैसे, ‘उदासीन’ एक शब्द है, उसका अर्थ है उत् + आसीन = उदासीन। अर्थात् ऊपर बैठा हुआ। सारी दुनिया नीचे है और वह ऊपर बैठा हुआ है। वे पर्वत के ऊपर बैठे हुए हैं और पहाड के नीचे जो काम करते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं। वे लोगो के मोहजाल से अलग हैं और उन्हें गाइडेन्स कर रहे हैं जो उसी मोहजाल में फंसे होंगे। जिस चक्र में पालिटिशियन फंसे हुए हैं, अगर उसी चक्र में ये भी फँसेंगे, तो ये भी उनके दास ही हो जायेंगे—पालिटिशियन्स के दास। मुझे देखने को मिला कि यूनिवर्सिटी-कैम्पस और कालेज वगैरह पालिटिक्स के अखाडे बन गये और एक एक पार्टी ने एक एक कालेज अपने हाथ में रखा। यह स्थिति अत्यन्त दारुण है। इससे तुरन्त मुक्ति मिलनी चाहिए। ऐसा प्रोग्राम बनना चाहिए।

शिक्षक प्रतिज्ञा करें

प्रतिज्ञा पत्रक बनना चाहिए। “हम शिक्षको की हैसियत बहुत ऊँची समझते हैं। सारे देश को, सारी जनता को उनसे मार्गदर्शन

मिलना चाहिए। और इस वास्ते हम प्रतिज्ञा करते हैं कि पार्टी-पालिटिक्स, पावर-पालिटिक्स, पेरोकोग्रल-पालिटिक्स से हम अलग रहेंगे।' और उस पर हर एक का हस्ताक्षर होना चाहिए। 'हम अपने को भारत का शान्ति-सैनिक समझते हैं और शांति स्थापित करने का सर्वोत्तम शस्त्र हमारे पास है—“शिक्षा”, “ज्ञान-शिक्षा”। इससे बढ़कर शांति-स्थापना का शस्त्र क्या हो सकता है! यह शस्त्र हमारे हाथ में ही है और विद्यार्थियों के साथ हम अपना कर्तव्य-पालन करेंगे। इसके अलावा सारे देश में शांति-स्थापना का काम करेंगे और पालिटिक्स से हम बिलकुल अलग रहेंगे।'

ऐसी प्रतिज्ञा अगर आप करें तो एकदम आपकी हस्ती ऊपर उठेगी। लोग आपकी तरफ दूसरी दृष्टि से देखने लगेंगे। जब आप भारत के शान्ति-सैनिक, मार्गदर्शक आचार्य के नाते देश के सामने पेश होंगे तो आप देखेंगे कि कम-से-कम बिहार में—बिहार का कितना गौरव रहा है, जहाँ याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि हो गये हैं। क्या उनसे बढ़कर कोई ज्ञानी हो गया है भारतवर्ष में? जनक, बुद्ध, महावीर की परम्परा यहाँ रही है। तो ऐसी जहाँ परम्परा रही है वहाँ—सारे बिहार की जनता के मन में आपके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी। इसलिए कार्यक्रम आज मैंने आपके सामने रखा।

अगर हस्ताक्षर का सिलसिला शुरू हो जाय तो शांति का झण्डा यहाँ शुरू हो जायगा। यह काम गाँव-गाँव में करना कठिन है। ७० हजार गाँव हैं। प्रत्येक गाँव में जाकर अलग-अलग करना पड़ता है लेकिन आचार्य इस काम को शुरू करेंगे तो उससे एक हवा फैलेगी और बिहार में एक स्वतंत्र शक्ति खड़ी होगी।

यही सारी बातें मुझे आज आपके सामने रखनी थीं। मैंने सोचा कि विद्या का महत्त्व, परीक्षा की पवित्रता इत्यादि बातों में पड़कर मैं क्या करूँगा। ये बहुत सारी बातें आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, तो हमने एक बुनियादी काम के लिए आपको आवाहन दे दिया है।

मुजफ्फरपुर, ६-१-१९६८

आपने देखा होगा कि इन दिनों बाबा हंसता ही रहता है। इसलिए हंसता है कि रोना वाजिब नहीं है, अगरचे हालत रोने लायक है। और इसलिए भी हंसता है कि बाबा को उसका उपाय सूझा हुआ है। यह उपाय अगर लोगों को सूझेगा तो सारे भारत में आनन्द होगा। इस आनन्दमय निश्चित भविष्य को ध्यान में रखकर बाबा हंसता है। बाबा इसलिए भी हंसता रहता है कि वह इस दुनिया को मिथ्या समझता है। बहुत ज्यादा वास्तविक अस्तित्व इसको है, ऐसा बाबा को प्रतीत नहीं होता। खैर, मैंने कहा कि भारत की परिस्थिति बहुत शोचनीय है। क्या-क्या भयानक घटनाएँ हिन्दुस्तान में हो रही हैं, ऐसा प्रश्न पूछने के बजाय यही पूछना बेहतर होगा कि कौनसी नहीं हो रही हैं। सावँजनिक जीवन के विषय में जितनी खराब घटनाएँ लाजिकली हो सकती हैं, उतनी सब हो रही हैं। इसलिए अन्दर से बहुत वेदना का अनुभव होता है।

बुनियादी काम नहीं किये

तीन प्रकार के हमारे दुःख हैं, जिनका निवारण हमको करना है, जिसके लिए हमको अपनी सारी ताकत लगानी पड़ेगी। स्वराज्य के बाद बीस साल के सारे प्रयत्नों के बावजूद वे तीनों दुःख अपनी जगह कायम हैं। बहुत ज्यादा घटे हैं, ऐसा नहीं कह सकते। उनमें से एक है दारिद्र्य। मुझे लगता है कि दारिद्र्य तो कुछ बड़ा ही है। कारण उसके कई कहे जा सकते हैं। बिना कारण के तो कार्य होता नहीं। कारण जो भी हो, हमारी असावधानता बहुत बड़ा कारण है। अन्य कारणों के रहने से इसका बचाव नहीं हो सकता। हमने अपना कर्तव्य नहीं किया है। देश के लिए जो जरूरी बुनियादी चीजें हैं, प्राथमिक आवश्यक चीजें हैं, जिनके बिना दुष्प्रभाव आवश्यकताएँ खास माने रखती नहीं, उनका पूर्ति में हम खास कुछ कर नहीं सके।

हमारे पूर्वजों ने हमको एक व्रत दे दिया—“अन्नं बहु कुर्वीत तद् व्रतम् ।” व्रत लीजिए कि अन्न बढ़ाया जाय । ये उपनिषद् के शब्द हैं । उपनिषद् कोई पंचवर्षीय योजना की पुस्तक नहीं है, ब्रह्म-विद्या की पुस्तक है । लेकिन ब्रह्म-विद्या की पुस्तक में भी उन्होंने यह आदेश दिया कि अन्न खूब बढ़ाइए । और सिर्फ आदेश नहीं दिया, बल्कि कहा कि उसका व्रत लीजिए । लेकिन इतनी मूलभूत काम को हम भूले और कई दूसरी-तीसरी बातें कीं, लेकिन मुख्य काम नहीं किया । इस ब्रह्म-विद्या ने अन्न बढ़ाने का आदेश दिया, क्योंकि ब्रह्म-विद्या को उसकी जरूरत है । इसलिए कि बिना करुणा के, बिना प्रेम के, ब्रह्म-विद्या को आधार नहीं; और अनाज ही पूरा नहीं पड़ता, तब परस्पर प्रेम और करुणा रखना मृग-जलवत् हो जाता है । इसलिए ऐसी हालत में अन्न बहुत आवश्यक है । वह कम हो, तो भक्ति और प्रेम हो ही नहीं सकता । हो सकता है, लेकिन वह अपवादस्वरूप होगा । जो विपत्ति में भी करुणा बहा सकेंगे, वे करुणा रख सकेंगे; लेकिन आम तौर पर अन्न पूरा न पड़ता हो तो करुणा का झरना खतम होगा, भक्ति खतम होगी । अगर ब्रह्म-विद्या के आचार्य को यह पता चले कि भारत में लाउड-स्पीकर नहीं है, रेकार्डिंग मशीन नहीं है, घड़ियां नहीं हैं, तो उनको कतई दुःख नहीं होगा । वे कहेंगे कि इससे ब्रह्म-विद्या को कोई खतरा नहीं । लेकिन अनाज कम पड़ता हो, तो उनको भय उत्पन्न होगा । इतनी महत्त्व की बुनियादी बात हम नहीं कर सके । सब लोगों की शक्ति उसमें लगनी चाहिए थी, सरकार की तो लगनी ही चाहिए थी, न लग सकी । यह नहीं कि उन्होंने आलस में दिन काटे । काम किया, लेकिन इधर ध्यान गया नहीं । और जनता का भी नहीं गया ।

महात्मा गांधी ने स्वराज्यप्राप्त होने के बाद कहा था कि अनाज कम पड़ेगा, तौ स्वराज्य फीका पड़ेगा, इसलिए हर घर में अन्न उत्पादन होना चाहिए । महात्मा गांधी में सुरू थी । उन्होंने कहा कि जहाँ-

जहाँ जमीन का थोड़ा भी प्लाट खाली पड़ा हो, वहाँ सब्जों, तरकारियाँ लगायी जायें। शहर के लोगों से कहा कि घर में खाली जमीन न हो, तो गमलों में तरकारियाँ लगायें। अब गमलों में कितनी तरकारियाँ लगेंगी? मान लीजिए कि दो-तीन गमले हैं, उनमें साल भर में सेर भर तरकारी पैदा हो सकती है। लेकिन बिल्कुल न होने से कुछ होना बेहतर है। फिर करोड़ों लोग जिसको करते हैं, वह चीज छोटी नहीं रहती, उसका गुणाकार बहुत बड़ा होता है। पानी बूँद-बूँद गिरता है, लेकिन हर जगह टपकता है। इसलिए सारी जमीन तर हो जाती है। इसलिए हर कोई थोड़ी उपज करे और हर घर में थोड़ी उपज हो जाये, तो बहुत बड़ा काम होगा। इससे सबको शिक्षा मिलेगी कि देश के उत्पादन के लिए हर एक को कुछ करना है। उसके बिना हमको खाने का हक नहीं। सेन्ट पाल ने भी यह कह दिया है कि अगर तुम लोग हाथ से काम नहीं करते हो, तो “नीदर शुड यू ईट” (तुमको खाना नहीं चाहिए।) फिर उसने कहा कि मैंने बचपन से आज तक— वह बोल रहा है, तब तक—कभी भी दूसरे की कमाई खायी नहीं। अपने हाथ से कमाकर खाया और उसने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि तुम उत्पादन में हाथ बटाओगे तब तुम्हें खाने का अधिकार प्राप्त होगा। आपके पास भरपेट खाने को हो, तो भी कुछ उत्पादन कीजिए, ताकि जिनको खाने की कमी है, उनकी पूर्ति होगी। यह न्याय समझा दिया कि जिसने काम ही नहीं किया, उसको खाने का अधिकार नहीं। ठीक यही बात महात्मा गांधी ने कही कि थोड़ा-थोड़ा क्यों न हो, कुछ उत्पादन करो। इस वास्ते शहर के लोगों को गमले की बात बतायी। और मंत्रियों से कहा कि वे अपने कम्पाउंड में घनाज पैदा करें।

जापान में गांधीजी की कही हुई बात पर अमल हो रहा है। वहाँ एक पुट भी जमीन खाली नहीं दिखेगी। कागावा ने उस पर एक बहुत बड़ा उपन्यास लिखा है। कागावा जापान के एक बहुत बड़े महात्वा ज्ञानी मिशनरी हो गये। उन्होंने एक बहुत सुन्दर ग्रन्थ लिखा है “भान दि स्टेप्स”—पहाड़ों की ढाल पर कैसी खेती की जाय?

अपने उपन्यास में उन्होंने बताया कि किस तरह जवान लोग निकलें और उन्होंने किस तरह पहाड़ों पर खेती की और बड़े-बड़े वृक्ष लगाये, ताकि मिट्टी नीचे बह न जाय। किस तरह जरा भी जमीन बेकार न जाने दी, किस प्रकार उन्होंने अपने देश को बचाया है। और हम यहाँ देखते हैं कि जमीन बेकार पड़ी हुई है। तो इस बात का हमें बड़ा दुःख है।

स्वदेशी का लोप

दूसरी बात देश में 'स्वदेशी-धर्म' बिलकुल खतम हो गया है। जहाँ अन्न ही बाहर से आता है, बच्चों के लिए दूध का पाउडर भी बाहर से आता है, उस हालत में क्या नाम लें स्वदेशी का और कैसे कहें कि भारत अपने पाँव पर खड़ा है? अनाज अमेरिका से मंगवाया जाता है। दूसरी भी कई चीजें बाहर से मंगवायी जाती हैं। चीजें खरीदते समय हम सोचते ही नहीं कि यह चीज कहाँ से आयी है। लेकिन इसके लिए भारत को परदेश से कितना सरीदना पड़ता है, दुनिया में उसको कितना घृणित होना पड़ता है, बाहर से पोलिटिकली कितना प्रेशर (राजनैतिक दबाव) आता है, यह सारा सोचते ही नहीं। लेकिन हमने यहाँ तक देखा है कि तैयार माल भी बाहर से आता है, और यहाँ के लोग खरीदते हैं। कुछ तो ऐसा होता है कि बाहर इस्तेमाल किया हुआ माल यहाँ सस्ते दाम में बेचा जाता है, और हमारे लोग उसे खरीदते हैं। इसका वर्णन करके मैं आपका अधिक समय नहीं लूँगा। लेकिन सार यह है कि अपने देश में 'स्वदेशी-धर्म' खतम हुआ है।

शिक्षा में गलतियाँ ही गलतियाँ

जहाँ तक तालीम का ताल्लुक है, जितनी गलतियाँ हम उसमें कर सकते थे, उतनी हमने की। एक भी गलती करना बाकी नहीं रखा। आज हमारी तालीम में आध्यात्मिक तालीम नहीं है। जो भारत का विचार था, जिसके आधार पर भारत खड़ा था और खड़ा है,

और भजवूत बना है, वह बुनियाद आज हमारी तालीम में है ही नहीं। तो यह हमारा तीसरा दुःख है। हमारी तालीम में उत्पादन-क्रिया है नहीं। एक भी भाषा का उत्तम ज्ञान हमारी तालीम में दिया जाता नहीं। लोगों को इंग्लिश सिखाने का हम नाटक करते हैं। वास्तव में अंग्रेजी तो उत्तम आती ही नहीं, लेकिन अंग्रेजी सिखायी जाती है, उसका परिणाम यह होता है कि विद्यार्थियों की अपनी भाषा बच्ची रहती है। साइन्स का गभीर अध्ययन होता नहीं। साइन्स का ही नहीं, बल्कि कहना होगा कि भारत में अध्ययन ही होता नहीं। मैंने आज आपके आचार्यजी से सहज पूछा कि साधारणतया दगा करनेवालों में कौनसे विद्यार्थी अधिक होते हैं, शायद साइन्स के विद्यार्थी दगा नहीं करते होंगे। तो आचार्यजी ने मुझे बताया कि यह बात ठीक है। मैंने तो सहज ही पूछा था, क्योंकि साइन्स में थोड़ा तो अध्ययन करना पड़ता है, तो दगा करने के लिए समय कहाँ से मिलेगा? आर्ट्स में अध्ययन करना पड़ता नहीं, बेकार समय जाता है। इन्जीनियरिंग के लड़के भी शायद कम दगा करते होंगे। और जिनको गणित का ज्ञान होगा, वे तो अत्यन्त समत्वयुक्त बुद्धि रखेंगे।

न्यूटन की कहानी है। वह बहुत बड़ा गणितज्ञ था। गणित में उसने बहुत-सी खोजें की। लगातार महीनों तक उसने अपने को कोठरी में बन्द कर रखा था। और जब पाँच छह महीने के बाद खोज पूरी हुई तब एक दिन घूमने के लिए बाहर गया। अपनी खोज का सारा सिद्धान्त उसने छोटे छोटे कागजों पर लिख रखा था, जो उसके कमरे में पड़े हुए थे। न्यूटन बाहर गया था, तब उसके नौकर ने सोचा कि आज मालिक इतने दिनों के बाद बाहर निकले हैं, तो जरा उनका कमरा साफ करके रखेंगे। और सारा कमरा उसने साफ करके रखा। जब न्यूटन वापस आया तब उसने देखा कि उसके कागज कमरे में नहीं हैं। जब उसने नौकर से पूछा, तब नौकर ने बताया कि मैंने तो सारा कचरा साफ कर डाला, कागजों के सब

टुकड़े जला दिये। सारे उत्तमोत्तम खोजवाले कागज जला दिये। अब आप सोचिए, इस पर न्यूटन के दिमाग में क्या चला होगा? परन्तु उसने नौकर को केवल इतना ही कहा कि 'देखो भैया, वे कागज बहुत महत्त्व के थे। ठीक है, लेकिन अब मुझसे पूछे बगैर ऐसा कभी मत करना।' समाप्तम्। यह शान्ति गणित के अध्ययन से उसको प्राप्त हुई थी। मुझे भी थोड़ा अनुभव है। बचपन में मेरा आधा सिर दुखा करता था। जब सिर दुखने लगता था, तब गणित का अध्ययन शुरू कर देता था, तो दुखना बन्द हो जाता था। तो मैं कहता यह था कि आज की तालीम में अध्ययन है नहीं।

हमने आज की तालीम में ज्ञान और कर्म को अलग-अलग कर दिया है जितने लोग शिक्षित होकर कालेज से निकलते हैं, उतनी नौकरियाँ हैं नहीं। इससे आज स्थिति ऐसी हो गयी है कि लोगो को शिक्षा देते हैं, तो बेकारी बढ़ती है और नहीं देगे तो अज्ञान बढ़ना है। दोनों में खतरा है।

इसके खिलाफ सारी भवगद्गीता खड़ी है :

“कर्मणैव हि ससिद्धिमास्थिता जनकादयः।

लोकसग्रहमेवापि सपश्यन्कर्तुमर्हसि।”

जनकादिकों ने कर्म से ही सिद्धि प्राप्त की, इसलिए कर्म को कभी मत छोड़। ज्ञानी को भी कर्म करना चाहिए, महाज्ञानी को भी कर्म करना चाहिए। जैसे माता बच्चे के लिए खेलती है, वैसे ज्ञानी को लोक-सग्रह के लिए कर्म करना चाहिए। ऐसा आदेश भगवान् ने गीता में दिया है, जो भारत का सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ है। उसके रहते हुए भी हमने कर्म का सारा विचार खो दिया। ज्ञान तो बढ़ा नहीं, कर्म भी खो दिया।

एक गम्भीर खतरा

इसके बाद जिस तरह हमने सामाजिक व्यवहार किया, वह भी अत्यन्त दोषास्पद था। भाषा के कारण दगी हुए, भद्रास में हुए, यहाँ हुए, भारत में जगह-जगह हुए। भारत के लिए यह बहुत

बड़ा खतरा खड़ा है। क्या भाषा के नाम पर भारत के दो टुकड़े हो जायेंगे ? सम्प्रदाय के कारण दगे हुए, धर्म के कारण भी हुए। अभी असम में क्या हुआ ? असमियों ने कहा कि हम भारत में रहना नहीं चाहते, तो अन्य भारतीयों से कह दिया—'गो आउट इंडियन्स'—भारतीयों, असम के बाहर चले जाओ। यानी इंडियन वसेंज आसामीज (भारतीय विरुद्ध असमी)। करोड़ों रुपयों की संपत्ति जलायी गयी। प्राय तो इन दिनों बहुत लगायी गयी, लेकिन गौहाटी में प्राय लगाने में रेकांड है। और यह सब जो हुआ, यह नाहक गलतफर्मी से हुआ।

शिक्षकों के सामने चुनौती

अब मेरे सामने सवाल है कि ऐसी हालत में हमारे शिक्षक क्या जनानखाने की बहनो के समान अपने विद्या-स्थान में पड़े रहेंगे या बाहर कोई पराक्रम करने के लिए आयेगे ? 'हम यहाँ अपना काम कर रहे हैं। बाहर हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं'— ऐसा कहकर अपना हाथ धो डालेंगे कि बाहर ऐसा कुछ करना अपनी जिम्मेवारी मानेंगे ? मैं अपने को शिक्षक मानता हूँ और अगर मैं अध्यापन-अध्यापन करता रहता तो मुझे उससे अधिक खुशी और किसी काम में नहीं होती। और वैसा करता तो मेरा खयाल है कि मैं सौ साल जीना। वह जीवन ही ऐसा शान्ति और समत्व रखनेवाला है। लेकिन मैं सेवा के लिए बाहर निकल पडा, क्योंकि भारत खतरे में है। इसलिए मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आपको एक प्रोजेक्ट (कार्य-योजना) के तौर पर कम-से-कम एकाध जिला हाथ में लेना चाहिए। मान लीजिए, मुगेर लिया। मुगेर शहर मुख्य; और जिले के दूसरे मुख्य-मुख्य नगर और ग्राम। हर एक गाँव में जाने की जरूरत नहीं। चुनकर एक ग्रामीण क्षेत्र लिया जाय। और गाँवों का पूरा सर्वे किया जाय, ताकि गाँवों की जानकारी पूरी हासिल हो। फिर उसको सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर सोचा जाय। योजना बनायी जाय। गाँव का सर्वे और सुधार के

लिए योजना और शहरो का सर्वे और जिम्मा उठाना कि यहाँ दगे हगे नही । हगे तो उसके लिए अपने को जिम्मेवार माँगे और उसको रोमने के लिए पूरी चेष्टा करेंगे । और यह चेष्टा दगे होने के वाद नही, पहले ही करना चाहिए, ताकि परिस्थिति पर बाबू घाये ।

शिक्षक यानी गुरु, आचार्य । आप गुरु हैं, आचार्य हैं । लेकिन आज शिक्षकों की यह हालत है कि उनकी सलाह ठक पूछी नही जाती । कि बच्चो को क्या सिखाना चाहिए, कितना सिखाना चाहिए । ऊपर से टाइम-टेबुल आता है । और उसके अनुसार इनको सिखाना पडता है । यानी ये नौकर की हेसियत में आ गये । विद्यार्थी शिक्षक को अपने जीवन के भग मानेगे नही । शिक्षक फलाना फलाना विषय सिखाने वा वाम करता है, इतना ही मानेगे । इसलिए विद्यार्थियो और शिक्षको वा हार्दिक सम्बन्ध बनता नही । जितना सिखाना था, उतना सिखा दिया, खतम हुआ । पहले तो विद्यार्थियो के जीवन मे समस्या आती थी, तब वे सलाह के लिए गुरु के पास जाते थे । माता पिता के पास नही जाते थे । गुरु से कहते थे कि आपमें माता-पिता का वात्सल्य तो है ही, और माता पिता में जो ज्ञान नही है, वह भी आपमे है । इसलिए आप सलाह दीजिए । आज में शिक्षकों से पूछूंगा कि सैकडो विद्यार्थी आपके हाथ से निकले हगे । उनमें से कोई विद्यार्थी अपने जीवन की समस्या लेकर सलाह ले लिए आपके पास आया ? नही आया । आज विद्यार्थी इतना ही कहेंगे कि फलाना शिक्षक गणित बहुत अच्छा सिखाता था । इससे ज्यादा कोई हिस्सा विद्यार्थी के जीवन मे शिक्षक का नही है । कितना दुर्दैव है । जिसकी योग्यता सबसे श्रेष्ठ मानी गयी थी, बल्कि राजाओं का राजा गुरु माना जाता था उसका कितना दुर्दैव ।

आज सब उल्टा है । आज तो यहाँ तक होता है कि विश्वविद्यालय के कौनसे अधिकार प्रान्त को, कौनसे दिल्ली को होना चाहिए, इस पर चर्चा चलती है ।

अधिकार तो होने चाहिए शिक्षक के हाथ में—गाँव-गाँव के

शिक्षक के हाथ में । वे तय करें कि कौन सा विषय सिखाना है और गाँव-गाँव में एक-एक फैसली (विषय) हो—एक गाँव में एक और दूसरे गाँव में दूसरो । और इस प्रकार विविध विषय सिखाये जायँ । लेकिन आज शिक्षक के हाथ में यह है नहीं । शिक्षक की हैसियत एक मामूली नोकर की है और इसलिए उसकी शिकायतें भी मामूलो होती हैं कि तनखाह कम पड रही है वगैरह ।

शिक्षक मार्गदर्शक बनें

मेरे प्यारे भाइयो, मुझे इसको बड़ी खुशी है कि मुझे महाविद्यालय में रखा गया । इसमें भूदान-ग्रामदान का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मुझे और आपको इकट्ठा बैठने का मौका मिला । शिक्षा के बारे में हम आजाद हो जायँ । हमने एक आन्दोलन यह चलाया कि जमीन के मामले में हम आजाद हो जायँ । वह तो हाथ में आ गया है, लोग काम कर रहे हैं । वैसे ही शिक्षा का आन्दोलन भी चले । शिक्षा पर आज जो तरह-तरह के अकुश हैं, वे हट जायँ और उस पर अपना आत्मिक, आध्यात्मिक अकुश हो । बीच-बीच में शिदार्थों के शिविर हो । वहाँ भिन्न-भिन्न मसलो पर चर्चा हो अभिप्राय बनाये जायँ और शिक्षकों को और से वे अभिप्राय जाहिर हो । इस प्रकार लोगो के मार्गदर्शन के लिए आप तैयार रहे । लोगों को विश्वास हो कि भिन्न-भिन्न प्रश्नों पर आप सोचते हैं तटस्थ रहकर सिम्पथेटिकलो (सहानुभूतिपूर्वक), और अपना निर्णय जाहिर करते हैं । इससे सरकार को भी मदद होगी और इस तरह आपका अकुश स्टेट पर आयेगा । यह कभी नहीं हो सकता कि राजनीति में पडकर आपकी ताकत बनेगी, तब आपकी चोटी सरकार के हाथ में ही रहेगी । इसलिए शिक्षकों को आगे आना चाहिए; राजनीति से ऊपर रहना चाहिए; कुछ प्रोजेक्ट हाथ में लेना चाहिए और जनता को ऐसी आशा और ऐसा विश्वास होना चाहिए कि मौके पर उसे आपसे मार्गदर्शन मिल सकता है ।

मुंबेर, १६-२-६८

४८]

५

[नयी तालीम]

शिक्षकों की शक्ति खड़ी हो

: ५ :

पालिटिशियन्स का तरीका है कि वे टुकड़े करना जानते हैं। इस शक्ति को तोड़ना हो तो दूसरी शक्ति खड़ी होनी चाहिए—गांव की शक्ति। एक शक्ति किसानों की खड़ी हो और दूसरी शक्ति विद्वानों की, शिक्षकों की खड़ी हो। दोनों की आवश्यकता है। एक है—'अन्न ब्रह्म ति व्यजानात् अन्न बहु कुर्वीत।' खेती की उपेक्षा की, तो लड़ाई भी जीती नहीं जा सकती। दूसरी शक्ति है ज्ञान की। चैतन्य को आकार देने का काम आपको सौंपा गया है। यह जो शिक्षकों की हैसियत थी, उसके बजाय शिक्षक आज सामान्य हैसियत में आये हैं। शिक्षकों में विभाग हुए हैं विद्यार्थियों में विभाग हुए हैं। फिर विद्यार्थी विरुद्ध शिक्षक, ऐसे विभाग हुए हैं। दोनों मिलकर होती है विद्या शक्ति। पर उनके आज अलग-अलग विभाग हो गये हैं। जिनका इंटरेस्ट वास्तव में एक होना चाहिए, वे अगर अपने-अपने अलग-अलग सध बनाये, तो शक्ति कैसे खड़ी होगी? इन सारे प्रश्नों का उत्तर ही तो वह शिक्षक ही हो सकता है। और वह होगा राजनीति से अलग होने से और लोकनीति के साथ जुड़ जाने से। राजनीति से अलग हुए बिना राजनीति पर असर पड़ेगा नहीं। राजनीति मुक्त और लोकनीति युक्त होने में लाभ है। पहले राजनीति से अलग होना पड़ेगा।

फिर हमने ग्रामशक्ति की बात कही है। आज स्थिति ऐसी है कि इसकी किसीने कल्पना ही नहीं की कि पार्टी-पालिटिक्स के बिना राजनीति हो सकती है, यह किसीने सोचा तक नहीं। आज डेलीगेटेड डेमोक्रेसी है, पार्टीसिपेटिंग डेमोक्रेसी नहीं है। अगर शिक्षक ऐसा मानें कि हमने स्कूल कालेजों में पढा दिया अब हमारा कोई कर्तव्य नहीं है, तो चलेगा नहीं। आपका मासेज के साथ कण्टैक्ट होना चाहिए। मासेज के साथ कण्टैक्ट न हो, तो राजनीति पर असर नहीं पड़ेगा।

प्रश्न—फिर लोकनीतिवालों का भी एक दल बनेगा ?

बिनाया—सत्य का भी एक दल बनेगा, ऐसा आपका कहना है ?

प्रश्न—राजनीतिमुक्त और लोकनीतिमुक्त किस तरह के आचरण द्वारा बन सकते हैं ?

विनोबा—इसका निर्णय विद्वान् खुद करे कि क्या कोई उनको डिक्लेट करे ? आपकी कार्फरेन्सेस होगी, सेमिनार होंगे, उनमें आप सर्वसम्मति से अपनी राय प्रकट करेंगे । विद्वानों की सर्वसम्मति से राय प्रकट होती है, तो वह भी असर डालती है । ये चीजें वैसी बरना यह ब्योरे का विषय है । प्रथम यह ध्यान में आ जाय कि हमारी एक स्वतंत्र ताकत है, जो हमने खोयी है, उसको जागृत करना है । मैं शिक्षकों को आदेश दूंगा नहीं, बल्कि वे देश को आदेश दे, ऐसा मैं मानूंगा ।

प्रश्न—अशान्ति शमन की जिम्मेवारी उठाने का मतलब तो 'लॉ एण्ड आर्डर' की जिम्मेवारी उठाने जैसा है ?

विनोबा—लॉ एण्ड आर्डर की जिम्मेवारी आप पर नहीं है, आप पर नैतिक प्रभाव की जिम्मेवारी है । कम्युनिस्टों का मानना है स्टेट विल विदर अवे ।' यानी हर कोई अपनी-अपनी जिम्मेवारी समझे और ठीक व्यवहार करे, तो स्टेट की आवश्यकता ही रहेगी नहीं । इसके लिए नैतिक प्रभाव की आवश्यकता होती है । आपको सोचना होगा कि नैतिक प्रभाव शिक्षकों का नहीं पड़ेगा, तो किसका पड़ेगा ? अगर उनका नैतिक प्रभाव न पड़ता हो, तो शिक्षकों को मानना होगा कि उनकी बर्मी है । वही दगा हुआ, और पुलिस आया, तो आपको नौबरी से सस्पेण्ड किया, ऐसा नहीं होगा । लेकिन आप मानें कि वह आपकी गैरजिम्मेवारी है, नाकामयाबी है । अगर आपके विद्यार्थियों में से बहुत ज्यादा प्रतिज्ञत विद्यार्थी परीक्षा में फेल हुए तो आप उसे अपनी जिम्मेवारी मानेंगे या नहीं ? यह भी वैसा ही है ।

प्रश्न—मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है, वह इसकी ओर कैसे बूकेगा ?

विनोबा—आपका यह सवाल जमाने के खिलाफ है । स्वार्थ छोड़ने को बाबा कभी नहीं कहता । सच्चा स्वार्थ जाने, इतना ही कहता है । स्वार्थ छोड़ना नहीं, बल्कि सोचे कि अपना स्वार्थ ठीक तरह में कैसे सधेगा ? आपका पूछने का मतलब यह है कि बाबा 'सुपर ह्युमन क्वालिटीज' चाहता है । आप मानते हैं कि जो 'ह्युमन बीइंग' हैं, वे अपना-अपना स्वार्थ ही साधेंगे । लेकिन मैं उल्टा मानता हूँ । मानव स्वभाव कैसा है, इसका निदर्शन उत्तम-से उत्तम कानून में दीखता है ।

मान लीजिए सत्य पर चलते हैं, तो कानून में बाधा नहीं है। सत्य पर मनुष्य चला तो उसका टेलीग्राम नहीं जायगा। चोरी का टेलीग्राम जायगा और कानूनन सजा होगी। कतल हुई तो टेलीग्राम जायगा पेपरो को क्योंकि वह मानव-स्वभाव के खिलाफ है। माता ने लड्डे पर प्रेम किया ऐसी खबर पेपरो में नहीं जाती, क्योंकि प्रेम करना मानव के लिए स्वाभाविक है। दूसरी बात, कोर्ट में जो आक्षेप लगाता है उसको साबित करना पड़ता है और सन्देह का लाभ मुजरिम को मिलता है। अपने सुख से सुखी होना पशु का स्वभाव है। दूसरों के सुख से सुखी होना और दूसरों के दुख से दुखी होना यह मनुष्य स्वभाव है।

प्रश्न—राजनीति से मुक्त रहने का मतलब क्या वोट न देना है ? यह तो मनुष्य के फण्डामेंटल राइट्स (मूलभूत अधिकार) पर बघन है।

बिनावा—आपका हक है इसमें कोई शक नहीं। आपकी छुट्टी क्या है यह आप तय कर रहे हैं। मुझे भी हक है चुनाव में भाग लेने का। संविधान ने अधिकार दिया है। मैं उसका उपयोग करना ठीक नहीं मानता। उससे ऊपर उठना चाहता हूँ। हक है लेकिन यह छोटी चीज है। हक तो बेवकूफ को भी है और अकलवाले को भी है। अकलवाला तय कर रहा है कि मैं नहीं करूँगा। मैं और कहीं ? आपको कोई मारने के लिए आया तो सेल्फ डिफेन्स के अधिकार से आप उसको मारेगे तो आप गलत नहीं करोगे लेकिन मैं कहूँगा कि कुलपति के नाते आपने ठीक नहीं किया। आपको तो येशू क्रिस्त को ध्यान में रखना चाहिए। प्रेम से समझाना चाहिए और आवश्यकता हो तो मर मिटना चाहिए। सेल्फ डिफेन्स (आत्म रक्षा) के अधिकार का उपयोग करना आपका हक है लेकिन वह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको इल्बशन में खड़े होकर मुख्यमंत्री बनने का भी हक है। लेकिन सोचना यह है कि मुख्यमंत्री बनने से आपकी हैसियत ऊँची होती होगी या आप हैं उसी हैसियत में ऊँचे होते हैं।

प्रश्न—हमारा असर न पड़ा तो ?

बिनावा—असर न पड़ा, तो तपस्या बढ़ाये। शब्द शक्ति का यह सवाल है। शब्द शक्ति कम पडने के तीन कारण हैं १ तपस्या की

वमी, २. प्रिसाईज शब्द बोलना आता नहीं और ३. समझाने का स्तर बना नहीं। अगर ये हो, तो हम कहेंगे 'ट्राई अगेन'। ईसामसीह से पूछा, 'एक बार क्षमा करने से सामनेवाला न माने, तो क्या करे'; तब उन्होंने कहा कि 'मैं फिर से क्षमा करूँगा। फिर नहीं माना, तो फिर से क्षमा करूँगा।' 'द्वितीय वार', तो कहा 'सेवंटी टाइम्स सेवन' और कहा कि क्षमा-शस्त्र ऐसा है कि आखिर उसमें आप कामयाब होंगे ही। यह श्रद्धा ईसामसीह ने दी। शंकराचार्य से पूछा—'आप समझायेंगे और कोई न समझाता?' तब उन्होंने कहा कि 'एक बार समझाने से न समझा तो दुबारा समझाऊँगा, दूसरी वार न समझा, तो तीसरी वार समझाऊँगा, चौथी वार समझाऊँगा—और समझाता ही रहूँगा। यही मेरा शस्त्र है। और किसी शस्त्र पर मेरी श्रद्धा नहीं। और, कोई न समझे, तो सोचूँगा कि समझाने की कुशलता बढ़ानी है।'।

भागलपुर

६-३-६८

मुझे विद्वानों के सामने अभी तक आने का मौका कम ही मिला था लेकिन पूना रोड की कान्फरेन्स के सिलसिले में वह मौका मिला। इससे मुझे बड़ी खुशी हुई है और अनुभव आया कि जितने लोगो से मुझे मिलने का मौका मिला, वे सारे विद्वान्, आचार्य, प्राचार्य आत्मदर्शन यानी अपने स्वप्न के दर्शन के लिए बहुत उत्सुक हैं। तुलसीदास ने जागृति का एक पद लिखा है—

“जाग जाग जीव जड”— अरे जडजीव तू जाग ले।

“कहे वेद बुध, तू तो वृष्णि मन माहि रे।

दोष दुख सपने के, जागे ही पै जाहि रे।”

वेद और बुध सब एक ही बात कहते हैं कि स्वप्न के जो दोष हैं और स्वप्न के जो दुख हैं, उनके लिए सर्वोत्तम औषधि जागृति है। जाग जागकर गजारना ही उसका सर्वोत्तम उपाय है। न जागकर स्वप्न के अन्दर जितने उपाय बिये जायेंगे, उतनी ही स्वप्न वृत्ति दीर्घ बननी जायेंगी और वह हालत और लम्बी होती जायेगी। इस वास्ते स्वप्न के रोगों के लिए जागृति ही सर्वोत्तम उपाय है। मुझे यह कहने में गुरी हो रही है कि इस किस्म की जागृति जो पहले नहीं थी, अब आ रही है।

मनुष्य के मन में सशय होते हैं, उसके लिए किसीको दोष देना ठीक नहीं। धीरे धीरे सशय सत्म होते हैं। तब कोई उपद्रम किया जाता है तो शुरू में मन में कुछ शका उत्पन्न होती ही है। वह शका धीरे धीरे, अनुभव से मिटती जाती है। प्रयत्न तो यह हो रहा है कि एक “अद्वितीय विहार आचार्यकुल” की स्थापना की जाय।

प्रश्न था कि प्राध्यापकों, आचार्यों और प्राचार्यों द्वारा यह जो बड़ा कार्य होने जा रहा है, उसका नाम क्या रखा जाय। मैं “अखिल विहार आचार्यकुल से बेहतर नाम की कल्पना नहीं कर सका। ‘कुल’ शब्द परिवार वाचक है और हम सभी आचार्यों का एक ही परिवार है। ज्ञान की उपासना करना, चित्त शुद्धि के लिए प्रयत्न करना, विद्यार्थियों के लिए वात्सल्य-भावना रखकर, उसके विकास के लिए, सतत प्रयत्न करते रहना, सारे समाज के सामने जो समस्याएँ आती हैं, उन पर तटस्थ भाव से चिन्तन करके सर्वसम्मति का निर्णय समाज के सामने रखना और समाज को उस प्रकार से गाइडेन्स (मार्गदर्शन) देते रहना इत्यादि कार्य जो हम सब करने जा रहे हैं, वह एक परिवार की स्थापना का ही काम है। इस वास्ते मैंने इसका नाम “आचार्यकुल” रखा। इसके लिए यह एक सुन्दर शब्द है। इसके अलावा अरबी के साथ भी इसका मेल मिलना है। संस्कृत के साथ तो है ही। ऐसे कई शब्द हैं, जो संस्कृत होते हुए अरबी भी हैं और लैटिन भी हैं। “आचार्यकुल” यानी कुल के कुल आचार्यों का बोध होता है। आचार्यों के परिवार का मनलव होता है कि इस परिवार में ऊँचा नीचा छोटा-बड़ा का सवाल ही नहीं रहेगा। इसलिए जितने आचार्य हैं सभी समान रूप से आदरणीय हैं। और सबका सम्मिलित प्रयत्न होगा, तभी यह काम चल सकेगा। भारत में जो अनेक समस्याएँ हैं जो संकट हैं, उनसे अलग रहकर कुछ नहीं किया जा सकता। महामा गौतम बुद्ध ने कहा—‘पद्मवटठो व भुम्भट्ठे धीरो वान्ने अवेक्खति’। पर्वत शिखर पर चड़ा हुआ आदमी भूमि-स्थल पर क्या किया जा रहा है उसको देखता रहता है और वहाँ से गाइडेन्स देता रहता है। बिलकुल ठीक ऐसी ही भाषा में वेद में आया है—“निर्वनस्य मूर्धनि सदतेप।” पर्वतों के शिखर पर वे चढ़ गये। ‘जाय दाशुपे वहन्ता।’ ‘पर्वतों के शिखर पर चढ़कर दुनिया में काम करनेवाले सेयक लोगो की इच्छा शक्ति बढ़ाते रहते हैं।’ दुनिया की इच्छा शक्ति, सत्त्व शक्ति क्षीण हो गयी है, प्ररणा क्षीण

हो गयी है। उसको वे पर्वत के ऊपर चढ़कर बढ़ाते रहते हैं। यानी आचरण की दृष्टि से स्वयं ऊपर बढ़ने की कोशिश करते ही हैं, परन्तु लोगों के लेवल (धरातल) में आकर भी सोचते हैं और लोगों की इच्छा-शक्ति बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसी बात वेद में आयी है और इसके ही लगभग प्रतिस्वरूप शब्दों में गौतम बुद्ध ने भी कहा।

अभी जिस 'आचार्यकुल' की स्थापना होने जा रही है, वह अपना हक यानी अधिकार प्राप्त करने के लिए नहीं होने जा रही है। अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए दूसरी संस्थाएँ हैं। यह तो अपने कर्तव्य के प्रति जागृति और प्रयत्न करने के लिए है। इससे सारे शिक्षक समाज में अपनी वास्तविक हैसियत पायेंगे, जिसे आज वे सोये हुए हैं। महाभारत में वर्णन आया है कि एक दिन धर्मराज के मुख से द्रोणाचार्य के पुत्र की मृत्यु के विषय में सदिग्ध शब्द निकला। परिणाम यह हुआ कि उनका रथ जो भूमि से हमेशा ४ अंगुल ऊपर हवा में चलता था, वह धर्मरथ एकदम नीचे गिर पड़ा और जमीन पर आ गया। इसी तरह शिक्षकों का जो धर्मरथ है, वह भी भूमि के ऊपर होना चाहिए, लेकिन वह आज नीचे गिर गया है। आज शिक्षक सामान्य लेवल पर आ गये हैं। लेकिन जिस क्षण मनुष्य को यह मान होगा, उसी क्षण वह मुक्त हो जायगा। मुक्ति का बिलकुल सीधा-सादा और सरल उपाय है—'अपने को पहचानो'। जिसने अपने को पहचान लिया वह तत्क्षण एक नया मानव बन गया। पुराना मानव गिर गया और नया मानव बन गया। दृष्टि आ गयी, तो सृष्टि बदल गयी। जैसी दृष्टि होती है, वैसी ही सृष्टि होती है। दृष्टि के अनुसार ही सृष्टि बनती है। इसलिए यह जो महान् प्रयत्न हो रहा है, इस सिलसिले में मैं आशा करता हूँ कि अनेक प्रकार की जो शंकाएँ होंगी, काम करते-करते उनका हल निकलता जायगा। बीच-बीच में शंकाओं का उत्तर मिलता रहेगा। यदि हम दृढ़ निश्चय से लग जायेंगे कि यह काम करना ही है, तो सब शंकाएँ होते-होते

समाप्त हो जायेंगी । गीता ने कहा कि जिनका निश्चय नहीं होना उनकी बुद्धि अन्नत होती है । “बहुशाखा ह्यमन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम् ।” मतलब यह कि उनकी बुद्धि की अनेक शाखाएँ निकलती रहती हैं । और जो किसी एक निश्चय पर एकाग्र होते हैं, वे कर्मयोगी होने हैं और अन्न में सफल होने हैं । इसलिए मनुष्य को निश्चयात्मक बुद्धिवाला होना चाहिए । गीता में निश्चयात्मक बुद्धि पर जोर दिया गया है ।

मुझसे लोगो ने पूछा कि आजकल चारो ओर जो हाहाकार फैला हुआ है, ऐसी हालत में आप इस प्रकार का प्रयत्न कर रहे हैं, वह कहाँ तक सफल हो सकता है, उसका क्या परिणाम होगा ? हर जगह अंधकार फैला हुआ है, उसका निराकरण कैसे होगा ? मैंने कहा कि जरा देखना चाहिए कि अन्धेरा कहाँ है । एक आदमी रात को सूर्य पर से गिरा और पृथ्वी पर आया । उसके साथ दो तीन साथी थे । पृथ्वी पर उन्होंने रात में देखा कि तमाम कचरा ही कचरा है । अन्धेरा वे जानते नहीं थे, क्योंकि वे सूर्य के रहनेवाले थे । उन्हें पता नहीं था कि अन्धेरा क्या चीज होती है । उन्होंने देखा कि यहाँ खूब कचरा भरा हुआ है । वे लोग खोदने लगे । खोद खोदकर सारा कचरा टोकरी से भर कर फेंकने लगे । खोदने की आवाज जोर से होने लगी । उस आवाज से आसपास के लोग जाग गये । रात के समय वे कौन आये हैं और क्या कर रहे हैं, यह देखन के लिए लोग लालटेन लेकर आये । जब लालटेन की रोशनी में वे लोग आये तो एकदम से सारा कचरा गायब हो गया । अब सूर्यवाले लोग यह देखकर हैरत में आ गये कि हम लोगों ने खोद खोदकर इतना कचरा निकाला था, वह एकदम से क्या हुआ । हुआ यह था कि लालटेन आ गयी, यानी प्रकाश आ गया । प्रकाश के सामने अन्धेरा तो गायब हो ही जाता है । प्रकाश के सामने अन्धेरा मुख नहीं दिखाता । अन्धेरा जितना पुराना होता है, उतना अधिक कमजोर होता है । घन्घोर गुहा में जो अन्धेरा भरा रहता है, वह हजारों वर्षों

से है लेकिन उसमें एक टाचं लेकर चले जाएँ, अन्धेरा एकदम सत्तम हो जायगा। इसलिए दूर-दूर तक हम लोगो को जो अंधेरा दिखाई पड रहा है वह इसलिए है कि हमारे पास प्रकाश नही है। अगर हमारे पास प्रकाश होता तो अन्धेरा होता ही नही, अन्धेरा सत्तम हो गया होता। प्रकाश के अलावा और किसी प्रकार से प्रहार करके अंधेरे को सत्तम नही किया जा सकता, बल्कि अन्धेरे को, जिसका कोई अस्तित्व ही नही है ऐसे प्रयत्नो से अस्तित्व प्राप्त होता है। अन्धेरे का सामना करने के लिए कुदाल लेकर खोदने लगेगे तो उसका अर्थ यही होता है कि जिस अन्धेरे का कोई अस्तित्व ही नही है, उसको आप अस्तित्व दे रहे हैं। वास्तव में अन्धेरा इसीलिए है कि प्रकाश है नही। जब प्रकाश अता है तो अंधेरा सत्तम हो जाता है। आज हमारी और आपकी जो अल्प शक्ति है, वह कौनसा शक्ति है? वह ज्योति है, वह प्रकाश है वह ज्ञान है, वह विचार है और चिन्तन मनन है। यह जो शक्ति है उससे सामने कौनसी शक्ति है दुनिया में?

आप ध्यान में रखें कि दुनिया एक होने जा रही है, मानव-मानव नजदीक आ रहे हैं। आकाश-अवकाश कम पड गये हैं। अब कुत्ते भी अन्तरिक्षयान में बैठकर ८०० मील की ऊँचाई पर जा रहे हैं। अब तो मनुष्य की कोशिश है कि मंगल पर चला जाय और चंद्रमा पर घर बसाया जाय। अगर साइन्स इतना आगे बढ गया है यानी जब दिमाग इतना बडा हो गया है, तब दिल छोटा रहेगा तो मनुष्य के जीवन में विसवाद बना रहेगा। आजकल जितनी समस्याएँ दुनिया में भरी हुई हैं वे इसी विसवाद के कारण ही हैं। वही कहते हैं मजदूर मालिक का झगडा है, वही कहते हैं हिन्दू-मुसलमान का झगडा है वही कहते हैं हिन्दुस्तान पाकिस्तान का झगडा है और वही विपत्तनाम का झगडा है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि बुद्धि बडी बन गयी है और दिल छोटा रह गया है। आजकल बडी बुद्धि और छोटा दिल की लडाईं हा रही है। दिल तो छोटा है ही अगर दिमाग भी छोटा होता, तो विशेष झगडा भी नही होती। शेर का दिम भी छोटा है उसका दिमाग भी बडा नही है। उसे आज खाने को मित्र गया और पानी मिल गया तो वह सतुष्ट है। बल की बात बल देखी जायगी। भारत के शेरों को यह मालूम नही कि

योरप म कितने शेर हैं, सारी दुनिया म कितने शेर हैं, उनकी सख्या कितनी है। उनको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। उनको इतना ही मालूम है कि हम ही हम हैं और आज ख़ाबर सन्तुष्ट हैं, कल देखा जायगा। उसका दिल भी छोटा है और उसका दिमाग भी छोटा है।

लेकिन आज दुनिया की हालत क्या है? मनुष्य का दिमाग इतना व्यापन बन गया कि न्यूटन जैसे महामुनि और व्याम जैसे भगवान् भी छोटे पड़ गये। उनको जितना ज्ञान था, उससे बहुत ज्यादा ज्ञान हमारे पास हो गया है। न्यूटन को गणित का जितना ज्ञान था, उससे अधिक ज्ञान आजकल के जमाने में कागज के मामूली लड़के का होना है। न्यूटन को डिफ़ेन्शियल केलकुलस का कोई पता नहीं था, परन्तु न्यूटन अपने जमाने का महान् ज्ञानी था, महान् गणितज्ञ था। लेकिन उसका गणित-ज्ञान आजकल के जमाने के गणित-ज्ञान से छोटा पड़ गया है। पुराने जमाने में भूगोल का ज्ञान भी ऐसा ही था। अब्दुर वादज़ाह के दरबार में एक अंग्रेज वकील आ पहुँचा। उसने कहा कि मैं विक्टोरिया रानी की तरफ से आया हूँ। तब अब्दुर को पता चला कि दुनिया में इंग्लैंड नाम का कोई देश भी है और यहाँ कोई रानी है। लेकिन आजकल के तीन-चार साल की उम्र के लड़कों को भूगोल का ज्ञान अब्दुर वादज़ाह से अधिक होता है। आज हमारा दिमाग इतना विस्तृत हो गया है, यानी दिमाग इतना बड़ा बन गया है और दिल छोटा ही रह गया है। हम कौन हैं? हम हरिजन हैं। हम कौन हैं? हम भूमिहार हैं। हम कौन हैं? हम मिस्त्र हैं। हम कौन हैं? हम ब्राह्मण हैं। हम इस पार्टी के हैं, वह उस पार्टी का है। प्रत्येक के साथ ग्रुप लग गया है, पार्टी लग गयी है। मैंने इस पर एक कविता लिखी है जिसका मतलब है "जाति, धर्म पथ, भाषा, पक्ष, प्रान्त, इन मजहब अ-न होगा तभी मर्दोशय।" सर्वोदय तभी होगा जब इन सबका अन्त होगा। ये सारी छोटी छोटी चीजें लोगों के दिमाग में पड़ी हैं, मामूली मामूली प्रश्नों में हमारा चित्त उलझा रहता है, तो इनका मतलब यह है कि हम लोग इन जमाने के लायक नहीं हैं। जमाना बहुत आगे बढ़ गया है और हमारा दिल छोटा ही रह गया है।

हम या तो दिमाग छोटा करें, यानी साइन्स को पीछे हटाये।

लेकिन यह हो नहीं सकती। साइन्स प्राप्त ही न हो यह हो सकती है, लेकिन साइन्स प्राप्त होने के बाद भूल जाये, यह बात ही नहीं सकती। ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य भूल जायगा, यह ही नहीं सकती। इस वास्ते साइन्स को आप पीछे हटा नहीं सकते हैं क्योंकि यह समय नहीं है। हमका मतलब यह हुआ कि दिमाग उत्तरोत्तर व्यापक और विशाल बनता जायगा। अब सिवा इसके और कोई चारा नहीं है कि हम अपने दिल को बड़ा बनाये। इस वास्ते हमका यह नहीं समझना चाहिए कि 'वह आदमी छोटा है या वह आदमी बड़ा है,' 'हम भारत के हैं और वह पाकिस्तान का है।' अब ऐसी बात नहीं चलेगी। हमारे लिए 'जय जगत् ठीव' है। हमारे लिए सारा विश्व है। ऋग्वेद में है 'विश्वमानुष'। हम विश्व के नागरिक हैं। हम विश्व-मानव हैं।

यह हैसियत अगर अध्यापकों की न हो, तो और किसकी होगी ? यह हैसियत आम जनता की हो नहीं सकती। वे तो अपने छोटे-से परिवार या अपने छोटे से गाँव के बारे में ही साँच सकते हैं। शिक्षकों का दिमाग ऊँचा होना चाहिए और उनका दिल व्यापक होना चाहिए। इस वास्ते हम आशा करते हैं कि आपकी जमात जब खड़ी हो जायगी और 'आचार्यकुल' की स्थापना हो जायगी, तब एक नयी शक्ति बिहार में उत्पन्न होगी और उसके परिणामस्वरूप बिहार का स्वरूप बदल जायगा। गौतम बुद्ध और महावीर साक्षी होंगे। वे देखेंगे कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। राजा जनक देख रहे हैं, उधर कृष्ण देख रहे हैं उधर अशोक सम्राट् देख रहे हैं कि हमारे बच्चे क्या करने जा रहे हैं और मैं महसूस करता हूँ कि इन सबों का आशीर्वाद हमें इस काम के लिए प्राप्त हो रहा है। इसमें मुझे कुछ भी सन्देह नहीं।

एक बात और कह देना चाहता हूँ। वह यह कि 'आचार्यकुल' की स्थापना के लिए आप लोगों को थोड़ा धन इकट्ठा करना होगा। आफिम बनाना होगा। कुछ कार्यकर्ता उसमें रखने होंगे। सारे बिहार में लोगों से सम्पर्क रखने के लिए जगह जगह मीटिंग बुलानी होगी। यह सब करने के लिए थोड़े पैसे की जरूरत होगी। इसलिए मैंने सुझाव रखा है कि सकल्प-पत्र पर हस्ताक्षर करनेवाले जितने सदस्य इसके होंगे, वे अपनी तनखाह का एक प्रतिशत चन्दा के रूप में देंगे। मान

लीजिए कि किसीकी तनख्वाह ५०० रुपये है तो ५ रुपये वे चन्दा में देगे। यह एक छोटी-सी रकम है, कोई ज्यादा बड़ी रकम की बात नहीं है। इसमें ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। मान लीजिए कि इसमें अगर ४००० लोग शामिल हो गये, तो इस तरह से दस-बारह हजार रुपये प्रतिमास मिल जायेंगे। इनके रुपये से आप लोग अच्छी तरह से योजना खड़ी कर सकते हैं और 'आचार्यकुल' की स्थापना ही सकती है। मैंने एक मुझाब आपको दे दिया है। आप लोग अगर चाहे तो इस मुझाब पर अमल कर सकते हैं।

प्रश्न—यह संकल्प-पत्र केवल कालेजों के प्राध्यापकों और शिक्षकों के लिए ही है या हाईस्कूल और प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के लिए भी ?

बिनोबा—इसका आरंभ पहले कालेजों के आचार्यों से किया जाय। उसके बाद नीचे, स्कूल तक पहुँचा जायगा। हमें प्राइमरी स्कूलों तक इसको पहुँचाना ही है, लेकिन अभी सारा गोल माल करके काम बनेगा नहीं। इस वास्ते प्रथम आचार्यों को ले और बाद में उन लोगों को। लेकिन अगर लोग यह चाहते हो कि जिला स्तर पर इस काम को किया जाय, तो वे जिले के सारे स्कूलों के शिक्षकों, हाईस्कूल के शिक्षकों और प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों को एकसाथ ले सकते हैं। मान लीजिए की सार बिहार के आर्गनाइजेशन (संगठन) की बात हो रही हो, तो प्रथम आचार्य, उसके बाद सामान्य अध्यापक, उसके बाद शिक्षक ले। परन्तु एक जिले का आर्गनाइजेशन करना ही तो सबको एकसाथ इसमें ले सकते हैं।

प्रश्न (जिला शिक्षा पदाधिकारी, भागलपुर)—मैं भागलपुर जिले में इसी प्रकार का संगठित काम करना चाहता हूँ। मैं सबको एकसाथ लेकर काम करना चाहूँगा।

बिनोबा—खुशी की बात है कि आप भागलपुर में इस प्रकार के संगठन की बात करते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा कि इस काम में जो लोग दाखिल होना चाहे उनकी इस काम की पूरी जानकारी दी जाय। बहुत-से लोग बिना जानकारी के किसी काम में लग जाते हैं और बाद में उसे छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें पहले पूरी जानकारी हो, इसमें उनकी पूरी दिलचस्पी हो, तभी वे इसमें आयें।

प्रश्न—आजकल शिक्षकों के भिन्न-भिन्न संगठन हैं। अपनी भिन्न-भिन्न मांगों की पूर्ति के लिए वे संगठन कायम करते हैं। जब सारे शिक्षक इस 'आचार्यकुल' के सदस्य बन जायेंगे तो क्या उनकी पहले के संगठन की सदस्यता समाप्त हो जायगी? शिक्षक लोग अपनी मांगों की पूर्ति के लिए हड़ताल इत्यादि किया करते हैं, क्या वे ऐसा कर सकेंगे?

विनोबा—वे कतल भी कर सकते हैं, वशर्त कि वह मुफ़ीद हो। (हँसी)। देखना चाहिए कि कोई काम ऐसा नहीं किया जाय जो बेकार हो। कोई प्रयोजन हो तो वैसा काम सुव्यवस्थित ढंग से करना चाहिए। अगर किसीको ऐसा करने की इच्छा हो तो अपने आचार्यकुल में प्रश्न पूछा जाय कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, आपकी सलाह क्या है? अगर आचार्यकुल अपनी सिफारिश करे, अनुमति दे कि आप ऐसा कर सकते हैं तो किया जाय, और अगर आचार्यकुल के लोगों की ऐसा करने की इच्छा न हो, तो आप नहीं करें।

प्रश्न—सर्व-सम्मति स या बहुमत से?

विनोबा—अगर बहुमत का कानून लागू किया जाय तो वादा स्वयं 'होप्लेस मैन' सिद्ध होगा। (हँसी)

लेकिन वादा आपके साथ बात करते हैं और आपको उनकी बात जंचती है और आप उसे स्वीकार करते हैं। इस वास्ते जहाँ बुद्धि का सवाल है, जहाँ चिन्तन का सवाल है, वहाँ मेजोरिटी का काम नहीं है। दस मनुष्यों से ज्यादा बेहतर सलाह एक मनुष्य दे सकता है। ऐसा हो सकता है कि एक मनुष्य ही सबसे उत्तम सलाह किसी विषय पर आपको दे। इस वास्ते सर्व-सम्मति का ही नियम रखा जाय। जितना सर्व-सम्मति का विचार होगा, वह अपना विचार समझा जायगा।

प्रश्न—आचार्यकुल में हर बार सर्व-सम्मति से निर्णय नहीं हो सकता है। कई बार ऐसे प्रश्न आयेंगे, जिनमें भिन्न भिन्न रायें होगी और आपमें में मनभेद होगा। वैसी हालत में सर्व-सम्मति का सवाल कैसे हो सकता है?

विनोबा—देखिए, दुनिया में एक बहुत बड़ा एमोसियेशन है, जिसका नाम है 'क्वेनसं सोसाइटी'। क्वेनसं सोसाइटी में कम-से-कम दुनिया में २० लाख कार्यकर्ता होंगे और दुनिया के बहुत-से देशों में वे लोग

वाम करते हैं। वे तरह-तरह के काम करते हैं—विद्यालय चाहते हैं, हास्पिटल भी चलाते हैं और दूसरी तरह के काम भी करते हैं। उनका नियम है चर्चा के लिए बैठना और निर्णय करना। चर्चा में जहाँ सर्व-सम्मति हुई, वहाँ वह पास हो गया और जहाँ बहुमत हुआ, वहाँ उसको पड़ा रहने देते हैं, और भगवान् से प्रार्थना करते हैं। बाद में फिर उस पर चर्चा होती है और सर्व-सम्मति से वह पाम होता है। इस प्रकार से सारी दुनिया में वे वाम कर रहे हैं। मेरे खयाल से सर्व-सम्मति का यह उमूल उतना अव्यावहारिक नहीं है जितना हमको लगता है।

प्रश्न—किसी विचार पर कोई कुछ न बोला और निष्पक्ष रहा तो क्या समझा जायगा ?

विनोबा—कोई विचार आया और किसीने उस पर विरोध नहीं किया, तो उसे सम्मति ही समझी जायगी। प्रत्यक्ष रूप से कोई विरोध करेगा तो विरोध माना जायगा।

प्रश्न—आज विश्वविद्यालयों का अस्तित्व सरकार के कानून पर निर्भर करता है। ऐसी हालत में आचार्यकुल का कार्य किस प्रकार से चलेगा ? आज हम जिस प्रकार से आचार्यकुल का कार्य शुरू कर रहे हैं, उसका सम्बन्ध सरकार के कानून से किस तरह रहेगा ?

विनोबा—पेड़ को काटकर डंडा बनाना है तो पेड़ पर कुल्हाड़ी मारते हैं, तभी डंडा बनता है। कुल्हाड़ी से प्रहार करते हैं। कुल्हाड़ी को मदद देनेवाला जो डंडा है वह उसी पेड़ का है। वैसे ही सरकार की मदद लेकर सरकार को काटना है। उसको किस प्रकार से किया जायगा, इसकी कुशलता आप लोगों में होनी चाहिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जैसे जज हैं, उनकी तनख्वाह सरकार से मिलती है, यानी प्रजा से, क्योंकि प्रजा का पैसा सरकार द्वारा मिलता है। परन्तु सुप्रीम कोर्ट के जज सरकार के खिलाफ भी निर्णय दे सकते हैं और उन निर्णयों को सरकार को मानना पड़ता है। जिस तरह से यह चीज मानी हुई है, उसी तरह से आचार्य का स्तर भारत में इस वक्त माना हुआ नहीं है, लेकिन प्राचीन काल से भारत में यह मान्यता है कि आचार्य सबके गुरु हैं। इस वास्ते राजा की सत्ता आचार्यों पर नहीं है। यह मानी हुई बात थी, परन्तु आज वह मानी हुई बात नहीं है। जहाँ-जहाँ सरकार से सम्बन्ध की बात होगी, वहाँ

सर्व-भ्रमति से आपको निर्णय लेकर सरकार के सामने पेश करना होगा और उसका असर सरकार पर पड़ेगा ।

प्रश्न—सकल पत्र में एक धारा यह भी है कि राजनीतिक पक्षों का हम समर्थन नहीं करेंगे और सदस्य नहीं बनेंगे । हम अपने विश्व विद्यालयों में अर्थशास्त्र समाजशास्त्र में भिन्न भिन्न पक्षों के जो विचार हैं उसको समझाते हैं कि कौन अच्छा है या कौन बुरा है । इसके द्वारा समाज का निर्धारण होता है । तो अगर हम यह बने कि इस प्रकार की बात न करें, तो समाज में अराजकता जैसी हो जायगी ।

विनोबा—अभी मैंने आपको सामने रखा है कि आपको विश्वराज बनाना है । आपको जय जगत् बनाना है । इसलिए हमें छोटी राजनीति की बात नहीं सोचनी चाहिए । हमें बड़ी और व्यापक राजनीति की बात सोचनी चाहिए । राजनीति शास्त्र का अध्ययन पूरा-पूरा होना चाहिए । बाबा अपने को पार्लिटिक्स से मुक्त नहीं समझता । बाबा मानता है कि उत्तम-से-उत्तम पार्लिटिशियन बाबा है, क्योंकि वह एक ऐसी दुनिया बना रहा है कि अगर वह बनेगी तो क्रान्ति हो जायगी । इस वास्ते हम पार्लिटिक्स से अलग नहीं हैं । लेकिन पार्टी पार्लिटिक्स और सत्ता की पार्लिटिक्स को हम अलग रखना चाहिए । ऐसी बात नहीं कि राजनीति के चिन्तन से हम मुक्त रहेगे । राजनीति तो हमारे चिन्तन का एक बहुत बड़ा भाग होगा, क्योंकि जीवन के टुकड़े नहीं हो सकते और जीवन में राजनीति है ही ।

भागलपुर

७-३-६८

आचार्यकुल की स्थापना

: ७ :

कहलगांव का यह स्थान प्राचीन है। कहोल नामक एक मुनि हो गये हैं। उपनिषद् में याज्ञवल्क्य की सभा में चर्चा के लिए जो विद्वान् आये थे, उनमें एक थे कहोल मुनि। बृहदारण्य उपनिषद् में ब्रह्मचर्चा में वे भाग लेते हैं।

यहाँ हम दो अपेक्षाएँ लेकर इस बार आये हैं। पहली बिहारदान की अपेक्षा और दूसरी यह कि शिक्षको की एक स्वतंत्र सत्ता खड़ी की जाय। सभी शिक्षको का एक संगठन हो। कल 'आचार्यकुल' का उच्चारण हुआ, आज कहलगांव में उसकी स्थापना होती है।

इससे प्राथमिक शिक्षकों से लेकर विश्वविद्यालय तक के सभी शिक्षको का एक संगठन होगा। इसमें एक निर्णायक समिति होगी, जिसमें चुनाव एवं निर्णय सर्व-सम्मति से होंगे। कालेज के शिक्षक अपने वेतन का १ प्रतिशत इस संगठन के लिए देंगे। नीचे के शिक्षको को यदि अधिक मालूम हो तो १०० रुपये में ५० पैसे दें।

कहलगांव (भागलपुर)

८-३-१६८

अध्यापकों का संकल्प-पत्र

प्राक्कथन

आज जब कि हमारे देश का वातावरण भिन्न-भिन्न प्रकार की हिंसात्मक घटनाओं से विपाक्त और आतंकित हो रहा है तथा जिनका दमन करने के लिए पुलिस द्वारा विश्वविद्यालय के अहातों तक का अतिव्रमण होने लगा है, हम शिक्षकों का यह प्राथमिक कर्तव्य हो गया है कि हम स्वयं अपनी शक्ति से उन सारे उपद्रवों का शमन करे और अपने परिवेश में शांति को स्थायी रूप में सुप्रतिष्ठित करें।

इससे भी अधिक हम अपने विश्वविद्यालय के अहातों में ही अपनी समग्र शक्ति को निःशेष नहीं समझेगे, बल्कि सारे देश को ही विश्व-विद्यालय का प्रशस्त और विराट् प्राण समझेगे और उसमें किसी भी प्रकार का हिंसात्मक विस्फोट हो और पुलिस उसका दमन करने आये, इसका कभी अवसर ही न आने देगे। हमारी शमन-शक्ति सर्वोपरि हो।

यों तो न्याय-विभाग की भाँति शिक्षा-विभाग की स्वायत्तता भी सर्वमान्य है, किन्तु उसे सच्चे अर्थ में उपलब्ध एवं कार्यान्वित करने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा सत्ता के पीछे न भागकर स्वयं अपनी स्वतंत्र शक्ति का विकास करे।

उपरिनिर्दिष्ट कथन से मैं सहमत हूँ और संकल्प करता हूँ कि :

[क] मैं किसी भी राजनीतिक पक्ष का सदस्य न बनूँगा और न चुनावों में किसी पक्ष-विशेष का प्रचार ही करूँगा।

[ख] सारे राज्य को शिक्षा का कार्यक्षेत्र मानकर विचार द्वारा अशान्ति के शमन का प्रयास करूँगा, जिससे अशान्ति के दमन के लिए दंड-शक्ति का उपयोग न करना पड़े।

पूरा नाम.....

हस्ताक्षर.....

घर का पता.....

तिथि.....

अध्यापकों के लिए संगठन का एक सुभात्र

श्री वितोबाजी ने १६२-१६८ को आर० डी० एड डी० जे० कालेज, मुगेर के प्राध्यापको के बीच प्रवचन करते हुए अध्यापको के लिए एक संगठन की नींव सुझायी, जो अध्यापको की नैतिक प्रतिष्ठा का तथा उनकी सामाजिक हैसियत का उन्नयन करेगी। उन्हें इसका आंतरिक दुःख है कि न केवल सरकार या समाज की दृष्टि में, बल्कि अध्यापक स्वयं अपनी दृष्टि में भी आखिरी हद तक गिर चुके हैं। इसलिए उन्हें तत्काल जगना चाहिए सक्रिय होना चाहिए, कृत-सकल्प होना चाहिए, जिससे उनके आत्मबोध की प्रकाश किरणों का प्रसारण हो सके और वे खुद आत्मशोध कर सकें। संगठन की रूपरेखा निम्न प्रकार है।

उद्देश्य

- १ अध्ययन की प्रवृत्ति जगाना।
- २ अशांति-शमन का दायित्व लेना।
- ३ समाज और देश की समस्याओं पर चिन्तन कर सर्व-सम्मत राय प्रकट करना।
- ४ छात्रों के साथ चेतन सपर्क का ध्यान रखते हुए आत्मीयता का सम्बन्ध बनाना तथा उनके समुचित विकास की चिन्ता करना।
- ५ शिक्षण-संस्थाओं की स्वायत्तता का संरक्षण और विकास करना।
- ६ राजनीति के तमस से परे रहने का अभ्यास करना।
- ७ शिक्षण-मदति के सर्वतोभूती विकास का ध्यान रखते हुए छात्रों के लिए तदनु रूप पाठ्यक्रम प्रस्तुत करना, जिससे समाज को सुपठित शील और विनययुक्त सुभद्र नागरिक मिल सकें और उसका कल्याण हो सके।
- ८ आर्यिन' बठिनाइयों के बीच नैतिक हास से अपने-आपको बचाना।
- ९ जिले के ग्रामो एव नगरो का सर्वेक्षण करना।

ऐसे ही या इनके सदस्य उद्देश्यों की पूर्ति से ही लोक-शिक्षा का समाज में प्रवेश हो सकेगा । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निम्नलिखित सुझाव विचारणीय हैं :

१. बिहार का प्रत्येक जिला इस संगठन की एक इकाई होगा ।

२. प्रत्येक इकाई का, पूरा समय देनेवाला एक संयोजक थोड़े प्राध्यापक ही होगा, जिसके साथ कम-से-कम ११ प्राध्यापकों की एक टोली होगी, जो समय-समय पर अवकाशों में क्षेत्र के शिक्षकों से सम्बन्ध स्थापित करेगी ।

३. इस इकाई के प्रत्येक सदस्य को अपने निर्धारित वेतन का एक प्रतिशत उसके संचालन के लिए अनिवार्य दान देना होगा, जिससे पूरा समय देनेवाले का वेतन दिया जा सके तथा अन्य दूसरी व्यवस्थाओं पर व्यय हो सके ।

४. सभी इकाइयों का केन्द्रीय कार्यालय राज्य की राजधानी में रहेगा, जहाँ की व्यवस्था के लिए एक प्रभारी होगा, तथा दो-तीन सहयोगी । इस कार्यालय के खर्च के लिए प्रत्येक मण्डल को एक निर्धारित अंश देना होगा ।



आचार्यकुल : परम्परा, विकास, इतिहास

जिस भारतीय सस्कृति में गुरु को साक्षात् ब्रह्म मान लिया गया था, उस सस्कृति में गुरु की सत्ता सर्वोपरि हो यह स्वाभाविक ही है। भारत के सामाजिक ढाँचे में गुरु और आचार्य का स्थान सबसे ऊपर था—शासक और सैनिक से भी।

जन-कोलाहल से दूर किसी नदी के किनारे वन में, आश्रम बनाकर आचार्य रहता था और समाज की सारी राजनीति से अलग वह लोक-कल्याण के लिए, मानव की मुक्ति के लिए, सतत चिन्तन करता था। अपने शिष्यों को वह उस विद्या का रहस्य समझाता था, जिसके जान लेने पर भय से मुक्ति मिल सके। उसके आश्रम में 'परा और अपरा', दोनों ही प्रकार की विद्याओं का अध्ययन अध्यापन होता था। यज्ञ के पवित्र घूम से पावन इन आश्रमों के कुलपतियों, गुरुओं और आचार्यों के चरणों में बैठकर जिन 'उपनिषदों' का ज्ञान शिष्यों ने प्राप्त किया वह मानव की इतनी प्रगति के बाद भी दर्शन और अध्यात्म विद्या के सबसे बड़े ग्रन्थ हैं।

और इन आश्रमों में ज्ञान और कर्म का बड़ा सुन्दर मणिकचन संयोग था। आश्रमों का सारा जीवन स्वावलम्बन का जीवन था और तमो विद्यार्थी, निर्भय, मुक्त, स्वच्छन्द होकर आचार्यों के चरणों में बैठकर परा और अपरा विद्याएं सीखकर अपना लोक और परलोक दोनों सुधार सके, स्वर्ग और मोक्ष सिद्ध कर सके।

उपनयन संस्कार से इन आश्रमों का जीवन प्रारंभ होता था और व्रतोच्चापन संस्कार से समाप्त होता था। सारा-का सारा जीवन तप का जीवन था। और तमो दीक्षान्त भाषण के समय आचार्य विश्वास के साथ शिष्य से कहता था—'सत्य वद, धर्मं चर स्वाध्यायान्माप्रमद'। सत्य, धर्म और स्वाध्याय—अध्ययन-अध्यापन का आचारण करता हुआ तू सुन्दर गृहस्थ बन। मुझमें जो सत्चारित्र्य हैं उन्हें तू ग्रहण कर।

बौद्ध युग के विश्वविद्यालय

यह बौद्ध युग के आश्रमों के पहले की बात है। बौद्ध युग में इन आश्रमों ने वैभवशाली विश्वविद्यालयों का रूप ले लिया—नालन्दा, तक्षशिला, विक्रमशिला आदि विश्वविद्यालयों का। इन्हींमें से एक विश्वविद्यालय में प्रतिद्वन्द्व चीनी भिक्षु ह्वेनसांग पढा था और पढने के बाद घोड़ों पर ग्रन्थ लादकर चीन ले गया था।

आश्रमों की भाँति इन विश्वविद्यालयों पर भी शासन की कोई सत्ता नहीं थी। शासन-सत्ता से वे मुक्त थे। निश्चिन्त होकर अध्ययन-अध्यापन का कार्य चले इसके लिए राजा की ओर से भूमि मिलती थी, गाँव के गाँव मिलते थे। परन्तु भूमि और गाँव देने के बाद राजा नहीं देखता था कि इन विद्यालयों में क्या पढाया जाता है और कैसे पढाया जाता है। क्या पढाया जाय, कैसे पढाया जाय इसका निश्चय आचार्य करता था।

सक्षेप में, प्राचीन आश्रमों की स्वायत्तता बौद्ध युग में भी सुरक्षित रही। परन्तु ऐसा लगता है कि इस युग में विश्वविद्यालयों द्वारा भिक्षा-टन की प्रवृत्ति, कृषि गोपालन की प्रवृत्ति छोड़ दी गयी। इसका परिणाम यह हुआ कि विद्या के आलय जन-जीवन से अलग हट गये और स्वावलम्बन की प्रवृत्ति के छूट जाने से व्यक्तित्व का एकांगी विकास होने लगा जो समाज और संस्कृति के लिए अहितकर सिद्ध हुआ। फिर भी ये विद्यालय ज्ञान के बहुत बड़े केन्द्र थे और यहाँ से ज्ञान विज्ञान का आलोक सारे विश्व में फैला। प्राचीन विश्व को सभ्य और सुसंस्कृत बनाने में इन विश्वविद्यालयों के आचार्यों और भिक्षुओं का बड़ा हाथ रहा है।

राजपूत और मुसलिम काल

मुसलमानों के आक्रमण के बाद ज्ञान-विज्ञान के ये आलय बन्द हो गये। युद्ध और हिंसा की एक भीषण अग्नि प्रज्वलित हुई, जिसमें ये विद्यालय सदा के लिए स्वाहा हो गये। नालन्दा, विक्रमशिला, तक्षशिला, अवन्तीपुर के विश्वविद्यालय खडहर हो गये। उनके पुस्तकालयों की पाण्डुलिपियाँ अनास्था की अग्नि में भस्म हो गयी और इस विषय

मई-जून, '६८]

परिस्थिति में अध्ययन अध्यापन का कार्य व्यक्तिगत पंडितों के उद्यानों में सिमट गया। काशी, नवद्वीप, काजीवरम् के इन पंडितों और उनके व्यक्तिगत उद्यानों और मठों आदि की चर्चा पश्चिमी विद्वानों ने मुक्त कण्ठ से की है। इन उद्यानों और इनसे सलम मन्दिरों, मठों में य आचार्य निष्ठापूर्वक निःशुल्क विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। इसी प्रकार के काशी के एक पंडित के पास शाहजहाँ के पुत्र दारा शिकोह ने सस्कृत पढ़ी थी। इस प्रकार की पाठशालाएं इन विद्वानों की छत्रछाया में बराबर चलती रही। प्राच्य विद्या इन्हींके पास सुरक्षित रही।

ब्रिटिश युग

कालक्रम से इस देश में अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित हुआ और उन्होंने इस देश में पाश्चात्य ढंग की शिक्षा प्रारंभ की। लार्ड मैकाले ने कहा, 'पाश्चात्य विद्या के किसी भी पुस्तकालय की एक आलमारी समस्त प्राच्य विद्या से अधिक मूल्यवान है। उसकी नीति का अनुसरण हुआ। अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम बनी और धीरे धीरे देश में पश्चिमी ढंग के विश्वविद्यालय खुले, जिनका वातावरण पूर्णतः विदेशी है। 'राधाकृष्णन् यूनिवर्सिटी कमीशन के एक विदेशी सदस्य आर्थर मार्गन ने इन विश्वविद्यालयों को देखकर कहा, "इन विश्वविद्यालयों में ही घूमकर अगर मैं चला जाता तो मुझे ऐसा ही भ्रान्त होता कि भारत में एक भी गाँव नहीं है।" इस विदेशी वातावरण के अलावा इन विश्वविद्यालयों में स्वायत्तता भी नाम के लिए ही है, यद्यपि उसका दावा किया जाता है। और धीरे धीरे इनमें शासन की सत्ता बढ़ती जा रही है। ये विश्वविद्यालय राजनीति के केन्द्र हो रहे हैं। अध्यापक अपना गौरव खो चुके हैं। ऐसी दशा में आचार्य विनोबा ने एक बार फिर आचार्यकुल के गौरवमय जीवन की पुनरावृत्ति का प्रयास किया है। उतका यह प्रयास अगर सफल हुआ तो आचार्यों का गौरव बढ़ेगा और देश का कल्याण होगा इसमें सन्देह नहीं। भारत और उसकी सस्कृति आचार्यों को बनायो हुई है। उहीसे उसकी रक्षा होगी।

—वशीधर श्रीवास्तव

सम्पादक मण्डल

श्री घोरेंद्र मजूमदार—प्रधान सम्पादक

श्री वशीधर श्रीवास्तव

श्री राममूर्ति

वर्ष : १६

अंक : १०-११

इस अंक का मूल्य १-००

अनुक्रम

शिक्षण : मनुष्यता की अन्तिम आशा	४३३	श्री राममूर्ति
आचार्यकुल की भूमिका	४३६	श्री कृष्णराज मेहता
शिक्षा की समस्या	४३६	श्री विनोवा
शिक्षा में अहिंसक क्रान्ति	४६१	” ”
शिक्षा में अहिंसक क्रान्ति की योजना	४७५	” ”
शिक्षा और शिक्षक	४८१	” ”
शिक्षकों की शक्ति खड़ी हो	४९०	” ”
आचार्यकुल	४९४	” ”
आचार्यकुल की स्थापना	५०५	” ”
परिशिष्ट :		

१. अध्यापको का सकल्प-पत्र ५०६ —

२. अध्यापक-संगठन का एक सुभाष ५०७ —

आचार्यकुल : परम्परा, विकास, इतिहास ५०९ वशीधर श्रीवास्तव

मई-जून '६८



निवेदन

- 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से प्रारम्भ है।
- 'नयी तालीम' का वार्षिक चन्द्रा छ रुपये हैं और एक अंक के ५० पैसे।
- पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक सरया का उल्लेख अवश्य करें।
- रचनाओं में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक को है।

नयी तालीम : मई-जून '६८

पहले से डाक उभय दिशे बिना भजने की अनुमति प्राप्त

लाइसेंस नं० ४६

रजि० सं० एल १७२३

मैं 'आचार्यकुल' से बेहतर नाम की कल्पना नहीं कर सका । 'कुल' शब्द परिवारवाचक है और हम सभी आचार्यों का एक ही परिवार है । ज्ञान की उपासना करना, चित्तशुद्धि के लिए प्रयत्न करना, विद्यार्थियों के प्रति वात्सल्य भाव रखकर उनके विकास के लिए सतत प्रयत्न करते रहना, सारे समाज के सामने जो समस्याएँ आती हैं, उनपर तटस्थ भाव से चिन्तन करके सर्वसम्मति का निर्णय समाज के सामने रखना और समाज को उसी प्रकार के 'गाइडेंस' (मार्ग-दर्शन) देते रहना—इत्यादि कार्य जो हम सब करने जा रहे हैं, वह एक परिवार की स्थापना का ही काम है ।



—त्रिन्तोबा

जुलाई १९६८
वर्ष : १६ • अंक : १२

जयी तालीम

विद्यया ऽ मृतमश्नुते



- शिक्षक : नये समाज का नायक
- प्राथमिक शिक्षा में विकेन्द्रीकरण
- कुमारमन्दिर के दो घटे
- सृजनशील शिक्षा



सत्रहवाँ सर्वोदय-सम्मेलन

सत्रहवाँ सर्वोदय सम्मेलन ८ जून से १० जून, १९६८ तक आवू रोड में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता की श्री शंकरराव देव ने, जिनका परिचय देते हुए आचार्य दादा धर्माधिकारी ने कहा : "श्री शंकरराव देव ने अपने सार्वजनिक जीवन में अखण्ड पुरुषार्थ किया है, प्रतिकूलताओं ने और बाधाओं ने उनके व्यक्तित्व को क्षीण करने के बजाय हमेशा सान पर चढाया है।"

सम्मेलन में भारत के कोने-कोने से लगभग एक हजार सर्वोदयी कार्यकर्ता और लगभग चार हजार ऐसे लोग एकत्र थे, जिन्हें सर्वोदय-कार्यक्रमों पर धृष्टा थी।

स्वागताध्यक्ष श्री गोकुलभाई भट्ट ने इस बार के सर्वोदय-सम्मेलन के जनाधारित स्वरूप का जिक्र करते हुए स्वागत-भाषण दिया। श्री शंकररावजी ने अपनी अोजस्वी वाणी में प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए गांधीजी की जीवन-निष्ठा और उनकी सर्वोदय-भावना का जोरदार शब्दों में जिक्र किया और कहा कि आज नया मानस बनाने की जरूरत है। बिना नये मानस के नये युग की चुनौती स्वीकार नहीं की जा सकती, जो सर्वोदय का लक्ष्य है।

वर्ष : १६

अंक : १२

आज ग्रामदान-आन्दोलन सर्वोदय-आन्दोलन का प्रतीक बन गया है। अतः जाहिर था कि वही इस सम्मेलन की चर्चा का सबसे प्रमुख केन्द्र रहता। और, सम्मेलन की सारी चर्चा ग्रामदान-आन्दोलन की उपलब्धियों और शक्यताओं को लेकर ही हुई। तमिलनाडु के सुप्रसिद्ध सर्वोदय कार्यकर्ता श्री जगन्नाथन् ने पूरे आन्दोलन को जन-आन्दोलन बनाने पर जोर देते हुए कहा कि अगर हम समय रहते नहीं चेते तो नक्सालवादी को पुनरावृत्ति प्रत्येक स्थानों पर हो सकती है। ज्वालामुखी घघक रहा है। नक्सालवादी जैसी घटनाएँ उसका पूर्वाभास मात्र हैं। इसका विकल्प ग्रामदान ही है, यह जनता को बताना है। श्री चारुचन्द्र भण्डारी ने, जिनके प्रयास से नक्सालवादी में ग्रामदान हुए हैं, वहाँ का मार्मिक चित्र उपस्थित करते हुए कहा कि जिस जगह ६० प्रतिशत से अधिक आदिमी जन्म-जन्म से बँटाईदार हैं वहाँ नक्सालवादी नहीं होगी तो क्या होगा? पहले नहीं हुई यही अचरज है। हिंसा के इस मार्ग को रोकने का ग्रामदान के अलावा दूसरा मार्ग नहीं है।

भाचार्य राममूर्ति ने कहा कि अभी तक पाँच जिलादान हुए हैं, पर ये इस नयी अहिंसक क्रान्ति के नये आयाम हैं। साम्यवाद ने समता लाने के लिए वर्ग-संघर्ष का मार्ग अपनाया। बहुतों का हित उसका ध्येय हुआ और वर्ग-संघर्षजनित हिंसा उसका मार्ग। परन्तु सर्वोदय विचारधारा में विश्वास रखनेवालों का कहना है कि सर्व का हित सर्व के द्वारा और सर्व के लिए होना चाहिए। मालिक और मजदूर के हितों में विरोध नहीं है। जमींदार अगर अपनी जमीन का मालिक है, पूँजीपति अपनी पूँजी का मालिक है तो मजदूर भी अपने श्रम का मालिक है। इस दृष्टिकोण से विचार करने पर समस्या का निराकरण होगा। सब उत्पादन और वितरण की प्रक्रिया में साझेदार की हैसियत से समता के एक घरातल पर मिल सकते हैं और उन्हें मिलना चाहिए। आज तो मजदूर अगर 'कासस' होना है, तो मालिक उलटा 'एक्सस' होने लगता है। यह स्थिति खतम होनी चाहिए।

अखिल भारत शान्ति सेना मण्डल के मंत्री श्री नारायण देसाई ने देश में बढ़ती हुई हिंसा का हवाला देते हुए दान्तिमय क्रान्ति के ऊपर बल दिया और कहा कि जबतक हमारे आन्दोलन में 'ऐक्शन' नहीं होगा, तब तक आकर्षण नहीं होगा। इसके लिए तरण सेना और आचार्यकुल के कार्यक्रम पर जोर देना चाहिए।

श्री डेवर भाई ने देश की आज की स्थिति की चर्चा करते हुए कहा कि गांधीजी अगर जिंदा होते तो क्या वे चैन से बैठते या बैठते देते। आज जिस तरह से सरकारें चल रही हैं, क्या उस तरह की सरकारें गांधीजी के होते हुए इस देश में टिक सकती थीं? आज हिन्दुस्तान के रंग-रंग में हिंसा मरी हुई है। कुरुक्षेत्र जैसा हाल है कि अजुंन एक ओर विश्व-रूप देख रहा है और दूसरी ओर कांप रहा है। मैं नहीं जानता, कहां है हिंदुस्तान? आश्चर्य की बात तो यह है कि हम दान्ति के साथ बहुत कुछ बरदास्त करते जा रहे हैं। परन्तु उसका श्रेय भारतीय जनता को है, उसकी त्याग वृत्ति को है, उसकी सहिष्णुता को है और नहीं कहा जा सकता कि यह जनता कबतक बरदास्त करती रहेगी।

श्री जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण में कहा कि ग्रामदान-आन्दोलन एक प्रकार से नयी समाज रचना का शीर्षक है। इसके बिना ग्रामराज या ग्राम-स्वराज्य की स्थापना नहीं हो सकती है। लोग पूछते हैं कि पाँच पाँच जिलादान हुए, साठ हजार ग्रामदान भी हुए, इससे ग्रामों का चित्र क्या बदला और कितना बदला? उस बदले हुए चित्र का नमूना कही है? इस प्रकार की मनोवृत्ति को मैं 'नमूना-वाद' कहता हूँ लेकिन यदि रबिये, नमूना बना देने से यह चाहे कितना ही अच्छा क्यों न हो, समाज में परिवर्तन नहीं होता, सामाजिक क्रान्ति नहीं होती। गुजरात में तथा अन्य भी कई जगहों में गांधीजी के रचनात्मक कार्यों के बहुत अच्छे नमूने हैं। उनकी सराहना भी हुई है लेकिन इस २० वर्ष के स्वराज्य के बाद भी क्या उन्होंने समाज की दिशा बदली है? इसी प्रकार विदेशों में भी कुछ जगहों पर कुछ विदेशी प्रदर्शनों में विश्वास रखनेवालों ने बहुत अच्छे नमूने के समाज

बना रखे हैं, परन्तु उसका कोई प्रभाव समाज पर नहीं, जो अपनी गति से चल रहा है। कुछ आलोचकों का कहना है कि ग्रामदान हस्ताक्षर अभियान मात्र है। वस तूफान ही तूफान है तो मैं स्वीकार करता हूँ, पर आपको यह मानना होगा कि तूफान में हवा के साथ-साथ मिट्टी भी रहती है। बाढ़ में कूड़ा भी रहता है, लेकिन उस सबका भी एक महत्व है। नेशन स्टेट के आगे बढ़ करके हमें पूरी दुनिया के सन्दर्भ में सोचना होगा। हमारे दिल-दिमाग में 'सावरेटी' का भूत भरा हुआ है। अगर यह भूत नहीं निकला तो जिस तरह से राज्यों का विघटन हो रहा है, वह सारी दुनिया पर अपना असर लायगा। १९ वीं सदी के राष्ट्रवाद का भयकर परिणाम हम अपनी आंखों देख रहे हैं।

श्री जैनेन्द्रकुमार ने पावर, प्रापर्टी और परसनालिटी का जिक्र करते हुए स्वत्व से विसर्जन की बात कही कि इस स्वत्व का सर्वत्व म लीन होना ही सर्वोदय है। गुजरात के राज्यपाल श्री श्रीमन्नारयण ने कहा कि ग्रामदान की जड़ तो अध्यात्म में है। हमें रचनात्मक कार्यक्रमों को उत्साह के साथ चलाना चाहिए, यह वैज्ञानिक और व्यावहारिक के साथ-साथ आध्यात्मिक कार्यक्रम है।

श्री दादा धर्माधिकारी ने मालिक और मजदूर के सम्बन्धों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मजदूर मेहनत का मालिक है, यह चाहे भले ही सच हो, पर उस मेहनत के मालिक को अपनी मजदूरी बेचनी पड़ती है। आज तो कुदाली, कुल्हाड़ी, चरखा और करघा के रूप में भगवान का नया युगावतार हुआ है।

आगामी सर्वोदय सम्मेलन नवम्बर १९६९ में बिहार के बौद्धतीर्थ राजगीर में होने की घोषणा की गयी।

—वशीधर श्रीवास्तव

जितने भी प्रकार के अनुशासन हैं वे सब मनुष्य के जीवन में किसी-न-किसी प्रकार का बंधन निर्माण करनेवाले ही हैं क्योंकि अनुशासन का अर्थ ही यह है कि वह जो आदेश प्रस्तुत करेगा उसका अनुकरण करना, तद्वत् बनने का प्रयत्न करना। इसीलिए अनुशासनमात्र के मूल में प्रामाण्य (प्यारिटी) होता है — या तो किसी व्यक्ति का या कभी-कभी आदेश-विरोध का जहाँ प्रामाण्य हमारे समाने आदेश प्रस्तुत करता है, वहाँ तदनुकूल वाता-चरण बनाने का काम अनुशासन करता है। इसलिए अनुशासन अनुकरणात्मक क्रिया के सिवाय कुछ नहीं है। अनुशासन से समता बढ़ सकती है, लेकिन वह क्षमता कभी यांत्रिक क्षमता होगी। उसमें सृजनशीलता का अभाव होगा। और जिन जीवन में सृजनशीलता भारी गयी हो, उसे सुख का अनुभव कभी नहीं हो सकता। इसलिए शिक्षा को यदि सृजनशील बनाना है तो उसे उन सब बातों से दूर रखना होगा, जो जाने-भनजाने, अनुकरण करानेवाली होंगी, या अनुकरण की वृत्ति पैदा करनेवाली होंगी। श्री कृष्णमूर्ति कहते हैं—

“हम जब कुछ बनने के खयाल से किसीका अनुकरण करते हैं तो उसमें से भय का निर्माण होता है, और भय से सृजनशील विचारशक्ति मर जाती है। भय में वृद्धि कुण्ठित हो जाती है, हृदय जड़ हो जाता है, पूर्ण जीवन के महत्त्व को ग्रहण करने की क्षमता नष्ट हो जाती है। अपने दुःखों के प्रति तथा दूसरों के हर्ष विषादों के प्रति, पशु-पक्षियों की चहचहाहट के प्रति हम एकदम संवेदनहीन हो जाते हैं।”

प्रामाण्य घनाम प्रेमसम्बन्ध

यहाँ ध्यान में रखने की बात यह है कि प्रामाण्य को मानने में, उसका प्राग्रह करने में, और किसी प्रकार का अनुशासन बनाने में, उसका पालन करने में निश्चिन्त ही भयवृत्ति काम करती है। भय के कारण ही हम प्रामाण्य को जन्म देते हैं और उससे चिपके रहते हैं और उन्नी प्रामाण्य के द्वारा अभि-व्यक्तिको मिट्टी में मिटा देते हैं। प्रामाण्य के ही कारण हममें विचार और आचार-विरोध का अनुकरण करने की वृत्ति पैदा होती है। लेकिन मुद्-दिष्ट्य के बीच वास्तविक प्रेमसम्बन्ध तभी स्थापित हो सकता है जब उन दोनों के मन में किसी भी प्रकार का भय पैदा न हो। जहाँ प्रेम सम्बन्ध होगा, वहाँ न अश्वस्थता रहेगी, न अनुशासनहीनता रहेगी और न ही सापरवाही रहेगी। उस अश्वस्थता में जानाजान करना और उसकी उत्तम तकनीक हस्तगत करना

वायें हाथ का खेल हो जायगा, क्योंकि प्रेममय वातावरण में जीवन की राई-रत्ती को एक नया ही महत्व प्राप्त हो जायगा, उसकी अनुपम माधुरी चमकेगी ।

प्रश्न यह है कि शिक्षा-पद्धति में से भय को कैसे दूर किया जाय ? यह सत्य है कि भय का निर्माण करनेवाले स्वयं शिक्षक और माता-पिता ही हैं । उनके भय से ही बालक प्रामाण्यपूजक बनते हैं और प्रामाण्य जो आदर्श प्रस्तुत करेगा उसका अनुकरण करने में अपनी सार्थकता मानते हैं । इसलिए भय को दूर करने का वास्तविक उपकरण भी शिक्षक और माता-पिता ही हैं । इसका अर्थ यह है कि उनको शिक्षा में सुधार करने से पहले अपने विचार और आचार के हेतुओं का परीक्षण करना चाहिए । यानी माता-पिता तथा शिक्षकों को बालकों में प्रज्ञा जागृत करने से पहले खुद अपने अन्दर उसे जागृत करना चाहिए । श्री कृष्णमूर्ति कहते हैं—

“शिक्षक को पहले स्वयं अपना परीक्षण करना चाहिए । अपने विचारों, भावनाओं और आचारों के प्रति सतत जागृक और अत्यन्त सावधान रहना चाहिए । अपनी प्रवृत्तियों और अपने प्रतिपादों (रेस्पान्सेस) के प्रति सजग रहना चाहिए, क्योंकि प्रज्ञा इसी सावधानता से उत्पन्न होती है और उसीके साथ-साथ दूसरों के प्रति उस व्यक्ति के सम्बन्धों में आमूल परिवर्तन हो जाता है ।”

इस प्रकार शिक्षा समस्या का मूल तत्त्व है—शिक्षकों में परिवर्तन । कुशल और प्राज्ञ शिक्षक वह है जो बालक के अन्दर पनपनेवाले उन सभी आश्वासन-केन्द्रों को मिटा दे जो भय के कारण उत्पन्न होते हैं और जिनके कारण बालक प्रामाण्य का अनुगामी बन जाता है ।

शैक्षिक परिवर्तन का माध्यम : शिक्षक

श्री कृष्णमूर्ति शिक्षा में परिवर्तन की अपेक्षा रखते हैं, उसका माध्यम बदला हुआ शिक्षक ही है । आज तक मनुष्य ने पद्धतियों और प्रक्रियाओं में परिवर्तन करके, पाठ्यपुस्तकें बदलकर, विषयों में परिवर्तन करके, धार्मिक शिक्षा द्वारा विचार और आचारों में एकरूपता (रेजिमेण्टेशन) लाकर और इसी प्रकार के नाना उपायों से शिक्षा समस्या का हल खोजने का प्रयत्न किया, परन्तु कभी इस शिक्षक के सुधार के प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान नहीं दिया । यह सही है कि हमने शिक्षा में शिक्षक को केन्द्र माना और इसके लिए उससे ऊँचे आदर्शों की अपेक्षा रखी । लेकिन श्री कृष्णमूर्ति जिस बदले हुए शिक्षक की बात करते हैं, उसका अर्थ आदर्शपूजक शिक्षक हरगिज नहीं है । बदले हुए शिक्षक के सम्बन्ध में कृष्णमूर्ति कहते हैं—

‘जो शिक्षक जाने मनजाने छात्रों को दूसरों पर अवलम्बित रहना सिखाता है वह छात्रों का भला नहीं करता। हो सकता है कि वह छात्रों पर अपने ज्ञान का भार लाद दे, अपने गरिमामय व्यवित्त्व से उन पर खूब प्रभाव जमाये, लेकिन वह सही शिक्षक नहीं है, क्योंकि उसके पास जो ज्ञान और अनुभव का मण्डार है वही उसका बन्धन है, उसका सहारा है और वही उसकी कँद है। और जब तक वह उस कँद से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक छात्रों को वह ‘पूर्ण मानव’ बनाने में सर्वथा असमर्थ ही रहेगा।’

बदले हुए शिक्षक का मन प्रसाधारण मृदुता से सम्पन्न होगा ही। वह मन जो काम करेगा वह पुर्वसंचित अनुभवों और ज्ञानों के बल पर नहीं, तरकाल वस्तु स्थिति के अवलोकन मात्र में जो बोध होगा उसीके अनुसार करेगा। श्री कृष्णमूर्ति बड़े सुन्दर ढंग से कहते हैं कि “सही शिक्षक के लिए शिक्षा तकनीक का विषय नहीं है, वह उसकी जीवन पद्धति है।” यह नये ढंग की शिक्षा जीवन का ही एक अंग है। शिक्षक उसे समय समय पर सहज ही खोज लेता है। कृष्णमूर्ति जिस जीवन पद्धति का उल्लेख कर रहे हैं वह विचारों और भावनाओं की संवेदनशीलता से समृद्ध और हर प्रकार के बन्धनों से मुक्त मन का जीवन है।

कृष्णमूर्ति कहते हैं—“सही शिक्षक बनने के लिए शिक्षक को पुस्तकों और लेबोरेटरियों से सर्वथा मुक्त होना चाहिए। उसको इस बात का सतत ध्यान रखना चाहिए कि वह छात्रों का कहीं स्वयं आदर्श न बन बैठे, छात्र उसे अपना प्रमाण और नमूना न मानने लगे। शिक्षक जब अपनी कामनाओं की पूर्ति छात्रों में करने की समझा रखने लगता है, छात्रों की विजय को अपनी विजय मानता है, तब उसके द्वारा दी जानेवाली शिक्षा उसकी अपनी परम्परा को बढ़ाने और बनाये रखने के प्रयत्न के सिवाय कुछ नहीं है। इसके कारण छात्रों का आत्मज्ञान और स्वातन्त्र्य दोनों भ्रष्ट हो जाते हैं। सही शिक्षक को इन सब विघ्न-बाधाओं के प्रति सतत जागरूक रहना होगा, ताकि छात्रों को स्वतंत्र रहने के लिए न केवल अन्य प्रमाणों से, बल्कि उनके अपने सम्कार-बन्धनों से भी मुक्त रख सके।”

इस प्रकार सही शिक्षक छात्रों को शिक्षा देने के साथ-साथ स्वयं भी शिक्षा ग्रहण करता रहता है। शिक्षा दुतरफा प्रक्रिया है, अभयान्वयी है। इसलिए शिक्षा में शिक्षक और छात्र दोनों के बीच पूरी समानता की भूमिका आवश्यक है। जब तक शिक्षक यह नहीं भूल जाता कि वह थोड़ा और उत्कृष्ट है, तब तक शिक्षण सफाओं में वास्तविक स्वातन्त्र्य नहीं रह सकता।

कृष्णमूर्ति ने शिक्षा का जो तरीका दिया है उसे ठीक से समझकर उस पर प्रमत्त किया जाय तो शिक्षा बड़ी ही फ़ायदेकारी सिद्ध होगी। कृष्णमूर्ति के शिक्षण-विचार का सार यह है कि शिक्षा की पद्धति-विशेष से, विशिष्ट शिक्षा-नीति से या शिक्षा की प्रमुख एक तकनीक से शिक्षा कभी सृजनशील होनेवाली नहीं है। शिक्षा को सृजनशील बनाने का एक ही साधन है और वह है अन्तस्समृद्धि चित्त की सम्पन्नता। कृष्णमूर्ति कहते हैं :

“मन की गतिविधियों और उनसे उत्पन्न होनेवाली वाष्पों के प्रति निरन्तर सावधान रहने पर ही सृजनशीलता उत्पन्न हो सकती है।”

मन की गतिविधियों के प्रति सतत सावधान रहना निश्चित ही प्रज्ञा-सम्पन्नता का लक्षण है। इसलिए प्रज्ञायुक्त स्थिति में ही सृजनशीलता संभव है। जो शिक्षक संवेदनशील है और मन की गतिविधियों के प्रति पूर्णतया सावधान है, और इसीलिए उसे ब-धन में डालनेवाले संस्कारों के प्रति भी सजग है, वही छात्रों में प्रज्ञा का विकास करने में समर्थ होता है और यही शिक्षा का सत्य है।

वास्तविक अभिक्रम का उपाय

छात्र को ‘कैसे’ प्रज्ञावान् बनाया जाय, यह प्रश्न ही नहीं उठता। स्वयंप्रज्ञ शिक्षक प्रावश्यकतानुसार इस ‘कैसे’ का यथोचित मार्ग स्वयं खोज लेगा। इस ‘कैसे’ का कोई षटल और पूर्वनिर्धारित समाधान नहीं हो सकता। क्योंकि कोई भी पूर्वनिर्धारित समाधान खोजने का अर्थ है वही मानसिक बन्धन निर्माण करना, संस्कारविशेष से मन को जकड़ना। दूसरे शब्दों में, ऐसी कोई सुनिश्चन और पूर्वनिर्धारित शिक्षा-नीति और शिक्षा-पद्धति ही नहीं सबती, क्योंकि प्रत्येक परिस्थिति का अपना-अपना समाधान हुआ करता है, हर प्रसंग के उपाय की पद्धति अपनी निराली होती है। यदि पहले से ही कोई पद्धति तय कर रखते हैं तो निश्चन ही हम परिस्थिति का महत्त्व और गंभीर्य समझ नहीं पायेंगे। इसलिए प्रत्येक परिस्थिति के प्रति संवेदनशील रहना ही वास्तविक अभिक्रम का एकमात्र उपाय है। इस संवेदनशीलता में ही सही प्रेम होता है। शिक्षक यदि सही मानें में प्रेमल होगा, तो हर परिस्थिति में और हर क्षण में अनुकूल नयी-नयी पद्धति वह खुद खोज लेगा। पद्धति-विशेष पर; प्रमुख नीति या तकनीक पर निर्भर रहनेवाले शिक्षक में प्रेम नहीं होता। सृजनशील शिक्षा तो प्रेम से ही उत्पन्न होनेवाली है।

हम ध्याना करें कि अनुज्ञान, प्रमाण और भय में प्रेरित होनेवाली शिक्षा के स्थान पर प्रेम में निष्पन्न और प्रेम में ही सृजन शिक्षा ही हर जगह प्रतिष्ठित होगी।

अखिल भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षक-छात्र संगोष्ठी

[भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री पी० वी० गजेन्द्रगडकर ने (जो अब बम्बई विश्वविद्यालय के उपकुलपति हैं) विनोबाजी से मिलने के बाद मई, '६८ के अन्तिम सप्ताह में बम्बई में अखिल भारतीय स्तर पर विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और छात्रों का एक महत्वपूर्ण शिविर आयोजित किया । इस शिविर में छाचार्यकुल के दर्शन का विकास हुआ । शिविर में भाग लेनेवालों ने सब्रूप किया कि वे दलगत राजनीति से मुक्त रहकर भारत की एकता और अखण्डता से कटिबद्ध रहेंगे ।-स०]

प्रस्ताव

अखिल भारतीय विश्वविद्यालयों के शिक्षक एवं छात्रों का यह शिविर इस बम्बई शिविर में प्राप्त प्रमुख अनुभवों के प्रति अपनी हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त करता है और विश्वविद्यालयीन शिविरों की योजना का समर्थन करता है तथा विश्वविद्यालयों से अनुरोध करता है कि वे निम्नलिखित उद्देश्यों की सिद्धि को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालयों और कालेजों के स्तर पर इस आन्दोलन को प्रागे चलायें और बढ़ायें

१. युनियादी मूल्यों के रूप में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का प्रसार,
२. भारत की एकता, ३. लोकतन्त्र, ४. धर्मनिरपेक्षता, ५. कानून का शासन (Rule of Law)

यह शिविर अपने अध्यक्ष से, जो कि इस गोष्ठी के भी अध्यक्ष है, निवेदन करता है कि इस गोष्ठी के उपाध्यक्ष के तथा इस शिविर के अध्यक्ष श्री पी० वी० गजेन्द्रगडकर के परामर्श से— (अ) इस शिविर में उपस्थित निम्न उपकुलपतियों को गोष्ठियों की नियामक समितियों में लें वाराणसी, वर्धवान, अलीगढ़, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, एस एन डी टी विश्वविद्यालय तथा वाराणसीय संस्कृत विश्वविद्यालय, और

(आ) गोष्ठियों से सम्बन्धित एक विश्वविद्यालयीन शिविर समिति का गठन करें, जिसके निम्न सदस्य हों—

१. डा० क० भा० मुशी, अध्यक्ष (प्रेसिडेंट)
२. डा० प्र० बा० गजेन्द्रगडकर, प्रधान (चेयरमैन)
३. निम्न उपस्थित उपकुलपति इलाहाबाद, आणन्द, वाराणसी, बंगलोर, बड़ौदा, गुजरात, ग्वालियर, इन्दौर, जम्मू कश्मीर, कानपुर, मदरास, मदुराई, उस्मानिया, पूना, सौराष्ट्र, एस० एन० डी० टी०, दक्षिण गुजरात और उदयपुर ।

यह विधिर योजना के उद्देश्यो की पूर्ति की दृष्टि से आवश्यकतानुसार अन्य सदस्यो की नियुक्त कर लेने का अधिकार अध्यक्ष को देता है ।

गोष्ठी : १ :

१. भारत की एकता और अखण्डता

इस गोष्ठी मे राष्ट्रीय एकता, कानूनी प्रशासन, लोकतन्त्र, और घर्मनिरपेक्षता पर मुख्य चर्चा हुई । गोष्ठी की कार्यवाही मे शिक्षक तथा छात्रो ने समान रूप से पूरी दिलचस्पी ली । इसकी अन्तग अलग बैठको की अध्यक्षता अलीगढ़ विश्व-विद्यालय के सहायक (प्रा०) उपकुलपति श्री रहमान, और सम्बलपुर विश्व-विद्यालय के उपकुलपति श्री कभूर ने की ।

देश के खण्डित होने की समस्या पर ऐतिहासिक तथा सामाजिक प्राथिक दोनो पहलुओ से चर्चा हुई ।

कुछ लोगो की राय मे स्वातन्त्र्य पूर्व काल मे भारत मे एकता की भावना थी, जब कि स्वातन्त्र्य प्राप्ति के बाद वह तेजी से खण्डित होनी जा रही है । सबने माना कि देश के सामने विघटन का गम्भीर खतरा विद्यमान है और विघटनकारी प्रबल शक्तियाँ भारत की एकता के लिए घातक बनती जा रही हैं । यह स्वीकार किया गया कि विघटन के वर्तमान प्रवाह को पलटने के लिए त्वरित कदम उठाये जाने चाहिए ।

देश के विघटन के कारणो का विस्तार से विश्लेषण किया गया और समाधान के अनेक उपाय सुझाये गये । विघटन के कुछ प्रमुख कारण ये हैं—राष्ट्रीय दृष्टिकोण का अभाव, प्रान्तीयता की वृद्धि, भाषावार प्रान्तरचना, कई भारतीय जानियो की भाष्यवादी वृत्ति, जातिवाद और साम्प्रदायिकता, दुबल राजनीतिक नेतृत्व, जिसके साथ सत्ता के लिए हो रही आपाभापी का प्रभाव, औद्योगीकरण के परिणामस्वरूप आर्थिक वर्गों का निर्माण, आर्थिक प्रगति की मन्द गति, शिक्षित वर्गो की सहस्रावृद्धि और आर्थिक वृद्धि मे क्षेत्रीय विषमता ।

एकता और अखण्डता बनाये रखने और परिपुष्ट करने की दृष्टि से निम्न उपाय सुझाये गये—भारत के विभिन्न भागों से सम्बन्धित जानकारियों का प्रसार, शिक्षको और छात्रो का आदान-प्रदान, पर प्रान्तीय भाषाओ के वर्गों का आयोजन तथा छात्रो को अपनी भाषा से भिन्न भाषाओं का अध्ययन करने को प्रोत्साहित करना, क्षेत्रीय भाषा के अतिरिक्त अन्य प्रान्तीय भाषाओं का उपयोग—विशेषत ऐसे क्षेत्रो मे, जहाँ विभिन्न भाषा-भाषी लोग रहते हो वहाँ आपसी व्यवहार के माध्यम के रूप में, प्रान्तीय भाषाओ की उन्नति का इस ढंग

से प्रयास करना, जिससे राष्ट्रीय भावना पुष्ट हो, विविध सेनाओं की, जो कि शत्रुवाद को बढ़ाना दे रही हैं, अभिवृद्धि को रोकना, आदि। यह भी सुझाया गया कि नौकरी के लिए क्षत्रीय भाषा के ज्ञान को अनिवार्य न माना जाय। विश्वविद्यालय प्रखिल भारतीय शिविरों का आयोजन करके प्रबल जनमत निर्माण के द्वारा देश को इस विघटन से बचाने में सहायता कर सकते हैं।

२ कानून का शासन

सर्वसम्मति से यह स्वीकार किया गया कि कानून का शासन किसी भी 'सम्भ समाज' का विशेषतः लोकतंत्रीय जीवन पद्धति का स्वीकार करनेवाले समाज का अनिवार्य समरूप है।

समाज में आये दिन कानूनी प्रशासन का उल्लंघन करने की, विशेषतः छात्र समुदाय में जो वृत्ति प्रबल होती जा रही है—यद्यपि, यह भी अनुभव किया गया कि छात्र असंतोष भाज का जागतिक प्रश्न बना हुआ है, फिर भी उसका निरास किया गया।

गोपी के सदस्यों की राय में छात्र-असंतोष के निम्न कारण हैं— (१) समय के प्रतिकूल शिक्षा पद्धति (२) प्रयोग्य शिक्षक (३) पुराने और नये सस्तर का मध्य, (४) शिक्षिता की नौकरी की सुविधा का अभाव, और (५) सत्तालोलुप चालाक राजनीतिज्ञों द्वारा अपने हित साधने के लिए छात्र समुदाय का दुरुपयोग किया जाना।

इस बात का खेद प्रकट किया गया कि स्वातन्त्र्ययुद्ध दिनों में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के लिए नैतिक मूल को लोकप्रिय बनाया था, छात्र तथा राजनीतिज्ञों ने दुरुपयोग करके उसका रूप विकृत कर दिया है।

विशेषतः छात्र समुदाय में कानून के उल्लंघन की बुराई को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाये गये —

- १ उत्तम पुस्तकालय और अनुसंधानशालाएँ,
- २ सुयोग्य शिक्षक,
- ३ गिना को मोद्देश्य और लक्ष्यो-मुख बनाना,
- ४ परीक्षा-पद्धति में समुचित सुधार,
- ५ छात्रों को स्वशासन की कला का आवश्यक प्रशिक्षण,
- ६ माता पिता को बच्चों के बर्तन के लिए अधिक मन्त्रिय बनाना,
- ७ विश्वविद्यालय के कामों में राजनीतिक पक्षों या सरकार की हस्तक्षेप करन न देना; अर्थात् विश्वविद्यालय की स्वायत्तता की सुरक्षा,
- ८ छात्रों के 'आयोजन' दु'सो को शीघ्र से शीघ्र दूर करने की व्यवस्था करना,

६. इस बात का ध्यान रखने का प्रबन्ध करना कि विश्वविद्यालय के उन्नत पदों पर होनेवाली नियुक्ति के पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य न रहे,

१०. भ्रष्टाचार-प्रवृत्तियों में लगनेवाले छात्रों के प्रति विश्वविद्यालय के अधिकारियों को सहानुभूतिपूर्ण और मानवीय दृष्टि अपनानी चाहिए, और अन्त में, [लेकिन इसका महत्त्व कम नहीं है]—

११. यदि छात्र विध्वंसक और हिंसक तरीकों पर ही जमे रहने का निश्चय करते हैं, तो उन्हें कानून के उल्लंघन से सम्भावित परिणामों के लिए भी तैयार रहना होगा।

३. लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता

प्रारम्भ में ही अध्यक्ष ने बताया कि इतिहास में कभी और किसी राष्ट्र में पूर्ण लोकतंत्र का दृष्टान्त दिखाई नहीं देता है। इसलिए अपने राष्ट्र में लोकतंत्र यदि ठीक नहीं चल रहा है, तो इससे भरपूर अधिक घबड़ाने की आवश्यकता नहीं है। इसका यह अर्थ नहीं कि लोकतंत्र के भविष्य के प्रति हम उदासीन हो जायें। कुलपति श्री मुन्शी ने सकेत किया, समूचे पूर्वी राष्ट्रों में केवल भारत और जापान ही दो राष्ट्र हैं जहाँ सुदृढ़ लोकतंत्र है। बाकी सब राष्ट्रों में सैनिक शासन लागू होते हम देख रहे हैं। उन्होंने इस तथ्य की ओर भी ध्यान दिलाया कि भारत के इतिहास में जब भी केन्द्र दुर्बल हुआ है, तब राष्ट्र के अन्य भागों का पतन हुआ है। छोटी-छोटी राजनीतिक पार्टियों का बढ़ना लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। इसका उदाहरण फ्रान्स प्रस्तुत कर रहा है।

राजनीतिक दलों के सम्बन्ध में कुछ सदस्यों की राय थी कि देश में तीन-चार ही पक्ष हो जिनकी विचारधारा स्पष्ट हो, दूसरे कुछ सदस्य मानते थे कि भारत जैसे इतने बड़े देश में जहाँ कि सामाजिक और धार्मिक रचना बहुविध है, अनेक पक्षों का होना अनिवार्य है।

सबने यह माना कि लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए धर्मनिरपेक्ष दृष्टि को स्वीकार करना और अल्पसंख्यकों में विश्वास जागृत करना अत्यावश्यक है। लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता को सुदृढ़ बनाने के लिए निम्न उपाय सुझाये गये—

(१) चुनाव के नियमों में आवश्यक संशोधन होना चाहिए, ताकि चुनाव के समय होनेवाले भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो।

(२) भ्रष्टाचार को दूर करने और सार्वजनिक जीवन के उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर व्यक्तियों को काम से जी चुराने न देने का हर सम्भव प्रयत्न किया जाय।

(३) साम्प्रदायिक पक्षों और भ्रष्टाचारों पर प्रतिबंध लागाया जाय।

(४) छात्रों को जाति या साम्प्रदायिकता के भाषार पर प्रवेग देने के बारे में विश्वविद्यालय को विमुक्त करना

(५) शिक्षा के सभी स्तरों में विश्व के सभी प्रमुख धर्मों के दार्शनिक तत्त्वों के अध्ययन को प्रोत्साहित करना,

इन सबसम्मत सुझावों के अतिरिक्त कुछ अन्य बातें भी सुझायी गयी—

(१) विश्व के विभिन्न धर्मों में सर्वानुकूल और सबसामान्य तत्त्वों का शोधन करने की दृष्टि से धार्मिक नेताओं की परिषदों का आयोजन हो

(२) विश्वविद्यालयों में धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन का विभाग खोला जाय

(३) विश्वविद्यालयों में छात्रों के धर्मनिरपेक्ष संगठन सहे किये जायें,

(४) सभी समुदायों की एक सबसामान्य भाषा-सहिता हो,

(५) शिक्षा-संस्थाओं में नैतिक शिक्षण के पाठ्यक्रम चालू किये जायें ।

(६) विभिन्न समुदायों में अन्तर्जातीय विवाह हो ।

गोष्ठी : २ :

छात्र समस्या

इस गोष्ठी में छात्रों की समस्याओं के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई । सबसे एक राय से इस परिस्थिति को मान्य किया कि आज भारत में छात्र समुदाय के अन्दर भारी असन्तोष की मनोवृत्ति बनी हुई है । परन्तु यह उन दु स्थितियों का परिणाम है जो विद्यालयों में बहुत पहले से सामान्य रहती आयी है । इस असन्तोष को विशेष कारणों से समय समय पर उभरने-वाले अनुशासनहीनता आदि तात्कालिक प्रसंगा से पृथक् मानना चाहिए । यह जो असन्तोष की भावना है यह एक प्रकार से शुभ चिह्न ही है, क्योंकि इससे प्रवृत्तियों को सशक्त और फलदायी बनाने की माँग व्यक्त होती है और माँग की पूर्ति के लिए विधायक दिशा धनाने की आवश्यकता होती है । छात्र समुदाय अभी तक देश की विद्या-संस्थाओं के यथोचित गाम्भीर्य के प्रति आस्थावान है और वह सबसे अधिक आकांक्षा इस बात की रखता है कि शैक्षिक प्रवृत्तियों और प्रयत्नों में उन्हें अधिकाधिक सहयोग और सहभाग के अवसर मिलें । साथ ही अब छात्र अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गये हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए सभी दंड उपाय धनाने का सकल्प कर चुके हैं । मूलभूत अधिकार जिसकी वे आज माँग कर रहे हैं वह है जीने का अधिकार और ऐसी परिस्थिति में काम करने का अधिकार जिसके अन्तर्गत वे अपनी शैक्षिक योग्यता के अनुरूप

वरिष्ठों के निरीक्षण और मार्गदर्शन में कार्य कर सकें।

एक बात सर्वसामान्य रूप से मान्य थी कि वर्तमान शिक्षा-पद्धति समया-नुवृत्त नहीं है और समाज की तात्कालिक आवश्यकताओं और चुनौतियों के (परिस्थितियों के) अनुरूप उसे यथोचित मोड़ देना चाहिए। उसकी प्रमुख न्यूनताएँ ये हैं—वह नाहक परीक्षा प्रधान हो गयी है, केवल बौद्धिक क्षमता बढ़ाने पर अत्यधिक जोर देती है, छात्र के सम्पूर्ण व्यक्तित्व को रूप देने का किंचित भी प्रयास उसमें नहीं है, और पर्याप्त मात्रा में विविध पाठ्यक्रम वह प्रस्तुत नहीं कर पाती, जिससे एक ओर छात्रों की विविध रुचियों और क्षमताओं की वृद्धि हो सके और दूसरी ओर समाजोपयोगी कार्य-कुशलताएँ उन्हें प्राप्त हो सकें। फिर भाग यह समस्या वहाँ जाकर और घनीभूत हो जाती है, जब शिक्षा की समाप्ति के बाद उनको उनकी क्षमता और विद्या के विनियोग का समुचित क्षेत्र मिलने का ठीक निश्चय नहीं होता।

- १ शिक्षाक्रम को इस प्रकार परिवर्तित और प्राणवन्त करना चाहिए कि वह वर्तमान युग की सांस्कृतिक धाराओं और बौद्धिक वातावरण के अनुरूप हो।
- २ भारत भर के पाठ्यक्रम और पाठ्य विषय समान होना चाहिए—भले ही स्थानीय आवश्यकतानुसार थोड़ा बहुत परिवर्तन कर लेने की छूट रहे, और समाज के सभी तबके के लोगों की शिक्षा संस्थाओं का भी समान रूप होना चाहिए।
- ३ शिक्षक और छात्रों के बीच निरन्तर घनिष्ठ सवाद चलना चाहिए, जिसके लिए छात्रों और शिक्षकों के अमुक अनुपात का ख्याल रखना होगा।
- ४ शिक्षकों को अपने सामने उन्नत क्षमता का लक्ष्य रखना चाहिए।
- ५ पाठ्य क्रम की योजना में विविधता रहनी चाहिए और उद्योगप्रधान पाठ्य क्रम भी होने चाहिए।
- ६ मनोवैज्ञानिक और कुशल परीक्षण का और छात्रों के परामर्श का प्रबन्ध होना चाहिए।
- ७ परीक्षापद्धति में सुधार होना चाहिए।
- ८ पुस्तकालय, पाठ्यपुस्तकें, खेलकूद आदि सभी आवश्यक सुविधाओं की पर्याप्त उदार व्यवस्था रहनी चाहिए।
- ९ शिक्षा पद्धति में स्कालरशिप और फ्रीशिप की सुविधा देने की ऐसी समुचित पद्धति होनी चाहिए कि वह ऐसे ही छात्रों को मिले जो

योग्यता और भोजित्य के आधार पर उसे पाने के हकदार है। विश्व-विद्यालय के कार्यकलापों में छात्रों का अधिकधिक योगदान प्राप्त किया जा सके यह सबसे ज्यादा वाछनीय है।

इस प्रकार की व्यवस्था नियोजित करने में अधिक धनराशि व्यय करना पड़ेगा, परन्तु वह राष्ट्र के भविष्य निर्माण की दृष्टि से उस धन का पूँजीगत विनियोग होगा।

सिद्धापद्धति का यह भी ध्येय होना चाहिए कि छात्रों को सार्वभौम नैतिक मूल्यों का स्तकार दिया जाय और उनमें ऐसी वृत्ति निर्माण की जाय कि वे भारत में लोकतांत्रिक, समत्वमुक्त और सहयोगी समाज की स्थापना करने में विघायक और प्रभावशाली योग देने में तत्पर हो।

गोष्ठी : ३ :

दलगत राजनीति और विश्वविद्यालय

१. यह सब स्वीकार करते हैं कि हमारे अधिकांश विश्वविद्यालय और सामान्य शिक्षक सत्पाएँ दलगत राजनीति के दुष्प्रभाव से बुरी तरह ग्रसित हैं। नियुक्तियाँ, तरकियाँ, प्रतिनिधि-मण्डल आदि का निर्णय लेने समय दलगत राजनीति का प्रभाव काम करता है। छात्र और शिक्षक भी राजनीतिक गुटों में शामिल होते हैं और राजनीतिक व्यक्तियों के हाथ का अधीकार बन जाते हैं। इस अस्वस्थ परम्परा के प्रति सबने चिन्ता व्यक्त की।

२. दलगत राजनीति विश्वविद्यालय-समाज की उदासीनता और पर्याप्त राजनीतिक चेतना के अभाव पर जीवित रहती है। सबकी यह राय रही कि परिस्थिति विश्वविद्यालय-समाज को त्वरित और सुदृढ सक्रियता के लिए प्रेरित कर रही है। इसकी पूर्ति तभी हो सकेगी जब विश्वविद्यालय समुदाय में राजनीतिक चेतना जागृत की जायगी, जो राष्ट्र की और मध्यमक समाज की प्रमुख समस्याओं से अद्रूत और उदासीन न हो। छात्र-समुदाय को सदा सजग, तत्पर और उत्साही रहना चाहिए, जिससे कि वह विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं पर अपना अभिमत मुक्त भाव से छुलकर प्रस्तुत कर सके और उसके द्वारा वर्तमान लोकमत पर अपना प्रभाव डाल सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के निम्न उपाय हो सकते हैं—

(अ) भारतीय मन्त्रिधान, विभिन्न राजनीतिक-दलों और प्राधुनिक भारत के इतिहास के साथ वर्तमान सामाजिक विषयों का पाठ्यक्रम दाखिल किया जाय।

(भा) छात्रा और शिक्षकों के छोटे छोटे समूहों का गठन किया जाय जो राजनीतिक चेतना निर्माण करने और बढ़ाने की दृष्टि से एक घटक बन सकें ।

(इ) विभिन्न राजनीतिक विचारों के नेताओं की निश्चित विषयों पर अपनी अपनी दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाय ।

३ विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों से लेकर नीचे तक सब अधिकारियों की नियुक्ति में आज सत्र राजनीति दिखाई देती है । यह बड़े सेद की बात है और इसका कारण यह है कि आज विश्वविद्यालयों की नियुक्तियों और चुनावों में राजनीतिक व्यक्तियों और गैर शिक्षाजगत् के लोगों के हस्तक्षेप को वधानिक गन्नाहण रली गयी है । इसलिए सुझाया गया है कि—

(अ) विश्वविद्यालयों के कानून और नियम ऐसे बनाये जायें जिनमें उन कुलपतियों और अथ अधिकारियों की नियुक्ति या चयन गिना जगत् की सुयोग्य समितियाँ ही कर सकें ।

(आ) आज यह निष्कर्ष की गयी कि विश्वविद्यालयीन गिना को केन्द्रीय विषय बनाया जाय और विश्वविद्यालय प्रमुखान प्रायोग से निवेदन किया जाय कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय के नमूने पर प्रादेशिक विश्वविद्यालयों के विकास और निर्वाह का अधिकधिक दायित्व वह अपने हाथ में ले ।

४ हमारी शिक्षा समस्याओं को दलगत राजनीति से प्रभावमुक्त रहना चाहिए और गिना तथा विद्यार्थियों को पक्षों का मतलब सिद्ध करनवाला और नही बनना चाहिए । इसके लिए यह सुझाया गया कि राजनीतिक पक्षों से निवेदन किया जाय कि वे राजनीतिक हेतुओं में विश्वविद्यालय-समाज का उपयोग न करें । यदि मनान का तरीका कारगर न सिद्ध हो तो इस सम्बन्ध में समुचित वधानिक कदम उठाने के लिए लोकमत तयार किया जाय ।

गोष्ठी : ४ :

भाषा

भाषा समस्या पर पोल बठकों में चर्चा हुई और इन चर्चाओं में अधिक लोगो ने भाग लिया । चर्चा प्राणवान रही और कभी कभी गरम भी रही । सभी पहलुओं पर औरबार चर्चा हुई । इस बात पर जोर दिया गया कि शिक्षक और छात्र समुदाय के नाते इस समस्या पर चर्चा करने का हमारा [शेष पृष्ठ ५४७ पर]

प्राथमिक शिक्षा के विकेन्द्रीकरण

डा० देवेन्द्रदत्त तिवारी

[विकेन्द्रीकरण बुनियादी शिक्षा की नीति है। विनोबा विकेन्द्रीकरण की इस नीति के सत्रमे एडे समर्थक हैं। 'आचार्यकुल' में उनकी इस नीति की पूर्ण व्याख्या हुई है। विद्वान लेखक ने अपने इस लेख में उस नीति का प्रभावपूर्ण ढंग से समर्थन किया है और शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ती हुई केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति की निन्दा की है।—सम्पादक]

प्रस्तुत विषय का विवेचन करने से पहले विकेन्द्रीकरण शब्द का अर्थ स्पष्ट कर लेना आवश्यक है। विकेन्द्रीकरण का अर्थ है अधिकार और दायित्व दोनों के केन्द्र के एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के हाथ में रहने देने के बजाय बुनियादी इकाइयों या व्यक्तियों के हाथ में सौंपना। विकेन्द्रीकरण का विचार करते समय अधिकार और दायित्व दोनों का विचार करना चाहिए। इन दोनों में भेद करना आवश्यक है, क्योंकि प्रायः नीचे की इकाइयों को दायित्व तो सौंप दिया जाता है, किंतु उम दायित्व को निभाने के लिए प्रायः एक अधिकार नहीं दिया जाता। दायित्व और अधिकार के बीच की इस खाई के कारण ही हमारे देश के विकास के प्रयास विफल रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गाँव-पंचायत और क्षेत्र-समितियों को कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि कई क्षेत्रों के विकास कार्य का विरोध दायित्व दिया गया, लेकिन उन्हें यह अधिकार नहीं दिया गया कि वे अपने साधन-स्रोतों को बढ़ा सकें या वे लचीले न हों तो उन्हें लचीला बना सकें अथवा उन साधनों को केन्द्रीय या राज्य सरकार के साथ बाँट लें। सरकार अपने राजस्व का कुछ भी भरा देने की इच्छुक नहीं थी। सब योजनाओं को कार्यान्वित करने का सारा अमित्रम सरकारी कर्मचारियों के हाथ में ही है, और अंतिम निर्णय लेने का अधिकार भी उन्हें ही है, जब कि प्रत्यक्ष काम करनेवाले स्थानीय लोग हैं। इस देश में विकेन्द्रीकरण का इतिहास अधिकारविहीन विकेन्द्रीकरण का इतिहास है। लेकिन स्वयंसेवासैन की इकाइयों के रूप में ग्राम-पंचायतों को प्रतिष्ठित करने की बात लिखनेवाले

संविधान रचयिताओं का यह भाव्य नहीं रहा है। (भारत का संविधान, निदेशक सिद्धान्त धारा ४०)

विकेन्द्रीकरण : सिफं नाम के लिए

दुर्भाग्य की ही बात है कि जहाँ दायित्व को ऊपर से नीचे की ओर सौंपने का प्रयत्न चला, वहाँ उस पर अमल करने का और नियंत्रित करने का अधिकार नीचे से ऊपर की ओर ही रहने की प्रवृत्ति बनी ही नहीं रही, यद्यो भी। न केवल प्राथिक और राजनैतिक नियंत्रण, बल्कि वैचारिक नियंत्रण भी दिन-प्रतिदिन केन्द्र के हाथ में अधिकाधिक जा रहा है। संविधान में (सेड्यूल ७, सूची २, अंश २) घोषित किया गया है कि शिक्षा राज्य का विषय है। परन्तु केन्द्र सरकार अपने योजना-प्रायोग, युनिवर्सिटी ग्राण्ट कमीशन, नेशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ एजुकेशन आदि संस्थाओं द्वारा विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त के विपरीत ही काम कर रही है, यहाँ तक कि पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें भी केन्द्र-सरकार की संस्थाएँ देश भर के लिए तैयार करती हैं। उन्हे इस बात की चिन्ता भी नहीं है कि वे पुस्तकें और वे पाठ्यक्रम स्थानीय परिस्थिति के और आवश्यकता के अनुकूल हैं भी या नहीं। राज्य सरकारों की भी यही स्थिति है। अपरिवर्तनीय पाठ्यक्रम और बाह्य परीक्षाओं के कारण लोकतंत्र की कदम-कदम पर हत्या हो रही है। केन्द्रीकरण की यह प्रवृत्ति न केवल इस देश में, बल्कि ऐसे देशों में भी कि जहाँ लोकतांत्रिक परम्पराएँ विख्यात हैं, प्रबल होती जा रही है।

केन्द्रीकरण का तर्क

पहली बात यह कही जाती है कि कई ऐसे प्रश्न हैं, जिनका समाधान केन्द्र के स्तर पर ही हो सकता है। जैसे—गुरक्षा, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय विकास आदि। एकता और विकास के क्षेत्र ऐसे हैं, जिनमें मानव-जीवन के लगभग सभी पहलुओं का समावेश हो जाता है, इसलिए सभी स्तरों पर व्यक्ति तथा स्थानीय इकाइयों के मामले में केन्द्र का हस्तक्षेप अपरिहार्य हो जाता है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और विकास का एक प्रमुखतम साधन माना गया है, इसलिए शिक्षा का नियमन और नियंत्रण केन्द्र के स्तर पर ही होना चाहिए। इसीलिए राज्यों ने अधिकांश विकास-कार्यक्रम केन्द्र के निर्देशन में चलाये हैं। यही नहीं, विद्याभास का भी नियमन केन्द्र करने चागा, जो स्थानीय अभिक्रम के लिए घातक है। इसका एक उदाहरण है नेशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ एजुकेशन, जिसके दर्जनों निरर्थक विभाग हैं। उस संस्था की धार से भिन्न-भिन्न विषयों की पाठ्य-पुस्तकें तैयार करने के और भिन्न-भिन्न आदर्श पाठ्यक्रम प्रस्तुत करने के प्रयत्न किये गये।

एक बुनियादी प्रश्न

यहाँ हम बान का उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि हमारा देश ऐसा देश है जिनमें बड़ी विविधता है, सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, लेकिन ऐसे देश की शिक्षा में एकरूपता लाने के प्रयत्न का अर्थ है शिक्षा के प्राथमिक, बल्कि नववाचिक महत्व के सिद्धान्त—कि शिक्षा परिचित परिस्थिति के द्वारा ही दी जानी चाहिए—को ही ध्यात पहुँचाता है। शिक्षा की एकरूपता से राष्ट्रीय एकता मिट्ट होती है, ऐसा सोचनेवाले लोग भी हैं। समझने की बात है कि जिन देशों में पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें भिन्न भिन्न और अनेक प्रकार की हैं, वहाँ राष्ट्रीय एकता टूट नहीं गयी है। केन्द्रीकरण के समर्थक कह सकते हैं कि अमरीका और इंग्लैंड का उदाहरण नहीं मानना चाहिए क्योंकि उन देशों की और हमारे देश की परिस्थिति भिन्न है। इसके उत्तर में हम कह सकते हैं कि अमरीका और इंग्लैंड भी शुरू-शुरू में इन्हीं सब परिस्थितियों और अनुभवों से गुजरे हैं, और उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बुनियादी प्रश्न यह है कि हम अपने राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में लोकतंत्र स्वीकार करते हैं या नहीं। यदि लोकतंत्र हमारा लक्ष्य है, तो फिर विकेन्द्रीकरण से भाग नहीं सकते।

केन्द्रीकरण के समर्थन में एक और दलील यह है कि पाठ्यक्रमों और पाठ्य-पुस्तकों का निर्माण विशेषज्ञों का काम है, इसलिए निम्न स्तरों में वह समाधानकारक ढंग से नहीं किया जा सकता। वास्तव में विशेषज्ञता ही है जो मारे अधिकारों को चन्द हाथों में केन्द्रित करने को विवश करती है, वह न केवल व्यक्ति की अग्रहेलना करती है, बल्कि सामाजिक संगठनों को भी मान-धताहीन बना देती है। स्वचालित मशीनों की तीव्र वृद्धि के प्रभाव इस कथन के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। विशेषज्ञता के कुछ लाभ तो हैं, परन्तु गम्भीर हानियाँ भी हैं। विशेषज्ञ को जिनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी आवश्यकता की पूति करनी चाहिए, उनके बन्धों पर चढ़ नहीं बैठना चाहिए।

विकेन्द्रीकरण की इस भूमिका के साथ अथ प्राथमिक शिक्षा का विचार करना उचित होगा।

विकेन्द्रीकरण की पृष्ठभूमि

गहराई में देखने पर हम पायेंगे कि प्राथमिक शिक्षा के विकेन्द्रीकरण के प्रयत्न गत शताब्दी से ही हो रहे हैं, सन् १८८२ में लार्ड रिपन के समय में एक इण्डियन एजुकेशन कमीशन की रिपोर्ट से पता चलता है कि सभी से म्यान्तीय सस्थाओं को अधिकाधिक अधिकार देने की बात चली है। उसके

वाद विवेकीकरण के प्रश्न का विचार करनेवाणी कई समितियाँ बनीं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण थी हाटग समिती जिसने इस धाताब्दी के प्रथम पाद में स्थानीय सस्थाओं के शिक्षा-काय का मूल्यांकन किया है। उसकी राय में विवेकीकरण से वाञ्छित परिणाम नहीं घाय।

हम अनुभव करते हैं कि प्राथमिक शिक्षा की स्वस्थ प्रगति के लिए परिवर्तन आवश्यक है। यह बिलकुल सही है कि स्थानीय मामलों के स्थानीय सस्थाओं को ही सारा प्रयत्न करना चाहिए और यह भी अस्वाभाविक नहीं है कि शुरू शुरू में अनुभवहीनता के कारण दोष भी होंगे। परंतु हमारी राय में शिक्षा एक राष्ट्रीय सेवा है और इस विषय में राज्य अपने दायित्व से बलग नहीं हो सकता।^१

सन १९४४ की साजेंट कमेटी की भी ऐसी ही राय थी।

सिद्धान्त यह अच्छा है कि शिक्षा के विषय में स्थानीय रुचि का निर्माण हो और इस तर्क के पक्ष में बहुत कुछ कहा जा सकता है कि स्थानीय सस्थाओं के हाथ में उसे नियंत्रित करने का कुछ अधिकार भी देना चाहिए वगैरें कि उस पर अमल करने की क्षमता उनमें आयी हो। लेकिन प्रत्यक्ष व्यवहार के वर्तमान पीढी की शिक्षा का दायित्व ऐसे समूहों के हाथ में जिनके सदस्य अशिक्षित हो और शिक्षा में कोई रुचि न रखते हो सौंप देने का परिणाम इतना हानिकर हुआ है जिसका कोई इलाज नहीं है। इस लिए शिक्षा के पुनर्रसगठन की योजना बनाने से पहले राज्य सरकारों को स्थानीय सस्थाओं के हाथ से शिक्षा सम्बन्धी सारे अधिकारों को अपने हाथ में लेना चाहिए ऐसी कोई सस्था हो जिसकी क्षमता के बारे में विश्वास हो गया है कि व्यापक उत्तरदायित्व उठा सकेगी उनके अधिकार उन्हींके हाथ में रहने दिये जाय।^२

यह थी स्वराज्य के पहले की स्थिति। यद्यपि यह निम्नगामी छतनी का सिद्धान्त (डाउनवर्ड फिल्डिंग थियरी) के द्वीय नीति निर्धारण के निवेदनो में आलोचना और निंदा का विषय बना हुआ था, फिर भी सत्तारूढ़ लोगों के दिमाग पर बराबर हावी रहा और प्राथमिक शिक्षा का विषय उपक्षित ही रहा।

१ कलकत्ता स्थित इण्डियन स्टैच्युटरी कमीशन की मध्यकालीन रिपोर्ट भारत सरकार का प्रकाशन गारहा सन् १९२६ पृ० ३३४।

२ युद्धोत्तरकालीन भारतीय विकास पर शिक्षा की केन्द्रीय सलाहकार समिति की रिपोर्ट का तीसरा संस्करण। जनवरी ४४ पृ० ७३।

स्वराज्य प्राप्ति के बाद

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद चूंकि मविधान में ६ से १४ वर्ष तक के बालक बालिकाओं को अनिवार्य नि:शुल्क शिक्षा देने का प्राविधान किया गया है, इसलिए प्राथमिक शिक्षा को विशेष महत्व दिया जाने लगा। सन १९५१ में भारत सरकार ने राज्य सरकारों और स्थानीय सरकारों के बीच प्रशासनिक सम्बन्धों के बारे में उचित परामर्श देने के लिए एक समिति नियुक्त की।^१ उसकी रिपोर्टें अत्यंत मूल्यवान हैं। उसने स्थानीय मस्थापना को अधिकधिक नियंत्रण करने का तथा कुछ सीमित दायरे में अपने साधन स्रोतों की वृद्धि कर लेने का अधिकार देने की सिफारिश की है।

वास्तव में स्वतंत्रता से पहले, कांग्रेस शासनकाल में कई राज्या ने स्वायत्ततामय की इकाई के रूप में पंचायतों की स्थापना के द्वारा विकेंद्रीकरण के कदम उठाये थे। स्वतंत्रता के बाद देश में विकेंद्रीकरण की स्पष्ट रूपरेखा बनाने की आवश्यकता थी। इसलिए भारत सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की जो 'बलवन्तराय मेहता कमेटी' के नाम से प्रसिद्ध है। (सामुदायिक विकास योजना और राष्ट्रीय प्रसार सण्डों के अध्ययन के लिए सन १९५७ में बनी कमेटी की रिपोर्टें)। यह सुविस्तृत समग्र आलेख है, जो कई खण्डों में प्रकाशित है। उसने त्रिस्तरीय पद्धति का सुझाव दिया— ग्रामीण स्तर पर स्थानीय पंचायत, प्रखण्ड स्तर पर पंचायत-समिति या क्षेत्र समिति, और जिला-स्तर पर जिला परिषद्। इसमें प्रमुख परक यह था कि इससे पहले विकेंद्रीकरण की आधारभूत इकाई जिला थी, परन्तु अब जिले की भावना की वृद्धि तथा विकास कार्यों की समस्याओं की अधिकता के कारण, और इसलिए भी की स्थानीय प्रशासन में जनता का प्रत्यक्ष सहकार मिल सके, ग्राम पंचायतों और क्षेत्र समितियों को विशेष प्राधान्य दिया जाने लगा।

इकाई का आकार

वास्तव में यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रशासन की स्थानीय इकाई का आकार क्या हो। इंग्लैंड, अमेरिका तथा अन्य राष्ट्रों में इन इकाइयों का निश्चय भावादी, संचारसाधन, जनता की इच्छा और ऐसी ही अन्य बातों के

१ कमेटी मान दि रिलेशनशिप बिट्वीन स्टेट गवर्नमेंटम एण्ड लोकल बाडीज इन दि एडमिनिस्ट्रेशन, आफ प्राइमरी एजुकेशन, मिनिस्ट्री आफ एजुकेशन, गवर्नमेंट आफ इंडिया १९५४ की रिपोर्टें।

आधार पर किया जाता है। वहाँ गाँवों का आकार भिन्न-भिन्न है—इंग्लैण्ड में एक देहात २६००० का है, तो नवाशायर के रटलैण्ड में २०-२२ लाख का है।^१ अमेरिका के स्कूल-जिले की जनसंख्या भी समान नहीं है। नेब्रास्का में ४५५ तो न्यूयॉर्क में १४,००० (सन् १९६० की जनगणना के अनुसार)।^२ हमारे यहाँ शिक्षा-प्रशासन की बुनियादी इकाई के रूप में जिला बहुत बड़ा पड़ता है। इसलिए जिले की अपेक्षा प्रखण्ड ठीक रहेगा, क्योंकि एक प्रखण्ड में लगभग १०० गाँव होते हैं।

भारतीय शिक्षा आयोग ने भी इस प्रश्न की चर्चा की है और सुझाया है कि नियोजित विकास कार्य की अनुकूलतम इकाई का आकार जिला होना चाहिए। महत्त्व की बात ध्यान में यह रखनी है कि शिक्षा के प्रश्नों पर स्थानीय लोक-समुदाय का सक्रिय और प्रत्यक्ष सहयोग मिलना चाहिए। इस दृष्टि से प्रखण्ड अधिक सुविधाजनक इकाई प्रतीत होता है।

कुछ राज्यों में प्रखण्ड-स्तर पर विवेन्दीकरण किया गया है। हाल के कुछ वर्षों का अनुभव यह रहा कि वहाँ कई कारणों से विवेन्दीकरण सफल नहीं हुआ। पहला कारण यह है कि जिला परिषदें उसकी जिम्मेदारी और अधिकार को अपने हाथ में लेने की इच्छुक नहीं थी। दूसरा कारण यह था कि उनके हाथों में कोई साधन नहीं दिया गया। तीसरा यह कि क्षेत्र समितियों को ब्लॉक डेवलपमेंट आफिसर के मार्फत सरकारी नियंत्रण के अधीन रखा गया। अतः, अधिवादाधिकारीमण शहरी जीवन तथा शहरी सुख सुविधाओं के अधी होने के कारण प्रखण्डों में जाकर बसने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि वहाँ उनको शहर की सारी सुविधाएँ नहीं मिल सकती थी।

शैक्षिक प्रशासन के प्रकार

हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन के कई प्रकार हैं। (१) त्रिपुरा, मणिपुर आदि केन्द्र-प्रशासित राज्यों में तथा अन्यत्र भी प्राथमिक शालाएँ पूर्णतया केन्द्रीय शासन के सीधे नियंत्रण में चलती हैं। हरियाणा और पंजाब

१ लन्दन के शिक्षा विज्ञान विभाग द्वारा प्रसारित २०-१०-६६ की शिक्षा-सम्बन्धी रिपोर्ट के अनुसार।

२. दि टीचर एण्ड स्कूल आर्गनाइजेशन—ते० लियो एम० चम्बरसीन और डब्ल्यू० किण्डर्ड लिखी (चतुर्थ संस्करण १९६६), पृ० ६५।

जैसे कुछ राज्यों में भी यही पद्धति अपनायी गयी है। कश्मीर में सभी श्रेणियों की शाखाएँ सरकार की ही ओर से चलाई जाती हैं। (२) दूसरा प्रकार यह है कि प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी सारे अधिकार पंचायत समिति या क्षेत्र समिति को सौंप दिये गये हैं, जैसे—राजस्थान, मान्य प्रदेश, मद्रास और उत्तर प्रदेश (३) तीसरा प्रकार यह है कि प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण जिला-स्तर की स्थानीय सभ्यताएँ करती हैं, जैसे—महाराष्ट्र में है। इंग्लैंड और अमरीका में शालेय स्तर की पूरी शिक्षा और कहीं-कहीं सामुदायिक कालेज (कम्युनिटी कालेज) भववा जूनियर कालेजों में दो वर्ष की उच्च शिक्षा सम्बन्धी प्रशासन भी स्कूल-बोर्ड या स्थानीय समुदायों के हाथ में है। अधिनायकवादी राज्यों में सारी शिक्षा का नियंत्रण सरकार करती है।

प्रशासन सम्बन्धी विभिन्न मत

प्रश्न यह है कि प्राथमिक शिक्षा के बारे में प्रशासन का प्रकार क्या होना चाहिए। कुछ लोगों का मत यह है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए प्राथमिक शिक्षा का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है, और सविधान में भी अनिवार्य निश्चिन्त शिक्षा के लिए प्राविधान है, इसलिए यह केन्द्र की जिम्मेदारी है कि सविधान के प्राविधान को कार्यान्वित करे। इससे अत्यन्त रूप से प्राथमिक शिक्षा के केन्द्रीकरण को बल मिलता है। राज्य के स्तर पर कुछ लोग मानते हैं कि शिक्षा में केन्द्र का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, प्राथमिक शिक्षा का सारा नियमन और नियंत्रण निश्चित ही राज्य-सरकार के हाथ में होना चाहिए। अधिकांश लोग, जिनमें शिक्षक भी हैं, इसी मत के हैं, क्योंकि स्थानीय सभ्यताओं का प्रबन्ध ठीक नहीं रहता है और स्थानीय राजनैतिक पक्ष स्कूल और शिक्षकों का उपयोग अपने मतलब के लिए करने लगते हैं। शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिलता, यह भी एक प्रमुख कारण है कि वे प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन को राज्य-सरकार के हाथ में सौंपने का समर्थन करते हैं। जिस देश ने लोकतंत्र को स्वीकार किया हो, जिसमें सारा दायित्व और सारा अधिकार स्थानीय समुदायों के ही हाथ में रहना चाहिए, ऐसे देश के लिए उपर्युक्त स्थिति निश्चिन्त ही शोचनीय है।

केन्द्रीकरण के समर्थन में दलील देने का अर्थ है लोकतंत्र के विरुद्ध दलील देना। जिला, प्रखण्ड या स्थानीय सभ्यताएँ अपना दायित्व निभाने में असमर्थ रहें, इसका सारा दोष केन्द्रीय और राज्य-सरकारों पर है, क्योंकि इन्होंने विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त के प्रति कभी पूरी भावना नहीं दिखायी

और न कभी उसे आजमाने का कृपया। डेर कमेटी (१९५१)^१ की रिपोर्ट के दसरे अध्याय में अत्यन्त महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिये गये हैं

(१) विकेन्द्रीकरण का प्रमुख उद्देश्य यह होना चाहिए कि उससे स्थानीय नेतृत्व स्थानीय अभिन्न (इनिशियेटिव) और उत्तरदायित्व की भावना का निर्माण हो। परन्तु इस उद्देश्य पर कभी पर्याप्त बल नहीं दिया गया। इसके विपरीत विकेन्द्रीकरण का उद्देश्य केवल चरदा झूटठा करना मान लिया गया।

(२) दूसरा एक सामान्य निष्कर्ष स्पष्ट होता है कि प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन के साथ स्थानीय जनता का सहयोग प्राप्त करने के प्रयोग की ओर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया और जो भी दिया गया वह पूरे मन से नहीं दिया गया और वही स्थिति अब भी दीखती है।

(३) इतिहास बताता है कि सन् १८८२ में लार्ड रिपन ने इस प्रयोग को सफल बनाने के लिए जो सुझाव प्रस्तुत किये थे, उन पर उस समय के प्रशासकों ने धमल नहीं किया। उसने स्पष्ट कहा था कि यह नया प्रयोग तभी सफल हो सकेगा, जब (१) स्थानीय समूहों को पर्याप्त साधन सामग्री दी जाय, (२) यदि अधिक व्यय साध्य अतिरिक्त कार्य सौंपते हैं तो उसके साथ अतिरिक्त आय के साधन भी दिये जायें, (३) यदि सरकारी अधिकारी स्वतंत्र राजनैतिक जीवन के प्रारम्भिक छोटे-छोटे प्रयत्नों में पूरी निष्ठा और तत्परता के साथ जुटते हैं और यह अनुभव करते हैं कि इससे प्रशासन और संचालन के अधिकारों के विनियोग का अधिक उत्तम क्षेत्र प्राप्त हुआ है। परन्तु दुर्भाग्य से इन सुझावों को जल्दी भुला दिया गया।

(४) लोगों की आम धारणा यही थी कि प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय संस्थाओं के हाथ में सौंपना ही सारी दिक्कतों का कारण है, यदि प्राथमिक शिक्षा को सफल बनाना है तो उसे राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखना चाहिए। लेकिन इस धारणा को इतिहास ने निराधार सिद्ध कर दिया है।

विकेन्द्रीकरण के कुछ पहलू

विकेन्द्रीकरण के प्रश्न पर राजनैतिक, आर्थिक और शिक्षा के पहलुओं से विचार करने की आवश्यकता है। राजनैतिक दृष्टि से हमारा लक्ष्य लोक

१ प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन में राज्य सरकारों और स्थानीय संस्थाओं के सम्बन्धों पर शिक्षा मंत्रालय से प्रकाशित रिपोर्ट (१९५४)।

तत्र है, जिसमें प्रत्येक नागरिक, को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय का, विचार, वाणी, विद्वान, श्रद्धा और उपासना की स्वतंत्रता का, ध्वंस और प्रतिष्ठा की समानता का भास्वासन प्राप्त है। हमारे सविधान की प्रस्तावना में व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर बल दिया गया है। यह लक्ष्य स्थानीय इकाइयों को पर्याप्त अधिकार और दायित्व दिये बिना सिद्ध नहीं हो सकती। लेकिन हमारे देश में रख दूसरी ही ओर है, और राज्य तथा केन्द्र-सरकारें अधिकधिक अधिकार अपने हाथ में लेती जा रही हैं। आर्थिक क्षेत्र में भी वित्तीय अधिकार राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों के हाथ में अधिक केन्द्रित होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षा का हिस्सा भी श्रेणी का विकेन्द्रीकरण करने की बात सोचना भी कठिन है। जब भी विकेन्द्रीकरण पर थोड़ा-बहुत विचार होता है, उसका एक ही मुख्य उद्देश्य आर्थिक सहायता प्राप्त करना ही होता है, राजनैतिक और आर्थिक अधिकार वांटना नहीं।

सामान्यतः शिक्षा के विकेन्द्रीकरण का विरोध प्राथमिक शिक्षा के विकेन्द्रीकरण का विचार करने के लिए प्राथमिक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं का परीक्षण करना आवश्यक है। माध्यमिक अथवा उच्च शिक्षा से प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य विरोध प्रकार का है। और वह है व्यक्ति के अन्दर छिपी हुई प्रतिभा और क्षमताओं को उद्घाटित करना और उसमें भावी जीवन की हर परिस्थिति का सामना करने की बुनियादी योग्यता उत्पन्न करना। दूसरे शब्दों में, उत्तम नागरिक निर्माण उसका लक्ष्य है। लेकिन लोगों को यह लक्ष्य ठीक से समझने का हमने कोई प्रयत्न नहीं किया, इसलिए उत्तम शिक्षा के हेतु से प्रयत्न करने का कोई उद्देश्य आम जनता के सामने नहीं है।

स्वतंत्रता के २० वर्ष बाद भी हमारे यहाँ प्राथमिक शिक्षा की जो स्थिति है, वह प्रगति की राह पर चलनेवाले किसी भी राष्ट्र के लिए सजाजनक है। लोगों के सामने वास्तविक और ठोस लक्ष्य नहीं है, इसलिए अधिकांश जनता प्राथमिक शिक्षा के प्रति सर्वथा उदासीन है। लोग अपने बच्चा को स्कूलों में जरूर भेज तो देते हैं, लेकिन उन्हें इन बातों की कोई चिन्ता नहीं है कि बच्चे वहाँ जाकर क्या करते हैं, उन्हें वहाँ कैसे रखा जाता है और उन्हें शिक्षण कैसे दिया जाता है आदि।

इस उदासीनता का कारण यह है कि प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य और नीतियाँ ऊपर से लगी हुई हैं, स्थानीय समुदायों का उसमें कोई हाथ नहीं है,

वे कुछ भी पहल नहीं कर पाते हैं और इसलिए छोटी सी छोटी बात के लिए भी लोग सरकार का मुंह ताकते रहते हैं।

पाठ्यक्रम सम्बन्धी एक भ्रामक धारणा

शिक्षा का दूसरा बड़ा पाठ्यक्रम है। आज पाठ्यक्रम केन्द्रीय या राज्य की अधिकृत सस्थाएँ निश्चित करती हैं। वे स्थानीय भावदमकताओं और स्थानीय भाचारों का कुछ भी खयाल किए बिना पाठ्यक्रम की रूपरेखा बना देती हैं। पाठ्यक्रम निर्धारित करनेवाले लोग इस तथ्य का शायद ही विचार करते हैं कि हमारा देश भूगोल, वायुमण्डल, भाषा, इतिहास और संस्कृति की दृष्टि से कई विविधताओं से भरा देश है।

यह बड़ी उपहासार्थक बात है कि नेशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ एजुकेशन जैसी केन्द्रीय सस्था समूचे देश के लिए एक पाठ्यक्रम तैयार कर दे। इसके समर्थन में प्रमुख तर्क यह प्रस्तुत किया जाता है कि पाठ्यक्रम तैयार करना विलकुल तकनीकी विषय है और हमारे सामान्य स्कूलों और स्थानीय लोगों में इसकी क्षमता नहीं है। लेकिन यह निरे भ्रम से बनी धारणा है। ममरीका में ऐसी ही केन्द्रस्तरीय विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा पाठ्यक्रम बनाने का कुछ प्रयत्न हुआ, ता उस पाठ्यक्रम पर स्कूलों ने विलकुल ही भ्रमल नहीं किया और उसके खिलाफ चारों ओर विरोध-प्रदर्शन हुआ। वस्तुस्थिति यह थी कि विज्ञान-पत्रों द्वारा निर्मित वे अभ्यासक्रम छोसत बालकों की दृष्टि से बहुत ही जटिल और कठिन सिद्ध हुए। इसलिए ओसत बालकों को दृष्टि में रखकर असंग पाठ्यक्रम तैयार करने का प्रयत्न बला। इन सब बातों का हमारे देश में जरा भी खयाल नहीं किया है। दरप्रसल हमारे दिल दिमाग पर विदेशी चिन्तन और विदेशी विचारों का प्रभाव इतना अधिक हो गया है और हम इतने अभिक्रमहीन और प्रभावहीन हो गये हैं कि स्थानीय स्तर पर हम अपना पाठ्यक्रम तैयार नहीं कर पा रहे हैं।

केन्द्रीकरण के पक्ष में दूसरी दलील यह है कि राष्ट्रीय एकता के लिए देश भर में एक पाठ्यक्रम की एकलपता आवश्यक है। यह दलील तो वास्तविक प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से विलकुल ही अर्थहीन है। राष्ट्रीय एकता न लाने का कारण दूसरे क्षेत्रों में खोजना चाहिए, और शिक्षा के लिए इस मूल नियम का कि शिक्षण बालकों के अपने वातावरण और अपनी परिस्थिति के अनुकूल ही दिया जाना चाहिए, पूर्णतया भादर करना चाहिए।

पाठ्य-पुस्तकों का प्रश्न

पाठ्य पुस्तकों का प्रश्न भी पाठ्यक्रम से ही जुड़ा हुआ है। पाठ्य-पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण हमारी केन्द्रीय और राज्य सरकारों की स्वामी नीति बन गया है। सारे देश के लिए अथवा राज्यभर के लिए समान पाठ्य-पुस्तकों तैयार करने की दिशा में प्रयत्न हो रहे हैं। शिक्षा की दृष्टि से यह भी अनुचित है। जब कि पाठ्यक्रम की एकरूपता गलत है, तब पाठ्य पुस्तकों के एक और समान होने का प्रश्न ही नहीं उठता। भारतीय शिक्षा आयोग (१९६४-६६) ने यद्यपि पाठ्यक्रमों के विषय में कुछ लचीलेपन या अनाग्रह की सिफारिश की है, फिर भी दुर्भाग्य से उसने ऐसे सुझाव भी दिये हैं जो पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों और परीक्षा-पद्धतियों के विषय में केन्द्रीकरण को प्रोत्साहन देनेवाले हैं, और उनका कार्यान्वयन हुआ तो स्थानीय अभिक्रम को स्थान नहीं रहेगा। (पैरा ६-१८ से ६-२२, और पैरा १०-५४ से १०-६३) नेशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ एजुकेशन के द्वारा पाठ्य-पुस्तकों तैयार कराने का अनुभव अच्छा नहीं आया है। स्थानाभाव के कारण में उस विषय की विस्तृत चर्चा यहाँ नहीं करेंगे।

शैक्षिक प्रक्रिया

जहाँ तक शाला के अन्दर की पढ़ाई और शैक्षिक प्रक्रिया का सम्बन्ध है, यही कहना होगा कि यह निरकुण्ड तानाशाही और नौकरशाही की ही प्रक्रिया है। ध्यान में रखने की बात है कि देश की सारी राजनैतिक और आर्थिक पद्धति जब नौकरशाही और अफसरी नियंत्रण के अधीन है, तब शाला के अन्दर स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र का नहीं रहने। यही कारण है कि स्कूल-कालेज हमारे समाज-परिवर्तन के काम में कोई प्रभावकारी योगदान नहीं दे सके हैं।

परीक्षा-पद्धति

सबसे अधिक दुःखद पहलू परीक्षा-पद्धति का है। प्राथमिक स्तरों में यद्यपि प्रान्तिज परीक्षाएँ होती हैं, फिर भी उच्च स्तरों में तो बाह्य परीक्षा-पद्धति का जोर है। यह भी शिक्षक के अभिक्रम और उत्साह का बहुत हद तक मारण ही है। यह लोकतन्त्र के भी मिथ्यात्वों के विरुद्ध है, जिसका भी वाइटहेड ने जोरदार शब्दों में समर्थन किया है कि छात्रों का मूल्यांकन करने की अर्हता उसे शिक्षा देनेवाले शिक्षक के अलावा और किसी में नहीं है। जहाँ तक स्तर की एकरूपता का प्रश्न है, यही कहा जा सकता है कि

शिक्षास्तर में एकलपता की बात निरा भ्रम है और बाह्य परीक्षाओं से जो स्तर सूचित होता है वह सवधा काल्पनिक है, वास्तविक नहीं और वह सारी शैक्षिक प्रश्रिया को गलत दिशा में मोडनेवाला है ।

इमारत और साधन सामग्रिया के बारे में केन्द्रीय नियन्त्रण के हिष्णायती भी कहते हैं कि इसका दायित्व स्थानीय जनता पर ही होना चाहिए । लेकिन जब तक अधिकारों में स्थानीय जनता को शामिल नहीं किया जाता है तब तक इस तरह के विकेन्द्रीकरण के कोई मानी नहीं होत ।

शिक्षक किसके नियन्त्रण में रहें ?

प्रायः एक सुझाव दिया जाता है और कुछ स्थानों में उस पर प्रमत्त भी होने लगा है कि शिक्षक को सीधे केन्द्र या राज्य सरकार के ही नियन्त्रण में रहना चाहिए जिससे शिक्षक स्थानीय राजनीति से बचकर रह सकें और वाकी अधिकार स्थानीय जनता के हाथ में रहें । यह तो अधूरा उपाय है इससे कुछ भी परिणाम होनेवाला नहीं है ।

शिक्षक को स्थानीय जनता के प्रति सहरा सम्बन्ध और हार्दिक रुचि होनी चाहिए । स्थानीय समुदाय के प्रति उसे जिम्मेवार होना चाहिए । तभी लोग अनुभव करेंगे कि उनके बच्चों को समुचित शिक्षा न मिलने का दोष स्वयं उन पर है और तब वे स्कूल को उत्तम ढंग से चलाने का प्रयत्न करेंगे । इसका यह अभिप्राय नहीं है कि मन्त्र आदेश स्थानीय समुदाय ही है । ऐसा तो कहीं देखने में नहीं आया । लेकिन इससे अनेक स्थानीय समुदायों को होने बढने का अवसर मिलेगा जो अपनी जिम्मेवारी के लिए कर्ण कस लेंगे और अपने बच्चों को उत्तम शिक्षण दिलाने में पूरे उत्साह और अभिन्म के साथ जुट जायग ।

अन्त में शाला निरीक्षण और नियन्त्रण का प्रश्न रह जाता है । यद्यपि अग्रज हमारा देश छोडकर चले गये फिर भी उनकी नौकरशाही आज भी हम पर हुक्मत कर रही है । शिक्षा विभागों में वही पद्धति जारी है । नौकरशाही प्रशासन बहुत महंगा तो है ही इसके अलावा उसमें दक्षता और कायक्षमता की जो कल्पना की जाती है वह भी क्षणिक है दिखावटी है स्थायी और गहरी हरगिज नहीं । श्री चस्टर कहते हैं विस्तृत नियन्त्रण मानव-दाक्ति की दृष्टि से महंगा है उससे कार्याचयन धीमा होता है, नाडियाँ शिथिल होती हैं जो जिम्मेवारी से भागनेवाले होते हैं उनको प्रथम मिलता और अन्ततः नियन्त्रणों को पशु और निस्तेज बना नेता है ।

नौकरशाही का महात्म्य

रूढ़ी विश्वविद्यालय के दीक्षान्त भाषण में हमारे प्रधानमंत्री ने नौकरशाही के प्रति अपना मनतोष व्यक्त करते हुए कहा कि आज भी देश के प्रशासन में नौकरशाही छापी हुई है। देश की प्रगति और समृद्धि में नौकरशाही बड़ी बाधक है। य लोग तो मानो समरमर की मीनार पर बंटे हैं, जहाँ इनकी नजर चारों ओर से टँकी है।

आज निरीक्षण की दो पद्धतियाँ प्रचलित हैं—एक में निरीक्षक अधिकारी सरकारी नौकर हैं परन्तु उनकी सेवाएँ स्थानीय सस्थाओं के अधीन होती हैं, दूसरी पद्धति में निरीक्षक अधिकारी सरकारी नौकर हैं और शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार काम करते हैं। विवेकीकरण का तकसगत निष्कर्ष यही है कि निरीक्षक अधिकारी पूणतया स्थानीय सस्थाओं के ही नियन्त्रण में और निर्देश के अधीन होना चाहिए।

वस्तुतः विवेकीकरण अथवा लोकतन्त्र आज बड़े कठिन समय से गुजर रहा है। पाठशाला लोकात्मता में भी यत्रो की स्वचालन पद्धति से उत्पन्न जटिलताएँ चन्द लोगों के हाथ में सत्ता के विवेकीकरण को ही प्रोत्साहन देने लगी हैं। व्यक्ति की प्रतिष्ठा की अमहेलना होने लगी है। व्यक्ति के मुकाबिले समाज अथवा राज्य का हाथ ऊँचा हा रहा है। व्यक्ति का स्थान समाज का एक पुर्जा जैसा ही रह गया है। स्थल सेना, वायु सेना, या जल सेना के ही समान शिक्षा भी सरकार के एक हथियार के रूप में परिवर्तित हो रही है।

मूझभूत प्रश्न

विवेकीकरण का प्रश्न लोगों के इस महान निर्णय से सम्बद्ध है कि वे लोकतन्त्र और गुलामी में किसे चुनते हैं, स्वयंचालित धन संस्कृति और मानवीय धर्म संस्कृति में किसे पसन्द करते हैं, बृहद् उद्योगों के धर्मशास्त्र और लघु उद्योगों की अर्थनीति में से किसे चाहते हैं। डा० राममनोहर लोहिया ने योजना के सम्बन्ध में यह जो कहा कि वह केवल दृष्टिकोणों और भाँकड़ों की बसरन नहीं है, वह जनता का एक आन्दोलन है, वही बात विवेकीकरण के लिए भी सच है। यदि हम विवेकीकरण के पक्ष में हैं तो हमें जनता के आन्दोलन में श्रद्धा रखनी चाहिए।

शालेय शिक्षा में कार्यानुभव :

विस्तार, प्रभाव और कार्यान्वयन

[कार्यानुभव को लेकर शिक्षा के क्षेत्र में दो ही क्रान्तिकारी विचार पद्धतियाँ आयी हैं—डिबी की योजना पद्धति और गांधीजी की बुनियादी पद्धति । कोटारी आयोग के इस नये शब्द की ज्या ज्या ब्याख्या हो रही है, यह स्पष्ट होता जा रहा है कि शिक्षा की दृष्टि से यही कार्यानुभव लाभप्रद होगा जिसमें इन दोनों पद्धतियों के लक्षण हों। राष्ट्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् का पाठ्यक्रम और मूल्यांकन विभाग भी अपने सेमिनार में इसा निष्कर्ष पर पहुँचा और इण्डियन काउन्सिल आफ वेसिक एजुकेशन भी इसी मत का है। दोनों ने कोटारी आयोग की इस धारणा की पुष्टि की है। कार्यान्वयन का दशन वेसिक शिक्षा के दशन के समान ही है। हम इस लेख के द्वारा केवल इतना कहना चाहते हैं कि वेसिक क्रैप्ट से भिन्न कार्यान्वयन की संकल्पना शिक्षा के हित में नहीं होगी।—स०]

इण्डियन काउन्सिल आफ वेसिक एजुकेशन बम्बई का चतुर्थ वार्षिक अधिवेशन ता० २३ से २५ फरवरी ६८ को वल्लभ विद्यानगर (गुजरात) के सरदार पटेल विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ था। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (N C E R T) प्रादेशिक शिक्षा संस्थान प० बंगाल दिल्ली मध्य प्रदेश राजस्थान महाराष्ट्र और गुजरात के स्कूल कालेज के प्रह्लाईस प्रतिनिधि अधिवेशन में आये थे।

अधिवेशन का उद्घाटन सरदार पटेल विश्वविद्यालय के उपकुलपति श्री ईश्वर भाई पटेल ने किया और अध्यक्षता भावनगर के सौराष्ट्र विश्वविद्यालय के उपकुलपति श्री हरभाई त्रिवेदी ने की।

अधिवेशन का मन्तव्य निम्न प्रकार रहा

यह अधिवेशन कोठारी शिक्षा आयोग के प्रति आभारी है कि उसने बुनियादी शिक्षा के मूलभूत सिद्धांतों को दृढ़राया है, उनका समर्थन किया है और शिक्षा के सभी स्तरों में उन्हें कार्यान्वित करने की सिफारिश की है।

इस काउन्सिल का विद्वान है कि जीवन के द्वारा जन्म से मृत्यु तक जीवन की शिक्षा ही शिक्षा है। प्रसन्नता की बात है कि शिक्षा आयोग ने बुनियादी शिक्षा के इस दृष्टिकोण से विराप सहमति व्यक्त की है और इसे अपनाते की सरतुति की है।

१. काउन्सिल मानती है कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के पूर्ण व्यक्तित्व का—शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, तीनों अंगों का सुसंगत और समजस विकास होना चाहिए ताकि वह न्याय, सहकार और शोषणहीनता पर आधारित समतामूलक समाज की स्थापना तथा रूचाजन में सहायक और सहभागी हो सके।

२. शिक्षा के उपयुक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए काउन्सिल की राय में एक अत्यन्त प्रमुख साधन कार्यानुभव है।

कार्यानुभव का अर्थ प्रचलित पाठ्यक्रम में एक नया विषय जोड़ देना नहीं है, परन्तु शिक्षार्थी के पूरे शिक्षण का वह एक अभिन्न अंग बनना चाहिए।

३. कार्यानुभव से काउन्सिल का आशय एक ऐसी शारीरिक प्रवृत्ति से है, जो समाज के लिए उपयोगी हो, उत्पादक हो और जिसमें निम्न बातें निहित हों—

- (अ) कार्य द्वारा प्रस्तुत समस्या का स्पष्ट भान,
- (आ) काम करने की योजना बनाना और अनुसूच साधनों का चुनाव,
- (इ) प्रत्यक्ष और विवेकपूर्ण कार्यान्वयन,
- (ई) आत्मनिरीक्षण और मूल्यांकन, तथा
- (उ) उस मूल्यांकन के आधार पर काम का अधिक उत्तम आयोजन।

४ कार्यानुभव के कारण शिक्षार्थी में उन प्रवृत्तियों से सम्बन्धित क्षेत्रों में विशेष अभ्यंग और कुशलता का विकास होना चाहिए और काम के प्रति समुक्त कुछ साधारण प्रवृत्तियों का निर्माण होना चाहिए। ये निम्न प्रकार की प्रवृत्तियाँ हो सकती हैं—

(अ) समाजोपयोगी सभी कामों को समान प्रतिष्ठा देना, किसीको उच्च और किसीको नीच न मानना,

(घा) विश्लेषण और प्रयोग के द्वारा साधनों और तकनीकों में सुधार करने को तत्पर रहना

(इ) उत्पन्न वस्तु को बाहर भेजने से पहले यथाशक्ति परिपूर्ण, उपयोगी और सुन्दर बनाने की तत्परता,

(ई) कोई भी काम प्रारम्भ करने से पहले ठीक से योजना बना लेना,

(उ) नियोजित काम करते समय दूसरों के साथ, टोलियों में काम करने को इच्छा, ग्रथान सहकार की प्रवृत्ति का निर्माण ।

(ऊ) उत्पादक कार्य में छोड़न न होने देना या भरसक कम करना ।

५ बायानुभव का चुनाव करते समय निम्न बातें दिशादर्शक हो सकती हैं,

(अ) वह जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं—जैसे, भ्रम, वस्त्र, आवास, आरोग्य और संस्कृति से सम्बन्ध रखनेवाला होना चाहिए ।

(आ) जो भी कार्य चुना जाय, वह ऐसा होना चाहिए जो व्यवस्थित हो, निरन्तर चलनेवाला हो और प्रमाण तथा पुष्ट दोनों पहलुओं से उत्तरोत्तर प्रगति करानेवाला हो । जैसे—बागवानी, भोजन परोसना, वस्त्र मंजना, तथा ऐसी ही रसोई से सम्बद्ध ग्रथ्याय क्रियाएँ तबतक एकांगी ही रहेगी जबतक वे गृहशिल्प से सम्बद्ध नहीं हो जाती । इसी प्रकार सूत कताई भी जबतक 'पूर्ण' कार्यानुभव से यानी बखविद्या से नहीं जुड़ती, तबतक एकांगी ही है, और उससे शिक्षक हेतु सिद्ध नहीं होता ।

६ प्रवृत्तियों स्थानोप होनी चाहिए और जाला समुदाय की तात्कालिक आवश्यकता से सम्बन्धित होनी चाहिए ।

७ प्रवृत्ति चुनते समय शिक्षार्थी की क्षमता और वृत्ति का ध्यान रखना चाहिए । साथ ही, समाज की उन्नति के लिए किये जानेवाले वे काम कुछ कठिन भी हो, तो भी इस ढंग से चलाने चाहिए कि काम में रस और आनन्द आये ।

८ उत्पन्न वस्तुओं का मूल्य बाजारभाव पर नहीं, बाला की आवश्यकता की पूर्ति की दृष्टि से निर्धारित करना चाहिए ।

९ देश की भयंकर गरीबी, बेकारी, भ्रष्टाचारी और अस्थिर राष्ट्रीय भाव की समस्याओं को देखते हुए काउंसिल मानती है कि विज्ञान और टेक्नालाजी के आधार पर बायानुभव की बड़िया प्रणाली में सुखी जीवन की समस्या हल करने की क्षमता निहित है ।

काउंसिल की दृढ़ पारणा है कि किसी भी उत्तम शिक्षाप्रणाली को शिक्षार्थी में वैज्ञानिक दृष्टि का निर्माण करनेवाली होनी चाहिए अर्थात् उसे

ध्यान में अनवरत म. दशोपन की वृत्ति पैदा करनी चाहिए। साथ ही काउन्सिल की राय है कि कार्यानुभव की योजना लागू करने के लिए जिस टेक्नालाजी की ताईद की जाय, वह निम्न प्रकार होनी चाहिए—

(अ) उत्पादन की प्रक्रिया में काम घानेवाले साधनों और क्रिया उप-क्रियाओं को बारीकी से, सूक्ष्म जुद्धि से देखने और समझने की शक्ति सिन्नार्थी में पैदा होनी चाहिए।

(आ) उसके समृद्धि और सुरक्षा देनेवाली प्रयंतीति—मुटठीभर लोगो के लिए नही सबके लिए—फलित होनी चाहिए।

(ई) मृत्रनशीलता, उत्तरदायित्व तथा ब्यक्तिगत और सामाजिक न्याय की प्रतिज्ञा के मूल्यों की स्थापना होनी चाहिए।

१० काउन्सिल को इस बात का भान है कि आज अधिकांश शिक्षा-सस्याओं में शिक्षण विषयप्रधान ही है, अगर कही कोई प्रवृत्ति जोड़ी गयी है तो भी वह एवागी विषया से सम्बद्ध है और उसका मूल्याकन उन विषयो में प्राप्त योग्यता को जांचना ही है।

परन्तु काउन्सिल ने प्रथम अनुच्छेद में उल्लिखित उद्देश्यों के अनुरूप यह सुझाव दिया है कि शिक्षा-यद्धि अनुभवप्रधान (एक्स्पेरियन्स-ओरि-यण्टेड) होनी चाहिए, जिनके अनुसार तृतीय अनुच्छेद में निर्दिष्ट जीवन के पांच त्रांशे के कार्यानुभव का बंज्ञानिक भाषोजन और कार्यान्वयन होना चाहिए, जिनके फलस्वरूप तत्सम्ब धी कुशलता, अभ्यास, दक्षता, जानकारी, वृत्ति और मूल्याकन की क्षमता विकसित होनी चाहिए। इसलिए शाला का कार्यक्रम कार्यानुभव के अनुबन्ध में भाषाजित होना चाहिए और मूल्याकन शिक्षाकाल में निरन्तर होते रहना चाहिए, जिसमें शिक्षा की सभी उपलब्धियों का समावेश हो।

११ कार्यानुभव की जो रूपरेखा ऊपर प्रस्तुत की गयी है उसके आधार पर, काउन्सिल मानती है कि इसको लागू करने से पाठ्यक्रम में और शाला-सगठन में शानिकारी परिवर्तन हो जाना चाहिए। इसके लिए काउन्सिल एक समिति गठिन करने की सिन्नारिण करती है, जो उक्त पांचो क्षेत्रो के कार्यानुभव की रूपरेखा और समन्याओं का अध्ययन करे, जो भांशे पाठ्यक्रम के शोपन सम्बन्धी प्रयोगो का आधार बन सके।

चूंकि उर्वरुक्त सभी कार्यक्रम तुरत लागू करना सम्भव नहीं है, बल्कि जहाँ शिक्षक, उनका प्रशिक्षण, अन्य साधन सामग्री भादि उपलब्ध हो ऐसी शालाओं में ही उसकी सम्पादना है अउ काउन्सिल का यह सुझाव है कि

सभी स्कूलों में, सभी स्तरों में कार्यानुभव के क्षेत्रों में निम्नलिखित न्यूनतम प्रवृत्तियाँ लागू की जायें। वाउन्सिल की राय है कि जिस किसी संस्था में कार्यानुभव के लिए सुझाये गये कार्यक्रम अपनाये जायें, वहाँ इस बात का ध्यान रखा जाय कि उसमें उपर्युक्त पाँच क्षेत्रों में से प्रत्येक के अंश समाविष्ट किये जायें। कार्यानुभव के न्यूनतम कार्यक्रम की लागू करते समय शिक्षा संस्थाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस अनुभव की कुशलता, अभ्यास, जानकारी, मूल्यांकन और वृत्तियों का निकट सम्बन्ध शिक्षा संस्था के सम्पूर्ण शिक्षा-क्रम के साथ होना चाहिए।

यहाँ प्रवृत्तियों की सूची दी जा रही है। इसमें उपलब्ध प्रशिक्षित शिक्षकों और साधन-सामग्रियों के अनुसार वृद्धि की जा सकती है।

अन्न : १ कृषि, २ बागवानी, ३ साग सब्जी पैदा करना ;
४ (Pisciculture) ५ पशुपालन, ६ शालेय भोजन।

घस्त्र : १ कटाई बुनाई, २ सिलाई, ३ रफू आदि करना (कटाई)
४ पोशाक तैयार करना, ५ कसीदाकारी, ६ रगाई छपाई।

आवास : १ गृह निर्माण के काम, २ लकड़ी का काम, ३ घरेलू वस्तुओं की मरम्मत, ४ अजार बनाना, ५ सफेदी करना, वस्तुओं को रगना या पालिस करना आदि।

स्वास्थ्य : १ सफाई और सजावट, २ शाला में शुद्ध पेय-जल का प्रबन्ध करना, ३ दवा में स्वास्थ्य सम्बन्धी आदतों का सामान्य परीक्षण,
४ स्वास्थ्य और सफाई की प्रदर्शनी लगाना।

सांस्कृति : १ शाला में ममारोहों के लिए रंगमंच, तोरण्यद्वार बगैरह बनाना, २ शाला को सजाना, सुन्दर बाग लगाना, फूल बाग लगाना, दीवारों की सजावट आदि, ३ खेल वृद्ध का मैदान बनाना, ४ सांस्कृतिक प्रदर्शनियों का आयोजन करना।

(इण्डियन वाउन्सिल आफ वेसिक एजुकेशन के चतुर्थ वार्षिक अधिवेशन की रिपोर्ट)

प्रमुख हथ यह होना चाहिए कि स्वस्थ ज्ञानार्जन तथा औद्योगिक कुशलता प्राप्त करने की दृष्टि से जो भी भाषा अनुकूल हो उसे अपनाने को हम तैयार रहे। सुझाया गया कि राजनीतिक विस्वादों से हमें दूर रहना चाहिए।

चर्चा के अन्त में अध्यक्षन मण्डल के सामने निम्न तीन सुझाव प्रस्तुत किये गये। प्राथमिक दो सुझाव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुए और तीसरे के विषय में मतभेद रहा।

१ पूरे समाज के सामान्य ज्ञानार्जन तथा उसकी वृद्धि के लिए शिक्षाक्रम में मातृभाषा की प्रधानता माय होनी चाहिए।

२ उच्च स्तरीय औद्योगिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी ज्ञान के लिए हमें ऐसी कोई विदेशी भाषा सीखने को तैयार रहना चाहिए जिसमें पर्याप्त शब्द-मण्डार हो, धाधुनिक भाषा प्रवाह से युक्त हो। आज भारत में वैसे भाषा अंग्रेजी है।

३ अन्तर्प्रान्तीय व्यवहार के लिए तथा अपनी विद्या के विनियोग क्षेत्र के विस्तार के लिए और राष्ट्र की अथ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सर्वसामान्य भारतीय भाषा को अपनाने की आवश्यकता है। तत्काल एक सामान्य भाषा का स्वीकार बहुत उपयोगी होगा। लेकिन दर्भाग्य से ऐसी किसी एक भाषा के बारे में एक राय नहीं बन पायी है। कुछ लोग हिन्दी को सामान्य भाषा के रूप में पसन्द करते हैं दूसरे कुछ लोग केवल अंग्रेजी चाहते हैं। समझौते की दृष्टि से मध्यम मार्ग के रूप में यह स्वीकार किया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर अन्तर्प्रान्तीय व्यवहार और प्रवृत्तियों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को स्वीकार किया जाय। सुझाव के इस अन्तिम भाग पर मतभेद रहा।

गोष्ठी का संकल्प

बम्बई में आयोजित प्रथम अखिल भारत विश्वविद्यालय शिक्षक छात्र शिविर में एकत्रित हम भारत के ५८ विश्वविद्यालयों के शिक्षक और छात्र प्रतिनिधि, यशोवतापूर्वक यह घोषणा करते हैं कि

(क) हमारा विश्वास भारत की एकता और अखण्डता में, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित लोकतांत्रिक जीवन-वृद्धि एवं कानून के शासन तथा धमनिरपेक्षता एवं साम्प्रदायिक सदृशभावना में है, और उनकी रक्षा तथा स्थिरता के लिए हम कटिबद्ध हैं,

तथा, हमारा विश्वास सामाजिक समता एवं आर्थिक न्याय में है, और कानून के अन्तर्गत, इस दोहर लक्ष्य की प्राप्ति में अपने राष्ट्र की सहायता करने के लिए हम कटिबद्ध हैं ।

(ख) हमारा विश्वास अपने विश्वविद्यालयी जीवन की सभी शैक्षिक या दूररी समस्याओं को आपस की निष्पक्ष, स्वतन्त्रता एवं पूर्ण पारदर्शिता द्वारा हल करने और विश्वविद्यालयी शिक्षा के आदर्श लक्ष्य की सर्वोत्तम प्रगति के लिए समुचित मशीनरी का विकास करने में है ।

(ग) हमारा विश्वास दलगत राजनीति को विश्वविद्यालय के प्राणियों से बाहर रखने तथा राजनीतिक उद्देश्यों के लिए विश्वविद्यालय समाज का उपयोग नहीं करने के लिए राजनीतिक दलों को समझाने-बुझाने में है ।

(घ) हमारा विश्वास इस बात में है कि भाषा-समस्या का—यद्यपि इस समस्या में अनेक भाषायाम जुड़ गये हैं जिस कारण यह उलझ गयी है और उस पर राजनीतिक रंग हावी हो गया है—कोई ऐसा विवेकपूर्ण हल निकालना शिक्षित समाज की सामर्थ्य के बाहर नहीं है, जो (१) भारत की एकता एवं भ्रष्टता तथा (२) शिक्षा के आदर्श लक्ष्य के अनुरूप हो, और जो सम्पूर्ण शिक्षित समाज को तथा सम्पूर्ण देश को मान्य हो । चाय ही हम यह भी घोषणा करते हैं कि हम इस दिशा में ईमानदारी से प्रयास करेंगे ।

(ङ) इसके अलावा हम यह भी संकल्प करते हैं कि भाषा से सम्बन्धित या विश्वविद्यालयी समाज से सम्बन्धित किसी विचार के समर्थन में कोई जबरदस्ती या हिंसा का तरीका न हो अपनायेंगे और न उसका इस्तेमाल करेंगे ।

(च) अन्त में शिक्षित समाज के सदस्य होने के नाते हम घोषणा करते हैं कि हम सबसे पहले भारतीय हैं उससे बाद भी भारतीय हैं और अन्त में भारतीय हैं, और हम संकल्प करते हैं कि हम अपने व्यक्तिगत एवं सामूहिक जीवन में इस ढंग में आचरण करेंगे, जो हमारे अज्ञ देशवासियों के लिए उदाहरण-स्वरूप होगा ।

योजना-पाठ-संकेत

वशीधर श्रीवास्तव

[गत अप्रैल के अंक में होली की योजना का पाठ प्रकृत दिया था चुका है । प्रस्तुत पाठ संकेत उसी क्रम में है ।]

दिनांक	कक्षा	समय
१५-१-६२	६	१ घंटा २० मिनट

योजना — होली का उत्सव मनाना

उपयोजना — पिचकारी बनाना

सम्बन्धित विषय — साधारण विज्ञान

प्रसंग — पिचकारी की कार्य प्रणाली

मुख्य उद्देश्य : १ बच्चा से बॉस की पिचकारी बनवाना । २ बच्चा को पिचकारी की कार्यप्रणाली से अवगत कराना ।

सहायक सामग्री क्रिया-सम्बन्धी १. बॉस, पतली लकड़ी, कपड़ा, डोरा, कंचो तथा कील । ज्ञान सम्बन्धी २. बॉस, धीने तथा पीतल की पिचकारी, गंसआर, पानी, दफती, पिपेट, ड्रापर, रंगीन पानी, पिचकारी की कार्य-प्रणाली दिखातेवाला चार्ट ।

पूर्वज्ञान : बच्चे होली-योजना की रूपरेखा तैयार कर चुके हैं । वे जानते हैं कि उन्हें पिचकारी बनाने का कार्य दिया गया है । बच्चे यह भी जानते हैं कि उनकी चारों ओर हवा है, जिसमें वे साँस लेते हैं । प्रत्येक वस्तु में जिसे खाली समझा जाता है, हवा भरी रहती है ।

प्रेरणात्मक प्रश्न : १ होली मनाने के लिए तुम्हें कौन-कौनसी चीजें करनी हैं ? २ पिचकारियाँ किन चीजों की बनती हैं ? (आवश्यकता पड़ने पर अध्यापक बच्चों को पीतल, बॉस तथा धीने की पिचकारियाँ दिखा-येगा) । ३. कौनसी पिचकारी सस्ती होगी ? ४ बॉस की पिचकारी कैसे बनाओगे ? (समस्या)

उद्देश्य-रुधन आज हम लोग बाँस की पिचकारी बनाना सीखेंगे ।
(अध्यापक बाँस की पिचकारी दिखाकर प्रश्न करेगा)

प्रस्तुतीकरण : १ पिचकारी में पानी कहाँ भरता है ? (बाँस के खोलले में) २ इस भाग को क्या कहते हैं ? (वेलन) ३ पानी भरने के लिए क्या करते हैं ? (वलन के बीच की लकड़ी को ऊपर उठाते हैं) ४ इस लकड़ी को क्या कहते हैं ? (पिस्टन) ५ पिस्टन के निचले भाग में क्या लगा है ? (कपडा) ६ इसको क्या कहते हैं ? (वाशर) ७. पिचकारी में वेलन किस चीज का बनामोगे ? (बाँस का) ८ वाशर किस चीज का बनामोगे ? (कपडा लपेटकर) ९ छेद कैसे करोगे ? (कील से)

आदर्श-प्रदर्शन अध्यापक बच्चों को घट्टचन्द्राकार में लडा करके एक बाँस की पिचकारी बनाकर दिखायेगा । बीच-बीच में बच्चों से निम्नांकित प्रश्न भी करेगा । १ पिस्टन बनाने के लिए कितनी लम्बी लकड़ी लोगे ? २. किस भाग में कपडा लपेटोगे ? ३ कितना कपडा लपेटोगे ? ४ कम कपडा लपेटने से क्या हानि होगी

सामग्री वितरण अध्यापक बच्चों द्वारा प्रत्येक बच्चे को बाँस का टुकडा, पतली लकड़ी, डोरा, कपडा, कील तथा केंची दिलवायगा ।

क्रियाशीलता : बच्चे बतायी गयी विधि द्वारा पिचकारी बनायेंगे । अध्यापक इनके कार्य का निरीक्षण करेगा तथा आवश्यकतानुसार उहे व्यक्तिगत सहायता भी देगा ।

श्यामपट्ट कार्य १ पिचकारी के भाग (अ) वेलन (ब) पिस्टन (स) वाशर २ वेलन बाँस के टुकडे का बनाया जायगा । ३ पिस्टन पतली लकड़ी का बनाया जायगा । ४ वाशर कपडा लपेटकर बनाया जायगा । ५ वेलन के निचले भाग में कील द्वारा छेद किया जायगा ।

मूल्यांकन तथा नवीन पाठ की समस्या : १. पिचकारी के कितने भाग होते हैं ? २ पिचकारी में वाशर किस चीज का बनाया ? ३ कपडा कितना लपेटा ? ४ पिस्टन को ऊपर उठाने पर क्या होता है ? ५ पानी पिचकारी में क्या बढ़ता है ?

प्रस्तुतीकरण • प्रयोग न० १

अध्यापक बच्चों को निम्नलिखित प्रयोग करके दिखायगा । (अध्यापक पानी से भरे गंधकार का दण्डी पर इस प्रकार उजड़ दगा कि गंधकार में पानी का कोई बुलबुला न घुस पाये)

- १ दपती नीचे क्यों नहीं गिरती ?
- २ गमजार के अंदर क्या है ? (पानी)
- ३ गमजार के बंद पर क्या लगा है ? (दपती)
- ४ भीतर से दपती पर किसका दबाव पड़ रहा है ? (पानी का)
- ५ बाहर से दपती पर किसका दबाव पड़ रहा है ? (बाहरी हवा का)
- ६ कौनसा दबाव अधिक है ? (बाहरी हवा का)
- ७ इससे दपती पर क्या प्रभाव पड़ता है ? (बाहरी हवा का दबाव अधिक दपती को ऊपर उठाये रखता है । इस कारण दपती नीचे नहीं गिरती ।)

प्रयोग न० २

अध्यापक पिपेट को रगीन पानी में डाल कर प्ररन करेगा ।

- १ इस नली का क्या नाम है ? (पिपेट)
 - २ बीकर में क्या है ? (रगीन पानी)
 - ३ पानी पिपेट में क्यों नहीं चढ़ता ?
 - ४ पिपेट के भीतर क्या है ? (हवा)
 - ५ नली के भीतर से पानी पर किस चीज का दबाव पड़ रहा है ?
(बाहरी हवा का)
 - ६ पिपेट के बाहर से पानी पर किस चीज का दबाव पड़ रहा है ?
(बाहरी हवा का)
 - ७ दोनों प्रकार के दबावा में क्या सम्बन्ध है ? (दोनों बराबर हैं)
 - ८ पानी ऊपर क्यों नहीं चढ़ता ? (दबाव बराबर होने के कारण)
- (अध्यापक पिपेट में पानी खींचकर दिखायेगा)
- १ ऊपर साँस खींचने पर क्या हुआ ? (पानी चढ़ गया)
 - २ पानी ऊपर क्यों चढ़ गया ?
 - ३ पिपेट की नोक कहाँ है ? (पानी में)
 - ४ हवा ऊपर खींचने पर पिपेट की हवा पर क्या प्रभाव पड़ता है ?
(हवा मुह में चली जाती है)
 - ५ अब पिपेट के अंदर हवा का दबाव कसा हो गया ? (कम)

६. बाहरी दबाव कैसा है ? (अधिक)
७. पानी ऊपर क्यों चढ़ गया ? (बाहरी हवा के अधिक दबाव ने पानी को ऊपर उठा दिया)
८. छेद को अंगूठे से दबाने पर क्या होता है ? (पानी रुक जाता है)
९. पानी क्यों रुक जाता है ? (छेद से बाहरी हवा भीतर नहीं आने पाती)
१०. अंगूठा हटाने पर क्या होता है ? (छेद से बाहरी हवा प्रवेश करती है, जो नीचे के पानी को नीचे दबाती है, अतः पानी नीचे गिरता है ।)

प्रयोग न० ३

अध्यापक बच्चों को ड्रापर में पानी चढ़ाकर दिखायेगा ।

१. खर की टोपी को दबाने से टोपी के अन्दर की हवा पर क्या प्रभाव पड़ता है ? (बाहर निकलती है)
२. यह कैसे ज्ञात होता है ? (पानी में हवा के बुलबुले उठते हैं)
३. ड्रापर के अन्दर हवा का दबाव कैसा हो गया ? (कम)
४. बाहर हवा का दबाव कैसा है ? (अधिक)
५. टोपी को छोड़ने पर क्या हुआ ? (ड्रापर का आयतन बढ़ गया)
६. इससे ड्रापर की हवा पर क्या प्रभाव पड़ता है ? (ड्रापर के खाली स्थान को भरने के लिए पानी ऊपर चढ़ गया)
७. पानी ऊपर क्यों चढ़ गया ? (बाहरी हवा के अधिक दबाव ने पानी को ऊपर उठा दिया)

(अध्यापक पिचकारी की कार्यप्रणाली दिखानेवाला चाटें बच्चों को दिखायेगा तथा प्रश्न करेगा)

१. पिचकारी की टोटी और पिस्टन के बीच क्या है ? (हवा)
२. पिस्टन ऊपर उठाने पर भीतर के स्थान पर क्या परिवर्तन होता है ? (स्थान बढ़ जाता है)
३. पिस्टन के भीतर हवा का दबाव कैसा हो गया ? (कम)
४. पिचकारी के बाहर किस चीज का दबाव पड़ रहा है ? (बाहरी हवा का)
५. यह दबाव कैसा है ? (अधिक)
६. खाली स्थान को भरने के लिए वीनसी यस्तु चढ़ेगी ? (पानी)
७. पानी ऊपर क्यों चढ़ गया ? (बाहरी हवा के अधिक दबाव ने पानी को ऊपर उठा दिया ।)
८. पानी पिस्टन के बाहर क्यों नहीं निकल जाता ? (पिस्टन के चारों ओर वासर लगा होता है, जो वेसन से सटा हुआ चलता है ।)

६ पिस्टन के नीचे दबाने पर क्या होता है ? (पानी टोटी से बाहर निकलता है ।)

१० पानी क्यों गिरता है ?

(पिचकारी में भरे पानी पर पिस्टन से दबाव पड़ता है इस कारण पानी बाहर निकलता है)

पुनरावृत्ति :

- १ पिचकारी के कौन-कौनसे भाग होते हैं ?
- २ पिचकारी में पानी चढ़ाने के लिए क्या करते हैं ?
- ३ पिस्टन को ऊपर उठाने पर क्या होता है ?
- ४ पानी पिचकारी में कैसे चढ़ता है ?
- ५ पिचकारी में बाहर क्यों लयाते हैं ?

श्यामपट्ट कार्य

- १ पिचकारी के तीन भाग होते हैं (अ) बेलन (ब) पिस्टन (स) वासर ।
- २ पिस्टन को ऊपर उठाने पर टोटी तथा पिस्टन के बीच की हवा फल जाती है । वासर का दबाव कम हो जाता है । खाली स्थान को भरने के लिए पानी पिचकारी में बढ जाता है ।
- ३ वासर पानी को बाहर नहीं जाने देता ।

पढिये

खादी ग्रामोद्योग (मासिक)

सम्पादक जगदीश नारायण वर्मा

- हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशित ।
- प्रकाशन का चौदहवाँ वर्ष ।
- ग्राम विकास की समस्याओं और सम्भाव्यताओं पर चर्चा करनेवाली पत्रिका ।
- खादी और ग्रामोद्योग तथा ग्रामीण उद्योगीकरण के विकास पर मुक्त विचार विमर्श का माध्यम ।
- ग्रामीण उत्पादन में अनुसंधान और सुधरी तकनालाजी का विवरण देनेवाली पत्रिका ।

वार्षिक शुल्क २ रुपये ५० पैसे

एक अंक २५ पैसे

अंक प्राप्ति के लिए लिखें

* प्रचार निर्देशालय *

खादी और ग्रामोद्योग कमीशन ग्रामोद्योग

इला रोड, विलपार्ले (पश्चिम), बम्बई-५६ ए एस

कुमारमन्दिर के दो घंटे

काली प्रसाद 'आलोक'

[ग्रामभारती आश्रम स्वलाई द्वारा संचालित कुमारमन्दिर—जहाँ आठवीं तक का शिक्षण दिया जाता है—जो एक प्रयोग की भूमिका लेकर पैदा हुआ और नयी तालीम के प्रकाश में आगे बढ़ा है—जिसे श्री काशिनाथ त्रिवेदी जैसे निष्ठात शिक्षाशास्त्री का दिशादर्शन मिला है—यह सन् १९५६ में अस्तित्व में आया था। उसे अभी कुल नौ ही वर्ष हुए हैं—उसीके दो घंटों का वर्णन यहाँ दिया जा रहा है। यह पहला घण्टा एक नूतन सज्जा लिये हुए है। दूसरा घण्टा वस्त्रस्थालम्बन से सम्बन्ध रखता है। शैक्षणिक प्रयोग और प्राप्ति की दृष्टि से यह लख 'नयी तालीम' के पाठकों लिए प्रेरणाप्रद होगा। —सम्पादक]

प्रयोग और प्राप्ति

शाला आरम्भ होने के पूर्व शाला की प्रार्थना होती है। प्रार्थना के बोल हर दूसरे तीसरे दिन बदलते जाते हैं। कभी कभी एक ही बोल पूरे सप्ताह भी चलते हैं—बोला का चयन सावधानी से किया जाता है। ऐसे बोल, जो राष्ट्रीय होने पर भी विश्व भावना को अपने में समाहित करते हो—या जो बोल हमारे चरित्र को उन्नत करते हो—हमारी सस्वृति के प्रति अनुरागभरे हो—हमें सही दिशा की ओर ल जानेवाले हो—हमारी इच्छाशक्ति को दृढ़ करनेवाले हो—स्वर्णिम प्रतीत वा सही दिग्दर्शन करानेवाले हों—वे ही चुने जाते हैं और प्राथना में बोले जाते हैं। जैसे एक बोल के पूरे पद देखिये —

“वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य-मार्ग पर डट जावें,
पर सेवा पर उपकार में हम जग-जीवन सफल बना जावें।
हम दीन दुखों निषलों चिड़लों के सेवक बन सत्ताप हरे,
जो हैं अटकें, मूले भटकें, उनको सारें, खुद तर जावें ॥

द्वल दम्भ द्वेष पाखण्ड मूठ अन्याय से निशिदिन दूर रहें,
जीवन हो शुद्ध सरल चपता शुचि प्रेम सुधा रस बरसावें ॥
निम्न धर्म कर्म मर्षादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे,
जिस वसुधाय पर जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावें ॥”

प्रार्थना के बोल के बाद ही 'त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च
सखा त्वमेव । त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव, त्वमेव सर्वम् मम देवदेव ॥” बोला
जाता है और ईश्वर के लिए अपने आपको सर्व-ममपित किया जाता है ।
उमके बाद सबके सुखी होने की कामनावाला मंत्र—‘सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे
सन्तु निरामया । सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ॥”—बोला
जाता है । सभी सुखी हो—सभी नीरोग हो—सभी भद्र दिखाई दें—कोई
दुःखित न हो । हम सभी ऐसी कामना करें कि कोई भी मुख से वचित न हो—
हम एक-दूसरे के सुख को बढ़ावें—कोई रोगग्रस्त न हो—सबका शरीर मुन्दर,
सुदौल और बलशाली हो और किसीको भी किसी भी प्रकार का दुःख न हो—
यदि कोई दुखी हो तो हम उसके दुःख को दूर करने का मिलकर प्रयत्न करें ।

इम उदात्त कामना के बाद हम शारदा देवी का स्मरण करते हैं— ममस्ते
शारदे देवि, सरस्वति मतिप्रदे । प्रसीद मम जिह्वाप्रे, गर्वविद्याप्रदा भव ॥”
हे देवि । हमने जो कामना की है अपनी कृपा से हमम तुम वह स्फुरण दो—
हममे विद्याशक्ति जगाओ कि हम अपनी कामना को मूर्त रूप दे सकें । तुम
सुबुद्धि देनेवाली हो, हमारे जिह्वाप्रे पर स्वयं विराजमान होओ और हमें
जनसत्याण की दिशा देने के लिए नित नया स्फुरण दो ।

उसके बाद बोला जाता है—‘ओम् सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं
करवावहे । तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहे । ओम् शान्ति शान्ति शान्ति ॥”
गुरु और शिष्य देवी सरस्वती की माक्षी मे एक दूसरे के परिपूरक बनने हैं—
‘हम दोनों एकसाथ मिलकर अपनी विद्या को प्रकाश और गति दें ।’ गुरु सही
दिशा दें—शिष्य उमको कामान्वित करें । गुरु शिष्य दोता एक-दूसरे से प्रीतिपूर्वक
सहयोग करके जीवन में मुक्त भरें ।

फिर एक बच्चा उठता है और हमे अपने कर्तव्य का भगन कराता हुआ
कहता है—‘भानूदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव ।
बालदेवो भव ॥’ माता का, पिता का, गुरु का, अतिथि का, बालक का आदर
करो । जगत् मे कर्म करते हुए अपने धर्म और कर्तव्य का हमेशा ध्यान रखो ।
माँ—जो स्वर्ग से भी महान है, पिता—जो आकाश मे भी ऊँचा है, गुरु—जो

ज्ञान पर पडे आवरण को दूर करता है अतिथि—जो हमे समय-समय पर कमीटी पर बसता है बालक—जो भगवान का ही वामनरूप होता है—इन सबका आदर करो—सवा करो—ये सभी देवतुल्य है—देवत्व से परिपूर्ण है। यदि तुम सही माने मे मनुष्य बनना चाहते हो तो मनुज मे निहित देवत्व को परखो और उन्हें योग्य आदर दो। फिर बच्चा बोलता है और सभी से बोल जाता है—सत्य वद। धर्म चर। स्वाध्यायात् मा प्रमद। (फिर इनके अर्थ बोले जाते हैं) अद्भया देयम्। अद्भया अदेयम्। श्रिया देयम्। ह्रिया देयम्। भिया देयम्। सविदा देयम्।—(फिर इसका अर्थ बोला जाता है।)—अपना काम करो। सत्यभाव से करो। अपने अध्ययन मे चूक न होने दो। मनन चिन्तनपूर्वक कम करो। जो भी फल प्राप्त हो—उसमे से योग्य पात्रो को दान करो। अर्जित फल मे केवल तुम्हारा ही भाग नहीं है। कण-कण मे व्याप्त राम को देकर फिर लो। लेकिन राम को कसे दो? क्या गुस्से से दो? क्या तिरस्कार भाव से दो? नहीं अद्भया से दो। अद्भया न हो तो न दो। अद्भया की भावना से देना गरुत है—हेतु विगडता है। दना है देना चाहिए—देना मेरा धर्म है—मेरी हर वस्तु पर समाज का अधिकार है वसे ही जैसे कि समाज की हर वस्तु पर मेरा अधिकार है—ऐसा समझकर दो—देना चाहिए। हे गुरुदेव। अद्भयापूर्वक विद्यादान करो। देना ही तुम्हारा धर्म है। देने के लिए ही तुम्हें मिला है। हे शिष्य। अद्भयापूर्वक तुम भी अपनी सेवा दान करो। गुरु से प्राप्त पान का दान करना ही तुम्हारा धर्म है।

फिर अगले मंत्र मे इस भाव को और स्पष्ट किया गया है। यथा काष्ठ च काष्ठ च समेषाताम् महोदधौ। समेत्य च घ्येषाताम् तद्वत् भूतसमागम।” हम सब यहाँ केवल कुछ दिन के लिए आये है। हम सभी बच्चे शिक्षक यहाँ कुछ ही दिन मित्रकर रह सकेंगे। फिर हरेक को अपने प्राप्त ध्येय की पूर्ति मे लगना होगा। गुरु मे मिले ज्ञान के प्रकाश मे अपने जीवन को तपाना निखारना होगा।

आगे गीता के श्लोक बोले जाते हैं— यदा यदा हि धर्मस्य गङ्गा निर्ववति भारत। अम्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम् ॥ परित्राणाव साधूनाम् विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्मसंस्थापनार्थाय स भवामि युगे युगे ॥” (यहाँ की भूमिका मे) भगवान श्रीकृष्ण कहत है—हे गुरु शिष्यो। कम-क्षेत्र मे जाओ। जहाँ जहाँ तुम्हें कठिनाई आवे मुझे स्मरण करना—मैं उनका निवारण करूँगा। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है—कठिनाइयो की वृद्धि होती है—धर्म-शाय होता है—अपेरा फैल जाता है—प्रकाश की किरण फूट नहीं पाती—तब-तब मैं आवर अचेरे

को मिटाता हूँ—कठिनाइयाँ दूर करता हूँ और धर्म की प्रतिष्ठा करता हूँ। तुम निर्भय निर्णयक होकर अपने कर्तव्य में लगे। कठिनाइयों की परवाह न करो—वह मेरे लिए छोड़ दो।

यहाँ आकर प्राथम्य विधि पूरा होती है। आग रोज के समाचारा की समीक्षा होती है। विगत दिवस जो समाचार रेडियो से प्रसारित किये जाते हैं उन्हें सवलित करके १ २ ३ ४ म सप्तेप म कृष्णपाठ पर लिख दिये जाते हैं। बगल में नुकीली छडी (स्थान बताने के लिए) और जगत् तथा भारत का मानचित्र टंगा होता है। बच्चे एक-एक समाचार उठकर पढ़ने ह—सम्बन्धित प्रश्न करते हैं—सवाएँ पैदा होती है—उनका निवारण किया जाता है—सम्बन्धित जानकारी दी जाती है—सम्बद्ध व्यक्तियों का परिचय दिया जाता है। इस प्रकार भूगोल-शास्त्र और नागरिक-शास्त्र का प्रयत्न पाठ चलता रहता है। उदाहरणार्थ २२ ४ ६८ का समाचार-समीक्षा प्रस्तुत करता हूँ।

कक्षा ७ के छात्र श्री भालूमिहजी ने पहला समाचार पढ़ा— भूमिबो म होनेवाले ओलिम्पिक खेलों में दक्षिण अफ्रीका को दिया गया आमन्त्रण वापस ले लिया गया है।" बच्चों ने ओलिम्पिक खेलों का ओलिम्पिक का परिचय पूछा। दक्षिण अफ्रीका को दिया गया आमन्त्रण क्या वापस गया—इसके कारण जानने की जिज्ञासा बच्चों में था। उन्हें ओलिम्पिक का और ओलिम्पिक खेलों का परिचय तथा ओलिम्पिक खेलों का इतिहास भी थोड़े में बताया गया। फिर दक्षिण अफ्रीका की रणभेदनानि पर प्रकाश डाला गया। अन्तर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करके उमने घोषा दिया—४० देगों ने उमसे अयना विरोध प्रकट किया। फलत ओलिम्पिक खला की समिति ने दक्षिण अफ्रीका को दिया आमन्त्रण वापस माँग लिया।

श्री चित्रा बहन ने दूसरा समाचार पढ़ा— कल दस बजे सोवियत प्रधान मंत्री श्री झलेक्नेई कोमागिन कराची से दिल्ली पहुँचे। राष्ट्रपतिभवन पर आपने श्री इन्दिरा गांधी से डेढ़ घट तक चर्चा का तथा श्री राष्ट्रपति महोदय से चर्चा कर एक बजे मास्को के लिए प्रस्थान किया।" श्री गौतमजी ने पूछा— वे क्या आये थे ? उन्हें बताया गया कि वे विचारों के आदान प्रदान और आपसा मित्रता बढ़ाने की पारस्परिक समस्याओं पर चर्चा करने आये थे। उन्होंने कहा कि हम मत्र किसीको युद्धोपयोगी सहायता नहीं दगा। श्री तुलसारामजी ने पूछा— आजकल श्री भुट्टोजा कहाँ है और क्या करते हैं ? उन्हें श्री भुट्टोजी का स्थिति की जानकारी दी गया। बीच में ही हागकाग का प्रसंग आ गया। हागकाग की स्थिति बचने में सहायी गयी। इस पर अभा किसका हक

है—पूछे जाने पर उन्हें बताया गया कि यह अभी ६६ माल के पट्टे पर ट्रेडिंग के वजन में है। सन् १९६७ में पट्टे की अवधि पूरी होगी। तब यह चीन हो जायगा।

श्री जितेंद्र कुमारजी ने तीसरा समाचार पढ़ा—'तान गन्तुल गणभार साँ ने कहा—'पश्चिमिस्तान पाकिस्तान से अलग होकर ही रहेगा फिर उसे हिंसा का ही सहारा क्यों न बना पड़े।' तान साहब का परिचय दिया गया—उनकी सना खुदाई सिद्धमतगार की जानकारी दत्त हुए पश्चिमिस्तान लेने विषयक उनके विचार व्यक्त किये गए। एक लड़के ने पूछा—“जब वे सीमा के गांधी बह जाते हैं तो उन्होंने ऐसा क्या कहा कि हम जल्द पड़ने पर हिंसा का भी आश्रय ले सकते हैं? गांधीजी ने तो हिंसा के बारे में कभी सोचा भी नहीं था।” बात पते की पूछी गयी थी। पाकिस्तान का उनके प्रति रवैये का जिक्र करते हुए उन्हें समझाया गया कि क्यों एक शान्त आदमी भी अधिक दबाव के कारण अपना सन्तुग्ण खो बैठता है और अपनी नीति भी बदलने को मजबूर हो जाता है।

श्री विश्रामजी ने चौथा समाचार पढ़ा— दक्षिण अफ्रीका से लन्दन जाने वाला एक विमान १२२ यात्रियों समेत टूटकर नष्ट हो गया। ७ आदमी बचाये जा सके।” इस पर किसीने कोई प्रश्न नहीं किया।

श्री उदय कुमारजी ५ वाँ समाचार पढ़त हैं—'बल्गेरिया की सहायता से लुधियाना में ६ करोड़ की पूंजी से ट्रेक्टर का कारखाना खुला।’ बल्गेरिया की और लुधियाना की स्थिति नकरी में बताया गया। ट्रेक्टर आज की खेती के लिए कितना महत्व रखता है—यह बताया गया।

श्री भारतसिंहजी ने गोरखपुर में स्थापित होनेवाला खाद का कारखाना वाला छठा समाचार पढ़ा। बच्चों ने पूछा—अपने दश में और कहाँ कहाँ खाद के कारखाने काममें हुए हैं? उन्हें मिन्दरी, नागल आदि स्थानों की जानकारी दी गयी।

श्री भोलूसिंहजी ने अगला समाचार पढ़ा—'खावड़ा के निकट कच्छ फँसला-विरोधी आन्दोलन में सी से अधिक सत्याग्रही पकड़े गए, जिन्हें उसी दिन अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर छोड़ दिया गया।’—बच्चों को कच्छ की स्थिति—सन् ६५ में हुए भारत पाक-सर्पर्ष की जानकारी—फिर कच्छ फँसले के लिए मामला को न्यायाधिकरण को देने की विषयक बातें बतायी गयी। फिर बताया गया कि न्यायाधिकरण का फँसला कुछ लोगों को मान्य नहीं है इस कारण वे इसके विरोध में सत्याग्रह कर रहे हैं। पञ्चायत बच्चों को धारा १४४ का परिचय दिया गया। कच्छ का जिलामुख्यालय भुज को नकरी में बताया गया।

इसी प्रकार उम दिन के उन वारहों समाचारों पर एक-एक कर विचार हुआ ।
बच्चों को सम्बन्धित जानकारी दी गयी—उनकी जिज्ञासा की पूर्ति की गयी ।

समाचार समीक्षा के बाद यदि कोई रोचक सम्मरण सुनाने का अवसर होता है, तो वह सुनाया जाता है । कोई प्रतिथि आता है या अपने साथियों में से ही कोई लम्बे प्रवास पर से आता है तो उसका यात्रा-वर्णन सुना जाता है । प्रतिथि का शाला की दृष्टि से, शाला की ओर से इसी समय अभिनन्दन होता है ।

फिर सभी शान्तचित्त बैठ जाते हैं । बच्चों को प्रेरित करनेवाले गीत गाये जाते हैं । ये गीत सर्व बोधगम्य और स्वर-ताल-लय से निबद्ध होने हैं । सभी-सभी तो ४ ६ की टोलों भी मिलकर पहले से तैयारी करके रखती हैं । और समाचारों की समीक्षा ही चुकने के बाद गाती हैं । गीतों का एक नमूना ध्यान देने लायक है

“उठो बालको कदम बढ़ाओ, ले लो कर पतवार रे ।

तुम हो देश के वीर सिपाही, तुम्हें देश से प्यार रे,

तुम इसके खेवनहार रे ॥

तेरे बल पीरुप पर निर्भर, अनल अनिल का जीवन यौवन,

तेरी इच्छाओं पर आश्रित अम्बर का तूफानी गर्जन ।

दिशा दिशा में शोर मचाये तेरा क्रान्ति विचार रे ॥ तू इसके खेवन ॥

रवि शशि तुममें ज्योति होते, तुममें पारावार गरजता,

तुमने दीपित है यह जीवन, आशाओं का ज्वार उफनता ।

हिम्मत की सिद्धी पर चढ़कर मुक्त करो सब द्वार रे ॥ तुम इसके खेवन ॥

विजय-मुकुट लेकर हाथों में हिमगिरि तेरा स्वागत करता,

चाण चूमती अष्ट सिद्धियाँ सागर तेरा पानी भरता ।

तेरे पथ में फूल बिछाते जगती के करतार रे ॥ तुम इसके खेवन ॥

अमल विमल तुम नभ को कर दो, सुधासिक्त सब जग हो जाय,

सयक। अन्तर मुरभि बिलेर, मुकुल मुकुल विक्रमे मुस्काये ।

तेरी प्रतिभा तुममें अमके, तू ही देश आधार रे ॥ तुम इसके खेवनहार रे ॥

प्रेरक गीतों के बाद सभी उठकर, अनुशासनबद्ध हाकर राष्ट्रगीत गाते हैं ।

फिर ‘भारत माता की जय’ का तीन बार उद्घोष होता है और शाला का यह सामूहिक पहला घटा समाप्त होता है ।

ग्रामभारती छात्रम, टक्लाई

बाया-मनावर, जि० धार (मध्यप्रदेश)

सम्पादक मण्डल

श्री धीरेन्द्र मजूमदार—प्रधान सम्पादक

श्री वशीधर श्रीवास्तव

श्री राममूर्ति

वर्ष १६

अंक १२

मूल्य ५० पैसे

अनुक्रम

सत्रहवाँ सर्वोदय सम्मेलन	५१३ श्री वशीधर श्रीवास्तव
सृजनशील शिक्षा	५१७ श्री रोहित मेहता
अ० भा० विश्वविद्यालय शिक्षक-छात्र सगोष्ठी	५२१
प्राथमिक शिक्षा में विज्ञान-प्रेरण	५२६ डा० दवेन्द्रदत्त तिवारी
शालेय शिक्षा में कार्यानुभव	५४२
योजना पाठ-सकेत	५४६ श्री वशीधर श्रीवास्तव
कुमारमन्दिर के दो घटे	५५४ श्री कालीप्रसाद आलोक

जुलाई '६८

निवेदन

- 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से आरम्भ होता है।
- 'नयी तालीम' का वार्षिक चन्द्रा छ रुपये है और एक अंक के ५० पैसे।
- पत्र-व्यवहार करते समय प्राहक अपनी प्राहक-संख्या का उल्लेख अवश्य करें।
- रचनाओं में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है।

श्री श्रीकृष्णदत्त भट्ट सर्व सेवा सघ की ओर से प्रकाशित अमल कुमार बसु,
इण्डियन प्रेस (प्रा०) लि० वाराणसी-२ में मुद्रित।

सम्पादक मण्डल

श्री धीरेन्द्र मजूमदार—प्रधान सम्पादक

श्री वशीधर श्रीवास्तव

श्री राममूर्ति

वर्ष १६

अंक १२

मूल्य ५० पैसे

अनुक्रम

सनहवा सर्वोदय सम्मेलन	५१३ श्री वशीधर श्रीवास्तव
सृजनशील शिक्षा	५१७ श्री रोहित मेहता
अ० भा० विभवविद्यालय शिक्षक छात्र सगोष्ठी	५२१
प्राथमिक शिक्षा में विकेन्द्रीकरण	५२६ डा० देवेन्द्रदत्त त्रि
शालेय शिक्षा में कायानुभव	५४२
योजना पाठ-सकेत	५४६ श्री वशीधर
कुमारमन्दिर के दो घट	५५४ श्री

जुलाई '६८

निवेदन

- 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से आरम्भ होता है।
- 'नयी तालीम' का वार्षिक चक्र छह हफ्ते है और एक ६
- पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक-संख्या का ७
- रचनाओं में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की


श्री श्रीकृष्णदत्त भट्ट सच सेवा सघ की ओर से

इण्डियन प्रेस (प्रा०) लि० धाराणसी-२



नयाँ जाला

1950



भारत

१९५०

नयी तालीम : जुलाई '६८

पहले से डाक व्यय बिये बिना भेजने की अनुमति प्राप्त

साइसेंस नं० ४६

रजि० स० एल १७२३

राष्ट्रीय गांधी जन्म शताब्दी समिति

प्रधान केन्द्र

राजघाट कालोनी, नई दिल्ली १

फोन २७६१०५

गांधी रचनात्मक

कार्यक्रम उपसमिति

अध्यक्ष डा० जाकिर हुसेन राष्ट्रपति
उपाध्यक्ष श्री वी० वी० गिरी उपराष्ट्रपति
अध्यक्ष
कार्यकारिणी श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधान मंत्री
मंत्री श्री आर० आर० दिवाकर

अध्यक्ष श्री मनमोहन चौधरी

मंत्री श्री पुराबद्र जैन

गांधीजी के जन्म के १०० वर्ष २ अक्टूबर, १९६६ को पूरे होंगे।

आइए आप और हम इस शुभ दिन के पूर्व

- देश के गाँव-गाँव और घर-घर में गांधीजी का सन्देश पहुँचायें
- लोगों को समझायें कि गांधीजी क्या चाहते थे।
- व्यापक प्रचार करें कि विनोबाजी भी भूदान-ग्रामदान द्वारा गांधीजी के काम को ही आगे बढ़ा रहे हैं।

यह सब आप हम कैसे करेंगे ?

• यह समझने-समझाने के लिए रचनात्मक कार्यक्रम उपसमिति ने विभिन्न प्रकार के फोल्डर, पोस्टर, पुस्तक-पुस्तकादि, सामग्री प्रकाशित की है। इसे आप पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ने को दें।

• इस सब सामग्री और विशेष जानकारी के लिए उपसमिति के नीचे दिये गये जयपुर कार्यालय से पत्र-व्यवहार करें।

गांधी रचनात्मक कार्यक्रम उपसमिति

टुकलिया भवन, कुन्दीगरो का भँरो

जयपुर ३ (राजस्थान)

फोन ७२६८२

शिक्षक और शिक्षामंत्री

अभी कुछ दिन पहले की बात है। समाजसेवियों की एक गोष्ठी हो रही थी। गम्भीर गोष्ठी थी। उसमें एक बड़े शिक्षामंत्री भी आये थे। नाम के मंत्री नहीं थे, बल्कि अपने राज्य में प्रभाव रखनेवाले, लोकप्रिय, कमठ, शिक्षा में बुनियादी परिवर्तन की बात सोचनेवाले थे। चर्चा के मिलसिले में अपने राज्य की शिक्षा और शिक्षकों के बारे में उन्होंने जो बातें बतायीं उनमें से कुछ ये हैं

१ 'मैं देखता हूँ कि जब शिक्षकों से शिक्षा-आयोग की सिफारिशों और शिक्षा में सुधार की बात होती है तो वे बतन के सिवाय दूसरी किसी सिफारिश पर रुचि और उत्साह के साथ चर्चा नहीं करते। रुचि तो अलग रही, आयोग ने स्कूलों में काम के अनुभव (वर्कएक्सपीरियंस) के बारे में जो सुझाव दिया है वह तो उन्हें जैसे बेकार-सा लगता है।'

२ 'अभी एक बहुत बड़ी शिक्षा समस्या में उपद्रव हुआ था। मैंने सीनियर अधिकारियों-द्वारा उसकी जाँच करायी। उनका कहना था कि अगर कालेज के बारह प्रोफेसर निकाल दिये जायें तो बारह वर्षों तक शान्ति की गारंटी रहेगी, और अगर उनके पाँच मुख्य अगुआ निकाल दिये जायें तो कम से कम पाँच वर्षों तक कोई उपद्रव नहीं होगा। उनके रहते हुए शान्ति असम्भव लगती है।'

वर्ष : सोलह

●
अक-एक

३. 'जहाँ विश्वविद्यालय है वहाँ सबसे अधिक अशान्ति रहती है। कुछ शिक्षक तो गुण्डे विद्यार्थियों को वाकायदा पालते हैं। उन्हें लाठी, भाला, छूरा आदि देते हैं। इम्तहान में नकल कराते हैं। पैसे की मदद करते हैं, और जरूरत पड़ने पर अपने विरोधी शिक्षकों, विद्यार्थियों या स्वयं अधिकारियों के विरुद्ध उनका इस्तेमाल करते हैं। उनका ऐसा चवरदस्त गुट रहता है, कि कोई कुछ बोल नहीं सकता।'

४. 'ऐसे शिक्षकों की संख्या बहुत कम है जिन्हें शिक्षण में रुचि है और जो सुधार के लिए खुद कुछ काम करने को तैयार हैं। ऐसी हालत में मैं समझ नहीं पाता कि शिक्षा में सुधार कैसे होगा।'

जिन मंत्रीजी ने ये बातें कही उन्हें शिक्षक आमतौर पर इज्जत की निगाह से देखते हैं। मैंने देखा कि उनके दिल में शिक्षक के लिए आदर का भाव है और जब वह गोष्ठी के सामने ये बातें कह रहे थे तो उनके शब्दों से गहरी चिन्ता प्रकट हो रही थी। अन्त में कहते-कहते उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि, 'अगर दो-चार साल के अन्दर यह शिक्षा नहीं बदलती तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ इस देश को बचाने की कोई आशा नहीं रह जायगी।'

ऐसी बातें मैंने किसी जिम्मेदार आदमी के मुँह से पहले कभी नहीं सुनी थी। शिक्षा के अपने लम्बे अनुभव से जानता तो था कि विद्यालयों में क्या-क्या होता है लेकिन यह नहीं सोचता था कि सचमुच शिक्षा की दुनिया यहाँ तक पहुँच गयी है। मालूम नहीं देग के दूसरे भागों में भी यही हाल है या कुछ दूसरा। इतना जाहिर है कि शिक्षा को लेकर क्या बड़े और क्या छोटे, सब समान रूप से चिन्तित है। शिक्षक खुद चिन्तित हैं क्योंकि उनके भी बच्चे हैं जिनके भविष्य के बारे में पिता की हैसियत से उन्हें सोचना पड़ता है।

कितना अच्छा होता अगर शिक्षा के बारे में चिन्ता सबसे पहले शिक्षकों की ओर से प्रकट की जाती! लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और विश्वविद्यालय का 'प्रोफेसर' तो सुनना भी नहीं चाहता कि उसमें भी धुन लग गया है। मजे की बात यह है कि जब इस तरह की चर्चा छिड़ती है तो विश्वविद्यालय कालेजों की दोपी बताने हैं, कालेजवाले सारा पाप स्कूल वालों के मरथे मढ़ते हैं, और स्कूल वाले अपनी जगह यह कहकर निकल जाते हैं: 'क्या करें, परिवारों और समाज का

वातावरण इतना खराब है कि हम विद्यार्थियों को कितना मुघार सकते हैं। २४ घंटों में विद्यार्थी मुश्किल से हमारे यहाँ ५-६ घंटे ही तो रहते हैं। वह भी साल में कितने दिन ?

यह सही है कि जो बुराइयाँ हैं उनकी जड़ दूर तक पैली हुई है। कुछ भी हो हमारे विद्यालय तक देकर अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हा सकते। लेकिन कोई विद्यालय अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं सकता अगर उसके शिक्षक इस तरह विगड गये हो। दुख इस बात का है कि स्वयं शिक्षक यह नहीं देख रहे हैं कि उनके घर में उनका ही चिराग से आग लग गयी है, और उनकी अपनी ओर से आम दुष्माने की कोशिश नहीं हो रही है।

क्या शिक्षक मित्र यह साचते हैं कि समाज में उनकी प्रतिष्ठा तेजी से केवल इसलिए गिर रही है कि उन्हें कम वेतन मिलना है ? कम वेतन की शिकायत कम-से-कम विश्वविद्यालय का शिक्षक तो नहीं कर सकता। लेकिन उसका भी क्या हाल है ?

शिक्षा की बात आने पर शिक्षक बराबर यह कहकर अपनी मजबूरी जता देते हैं कि वे क्या करे, सरकारी विद्यालयों में अफसरों की मर्जी से काम होता है, और गैर सरकारी विद्यालयों में मैनेजर की। यह कहना गलत नहीं है, लेकिन शिक्षक आज पहले से कहीं अधिक संगठित हैं। कौंसिल में उनके प्रतिनिधि हैं। कुछ भी हो, समाज में उमका कुछ स्थान अभी भी बचा हुआ है। कुल मिलाकर ऐसी दान नहीं है कि अगर वह शिक्षा में बुनियादी परिवर्तन की बात कहे तो उसकी कही हुई बात पूरी की पूरी अनसुनी कर दी जायगी। सरकार भले ही तुरत न मुने, लेकिन समाज तो सुनेगा जिसे अपने बच्चों की चिन्ता है। क्या शिक्षकों के संगठन अपने सदस्यों से कुछ नहीं कह सकते ? वे कहना चाहते भी हैं ?

क्या यह मान लिया जाय कि शिक्षा के मामले में भी राजनीति शिक्षा से अधिक प्रगतिशील है ? आखिर क्या समझा जाय ? इसका भिन्न समझने का प्रमाण शिक्षकों की ओर से मिलना चाहिए। इतना निश्चिन्त है कि अगर राजनीति आगे निकल गयी तो न शिक्षा का कोई भविष्य है, न शिक्षक का। फिर तो शिक्षा राजनीति की दासी होगी और शिक्षक नेता का दासानुदास।

—राममूर्ति

अणुबम बनाना न नैतिक न व्यावहारिक

जयप्रकाश नारायण

- क्या हम अपना बम बना सकते हैं ? यदि हाँ तो कितना शीघ्र, कितनी सख्या में, और किस िरम व कितनी चमता के ?
- यदि हम बम बनाने में सफल हो जायँ तो उसने आधिक और राज नीतिक परिणाम क्या होंगे ?
- राष्ट्रीय सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बम बनाना कहाँ तक अनिवार्य है ? उत्तर इस लेख में पढ़ें । स०

भारत स्वयं अपना अणुबम बनाये या नहीं, इस प्रश्न के नैतिक और व्यावहारिक दो पहलू हो सकते हैं । नैतिकता के आधार पर विचार करने पर अणुबम से अधिक अनैतिक अस्त्र कोई हो सकता है यह सोचना कठिन है । जिस अस्त्र में लाखों मानवा को क्षणभर में खाक में मिलाने की क्षमता है जो पूरी पृथ्वी को विपाक्त कर दे और गर्भस्थ पीढ़ी को विहृत और बरवाद कर दे वह नैतिक नहीं हो सकता ।

दुर्भाग्यवश मानव का विकास अभी तक इतना नहीं हो पाया है जिससे प्रमुख कामरत मनुष्य की समक्ष में यह आ सके कि जो नैतिक है वह प्रमुख रूप से व्यावहारिक भा है । इस देश में, विशेष रूप से इस समय नैतिकता के आधार पर सोचने की कामत गिर गया है । एक ऐसा मानम बना हुआ है कि राजनीति और नैतिकता को जोडना मूर्खता माना जाता है ।

राजनीति का आधार नैतिकता

मोडाना भी सोचने पर यह स्पष्ट हो जायगा कि राजनीति को यदि नैतिकता से अलग कर दिया जाय तो उसका पतन असंघमित उत्पीडन, भ्रष्टाचार स्वाधपरता तथा इनस भी और गिरे हुए रूपों के सिवा और कुछ ही हो नहीं सकता । वास्तव में नैतिकता पर ही राजनीति आधारित है । इस देश के चिरवाहित आदर्शों में से प्रत्येक—जनतंत्र, धर्म निरपेक्षता, समाजवाद, न्याय व धार्मिक—मूडत नैतिक विचार ही है । यदि हमारे राष्ट्रीय जीवन में से नैतिकता नहीं सालीम]

हटा ली जाय ता फिर इन आदमियों के पीछे जाने के लिए और कौन स अनिवार्य कारण रह जायेंगे ?

कुछ लोग अवश्य ऐम हैं जिनकी मान्यता है कि राष्ट्रीय कार्यों मे राजनीति का आधार नैतिकता हो । पर तु अन्तर्राष्ट्रीय मामला मे वे इमे मूल्यों की नहीं तो भोले लागो का कल्पना की उडान मात्र मानने है । यहाँ भी यदि हम थोडा विचार करें ता स्पष्ट होगा कि यदि हम इम मान्यता का स्वीकार कर लें तो विश्व मे शान्ति और न्याय की कोई आशा कोप नहीं रहेगा ।

व्यावहारिक पहलू मे सोचें तो इम विषय मे सावजनिक चर्चा छेड़ने मे मधस बड़ी कठिनाई सम्बन्धन जानकारी के अभाव का आती है । सरकार इम विषय पर आवश्यकता मे अधिक गोपनीयता अपनाये हुए है । फिर भी जो जानकारी उपलब्ध है उसका आधार पर मैं तान प्रश्ना पर विचार करूँगा । पहला प्रश्न है कि क्या हम अपना बम बना सकते है ? यदि हाँ तो कितना शीघ्र, कितनी मस्या मे और किस किस व कितनी क्षमता के ? दूसरा प्रश्न है—यदि हम बम बनाने मे सफल हो जायें तो उसके आर्थिक और राजनैतिक परिणाम क्या हागे ? और तीसरा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बम बनाना कहा तक अनिवार्य है ?

हम बम बना सकते हैं ?

पहले हम प्रथम प्रश्न को ही लें । अधिकृत रूप स यह कहा गया है कि हम १८ माह की छोटी अवधि मे हा बम तैयार कर सकते है । यह हमारा अणु-सम्बन्धित क्षमता का अनुमान अधिक है बनिस्वत हमारी बम बनाने का सम्भावना के । कारण यह है कि हमारी भीजूदा क्षमता गम्भीर रूप मे बनाडा और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का सहायता का शर्तों पर आधारित है, जो कि उन्होंने हमारे वर्तमान तीन 'रियेक्टरो' को स्थापित करते समय की थी । उनमे मे एक शर्त यह है कि जा अणु शक्ति हम उत्पादित करेंगे उसका उपयोग केवल शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए हो । यदि चाहे तो हम यह शत टोड सकते है परन्तु तब विश्व मे देश की नैतिक अग्रतिष्ठा के अलावा हम उनका अल्प परिणामो का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो कि बहुत कुछ गम्भीर ही हागे । हाँ, यह अवश्य हाँ सकता है कि हम विदेशी सहायता के बिना ही अपनी स्वतंत्र अणु शक्ति-योजना का आरम्भ करें । परन्तु उपलब्ध जानकारी के आधार पर ऐमा प्रतीत होता है कि हमे कम से-कम पाँच वर्ष माधारण प्लूटोनियम बम तैयार करने मे लग जायेंगे जिनकी

कि फौजा उपयोगिता बहुत नहीं होगी। अधिक आधुनिक बम, जैत कि यूरेनियम स तैयार हुए हैं उनका बनाने की क्षमता के लिए तो हम लम्बे अरसे तक माघनो के अभाव के कारण अयोग्य ही मिद्ध हागे।

बम बनाने के आर्थिक और राजनीतिक परिणाम

अब दूसरा प्रश्न लें। भारत का द्वारा अपना बम बनाने के राजनीतिक, आर्थिक और नैतिक सम्भावित परिणाम का जिज्ञासने कर ही दिया है। अणु अस्त्र विरोधी आन्दोलन में अधिक समय का भारत के अग्रणी होने के कारण यदि अब वह उन ओर से अपना मुँह फेर ले तो उमकी क्या नैतिक प्रतिष्ठा रहेगी? इस बारे में विस्तार से कहने का आवश्यकता नहीं है। पर तु आर्थिक और राजनीतिक परिणाम अभी आम लोग में अधिक स्पष्ट नहीं है। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि न केवल अमेरिका और ब्रिटेन ही अणु अस्त्र के विस्तार के विरोधी हैं बल्कि रूस भी उमका विरोधी है। अब इसमें कोई शक नहीं कि हमारे इस कार्य के सम्बन्ध में वे बहुत सम्भरीर रख अपनायेंगे। इन देशों जो कि हम प्रमुख रूप से सहायता देनेवाले हैं, की ओर स हम आर्थिक सहायता पूर्ण रूप से बन्द हो सकती है। और, राजनीतिक दृष्टि में भारत बुरी तरह से एकाकी कर दिया जायगा। घाड़े से बम यदि हम बना भी लेंगे तो ऐसी स्थिति में वे हमारी क्या सहायता कर सकेंगे, यह समझना कठिन है।

बम बनाना अनिवार्य है ?

अन्तिम प्रश्न यह है कि वास्तव में अपनी सुरक्षा के लिए क्या हम बम की आवश्यकता है भा ? इस प्रश्न पर हम (अ) चीन और (ब) सामान्य विश्व का स्थिति के सन्दर्भ में विचार कर सकते हैं। पहले हम सामान्य विश्व का स्थिति को लें। इसमें कोई शक नहीं यदि जनतन्त्रवादी भारत जो कि अपनी श्रद्धा प्रजातन्त्र, सहअस्तित्व और शान्ति में पोषित करता है और जो लगानार अणु अस्त्र का विरोध करता रहा, अतः अपने सिद्धान्त से डिग जाता है और अणु-शस्त्र की दौड़ में शामिल हो जाता है तो प्रत्येक दश, जिनमें रूस भर भी अणु शक्ति उत्पादन की सामर्थ्य होगी वह भी इस दौड़ में शामिल हो जायगा। पाकिस्तान का अवश्य ही उनमें से सर्वप्रथम होगा। इस प्रश्न पर विचार करने वाल इस बात में सहमत हैं कि अणु अस्त्रों का फँदाव स विश्व की असुरक्षा बेहद बढ़ जायगी जिनसे अणु युद्ध लगभग अनिवार्य हो जायगा। स्वभावतः भारत का खतरा, जितना आज है उममें वही अधिक हो जायगा।

नयी तालीम]

चीन के बम का खतरा नहीं

जहाँ तक चीन के बम से खतरा है उसके बारे में प्रश्न है कि क्या चीन भारत पर अणु अस्त्र का हमला करना चाहता है और क्या वह इतना साहम करेगा ? मैं नहीं समझता कि चीन के कम्युनिस्ट क्यों भारत को एक विस्तृत शमशान बनाना चाहेंगे, न मैं यह समझ सकता हूँ कि इससे उन्हें क्या मिलेगा । जहाँ तक मैं समझता हूँ चीन का बम एक अधिक कूटनीतिक उद्देश्य के लिए है जो कि बजाय फौजी के राजनीतिक है । यदि हम भयभीत हो गये और बम बनाने में हमने अन्दरवाजी की तो इस प्रकार हम चीन के राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति ही करेंगे । हमारा अणु अस्त्र का दाखाना इतना विघात हा जाय कि वह चान के लिए प्रतिबन्धक रूप में सिद्ध हो, इसके लिए बहुत समय लगेगा । इन बीच चीन हमारी भयाकुलता का लाभ उठायेगा और उस उपरांत आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति का भी फायदा उठायेगा जा अणु बम बनाने के कारण हमारी होगी ।

चीन अपना बम हमारे विरुद्ध प्रयोग करने का साहम करेगा कि नहीं, इस प्रश्न का उत्तर देना बाका रह गया है । मेरे मन में यह बिलकुल साफ है कि चीन कभी भी इतनी मूर्खता की बात नहीं करेगा । यू० एम० ए० उनका तुरत बदला लेगा और सम्भवत वह चान के कुछ अणु-अस्त्रों के कारखाना को तबाह कर देगा । मुझे यकीन है कि उस समय हम अपनी उँगली भी अमेरिका की आर नहीं उठायेगा, यह अलग बात है कि कौसी भी भाषा का प्रयोग वह अमरीकना के विरुद्ध करे । मैं यह निष्कर्ष अमेरिका या रूस के सम्बन्ध में उनको जन शक्तिकारी वृद्धि के आधार पर नहीं निकाल रहा हूँ बल्कि शक्ति-मातुलन-सम्बन्धी स्पष्ट वास्तविकताओं के आधार पर । इस प्रकार वास्तविक प्रतिरायक शक्ति जा चीन के बम के विरोध में काम कर रही है वह है यू० एम० ए० (अमेरिका) और यू० एम० एम० आर० (रूस) का शक्ति ।



अणुबम और भारत

[भारत के आणविक-प्रधान डा० विक्रम ए० साराभाई ने यम्बई के पत्रकार सम्मेलन में १ जून १९६६ को पत्रकार के जिन प्रश्नों का उत्तर दिया था उनमें से तीन प्रश्नों को हम यहाँ दे रहे हैं । सं०]

प्रश्न : अणु बम के बारे में आपके क्या विचार हैं ?

उत्तर : यदि मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर ऐसी प्रस्तावना के साथ दूँ जो सीधा उत्तर न हो तो थुरा मत मानिए । मेरा ख्याल है कि हम पहले अपने-आपसे यह पूछें कि हमें अणु बम चाहिए किसलिए ? एक बात तो स्पष्ट है कि यह एक ऐसा लक्ष्य प्राप्त करने का माध्यम मात्र है जो हमारा नहीं हो सकता । अणु बम ने हिरोशिमा तथा नागासाकी में जो भयंकर नुकसान किया उनसे सभी लोग भयभीत हो उठे । मैं नहीं समझता कि लोग ऐसी भयंकर चीज के साथ जीना पसन्द करेंगे । किन्तु यह सच है कि हम सब को अपनी सुरक्षा की चिन्ता होती है । और मुझे लगता है कि प्रत्येक मनुष्य को तथा राष्ट्र को अपनी सुरक्षा की चिन्ता करनी ही चाहिए । हमें यह देखना चाहिए कि किसी राष्ट्र की स्वतन्त्रता तथा उसकी सम्पत्ता का अतिक्रमण न हो । पर यहाँ मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार हमारी सुरक्षा को बाहर के आक्रमण से खतरा है वैसे ही उसे भीतर से भी हो सकता है । मुझे लगता है कि यदि हम देश को आर्थिक विकास की गति कायम न रखें मके तो बहुत ही गम्भीर कठिनाइयों का अनुभव करेंगे और भारत की एकता नष्ट होगी । इसलिए जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो हमें देश के बाहर तथा भीतर के आक्रमणों का विचार करना चाहिए । यह भी सोचना चाहिए कि हम देश के विकास तथा सैनिक सुरक्षा के बीच कैसे मन्तुलन रख सकते हैं ? राष्ट्रीय विकास तथा सुरक्षा के लिए हम कहाँ तक विदेशी सहायता पर निर्भर रह सकते हैं ? यही कठिन प्रश्न आज हमारे सामने है । समस्या यह है कि हम देश के माध्यम-स्रोत के उत्पादन तथा समाज-कल्याण के लिए प्रयोग करें या सैनिक सुरक्षा के लिए ?

जो लोग सैनिक नीति से परिचित हैं वे यह जानते हैं कि कागज का शेर हमारी रक्षा नहीं कर सकता । इनका यह मतलब हुआ कि हम अपनी सैनिक-नयी तालीम]

शक्ति के बारे में किसी का टग नहीं सकते। यदि हम यह चाहते हैं कि हम अपनी रक्षा अणुबम-द्वारा कर सकें जैसे कि रूस तथा अमेरिका कर सकते हैं, तथा शत्रु हमारे अस्त्रों के कारण हम पर आक्रमण न करे, तो यह केवल एक बम विस्फोट से नहीं होगा। इसके लिए सम्पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें प्रक्षेपास्त्र, दूर तक जानेवाले क्षेपणीय अस्त्र होने चाहिए। इसके लिए रेडार आवश्यक होगा। विनायक प्रकार के धातु तथा यंत्रदणुसम्बन्धी (इलेक्ट्रोनिक्स) उद्योग का विकास करना होगा तथा औद्योगिक समाज की नींव रखनी होगी। यह सब हम कैसे कर सकते हैं? ऐसी बात तो नहीं है कि वैज्ञानिक एक नमूना आपके सामने रख दें और फिर तुरंत ही हमें आणविक सुरक्षा मिल जाय। उसके लिए तो देश की सम्पत्ति लगाना होगी और बहुत स धन की जरूरत होगी। इसलिए जब हम सोचते हैं कि हमें बम बनाना है तो उसमें व्यय का प्रश्न उचित नहीं है। इसका सम्बन्ध तो अधिक महत्वपूर्ण बातों से है। आप मुझसे यह पूछ सकते हैं कि दो गज कपड़े की क्या कीमत होगी? किन्तु दो गज कपड़ा सब तक नहीं बन सकता जब तक आप पास उसे बनाने के लिए करपा, मिल अथवा कोई अन्य साधन न हों। उसी प्रकार यदि हम अपनी रक्षा अमेरिका तथा रूस की भाँति परमाणु-अस्त्रों से करना चाहते हैं तो उसके लिए कितना व्यय होगा, यह आप जानने ही है। वे अपना पैसा समुद्र में तो फेंक नहीं रहे हैं। उस सैनिक व्यवस्था पर ही खर्च कर रहे हैं। और उनका व्यय शतरा अरबों में हो रहा है। मुझे लगता है कि हम कितना धन लगा सकते हैं, यह सोचकर हाइंग पर विचार करें। मैं प्रधान मंत्री से पूर्णतया सहमत हूँ कि केवल बम विस्फोट से हमारा सुरक्षा नहीं बढ़ सकती।

प्रश्न : क्या हम परमाणु बम बना सकते हैं ?

उत्तर : यह भी इसी बात पर निर्भर करता है कि हम इसमें कहीं तक शक्ति लगा सकते हैं। इसमें राजनीतिक निर्णय की आवश्यकता है और सामाजिक निर्णय की भी। यदि आप परमाणु सुरक्षा की बात सोच रहे हैं तो मैं आप को स्पष्ट ही बता दूँ कि इसमें लाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक है। और इसके लिए आपको ४००-५०० अरब डालर खर्च करने को तैयार होना चाहिए। लेकिन वह दूसरी बात है।

प्रश्न : हमारे आत्मविश्वास का क्या होगा ?

उत्तर : आत्मविश्वास का प्रश्न बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है कि प्रत्येक राष्ट्र को स्वाभिमान होना चाहिए और अपना सिर ऊँचा रखना

चाहिए। मैं इसे बहुत जरूरी समझता हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि हमारे लोगो में यह धारणा फैली हुई है कि हमारे पड़ोसी हमसे आगे बढ गये हैं। पर मैं यह मानता हूँ कि हमें ठीक प्रगति करनी चाहिए। ऐसी प्रगति जिसे हमारे देश का कल्याण हो। बम-जमी निरर्थक चीज हमें नहीं चाहिए। हमारी प्रगति सचाई पर आधारित होनी चाहिए, केवल दिखावे के लिए नहीं। यदि आप देश में आत्म-विश्वास की भावना चाहते हैं तो वह दिखावटी प्रगति पर अधिक दिनों नहीं टिक सकती। विज्ञान तथा उद्योगविद्या केवल आणविक क्षेप में ही नहीं, बल्कि देश के विकास के लिए बड़े क्षेत्रों में उन्नति कर सकता है।

हम चाहे वैज्ञानिक हो या नहीं, हमें इस कार्य में छुट जाना चाहिए। इस प्रकार हम बाहर के आक्रमण से तथा भीतरी तनावों से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। ●



जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, अणुबम ने मनुष्य-जाति की ऊँची-से-ऊँची भावनाएँ, जो उसे युगों से टिकाये चली आ रही हैं, खतम कर डाली हैं। पुराने जमाने में लड़ाई के कुछ ऐसे कानून जरूर होते थे, जो लड़ाई को कुछ बरदाश्त करने लायक बनाते थे। अब हम उसका असली रूप देख रहे हैं। आज जोर-जबरदस्ती को छोड़कर लड़ाई का दूसरा कोई कानून ही नहीं है। अणुबम ने मित्र राज्यों को एक खोखली जीत तो बी, पर साथ ही उसने थोड़े समय के लिए तो जापान की आत्मा का खून कर दिया है। लेकिन नाश करनेवाले राष्ट्र की आत्मा का क्या हाल हुआ, यह कहना आज कठिन है। कुदरत किस तरह अपना काम करती है, यह समझना आज कठिन है। अणुबम की इस अत्यन्त करुण कहानी से हमें पाठ तो यह सीखना है कि जिस तरह हिंसा से हिंसा को नहीं मिटाया जा सकता, उसी तरह एक बम को दूसरे बम से नहीं मिटाया जा सकता।

—गांधीजी

भारत और अणुबम

चीन ने अपना पहला अणुबम विस्फोट कर अणुअस्त्र क्लब में प्रवेश किया है। क्या भारत को भी वैसा करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले परमाणु अस्त्रों के बारे में कुछ जानकारा प्राप्त कर लेना आवश्यक है।

विध्वंसक शक्ति

पदार्थ के सूक्ष्मतम कोष परमाणु का स्फोट करने (अणुबम) या दो परमाणुओं के निर्गलन (हाइड्रोजन बम) में प्रचंड शक्ति निकलती है। उन शक्ति में ऐसे भयानक क्षत्र बनाए गये हैं कि जिनकी विध्वंसक शक्ति को बतपना भी न की जा सके।

पिछले महायुद्ध में इस्तेमाल होनेवाले परम्परागत बम में सामान्यत एक टन विस्फोटक द्रव्य रहता था। हिरोशिमा पर गिराये गये प्रथम अणुबम में इमते २०,००० गुनी विस्फोटक शक्ति थी और आजकल का साधारण परमाणु बम उन अणुबम से भी १,००० गुनी विध्वंसक शक्ति रखता है। यानी दूसरे विश्वयुद्ध में इस्तेमाल होनेवाले औमत बम में आजकल के औमत परमाणु बम में २ करोड़ गुनी विध्वंसक शक्ति हावी है।

विस्फोट, प्रलयानल और रडियेशन

ऊपर बताये आकड़े सिर्फ प्रथम स्फोट से सम्बन्धित हैं। किनी नगर पर बम गिरते ही अतक मौला तब मामेट इस्तेमाल का इमारता को तोड़ता हुआ और लाक्षा लोगो को मारता हुआ एक स्फोट टोता है। फिर अनेक मौला तक अतक प्रचंड प्रलयानल उठता है आ आकाश में अनेक मालो तक ऊपर चढता है और वह तेके-डो में हजारों वर्गमाल के क्षत्र को आग लगा देता है।

आग की धधक इतना जदी आता है कि पलक मारने का भा समय नही बच पाता और उसकी ज्वाला इतनी प्रखर होती है कि दो सौ तीस सौ माल दूर से देखनेवाले की आँखें भी इन देखकर अंधी हो सकती हैं। इसके बाद एक ऐसी घटना घटती है जिसे 'आग का तूफान' कहा जाता है। आग के कारण

इतनी जोरो से हवा चलती है कि इससे आग की आधी-मी चलने लगती है जो कि वातावरण का सारा प्राणवायु जला देती है और जमीन के बहुत नीचे छिपे लोगो को भी प्राणवायु के अभाव में घाट डालती है ।

रेडियो एक्टिविटी (किरणोत्सर्ग)

परमाणु के हर स्फोट में बहुत बड़े प्रमाण में पदार्थ रेडियो एक्टिव होते हैं जो कि किसी भी प्राणवान चीज के लिए खतरनाक है । आजकल तो वैज्ञानिक लोग छोटे छोटे रेडिया एक्टिव पदार्थों को भी बहुत डरते व सम्हलते हुए दूत पकड़ते हैं । लेकिन परमाणु स्फोट से ऐसे खतरनाक हजारों टन पदार्थ व्यापक क्षेत्र में बिखरने हैं और वातावरण के वायु प्रवाहों-द्वारा सारी दुनिया में फैल जाते हैं । रेडियो एक्टिव पदार्थों की किरणें ईंट की दीवार या मनुष्य के शरीर जैसी चीजों में घुस जाती हैं । उससे जीवन का तीन तरह से नुकसान होता है

१ शरीर के कोषों का तुरत नाश हो जाना, जिससे 'रेडियेशन' रोग होता है । इस बीमारी से पहले बाल या दाँत गिर जाते हैं और कुछ घंटों या दिनों में मनुष्य मर जाता है ।

२ किरणोत्सर्ग (रेडियो एक्टिव) पदार्थ शरीर में घुसने के बाद हड्डी में सञ्चित होने हैं और उससे रक्त का कैंसर (ल्युकमिया) होता है । उसमें मनुष्य वर्षों तक पाण्डित होते हुए मरता है । आज हिरोशिमा की दुर्घटना के बीस साल बाद भी वहाँ के लोग अणुबम के कारण हुए रोगों से मर रहे हैं ।

३ किरणोत्सर्ग (रेडियेशन) के कारण रक्तकोषों की रचना में परिवर्तन होता है और उसके कारण मनुष्य की भावी संतानों को नुकसान होने की सम्भावना रहती है । आज भी हिरोशिमा की माताएँ ऐसे बच्चों को जन्म देती हैं जो मनुष्य शरीर से कम मिलते-जुलते हैं । किमी के ललाट में एक बड़ी चौरस आँख होती है, जिसके पैर पूँछ जैसे होते हैं किमी के मासिक अवयव ही नहीं होते, कोई मरने वाला है कोड जन्म के समय से पागल होता है । एक वैज्ञानिक ने यह गणना की है कि उस बम के दुष्परिणाम शायद ३० पीढ़ी के बाद मिटने शुरू होंगे ।

अणुबम के परीक्षण से पैदा होनेवाली किरणोत्सर्ग (रेडियो एक्टिव) भस्म भी अनियंत्रित रूप से गिरती है । गुप्त रूप से जलनेवाली यह भस्म वातावरण में सँकड़ा मील ऊपर उड़ती है और फिर पवन पर सवार होकर वह नयी लक्ष्मी]

बढ़ता है। वह कहीं जायगी और विमकी हड्डिया में उसका किरणें धुँसेंगी, यह इन चीजों पर निर्भर रहता है कि उस समय हवा विम तरफ बढ़ रहा है। मनुष्य अपने-आप ही के साथ मौत का खेल खेलता है और अपने-आप का निर्जीव और लींचार बनाता है। चान के अणु परीक्षण की किरणोत्सर्गों भस्म इस समय हवा चढ़ा रुग, अफगानिस्तान पाकिस्तान या भारत पर गिर रही हार्गी। अभी उसका ठाक-ठाक पता नहीं चला है। इन सारे दुष्परिणामों के अलावा कुछ मनोवैज्ञानिक बुराईयाँ भी आती हैं जिनका अंदाज हा नहीं हो सकता।

हर अणुअस्त्र म ये मारा विध्वंसक शक्तियाँ भरा पड़ी रहता है। अणुबम दुनिया के बड़े राष्ट्रों द्वारा इकट्ठे किये जा रहे हैं। इन देशों के पास बम को झट में ले जाने लिये मिनाइलम हैं जो बटन दबाते ही छूटने की तैयारी में सड़े रहते हैं और परमाणुबम गिराने वाले हवाई जहाज लगातार आकाश में मड़रा रहे हैं जो किसी भी समय 'प्रत्याक्रमण' करने को प्रस्तुत हैं। आज मनुष्य ने पाम इतने शस्त्र मौजूद हैं वह कि जगत् के जीव मात्र जिनमें वह स्वयं भी शामिल है, वो अनेक बार नष्ट कर सकता है। (इस विषय में अंदाज ४ से ४० बार तक के लगाये जाते हैं। लेकिन एक बार जावमात्र का नष्ट करने का पागलपन ही काफी है।)

परीक्षण

इतनी सारी शक्लता उन परीक्षणों के कारण हुई है जो वातावरण में रेगिस्तान में या समुद्र में किये जाते हैं। रेडिएशन के कारण होनेवाले नुकसान में ऊपर जो २ और ३ नंबर के नुकसान बताये गये हैं वे सिर्फ मुद्दे के समय हा नहीं, बल्कि परीक्षण के कारण भी होने हैं। इस प्रकार आज वातावरण में पहने का अपेक्षा कहीं अधिक किरणोत्सर्गों छूट भरा पड़ी है और चुपके से वह ऊपर बताये दुष्परिणाम कर ही रही है। विश्व विख्यात नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक लाइन्स पॉलिंग का अनुमान है कि इन परीक्षणों के कारण डेढ़ कराड बच्चे मरे पँदा होंगे या विवृत होंगे। हर परीक्षण के साथ यह अंदाज बढ़ता जाता है।

चीन का बम

१ इन के साथ चान के विगड़ते हुए सम्बन्धों के कारण उमक लिए एक स्वतंत्र अणुशक्ति बनना आवश्यक बन जाना है।

२. चीन अनुमान करता है कि अणुस्त्र बढ़ाने से हमारे अणुसन्निव वाले राष्ट्रों के बीच उसे मान्यता मिलेगी और संयुक्त राष्ट्रसंघ में उसे स्थान मिलेगा ।

३ बम के कारण शायद एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने के चीन के प्रयत्नों में वजन आयेगा ।

४ बम को एक प्रतिष्ठा का चिह्न माना गया है ।

अणुस्त्र बढ़ाने से चीन को क्या नुकसान होगा ?

१. अणुस्त्र बनाने का आर्थिक बोझ विशेषकर आरम्भ की अवस्था में भयकर है । चीन अपनी राष्ट्रिय अर्थ-रचना का भयानक होम देते हुए इसे बढ़ा सकता है । यह कहा जाता है कि बम बनाने का खर्च इतना होगा कि लोग नंगे घूमेगे ।

२. अणुस्त्रों के खिलाफ आज दुनिया में जो सख्त विरोध है (जो दुनिया की अधिकांश निरपेक्ष संधि से जान पड़ता है) उससे चीन के परीक्षण से दुनिया के अधिकांश देशों में उसकी इज्जत घटेगी ।

३. वर्तमान अणुअस्त्रधारी सत्ता (अमरीका) से सीधे संघर्ष की सम्भावना बढ़ेगी ।

४. इसके कारण अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति अस्थिर बनेगी और विश्वशान्ति को खतरा होगा ।

५. दुनिया की तरह चीन की जनता को भी परीक्षण के कारण रेडियो एक्टिविटी बढ़ने का नुकसान भुगतना पड़ेगा ।

भारत की भूमिका

भारत इस परिस्थिति में अणुअस्त्र न बनाने तथा अणुअस्त्र सत्ता से संधि न करने का स्पष्ट संकल्प कर चुका है । यह नीति स्वर्गीय प्रधानमंत्री नेहरूजी ने बनायी थी और प्रधानमंत्री शास्त्री उसका अनुसरण कर रहे थे । यह निरी भावनावादी नीति नहीं है । यह राजनीतिक वास्तविकता और नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखकर बनायी गयी नीति है और इसी नीति के कारण भारत विश्वशान्ति में सबसे बड़ा योगदान दे सकेगा तथा अपना संरक्षण भी कर सकेगा ।

भारत अणुबम बनाने से इनकार क्यों करे ?

१. चीन का बम प्रधानतः मिलिटरी बम नहीं अपितु राजनीतिक बम है । उसकी उपेक्षा करने में मुख्य उद्देश्य ध्वंस जायगा ।

२ अणुअस्त्र बनाने के लिए चीन के पास जो कारण हैं वे भारत के पास नहीं हैं। भारत के मन में कोई साम्राज्यवादी आकांक्षा नहीं है और जगत् के मन में भी भारत के लिए कोई सैनिकता का नहीं बल्कि गार्तिकामी राष्ट्र ही का चित्र है।

३ भारत चीन के अणु आक्रमण के खिलाफ प्रयात्रमण भा वरे तो भी उस भारत की प्रजा बच नहीं सकती। वरन् रेडियो एक्टिव भस्मपात का खतरा भारत का भूमि पर बढ़ जायगा।

४ उसके कारण चीन द्वारा विश्वमत को ठुकराने का चान का नाति को समथन मिल जायगा।

५ भारत यदि अणुअस्त्र न बनाय तो चीन के पास भारत पर अणुआक्रमण करने का कोई बहाना नहीं रहेगा। और अन्तर्राष्ट्रीय दबाव भा उसका खिलाफ जायगा।

६ इस प्रकार यदि भारत-चान के बीच पारस्परिक युद्ध छिड जाये ता भा उस युद्ध के अणुयुद्ध में परिणत होने की सम्भावना बम हो जायगी।

७ भारत के उदाहरण के कारण दूसरे देश जो अणुअस्त्र बनाने के बारे में साच रहे हैं उहे मागदचन मिलेगा। इस प्रकार विश्व शान्ति की सेवा होगा।

८ अणुअस्त्र के लिए कोई राजनयिक नातिक या मानवाय कारण नहीं। इन अस्त्रा स पूरा मानवता पर भयानक असर होता है। उसके विनाय का ओर अनियंत्रित यातना की सम्भावना होता है। आत्मा चाहे तो खुद मर सकता है तकिन किसान को पूरी मानवता को मौत के मुँह में ढकलन का अधिकार नहीं है।

९ जो नुकसान अणुअस्त्र बनाने से चान को हैं वे सारे-के-सारे भारत का भी लागू होने हैं।

अणुअस्त्र और उनके परिणामो के बारे में ऊपर जा बताया गया उससे स्पष्ट है कि हमारा तात्कालिक कर्तव्य अणुअस्त्र-मुक्त नाति का समथन करना है। हमें अपना सुर प्रधानमन्त्रा और सरकार के अभी के सुर में मिलाना चाहिए और भारत का विश्व को अणुअस्त्रा द्वारा हानिवाले विनाश में बचाने में सहायता करना चाहिए।

शक्ति भारत शक्तिमेवा अयदल, राजघाट वाराणसी द्वारा प्रसारित



शिक्षण-विचार

त्रिनोवा

शिक्षक

● भारत की परम्परा में शिक्षक का यानी आचार्य का स्थान सबसे श्रेष्ठ रहा है। राज्य से उसे सारी मुक्ति मिलती थी और शिक्षण के विषय में उसे पूरी आजादी थी कि क्या शिक्षण देना है और कैसे देना है।

शिक्षक मार्गदर्शक था,—गानुविन् था।

● आज वह गुरु नहीं है, नौकर है। उससे आज कोई मलाह लेने नहीं आता।

● उसको स्वतंत्रता और मुक्तिचिन्तन का पथप्रदर्शक बनना चाहिए। उस सरकार का गुलाम नहीं बनना चाहिए।

● शिक्षक नयी समाज-रचना का निर्माता है, नये मूल्यों की स्थापना के लिए सामाजिक और नैतिक क्रांति लाने वाला है।

● शिक्षक को स्वच्छ और सादा जीवन का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। उसे सब प्रकार के व्यसना से मुक्त रहना चाहिए और अध्ययन परायण होना चाहिए।

● बच्चा को जो उद्योग सिखाना हो, उसमें उसे (शिक्षक को) प्रवीण होना चाहिए। उसे स्वावलम्बी और उद्योग में आस्थावान् होना चाहिए। वह बच्चों के साथ बच्चा बनता है तो अपने काम में अधिक यशस्वी होगा।

● शिक्षक और छात्र दोनों को एक साथ मिश्रकर काम करना चाहिए।

● शिक्षक को किसी राजनीतिक पक्ष के साथ जुटना नहीं चाहिए। लेकिन उसे राजनीतिशास्त्र तथा राजनैतिक समस्याओं का पूरा ज्ञान होना चाहिए।

● शिक्षक को गाँव के बच्चे का शिक्षक ही नहीं रहना है, बल्कि ग्राम-शिक्षक की हैसियत हासिल करनी चाहिए।

● यदि शिक्षक अपने को किसी राजनैतिक पक्ष के अनुशासन में नहीं रखते हैं और स्वतंत्र अपनी हैसियत रखते हैं तो वे राज्य का आकार दे सकते हैं और राज्य बना सकते हैं।

● शिक्षक गाँव का अग्रणी है, प्रामाणी है। गाँव का नेता है, नौकर नहीं। शिक्षक को गाँव का मित्र, सलाहकार और पथप्रदर्शक बनना चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि गाँव का कोई मुकदमा गाँव से बाहर, अदालतों में जाने ही न दे। उसके माध्यम से गाँववालों को रामराज्य का अनुभव ग्रहण करना चाहिए।

● शिक्षक को गाँव की ओर से जमीन का एक टुकड़ा मिलना चाहिए और उसे उम जमीन में खेती करनी चाहिए, वह और उमका पूरा परिवार घाला का एक अंग बनना चाहिए। शिक्षक की पत्नी को भी पति के काम में हिस्सा लेना चाहिए।

● सब शिक्षकों का वेतन-स्तर समान होना चाहिए।

● शिक्षक को बच्चा के साथ के काम में दो घंटा, गाँव के लिए दो घंटा, खेत में दो घंटा काम करना चाहिए।

● वानप्रस्थ पुरष उत्तम शिक्षक है।

● शाला कालेजों में ऐसे वानप्रस्थ व्यक्तियों को प्राध्यापक नियुक्त करना चाहिए जो राजनीति, उद्योग, व्यापार आदि विषयों में अच्छे अनुभवी हैं। नये और अनुभवहीन युवकों को प्राध्यापक नहीं बनाना चाहिए।

● वानप्रस्थ पुरष को और उमकी स्त्री को, दोनों को शिक्षक का काम करना चाहिए।

● नयी तालीम के शिक्षक को विद्यार्थी निष्ठ होना चाहिए, विद्यार्थी को विद्या निष्ठ होना चाहिए और दोनों को सेवा तथा ज्ञान निष्ठ होना चाहिए।

● केवल कुछ विषय पढ़ा देनेवाला ही शिक्षक नहीं है। उत्तम शिक्षक अधिक से अधिक पाँच या दस बच्चों को पढ़ा सकता है। ५० या मी छात्रों की कक्षा तो भीड़ ही है।

● भ्रष्टे अनुभवी और सर्वोत्तम शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षण का काम करना चाहिए।

शिक्षण का माध्यम और भाषा

- शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए, विदेशी भाषा नहीं ।
- अंग्रेजी माध्यम को अपनाने के कारण बहुत नुकसान हुआ है ।
- कुछ लोग ऊँची कक्षाओं में जरूर अंग्रेजी का अच्छा अभ्यास करें और विश्व से अपने देश का सम्पर्क बनायें ।
- जिसको अपनी मातृ भाषा का ज्ञान बढ़िया है विदेशी भाषा वही अच्छी तरह सीख सकेगा ।
- प्रादेशिक भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए ।

पाठ्य क्रम

- शरीर के लिए—खुली हवा में उद्योग, अदृष्ट बदल कर दिन भर कुछ न कुछ काम । खल हित एवं मित आहार, दिनचर्या, श्रुतुचर्या निमग्नोपचार का ज्ञान और तदनुसार उचित आचरण ।
- वाणी के लिए—स्वच्छ उच्चारण से पढ़ना, अर्थ का सामान्य ज्ञान वाचन वाक्य प्रकाशन और सत्य प्रिय, समय वाणी का अनुभव ।
- मन के लिए—व्यवहार वर्तवि कैमा हो सबके त्रिये उपयोगी कैसे वनें ? दहेन्द्रिय पर अक्रुद्य कैसे रखें हम देश से भिन हैं—इन वाता का ज्ञान, अडोस-पडोस के समाज की और सृष्टि की जरूरी जानकारी ।



बिहार की बुनियादी सस्थाओं का पुनर्गठन

तारकेश्वर प्रसाद सिंह

हाल में शिक्षा आयोग ने भारत के भविष्य की शिक्षा के बारे में एक बहुत बड़ा मुसौदा दिया है। मुसौदा यह है कि शिक्षा को काम द्वारा अनुभव प्राप्त करने का साधन बनाना देश की आर्थिक समृद्धि की दृष्टि से श्रेयस्कर होगा। इनको दूसरा नाम 'उद्योग केन्द्रित शिक्षा' भी दिया जा सकता है।

नयी तालीम मुख्यतः उत्पादन-कार्य केन्द्रित शिक्षा है। बच्चे विभिन्न प्रकार के उत्पादन कार्य-द्वारा शैक्षिक अनुभव प्राप्त करते हैं। विद्यालय के विभिन्न प्रकार के काम तरह-तरह की प्राकृतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में होते हैं। इन परिस्थितियों में बच्चे शैक्षिक अनुभव प्राप्त करते हैं।

आज भी बिहार में ५२० बुनियादी सस्थाएँ चल रही हैं। प्राथमिक सस्थाओं का पाठ्यक्रम भी अनुकूलित है। प्रशिक्षण-केन्द्रों के पाठ्यक्रम भी नयी तालीम के सिद्धान्तों पर आधारित हैं। फिर भी ये सस्थाएँ शिक्षा दाम्निधियों तथा जनता के भीतर विश्वास क्यों नहीं पैदा कर रही हैं, यह सोचने की बात है।

किसी समय बिहार की नयी तालीम की सस्थाएँ समूचे भारत के लिए आदर्श मानी गयी थीं। फिर प्रश्न उठता है कि बिहार की सस्थाओं की दशा क्यों दिना दिन बिगड़ती चली जा रही है।

बहना नहीं होगा कि बिहार की बुनियादी सस्थाओं का विगड़न का मुख्य कारण है इसके विभिन्न स्तर के कार्यकर्ताओं में नयी तालीम के दर्शन का अभाव। मनु १९५० में बिहार में नयी तालीम का स्तर उत्तरोत्तर गिरता जा रहा है। आज बिहार की नयी तालीम उद्योग केन्द्रित शिक्षा नहीं रह गयी है, बरोंकि उद्योग की न तो बुनियादी शालाओं में और न प्रशिक्षण केन्द्रों में ही पूरी व्यवस्था हो रही है। शैक्षिक तत्त्वों से पाठ्यक्रम बाजिल बना दिया गया है। परीक्षा में उस पर आवश्यकता से अधिक बल दिया जाता है। उद्योग की जांच गौण कर दी गयी है। उद्योग का समय भी बहुत घटा दिया गया है। उद्योग चलाने के लिए समय पर अनुदान भी नहीं दिये जाते हैं। बिहार की बुनियादी शिक्षा में लगभग २० वर्षों तक काम करने से मेरा यह विश्वास बना है कि बिहार की बुनियादी सस्थाएँ काम द्वारा अनुभव प्राप्त करने की आदर्श इकाइयों बनायी जा सकती हैं। किन्तु इसके लिए यह जरूरी होगा कि उद्योग का समय बढ़ाया जाय। प्रथम वर्ग में ए

घटे, दूसरे तीसरे में दो घटे, तीसरे-चौथे में ढाई घटे, पाँचवें से लेकर छठे वर्ग, सर्वोदय हाई स्कूल तथा प्रशिक्षण-केन्द्रों में 'मूल उद्योग' के लिए तीन-तीन घटे का समय रहना जरूरी है। जब तक उद्योग में प्रवृत्तता नहीं आयगी तब तक शिक्षा काम द्वारा अनुभव प्राप्त करने का रूप नहीं धारण कर सकती। काम में जितना ही अभ्यास होगा उतनी ही दार्शनिक सम्भावनाएँ उपस्थित होंगी। अभ्यास-क्रम के बौद्धिक स्तर के बोझ को कुछ हल्का किया जा सकता है क्योंकि आज के युग में सामान्य-ज्ञान की अधिक जरूरत है।

युनियार्दी शालाओं से निकलनेवाले छात्रों को सर्वोदय हाई स्कूल में प्रवेश पाने की प्राथमिकता देनी चाहिए और सर्वोदय हाई स्कूल से निकले हुए छात्रों को प्रशिक्षण केन्द्रों में भर्ती करने में प्राथमिकता देनी चाहिए। इसी प्रकार ग्रामीण प्रतिष्ठान से निकले हुए छात्रों को प्रशिक्षण महाविद्यालय में भर्ती होने की प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं यह भी मानता हूँ कि समाज-सेवा के विभाग—जैसे शिक्षा-विभाग, सहकारिता विभाग, पंचायत विभाग, लघु उद्योग आदि में नयी तालीम प्राप्त किए हुए छात्र विभिन्न पदों पर बहाल किये जायेंगे तो वे अधिक उपयोगी साबित होंगे। लघु उद्योगों का विशेष शिक्षण देने के बाद अधिकांश छात्रों को अनुदान देकर देहातो में लघु उद्योग चलाये जा सकते हैं।

विहार की युनियार्दी संस्थाओं को पुनर्जीवित करने के लिए निम्नांकित कदम उठाये जा सकते हैं —

१. निर्माण की अवधि में (मार्च १९३८ से १९४६ तक) सचिवालय से जितने परिपत्र जारी किये गये हैं उनका फिर से अध्ययन किया जाय और उनके अनुभव के आधार पर नये परिपत्र जारी किये जायें।

२. प्रत्येक प्रकार की संस्थाओं को समय पर उचित अनुदान दिया जाय। उत्पादन की हुई वस्तुओं के आंशिक रूप से छात्रों को उपयोग करने का मौका मिलना चाहिए, किन्तु संस्था का इतना धर्म होना चाहिए कि सरकारी कोष में जितने रुपये लिए जाते हों उतने लौटा दें।

३. प्रशिक्षण-केन्द्रों के लिए चालू पूँजी की व्यवस्था की जाय।

४. नयी तालीम की संस्थाओं में काम करनेवालों का चयन करते समय ऐसे लोगों को अवसर देना चाहिए जिनकी नयी तालीम के शिक्षा-दर्शन में आस्था हो। छात्रों में यदि श्रम की निष्ठा जगानी है तो आवश्यक है कि शिक्षक ऐसे हों जिनकी श्रम में भरपूर दिलचस्पी हो। ●

यौन-शिक्षण

तलत निसार अस्ततर

मेरे एक मित्र अपने शान्त स्वभाव के लिए काफी मशहूर हैं। उनको आमतौर पर आपसे बाहर होते हुए किसी ने नहीं देखा था। उम दिन मैंने देखा कि अपने ४-५ साल के मुन्ने को बेहिमाब पमका रहे थे और इस बदर डाँट रहे थे कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उनके लिए वह गैर-मामूली बात थी।

दो दिन बाद जब वह गरमी रह नहीं गयी थी, मैंने जातकारी की। मालूम हुआ कि मुन्ने की माँ ने मुन्ने की शिक्षावत की थी कि मुन्ना और पडोम का बबलू दोनों मिलकर भीड़ियों पर अकेल में अपनी जननेन्द्रिय स खेल रहे थे।

यह ऐसा गुनाह था कि शान्त स्वभाववाले उन मित्र को भी बेकाबू हाना पड़ा। उनकी टाट फटकार से मुन्ना खूब राधा। उमका पीला जर्द बेहरा, बदन की वह कँपकँपी, और उमकी उदास अपराधी मूरत देखकर कलेजा मुँह को आता था।

×

×

×

पडोम की बेबी मुश्किल में ६-७ साल की होगी। मुन्ने खूब हिलमिल गयी है। मेरे पाम अकसर आता है। छुपर-उधर की बातें किया करती है। उम दिन आधी तो उमके चेहरे से मालूम हा रहा था कि वह कुछ नयी बात बनाने की उत्सुक है।

छुद मैंने उमम पूछा नहीं, तो उमने रहा नहीं गया। वही छुद बताने लगी। आरम्भ ही उमने इस ढंग से किया कि मुझे हँसी आ रही थी। वह बोली—'भाईजी, वह जो सरोज है न, बड़ी गन्दी है। उमकी बात में आपसे नहीं बतानेगी।'।

मैं समय रहा था कि वह गन्दी बात बताने के लिए किस बदर उजावली है। मैंने पूछा—'ऐसी कौन सी बात है? वह तो बड़ी भली लडकी है?'

'बताऊँ? वह बड़ी गन्दी है। सराब बात कहती है।'

लगभग ५-१० मिनट बेबी इसी तरह घुमा फिरा कर गयी, सराब, ये हा धर दुहराये जा रही थी, लेकिन मुन्ने की बात उमके मुँह में निकल नहीं पा

रही थी। काफी पूछताछ करने के बाद, यद्यपि वह बहुत साफ कुछ बोल न सकी, तो भी इतना मालूम हुआ कि जननेन्द्रिय सम्बन्धी ही कुछ बात है।

इतना तो स्पष्ट दाख ही रहा था कि यौन-सम्बन्धी बातों के बारे में यह कुछ भी जानती नहीं है लेकिन उमर में स्वार में यह बात पक्की हो गयी है कि 'गन्दी बात' है, खराब बात है।

×

×

×

कई माताओं को मैं जानता हूँ कि जब उनका बच्चा उनसे सहज पूछ बैठता है कि 'माँ, मैं कहां से आया?' तो इस सवाल से वे चकरा जाती हैं, ऐसी 'फूहड़ बान' करने की सजा के तौर पर बच्चे का अकसर पीट भी देती हैं।

अमल में वे जानती नहीं है कि ऐसे सवालों का जवाब क्या दें। जो जानती है, धानी जो सच है वह बताने का उनमें हिम्मत नहीं होती, यद्यपि वह 'गन्दी बात' है।

कोन नहीं जानता कि छोटे बच्चा में नयी-नयी बातें जानने की जबरदस्त इच्छा होती है और वह बुदरती है। बच्चे तो न मालूम कौसी कौसी बातें पूछते रहते हैं। पहले हर चीज का नाम वे जानना चाहते हैं। कुछ उम्र हो जाने के बाद हर बात का कारण जानना चाहते हैं। ये सवाल भी उनके लिए सहज है कि रात अँधेरी क्या हाती है? तितली उड़ती कैसे है?

ममनदार माता पिता जानते हैं कि बच्चों के सवालों का यथासम्भव सीधा, सही और छाटा जवाब देना चाहिए और वे देने की कोशिश भी करते हैं।

लेकिन जब बच्चा अपने पैदा होने के बारे में कोई बात पूछता है तो अधिकतर ममनदार माता पिता भी भुँडला जाते हैं। उनको लगता है कि कुछ अनहोनी बात हो गयी, बेजा बात हो गयी।

×

×

×

आगे दिन हम देखते हैं कि बच्चे गन्दी बातें बहुत करते हैं। गन्दी बातों की ओर उनकी खास रुचि होती है। वे छिपकर गन्दा काम करते हैं।

थोड़ी उम्र बढ़ी कि उनकी आदतें गन्दी होती हैं, उनकी मगत गन्दी होती है और हमारी प्यारी मन्तानें हमारे लिए समस्या बन जाती हैं।

लडके-लडकियों की छेड़खानी, गन्दी शिकायतें, अश्लील व्यवहार वर्ग-रह की समस्याएँ भी समाज का मिरदर्श बनती हैं।

जवान हात होने युवक-युवतियाँ निस्तेज, निर्बिधि और पुरुषार्थहीन हो जाती हैं।

समस्या की जड़े कहाँ ?

मनोविज्ञान के पण्डितों का कहना है कि इस समस्या की जड़ में एक ही बात है और वह यह कि यौन-सम्बन्धी बातों की जानकारी हम उन्हें बचपन में ठाक ने नहीं देने हैं।

हर बच्चे में जिज्ञासा होती है। क्या न हो ? जिज्ञासा कुदरती है। अपने हाथ, पैर, सिर वगैरह सभी अंगों का नाम और वाम वह जानता है, तो जननेंद्रिय का नाम और काम क्या न जानना चाहेगा ? जरूर जानना चाहेगा और उम जानना भी चाहिए।

लेकिन हम हैं कि दुनिया भर की बातें सुनाने को तैयार हैं एक यही बात बचा जाते हैं, इसी से कतराते हैं।

सभी माता पिता जानते हैं कि गुप्त अंगों के बारे में बच्चे अनजान नहीं रह जाते हैं, जब कि यह भी सच है कि खुद माता पिता ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया है। इसका मतलब यह हुआ कि बच्चे यह जानकारी कहीं दूसरी जगह से पाते हैं। माता पिता के रख को वे जान लेते हैं और समझ जाते हैं कि इनमें कोई जानकारी मिलनेवाली नहीं है, इसलिए दूसरी जगह जाकर जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। क्योंकि एक तो उन्हें अपनी जिज्ञासा का समाधान चाहिए, दूसरे, उम बात को छिपाकर माता पिता ने उनके बारे में बिना कुतूहल भा जगा दिया है।

भारत का ही बात नहीं है, विदेशी पुस्तकों और पत्रिकाओं में मालूम होता है, सारी दुनिया की ही यह बढकिसमती की बात है कि यौन-सम्बन्धी बातें माता पिताओं के लिए हीवा बन बैठी हैं। छोटे बच्चों को यौन विषयक जानकारी देने की जरूरत है यह सोचने को भी वे तैयार नहीं होने। बड़ी अज्ञान हालत है।

सब बात तो यह है कि बच्चों के मन में संपत्तिक भावना जरा भी नहीं रहती, केवल अमुक बात का जानकारी पाने भर की उनकी जिज्ञासा होती है। अपने बारे में वह कुछ तथ्य समझना चाहता है। उन प्रश्नों का यदि सीधा मादा सरल उत्तर मिल जाता है तो उमका कुतूहल तुरंत शांत हो जाता है। सही और सीधा जवाब नहीं मिलता तो वह अनेक प्रकार के सवाल में उष्णता है, जिसका नतीजा अच्छा नहीं होता।

जिन बच्चों को उनके प्रश्नों का उत्तर बराबर मिला करता है वे चाह जा प्रश्न निडर होकर माता पिता से पूछ लेते हैं, लेकिन जिन बच्चों का

घमका कर चुप करा दिया जाता है, वे अपने माता पिता से कभी प्रश्न पूछते नहीं हैं। गुमगुम रह जाते हैं। यह खतरनाक स्थिति है।

यौन जिज्ञासा की शुरुआत

विदेशों में अकसर लोग ऐसी बातों का सबूत करते रहते हैं। एक सर्वे में पता लगा है कि बच्चे १० या ११ साल की अवस्था में पहुँचते हैं, तब तक उन्हें यौन-सम्बन्धी जानकारी माता पिता को छोड़कर बाहर के लगभग सात स्रोतों से मित्र करती है। बच्चे जय ४ और ८ साल के बीच होते हैं तभी उनमें यौन-सम्बन्धी जानकारी की ओर प्रवृत्ति होती दीख पड़ती है और उनके दिमाग में उन बारे में कई सवाल उठते भी हैं। लेकिन प्रश्न यही है कि उन सवालों का उत्तर उन्हें उनके माता पिता से सहज भाव से शांति से, पूरा पूरा और चाहे जब मिलता है या तेरे-गैरो में गलत और विवृत ढंग से मिलता है।

आठ, नौ या दस साल की उम्र में यदि आपका बच्चा इस बारे में आपसे प्रश्न नहीं पूछता है तो यकीन मानिये कि उसे वही दूसरी जगह से जानकारी मित्र गयी है। बहुत हद तक वह जानकारी या तो उम्र में अपने से बड़े स्कूल के मित्रों से खेल के माध्यमों से राह चलते लोगों की बातचीत से या कहीं कुछ पढ़ मुनने से मिला करती है।

अकसर जो बच्चा इस प्रकार गलत और विवृत रूप में और भडि तरीके से यह जानकारी कर लेता है उसका मन में सामान्यतया एक ऐसी छाप पड़ जाती है कि सेक्स का विषय 'गंदा' है खराब' है। ये दोनों शब्द उन्हें हमारी बातचीत के बीच गरार के अग विशेषों के प्रति हम जो कुछ कहते हैं उसी से मिलते हैं। यह हमारी बदनमीबी ही है कि बच्चों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे पास सही और स्वस्थ शब्द नहीं होते हैं।

ठेठ बचपन में बच्चे हर चीज का नाम जानने को उत्सुक रहते हैं। यह क्या है, इसका नाम क्या है ये प्रश्न रोजाना अनेक बार वे करते रहते हैं। लेकिन शरीर के अंगों की बात आती है तो अकसर कई अंगों के सही नाम की जगह हम कुछ दूसरा नाम बताते हैं। मनोवैज्ञानिका का कहना है कि बच्चा को सही नाम ही मान्य होना चाहिए और उन्हें उन शब्दों का सही प्रयोग करना भी आना चाहिए। जैसे कोई डाक्टर या प्रयोगकार वैज्ञानिक और स्पष्ट उच्चारण करता है उसी प्रकार सभी अंगों का नाम और उन अंगों का काम हम स्पष्ट और बलाग उच्चारण करते हैं तो बच्चों पर भी उसका अच्छा असर पड़ेगा और उनके प्रति घृणा या गंदा भाव नहीं रहे पायगा। यह अलग बात नहीं तालीम]

है कि बच्चे उन शब्दों का मही-मही उच्चारण न कर पाते हों। वे अपने ढग में उनका उच्चारण कर लेंगे, अपना शब्द बना लेंगे, लेकिन बड़ों को तो मही नाम का ही प्रयोग करना चाहिए।

कसौटी के क्षण

बच्चे को सबसे पहला यौन शिक्षण मिलता है उनके अपने घर में। घर के लोगों में जिस प्रकार का आपसी सम्बन्ध होता है तदनु रूप ही उसे वह शिक्षा मिलती है। माता-पिता के बीच जो स्नेह और मीठार्य होता है उस सम्बन्ध का पहचानता है। घर, परिवार, माँ, बाप, भाई, बहन और छोटे बच्चे इन सबका असर उनके जीवन में होता है और उसकी यौन-सम्बन्धी गतिविधि में इस असर का बड़ा हाथ होता है। यह निर्विवाद है कि बच्चे के जीवन में प्रेम, स्नेह, ममता और सौजन्य, जो घर में मिलता है, वह कहीं और मिलता नहीं है।

लेकिन, माता-पिता चाहे जितने ईमानदार और ममतालु क्यों न हों, कभी-कभी ऐसा समय आयागा जब बच्चों के प्रश्नों के प्रति माता-पिता पूरी तरह ईमानदार नहीं रह पायेंगे, और वह उनकी भरे-पूरे गार्हस्थ्य की कसौटी का क्षण साबित होगा।

बच्चों को मही-मही जवाब देने की इच्छा रखना एक बात है और मही जवाब देना बिल्कुल दूसरी बात है। खास कर उन माता-पिताओं के लिए तो सर्वथा समस्या ही है जिन्हें खुद को यौन-शिक्षा ठीक ढग से मिली न हों। ऐसे माता-पिता को मदद की जरूरत पड़ती है। उन्हें कुछ निश्चित और सीधे-सादे उत्तर मिलने चाहिए, जिनका वे उपयोग कर सकें। यहाँ कुछ प्रश्न दे रहे हैं जो आमतौर पर बच्चे पूछा करते हैं। उनके उत्तर भी यहाँ दिये हैं जो कुशल माता-पिताओं ने अपने बच्चों को दिये हैं। उनका उपयोग वे माता-पिता कर सकते हैं जो चाहते हैं कि बच्चों को सीधा और सही जवाब मिले और वे सच्ची बात समझ सकें।

यौन-जिज्ञासा-सम्बन्धी कुछ प्रश्नोत्तर

प्रश्न—“शीला मौसी को बच्चा कहाँ से मिला ?”

उत्तर—“शीला मौसी के पेट में था।”

यह प्रश्न और ‘बच्चा कहाँ से आता है ?’ ये दोनों अलग-अलग प्रश्न नहीं हैं, लगभग एक ही प्रकार के हैं। सामान्यतया बच्चे जब तीन साल के होते हैं, तब उनके दिमाग में यह प्रश्न उठता है। लेकिन गूढ़ प्रश्नकर्ता नहीं जानता

कि यह यौन सम्बन्धी प्रश्न है। मादा प्रश्न है और वह सीधा जवाब चाहता है। उस ध्यौरा नहीं चाहिए। कुछ लोग पशु, पक्षी, फूल वर्ग रह के साथ जोड़ कर उत्तर देने का प्रयत्न करते हैं। उससे बच्चों के दिमाग में उलझन ही पैदा होती है।

इस प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न उनके मन में महज ही पैदा होता है—

प्रश्न— शीला मीमी के बच्चे की तरह ही मैं भी क्या तुम्हारे पेट में था ?”

उत्तर—“हाँ, तू भी था। सभी बच्चे अपनी माँ के पेट में ही पलते हैं।”

छोटी उम्र में पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यौनि, गभाशय, आदि आदि शब्दों से नहा प्रश्नकर्ता चकरा जायगा। कुछ अरसे के बाद यह समझाया जा सकता है कि पेट में जहाँ बच्चा पलता है उसे गर्भाशय कहते हैं, जिसे जगह में बच्चा बाहर आता है उसे यौनि कहते हैं, आदि। सामान्यतया एक कदम बढ़ना काफी है।

प्रश्न—“माँ, अब भी तुम्हारे पेट में बच्चा है क्या ?”

उत्तर—“यदि बच्चे का यह बताया गया हो कि तुम्हारा भाई या बहन आनवाली है अर्थात् माँ गर्भवती हो, तो सीधे कहना चाहिए, ‘हाँ, मेरे पेट में बच्चा पल रहा है।’ अगर ऐसी स्थिति नहीं है, तो स्पष्ट कहना चाहिए कि ‘नहीं, इस समय मेरे पेट में बच्चा नहीं है।’

प्रश्न—“तुम्हें यह किस मालूम है कि तुम्हारे पेट में बच्चा है।”

उत्तर—“पेट देखने से मालूम होता है। बच्चा बढ़ता है तो उसे रहने का जगह जगह जरूरी होता है तब माँ का पेट बड़ा होता है।”

प्रश्न—“माँ। पेट से बच्चा बाहर कैसे आता है ?”

उत्तर—“हर एक माँ के शरीर में एक रास्ता है जहाँ से बच्चा बाहर आता है। उन रास्ते को यौनि कहते हैं। पेट के नीचे जहाँ से पैर शुरू होता है वहाँ वह रास्ता है। जब बच्चा बड़ा होता है, बाहर आ सकता है, तब पेट उसे बाहर ढकलता है और बच्चा बाहर आता है। माँ के पेट को छोड़कर जब बाहरी दुनिया में बच्चा आता है, उसे ही जन्म कहते हैं।”

प्रश्न—“माँ क्या पेट में बच्चा कितने दिन रहता है ?”

उत्तर—“वही उम्र नी महीना रहना पड़ता है।”

प्रश्न—“बच्चा पेट में कब तक रहता है ?”

उत्तर—“बच्चा शुरू से बच्चा नहीं रहता, शुरू में वह टाटा-सा कीड़ा रहता है। वही बड़ा होकर बच्चा बनता है। उसे मादा कीड़ा या अण्डकोशा कहते हैं।”

प्रश्नकर्ता समझने लायक न हो तो इन पारिभाषिक शब्दों को छोड़ देना चाहिए।

प्रश्न—“वह छोटा कीड़ा बड़ा बच्चा कैसे बनता है?”

उत्तर—“वह कीड़ा अपने आप बच्चा नहीं बनता। वह बच्चा तभी बनता है जब उसमें नर कीड़ा जुड़ता है।”

प्रश्न पूछनेवाला बच्चा यदि बड़ा है और समझ सकता है तो उसे बताया जा सकता है कि “नर कीड़े का नाम वीर्य है और वीर्य तथा अण्डकोश के मिलन को गर्भ होना कहते हैं। यह भी समझाया जा सकता है कि जब दो कोश मिलते हैं, तो वे मिलकर एक बनते हैं। यह एक कोश फिर दो बनता है, फिर दो के चार बनते हैं और यो बनते बनते करोड़ों कोश बनते हैं। वे ही मिलकर बच्चे का शरीर बनाते हैं।

बिड़ियों में ये कोश बच्चे का रूप लेने तक पेट के अन्दर नहीं रहते। अण्डों के रूप में पहले ही बाहर आते हैं और घामल में कुछ दिन रहकर बच्चे बनते हैं। घास, बकरी, तिल्ली बगैरह में अण्डे बाहर नहीं आते हैं। पेट में ही पूरा बच्चा बनकर तब बाहर आते हैं। इतना जरूर है कि जब तक मादा और नर कीड़े मिलते नहीं तब तक बच्चा नहीं बनता।”

सबसे कठिन प्रश्न

प्रश्न—“मादा कीड़ों में नरकीड़ा कब जुड़ता है?”

उत्तर—यही प्रश्न है जिसे सुनकर माताएं सबसे ज्यादा घबड़ाती हैं। यदि बच्चा इतना समझदार हो गया हो कि लड़का और लड़की का फर्क जानता हो और उपयुक्त गुरु के दो प्रश्नों का—यानी “बच्चा कैसे आया” और “बच्चा कहां से बाहर आया” का—उत्तर सही ढंग से दिया गया हो, तो इस प्रश्न का जवाब देना बहुत आसान है।

“आदमी और औरत दोनों जब राती कर लेते हैं, तब वे पिता और माता बनते हैं। आदमी के पेशाब के रास्ते से दूध जैसा एक सफेद चीज निकलती है और वह माता के पेशाब के रास्ते से अन्दर जाती है तो माँ के पेट में मादा और नर दोनों कोशों का मिलन होता है और तब दोनों मिलकर बच्चा बनता है।”

बच्चों को मालूम होना चाहिए भिन्न लिंगों के इस मिलन को सम्भोग कहा जाता है। उनसे देखने हुए गुत्ते, बिन्डी, पोटा, गधा, गाय, बबूतर, कीआ आदि पशु-पक्षियों में सम्भोग क्रिया चलती है। यह कोई मनुष्य की ही अनोखी बपौती नहीं है। बच्चों को यह मालूम होना चाहिए कि पशु-पक्षियों

की तरह ही मनुष्यों का भी यह हक है कि वे प्यार करें, घर बनायें बच्चे प्राप्त करें ।

अनेक माता पितामा को भय है कि सम्भोग की बात समझाने पर बच्चे कहीं उमका प्रयोग करने न लग जायें । बच्चे का यदि सीधा, सादा और खुला जवाब मिलता है, उसके कुतूहल का तत्काल शांत किया जाता है, उसके प्रश्न करते हा पूरा पूरा और स्पष्ट समाधान किया जाता है, तो यह भय रखने की कोई जरूरत नहीं कि उम जानकारी का वे दुरुपयोग करेंगे । दूसरे दूसरे प्रश्ना का जवाब जिस स्पष्टता स बिल्कुल हिचकिचाये बिना माता पिता देने ह उतनी हा स्पष्टता से और जरा भी झिपक महसूस न करके यौन विषयक प्रश्नों का भी उत्तर दिया जाय तो माता पिता तथा बच्चों के बीच कोई परदा नहीं रहेगा और वह उनमे उत्तरा को सहज भाव स ग्रहण करेगा, वही उमका समाधान हा जायगा ।

जिन बच्चा को ठेठ बचपन मे सही यौन शिक्षा नहीं मिलती है अधिकांश वे ही बच्चे अपने ममी माथियों की सगत म पडकर यौन सम्बन्धी कुत्सित प्रयोगा और विकृत क्रियाआ वे शिकार होते है । अकसर लडकियों से ज्यादा लडको पर यौन विषयक प्रतिबन्ध विशेषरूप स लगे होते हैं । इसीलिए सही अर्थ न जानने के कारण लडका की गलत शब्दा और क्रियाओं का खास आकषण होता है । इसका कारण यह हो सकता है कि लडका की जननेन्द्रिय लडकिया की अपेक्षा विशेष महत्वपूर्ण होती है और उनमे साहस की वृत्ति भी अधिक है । कारण कुछ भी हो, कुशल माता पिता इस परिस्थिति को स्वीकार करते है और अपने बच्चे को सही मार्ग दर्शन कराते है । बच्चे की किसी भा बात पर उनको चिढ़ना या घमकाना नहीं चाहिए । वरना उनका लडका उनमे बात नहीं करेगा, विश्वास छो देगा । बच्चे का विश्वास खोना बहुत आसान है, लेकिन फिर पाना बडा कठिन है ।

जा माताएँ अपने बच्चा के यौन सम्बन्धा प्रश्ना ना, बच्चे क जन्म, सम्भाग आदि का, उत्तर दडता से, बिना पिछाये देता हैं, व भा जब बच्चा की आपस आपस म बनी चर्चा करत देखती हैं तो पनोपेक्षा म पड जाती हैं । समझ नहीं पाती कि निगरानी किस की जाय । लेकिन मानसशास्त्रियों का बटना है कि यह निगरानी की बात नहीं है । परदा तनी तक पडा रहता है जब तक वह बोच म टगा होता है । परदा हटा दीजिये । अपना ओर स महज मुन्ध महा-मही जानकारी दीजिये । भरमक आ प्रयत्न कीजिये ज्ञान देने का और फिर बच्चा पर भरोसा रसकर उहे छो देजिये । ●

तर्कहीन समाज की व्यूह-रचना

रघुवश

एक प्रगतिशील गोष्ठी में एक सम्प्रान्त वजनदार प्राफेसर ने जोरदार तर्क प्रस्तुत करत हुए कहा कि हमारा प्रजातंत्र बहुमूल्यक अशिक्षितों-द्वारा चुने गये मूर्खों तथा धूर्तों के द्वारा परिचालित रहा है, और हम ऐसे ही विधायकों क अथवा उनक दबाव के शासन में अपने आपको प्रगति के मार्ग में ले चलने की कोशिश करने रहे हैं। उपस्थित प्रगतिशील युवक और प्रौढ सदस्यों को प्राफेसर क तर्क संगत और विश्वमनीय लगे। बात बहुत सीधी है। अंग्रेजी शिक्षा-दीक्षा प्राप्त और अंग्रेजियत क वातावरण के मानमवाले व्यक्ति का भावना में निकली हुई है। पर जिनका मानम ब्राम वर्षों के देश के प्रजातांत्रिक प्रयत्नों के वातावरण में बना है, यदि वे इस तर्क-मद्धति की दाद देने है ता कही हमारी समाज रचना में अमगति जरूर है। इस तर्क-शंका से, यह भाव, कहा गया हो या न कहा गया हो, निश्चलता है कि हमारे अशिक्षित और पिछड़े देश का बातिंग मताधिकार पर आधारित प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए थी। अथवा शिक्षित, सम्पन्न, सम्प्रान्त और साधन-सम्पन्नो के सीमित मताधिकार क आधार पर हमारी व्यवस्था चलना चाहिए थी। धीरे धीरे देश के सभी नागरिक शिक्षित, सम्प्रान्त और साधनसम्पन्न होने जाते और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में भाग लेने के अधिकारी होत जाने।

आर्थिक सम्पन्नता का क्रम नीचे से नहीं !

ऐसी ही एक गोष्ठी में एक युवक अर्थशास्त्री मित्र ने बहुत बल देकर और अपने गहरे शास्त्र ज्ञान के आधार पर प्रतिपादित किया कि देश की अर्थव्यवस्था की प्रगति का एक मात्र सही उपाय है नीचे से नहीं बरन् ऊपर से आर्थिक सम्पन्नता का क्रम चलाया जाय, क्योंकि औद्योगिक विकास तथा वैज्ञानिक और प्राविधिक प्रयोग की सीमा तथा दिशा यही है। यद्यपि उन्होंने प्रगतिशील होने के माने इस पूँजीवादी तर्क को मानकर भी स्वीकार नहीं किया कि आर्थिक विकास की गति उद्योगों के व्यक्तिगत हाथों में रहने से अधिक तेज होगी। अरनी समाजवादी व्यवस्था के प्रति मौखिक सहानुभूति के बावजूद जिन मानसिक संस्कारों में उनका शास्त्र ज्ञान जुड गया है, उनके आधार पर उनका समाज-

रचना की आधिक परिवर्तनता में सम्पन्न समाज सम्पन्नतर होता जायगा और इस वृत्त में क्रमशः देश का अधिकाधिक समाज जाता जायगा। जरा-सा छेड़ देने पर कि क्या समाज का निचला वर्ग इन अनन्त छायावादी प्रतीक्षा के लिए संसार हो मकेगा, वे तुरत देश के नये समाज की नीर्व डालने वाले महान नेता नेहरू जी के तर्क पर आ गये—फिर देश के सामने विपत्तता और पिछड़ापन वाटने के निवाय नूरा उपाय नही रह जाता।

तर्क : विशिष्ट समाज की अनिचार्यता का

एक दिन यातचीत के दौरान हमारे एक विचारवान वैज्ञानिक मित्र ने विदेश में देश की वैज्ञानिक प्रतिभाओं के आयात और बस जाने की समस्या के समाधान के रूप में 'मिजर युनिवर्सिटियों' की स्थापना की परिवर्तनता का स्वागत किया। इस ओर ध्यान आकर्षित करने पर कि इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में वर्गों की दीवार खड़ी होगी और देश में मंगलित होते हुए विशिष्ट वर्ग की बल ही मिलेगा, उन्होंने दो-दूक बात कह दी कि यदि देश की समस्याओं का वैज्ञानिक और तकनीकी समाधान पाना है तो न केवल वैज्ञानिकों को विदेश सुविधाएँ देनी होगी, वरन् उनके लिए विशिष्ट समाज की नागरिकता भी निश्चित करना होगी, अन्यथा विदेशों का आकर्षण उन्हें खीचेगा ही। यानी कि देश की गरीब और पिछड़ी जनता को यदि अपने प्रतिभा-सम्पन्न वैज्ञानिकों, एास्त्रियों, चिन्तकों, सेलकों और कलाकारों से लाभान्वित होना है तो उसे उन्हें अपनी सुख सुविधाओं से कही भिन्न स्तर के विशिष्ट समाज में रहने की छूट देनी होगी। नेताओं, अधिकारियों, व्यवसायियों और उद्योगपतियों ने तो अपना विशिष्ट समाज बनाकर मुरक्षित कर ही लिया है।

इधर छात्रों की अनुनामनहीनता, अराजकता तथा उच्छृंखलता पर विचार-विलिपय के मिलसिले में हमारे युवक प्राध्यापकों को यह कहते हुए और तर्क देने हुए पाया गया कि शिक्षा के क्षेत्र में हमको चुनाव से काम लेना चाहिए। हर गंवार, असभ्य, संस्कारब्युत और अपरिपक्व लडके को शिक्षा देने का हमारा काम नहीं है। मान लेता हूँ कि यह खोश और परेशानी में कही गयी बात है। आज कक्षाओं में जिस विद्या-विमुख छात्र-वर्ग का सामना गम्भीर अध्यापक को करना पड़ रहा है उसमें यह मन-स्थिति स्वाभाविक है। पर यह ऐसा ही नहीं है। यह अलभ्य बात है कि मन-स्थिति में भी दाधिकार का अनुभव करनेवाले अध्यापक को चिन्तक के रूप में गहरे उतरकर तर्क देना चाहिए, लेकिन यहाँ अच्छे खासे सोचने-समझनेवाले लोग भी आज सोचने लगे हैं कि कम-से-कम उच्च शिक्षा प्रतिभा-सम्पन्नों का अधिकार होना चाहिए। तर्क नयी तालीम]

सीधा भी है। हमारे देश में आज प्रतिभा विशिष्ट वर्ग का एकाधिकार है और उमसे मुक्त करने का न कोई उपाय है, और सब पूछो तो हमारी समाज-रचना की दृष्टि से न उमकी आवश्यकता ही।

तर्क : प्रतिभा के विकास का

इसपर शिक्षा-आयोग की रिपोर्ट छपने के बाद से विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों के बीच 'मिजर युनिवर्सिटी' की परिवर्तना को लेकर काफी चर्चा होनी रही है। स्वाभाविक भी है, उनमें से हर एक को 'मिजर' होने की भावना मोहक लगती है। वर्णव्यवस्था के समान वर्गव्यवस्था में भी हर व्यक्ति ऊपर की श्रेणी के गौरव के लिए लालायित रहता है। एक बार घेरघार कर प्राध्यापकों के बीच प्राथमिक शिक्षा के सवाल को उठाया भी जा सका तो हमारे बीच के एक माने-जाने शिक्षा-शास्त्री ने काफी अन्दाज से बात चलायी। उनका सम्भार तर्क था कि अगर हमारे पास साधनों की कमी है, सुविधाएँ काफी नहीं हैं, तो क्या हम अपनी शिक्षा में प्रतिभा के विकास को अवसर नहीं देंगे। हमको ज्ञान-विज्ञान के जिन स्तर की आवश्यकता है, विदेशों की प्रतिद्वन्द्विता ऐसे लोगों के ध्यान-केन्द्र में जरूर रहती है, उसकी पूर्ति क्या उम प्राथमिक शिक्षा में हो सकेगी जो शिक्षा के नाम पर चलायी जा रही है। यदि शिक्षा का स्तर वास्तव में उठाना है तो प्राथमिक शिक्षा से चुने हुए 'माडल स्कूलों' के आधार पर उसे सगठित करना होगा। एक मित्र ने उनके अन्दाज में अरा-मो वाधा उपस्थित करते हुए प्रश्न उठाया—और सब बातें मान भी ली जायें, पर क्या आपके द्वारा समर्थित दो वर्गों में बटी हुई शिक्षा-नीति को अर्थात् एक ओर देश भर में असह्य ऐसे प्राथमिक स्कूल चलेंगे जिनमें अड़तालीस-उनचास करोड़ जनता के बच्चे उम शिक्षा को पायेंगे जिसे 'होबम' कहा जाता है और दूसरी ओर एक-दो हजार ऐसे प्राथमिक स्कूल, पब्लिक स्कूल होंगे जिनमें प्रतिभाओं को शानशीलता के साथ शिक्षा दी जायगी, समाजवाद की ओर किसी भी रूप में झुकी हुई पार्टियों का समर्थन मिल सकेगा? इस पर उन्होंने लगभग वितृष्णा के साथ चिढ़कर कह दिया—तो फिर होंने दीजिये देश भर में अधिशा का प्रसार।

विशिष्ट वर्ग का मानस दर्शन

यह है हमारे उस समाज की झाँकी, जो पश्चिमी शिक्षा-दीक्षा प्राप्त है, जो अपने को प्रगतिशील कहता और समझता है, जो चिन्तन की क्षमता रखने का दावा करता है और जिससे आशा की जाती है कि अपने ज्ञान-विज्ञान का देश की व्यापक और संकटकालीन समस्याओं के लिए उपयोग करेगा। अपने

रचना की आर्थिक परिवर्तना में सम्पन्न समाज सम्पन्नतर होता जायगा और इस वृत्त में क्रमशः देश का अधिकाधिक समाज आता जायगा। जरा सा छेड़ दन पर कि क्या समाज का निचला वर्ग इस अनन्त छायावादी प्रतीक्षा के लिए तैयार हो सकेगा, वे तुरत देश के नये समाज की नीवें डालने वाले महान नेता नेहरू जी के तर्क पर आ गये—फिर देश के सामने विपन्नता और पिछड़ापन घाटन के सिवाय दूसरा उपाय नहीं रह जाता।

तर्क विशिष्ट समाज की अनिवार्यता का

एक दिन बातचीत के दौरान हमारे एक विचारवान वैज्ञानिक मित्र ने विदेश में देश की वैज्ञानिक प्रतिभाओं के आयात और बस जाने की समस्या के समाधान के रूप में 'मेजर मुनिर्वामटिया' की स्थापना की परिकल्पना का स्वागत किया। इस ओर ध्यान आकर्षित करने पर कि इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में वर्गों की दीवार खड़ी होगी और देश में सगठित होते हुए विशिष्ट वर्ग को बल ही मिलेगा, उन्होंने दो-दूक बात कह दी कि यदि देश की समस्याओं का वैज्ञानिक और तकनीकी समाधान पाना है तो न केवल वैज्ञानिकों को विशेष सुविधाएँ देनी होंगी, बरन् उनके लिए विशिष्ट समाज की नागरिकता भी निश्चित करना होगी, अन्यथा विदेशों का आकर्षण उन्हें खींचेगा ही। मानो कि देश की गरीब और पिछड़ी जनता को यदि अपने प्रतिभा सम्पन्न वैज्ञानिकों, शास्त्रिया, चिन्तका, लेखकों और कलाकारों से लाभान्वित होना है तो उसे उन्हें अपनी सुलभ सुविधाओं से वही भिन्न स्तर के विशिष्ट समाज में रहने की छूट देनी होगी। नेताओं, अधिकारियों, व्यवसायियों और उद्योगपतियों ने तो अपना विशिष्ट समाज बनाकर सुरक्षित कर ही लिया है।

इधर छात्रों की अनुशासनहीनता, अराजकता तथा उच्छृंखलता पर विचार-विनिमय के मिलमिले में हमारे युवक प्राध्यापकों को यह पतत हुए और तक देन हुए पाया गया कि शिक्षा के क्षेत्र में हमको चुनाव से काम लेना चाहिए। हर मँवार, असम्भ, सस्वारञ्जुत और अपरिपक्व लडके का शिक्षा देने का हमारा काम नहीं है। मान लेता हूँ कि यह खीझ और परेशानी में बहती गयी बात है। आज कक्षाओं में जिस विद्या विमुक्त छात्र वर्ग का सामना गम्भीर अध्यापक की करना पड रहा है उसमें यह मन स्थिति स्वाभाविक है। पर यह एना ही नहीं है। यह अलग बात है कि मन स्थिति में भी दायित्व का अनुभव करनेवाले अध्यापक की चिन्तक के रूप में गहरे उतरकर तर्क देना चाहिए, लेकिन यहाँ अन्धे सामने सोचने-गमझनेवाले लोग भी आज सोचने लगे हैं कि कम से-कम उच्च शिक्षा प्रतिभा-सम्पन्ना का अधिकार होना चाहिए। तर्क नहीं साक्षीम]

सीधा भी है। हमारे देश में आज प्रतिभा विशिष्ट वर्ग का एकाधिकार है और उसमें मुक्त करने का न कोई उपाय है, और सब पूछो तो हमारी समाज-रचना की दृष्टि से न उसकी आवश्यकता ही।

तर्क प्रतिभा के विकास का

इधर शिक्षा-आयोग की रिपोर्ट छपने के बाद से विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों के बीच 'मेजर युनिवर्सिटी' की परिवर्तना को लेकर काफी चर्चा होती रही है। स्वाभाविक भी है, उनमें से हर एक को 'मेजर' हान की भावना मोहक लगती है। वर्णव्यवस्था के समान वर्गव्यवस्था में भी हर व्यक्ति ऊपर की श्रेणी के गौरव के लिए लालायित रहता है। एक बार घेरघार कर प्राध्यापकों के बीच प्राथमिक शिक्षा के मवाल को उठाया भी जा सका तो हमारे बीच के एक माने-जाने शिक्षा शास्त्री ने काफी अन्दाज से बात चलाई। उनका गम्भीर तर्क था कि अगर हमारे पास माधनों की कमी है, सुविधाएँ काफी नहीं हैं, तो क्या हम अपनी शिक्षा में प्रतिभा के विकास का अवसर नहीं देंगे। हमको ज्ञान विज्ञान के जिन स्तर की आवश्यकता है, विदेशों की प्रतिद्वन्द्विता ऐसे लोगों के ध्यान केन्द्र में जलूर रहती है, उनकी पूर्ति क्या उस प्राथमिक शिक्षा से हो सकेगी जो शिक्षा के नाम पर चलाई जा रही है। यदि शिक्षा का स्तर वास्तव में उठाना है तो प्राथमिक शिक्षा से चुने हुए 'माडल स्कूल' के आधार पर उसे संयोजित करना होगा। एक मित्र ने उनके अन्दाज में जरा-सा बाधा उपस्थित करते हुए प्रश्न उठाया—और सब बातें मान भी ली जायें, पर क्या आपके द्वारा समर्थित दस वर्गों में बटी हुई शिक्षा-नीति को अर्थात् एक ओर दस भर में अग्ररूप ऐसे प्राथमिक स्कूल चलेंगे जिनमें अबदालीस-उनचास करोड़ जनता के बच्चे उस शिक्षा को पायेंगे जिसे 'हावम' कहा जाता है और दूसरी ओर एक-दो हजार ऐसे प्राथमिक स्कूल, पब्लिक स्कूल होंगे जिनमें प्रतिभाओं को शान्तशोक के साथ शिक्षा दी जायगी, समाजवाद की ओर किसी भी रूप में झुकी हुई पार्टियों का समर्थन मिल सकेगा? इस पर उन्होंने लगभग वितृष्णा के साथ चिढ़कर कह दिया—तो फिर हाने दीजिये देश भर में अधिशा का प्रसार।

विशिष्ट वर्ग का मानस दर्शन

यह है हमारे उस समाज की शक्ती, जो पश्चिमी शिक्षा-दीक्षा प्राप्त है, जो अपने को प्रगतिशील कहता और समझता है, जो चिन्तन की क्षमता रखने का दावा करता है और जिससे आशा की जाती है कि अपने ज्ञान विज्ञान का देश को व्यापक और सकटकालीन समस्याओं के लिए उपयोग करेगा। अपने

सार चिन्तन और मानव मर्त्य की अतिगति और पिछड़ो उन्चाग बराबर जगता पर दृष्टि रखनेवाले व्यक्ति को इस समाज के मानव मर्त्य वारवार देना व दृष्टि एव अनिवाय विधिष्ठ वर्ग की परिवर्तना स्पष्ट रूप ग्रहण करती हुई जान पड़ती है। प्रतिभा व चुनाव, मरण्य और विनाम के नाम पर, ज्ञान विनाम रा जननि के नाम पर, शिक्षा का वास्तविक और उन्वस्तर्रीय चिन्ता के आधार पर, औद्योगिक तथा तकनीकी विनाम की दृष्टि को सामने रखकर, अत्यधिक गति और जनन देश के प्रतिद्वन्द्विता की स्थिति पर बल देकर और यही तब कि मासृतिक उन्नयन के आदर्श को प्रतिपादित करने हुए सारे देश में एक विभिन्न वर्ग का उदय हो उभरता आ रहा है।

यह मर्त्य आस्मिक नहीं है। स्वाधीनता पान के पहले भी भारतीय अंग्रेजी-मानव का एक वर्ग मैदान का परिवर्तना के आधार पर बन चुका था, यह अग्र बात है कि इस समय तक स्वाधीनता-मर्त्य से अग्र रहने और प्रायः जनमानुस्मृतिजाल होने के कारण हमारे राष्ट्रिय जीवन में इस वर्ग का प्रभाव और महत्व नहीं के बराबर था। पर स्वाधीनता के इन वर्षों में अन्तरराष्ट्रीय-तावादा अंग्रेजी मानव के प्रतिनिधि नेहरू जी के नेतृत्व में न केवल इस वर्ग को बहुत ज्यादा प्रासाहन मिला वरन् उनकी शक्ति और सामर्थ्य को बहुत सगठित रूप मिला गया है। पिछले दशकों को हमारा आर्थिक योजनाआ, विदेश में लकर गिना तक चलनेवाली, समस्त नीतिया और शासन तथा व्यवस्था के स्तर पर उन सबके मार्गान्वयन ने क्रमशः एक ऐग समाज का ढांचा तैयार किया है, उसको रग रूप प्रदान किया है जिनमें आज स्पष्ट व्यक्तित्व ग्रहण कर लिया है।

जब तक इस समाज की रचना हा रही थी, विभिन्न वर्ग ने अपने तर्कों का अधिक बलपूर्वक कभी उपयोग नहीं किया, हाँ उसने देश की व्यापक जनता के मर्त्य में चलनेवाले गांधी की दृष्टि पर आधारित और उनके चिन्तन से मार्गान्वय तर्कों को कुशलतापूर्वक विभ्रम में डाला। उद्योग व धन्धो को लेकर, कुटीर उद्योगी और छोटी मशीना के प्रयोगों की हँसी उड़ायी गयी। समासामाइटिया में कहा जाता रहा है कि राकेट के युग में हम अपने देश में बंल गाडा चलाना चाहते हैं। जटिल मशीनों के स्थान पर हम हाथ से काम करना चाहते हैं। इसी प्रकार बुनियादी तालीम को असफल करके उसका उपहास उड़ाया गया और पब्लिक स्कूला की शिक्षा की असफलता को उसके सामने प्रतिपादित किया गया। इन पिछले वर्षों में इस वर्ग का 'रोल' बहा कुटिल रहा है। एक ओर इसी वर्ग ने कांग्रेस सरकार की सारी योजनाआ को असफल नहीं तालीम]

किया है जिनका सँझान्तिव आधार देश के जनजीवन से ग्रहण किया गया था और दूसरी ओर ऐसी योजनाओं को प्रमत्त प्राथमिकता दिलायी जिनमे इस वर्ग को समृद्धि शक्ति और व्यक्तित्व मिल सका। धीरे-धीरे जनता के व्यापक जीवन को विकास के मार्ग पर ले चलनेवाली किमी भी माह्निक और प्रगति-शील योजना अथवा सिद्धान्त को अपनी तर्कहीनता से इस वर्ग ने अमगत सिद्ध कर दिया है।

आज यह वर्ग अपने व्यक्तित्व मे इतना स्पष्ट और प्रबल हो चुका है कि उसने सारी तर्कशीलता अपने निजी सन्दर्भों से विवर्णित कर ली है। अब उसने सामने उन्चाम करोड जनता की महत्वाकांक्षाओं को कोई अडचन भी नहीं है जिसे अपने तर्कों को प्रस्तुत करने मे उन्हें किमी प्रकार कोई हिचकिचाहट हा। आज निर्द्वन्द्व भाव से इस वर्ग के लोग शिक्षा मे चुनाव का तव दे सकते हैं, अधिशा के प्रसार की बात कह सकते है, कुछ लोग और वर्गों क भी विश्वाधि-कारो की बात कह सकते है, विशेषज्ञ के हाथ मे देश की नीतिया के निर्धारण और उनके संचालन क दायित्व को सौंपने पर बल दे सकन हैं, विकसित दशा की समकक्षता की चर्चा कर सकते हैं, ज्ञान विज्ञान को उन्नत देशा के समकक्ष सुरत पहुँचाने का आग्रह प्रकट कर सकते हैं और उसके लिए 'मेडर' त्रिषव-विद्यालयों की कल्पना कर सकन है, 'माडल' प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल चलाने पर बल दे सकने है। आगे चलकर, एक प्रकार से कहा जाने ही लगा है कि देश के विकास के लिए हमको समृद्धि की कल्पना करनी चाहिए, हमका कारें चाहिए, वातानुकूल चाहिए, टेक्नोजिन चाहिए, प्रामाद चाहिए, सजमजा साधन चाहिए, इन सबके आधार पर ही हमारे धन्धे बड़ेंगे और आर्थिक विकास सम्भव हो सकेगा।

कुटिल चक्र-प्रवर्तन

यह सब तर्क मगत बताया जाता है और पूरी तर्कशीलता से बातें की जाती हैं, क्योंकि अब इस समाज का वृत्त इतना बडा हो गया है कि अपन का अपने मे पूरा समझ सकता है, समझने भी लगा है। उनकी शक्ति इतनी बड गयी है कि वह सारी प्रजाताधिक प्रक्रिया और समाजवादी घोषणाजा के बावजूद अपने को अनिवार्य तथा सुरक्षित समझता है। चीस वर्षों मे इस वर्ग का मानस युवको मे परिब्याप्त हो चुका है, और सबसे रोचक बात है यदि सारी कठिनाइया और अवरोधो को पार कर कोई प्रतिमानम्पन्न व्यक्ति उभरकर ऊपर आ भी जाता है तो वह अपने निचले स्तर के समाज का अग्र रहना नहीं चाहता, उसके प्रति उसमे त्रितृष्णा का भाव ही जागता है। मुविघाएँ पाने ही वह इस

समाज का अंग बन जाया है। तथाकथित जन नेताओं की स्थिति भी ऐसी हो गयी है कि जरा आगे बढ़ते ही या अधिवार पात ही उनका पहला प्रयत्न यह होना है कि उनको इस सम्भ्रान्त विशिष्ट समाज का समझा जाय।

वोन चुनौती दे ?

आज की यह स्थिति जटिल है। एक दुष्चक्र बन गया है, जिसका भेदने में अब समय लगना। साहम और सवल्प की जल्द तो है ही। इस तर्कहीन समाज को उनकी तर्कहीनता से अवगत कराने के लिए शायद अब गहरे क्षर्ष का अपेक्षा होगी। इस समाज का अधिकार और शक्ति शासन, शिक्षा, उद्योग, व्यवसाय, पत्रकारिता, न्याय आदि के क्षेत्रों में ही परिस्थित नहीं है, बरन् काग्रम, स्वतंत्र और जनसघ-जैसी पार्टियों के अलावा कई वामपंथी दलों पर भी इसका पर्याप्त प्रभाव है। आज देखना है बल, आग्रह और साहम के साथ कौन इस वर्ग को चुनौती देता है कि यदि देश की उन्मास बरोड जनता का भविष्य शामिल नहीं तो तुम्हारी शिक्षानीति, तुम्हारी आर्थिक योजनाएँ, तुम्हारा विज्ञान और तकनीकी को विवसित करने का ढग, तुम्हारी सामाजिक न्याय की पद्धति, तुम्हारी स्वाधीनता की परिवर्तना, यहाँ तक कि तुम्हारा सविधान के प्रति दृष्टिकोण सब तर्कहीन, और निरर्थक है। तुम्हारी विशेषता झूठी और भ्रामक है, विदेश से पाये प्रमाणपत्र हमारे लिए धेकार हैं। तुम हमारे लिए निकम्मे हो, तुम्हारी सारी पद्धति तर्कहीन है। तुमको महा दृष्टि और तर्कपद्धति अपनानी होगी, और उसके आधार पर नये शिक्षा के सिद्धांत खोजने होंगे। अर्थशास्त्र के नये सिद्धान्तों को खोजना होगा, विज्ञान तथा तकनीक के प्रयोग की नयी विधियाँ खोजनी होंगी, विकास का मार्ग निकालना होगा। तुम्हारे चलाये देश नहीं चलेगा, तुमको देश के अनुसार चलना होगा। हमारी गरीबी का तुम्हें एहसास होता रहे, यह तुम्हारी तक क्षमता के लिए जरूरी है, इस अर्थ में गरीबी बाटकर ही काम चलाना होगा। मुखिभाषा का अधिकार कार्यक्षमता और दक्षता के आधार पर स्वीकार करना एक बात है, विनिष्ट समाज रचना की छूट देना अलग बात है। यह छूट किमी हालत में देना के लिए तैयार नहीं, प्रजातंत्र और स्वाधीनता के तमाम झूठे सच्चे नारा के बावजूद।

पर यह साहम आज देश के किस नेता के पास है ? सारे नेता इस वर्ग के प्रभाव क्षेत्र में हैं अथवा इससे आतंकित और प्रभावित हैं। लेकिन देश के सच्चे भविष्य के लिए इस वर्ग की तर्कहीनता के उत्तर में इस तर्कपद्धति के अलावा कोई उपाय नहीं है।

—'वर्तना' से साभार

संसद की शिक्षा-समिति की रिपोर्ट

३१ जुलाई '६७ को सर्व सेवा सभ में शिक्षा में दिलचस्पी रखनेवाले चाराणसी के ५० नागरिकों की एक गोष्ठी हुई। इस गोष्ठी का विषय था 'संसद की शिक्षा-समिति की रिपोर्ट'। गोष्ठी की अध्यक्षता की राजकीय बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालय के भूतपूर्व प्राचार्य श्री वशीधर श्रीवास्तव ने।

चर्चा के शुभारम्भ में आचार्य श्री राममूर्ति जी ने शिक्षा-आयोग के इन लक्ष्य का—कि राष्ट्रीय शिक्षा राष्ट्र के विकास और समाज के परिवर्तन का मापन बन—उल्लेख करते हुए कहा कि संविधान में दृष्ट को जिस व्यवस्था की योजना है उसके आधार हैं—सत्ता की राजनीति (पावर पालिटिक्स) और निर्णय सम्पत्ति (प्राइवेट प्रापर्टी)। इनको मानकर जो शिक्षा विकसित होगी वह किसी प्रकार का क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं ला सकेगी। उन्होंने कहा कि भारत का भविष्य लोकतन्त्र और समाजवाद में है और उसके लिए आर्थिक साधनों का निजी स्वामित्व (प्राइवेट ओनरशिप), सरकार स्वामित्व (स्टेट ओनरशिप) और मिश्रित स्वामित्व (मिक्स्ड ओनरशिप) से भिन्न ग्राम-स्वामित्व की जरूरत है।

साधनों के स्वामित्व का आधार बदले

आज खेती और कारखाने प्रतिद्वन्द्विता के आधार पर चल रहे हैं। प्रतिद्वन्द्वितामूलक खेती और कारखाने शिक्षा के साथ नहीं जुड़ सकते। आज के आर्थिक आधार को ही बदलना होगा। जब आर्थिक आधार बदल जायगा और उसके साथ शिक्षा जुड़ जायगी तब क्रान्तिकारी परिवर्तन होगा और शिक्षा विकास का मापन बनेगी। क्या भारत के आर्थिक साधनों का स्वामित्व भारतीय संविधान की सीमाओं के भीतर रहने हुए बदला जा सकता है? यह परिस्थितियों के सन्दर्भ में से एक महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है। लगता है कि साधनों के स्वामित्व की माविधानिक सीमाओं के अन्दर रहने हुए देश की भूमि समस्या या किमी भी बड़ी समस्या का हल नहीं प्राप्त होगा।

उन्होंने कहा कि बेबल कार्यानुभव (वर्क एक्मपीरियंस) से उत्पादन नहीं बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ाने के लिए विद्यार्थी और शिक्षकों के ऊपर उत्पादन की

जिम्मेदारी डालनी होगी। शिक्षा को उत्पादन के साथ जोड़ना होगा, ताकि शिक्षा में उत्पादन बढ़े और उसकी प्रक्रिया शिक्षा का माध्यम बने।

गाँव प्रधान भारत के गाँव को स्वामित्व का इकाई, उत्पादन या इकाई, व्यवस्था की इकाई और शिक्षण की इकाई एक साथ मानकर चलना चाहिए। गाँव केवल कच्चे माल का आपूर्ति का केंद्र नहीं है बल्कि उनका एक विशिष्ट व्यक्तित्व है। गाँव एक इकाई है और इसलिए विनोबाजी न बहा कि हर गाँव विश्वविद्यालय बने। इसका यह अर्थ है कि हर गाँव में अद्यतन ज्ञान विज्ञान पहुँचे सभी गाँव की समस्याएँ हल होंगी और देश सुखी और समृद्ध होगा।

अगर गाँवों की उपेक्षा की गयी तो समस्याओं के समाधान के लिए नक़्कल बाड़ी की ओर आकर्षण होगा।

उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल विरोधता और प्रशामका के लिए नहीं है बल्कि करोड़ों-करोड़ों नागरिकों का विषय है।

सामाजिक समता को प्रारम्भ शिक्षा से

श्री राममूर्ति के बाद श्री राजाराम राम्बो अध्यक्ष समाज विज्ञान विभाग काशी विश्वपीठ ने नेबरहुड स्कूल की गराहना की और कहा कि अच्छा हो पब्लिक स्कूल बन्द हो जाँम। उन्होंने कहा कि गाँवों और राम्बो के अभाव में छोटे से लोग का शिक्षा ही जाय इस विचार का समाजवाद से मेरा नहीं बैठता। सबको शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए। समता शिक्षा से शुरू हो।

देश भर की शिक्षा का एक दर्शन हो—पद्धतियाँ अलग अलग हो सकती हैं। यह शिक्षा का दर्शन कमिटी की रिपोर्ट में कही नहीं है।

समता और एकता की दृष्टि से स्कूल जीवन में विषमता और अन्याय का अन्त नहीं आने देना चाहिए। हमारी मस्तिष्क के बुनियादी आधार ढूँढे जाने चाहिए और उन्हें शिक्षा का आधार बनाया जाना चाहिए।

उन्होंने अन्त में कहा कि मनुष्य शक्ति की याचना की जानी चाहिए और उसके अनुसार शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए।

शिक्षा में मानवीय सम्बन्धों का महत्व

श्री विश्वबन्धु चटर्जी, सहायक निदेशक, गार्गी विद्या स्थान, बारालुसी ने कहा कि रिपोर्ट में मानवीय सम्बन्धों और मानवीय मूल्यों का उल्लेख नहीं है। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय शिक्षा की नहीं बल्कि मात्र पाठ्यक्रम की रिपोर्ट है। इसमें नयी शालीम]

विषयों की बात बहुत है लेकिन आदमी को आदमी कैसे बनाया जायगा यह कही नहीं है। उन्होंने आक्षेप किया कि जनता की शिक्षा की बात इसमें नहीं कही गयी है। इस रिपोर्ट के मामले शहरी और सम्पन्न समुदाय का चित्र रहा है, देश के ७० प्रतिशत अशहरी नागरिकों का चित्र नहीं।

उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा की गयी है। प्राथमिक शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय योजना बननी चाहिए। ऊपर की शिक्षा आने आप बन जायगी अगर बुनियाद ठीक कर दी जाय।

यह कहा जाता है कि शिक्षा का इस नेजी से फँसाव हाता जा रहा है कि विस्फोट की नीवत था गयी है। जब कि देश में इतनी निरक्षरता है ता बिस्फोट का क्या प्रश्न है? हमारे स्कूलों का इतना बुरा हाल है कि कहीं-कहीं एक शिक्षक द्वारा एक पूरा स्कूल चलाया जाता है।

शिक्षा राजनीति से मुक्त हो

श्री रोहित मेहता वाराणसी के प्रसिद्ध पियोसाफिस्ट तथा शिक्षाविद् ने कहा कि ममद के सदस्य इसमें भिन्न क्रान्तिकारी रिपोर्ट क्या बनाने? वे सब राजनीति के लोग हैं। राजनीतिज्ञों के हाथ से शिक्षा को निकालना चाहिए। इसके लिए नागरिकों का संगठन होना चाहिए और उनकी ओर से जोर डाला जाना चाहिए।

उन्होंने इस बात की जोरदार आलोचना की कि शिक्षा का कोई दर्शन नहीं बना है, शिक्षा का सिर्फ ढँचा तैयार हुआ है।

रिपोर्ट में समाज परिवर्तन की बात है लेकिन उमका स्वच्छ क्या होगा? क्या पश्चिम की समाज-व्यवस्था लानी है? क्या पुरानी व्यवस्था में कुछ नहीं है जिसे कायम रखा जाय? मनुस्मृति में समाज-व्यवस्था की मूल बातें हैं लेकिन उनकी ओर हम ध्यान नहीं देते। कुछ संशोधन के साथ उनके मूल सिद्धान्तों को लिया जा सकता है।

समान भवसर और सामाजिक समानता ही काफी नहीं है मनोवैज्ञानिक पक्ष भी उद्वाना ही जरूरी है। एक-एक व्यक्ति को विकसित होने का अवसर मिलना चाहिए।

राष्ट्रीय एकता और भावात्मक एकात्मकता, ये सब राजनीतिक नारे रह गये हैं। आज हम भारतीय नहीं रह गये हैं। इसकी जिम्मेदारी राजनीति की है।

विश्वविद्यालयी शिक्षा का माध्यम हिन्दी हो

उन्होंने उच्च शिक्षा में धाराय भाषाया का शिक्षा के माध्यम होने में एक सतरा बताया और कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अंग्रेजी का ममयन कर रहा हूँ। भारत की हा कोई एक भाषा पूर देश में उच्च शिक्षा का माध्यम बने। वह भाषा हिन्दी हा हा गवना है। क्षेत्रिय भाषा के माध्यम होने से विश्वविद्यालय एक टापू की तरह ही जायेंगे। इससे एक क्षेत्र का शिक्षा हमरे क्षेत्र में नहीं जा सकेगा क्याकि भाषा क्षेत्रीय रहगी। अतः विश्वविद्यालय स्तर पर हिन्दी माध्यम होनी चाहिए। हिन्दी राष्ट्रभाषा होने ही वाली है लेकिन राजनीति के कारण यह नहीं हो रहा है।

विज्ञान और अध्यात्म में मल होना चाहिए लेकिन इसपर रिपोर्ट में कोई संकेत नहीं है। यह बुनियादी प्रश्न है।

उन्होंने दो समस्याया का उल्लेख किया—१ अधिक से अधिक लोगो की शिक्षा साक्षरता तथा २ अच्छा में अच्छी शिक्षा। अगर शिक्षा के स्तर की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो शिक्षित निरक्षरता पैदा होगी।

उन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण का उल्लेख करते हुए कहा कि शिक्षकों का अच्छा प्रशिक्षण होना चाहिए। इस ओर ध्यान देना जरूरी है। अपने देश में प्राथमिक शिक्षा बलक है। प्राथमिक शिक्षा में माताया को स्थान मिलना चाहिए और प्राथमिक शिक्षा के लिए एक कमीशन नियुक्त होना चाहिये।

उन्होंने प्रश्न रखा कि माध्यमिक शिक्षा के बाद विद्यार्थी क्या करेंगे ? अगर सामाजिक ढाँचा यहा रहा तो वे क्या काम करने ? काम नहीं मिलेगा तो निराशा होगी। माध्यमिक शिक्षा पूर्ण होनी चाहिए।

सरकार से समाज का ढाँचा नहीं बदल सकता। यह गैर सरकारी प्रयत्न से ही होगा। इसलिए नागरिको को चाहिए कि वे शिक्षा की समस्या पर विचार करें। शिक्षा का दर्शन बन जायगा तो पद्धति बनने में देर नहीं लगेगी।

सुश्री शुभदा जी, प्राचार्या, बमलत क या महाविद्यालय, वाराणसी ने कहा कि शिक्षा राजनीति का अखाडा न बने। बातें बहुत की जावा है और काम कम होता है। हम लोगो को कुछ काम करना चाहिए।

उनकी राय थी कि शिक्षा की रिपोर्ट उद्देश्यवान है। अर्थनीति राजनीति ज्यो की स्यो है। यूरोप और अमेरिका की नकल से भारतीय शिक्षा कैसे बनेगी ? ऊपर से लादा हुई शिक्षा से जनमानस नहीं बनेगा। ग्रामीण समाज का क्या होगा ? क्या उसे सहरों में लाना है ?

डा० राजनाथ सिंह प्राचार्य, उदयप्रताप कालेज, वाराणसी ने कहा कि प्रचलित शिक्षा केवल पुस्तक और परीक्षा पर आधारित नहीं है बल्कि वह शिक्षक तथा संस्था पर आधारित है। जिस संस्था में अच्छे और योग्य शिक्षक हैं वहाँ छात्र अधिक संख्या में भरती हैं। इसलिए समाजवाद के नाम पर तथा नेजरहुड स्कूल के कारण अच्छे स्कूल नहीं बन्द करने चाहिए।

उन्होंने कहा कि शिक्षा की पद्धति के बदल देने से शिक्षा नहीं बदल सकती है।

शिक्षा-संस्थाएँ ही अच्छा नागरिक बना सकती हैं ऐसा मानना ठीक नहीं। इसके लिए घर और समाज को ठीक होना होगा क्योंकि विद्यार्थी अपन परिवार और समाज में अधिक समय तक रहते हैं।

उन्होंने कहा कि थोड़े से साधन-सामान को बढ़ते बाँट देने से उतना लाभ नहीं होगा जितना कि थोड़े-से लोगों में उसे बाँटकर उनको ज्यादा अच्छा बनायें।

श्री पुरुषोत्तमदास खत्री, प्रधानाध्यापक मारस्वत खत्री हाई स्कूल ने कहा कि आज शिक्षकों में आदर्श की भावना का अभाव है। आदर्श भावना का अभाव की पूर्ति कैसे होगी इसका कोई उपाय कमिशन ने नहीं सुझाया। हमें इस का हाल ढूँढना चाहिए।

जीवन-दर्शन के अभाव का कारण

श्री दशोपरजी ने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि विभिन्न जीवन पद्धति वाले शिक्षा-आयोग में थे इसलिए उन्होंने किसी एक जीवन पद्धति की बात नहीं की।

शिक्षा-आयोग ने गांधीजी की बहुत-सी बातों को माना लेकिन उनका जीवन-दर्शन को स्वीकार नहीं किया।

इस समद समिति ने उन विशिष्ट ६ सस्याओं को बनाने की बात, जिनको शिक्षा-आयोग ने सिफारिश की थी, न मानकर अच्छा काम किया है।

दस साल में क्षेत्रीय भाषा में पुस्तकें तैयार हो जायें ऐसी सिफारिश शिक्षा-आयोग ने की थी लेकिन इसकी अवधि इस समिति ने ५ साल करके सराहनीय काम किया है।

सिद्धते २० वर्षों में पूर्णजीवाद और सामंतवाद की भावना बड़ी है और पब्लिक स्कूल बड़े हैं। उन्हें धीरे-धीरे ५ साल में बन्द कर देना चाहिए।

—कृष्णकुमार

अरब-इसराइल-समस्या की पृष्ठभूमि

सुद्रभान

अरब-इसराइल संघर्ष मिटने के बजाय और अधिक खतरनाक होता चला जा रहा है क्योंकि दोनों पक्षों ने परस्पर विरोधी रास्ता अस्तित्व बनाने का प्रयास किया है। दोनों पक्षों की जनता के लिए यह संघर्ष उनके अस्तित्व को ही चुनौती दे रहा है। अरब देशों की दृष्टि से इसराइल एक ऐसा साम्राज्यवादी शत्रु है जो जबरदस्ती अरब प्रदेश में घुस दिया गया है। इसके कारण उनका राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक विशिष्टता और आर्थिक स्वायत्तता का अस्तित्व खतरा में पड़ गया है।

यहूदियों के लिए इसराइल एक ऐसे सपने का मूर्तरूप है जिसके २ हजार वर्षों से देखते आये हैं। यहूदी राष्ट्रवादियों का लक्ष्य है अपनी आदि पृथक् भूमि में फिर से अपना राष्ट्रीय आवास बनाना। अपने इस हक को वे ऐसा मानते हैं जिसे किसी जन के लिए इनकार नहीं किया जा सकता है।

यहूदियों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

यहूदियों का अपना एक विशेष धर्म और अपनी एक जाति रहा है। अठारहवीं सदी तक उन्होंने कहीं भी अपना कोई राष्ट्रीय आवास नहीं बनाया। वे यूरोप के देशों में बिखर कर फैल गये और वहाँ के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में भरपूर हिस्सा लेते रहे। लेकिन हरेक देश में वे अल्पसंख्यक और दूसरे दर्जे के नागरिक के रूप में रहे। अठारहवीं शताब्दी के अंतिम दौर से रूस तथा पूर्वी यूरोप के देशों में वहाँ की सरकारों-द्वारा ऐसे कदम उठाये गये जिनके कारण यहूदियों को सामूहिक रूप से पश्चिमी यूरोप और अमेरिका में स्थानान्तरित होना पड़ा।

पश्चिमी यूरोप के देशों में यहूदियों की स्थिति दिन-दिन खतरनाक होती गयी। जर्मनी, आस्ट्रिया और फ्रान्स में यहूदियों के विरुद्ध ऐसा विद्वेष और खतरनाकपूर्ण वातावरण बना कि इन देशों की जनता यहूदियों के खून की व्यापार करना शुरू कर दिया। यहूदियों को यह मानने के लिए विवश होना पड़ा कि पश्चिमी यूरोप के देशों की नागरिकता उनके लिए खतरे से भरी हुई थी।

५० वर्षों के भीतर हा पूरा यूरोप यहूदियों के लिए यातना गृह बन गया। इन विषम परिस्थितियों ने यहूदियों को इन बातों के लिए विवश किया कि वे अपने लिए किसी पंतुक भूमि की तलाश करें। सहज ही उनका ध्यान इमराइल का ओर आकर्षित हुआ जो उनकी धार्मिक और ऐतिहासिक स्मृतियों में मौजूद था।

फिलिस्तीन के माथ यहूदियों का ऐतिहासिक सम्बन्ध बंधे आया इसकी जानकारी के लिए यहूदियों के दो हजार वर्ष के इतिहास पर एक मरमरी तजर शोधने की जरूरत है।

फिलिस्तीन से पुराना लगभग

ईसा से लगभग २ हजार वर्ष पूर्व अब्राहम ने यहूदियों को इमराइल में बनाया और उन्हें हिब्रू नाम दिया। कई वर्षों के सूखे और फसला का हानि के कारण उन्हें उम्र क्षेत्र से हटकर नीचे नशा का घाटी में बनजारा का जिन दगा बिताने के लिए लाचार होना पड़ा। वहाँ उनकी हालत गुलाम चकरा-जैगा हो गयी थी। ईसा से १३ सौ वर्ष पहले उनके अंदर एक नेता पैदा हुआ जिन्होंने उन्हें वहाँ से मध्य फिलिस्तीन के पहाड़ी हिस्से में स्थान ठरिच हा। वो प्रेरित किया। वहाँ यहूदियों ने एक छोटे विन्तु उन्नतिशाल राज्य का नीचे शाही। वही यहूदियों के बीच साउल, डेविड और मोलामन-जैस इतिहास प्रसिद्ध सम्राट ज में। ईसा से लगभग ६ सौ वर्ष पूर्व इमराइल का राजधानी मरमठम पर अमीरियता का आक्रमण हुआ जिसमें यहूदी हार गये और माया पाटेनिया भज दिये गये। वहाँ भी उनका स्थिति बिगड़ती गयी। एक हारो और मजदूर काम के रूप में वे इधर-उधर बिखर कर मारे-मारे फिरत रहे। अपने मूठ स्थान से उनका सम्बन्ध टूट गया। वे व्यापारी, रोजगारी और कारीगरों के रूप में, जहाँ-जहाँ अवसर मिला, बसते गये।

इन परिस्थितियों में से गुजरते हुए यहूदियों ने अपने साहित्य में एक भावपूर्ण कल्पना की, कि सामान्य देशों में बिखरे हुए यहूदों एक-न-एक दिन अपने मसीह के नेतृत्व में अपनी मानवभूमि में अवश्य वापस लौटेंगे।

फिलिस्तीन से यहूदियों के निष्कासन के बाद वहाँ जो लोग बच गये उन्होंने रोमन शासन के प्रभाव में आकर ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। मन् ६३६ ई० में अरबों ने फिलिस्तीन पर विजय पायी और बड़े संख्या में वहाँ बस गये। तब से वे वहीं रह रहे हैं।

प्रथम महायुद्ध के समाप्त होने पर जर्मन ने हारे हुए तुर्कों साम्राज्य के

भूभाग पर अपना अधिकार जमा लिया था। (यह वही स्थान है जहाँ आज इग्राइल देग बना हुआ है)।

सन् १९१७ के महायुद्ध में इंग्लैंड तथा दुनिया में अन्य यूहूदियों का समर्थन प्राप्त करने के लिए, ब्रिटिश सरकार ने 'वालफोर घोषणा' की, जिसमें फिलिस्तीन में यूहूदियों को अपना राष्ट्र संगठित करने का वचन दिया। वालफोर घोषणा में यह भी कहा गया था कि ऐसा कोई कार्य न किया जायगा, जिसमें गैर यूहूदी जनता के धार्मिक और नागरिक अधिकारों में कोई हस्तक्षेप हो। उस समय फिलिस्तीन की कुल आबादी ७ लाख के लगभग थी। इनमें एक दशमात्र यूहूदी थे और इतने ही अरब ईसाई थे। बाकी अरब मुसलमान थे।

सन् १९२२ में लीग ऑफ नेशन्स ने ट्रांसजार्डन और फिलिस्तीन की ब्रिटिश घोषणा को अन्तिम स्वीकृति प्रदान कर दी थी, जिसमें यूहूदियों के लिए पृथक् राष्ट्र बनाने की बात शामिल थी। शुरू के वर्षों में ब्रिटेन ने फिलिस्तीन में बाहर से यूहूदियों के आकर बसने को प्रोत्साहित किया ताकि उस क्षेत्र का शीघ्र ही विकास हो सके। इसी के साथ-साथ विश्व-यूहूदी-मंडल ने क्षेत्र की अर्थ-व्यवस्था के सुधार के लिए धन का संग्रह किया ताकि अधिक से अधिक यूहूदियों को जीवित रखा जा सके।

इसी अवधि में जर्मनी की वागडोर हिटलर के हाथों में आयी। हिटलर ने जर्मनी में यूहूदियों के दमन की नीति अपनायी। हिटलर की दमन-नीति के परिणामस्वरूप फिलिस्तीन में यूहूदियों का आगमन और भी जोरों से शुरू हुआ। शुरू में जहाँ यूहूदियों की आबादी ११ प्रतिशत थी वहाँ वह बढ़कर २६ प्रतिशत तक पहुँच गयी।

आबादी की इस बदलती हुई स्थिति के प्रति धीरे-धीरे अरबों का असंतोष बढ़ने लगा। अरब प्रदेश में यूहूदियों के भारी तादाद में बसने का विरोध करना अरबों के लिए जरूरी हो गया, क्योंकि इस प्रक्रिया-द्वारा उन्हें अपनी उस जमीन को जोतने के अधिकार से बेदखल किया जा रहा था जिसे वे अपनी कई पीढ़ियों से हामिल करते आये थे। १९३७ में अरब हाई कमान ने आम हड़ताल करने की घोषणा की। इस स्थिति को टालने के लिए पील-आयोग फिलिस्तीन भेजा गया। पील-आयोग ने पहली बार उस क्षेत्र को तीन हिस्सों में बाँटने की सिफारिश की जिसमें एक तिहाई क्षेत्र में यूहूदी राष्ट्र बनाने की भी सिफारिश की गयी थी। पील-आयोग की सिफारिशों को लीग ऑफ नेशन्स तथा विश्व यूहूदी-कांग्रेस ने कुछ शर्तों के साथ स्वीकार कर लिया। अरब प्रतिनिधियों ने इसके विरुद्ध मतदान किया और विरोध नहीं तालीम]

जाहिर किया। उन्होंने माग रखा कि बाहर से आकर यूनिया के बमने तथा भूमि खराने पर राब रगाया जाय। इसके माघ-माघ फिलिस्तीन में अरबा ने अपना उग्र कारवाइ बना दा। अरबा के अमत्तोप व कारण ब्रिनिग सरकार पाल जायाग की मिफारिय गगू करन का ताहम न खिया सका।

दूसरा मंगयुद्ध छिन्न है। विश्व-यूना-मगठन हिटलर के विरुद्ध ब्रिन्न का मद्योग देने में एकजुट हो गया। सन् १९४२ में अमेरिकी यूनिया ने एक यूना राय और एक यूना मता का मांग का। सन् १९४५ में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रुमन ने यूरोप के १० राज विस्थापित यूनिया के अमेरिका में पुनर्वासन का अनुमति मांगा। १९४५ तक फिलिस्तीन के दोना पन्ने (यूनिया और अरबा) ने अपना मन्िक मगठन खडा कर लिया। समस्या का काड समाधान न निकलन देखकर ब्रिन्न ने इस प्रश्न को राष्ट्रमघ व मुपु कर लिया। १९४७ के अंत में मघय महामभा ने फिलिस्तीन के प्रश्न पर राष्ट्रमघ के विशेष आयोग का रिपोर्ट का जिममें फिलिस्तीन के विभाजन का सुझाव दिया गया था स्वाकार कर लिया। अरब प्रतिनिधिया ने इसका विराय किया। अरब लाग न पबिन भूमि व विभाजन का राकन के लिए बल प्रयोग का धमका दा। दोना पन्ना का आतकपूण कारवाई बढ गयी। सनाए पूरा तरह ने फिलिस्तीन में हटा ला गयी। १४ मई १९४८ का वङ्गुरयन और वजामिन के नतृव में इमराइल की सरकार का गठन हुआ।

सम ममार का पहला देश था जिमने इमराइल का राजनयिक मायता प्रदान का। सम के बाद अय वन्युनिस्ट राफ्टा (पोलण्ड, चेकोस्लाविया, हंगरी, रूमानिया और युगोस्लाविया) ने भी इमराइल को मायता दी। सम के माघ माघ पश्चिमा राटा (अमेरिका, ब्रिन्न, फ्रांस) ने भी मायता दा।

भाग में बाँटा गया। बहुत समय तक पूरा क्षेत्र तुर्की साम्राज्य के अन्तर्गत एक ही प्रशासनिक और राजस्व-व्यवस्था द्वारा शासित हुआ। इससे आगे बढ़कर वे मानते हैं कि मौरिया का इलाका दरअसल उस विशाल अरबी क्षेत्र का ही अंग है जिसमें ईराक, अरब, मिस्र, मूदान और अफ्रीका का उत्तरी भाग शामिल है। इन सभी क्षेत्रों के लोगों की वंशपरम्परा, भाषा, धर्म, संस्कृति और ऐतिहासिक परम्परा एक समान है।

अरब और यहूदी-सघर्ष की एक विशेषता यह रही है कि शुरू से ही अरब लोग यहूदियों के मुकाबिले कमजोर पड़ते गये। शुरू में ही जो यहूदी शरणार्थी फिलिस्तीन में बसने के लिए पहुँचे उनके पास भरपूर पूँजी, हुनर और तालीमी कावलिगत थी। उनमें नयी स्फूर्ति और एकता की ताकत थी। वे प्रायः नवजवान और तमन्नावाले होते थे। उनके मुकाबिले अरब किसान वर्ग से दबे हुए, अनपढ़, बटाई पर खेती करनेवाले और गरीबी में जैसे-तैसे गुजर बसर करनेवाले थे। अरबों का राष्ट्रीय संगठन अरब जमींदारों और अमोरा की भाषनी खीचातानी और होड़ का अखाड़ा था। इसलिए यहूदियों के मुकाबिले न तो उनके पास साधन ही थे न संगठन, और न तो समझदारी। कुल मिलाकर पूरा अरब-क्षेत्र टुकड़ों में बाँटा हुआ, पिछड़ा और मुहलाज था।

फिलिस्तीन में यहूदियों के बसने से जो आर्थिक समृद्धि हुई उसका फायदा अरबों को नहीं मगीव हुआ। यहूदियों ने अपने कारोबार से अरबों को प्रायः अलग रखा। धीरे-धीरे जमीन की कीमतें बढ़ती गयीं, यहूदों जमीन खरीदने गये और अरब धीरे-धीरे भूमिहीन होते गये। जैसे जैसे यहूदी फिलिस्तीन में बसते गये वैसे वैसे अरब बेघरवार और बकार होने चले गये। फिलिस्तीन की जमीन जितनी आबादी के खिलाने पिलाने का बोझ उठा सकती थी उममें वही ज्यादा आबादी बढ़ जाने पर भी बाहर से यहूदियों के आकर बसने पर कोई पाबन्दी नहीं लग सकी। इस प्रक्रिया से धीरे-धीरे अरब लोगों को फिलिस्तीन छोड़कर पाम-पड़ोम के देशों में पारग लेनी पड़ी।

अरब इसराइल-समस्या का निष्पक्ष दृष्टिकोण

● यहूदी जाति की सबसे बड़ी आबादी पश्चिमी यूरोप के देशों (जर्मनी, फ्रांस, स्पेन आदि) में थी। इन्हीं देशों में यहूदियों को सबसे अधिक तिरस्कृत और पीड़ित भी किया गया। न्याय का तकाजा था कि इन देशों से बहिष्कृत यहूदियों को वहाँ के रिमो भू-भाग में बसने की मुविधा दी गयी होती। पर पश्चिमी राष्ट्रों ने ऐसा नहीं होने दिया। बसने मिलकर ब्रिटेन और नयी सालीम]

मयुक्त राष्ट्र मंडल के माफ़त फिलिस्तीन में ही यहूदिया को बसाने और अपना राष्ट्र संगठित करने का अवसर दिलाया। जर्मनी पश्चिमी देशों का विरादरी का है इसलिए अमेरिका और ब्रिटेन ने उस यहूदिया क बसाने की समस्या से दूर रखा। अतः यहू बला निरीह अरबों पर आयी।

● जब तक इसराइल राष्ट्र का गठन नहीं हुआ था तब तक यहूदी फिलिस्तीन में अरबों से जमीन खरीदकर बसते थे। इसराइल बन जाने क बाद यहूदियों ने अपनी सैनिक शक्ति का उपयोग करके धीरे धीरे इसराइल की भौगोलिक सीमा बढ़ानी शुरू की और अधिकृत क्षेत्र के अरबों को दूर दूरों की नागरिकता प्रदान की या उन्हें इलाका छोड़कर शरणार्थियों की तरह दूर दूरों में जाने को मजबूर किया। ऐसे अरब शरणार्थियों की संख्या आज दस लाख से ऊपर पहुँच गया है। न्याय का तकाजा है कि इन अरब शरणार्थियों को इसराइल में लौटकर बसने या अ यत्र रहकर जीवित चलायाने की मुविधाएँ प्राप्त हों।

● अरब इसराइल-समस्या की सबसे कठिन उलझन यह है कि पश्चिमी राष्ट्रों ने फिलिस्तीन में इसराइल की स्थापना कराकर अरब और इसराइल, दोनों के समान निरन्तर अज्ञानि की परिस्थिति पैदा की है। जब तक इसराइल स विस्थापित १० लाख अरब शरणार्थियों के बसाने की कोई पक्की व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक अरब-जनता के असन्तोष की आग नहीं बुझ सकेगी, और न वे इसराइल के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए तैयार हो सकेंगे।

● सन् १९४८ में इसराइल का जो भौगोलिक सीमा थी वही उसकी वैधानिक और न्यायोचित सीमा मानी जा सकती है। सैन्यबल के सहार हस्तगत किये गये क्षेत्र पर कब्जा जमाये रखना और उसे अपना भू-भाग बनाने का प्रयत्न करना इसराइल के भविष्य और स्थिरता के लिए खतरनाक चीज है।

● इसराइल की समस्या का कोई स्थायी समाधान हो जाय यह अरब देशों के लिए भी अत्यन्त आवश्यक है। यदि इसराइल को हमारा इतना बात का भय रहे कि अरब उसके साथ दुश्मनी धाहते हैं तो वह अरब शरणार्थियों को अपने यहाँ वापस बुलाने की कभी तैयार नहीं होगा। अरबों को राजनीतिक स्तर पर इसराइल का अस्तित्व स्वीकार करके अरब-शरणार्थियों की समस्या का शान्तिपूर्ण हल ढूँढना चाहिए। हमें म दोना देसों का हित और स्वस्थ विकास निहित है।

सर्वोदय-पर्व

दत्तोबा दास्ताने
सचालक
सर्व सेवा सघ प्रकाशन

विघ्न करके वर्षों में हम देश में ११ सितम्बर से २ अक्टूबर यानी 'विनोबा-जयन्ती' से 'गांधी-जयन्ती' तक की अवधि सर्वोदय पर्व के रूप में मना रहे हैं। विनोबा जी ने इसे 'शरदारभे शारदोपासना' का पर्व कहा है। अर्थात् इस अवधि में शारदापासना का कार्यक्रम सघनरूप में चलाया जाय, इसका ध्यान में रखकर विभिन्न प्रदेशों और स्थानों पर सर्वोदय पर्व के अनवधि आयोजन किये जाते हैं जिनमें साहित्य प्रचार का काम मुख्य रहता है।

सर्वोदय-पर्व की अवधि में सर्वोदयविचार को जनप्रिय बनाने की दृष्टि से स्थानीय लोगों की रुचि, प्रवृत्ति और परिस्थितियों के अनुरूप कार्यक्रम उठाये जाते हैं। कार्यक्रमों को दिशा का संकेत आगे दिया जा रहा है। आशा है आप अपने महा इम वर्ष उक्त कार्यक्रम सघनरूप से आयोजित करेंगे और सर्वोदय साहित्य का अधिकाधिक प्रचार कर आन्दोलन को बल प्रदान करेंगे।

साहित्य का विक्री पर हम सामान्यतया २५ प्रतिशत कमीशन देने हैं पर इस वर्ष पत्र के दौरान १०० रुपये से अधिक विक्री हुए साहित्य पर १० प्रतिशत विना कमीशन दिया जायगा। (१००) से अधिक का साहित्य मँगाने पर निम्नतम रेलवे स्टेशन तक फ्री डिलीवरी संभवा जायगा। इससे कम के साहित्य पर साहित्य भिजवाने का खर्च हम वहन नहीं करेंगे।

आशा है साहित्य प्रचार के इस अभियान को आपका सक्रिय सहयोग प्राप्त होगा।

सर्वोदय-पर्व के कार्यक्रम

साहित्य प्रचार को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कार्यक्रम सर्वोदय पर्व की अवधि में उठाये जा सकते हैं —

- १ घर-घर जाकर सर्वोदय-साहित्य की विक्री एवं प्रचार करना।
- २ सर्वोदय विचार की पत्र-पत्रिकाओं के ग्राहक बनाना।
- ३ महादेव भार्गव की डायरी का प्रकाशित करना।

उद्देश्य पूर्ति की योजना

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है —

- १ गाँवों में पदयात्राओं का आयोजन ।
 - २ शहरों में टालियों बनाकर घर-घर पहुँचना ।
 - ३ स्कूल और बाजारों में जाकर विशेष तौर से साहित्य विक्री का आयोजन करना ।
 - ४ हर स्कूल एवं गरीब परिवार को महादेव भाई का गपरा के ग्राहक बनाना ।
 - ५ खादी भण्डारों पर साहित्य विक्री का विशेष प्रचार एवं प्रोत्साहन करना ।
 - ६ विशेष प्रसंगात् उत्सवों के निमित्त साहित्य का या विशेष पुस्तकों का विवरण ।
 - ७ रत्ने प्लेटफार्म और बस स्टेशनों पर अस्थायी विक्री का विचार आयोजन ।
 - ८ विभिन्न वर्गों के पाठकों का ध्यान में रखकर यहाँ तैयार का गया वक्ता सत्र के ग्राहक नाट्य करना ।
 - ९ कारखाना एवं औद्योगिक बस्तियों में साहित्य प्रचार का आयोजन करना ।
- इसी प्रकार के साहित्य प्रचार के और तरह-तरीकों का स्थानीय अनुकूलता देखते हुए अपनाया जा सकता है ।

वातावरण का निर्माण

उक्त कार्यक्रमों की सफलता के लिए वातावरण निर्माण करने का दृष्टि से प्रचार की कुछ पद्धतियाँ इस प्रकार हो सकती हैं

- १ शहरों बस्तियों तथा मावजिक स्थानों पर छोटी-बड़ी साहित्य प्रदर्शनीयों का आयोजन ।
- २ विचार गोष्ठियाँ और व्याख्यान मालाओं का आयोजन ।
- ३ स्थान-स्थान पर मुरुचित्रण एवं आकर्षक पोस्टर या साइन बोर्ड लगाना ।
- ४ सर्वोदय-मान्यता का ज्ञानकारा देनेवाला छोटी-छोटी पत्रिकाएँ और सूचीपत्र जनता में वितरित किये जायें ।
- ५ स्थानीय समाचार-पत्रों के सहयोग से सर्वोदय-पत्र और कुछ विविध पुस्तकों का ज्ञानकारा प्रकाशित कराया जाय ।
- ६ आमगणों का आयोजन भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है । ●

सम्पादक मण्डल

श्री धीरेन्द्र मजूमदार : प्रधान सम्पादक

श्री वंशीधर श्रीवास्तव

श्री राममूर्ति

अनुक्रम

शिक्षक और शिक्षा मंत्री	१	आचार्य राममूर्ति
अणुबम बनाना न नैतिक***	४	श्री जयप्रयकाश नारायण
अणुबम और भारत	८	श्री डा० विक्रम सारा भाई
भारत और अणुबम	११	शान्ति सेना मण्डल
शिक्षण विचार	१६	आचार्य विनोबा
बिहार की बुनियादी		
संस्थाओं का पुनर्गठन	१९	श्री तारकेश्वरप्रसाद सिंह
यौन शिक्षण	२१	श्री तलत नीसार अख्तर
तर्कहीन समाज की ब्यूह-रचना	२६	श्री रघुवश
संसद की शिक्षा समिति		
की रिपोर्ट	३५	श्री वृष्णकुमार
अरब-इसराइल समस्या		
की पृष्ठभूमि	४०	श्री रत्नान
सर्वोदय पर्व	४६	श्री दत्तोबा दास्ताने



निवेदन

- नयी तालीम का वर्ष अगस्त से आरम्भ होता है ।
- नयी तालीम प्रति माह १४वीं तारीख को प्रकाशित होती है ।
- नयी तालीम का वार्षिक चन्द्रा छह रुपये है और एक अब के ६० पैसे ।
- पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक संख्या का उल्लेख अवश्य करें ।
- रचनाओं में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है ।

नयी तालीम, अगस्त, '६७

पहले से डाक व्यय दिये बिना भेजने की अनुमति प्राप्त

लाइसेंस न० ४६

रजि सं० एल. १७२३

महादेव भाई की डायरी

(सन् १९१७ से १९४२ तक)

तीस खण्डों में


प्रत्येक खण्ड में ४०० पृष्ठ

हर खण्ड का विक्रम-मूल्य ₹० ८ ००

प्राद्युक्त धनकर विशेष सुविधाओं का लाभ उठायें

• स्थाई ग्राहक बनने के लिए पहले दस रुपये पेशगी जमा करने होंगे। यह रकम अन्तिम खण्ड के बिल में वापस होगी।

- स्थाई ग्राहक को हर खण्ड पर ३० प्रतिशत विशेष कमीशन दिया जायगा।
- खण्ड प्रकाशित होते ही वी० पी० से भेज दिया जायगा।
- पुस्तक भेजने का डाक या रेल-खर्च ग्राहक का होगा।



‘महादेव भाई की डायरी’ गांधीजी की डायरी है। इस डायरी से गांधीजी के दिनचर्या छोटे-छोटे कार्यों से लेकर आन्दोलन की महत्वपूर्ण घटनाओं का पूर्ण परिचय मिलता है। गांधीजी की आत्मकथा १९२० तक की है, उसके बाद की कथा तो इन्हीं डायरियों में है।

सर्वे सेवा सघ प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी-१

श्री श्रीकृष्णदास भट्ट सर्वे सेवा सघ की ओर से सन्देशवाक प्रेस एण्ड पब्लिकेशनस
मानसिंदर, वाराणसी में मुद्रित तथा प्रकाशित।

शिक्षक का दिन अभी नहीं

मेरे एक शिक्षक मित्र थे। व कालेज में बला के शिक्षक थे। उनकी सरकारी नौकरी थी। कुल मिलाकर दो महीने से ऊपर ही मिलता रहा होगा।

एक दिन की बात है, वह गाम को मेरे घर आये। अकसर आते थे, लेकिन उन दिन कुछ उत्तेजित-मे नजर आये। मैंने पूछा 'क्यों, क्या आज कोई खास बात हो गयी है?' वाले 'क्या पूछते हो? मुझे अपसोस है कि तुम शिक्षक हुए।' ऐसी चर्चा चल पड़ेगी, इमका मुझे ख्याल भी नहीं था। मैंने कहा 'मुझे तो कोई दुःख है नहीं, आप ऐसा क्यों सोचते हैं?' चट बोल उठे 'अभी क्या, उस दिन देखोगे कि समाज में तुम्हारी उतनी इज्जत भी नहीं है जितनी पुलिस के एक मामूली दारोगा की। अब तो जमाना ऐसा आ गया है कि मास्टर की स्कूल में भी बादशाहत नहीं रही।' इस पर मैंने फिर कहा 'आपके पढाये हुए कितने ही लड़के दारोगा होंगे, फिर आप शिक्षक का दारोगा से क्यों मुकाबिला करते हैं?' मैं नहीं सोचता था कि इतनी-सी बात पर वह उबल पड़ेगे। क्रोधभरी आवाज में बोले 'तो और क्या, बल्बटर और डिप्टी बल्बटर से मुकाबिला करूँ? वहाँ है दिमाग आपका?'

वर्ष : १६

श्रंक : २

मैं चुप हो गया। चाय आयी। अच्छी बनो थी, दो-दो प्याले पीयी गयी। मिजाज कुछ हल्का हुआ। मैंने चर्चा बदल दी।

मैं उम वक्त चुप तो हो गया, लेकिन मेरा मन किसी तरह नहीं मानता था कि दारोगा की हैसियत किसी अर्थ में शिक्षक की हैसियत से बड़ी है। साथ ही यह बात भी सही है कि ऐसे अनेक शिक्षक मित्र हैं जो दारोगा का रोव-दाव देखकर नाहक अपना दिल जलाया करते हैं।

यह सही है कि हमारा आज का समाज शिक्षक की बद्र नहीं करता। लेकिन किस शिक्षक की? क्या हजार रुपये पानेवाले विश्व-विद्यालय के प्रोफेसर की भी बद्र नहीं करता? उत्तकी करता है, क्योंकि उसके पास ऊँची डिग्री है, ऊँचा पद है, ऊँची तनरवाह है, वह काम कम करता है, मोटर में चढ़कर आता है, और आलीशान विल्डिंग में क्लास लेता है।

क्या यह सही नहीं है कि समाज में बद्र सचमुच शिक्षा की ही नहीं है? जब शिक्षा की बद्र नहीं है तो शिक्षक की क्या होगी? शिक्षा डिग्री दिलाती है, और डिग्री से नौकरी मिलती है, ऐसी बातें स्कूलो-वालेजो में भी दिखाई देती हैं। शिक्षा और नौकरी का नाता तोड़ दिया जाय तो शिक्षा की बलई खुलने में देर नहीं लगेगी।

शिक्षक कहता है 'हम देश की इतनी सेवा करते हैं, लेकिन हमारा पेट भी नहीं भरता।' खेत का मजदूर कहता है 'हमारी मेहनत से अनाज से देश का पेट पलता है, लेकिन हम भूखे मरते हैं।' दम्तकार कहता है 'मेरे हुनर को देखिये और मेरी हालत को देखिये। हमारी हालत तो मजदूर से भी बदतर है।' इसी तरह की बात पुलिस का सिपाही, फौज का जवान, बम का ड्राइवर, रिक्शा खींचनेवाला आदि सभी कहते हैं। ये ही नहीं, अब तो डाक्टर और इंजीनियर भी 'इन्फ्लू' की माँग करने लगे हैं। इसी तरह अगर आप उद्योगपतियों में पूछें तो वे घंटों मुनायोंगे कि शोपनाग की तरह वे देश के उत्पादन का बोझ टो रहे हैं, लेकिन बेचारे समाज और सरकार, दोनों की ओर में ज्यादानी के शिकार बनाये जा रहे हैं। स्त्रियो, बच्चों, हरिजनों, आदिवागियों को तो बात ही जाने दीजिये। उनकी यातना का इतिहास तो पत्ता-पत्तो पर लिखा हुआ है।

जब चारों ओर अभाव और अन्याय का इन बुरी तरह बाजार गर्म है तो कौन कहेगा कि बिमकी पुकार नहीं है और किसकी गलत।

पर जब समाज में सभी अमन्तुष्ट हैं, सभी दुखी हैं, तो मान लेना चाहिए कि समाज का सारा खून खराब हो गया है। और अब उस साफ करने का बात सोचनी चाहिए। लेकिन आश्चर्य तो यह है कि इस हालत में भी समाज परिवर्तन की पुकार नहीं लगायी जा रही है। लगभग यह समझ ही नहीं रहे हैं कि दोष समाज के इस ढांचे का है जिसमें सत्ता और सम्पत्ति ये दोनों भगवान बन बैठे हैं। कुर्मीपिस्मनी और मुनाफा ग्योरी व इस समाज में विद्या धर्म कला साहित्य विज्ञान यज्ञ तब कि स्त्री का शक्ति और मजदूर की मेहनत आदि सब गरीब विक्री की वस्तुओं हो गयी हैं। लेकिन इस मूल मान को न पकड़कर गंगा के मन में दूसरी ही बातें बनी हुई हैं। जाति का जाति से दूर का दल से बाँ का वर्ग से, क्षेत्र का क्षेत्र से भाषा का भाषा में यज्ञ तब कि हर आदमी का हर दूसरे से युद्ध-मा छिडा हुआ है। मजा यह कि नामधारी विद्वाना अधिचारिया और नेताओं ने इस गृह-युद्ध को विज्ञान और लोकतंत्र के मोहक नारे दे रखे हैं और देश की भोगी जनता माया व पर्दे का पकड़कर वास्तविकता को नहीं पहचान पा रही है।

शिक्षक अपने विद्यार्थियों का जानेवाला कल के लिए तैयार करता है। यह काम दूसरा कोई नहीं करता। इसीलिए यह कहने की लाजब होनी है कि शिक्षक परिस्थिति को पहचानेगा और समाज के चालू ढांचे को जड़ से बदलने में जो बुद्धि कर सकता है करेगा। स्त्री, धर्म और शिक्षक अब ये तीन ही शक्तियाँ हैं जिनकी त्रिवेणी दंग का बचाव बनती है। सेठ, धामक और नेता को देश देग चुना। उनकी घाली का जूठन मागने से न हमारी इज्जत बहेगी न पैर भरगा।

५ मिनट हो या और कोई शिक्षक का दिन अभी नहीं जाया है। उसका दिन तब आयगा जब शिक्षा सठ और सरकार के हुकूम का आसरा छोड़कर श्रम और समाज के साथ जुड़ी।

उपस्थित किये हुए है वह स रात्रि में सुरागर हागा विद्वानि का स्थान प्रतीति
 वेगा और अन्ततोगवा प्रकृति मस्त्रुति में परिष्कावित हागा । मानक देवत्व को
 प्राप्त हागा और आज
 को इतिया का नका
 वदनेगा । इन मारा
 प्रक्रियाया म नाक
 चिन्तन की स्थिति
 अनिवाय है और
 मानचिन्तन आधारित
 होगा नार शिक्षण
 पर । विनावा का
 गिना नपना "सी
 व्यापन लोक गिना
 की गिना म गति
 नील है ।



लोक शिक्षण
 जनता का काम

इस स्थान पर एक क्षण तक बनियादा गिना के इतिहास के २२ वष
 पुराने पृष्ठी का उलटकर यदि हम एक दृष्टि के वा पायने कि अपने गेग का
 स्थिति को ध्यान म रखकर गाधीजी ने राष्ट्रीय गिना-याजना का लक्ष्य प्राप्त
 रखा था जिसके फलस्वरूप बनियानी राष्ट्रीय गिना का प्रयोग सन १९२० मे
 १९४४ तक किया गया । प्रयोग के फलस्वरूप भारत-सरकार तथा राज्य-सरकार
 ने उच्च राष्ट्रीय गिना-यद्धति का अपनाया लखित वापू का जो गिना की कल्पना
 थी उसमे तत्र-द्वारा चनायी हुई गिना-यद्धति कुछ दूर हट रना थी । वह
 "मृतिग कि परम्परित गिना प्रणापी का लक्ष्य तत्र के भारत चलाया गया तथा
 लखित बनियानी राष्ट्रीय गिना भा नारनाय नारचिन्तन धारा को प्रभावित नना
 कर सका । इसीलिए विनावाजा ने वापू का नैतिक कल्पना का स्वीकार करने के
 लिए अपने अनुभव विचार देगे व सामने रखे अन्तम उनका मौनिकता के लक्ष्य
 दात हात है । और उनके विचारों के आधार का ही यत् फल है कि पूर्ववर्तित
 उनके वापूजमा ने गिना के लोक म लोक चिन्तन का नया गिना दा ।
 विनोवा का तो यहाँ तक कहना है कि लोक चिन्तन का आधारगिना तक

शिक्षण तंत्र का काम नहीं हाना चाहिए। यह तो जनता का काम हाना चाहिए।

इस प्रकार हम देखते हैं कि आज दुनिया के सामने जितनी भी समस्याएँ हैं उनमें प्रायः सभी विषयों पर विनोबाजी ताजे, मौनिक और तबपूण विचार प्रस्तुत करते हैं। हम तो लगता है जम उनकी वाणी क रूप में लोक शिक्षा की गंगा बह गिवाती हूँ, तभी तो गृष्टि और संस्कृति का कण-कण उनसे दशन का आधार बन शिक्षा का पावन और उदार स्वरूप प्रस्तुत करता दीखता है। सच ही कहा गया है कि वे तो एक चतुर्विध विश्वविद्यालय की तरह हैं—ऐसा विश्वविद्यालय नहीं जो नगर में अलग रहकर काम करता है, बल्कि ऐसा विश्वविद्यालय जिसका जन जीवन के साथ निकट-सम्पर्क है।

वस्तुतः विनोबाजी जन्मजात शिक्षक हैं—एक महान् चिन्तक हैं विचारक हैं। उन्होंने कहा है, 'मेरा सारा जीवन शिक्षण काय में बाता है और बात रहा है। अगर मुझमें कुछ जाय कि आपका कौन सा धंधा है, तो मैं यहाँ बहूँगा कि मेरा धंधा शिक्षक का है। तरह-सात तक पदयात्रा करती। उसमें अगर मैंने कोई काम किया तो शिक्षक और विद्यार्थी का ही। जो शिक्षक होता है वही विद्यार्थी भी होता है। इसलिए शिक्षक और विद्यार्थी, दोनों एक ही हैं। और इस सत्य में हम परिचित तो हैं ही कि वे महान् दार्शनिक और शिक्षाशास्त्री रहे हैं। इस पृष्ठभूमि पर विनोबाजी में दाना स्वरूप उद्भासित होते हैं। एक ओर वे महान् दार्शनिक हैं तो दूसरी ओर महान् शिक्षा-शास्त्री भी। शिक्षा-क्षेत्र में उनकी देन अपूर्व है मौनिक है। उनके शिक्षा गान का रूप प्राजस है जीवन्त है।

पूरी आशा है कि यदि विनोबा के शैक्षिक विचारों पर गहराई से विचार कर उनसे सबेना के अनुसार शिक्षण पद्धति का व्यवस्थित करने का प्रयास किया जाय तो एक सत्र में लोकतंत्र एक सत्र में लोक चिन्तन की बुनियाद पर लडा हा सपना है जहाँ लोक-शिक्षण का बुनियाद पर आधारित नया लोक चिन्तन द्वारा नये मानव के निर्माण के लिए कटिबद्ध होगी।

शिक्षक और शिक्षा विनोबा

प्राचीनकाल में आज तक वह जो हिन्दुस्तान बना वह शिक्षकों ने ही बनाया है। उस प्राचीन जमाने में आज बिल्कुल अर्वाचीन काल तक हिन्दुस्तान में आचार्यों की परम्परा चली और उन्होंने समाज को तैयार किया और अपनी ओर से उसे विद्यादान दिया। अपने यहाँ रामानुज हो गये। उनके शिष्य रामानन्द, और उनके दो शिष्य हुए—कबीर और तुलसीदास। रामानन्द सारे भारत में घूमे। घूम-घूमकर कदमीर में कन्याकुमारी तक विचारों का प्रचार किया और उन विचारों के अनुसार सारा समाज बदलता गया। यह सारा आचार्यों ने किया है। उन आचार्यों ने समाज का जो परिवर्तन किया, उस पर राज्यसत्ता का कोई असर नहीं था। राज्यसत्ता आयी और गयी, लेकिन भारत का समाज, जो आचार्यों ने बनाया, वह उन्हीं परम्पराओं के अनुसार आज तक चला आ रहा है।

शिक्षक शान्तिमय क्रान्ति के अप्रदूत

मैं कहना यह चाहता था कि आपलोग शिक्षक हैं तो यह ध्यान में रखें कि आपका काम शिक्षा-द्वारा सारे समाज की रचना बदल देना है। अगर आपने यह मान लिया हो कि आज की समाज-रचना में परिवर्तन बिना किसी तरह हमें कुछ करना है—थोड़ा चरखा बगैरह चलाना है या और कुछ काम करना है—तो लोग आपको देवकूट कहेंगे। लोग कहेंगे कि 'भाई हमारे विद्यार्थियों को नौकरी करनी पड़नी है। वहाँ तकली, चरखा आदि के ज्ञान की प्रतिष्ठा नहीं हाती। आप उनको कोल्हू चलाना सिखायेंगे तो नौकरी करने में उनसे कोल्हू चलाने का कोई मूल्य नहीं है। वहाँ तो ज्ञान का सवाल है। अंग्रेजी अच्छी जाननी चाहिए, हिन्दी जाननी चाहिए, और इतिहास, भूगोल बगैरह भी जानना चाहिए। उस ज्ञान में जो आठ-आठ घण्टे समय देगा वह भागे बड़ेगा, या चार-चार घण्टे कनाई-धुनाई-बुनाई कर बाकी समय पढ़नेवाला ?'

अगर आपका उसी माग पर जाना है, अपने लड़का मे नीकरी ही नाना करवानी है ता माह्व वच्चा को उद्योग क्या सिपात है ? क्या उनका समय बगवाद करत है ?

इसलिए आपका यह भलीभांति समझना चाहिए कि हम एक नयी समाज-रचना करने में लगे हैं। हम आज की समाज रचना का बिनकुल बदलाव चाहते हैं। हम शान्तिमय क्रांति का अग्रदूत हैं।

शिक्षण का गुण

पुराना पूजा में जो व्यापार करता है उसका व्यापार आगे नहीं बढ़ता। जा नयी-नयी पूजा हासिल करना है, उसका व्यापार आगे बढ़ता है। जैसे ही शिक्षण का काम है कि नित्य नया ज्ञान वह प्राप्त करे। मैं जानता नहीं कि आपका सतत अध्ययनशील होंगे कि नहीं। मुझे शिक्षण का बहुत परिचय है, अक्सर ये लोग दा चार रिनावे, जा होती है उनके अन्दर ही अपने को कैदा बनाना है। दुनिया भर में ज्ञान के, जो अनेक विषय है उन विषयों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते।

आर, उन धेचारा के पीछे सामाजिक मुस्किर्णों भी होती है, घर में मसार पडा है बाहर सिखाना है, तनस्वाह भी काम है। कुल मिलाकर उह चिन्तन करने का समय मिलता नहीं, सदैव चिन्ता करते रहते है।

शिक्षण को नित्य अध्ययनशील और चिन्तनशील रहना चाहिए। अगर इतना आप याद रखेंगे ता ज्ञान आपका सतत बढ़ेगा, चित्त में समाधान होगा। विद्या आपके कण्ठ में हानी चाहिए। इन दिनों कण्ठ में विद्या नहीं होती, पुस्तक खानते है और उसमें से विद्या निवाहते है। 'पुस्तकम्या तु या विद्या परहस्तगत धनम्'। बोले—आपको विद्या तो बहुत है न ? जी हाँ, मैं बहुत विद्या सीखा हूँ। कुछ कहो, तो पुस्तक खोना पडगा। 'पुस्तकम्या तु या विद्या'— जो विद्या पुस्तक में पडी है, और 'परहस्तगत धनम्'—आप बडे धनी है न ? बोले—हा है। पैसा ? वह दूसरे के हाथ में है। अब तुम धनी हो और तुम्हारा पैसा दूसरे के हाथ में है। क्या काम आयगा ? परहस्तगत धनम्। कायकाले समलान्ते न सा विद्या न तद धनम्—काम का मौका आया तो वह विद्या काम में नहीं आयगी न वह धन काम में आयगा। कौन-सा धन ? अपना धन जो दूसरे के हाथ में है और अपनी विद्या जो पुस्तकों में है। जा कण्ठगत है, वही अपनी विद्या है जा पुस्तक में है वह अपनी विद्या नहीं। ●

(१५६६ तथा १३५६६ के प्रथम म)

लोकतंत्र में शिक्षक की जिम्मेदारी

प्रश्न है, आज के जमाने में शिक्षक का क्या काम चाहिए ? किसी भी देश का शिक्षक, उस देश के नागरिक का तैयार करना है। इसलिए उस देश दुनिया की परिस्थितियाँ और समस्याओं के प्रति, जागरूक रहना पड़ना है—वर्तमान समस्याओं के प्रति और साथ ही भविष्य की समस्याओं के प्रति भी। प्राचीन समय में कान-गुप्प को गति धीमी होती थी। आज के युग में विज्ञान के कारण परिस्थिति बहुत तीव्र बदल जाती है। वर्तमान समस्याओं के मुद्दों में ही यदि शिक्षा को चलाया जाय तो उस शिक्षा में शिक्षित व्यक्ति, आगे चलकर परिवर्तित परिस्थितियाँ और जीवन-मघपों में असफल होगा। अतः काल किस दिशा में चल रहा है ? चलत चलत वहाँ पहुँचेगा ? २० साल बाद बच्चे के सामने की परिस्थितियाँ क्या होंगी ? यह सब शिक्षक को साधना पड़ेगा।

प्राचीनकाल में जब राजतंत्र था, तब समाज अधिक लोकतांत्रिक रूप पर चलता था, अनिश्चित आज के जब राजनीतिक लोकतंत्र का अधिष्ठान है। इसका कारण यह है कि उन दिनों का लोक 'तंत्र' आधारित नहीं था, 'मंत्र' आधारित था। मंत्र-दाना शुरू शिक्षक-समुदाय ही होता है। इस प्रकार उन दिनों लोक नाथक राज-गुप्प नहीं हान थे, शिक्षक हान थे, जो समाज का स्वतंत्र चिन्तन का माग-दर्शन करने थे।

प्रचलित राजनीतिक लोकतंत्र की जो पद्धति चल रही है, उसमें मूलभूत विमर्श है। लोकतंत्र में जनमत मुख्य तत्त्व है। जन प्रतिनिधि का स्वधर्म है, कि वह लोकमत के पीछे चले। लोकमत सामान्य रूप में रुढ़िवादी होता है। काल प्रवाह के साथ कदम मिलाकर लोकमत बने, इसके मार्गदर्शन के लिए जननायक की आवश्यकता होती है। स्वभावतः जननायक जनमत में आगे चलनेवाला होगा। आज की विसंगति यह है कि जनमत के पीछे चलनेवाला प्रतिनिधि ही जनमत को आगे ले जानेवाले नाथक के रूप में मान्य है। एक ही व्यक्ति का आप लोकमत के आगे और पीछे दोनों स्थानों पर अधिष्ठित नहीं कर सकते। इसी विमर्श के कारण आज लोकतंत्र पराजित है। राजनीतिक

राजतंत्र तभी संपन्न हो सकता है, जब समाज में पीछे चलनेवाले तारु-
प्रतिनिधि में निम्न आगे चलनेवाले जीवनायता का अधिष्ठा होगा। जनतापन
का यह स्थान स्वाभाविक रूप में निम्न का है।

शिक्षकों पर लोकतंत्र की प्रथम चुनौती

राजतंत्र ने मनुष्य की आकांक्षा में आसन्न परिवर्तन कर दिया है। राजतंत्र
में राजा का प्रथम पुत्र ही राजा हो सकता था। दूसरे किसी के लिए राजा
हाने की सम्भावना नहीं थी। राजतंत्र में हर एक आदमी राजा यानी राजदण्ड-
धारि हो सकता है। इस सम्भावना के कारण प्रत्येक आदमी के मन में उस
यास्यता का हासित करने की आकांक्षा पैदा होती है। इस प्रकार राजतंत्र में
प्रत्येक मनुष्य की आकांक्षा उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने की हो जाती है। राजतंत्र
की आवश्यकता भी ऐसी ही है। बालिग मताधिकार के कारण हर एक बालिग
स्त्री पुरुष के लिए अनिवार्य है कि वह प्रत्येक चुनाव पाठशाळा का अध्यक्ष तथा
विद्वेषण कर यह निर्णय कर सके कि कौन-सी नीति मुक्त के लिए श्रेष्ठ है।
इस तरह लोकतंत्र की आवश्यकता भी प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए काफी दूर तक
उच्चशिक्षा की है इतना ही नहीं, बल्कि हर एक स्त्री-पुरुष को प्रधानमंत्री बनने की
सम्भावना के कारण मुक्त का प्रत्येक बच्चा और बच्ची जन्मजात सुवराज है।
राजतंत्र में जिस प्रकार सुवराज के लिए उच्चतम शिक्षा की आवश्यकता होती
थी उसी प्रकार राजतंत्र में प्रत्येक शिशु के लिए जन्म में ही उच्चतम शिक्षा
आयोजन करना जरूरी है। शिक्षा और शिक्षक पर राजतंत्र की यह दूसरी
चुनौती है।

लोकतंत्र के उपासकों का कहना है कि हमारी सभ्यता स्वभाव-शक्ति में
सम्पत्ति-पद्धति पर पहुँचने की है। निःसन्देह दबाकर किसी का मजबूर किया
जा सकता है, लेकिन किसी की सम्पत्ति नहीं ली जा सकती। सम्पत्ति लाने
की प्रक्रिया तो शिक्षण प्रक्रिया यानी सांस्कृतिक प्रक्रिया ही हो सकती है।
अर्थात् वतमान महासंकट में मुक्ति के लिए तथा सम्पत्ति का विकास के अगले
बदम के लिए इस युग की अनिवार्य आवश्यकता यह है कि हम जन्दी-जन्दी
दण्डशक्ति के विरुद्ध में सांस्कृतिक शक्ति को समाज की गतिशक्ति (डायनेमिक्स)
के रूप में अधिष्ठा कर सकें। यहाँ कारण है कि मैं अक्सर कहता हूँ कि इस युग
में परिवर्तन, विकास और संरक्षण की सामाजिक शक्ति राजनीति नहीं, अधिष्ठा
नहीं, एकमात्र शिक्षा-नीति ही है, जिसके बाह्य शिक्षक है।

अतएव शिक्षक समुदाय को सोचना होगा कि आज की शिक्षण-व्यवस्था
तथा पद्धति की क्या रूपरेखा होगी ? ●

‘दुनिया के शिक्षको एक हो जाओ’

बोगदां मुचोदोन्वी (पाण्ड)

दुनिया युद्ध न मुक्ति पाने व लिए बेचैन है। युद्ध-मुक्ति व लिए राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर जा प्रयाम हो रहे हैं, उनम युद्ध की ममस्या का अन्त नही हो मरा है।

युद्ध की गमस्या का निदान ढूंढने-ढूंढने दुनिया के विचारणीय व्यक्ति शिक्षा-प्रणाली तब पहुँच गये हैं। प्रस्तुत लक्ष की पृष्ठभूमि भले ही विदेशी प्रतीत हो लेकिन मन्दर्भ मावंभौम है। ५०

आज विश्व व ज्ञानि आन्दोलन का दुहरा स्वरूप है एक, दम की आन्तरिक ज्ञानि बनी रह, दम का स्थान मान आर हव सुरक्षित रह दूसरा, दम-देश के बीच मैत्री आर सहयोग का आधार निर्मित हो। इसलिये ज्ञानि के लिए शिक्षण देने का अर्थ है राष्ट्र राष्ट्र व बीच सहयोग, मैत्री और सहिष्णुता का शिक्षण देना, साथ ही अपने दम के प्रति आत्मोपमा और प्रेम जगाना। इसका अर्थ यह नहीं कि ‘अपनेपन व आत्म’ म दूसर राष्ट्रों की उपमा करन लगे। इसलिए प्रयत्न यह होना चाहिए कि लागत म दम-प्रेम ता जम्न हइ हो, लेकिन वह विश्व के अनुबन्ध म हो।

दुनिया म अनेक राष्ट्र है जहाँ शिक्षा ने आज तक राष्ट्र राष्ट्र के बीच ग्राह्य बढ़ाने और एक-दूसर का अधिकाधिक समझन की शक्ति बढ़ाने का प्रयाम किया है। इनका यह काम मानवतावादी और मानवताप्रेमी समाज म बहुत इनामनीय रहा है। इनके प्रयत्न से मनुष्य का मनुष्य व नाने महत्त्व देने का विचार पट हुआ है, जाति, रंग, धर्म, देश आदि भेदा का भुनावर महज मनुष्य के रूप म विचार करने की परम्परा का बत मिता है। धारा आर दम दिशा म प्रयत्न हुए। कई अन्तरराष्ट्रीय संगठन बने, गस्पारों लड़ी हुई, विचारों का आदान प्रदान हुआ, स्कूल-वाजेजा म ज्ञानि-आन्दोलन और ज्ञानि की विभिन्न प्रवृत्तिया का शिक्षण दिया जाने लगा, ज्ञानि विचार का काफी प्रचार

हुआ और बहुत हद तक मैनिङ्ग-भत्ता का जागू घटा और मैनिङ्गवाही का हाथ हुआ। इन सब प्रयत्नों व वावजूद हम देख रहे हैं कि युद्ध स्वल्प नहीं हो रहा है। दुनिया व शिपका का बल अधूरा ही पड़ा है। मत्त विन्वयुद्ध न और हाज की घटनाओं न भी मिट्ट बर दिया है कि शान्ति व अरब तर के म आर प्रयास निम्नने अपर्याप्त है।

इसलिए शका हानी है कि परस्पर मैत्री और परिचय मात्र में, क्या वास्तव में शान्ति स्थापित हो सकती है? शान्ति की शिक्षा का जा मिलसिता आज तक चला आया है क्या वह हमारा उद्देश्य पूरा करने के लिए पर्याप्त है? क्या भरागा कि हम यही सब करते रहें, और उधर विद्वयुद्ध न छिड़ जाय?

विश्व की तीन धाराएँ

आज विश्व में तीन धाराएँ देखने का मिलती है

एक—बड़े राष्ट्रों ने अपने अन्दर लोगों का स्वल्प कर दिया है। निजी मारिक्की, शापण आदि पर आधारित समाज-व्यवस्था का बदल दिया है। व्यक्तिगत मारिक्की की जगह समूह का मारिक्की चालू की है। शापण और शापिना का बना रहना जहा अन्विवाय माना जाता था, उसकी जगह प्रत्येक नागरिक की हैसियत और जिम्मेदारी में ममानता ला दी है।

दूसरी—विज्ञान में और तकनीक में अद्भुत प्रगति हो गयी है। इसके कारण मनुष्य के हाथ में महान्तम शक्ति आ गयी है। यत्र न, मनुष्य की कम से कम सहायता से, इतने सारे काम हाने लगे हैं कि यह मिलसिता (आटो मेशिन) किस हद तक जा पहुँचगा कहा नहीं जा सकता। इन सबके लिए अधिक कुशल मागा की अधिक मात्रा में जरूरत पड़ रही है। इसने परिणाम स्वरूप बौद्धिक धर्म और शरीर-धर्म व बीच का भेद मिटता जा रहा है, क्योंकि शरीर-धर्म की जरूरत ही कम हानी जा रही है।

तीसरी—एशिया और अफ्रीका के अनेक राष्ट्र स्वतंत्र हात जा रहे हैं। सदिया में विदेशी सल्लतत वहाँ रही है, यूरोप की सम्पत्ता ही वहाँ का आदर्श रही है। अब उन राष्ट्रों में स्वाभिमान जगा है, स्वतंत्रता की भावना पैदा हुई है और उनकी अपनी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति बन रही है।

इन तीन धाराओं के कारण राष्ट्रीयता और विश्वमैत्री की भावना व शिक्षण को एक नया सामाजिक और ऐतिहासिक आधार मिला है।

राष्ट्रप्रेम का आज इतना हो-अर्थ नहीं रह गया कि हम अपने देश की आसक्ति रखें और उसकी मत्ता करें, बल्कि हममें समाजवादी लाकतण का ज्ञान और मान विकसित हाना चाहिए जिसमें समाजहित के लिए प्रत्येक व्यक्ति व सितम्बर, '६७] [६०

यागदान का महत्त्व है। अन्तर्राष्ट्रीयता का इतना ही ध्येय नहीं रह गया है कि छोटे छोटे राष्ट्र अपने छोटे-मोटे स्वार्थों की मिट्टि के लिए एक हो जायें, बल्कि उसका अर्थ आज यह है कि मारे राष्ट्र मिलकर विश्व राजनीति का नया माड दें, जो विभ्रहित म महामय है, परम्परावगम्बत म मददगार है और कुल मितारर मारा विभव सम्पन्न और समृद्ध है।

शिक्षण म युगीन समस्याओं का समावेश आवश्यक

हमार शिक्षण म इन भावनाओं और वृत्तियों का पोषण और बधन न जाना है तो बेबन शालि का पाठ पढाने में, हम एक कदम भी आगे बढ़ सकते, ऐसा हम नहीं लगता। शिक्षण में समय का समन्वय और परिस्थितिया का आकलन जाना ही चाहिए।

हम नया मानव निर्माण करना है। उसमें सामाजिक न्याय समता, समाजहित म पूण योगदान, सामूहिक उत्तरदायित्व और सहिष्णुता के गुण विकसित करने हैं।

नये मानव म दूसरी यज्ञ कुशलता बढ़ता चाहिए कि वह विज्ञान की माँग के अनुस्य दक्ष और कायसम है। अकृतगत श्रम का युग खतम होता जा रहा है। दूसरी ओर स्वचालित यंत्रों के कारण मनुस्य का काम ज्या-ज्या घटता जाता है, त्या-त्या उसकी फुरसत के उपयोग का भी एक समस्या खड़ी हानी जानी है। हमारे शिक्षण में इसका भी समाधान जाना चाहिए।

सोसरी बाल, राष्ट्र राष्ट्र क परम्परावगम्बत की जा स्थिति बननी जा रहा है, इसके अनुकूल मस्तिष्क, विद्या, कला, पान आदि सब क्षेत्रों म आदान प्रदान भी बढ़ना चाहिए जिसमें आज की सांस्कृतिक और सामाजिक समस्याओं का भी हल निकले।

ये सभी विषय शिक्षण के ही अंग हैं। यह भी सहा है कि हम अपनी परिस्थिति, अनुसूनता और क्षमता के अनुसार किसी-न किसी एक ही विषय पर जोर देना सम्भव हो पाता है, सब पढ़तुआ पर समान रूप म जोर देना नशिन है। फिर भी इतना ध्यान रखकर चलना चाहिए कि ये सभी विषय एक दूसरे म जुड़े हुए हैं, किसी एक की भा उपेक्षा करने म काम नहीं चनेता। दृष्टि समग्र है, तभी हेतु मिट्ट हो सकता है।

नयी पीढ़ी को भावी युग के योग्य बनाना हमारा प्रमुख न्य है, लेकिन श्रम वनमान जगन् की विविधताओं का भी न्यान रखना होगा।

हर राष्ट्र की अपनी विशेषता है। वह राष्ट्र समाजवाद पद्धति अपना रहे है, कुछ राष्ट्र म वर्ग-पद्धति वाली पूँजीवाद कल्प है। चन्द राष्ट्र अभी अभी

निराधार भय का परित्याग

नेकिन यह गारा भय निराधार है। सामयिक समस्याएँ इतनी कठिन नहीं हैं जितने निराकार गणित या भूगोल आदि के सिद्धान्त हैं। अनुभव हम बना रहा है कि तबसे ऐसा समस्याओं पर चर्चा करने में न कवन रूचि हा लेता है बल्कि काफी गहराई में समझ भा सकता है। अपने छात्रों का हम नहीं अयोग्य समझ बैठे हैं। यह हमारा ही दोष है। एक ओर हम उन्हें तन्मय वृत्ति में सोचना और समझना सिखाते हैं व दूसरी ओर उनमें भयभाव वर द्वेष और भ्रामक बुद्धि ही पैदा करते हैं।

कई देगा ने मैं करके देखा है कि युवका में जा उत्पन्न और विध्वंसक वृत्ति अतिवृद्धि बढ़ रही है उसका कारण यहाँ हमारा गिना है जो विद्वेष बनाती है साहाय को पनपने नहीं दे रही है।

जब हम सामयिक समस्याओं की चर्चा भा उनमें नहीं करते हैं तो कैसे उनमें अपना करें कि वे बड़े होकर दुनिया का समझा का समझने या उन्हें हल करेंगे? समझा 'याय और भाईचारा आदि वृत्ति उनमें पनपेगी कैसे?

इसलिए हम समझ लेना चाहिए कि जावन के मूल और मानवता के सिद्धान्तों का केवल तारा ही बने रहने नहीं देना चाहिए प्रयोग जीवन में विचार में गिनण में और व्यवहार में भरसक उतारना चाहिए। यह नहीं जाना है तो अच्छे सिद्धान्तों को अट्टेहनना होने लगता है और बच्चा के मन में यह दृष्टि हा जाता है कि कहने का कुछ भी कह कहने में और करने में फरक भी रहा तो कोई हर्ज नहीं।

इसलिए गिनका का वतन्त्र है कि वे छात्रों को समझ समझाया का तन्मय विचार करना सिखायें और गलत और भ्रान्त धारणाओं को पनपने न दें।

जि तब वतमान भयकर दु स्थिति का कारण ठीक में समझें उसका हल करने में अपने रों को भा समझ लें ता फिर यह प्रश्न बहुत महत्व नहीं रहेगा कि क्या हमारे गिनक इतना बड़ा समस्या के निवारण-योग्य क्षमता रखते हैं। जिन-जिन गिनता में इतना भी माइदा है कि मानवता का मन्नेजर रखकर अपनी सुविधा से किसी भा पट्टू का लेकर बच्चा में उन जावनमूल्यों का प्रवेश करा करें। वे आज कमर कम लें ता ससार का भविष्य उज्ज्वल हागा और यहाँ महा माने में गान्धि के लिए गिनण हागा। ●

—मूल अंग्रेजा से

की-सी भक्ति के साथ काम करना होगा। शिक्षिका को फून-मे सुकुमार बालक के साथ काम करना होता है। इस उमर में बालक जिन सस्कारों का ग्रहण करेगा, उसे जैसी आदतें पड़ेंगी, उसके जीवन में जो गाँठें बँधनी या छूटेंगी, उन पर ही इस बालक का आधार रहेगा कि उसका समूचा जीवन वैसा बनेगा।

आत्मसम्मान और वैज्ञानिकता

प्रायः हम शिक्षक अपने-अपने 'ग्रह' का भूल ही नहीं पाते। हमारी आत्मा के सामने हमारा अपना मान-सम्मान हमारी अपनी प्रतिष्ठा, हमारा पद-अधिकार और हमारा वेतन वस ये ही चीजें खड़ी रहती हैं। किसी बड़े महाविद्यालय के अध्यापक का काम हम अधिक प्रतिष्ठावाला प्रतीत होता है। इसलिए बाल-शिक्षक के नाम काम करते समय हम बालक के साथ बालक-बनकर नाचने-खेनने में, उसकी नाक या मुँह धाने में उसका बाल मँबारने में, उस खाना-पीना नहाना धाना, भाड़ना-बुढ़ारना आदि छोटो-छोटो काम मिथाने में और इन सार कामों का उनके साथ घुल मिलकर करने में एक प्रकार की हानता का अनुभव होता है। ऐसी दशा में हमारे काम में वह सूझना और वह भक्ति कैसा प्रकट हो सकती है जिसकी अपेक्षा डाक्टर मोष्टीसारी हमसे रखती है ?

मैडम मोष्टीसारी तो कहती हैं कि आप अपने काम का एक महान् वैज्ञानिक कामना काम माना और उसी ढंग में करा। वैज्ञानिक का व्यवहार कैसा होता है ? विद्वानों की सभासभा या सम्मेलनों में भजे वह विद्वानों की-सी वक्तव्या में ऊँचे आसन पर बैठता है, अथवा किसी राज्य का शिक्षा मंत्री ही क्या न हो, तथापि जब वह अपने ऊँचे आसन में नीचे उतरकर अपनी प्रयोगशाला में पहुँचना है, तो टाट-ब्राय्वाणी अपना पासाक उतार देता है, घुटना तक की चूड़ी और बुग्ना पहन लेता है, बाँहूँ घडा लेता है और एक मामूली कारीगर की तरह काम करने लग जाता है। अपने काम के मिलमिले में उसे बलगम या मैने का जाँच करनी पडे या मुरदे की चीर जाड करनी पडे या हथोडे और छेनी की मदद में लाह या लकड़ी का काई नया साधन बनाना पडे, तो इन सब कामों में वह अपने को प्रयत्नपूर्वक लगा देगा। उसने मन में यह विचार कभी उठता ही नहीं कि इतना बड़ा विद्वान् होकर मैं ऐसा हलका काम क्या करूँ ? वह जानता है कि उसका मुक्का काम यही है और जो भी विद्या उसे प्राप्त हुई है और जो भी मान-प्रतिष्ठा उसे मिली है, सो सब इसीलिए मिली है कि इस तरह के छोटे-छोटे काम वह वर्षों तक करता रहा है। यदि ऐसा काद-आन्त्या बाल-शिक्षक का काम कर, तो वह उतनी ही सूझना न और उतनी ही

दिलचस्पी के साथ बालको की नाक भी पाँछेगा, उनके साथ नावे-गायेगा, उनके लिए शिक्षण-साहित्य की रचना करेगा और उनकी शोध-खोज में लगा रहेगा ।

मौण्टीसोरी के मन में बाल-शिक्षिका की ऐसी कल्पना थी और इस तरह उन्होंने स्वयं अपने 'कासा-डी-बन्धनी' में काम भी किया था । उन्हें सारे संसार से जो प्रतिष्ठा और महत्ता प्राप्त हुई, वह इसी काम के कारण हुई । आदा है, उनके इन विचारों और व्यवहारों से सभी बाल-शिक्षिकाओं की प्रेरणा मिलेगी, उनका संकोच दूर होगा, उनमें बालक के साथ बालक बनने की और बाल-शिक्षा के क्षेत्र में नित-नयी खोजें करने रहने की रूचि और दिलचस्पी पैदा होगी ।

शिक्षक-दिवस

अपने जन्मदिवस के उपलक्ष में आयोजित एक समारोह में सर्वपल्ली डा० राधाकृष्णन् ने कहा—“दुनिया के और लोगों की तरह ही हमारे देश के लाल भी बालाक ही ज्यादा बन रहे हैं, समझदार नहीं । हमें अपना घमण्ड खत्म करके उदार और विनम्र बनना चाहिए ।

“हमें अहमम्न्यता और अत्यधिक आलोचना की प्रवृत्ति नहीं अपनानी चाहिए तथा प्रत्येक अवसर का अपने देश के उत्थान के लिए उपयोग करना चाहिए । हर चीज मनुष्य के विनय आदि गुणों पर निर्भर करती है और ये गुण प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ साधन विद्या है । विद्यादान हमारे शिक्षकों पर निर्भर करता है । अतः उनके प्रति आदर और सम्मान का भाव अपनाना बहुत जरूरी है ।

“हम भक्तर कहते रहते हैं कि किसी व्यक्ति का दर्जा उसकी तनस्वाह पर निर्भर नहीं करता, मगर यथायं यह है कि दर्जा तनस्वाह पर निर्भर करता है और जहाँ तक शिक्षकों का सम्बन्ध है, इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए कि उनके सामने अपना कर्तव्य निभाने में भौतिक बाधाएँ न आने पायें ।”

शिक्षा-आयोग : अध्यापक और वेतनमान

सुरेश भटनागर

शिक्षा के आयोगों की परम्परा में वर्तमान शिक्षा-आयोग का प्रतिवेदन समग्र दृष्टि में बेजोड़ है। स्वाधीनता प्राप्ति के पदचाल मुख्यरूप में गद्यावृत्तानु-कमीशन और मुदालियर-कमीशन के शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया है। परन्तु अध्यापकों के कल्याण के लिए समग्र रूप में चिन्तन करने वाली मन्तुनियत-द्वारा विकास एवं स्तर का निर्माण करने के सत्प्रयत्न का ध्येय कोटागी-कमीशन को है। कमीशन ने सभी स्तर के अध्यापकों के लिए नये वेतनमान दिये जाने की मन्तुनि की है। ये वेतनमान इस प्रकार हैं—

क्रम ।	अध्यापक का स्तर	वेतनमान
(१)	दो वर्षों का प्रशिक्षण-प्राप्त प्राइमरी अध्यापक	१५०-२५०
(२)	मेलेकशन ग्रेड (प्राइमरी स्तर के अध्यापक के लिए) इसमें केवल १२ प्रतिशत अभ्यर्थियों पर विचार किया जायगा (अप्रशिक्षित प्राइमरी अध्यापकों को १०० रु० मासिक मिलेगा। प्रशिक्षित होने पर उसका वेतनमान बढ़ान दिया जायगा।)	२५०-३००
(३)	प्रशिक्षित प्रेजुएंट अध्यापक	२२०-४००
(४)	मेलेकशन ग्रेड १५ प्रतिशत के लिए	४००-५००
(५)	अप्रशिक्षित प्रेजुएंट (प्रशिक्षण-प्राप्त करने तक)	२०० वेतन
(६)	मेलेकडरी स्तरों में पढ़ानेवाले पोस्ट-प्रेजुएंट अध्यापक, (ट्रेण्ड होने पर एक इन्जीमेण्ट और मिलेगा)	३००-६००
(७)	मेलेकडरी स्तरों के प्रधानाध्यापकों का वेतन-मान (१)	३००-६००
	स्तरों के आधार पर निर्भर होगा, इसमें दो (२)	४००-३०-६००
	सेट है	४०-६००

(८) बालका के अध्यापन

(१) जूनियर	(१) ३०० २५-६००
(२) सीनियर	(२) ४००-३०-६६०-६०-८००
(३) सीनियर लक्चरर या रीडर	(३) ६००-४० ११००

(९) प्रधानाचार्य

(१) श्रेणी १	(१) ६००-४०-११००
(२) श्रेणी २	(२) ८००-४०-१२५०
(३) श्रेणी ३	(३) १०००-४०-१५००

(१०) विद्वद्विज्ञानार्थक विभाग

(१) लेक्चरर	(१) ६०० ६० ८०० ५०-६५०
(२) रीडर	(२) ६००-५०-११००
(३) प्राक्सर ग्रेज वी वेड	(३) ६-११००-१६०० वी १६०० १८००

जिस समय से वननमान आयोग ने पापित किया, शिक्षा के सभी क्षेत्रों में इतना स्वागत हुआ। अध्यापकों का आगा की निरण दिखाई दी। उन्हें आदा योंही कि शायद उनका दिन अब नटेंगे। नमीशन ने इन वेननमाना को लागू करने के सम्बन्ध में कहा—'उक्त वननमान उच्चशिक्षा के अध्यापकों के लिए सरकार-द्वारा पहले से ही स्वीकृत है। उनको लागू करने के लिए केन्द्रीय सरकार का ८० प्रतिशत तथा राज्य सरकार को २० प्रतिशत सहायता देनी चाहिए। प्राइवेट सम्थाओं के लिए बन्द में १०० प्रतिशत सहायता तब दी जानी चाहिए।'

दस में अध्यापकों के वेननमान में समानता नहीं है। पर ही जगह पर काम करनेवाले अध्यापकों के वनन में असमानता है, जो कि उनकी माय्यता में समान है। निम्न तालिका में दस के वनन प्रम का प्रभास हो जायगा।

कम ।	अध्यापक	। वनन दर
(१) विद्वद्विज्ञानार्थक		
(१) प्रोफेसर	(१) १०००-४०-१५००	
(२) रीडर	(२) ८००-४०-१०००	
(३) लेक्चरर	(३) ४००-८००	
(४) जूनियर लक्चरर	(४) ३००	

- (१) अध्यापक-व्यापक-वर्ग की स्थापना, जिसमें १॥ प्रतिशत वेतन अध्यापक जमा करेंगे । इसके मन्तव्य के लिए एक समिति होगा ।
- (२) मुर्भा श्रेणी व वर्गों के अध्यापना का प्रवकाश की सुविधाएँ देना ।
- (३) प्रवकाशग्रहण करने की आयु स्तून तथा बालेज म प्रमदा ६० तथा ६५ वर्ष हा ।
- (४) हर पाँचवें वर्ष में भारत भ्रमण के लिए वन्मशनन रेलवे पास की व्यवस्था हा ।
- (५) अध्यापना का अपने नागरिक अधिकारा का पूरा-पूरा उपयोग करने का अधिकार हो । व स्थानीय, जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड सक्त है । तथा किसी पद पर कार्य कर सकत है ।

इसी प्रकार अध्यापक का राष्ट्रीय सम्मान दन के लिए भी राष्ट्रीय पुरस्कारो की मस्या म वृद्धि करने की बात भी वर्मासन न वहाँ है ।

वर्तमान सन्दर्भ

डा० सम्पूर्णानन्द ने कहा है—“राष्ट्र का अध्यापका की कठिनाइया और भावनाया को अनुभव करना चाहिए, जिनम राष्ट्र यह आशा करता है कि वे याम्य, चरित्रवान् व्यक्ति तथा नेताया का हर क्षेत्र म निर्माण करें । जब कि उह (अध्यापको को) ऐसी परिस्थितिया म जिन्दा रहना पड रहा है जिनम आत्माभिमान तथा कार्यकुशलता की दशाया की गणना नही की जाती ।”

हम यह स्वीकार करके चलते है कि अध्यापका की दशा ठीक नही है । उम्ह वर्मीशन की सस्तुतिया ने आशावान किया, पर याजना आयाग के कथन न उनकी आशाया पर तुपारपात किया । रूस अपनी राष्ट्रीय आय का ७ प्रतिशत, जापान ६ प्रतिशत, इंग्लैड ४५ प्रतिशत आर अमरिका ४४७ प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करत है । भारत अपनी आय का वचन २३ प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करना ह । सहज ही अनुमान किया जा सक्त है कि राष्ट्रीय आय का शिक्षा पर व्यय किया जानेवाला प्रतिशत क्या वास्तव म राष्ट्र की भावी पीढी के लिए कल्याण की रूपरेखा बना रहा है या केवल आनापूरी कर रहा है । शिक्षा आयाग ने १९७५ ई० तक राष्ट्रीय आय का ७ प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने व लिए कहा है ।

प्रश्न यह है कि क्या मांजूदा हालात, जिनमे अध्यापक जिन्दा रहने की नागिन कर रहा है, इसी प्रकार बने रहने । क्या कोठारी-वर्मीशन की सिफारिशों लागू हांगी ? क्या वे उस समय लागू हांगी जब मूल्य की सामान्य दर इस समय में भी आगे जा चुकी होगी ?

वास्तविकता यह है कि अध्यापक के पेशे का भविष्य निम्न तीन कारणों के आपसी सहयोग के अभाव में बन सकना सम्भव नहीं है।

- (१) सरकारी तथा गैरसरकारी शिक्षण-संस्थाओं को हर स्तर के अध्यापक के लिए जीवन-निर्वाह-योग्य मजदूरी देनी होगी।
- (२) अध्यापकों को यह समझना चाहिए कि उनका पेशा केवल धन कमाने के लिए नहीं है अपितु यह वह सत्कार्य है जिसके माध्यम से वे अपने छात्रों की प्रतिभा का विकास करते हैं।
- (३) आज का विद्यार्थी समझता है कि जीवन-सघर्ष में शिक्षा के माध्यम से ही आगे बढ़ा जा सकता है। वह सीखना चाहता है। यदि वह निरर्थक है तो उसे शुल्क-मुक्ति तथा छात्रवृत्ति का सहारा लेना होगा। अतः अध्यापक को चाहिए कि वह प्रतिभा को अविप्रेक्षित न रहने दे।

हमारी राय में इस समय तुरत निम्न कार्य होने चाहिए—

- (१) कमीशन की वेतन-सम्बन्धी सिफारिशों को केन्द्रीय सरकार के महंगाई-भत्ते सहित तुरत लागू किया जाय।
- (२) अध्यापकों को प्रतिवर्ष पारिवारिक रेलवे कन्सेशन दिये जायें।
- (३) अध्यापकों के वेतनदरों की असमानता को दूर किया जाय, अर्थात् कालेज तथा विश्वविद्यालय के वेतनदरों में अन्तर न हो।
- (४) हर विश्वविद्यालय में यह नियम लागू किया जाय—वह अध्यापक जिसकी नियुक्ति परीक्षण-काल के शर्त से हुई है, उसकी स्वीकृति सम्बन्धित अधिकारी से भी ली जानी चाहिए। यदि उस व्यक्ति की सेवाओं को समाप्त करना है तो स्वीकृति प्रदान करनेवाले अधिकारी की स्वीकृति के बिना उसे अलग न किया जाय। अध्यापकों को अपनी बात कहने का पर्याप्त अवसर दिया जाय।
- (५) सरकार समस्या-कालेज पर अपना नियंत्रण करे। ऐसा करने के लिए वह अपने कानून में परिवर्तन तथा संशोधन करे।
- (६) आवासीय संस्थाओं में सहकारी भण्डार अनिवार्य हो।

आवश्यकता इस बात की है कि हम समय की माँग को समझें और उसके अनुसार अपने को ढालें। यदि हम इसमें शिथिलता करेंगे तो समय हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। ●

शिक्षक का रोल

रुद्रभान

शिक्षक का पेशा समाज के कठिन पेशों में से एक है। इस पेशे में रहने पर शिक्षक को बालकों और प्रौढ़ों के बीच की दो दुनिया में रहना पड़ता है। बालकों के सीधे सम्पर्क में रहते हुए उन्में एक तरफ बालकों की उमरों और उम्मीदों की माँग पूरी करने की जिम्मेदारी सँभालनी पड़ती है, दूसरी तरफ बालकों के माता-पिता की उम्मीदों और जजवालों का भी उन्में खयाल रखना पड़ता है, तीसरी तरफ उन्में समाज की परिस्थिति और उन्मेंके भविष्य का विचार करते हुए बालकों के प्रति अपनी फर्ज तय करना पड़ता है। शिक्षक को एक ओर विद्यार्थी की ज्ञानवृद्धि की चिन्ता करनी पड़ती है, दूसरी ओर उन्में उन्मेंके चारित्र्य-विकास की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है। अपनी पेशे में रहने हुए शिक्षक को जिन विशेष जिम्मेदारियों को खूबी के साथ निभाने की जरूरत पड़ती है, उनमें से कौन बड़ी है और कौन छोटी, यह कहना मुश्किल है। प्रथम उन्में अपनी हर एक जिम्मेदारी समान मुस्तैदी से निभानी पड़ती है।

निर्माण की असुली क़मोटी विद्यार्थी की स्वयस्फूर्ति, आत्मनिर्भरता, आत्मज्ञान
 प्रार लक्ष्यसिद्धि है, न कि दर्जे में शिक्षक का आज्ञाकारी और लकीर का
 पकीर बनना ।

जा जितना ही कुशल शिक्षक होता है, वह उनना ही कुशल चरित्र-
 निर्माता भा होता है । कुशल शिक्षक अपने सम्पन्न में आनेवाले विद्यार्थियों
 में आद्विक समझदारों का एक रोमा दीपा जला देता है, जा विद्यार्थी का कदम-
 कदम पर राशनी देता रहता है । अपने ज्ञान व प्रकाश में विद्यार्थी को अपने
 व्यक्तित्व की विशेषताओं का परिचय मिलता है, जा किसी भी व्यक्ति के चारित्रिक
 विकास की कुजी है ।

मोजूदा समाज में शिक्षक का दर्जा

आज के समाज में शिक्षक का दर्जा इज्जन का नहीं है । इसका कई कारण
 है । एक कारण तो राजकीय है कि हमारा राष्ट्रीय जीवन में शिक्षण को वह
 वरीयता नहीं मिल पायी है, जा उसे मिलनी चाहिए । आज हमारे यहाँ प्रतिरक्षा,
 उद्योग व्ययसाय राजनीतिक सत्ता तथा पूंजी निर्माण की प्रवृत्तियों सर्वाधिक
 महत्वपूर्ण मानी जाती है और राष्ट्रीय स्तर पर इन्हीं पर मुख्य शक्ति लगायी
 जा रही है । हमारे समाज पर भी इन्हीं प्रवृत्तियों की गहरी छाप है । समाज
 में उन्हीं लोगों की ऊँची हैसियत है, जा इन प्रवृत्तियों में सम्बन्धित है ।

देश और समाज के इस उलटे मोड़ का असर उसने सांस्कृतिक जीवन पर
 पड़ना स्वाभाविक है । आज सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन के सभी हिस्सा
 में आपसी खीच-तान, भगदा-फसाद, भ्रष्टाचार और खुदगर्जों का बोलवाला है ।
 सब दूसरों का दोष देत दिखायी देते हैं । अपने भीतर भौककर अपनी दबी ज़िपी
 बुराईया का पहचानने और उन्हें अच्छाईया की तरफ मोड़ने की फुरसत और
 दिमागी तैयारी इने गिने लागी में ही दिखायी देती है ।

शिक्षक की भीतरी हालत

सामाजिक नैतिक तथा सांस्कृतिक विघटन की जा प्रक्रिया पूरे देश में
 पुग्जार है, उसका असर में हम शिक्षक लोग अटून नहीं बचे हैं । हममें में
 अधिकांश शिक्षकों की दृष्टि सामाजिक विघटन व प्रभाव में इनकी धूमिल हो
 गया है कि हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप में नहीं देख पा रहे हैं । दलबन्दी,
 प्रवृत्तवाद और वर्तव्यहीनता के कीटाणु शिक्षण-संस्थाओं में भजवृत्ती से पेट गये
 हैं । न. इ. दे. ल. म. ग. क. प्रति. ल. ग. र. र. ग. ग. है, न. अपने अपने क प्रति
 निश्चयान । समाज में हमारी गिरती हुई प्रतिष्ठा और दूसरों का तुलना में
 घटिया इज्जन होने का एक बड़ा कारण यह भी है । हम अपने दायरे में चुस्त,

दुग्ध और मुन्दे हो सर्वे ता आज की हालत में भी शिक्षक का दर्जा समाज की निगाहों में इज्जत का दर्जा हो सकता है। आज भी समाज के ज्यादा से ज्यादा लोगों में जिसका गहरा और नजदीकी रिश्ता वायब है, वह मनुदाय शिक्षण का ही है।

जमाने की चुनौती

यह एक बड़ी, लेकिन सही बात है कि हम शिक्षकों में से ज्यादातर लोग उस चुनौती को महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं, जो आज का जमाना शिक्षकों के सामने पेश कर रहा है—उनलोगों के सामने, जिनकी यह जवाबदेही तो है ही कि वे शिक्षण-द्वारा समाज के लिए ज्यादा बुद्धि नागरिक तैयार करें, साथ-साथ यह जिम्मेदारी भी है कि वे ज्यादा अच्छे सामाजिक ढांचे के विकास के लिए कोशिश करें।

इस जमाने में कई खतरनाक और नुकसानदेह ताकतें काम कर रही हैं। इनके साथ-साथ यह एक ऐसा जमाना है, जिसका भविष्य नयी उम्मीदों में भरपूर है। इस जमाने में विज्ञान एक ऐसी ताकत है, जिसने इंसान का इस दुनिया की हालत बदलने की बेहिसाब कूबत दिखाई है। आज की दुनिया में गरीबी, अज्ञान, बीमारी और तरह-तरह के अर्थिक तथा सामाजिक अन्यायों की भरमार है। साइबेरी और तस्मांतिया का इस्तेमाल शापण, लड़ाई, बर्बादी और खेती के लिए हो रहा है। दर हकीकत दुनिया व इनसान का एक बड़ा हिस्सा इस बेइन्सानी का शिकार है।

दुनिया की यह हालत शिक्षकों के लिए एक बड़ी चुनौती है। क्या शिक्षक-समूह आज के जमाने के इस न्याय और अन्याय, सत्य और शापण, इनमानियत और इमानियत के बीच चलनेवाली कसमकस को एक अदना तमानबान की तरह देखता रहेगा या वह उस आन्दोलन में अपनी पूरी ताकत लगाएगा, जो आज समाज में अन्याय, अमानता, अभाव और अज्ञान का दूर करना चाहता है? शिक्षक-समूह इस चुनौती के प्रति जो रस अपनाएगा उसी पर इस देश और समाज के भविष्य का बनना बिगड़ना निर्भर करता है। ●

चलता क्रिया

विवेकी राय

यदि आप किसी हायर मेडिकली स्कूल में हिन्दी-शास्त्र हैं मगर एक प्रकार से आपकी ही बात है। दूसरा कृति भा कम जानव्य नहीं। मर ऊपर ना इसका भरपूर अमर ह। बड़ी गम्भीरतापूर्वक मोच रहा हू।

एक पर पडा चगाइ की मान धोर मजाइए रखा वापिया क वणन घोर याव भ बठकर किरी काम म उठने गमाजी को रखकर मुके भारा कुतूहल हुआ।

अर भाड। वापिया की दुकान धव मे खान दी ? घोर टाक उती समय गर्मा ने दात पासने हुए कनम ना नार एक खली वापी के पृष्ठ के एक सिरे पर रगाकर नीचे निरुद्धे निरुद्धे मलय दिया। कनम कुछ दूर निथी पवित्रो का काटनी हुइ गात्र रकीर बनानी और उसने बाद वापी को पाइती निकल गयी।

वापिया की दुकान नहा हिन्दी शिक्षा क दिवालिखेवन की राकड प्रनियो को मजाये ह। गर्मा ने फुर्ती म हस्ताक्षर क रूप म कुछ बिह्न बनानर उस वापी का एक और रखन हुए उत्तर दिया। अर्थात् ? मैने पूछा।

ये घर सामने जावने के तिर पडा मातवा म नेकर दसवा बणा क छात्रो की हिन्दी की अभ्यास पुस्तिका है—गराव छह-मात मा।

मगर आप क्या यह जांच रहे हैं ?

जावने की स्थिति वहाँ ह ? एक नया प्रमाण कर रहा हू। टुनिग कानेज म बनाया गया कि अध्यापक का जमा भी स्थिति मिले उसम कतिन पूवक काम निकाल लेना चाहिए।

‘आपका मतलब मैं नहीं समझ सका।’

मतलब यह है कि यह हिन्दी-इस्तान है। कोड के अनुसार एक अध्यापक को प्रतिदिन चार पांच पीरियड में अधिव न दिया जाय और होता है टीक विरोध। मात आठ तब तक शिया। केन्द्रिक और ग्रामफोन म एक अध्यापक पर करोड आठ छात्र है और यहाँ इतना छह गुने मे भी अधिक।

‘तो आपने इस जीवनवाले नये प्रयोग में इतना क्या सम्बन्ध है ?’

‘अरु महाराज, यही नहीं समझे ? यदि प्रयोग न करें तो यह पहाड़ दो महान में भी न टिने । एक-एक विद्वान् दर्जे में है कि उनकी चापिया वा एर पृष्ठ अच्छी तरह जाँच देने पर मिर म चक्रर आने लग और मूरज का गोला पूरब में पश्चिम की धार चला जाय । इमनाय वक्षा का नहीं, भीड़ का पड़ाने है । एक-एक वक्षा के प्रत्येक वर्ग में पचास में लकर साठ तक छात्र । एवदम हाउसफुल ।’

‘ता इसका अर्थ यह कि किसी प्रकार लीब-बोबकर इम्नाशन करके वेगार टात्र दना मात्र ही चापका प्रयोग है ?’

‘प्रत्यक्ष देखने में ता यही है, परन्तु उन आडी-निगुली रेखाओं और काटकूट की त्वरा में एक मिडानल है .. आधा इमी कापी का देखिये । मानन ही एक नवक में दो शब्दों पर दृष्टि गयी । एक जगह लिखा है ‘इमनीये’ और टोव नीचे सही रूप में ‘इमनीए’ । दो शब्दों का रखाकित किया और फिर पूर को बेरहमी व साथ काट फेका ।

‘एसा क्या किया आपने ?’

‘इमनीए कि लडका तज है । सही लिखने की योग्यता है । धमावधानी के कारण गलत लिख जाना है । यह नाटना मिर पर चीटा की तरह लगता .. अरे अभी देखिये एक में एक प्रयोग है । पहले जलपान कर लें ।’

नीकर ने जलपान की सामग्री प्रस्तुत कर दी थी, परन्तु मेरी रुचि शर्माजी के प्रधाना में उलझी थी । शीघ्र जलपान कर पाम ही डट गया । उस समय उन्होंने एक ऐसे छात्र की कापी पर इधर उधर लाल-नाल चटकीली रेखाएँ खींची और विद्वित् सगोधन करना प्रारम्भ किया था, जिसकी लिखावट अत्यन्त भरी, गन्दी और अशुद्ध थी । शर्माजी ने आधे मिनट में इस कापी में निवट लिया और बोले—‘बस, इस कापी का शृङ्गार हो गया । लीब-बोब की कटन नाविमा में कापी का कुछ भाग अनकृत हा जाना चाहिए । छात्र में हीनता की भावना नहीं आयेगी । वह समझेगा कि मेरी भी कापी जाँची गयी है । वैसे यह उन अनेक दुलारे छात्रों में से एक है, जिसके बानों के पाम धारर माक्षान् सरस्वती महारानी वषों तक बीणा की भचार करें, तब भी शुद्ध लिखना असम्भव ही रहेगा ।’

‘अच्छा ? यह किस दर्जे का छात्र है ? क्यों ऐसा छात्र समय घोर धन बरबाद करता है ?’

‘पूरा तो है इसकी वक्षा में, परन्तु माखर ‘क’ का लेखर पूरी कर्णमाला

नहीं मिल सकता। पढ़ता हुआ है कि सब लड़के पढ़ते हैं अथवा दण्ड पाते हैं पढ़ाई महापुरुष होगी। जैसे उन्ने देगा ता कापी में कोई में नही। पाठिका क्रिया बूट, मोहा क्रिया बुधार्थ, मँवार गये बाल और पूरा दिव्य रूप। सुबह ही सुबह उठकर दरवाजे पर भुण्ड के भुण्ड बँल देवता है। छा गये हैं मारे बँन दिमाग पर।

‘श्रीर, क्या ऐम ऐमे छात्र भी पाग हा जाने है?’

‘बान्म की बान है। पाम नहीं हाने ता बाई का परीक्षा-फल चाहीम प्रतिशत क लगभग कैम हाता? अच्छा देखिये, यह एक पास होनेवाला लडका है।’

शर्माजी ने एक कापी खाली। बाल्य का पहला शब्द गयन। ‘निचे’ लिखा था। ज्ञान हुआ कि यह शब्द दर्जा ६ में ही बनवाया जाता है, परन्तु १० वी कक्षा तक जात जान भी गनत हाता ही जाता है। साध चलने लगा। प्रत्येक वाक्य गलत। हर पक्ति में दा-नीन शब्दा की गलती। इकार-उकार का मानो बिलकुल ही ज्ञान नहीं। मुन्दर का ‘मुन्द्र’, ‘मुदिकल को ‘मुम्कीन’, ‘भापण’ को ‘भाखड। इसी प्रकार एक पृष्ठ में लगभग ५० त्रुटियाँ, कापी लाग ही गयी। वाक्या की त्रुटिया के लिए काट देने के अनिश्चित कोई चारा नहीं अथवा पूरी बात फिर से लिखी जाय।

‘देखो! ये हजरत जरूर पास हो जानेवाला में में एक है। यह है हार्ड-स्कूट की हिन्दी। ‘इसका कारण क्या है शर्माजी?’

‘पूछो दिल्ली में त्रिभाषा फार्मूला सम्मेलन कर अँग्रेजी के लिए जिस ह्राय-हाय करनेवाला मोटे भाटे लोग ने। अजी, अंग्रेजी यह काली छाया प्रेतियों की तरह हिन्दी की खानी चरी जा रही है। नीचे में हिन्दी टूटती चली जा रही है। अगर श्वाधिया के पी-बारह है।’ ‘यह दक्षिण, प्रथम धेणी में जाने वाला लडका है। लिखता है, ‘कृष्ण बड़े थे—’

‘शर्माजी, इसकी तो दो-चार गलतिया का ही काटकर आपने चलता कर दिया।’

‘ता पूरा जाँचता हूँ किमका? अधिक काटने में कहा न कि हीनता की भावना आयेगी। कुछ काट दिया। गलतियाँ बनायगा। सही लिखने की आवत घायगी और प्रवाह में हिन्दी आ जायगी। यही न प्रयोग है?’

‘लेकिन आप तो सिर्फ काट देने है। गलतिया को शुद्ध करके बना नहीं देते हैं।’

शर्माजी की रफ्तार तूफान मल की रफ्तार हा गयी। हाय में कापी आयी सितम्बर, '६७]

नहीं कि उनल्टवर वाट व्ट विनारे किया । बोले—‘आप समझने है यों ही वाट-कूट रहा हूँ । अजी महाराज, अम्याम हो गया है । अखि बस गनियों पर ही तो गडनी है ।...रही बात मुधार की, तो एक तो समय कहीं है ? दूसरे, उन्हें शुद्ध मनोवैज्ञानिक पद्धति पर स्वावलम्बन की सीख दे रहा हूँ । अपनी त्रुटि स्वयं प्रयत्न करके समझे और मुधारे ।’

‘.....अरे...रे रे १...इसकी तो पूरी-पूरी लिखावट ही आपने दोनों आर से प्राप्त कर दिया । क्या सब चलन है ?’

‘नहीं ...यह देखिये लिखना हूँ । ‘महागन्दा’ ‘लिखना सुधारा’ ‘गलतिषा की क्या बात ? कुछ अच्छा लिखना है और अच्छा लिखेगा तो शायद लिखना देखकर ही नम्बर पा जाय ।’

‘क्या ऐसा भी होता है ?’

‘पचहत्तर प्रतिशत । आप क्या समझते हैं ? कापियो को जांचने पर वाई पास होगा ? अजी, यहाँ तो परीक्षा की कापियाँ उठायी, देखा कि कुछ लिखा है, प्रश्न और उत्तर की कुछ भ्रमक मिली । लिखावट कुछ साफ है । बस कुछ नम्बर देकर चक्का किया । जैसी शिक्षा वेसी परीक्षा । एक तो करेता दूजे नीम चढी ।...शिक्षा तो बस एक ही विषय की होती है । वह विषय है अंग्रेजी । देखो, जहाँ हिन्दी के लिए एक पीरियड, वहाँ अंग्रेजी के लिए दो । छात्र एअर-चोटी वा पसीना एक करते हैं हम नायाब मौदे के लिए, पर हाय ...’

‘अच्छा ? यह कौन-सा प्रयोग है ? आपने पूरे पृष्ठ पर ‘अण्डे’ की शकल बनाकर रक्त दी । क्या इसे यह बडा-सा ‘शून्य’ नम्बर के रूप में दिया है ?’

‘देखिये, यह हिन्दी शिक्षा का शुद्ध मनोवैज्ञानिक प्रयोग है । इस शून्य का छात्र देखे तो कुछ और समझेगा । अभिभावक देखेगा तो कुछ और ही अर्थ निकालेगा । यदि स्कूल के प्रधान की दृष्टि इस गोले पर पड़ी तो उसकी दृष्टि में इसका तात्पर्य कुछ और होगा और यदि किसी सरकारी स्कूल-अध्यापक की नजर में यह अण्डे की शकल आयी तो वहाँ इसका मननब सबसे भिन्न होगा । अब इसने पढ़ने कि मैं मारे तात्पर्य आपको समझाऊँ, यह भी ध्यान रखना है कि तैयार होकर अब स्कूल जाने का समय हो गया ।’

गर्मांगी की प्रयोग-वर्चा ने मुझे स्तब्ध कर दिया । मुझे मानेवाला अगला दसक दिश्वन्धायी पडने लगा, जिसमें हिन्दी शिक्षा की कुल वर्तमान उपलब्धियों वा अण्डा पूरे विकास के माप पूरेगा । •

बाल-शिक्षण के साथ-साथ लोक-शिक्षण

श्री बचन भाइ मटना ने बिहार से गुजरात की वापसी यात्रा के दौरान दो दिन 'जीवन भारती' का दिने। व 'बाल भारत' में आये। बच्चा की प्रवृत्तियाँ ध्यान में देखीं। साधनों का व्यवहार किया। बालकों की गीत और कहानियाँ सुनायी। बात की। बच्चा ने भी मित्रता मटसुस की, अभिनय दिखाये। सबाल भी फूँडे। बचन भाइ को अपने साथ नाश्ता में शामिल किया। इन सब कार्य क्रमा में बीच में बच्चे दिनेस और मजय तूफान करते रहे। वे मनायास जोर से निना उठना निरर्थक कुछ भी बोल देना, पैर फँकाकर बैठना और लेटना-जमी अशिष्ट क्रियाएँ करते रहे।

हमलागा ने समझने का प्रयास किया। उनकी क्रियाओं में होनेवाले अवधान की आर सब बच्चा का ध्यान खींचा।

सभी बच्चे उन दोनों की शरारतों का गलत बना कर कहने लगे कि 'हम ऐसा नहीं करते।'

कल्प जब हमउम्र साधिया में आलाचना सुनत है तो तुरत अपने का समूह में अनुत्तर बना लेने है। बडा द्वारा कही गयी, बताया गयी बात का असर जहाँ नहा होता वहाँ अपने साधिया की बात तुरत असर करनी है।

साधिया में रख छोटे-बड़े सभी के मानापमान का विषय होता है न।

हमने देखा कि मजय दान्त हा समूह के साथ सामिज हा गया, परन्तु दिनेस की शरारत हट में बदल गयी। वह और अधिक शर-मुक्त करने लगा।

वातावरण में जानेवाले व के म प्रम वर्णा सस्नगीतना विश्वास जन मानस गणा और मस्वारा का उम्माद क्या शिक्षक और समाज रख करना है ? मानव का इनसान बनाना है तो क्या स्वयं बड़ा का पहल अपना पणुना छाडकर इनसान बनना आर्यय नहा ? ग्या तरह व अनेक सुवान मामन आये ।

हमारा परस्पर पुन नय सन्ध म वातचान करने तग ता एक सुभाव आया कि एवला बार मी वाग वा सूचना दा जाय यह अपना आन्त न छाड तो बच्च का नाम वाट दना चाहिए ।

माता-पिता वा ग्पता का परिणाम भागना क्या बच्चे के लिए इतना आवश्यक है कि उम स्वस्थ वातावरण में भा वचिन रमा जाय ? क्या इस तरह हम आनाना पीपी के साथ याय कर सकन ?

अन म लोड शिक्षण नाम जागृति वाक-मवदना वा विनाम हा एक माय रास्ता मानुम पडा । परिवार-सम्पक परिचय घनिष्टता के बाद माता पिता का विश्वास प्राप्त करना उनक आवापक असन्तुलित दिमाग का सन्तुलित करना उनक बुद्धि दिव का सस्नगीत बनाना शिक्षक की जिम्मेदारी माना गयी । मुहने मुहने टाके-टोके म जाकर गोष्टी गगाप करना आवश्यक प्रदान हुआ ।

क्या य सब काम केवल वतनभागा शिक्षा द्वारा हो सकन है ? अपने ही दान भाव का चिन्ता म गस्त शिक्षा से क्या वातशिक्षण और वाक शिक्षण की उम्माद की जा सकतो है ?

अनाज पानी और चारे का अवान देग क किसी किसी हिस्म म कभी कभा पटना है किन्तु दश म अ ये शिक्षा का अवान हर जगह है और नगातार वष म चरा आ रहा है । जब तक यह समस्या बना रहगी तब तक समाज म भा म नवाय सस्नगा का अवान बना रहगा ।

अध्यापक अभिभावक सम्पर्क

बच्च के व्यक्तित्व का रिभाजन विन्ता का एक विषय है । इसका एकमात्र हत है परिवार और गाना व वातावरण सूय और मायतायो का एक ग्गिा म हाता और वातक का प्रदानता दल हुए परिवार का व्यवस्था करना । इसक लिए माताआ का प्रशिक्षण अत्यन्त आवश्यक है । स्वयं लिए कोई पाठ्यक्रम नहा बनाया जा सकता । पाठ्यक्रम पूरा करने मे जावन क सूय और मायता

नहीं बदलता। उसके लिए सतत सुन्दर और परस्पर भी तथा विश्वास का प्रेमपूर्ण विश्वास भरा रिश्ता ही काम कर सकता है। ये प्रेम और विश्वास, दाना ही ऐसा गहन विषय है जिनके उग जान और मूख जाने पर बारीक भेद का पता नहीं चलता। फिर भी आज विज्ञान के युग में हर चीज का मात्र विद्वान हुआ है इसी तरह प्रेम और विश्वास के भेद का हरा भरा स्वतः की कला भी बड़ी है। उस दिशा की धार बदलने का छाटा-गा प्रयास 'जान-भारती' ने 'बालभारत' द्वारा किया।

मेने मातामा की गाड़ी का। अरुण अलग दिन १५ २० के युग में मातामा का निमन्त्रित किया। छाटे-छाटे समूह में मातामा का भा अर्पनी बात कहने का अवसर और साहस प्राप्त हो जाता है। गाड़ी के पूर्व तैयारी-स्वस्थ मानू मिलने परिपत्र तैयार किया। वादक और माँ का मनावेज्ञानिक सुन्दर जानने की दृष्टि में तैयार किया गया १० मुवाला के इस परिपत्र में अभिभावक जगत में एक लहर पैदा की। बच्चा का बचाने के लिए स्वयं का बनाना विनया जल्दी है यह चेन्नै ध्यक्तिया ने महसूस किया। चर्चा भी का। अभिभावक ने उन समालोचक उत्तर भेजने समय यह एहसास किया कि हमारी भी वादक के प्रति कुछ जिम्मेदारी है। अक्ला गाता अदुगी है।

भाषी में यह भा लय हुआ कि अर्पण पत्र का सामूहिक रूप में मनाया गया। बच्चा के सहायता के साथ मातामा की भी आपस में नया बच्चा के साथ निवृत्ता बड़े। सुवप्रथम इस मास का तीज का बालभारत में आकर मनाते, साथ भूना भूने, एक दूसरे में मिलने की तैयारी की। तीज का मुहूर्त ही काशी-काशी घटाओं घाती रहनी और बरसनी रही। जहाँ राज के वादन, यह हवा, यह पुहार, यह रिमभिम का भावाज दिन का उन्मत्त करती थी बनी कत्र ना दिव बैठने उगा। वेम सब एकत्र हाता। हस्त हात नाम तब बादल निरग बिनर हा गये सूर्य की उष्णता भी महसूस होने लगी और व वा की उँगलियाँ याम महिदाएँ भूत के उद गिद जुटने लगी। बच्च अपना माँ और विश्वास का इस तरह हितमित्र आनन्द मनाते देख आह्लादित हो रहे थे।

समूह का प्रभाव कुछ ऐसा होता है कि बहुत-सा अधकचरी और मौलिक भावनाएँ स्वयंसेवक शिक्षा-भित्त ज्ञान लगनी है। समीर-नरीय, निमित्त प्रतिष्ठित से शक्ति भी टूटने लगती है। मन की अति लक्ष्म और अति मिष्टास प्रकट होने के लिए एकात्मक होनी है जब कि अनुचित भावाभिन्निक के लिए समूह ही अवसर प्रदान करता है। एक समान धरातल पर साकर व्यवहार करने

र शिवात्मि मूह्य है प्रेरित है जाता है । दूसरा दान भूत पर हमने दिया । यह स्पष्ट शिवाड दिया रि मात्र आधिपत्यर बदलना या राजनीतिर दन बदलना या गारा का पढाड का दम बदलना, नया ममृति का नाम का आराधना का प्रताप है करना है यह उम दिया म बदम रहा है । ममृतिर मूल्या म आपरना नजानता आर गैभक्तिर योग्यता या समावग तथा है मूहन है जब हमारे जावन का छात्री-बंदी हूँ किया व प्रति बना हुआ दृष्टिगोण म बदल हमारे रीति शिवाज बदल हमारी भावनाओं बदलें । हमारे दिया म वैगिष्टय की राध निरन जाय ।

जा महिवाएँ अपने बदलन म कभा हून व दान नहा कर सवा व भी पावन व हून आवर आनन्दित हाना है । जा महिवाएँ गूहण्या का चरना म अपने का पिमना-मा महमूम करना है व भी अपने समय मुक्तता और निश्चितता म विनावर आनन्दित हाना है । जा मन्त्रिणा प्रवृत्ति व अभाव म समय विनाने व बहान पाजा परना ह वे भी अपने समय का सदुपयोग महमूम करती हैं । जा महिवाएँ नया म्दारा और पुराना मान्यताओं के चम म पंसावन आर वेन का महमास करती है वे बावभारत म अपनापन अनुभव करती हैं । तरह-तरह व पूरा म जम बाग की गामा बहता है उसा तरह 'बावभारत विविधता का सगवू म महन उता ।

—वाणि

जहा अधिकतर अध्यापक अथ मभी पेशों म ठुकराये हुए नरुछ ह और जीवन के अन्य क्षेत्रा म निराशा और मायुमी व कारण निरुपाय होकर अन्तिम महारे के रूप म अ यापन के पसे म आये ह वहाँ हम यह आशा कैसे कर सक्ते हैं कि वे अपने नाम म आदर्शवादिता योग्यता और माह्न का समावेश करगे ?

—प्रो० हमाऊँ कचार

शिक्क और प्राइवेट ट्यूशन

तखन सिंह भटनागर

आजकल देश में चारा धार शिक्षा व अनेक बिन्दुओं पर चर्चा होती है।
उतमें शिक्षा के स्तर की गिरावट का भी समावेश होता है।

इस गिरते हुए स्तर का उन्नत करने के लिए आज कई नये-नये प्रयोग किये जा रहे हैं, जैसे अध्यापक द्वारा दीक्षित सामग्री का निर्माण, परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन, अध्यापक के लिए अध्यापक को तैयारी पर जोर देना, निम्नित कार्य को कराने व सुद्ध करने पर अधिक आग्रह आदि।

प्रत्येक स्थान पर चाहे वह सड़क हा, पान की दुकान हा अथवा हाटल हा, इन सुमझीयों पर चर्चा-निर्णय करके समय आना-चना का शिकार अध्यापक होता है। यदि गम्भीरतापूर्वक सोचे ना वह आलोचना किसी हद तक मही भी है क्योंकि अध्यापक-द्वारा एक ऐसा कार्य किया जा रहा है जो निर्धन छात्रों का किसी हद तक साधन करता है। यह साधन प्राइवेट ट्यूशन के द्वारा किया जाता है।

जहाँ तक अध्यापक का प्रश्न है वह कबल अपनी न्यून आय में वृद्धि करने तथा मुश्किल में जीवन व्यतीत करने के लिए प्राइवेट ट्यूशन करता है। यह प्रश्न अत्यंत है कि वह प्राइवेट ट्यूशन व लिए लगन तथा परिश्रम में काम करता है या अनुचित साधनों का सहारा लेता है।

चन्द अध्यापक प्राइवेट ट्यूशन प्राप्त करने के लिए विद्यालय के नियमित अध्यापन में भी उदासीनता बरतते हैं। मुझे इस सम्बन्ध में एक घटना याद आती है। मे कक्षा ८ के एक खण्ड में गणित पढ़ा रहा था। दूसरे खण्ड के गणित पढ़ानेवाले अध्यापक मायाई आये और कहने लगे कि बेकार की मेहनत क्यों करते हो? इतनी गरज हागी ता नाक रगड़ने हुए प्राइवेट ट्यूशन के लिए आर्यो। यह तो एक घटना है। ऐसी और भी विधियाँ हैं जो अध्यापक प्राइवेट ट्यूशन प्राप्त करने के लिए अपनाता है। जैसे कक्षा में छात्रों का अनावश्यक सजा देना, परीक्षा में कम अंक देकर अनुत्तीर्ण करना आदि। यही

नहीं बल्कि उच्च कक्षा में उन्नति हेतु कुछ स्वयं ठेके के रूप में तय करते हैं और उस स्वयं में कुछ भाग अन्य अध्यापकों में बाँट देते हैं और बिना अध्यापन के ही छात्रों को उच्च कक्षा में उन्नत करवा देते हैं। ऐसी अनेक अनुचित विधियाँ अध्यापक द्यूशन-प्राप्ति हेतु अपनाते हैं।

द्यूशन करनेवाला शिक्षक स्वयं में नहीं रह पाता है। अतिरिक्त कार्य रक्त-चूमनेवाला व त्रामदायक होता है, फिर भी आय का साधन होने से वह द्यूशन करता है। समाज में कवी, डाक्टर आदि बगलें हैं, फिर शिक्षक क्यों नहीं बसाये? शिक्षक भी मनुष्य है। उसे थोड़े में मन्तुष्ट रहने का मिथ्या उपदेश दिया जाता है। समाज में प्रतिष्ठा रखना है तो अन्य धन्देवालों के साथ आर्थिक धरानल समान होना चाहिए। शिक्षक के भी कुटुम्ब होता है। उसकी भी सामाजिक जिम्मेदारियाँ हैं। परन्तु फिर भी यह प्रश्न तो है ही कि शिक्षण की दृष्टि से क्या यह उचित है कि शिक्षक प्राइवेट द्यूशन करे?

गम्भीर मनन करने पर स्पष्ट होगा कि शिक्षण की दृष्टि से कोई भी विचारवान् व्यक्ति प्राइवेट द्यूशन की हिमायत नहीं करेगा। सुद्ध अन्तःकरण वाला नियमित अध्यापक इस प्रकार की आय में मुक्त रहना चाहता है। वह यह भी जानता है कि द्यूशन में उमरा ध्यान व्यक्तिगत और असंगत हितों में उलभेगा। ऐसा अध्यापक विद्यालय में कार्य करने के अवसर का दुरुपयोग करेगा। वह अच्छे नागरिक तैयार करने के अवसर का सम्बन्ध उपयोग नहीं कर पाता है। समाज के प्रति निष्ठा में बाधा उत्पन्न होगी। दूसरी ओर द्यूशन करनेवाला अध्यापक विद्यालय के दैनिक कार्य के प्रति भी उदासीन रहता है क्योंकि उसकी शक्ति का उपयोग क्षणिक हो जाता है एवं वह धरा हुआ होने में भी अनुपयुक्त रहेगा।

बालक की कुछ विशेष मनोवृत्तियों को ठीक मार्ग पर चलाने के लिए अच्छे मार्गदर्शन की आवश्यकता रहती है। मनीष अथवा नृस्यक्तता में मार्गदर्शन के लिए निष्कल शिक्षक सहायक हो सकता है। ऐसा कार्य रचि का कार्य होने में आनन्द-प्राप्ति का कार्य होगा। वह परीक्षा या वर्गोन्नति (प्रमोशन) का कार्य नहीं होगा। विविध उच्चतर वृत्तियों के शिक्षण देने का ध्येय उस प्राइवेट द्यूशन में होगा। उसमें शिक्षक का ध्येय बालक को जो ज्ञान देना मात्र होगा, उसकी शक्तियों को कुण्ठित न कर गलीभूत तथा जगदुद्धारक विभूति बना देना होगा।

आज के इस भयंकर महंगाई के युग में अध्यापकों को भी अपना जीवन-यापन धन्दे रूप में करना है। राजकीय सेवा में नियुक्त डाक्टर या वकीलों को सितम्बर, '६७]

या नो प्राक्टिक काम करने का ऋ होनी है या विरोध भला लिया जाता है । फिर अध्यापकों के इस कार्य का नाचा क्या समझा जाता है ? वास्तव में आजकल प्राइवेट ट्यूशन को वैश्विक कार्य न माना जाकर एक पारिवारिक कार्य माना जाने लगा है ।

कभी-कभी अध्यापक अपने छात्रों का उच्च कक्षा में उन्नत कराने हेतु अनुचित तथा अनैतिक साधना का प्रयोग करते हैं । यदि छात्र परीक्षा में नूब परिलभ तथा उन्नत में पढ़ाने पर भी अनुत्तीर्ण हो जाता है तो वह अध्यापक की असफलता मानी जाती है न कि छात्र की । कभी-कभी अध्यापक अपने विषय के अनिश्चित अथ विषया की भी प्राक्टिक ट्यूशन ले लेते हैं तथा अपने माध्याम का लाभ ले बचिन करते हैं । परिणामस्वरूप विद्यालय में गड़बड़ हो जाती है और अनुशासन खराब होने लगता है । एक अनिश्चित छात्र के उन्नत में इनके विषय पठान का होना यह कि एक अध्यापक सभा विषय पठान में निष्णात नहीं हो सकता । इस भावार्थ पर परिणाम न होने पर अध्यापक को समाज में भीथा देखना पड़ता है । प्राइवेट ट्यूशन में जानिबंद सत्त्व निम्नादि है —

अध्यापक को आराम व दिण समय नही मिलता है त्रिमस उमका स्वास्थ्य गिरता जाता है । कई अध्यापक यदि अधिक ट्यूशन प्राप्त कर लेता है तो उमक सह का जागति होना है । अवाञ्छनीय तथा अनौचित्य आन्ना और प्रनाभता की ओर वह मनचाला है जम परा न क समय मन्नेना या प्राइवेट का चलाना । विद्यालय केवल मात्र बतन देनेवादी सत्त्वा नह जाता है । ट्यूशन करने में उमका पारिवारिक तथा मासिक शक्ति का हानम हो जाता है तथा वह कभी क अन्य छात्रों के साथ साथ नही कर पाता है । विद्यालय का कार्य मुबारक रूप में नही कर पाता है । अध्यापक केवल विरामे का व्यक्ति मात्र बन जाता है । जनमाधारण को दृष्टि में वह शिक्षक नहीं बरन् एक नीबंद रह जाता है और इसादि समाज में आदर पाने में बचिन रह जाता है । धर्मा आदि अनेक दुगण उमम उत्पन्न हो जात है । उम स्वत्तेय के बावका की गिता-गीभा न वाग्ना नही रहता । वह ता केवल हर समय अपनी स्वाथपूर्ति के दिण चिन्तित रहता है । परिणामस्वरूप छात्रों का विकास रुकता है । लोकरदृष्टि में शिक्षक-समाज के प्रति घणा फन्ती है ।

समाज में शिक्षक का स्थान आज बहुत नाचा है । अध्यापक का जागरूक रहना है और अपने कतव्य-द्वारा समाज में अपना स्थान प्राप्त करना है ।

— जनशिक्षा में साभार



सम्पादक के नाम चिट्ठी

महोदय,

मैं एक शिक्षक हूँ और हूँ शिक्षा-जगत में महान क्रान्ति का तीव्र हामी । आज की निरर्थक व विनाशकारी शिक्षा के स्थान पर जीवन का जीवनद्वारा व जीवन के लिए उपयोगी शिक्षण की व्यवस्था की उपलब्धि के लिए यत्नशील हूँ । आपके सम्पादकीय विचारों में पूरी तरह सहमत हूँ । पर, साथ ही उन विचारों की क्रियात्मक भूमिका के दर्शन की चाहना भी रखता हूँ । मैं ऐसे प्रयोगों के लिए तत्पर हूँ, क्षेत्र बनाने के लिए यत्न चलना है पर ऐसे प्रयोगों में अवगत अपने को रखना भी परम कर्तव्य समझता हूँ । अतः इस प्रभाव की पूर्ति आपके व्यक्तिगत सम्पर्क में व योग्य मार्गदर्शन से करना चाहता हूँ ।

नयी तात्मीम के लिए नया समाज बनाना है और नये समाज के लिए पुराने सामाजिक मूल्यों, मान्यताओं, आस्था-विश्वासों तथा व्यवस्था व ढाँचे में जो परिवर्तन अपेक्षित है उसे ग्रामदानी समाज के माध्यम में उपलब्ध किया जाय ऐसा हमारा चिन्तन चलता है । यह ठीक भी है पर आज की स्थिति में जबकि समाज स्वार्थप्रेरणा में चल रहा है, त्याग या दान की बात करना ही पर्याप्त नहीं होता । पुराने सामाजिक ढाँचे को बदलने के लिए जिस विचार-क्रान्ति की आवश्यकता है वह जनव्यापी हो जाय तभी कुछ सम्भव है । पर ग्रामदान का विचार अभी जनव्यापी आन्दोलन के रूप में नहीं उभरा है । नूफान की तरह एक झंका-गा आता है और फिर यथावत् जीवन का क्रम चलता है । वही स्थिति यहाँ भी हुई है । समझ में नहीं आता कैसे क्या हो ? यदि हमारा चिन्तन सत्य है तो फिर उसके लिए आग्रह करना ही है । यदि आग्रह में जनता का मानस आन्दोलित नहीं होता है तो विचार आता है कि हमारे चिन्तन में कोई त्रुटि तो नहीं ! हमारा सत्य व्यावहारिक है या नहीं !

२ जुलाई '६७ के अंक में ।

चिन्तन में ला लगता है सुवादय विचार युग की निराल्प आवश्यकता है, पर व्यवहार में युग प्रवाह इसके उल्टा पात है। आगिर समाधान यह आता है कि सुवादय का व्यावहारिक पहलू प्रदर्श्य जनता के सामने नहीं आने, तथा सुवादय में दृग् विचार का प्रचार न होने से यह स्थिति रहती है।

एक बात और भी है। सुवादय आज एक वाद या सम्प्रदाय समझा जाने लगा है। समाज में ऐसी भावना है और इस निमूल स्थिति वगैरे सुवादय सरस जीवन-विचार नहीं बन सकता। यह मेरी अपनी दृष्टि में सुवादय पुराने आर शास्त्र ही नहीं सहज के नवान विचारधारा है। मनुष्य अपने सहज रूप में सामाजिक प्राणी है। समाज में भिन्न उम्रका सम्बन्ध ही नहीं। मनुष्य मूलतः सामाजिक या समाजवादी है स्वार्थी व व्यक्तिवादी नहीं। जो बुनियादी सम्बन्ध परिवार में मित है व याग, प्रेम सहिष्णुता के हान है न कि भाग, घृणा व विराग्य के। आदान प्रदान के बिना समाज का उद्भव ही नहीं हो सकता। अन्न दान वाले आदान प्रदान ही समाज का मूल कारण ही है। उसे वहीं में पाना या स्थापित नहीं करना है वरन् जागृत मात्र करना है। जो मानवीय भावनाएँ सुप्त हो गयी हैं उन्हें जागृत करना है, यथा समाज विचार को मान्यता मिलना सम्भव है। किसी ढाँचे का (आमदान दोष का) मञ्जर बरदान मात्र में नहीं, वरन् पहले वैचारिक दृष्टि में सहज सामाजिक या मानवीय भावनाएँ जगाने का आवश्यकता है। तब समाज कुछ आमन होगा। तब यह आदान जनता की जन सुवगा। अब तक जनता सुवादय का सहज स्वाभाविक स्वरूप नहीं समझ पायी तब तक यह स्वयं में कोई परिणाम मानने में रहे। इस विधान के लिए जो कार्ययता सामने आती है वे स्वयं स्पष्ट नहीं हान, न उनमें पूरी भावना होती है।

अतः सुवादय का कोट नया विचार न मानकर सहज स्वाभाविक मानवीय भावना माना जाय तथा उसे मूलरूप में प्रयुक्त करके जनता के सामने रखा जाय। विचारक उम्रके अव्यक्त रूप का समझ सकता है, पर साधारण जन नहीं।

—हरवलाल अरोरा 'हर्ष'
राजकीय उच्च मा० विद्यालय
चित्तौडगढ़

डा० जाकिर हुसेन

राष्ट्र-सरकार की नैतिक सत्ता

[अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय की स्थापना की १५० वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में २६ अप्रैल '६७ की एक विशेष दीक्षान्त समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें डा० जाकिर हुसेन द्वारा दिये गये भाषण के महत्त्वपूर्ण अंश यहाँ दिये जा रहे हैं। सं०]

हमारी यह प्रवृत्ति हो गयी है कि हम अपनी अधिकांश समस्याओं का इलाज राष्ट्र-राज को मान बैठने हैं और इसमें सन्देह नहीं कि उसने कुछ समस्याएँ हल भी हुई हैं। किन्तु, इस बारे में कुछ गम्भीर और विभिन्न समयों में, न्यायोचित सन्देह भी किये गये हैं कि क्या यह उतना प्रभावकारी है जितना दावा किया जाता है और क्या उसमें शक्ति और नैतिक उद्देश्यों के पारस्परिक सम्बन्धों का महत्त्वपूर्ण भूमना हल किया जा सकता है। वास्तव में, कुछ ऐसे राज्य हैं, जिनमें यह बात सचता से समझी ही नहीं जाती कि वे शक्ति और भौतिक समृद्धि को प्राप्ति की जिन कोशिशों में जुटे हुए हैं, वहाँ नैतिक आदर्शों का कोई विविष्ट महत्त्व भी है।

राष्ट्र-राज आज जिस रूप में भी विद्यमान है उसका निर्माण अतीत में सभी प्रकार के व्यक्तियों-द्वारा किया गया है जैसे—राजनीतिज्ञ, गृहीद, अन्वेषक, डाकू, साम्राज्यवादी, दुर्दम्प साहसी, अख्यवसायी, विचारक, वैज्ञानिक, इतिहासज्ञ, कवि।

कभी उन्होंने मगठिल होकर काम किया तो कभी सघर्ष और विरोध करके, और इस प्रकार सम्पूर्ण वस्तु के उद्भव में अपने अगूठे योगदान किये। उनमें से अग्राह्यमानवकन-सुरीले कुछ लोगों ने राज को नैतिक उद्देश्यों को स्वीकार करने और उन पर अमल करने के लिए विवश किया, कुछ ने नैतिक आदर्शों को इस प्रकार तोड़ा-मरोड़ा कि वे राज्य के हितों में भेल गायें और कुछ ने राज्य के हितों की प्राप्ति के मार्ग में नैतिक आदर्शों को अप्रासंगिक समझा। उन सभी ने राष्ट्र-राज के मित्र-गुने स्वहय पर अपनी छाप छोड़ी है।

सितम्बर, '६७]

जब मे भारत स्वाधीन हुआ है तब मे उसने विभिन्न रूपो मे सहायता देकर भारतीय लोकतन्त्र को मजबूत किया है । भारत की भनाई के लिए उसकी महंगी चिन्ता वा यह प्रमाण है ।

उपर, भारतीय नी लोकतन्त्री सिद्धान्तों और स्वतन्त्रता की महत्ता के प्रति समान निष्ठा होने तथा शान्ति व न्याय के लिए सहयोगात्मक प्रयत्नों के कारण अमेरिकियों के साथ अपने रिश्ते को महमूम करने है । लेकिन इस बात मे भी इन्कार नही किया जा सकता कि कभी-कभी गलतफहमी या अमहमनि पैदा हो जाती है ।

अमेरिकी कभी-कभी इस बात पर दृष्ट हो जाते है कि उनकी नीयत पर, चाहे वह कितनी भी उदार हो, अन्देह किया जाता है । हालांकि मे यह स्वीकार करना हूँ कि ममार के सभी देशो मे तथ्यों के बारे मे धपना हो सकता है ।

भारतीयो को अमेरिकियों की प्रभुता का भय है । यह ऐसे देश के लिए स्वाभाविक भी है जो हान ही मे औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुआ है और भ्रष्टता की भावना—चाहे वह वास्तविक हो या काल्पनिक—के विरुद्ध रोप पैदा होना भी स्वाभाविक है । यद्यपि दोनों देशो में लोकतन्त्र का दक्षिणातीक बन्धन है फिर भी अमेरिकी उद्योग और पूँजी की ताकत इतनी अधिक है कि भारत उसकी उदारता देखकर, सर्वथा तर्कमग्न रूप में, आनन्द महमूम करने लगता है ।

सहिष्णुता और समानता

यदि हम इस गलतफहमी के कारणों को दूर करना चाहते है तो हमें औपचारिक स्तर मे—चाहे वह राजनीतिक हो या आर्थिक या शैक्षिक—ऊपर उठकर विचार-विमर्श करना चाहिए । विकास की केवल आशाओं के मुकाबिले में निरन्तर शानदार सफलताओं को दिखलाकर समानता का वातावरण तैयार नही किया जा सकता ।

हमे जो चीज इकट्ठा कर सकती है और साथ रख सकती है वह रहन-सहन का समान रूप से ऊँचा स्तर हासिल करने की बात नहीं है, बल्कि हममें सत्यवादिता, अपने मे भिन्न प्रवृत्तियों के प्रति सहिष्णुता तथा पुरुषो व स्त्रियों मे निरापेक्ष समानता की भावना की है ।

तभी हम विनम्रता और दृढ़ मकल्य के साथ परमात्मा और अपनी अन्तरात्मा के सामने खड़े होकर यह कह सकेंगे कि हम अपने जीवनो और कामो-द्वारा ही पूर्णता प्राप्त करने के हादिक प्रयत्नों को दिखाने का यत्न करेंगे । ●

आज हमारा हाथ गिरी हुई है। इसके मुख्य कारण का समझना चाहिए। ब्रह्म का नम सामुदायिकता का विचार विकसित हुआ था। यह उस समय का नम नम पता चला है। लेकिन ऊँचे गणना के समाजन के आयातन के नायक विधान नही विकसित हुआ था। धारें वार मुक्ति धार्मिक का बन्धन-व्यक्तिगत स्तर का हो गया सामूहिकता का नाप हा गया।

अब हम समझना है कि व्यक्तिगत मुक्ति यही व्यक्ति के धर्म का समाज में विनाशकारण और नही तरह समाज के धर्म का परमात्मा में विनाशकारण होना चाहिए। व्यक्तिगत मुक्ति की बलना अब सामूहिक मुक्ति का धर्म गयी है।

प्रह्लाद सामूहिक मुक्ति का आचार्य हो गया। वेना मुनि आदि धर्म मुक्ति का बलना करत थे लेकिन प्रह्लाद ने कहा कि— इत दीना का धर्मकर मे मुक्ति नही चाहता।

ना हम ऐहिक-धार्मिक भेद मिटाने के सामूहिक मुक्ति को बात समझानी है।

(विनोवाजी स आचार्य राममूर्तिजी की हुई एक बात के आधार पर। पूमा रोड १५-७-६७)

पिछले कई वर्षों से ५ सितम्बर सारे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के पिछले राष्ट्रपति श्री सवपल्ली राधाकृष्णन् के जन्मदिन-समारोह के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी।

११ सितम्बर विनोवाजी का भी जन्मदिन है। शिक्षा के क्षेत्र में विनोवाजी का योगदान विशेष महत्व रखता है। शिक्षक दिवस के उपरान्त हम इस अवसर की पाठ्य-सामग्री का मूठ त्रिन्दु शिक्षक है।—सम्पादक

सम्पादक मण्डल

श्री धीरेन्द्र मजूमदार—प्रधान सम्पादक

श्री बशीधर श्रीवास्तव

श्री रामभूति

अनुक्रम

शिक्षक का दिन अभी नहा	४८	श्री रामभूति
विनावा एक महान् नाव शिक्षक	५२	श्री मच्चिदानंद सिंह साथा
शिक्षक और शिक्षा	५५	श्री विनावा
राजनयन शिक्षक की जिम्मेदारो	५७	धारेन्द्र मजूमदार
दुनिया क शिक्षको एक हा जाया	५९	श्री बागर्नी सुवादास्का
प्राथमिक शिक्षण के नक्षण	६४	श्री जुगतराम दव
अध्यापक और जननगान	६७	श्री सुरेश भटनागर
शिक्षक का रोज	७२	श्री गन्मान
बचता क्या	७६	श्री विवेका राय
नयन क बालन पन	८०	सुधा क्रान्ति
शिक्षक और प्राइवट ट्यूशन	८५	श्री तखन सिंह भटनागर
सम्पादक के नाम चिट्ठी	८८	श्री हृदयनाथ अरारा
राष्ट्र-मरुवार का नैतिक मत्ता	९०	डा० जाकिर हुसैन
सामुदायिक मूक्ति	९८	श्री विनावा
निडवा क बाहर (बनर का मय पृष्ठ)		श्री अनिकेत

सितम्बर ६७

निवेदन

- नया ताताम का वष अगस्त म आरम्भ होना है।
- नया ताताम का बापिन चन्दा रु० १५ है और एक अरु क ६० पग।
- पत्र-व्यवहार करत समय आहूत अपना आहूतमस्या का उन्हेव अवश्य करें।
- रत्ताया म व्यक्त विचार का पूरा जिम्मेदारी नयन का हाता है।

सितम्बर ६७]

[६६

अक्सूवर १९६७
वर्ष-१६ : अंक-३



राष्ट्रभाषा " " सम्पर्क भाषा " " शैक्षिक भाषा
भाषा " " " " भाषा " " भाषा " " " "
अंग्रेजी " " नहीं हिन्दी " " नहीं अंग्रेजी " " नहीं " "

○

शिक्षा के उच्चतम उद्देश्य

इस बात को मानना कि शिक्षा स्वयं में एक उद्देश्य है, सच्चाई को छिपाना है। निश्चय ही शिक्षा का पहला और बुनियादी उद्देश्य है, योग्यता और कर्म-कौशल हासिल कर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना। दूसरा उद्देश्य है, दुनिया के बारे में समझ और सहानुभूति हासिल करना। दिमाग खुला और छाती चौड़ी, शिक्षा के उच्चतम उद्देश्य है।

शिक्षा के साथ तर्क और एक प्रकार की दृष्टि का निर्माण भी जरूरी है, अन्यथा शिक्षा जिन्दगी में किसी प्रकार की चेतना नहीं ला सकती। तर्क जानकारी और दृष्टि में तारतम्य स्थापित करता है।

डा० राममनोहर लोहिया

श्री चागला का त्यागपत्र

शिक्षामंत्री होने के बाद श्री त्रिगुण सेन ने शिक्षा-आयोग द्वारा संस्तुत क्षेत्रीय भाषाओं को जल्दी से जल्दी शिक्षा का माध्यम बनाने की जो नीति अपनायी थी और जिस नीति का समर्थन पार्लियामेण्टरी समिति और शिक्षा-मंत्रियों ने किया था, उस नीति के विरुद्ध भूतपूर्व शिक्षा-मंत्री श्री चागला ने अपने विदेश मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अपने त्यागपत्र में उन्होंने लिखा है—“मैं भारतीय भाषाओं के विकास के पक्ष में हूँ। साथ ही साथ मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि अन्ततः हिन्दी अंग्रेजी का स्थान ग्रहण करेगी और देश को एक सूत्र में बाँधने का जो काम आज अंग्रेजी कर रही है, वह एक दिन हिन्दी करेगी। परन्तु मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि अंग्रेजी भाषा के स्थान पर क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग धीरे धीरे होना चाहिए और इस परिवर्तन काल में शिक्षा का स्तर गिरना नहीं चाहिए। जब तक अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी प्रतिष्ठित नहीं हो जाती तब तक अंग्रेजी को सुदृढ़ बनाना चाहिए।”

वर्ष : १६

श्रंक : ३

शिक्षा में माध्यम-परिवर्तन की नीति का राष्ट्र की एकता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अंग्रेजी के कारण आज देश में जो राजनीतिक, प्रशासनिक और

कानूनी एकता बनी हुई है, वह खण्डित हो जायगी और देश के टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगे। राष्ट्र छोटे-छोटे राज्यों में बँट जायगा। हमें अपने ही देश में एक-दूसरे को समझने के लिए दुभाषियों का प्रयोग करना पड़ेगा। देश में शिक्षा का, विशेषतः वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा का स्तर बहुत ही गिर जायगा। देश विज्ञान और टेकनालोजी की प्रगति में पिछड़ जायगा। देश की दुर्दशा के इस दुःस्वप्न की विभीषिका से श्री चागला काँप उठे और राष्ट्र की एकता बनाये रखने के लिए उन्होंने त्याग-पत्र दे दिया।

पीछे अपने एक इन्टरव्यू में श्री चागला ने अपने त्याग-पत्र के दृष्टिकोण को और भी स्पष्ट किया है। वे कहते हैं—“देश की एकता जीवन-मरण का प्रश्न है। मैं चाहता हूँ कि देश का प्रशासन, यहाँ का न्याय, यहाँ की कचहरियाँ, और यहाँ का बौद्धिक जीवन, और तो और विज्ञान और तकनीकी को भी शामिल करूँगा, एक ही भाषा में चले।” इस पर जब उनसे फिर पूछा गया कि वे क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के खिलाफ तो नहीं हैं? तो उन्होंने कहा—“नहीं, मैं तो उन सारे प्रयासों का समर्थक हूँ जो इस बात के लिए किये जायें कि क्षेत्रीय भाषाएँ एक दिन अंग्रेजी का स्थान ले लें। परन्तु मैं यहाँ फिर लोगों को सावधान करना चाहता हूँ—खतरा इस बात में नहीं है कि हिन्दी अंग्रेजी का स्थान ले ले। इसका तो मैं स्वागत करूँगा। लेकिन खतरा तो इस बात में है कि क्षेत्रीय भाषाएँ अंग्रेजी का स्थान तो ले ले, अर्थात् अंग्रेजी के स्थान पर उच्च शिक्षा का माध्यम तो बन जायें, परन्तु देश में एक ऐसी सशक्त सम्पर्क भाषा न हो, जो अंग्रेजी का स्थान ले ले और उसमें वे सारे काम होने लगेंगे जो आज अंग्रेजी में हो रहे हैं, तो क्षेत्रीय भाषाओं में माध्यम-परिवर्तन से देश में भाषायी अराजकता फैल जायगी और देश की एकता नष्ट हो जायगी।” और जब उनसे फिर पूछा गया कि आपका कार्यक्रम क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि जहाँ हम क्षेत्रीय भाषाओं का विकास करें वहाँ हम अंग्रेजी को हटाना चाहें, अथवा अन्ततः हिन्दी को। संक्षेप में श्री चागला यह चाहते हैं कि अंग्रेजी चलती रहे और जब हिन्दी सशक्त हो जाय तो वह पूर्णतः उस आसन पर प्रतिष्ठित हो जाय जिस पर आज अंग्रेजी बैठी है। यह हो जाय तभी क्षेत्रीय भाषाएँ शिक्षा का माध्यम बनायी जायें।

यह है श्री चागला का दृष्टिकोण। सरसरी नजर से देखने पर उनका यह कथन एक ऐसे देश प्रेमी का उद्गार मालूम पड़ता है जिसके हृदय में राष्ट्रिय एनता की ज्वाला धवक रही है। परन्तु ध्यानपूर्वक देखने पर उनके कथन में ऐसे तत्त्वा का समावेश है जो राजनीति की दृष्टि से ही नहीं शिक्षा की दृष्टि से भी हानिकारक हैं।

सीधा-सा मन्त्र है कि जिस पद पर स्वतन्त्रता के पूर्व अंग्रेजी प्रतिष्ठित थी और आज स्वतन्त्रता प्राप्ति के बीस वर्ष बाद भी प्रतिष्ठित है, क्या उस पद पर हिन्दी प्रतिष्ठित हो सकेगी और उसे किया भी गया तो ऐसा करना क्या राष्ट्र के हित में होगा ?

हिन्दी द्वारा अंग्रेजी का स्थान लिये जाने का मतलब है हिन्दी राजभाषा बने और भारत के केन्द्र में ही नहीं भारत के सभी राज्यों में, राज्यों के छोटे-छोटे नगरों की अदालतों में और दूसरी प्रशासनिक संस्थाओं में सारा काम हिन्दी में चले। फिर वह देश के प्रशासन की ही नहीं, अपितु वह सम्पूर्ण भारत की सारी बौद्धिक राजनीतिक और सांस्कृतिक हलचल का भाषा बन जाय ठीक वैसा ही जैसे अंग्रेजी के राज्यकाल में अंग्रेजी थी। अथवा जैसी बहुत कुछ आज भी है। और फिर वह अंग्रेजी की तरह देश के सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षा का एकमात्र माध्यम बन जाय। हमारे शब्दों में हिन्दी भी आज की तरह भारत के बुद्धिजीवियों और शिक्षाविदों के सम्पर्क और विचार विनिमय का माध्यम बन जाय अर्थात् जो काम आज अंग्रेजी-परस्त नौकरशाही अथवा बुद्धिजीवियों की जमात कर रही है वही काम बल हिन्दी-परस्त नौकरशाही और बुद्धिजीवी जन करे। एक वाक्य में कहें तो यो कहेंगे कि अगर देश में आज अंग्रेजी का साम्राज्यवाद है तो बल हिन्दी का साम्राज्यवाद स्थापित हो जाय। इसी साम्राज्यवाद से तो अहिन्दी भाषी राज्यों को भय है और श्री चागला, जो अचानक अपने त्यागपत्र के कारण अहिन्दी भाषियों के 'नायक' बन गये हैं इसी भाषायी साम्राज्यवाद को अक्षुण्ण रखना चाहते हैं—जब तक रहे—अंग्रेजी का साम्राज्यवाद और इसके बाद हिन्दी का साम्राज्यवाद।

परन्तु प्रश्न है—क्या यह सम्भव है ? क्या इस होने देना चाहिए ? दक्षिण कहता है हम हिन्दी का साम्राज्यवाद नहीं स्थापित होने देंगे। ऐसा है तो दक्षिण को श्री चागला के इस त्यागपत्र के विरुद्ध प्रदर्शन

करना चाहिए। परन्तु इसे जाने दीजिये, मेरा तो कहना है कि आज किसी भी प्रकार का किसी भी भाषा का साम्राज्यवाद स्थापित नहीं होगा। अंग्रेजी का साम्राज्यवाद जिन कारणों से, जिन परिस्थितियों में स्थापित हुआ, उन ऐतिहासिक कारणों और परिस्थितियों की पुनरावृत्ति हिन्दी को लेकर सम्भव नहीं है। उस युग के विदेशी साम्राज्यवाद की जगह आज देश में गणतंत्र है। साम्राज्यवाद के उस युग में शासक की भाषा शासित पर लाद दी गयी थी। जाहिर है, सामान्य जनता इस भाषा को सीख नहीं सकती थी—आवश्यकता भी नहीं थी। अब अंग्रेज शासकों को प्रशासन-कार्य में सहायता देने के लिए गिने-चुने व्यक्तियों ने ही अंग्रेजी सीखी। और आज भी अंग्रेजी जाननेवाले व्यक्तियों की संख्या २ प्रतिशत से अधिक नहीं। परन्तु लोकतंत्र में प्रशासक और प्रशासित की भाषा में अन्तर नहीं होना चाहिए। अब लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त हो जाती है कि विभिन्न राज्यों का सारा काम उन क्षेत्रीय भाषाओं में ही चले जो वहाँ बोली जाती है। यह तभी सम्भव होगा जब पूर्व प्रारम्भिक स्तर से स्नातकोत्तर स्तर तक क्षेत्रीय भाषाएँ शिक्षा का माध्यम बनें और राज्य की उच्च से उच्च नौकरियाँ क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से पढ़नेवालों को मिले। यह तभी सम्भव होगा जब अंग्रेजी को उम स्थान से अपदस्थ किया जाय, जहाँ राज्यों में वह आज भी बैठी है।

अपदस्थ करने का यह काम प्रारम्भ भी हो गया है। देश के ७३ विश्वविद्यालयों में से ३५ विश्वविद्यालयों में परीक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएँ हो गयी हैं और १५ तो ऐसे विश्वविद्यालय हैं, जहाँ ६० प्रतिशत छात्र परीक्षा के माध्यम के लिए क्षेत्रीय भाषाएँ चुनते हैं। १७ ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ स्नातकोत्तर स्तर पर भी क्षेत्रीय भाषाएँ शिक्षा का माध्यम हैं। परिवर्तन का यह कार्य प्रारम्भ हो गया है। जहाँ इसके कई कारण हैं, वहाँ सबसे बड़ा कारण यही है कि लोकतंत्र का तवाजा स्वीकार कर राज्य प्रशासन के लिए क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग करना चाहते हैं। इसीलिए शिक्षा-आयोग ने संस्तुति की थी कि माध्यम-परिवर्तन का काम शीघ्रातिशीघ्र लगभग १० वर्षों के भीतर विश्वविद्यालयों की और यू० जी० सी० की सहायता से समाप्त कर लिया जाय क्योंकि इन कार्य में जिनका अधिक विलम्ब होगा, समस्या उत्पनी ही अधिक उत्पन्न होती जायगी।

परन्तु राजनीतिक दृष्टिकोण और लोकतंत्र की बात छोड़ भी द तो भी क्षेत्रीय भाषाओं को प्रत्येक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बनाने की बात शिक्षा और देश की एकता के दृष्टिकोण से सही है। क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने से उच्च शिक्षा के स्तर बढ़ेंगे, छात्रों की प्रतिभा का मौलिक विकास सम्भव होगा, ज्ञान-विज्ञान का लाभ साधारण जनता को मुलभ होगा, साधारण जनता में वैज्ञानिक और आधुनिक दृष्टिकोण का सृजन होगा और बुद्धिजीवियों और श्रमजीवियों के बीच की खाई पटगी। क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम बनाने की बात कविगुरु रवीन्द्रनाथ ठाकुर एवं गांधीजी ने ही नहीं की थी, मुदालियर-कमीशन और राधाकृष्णन्-आयोग और शिक्षा-आयोग की भी जन पर झुहर है। इसी प्रकार क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम बनाने से देश की एकता बढ़ेगा—यह बात नेशनल इन्टीग्रेशन काउंसिल और भावनात्मक एकता समिति, दोनों ने कही थी क्योंकि इससे एक ही राज्य में रहनेवाले बुद्धिजीवियों और सामान्य जनता के बीच एकता बढ़ेगी, जो आज अंग्रेजी के कारण नहीं है और यह राष्ट्र की एकता के लिए बहुत बड़ा लाभ होगा। विभिन्न राज्यों में रहनेवाले बुद्धि-जीवियों के बीच में भी सम्पर्क बना रहेगा और विचार-विनिमय का मार्ग बन्द नहीं होगा, क्योंकि अभी कम में कम ३० वर्ष तक तो अंग्रेजी को देश की मशकत सम्पूर्ण भाषा वही बनाये रहेगे जो स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद पहले से भी अधिक मुस्तेदी के साथ अंग्रेजी पढ़कर तैयार हो गये हैं। और इसी बीच हिन्दी के 'लिक' को दृढ़ कर लिया जायगा।

अतः माध्यम-परिवर्तन के प्रश्न को लेकर श्री चागला के त्यागपत्र देने की बात समझ में नहीं आती।

अब हमारे दृष्टिकोण से समस्या पर विचार करें। हिन्दी माननेवालो ने कभी भी यह दावा नहीं किया था कि हिन्दी पूर्णतः अंग्रेजी का स्थान ले ले। प्रारम्भ से ही हिन्दी के लिए तो इतना ही दावा किया गया है कि वह केन्द्र की राजभाषा हो, अर्थात् सुरक्षा, संरक्षण, राजस्व आदि जो केन्द्रीय विषय हैं, उनमें हिन्दी में बंध ही काम चले जिस प्रकार आज अंग्रेजी में चलता है और इस क्षेत्र में वह विभिन्न राज्यों की सम्पर्क भाषा हो। अतः प्रारंभ से हिन्दी को इसी सीमित रूप में स्वीकार करने की मांग की गयी थी। परन्तु किन्ही कारणों से और

उन कारणों में ही चागला के मत के उन विद्वानों की राय भी शामिल है, चाहे वे हिन्दी के पक्षवाले हों चाहे विपक्षवाले, जो यह चाहते थे कि हिन्दी अंग्रेजी की भाँति उच्च शिक्षा का माध्यम बने और अंग्रेजी की तरह वह देश के बुद्धिजीवियों की ममस्त राजनीति, बौद्धिक और साम्प्रतिक हलचल का माध्यम बन जाय। जैसा कि मैंने ऊपर कहा है यह स्पष्टतः अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी के साम्राज्यवाद की स्थापना की बात थी और इस दृष्टिकोण से स्वभावतः दक्षिणवालों को चौंका दिया। उन्होंने हिन्दी के साम्राज्यवाद के विरुद्ध आवाज उठायी। मैं मानता हूँ कि उनका दृष्टिकोण सही है, परन्तु यह भी मानता हूँ कि चागला का त्यागपत्र अंग्रेजी के साम्राज्यवाद को, और अन्ततः हिन्दी के साम्राज्यवाद को बल देता है और इसका विरोध करना चाहिए। अगर श्री चागला का तर्क मान लिया गया तो लोकतंत्र और समाजवाद की स्थापना के शपथ-ग्रहण के बावजूद देश में आज जैसे अंग्रेजीपरस्त बुद्धिजीवियों का राज्य है वैसे ही कुछ दिनों बाद हिन्दीपरस्त बुद्धिजीवियों का राज्य होगा। परन्तु यह स्थिति बहुत अवाञ्छनीय होगी।

एक बात और समझ लेनी चाहिए। लाख प्रयत्न करने पर भी हिन्दी उस पद पर प्रतिष्ठित नहीं हो सकती जिस पद पर आज अंग्रेजी है। क्याकि जिन कारणों से अंग्रेजी को वह पद प्राप्त हो गया था उनकी पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती।

अतः देश की एकता, लोकतंत्र और शिक्षा की दृष्टि से अगर श्री चागला क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम को टालने की बात अथवा माध्यम-परिवर्तन की गति को धीमी करने की बात छोड़कर शीघ्रता से अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को सम्पूर्ण भाषा और राजभाषा बनाने की बात दृढतापूर्वक कहते, तो उनकी बात अधिक न्यायसंगत होती। सक्रमण-काल में दो ही बातें करनी थी, और यह सक्रमण-काल बहुत लम्बा न हो, कि अंग्रेजी और हिन्दी दोनों चले, दोनों का ही स्तर न गिरने दिया जाय और सक्रमण-काल के बाद नियोजित ढंग से हिन्दी आ जाय और केंद्र में जिन विभागों के संचालन के लिए अंग्रेजी का प्रयोग होता है उनका विभाजन हिन्दी में होने लगे।

—वशीधर श्रीवास्तव

हिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषा

महात्मा गांधी

हमने अपनी मानुभाषाओं के मुकाबिले अबेजी से ज्यादा मुहब्बत रखी, जिसका नतीजा यह हुआ कि पढ़े लिखे और राजनीतिक दृष्टि से जागे हुए ऊँचे तबक के लोगो के साथ आम लोगो का रिश्ता बिल्कुल टूट गया और उन दोनो के बीच एक गहरी खाई बन गयी। यही वजह है कि हिन्दुस्तान की जवानों या भाषाएँ गरीब बन गयी हैं, और उन्हें पूरा पोषण नहीं मिला है। अपनी मानुभाषा के अटपटे और गहरा तात्त्विक विचारो की प्रकट करने की अपनी धर्य चोष्टा में हम गान खान है। हमारे पास विज्ञान की कोई निश्चित परिभाषा नहीं—पारिभाषिक या इस्तिलाही शब्द नहीं। इस सबका नतीजा खतरनाक हुआ है। हमारी आम जनता नये युग के मानस से यानी नये जमाने के विचारो में बिल्कुल अदुनी रही है। हिन्दुस्तान की महान् भाषाओ की जो अवगणना हुई है, ओर उसकी वजह से हिन्दुस्तान को जो बेहद नुकसान पहुँचा है, उसका कोई अन्दाजा या माप आज हम निकाल नहीं सकते, क्याकि हम इस घटना के बहुत नजदीक हैं। मगर इतनी बात तो आसानी से समझी जा सकती है कि अगर आज तक हुए नुकसान का इलाज नहीं किया गया, यानी जो हानि हो चुकी है उसकी भरपाई करने की कोशिश हमने न की, तो हमारी आम जनता को मात्रात्मक मुक्ति नहीं मिलेगी। वह खुदिया ओर बहमो से धिरो रहगी। नतीजा यह होगा कि आम जनता स्वराज्य के निर्माण में कोई ठोस मदद नहीं पहुँचा सकेगी। अहिंसा की बुनिमाद पर रचे गये स्वराज्य की चर्चा में यह बात शामिल है कि हमारी आम जनता लडाई के हर पहलू ओर उसकी हर सोझी में परिचित न हो, ओर उससे परहस्यो को भलीभाँति न समझती हो, तो स्वराज्य की रचना में वह अपना हिस्सा किस तरह अदा करेगा ? ओर जब तक सर्वसाधारण को अपनी बोली में लडाई के हर पहलू ओर कदम को अच्छी तरह समझाया नहीं जाता, उनसे यह उम्मीद कैसे की जाय कि वे उनमें हाथ बटायेंगे ?

समूचे हिंदुस्तान के साथ व्यवहार करने के लिए हमको भारतीय भाषाओं में से एक ऐसी भाषा या जवान की जरूरत है जिसे आज ज्यादा से-ज्यादा तादाद में लोग जानते और समझते हों और बाकी के लोग जिसे भट सीख सकें। इसमें शक नहीं कि हिन्दी ऐसी ही भाषा है। उत्तर के हिन्दू और मुसलमान दोनों इस भाषा को बोलते और समझते हैं। यही बोली जब उर्दू लिपि में लिखी जाती है तो उर्दू कहलाती है। राष्ट्रीय महासभा ने सन् १९२५ के अपने कानपुरवाले जलसे में मजूर किये गए ठहराव में सारे हिंदुस्तान की इसी बोली को हिंदुस्तानी कहा है। और तब से भले उर्दू ही क्या न हो हिंदुस्तानी राष्ट्रभाषा या कौमी जवान मानी गयी है। उर्दू या सिद्दातत मैंने जान-बूझकर कहा है क्योंकि खुद काग्रसवाला ने भी इसका जितना मुहावरा रक्खा चाहिए नहीं रखा। हिंदुस्तान की आम जनता की राजनीतिक शिक्षा के लिए हिंदुस्तान की भाषाओं के महत्व को पहचानने और मानने की एक खास काग्रेस सन् १९२६ में शुरू की गयी थी। इसी हेतु से इस बात का खास प्रयत्न किया गया था कि सारे हिंदुस्तान के लिए एक ऐसी भाषा को जान और मान लिया जाय जिसे राजनीतिक दृष्टि से जागा हुआ हिंदुस्तान आसानी से बोल सके और अखिल भारतीय राष्ट्रीय महासभा के आम जलसे में इकट्ठा होनेवाले हिंदुस्तान के जुदा जुदा सूबों से आये हुए कांग्रेसी जिसे समझ सकें। यह राष्ट्रभाषा हम इस तरह सीखनी चाहिए कि जिससे हम सब इसकी दोनों पैलिया को समझ और बोल सकें और इसे दोनों लिखावटों में लिख सकें।

अग्रजी की माहिनी

मुझे अरुमोस के साथ कहना पता है कि बहुतेरे कांग्रेसजनों ने इस ठहराव पर अदल नहीं किया। मेरी समझ में इसका एक गमनाक नतीजा यह हुआ कि आज भी अग्रजी बोलने का आग्रह रखनेवाले और अपने समझने के लिए दूसरों का अग्रजी में ही बोलने के लिए मजबूर करनेवाले कांग्रेसजनों का बेहदा दाय हमें देखना पड़ता है। अग्रजी जवान ने हमपर खा मोहिनी डाली है उसके अंदर से हम अभी तक छूटे नहीं हैं। इस माहिनी के वग हाकर हमलोग हिंदुस्तान को अपने ध्येय या मकसद की ओर आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। जितने साल हम अग्रजी सीखने में बरबाद करते हैं अगर उतने महाने भी हम हिंदुस्तानी सीखने की तरकीफ न उठाएँ तो सचमुच ही कहना होगा कि

जन-साधारण के प्रति अपने प्रेम को जहाँ हम हाँका करते हैं, वे निरी दोगे ही हैं ।^१

हमारी दयनीय गुलामी

अंग्रेजों को हम गालियाँ देते हैं कि उन्होंने हिन्दुस्तान को गुलाम बना रखा है, लेकिन अंग्रेजों के तो हम खुद ही गुलाम बन गये हैं । अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान को काफ़ी पामाल किया है । इसके लिए मैंने उनकी कड़ी से कड़ी टीका भी की है । परन्तु अंग्रेजों की अपनी इस गुलामी के लिए मैं उन्हें जिम्मेदार नहीं समझता । खुद अंग्रेजों सीखने और बच्चों को अंग्रेजी सिखाने के लिए हम कितनी कितनी मेहनत करते हैं ? अगर कोई हम यह कहता है कि हम अंग्रेजों की तरह अंग्रेजी बोल लेने हैं तो हम मारे खुशी के फूले नहीं समाते । इससे बड़कर दयनीय गुलामी और क्या हो सकती है ? इसकी बजह से हमारे बच्चों पर कितना जुल्म होता है ? अंग्रेजों के प्रति हमारे इस मोह के कारण देश को कितनी शक्ति और कितना धर्म बरबाद होता है ? इसका पूरा हिसाब तो हमें तभी मिल सकता है, जब गणित का कोई विद्वान इसमें दिलचस्पी ले ।

हमें ईश्वर सुबुद्धि दे

आज हवा ही कुछ ऐसी बह गयी है कि हमारे लिए उसके असर से बच निकलना मुश्किल हो गया है । लेकिन अब वह जमाना भी नहीं रहा, जब विद्यार्थियों को जो कुछ मिलना था, उसी में वे मनुष्य रह लिया करते थे । अब तो वे बड़े-बड़े दूफान भी खड़े कर लिया करते हैं । छोटी-छोटी बातों के लिए भूख हड़ताल तक कर देते हैं । अगर ईश्वर उन्हें बुद्धि दे तो वे कह सकते हैं—
“हमें अपनी मातृभाषा में पढ़ाओ ।” और, अगर वे मेरी अवल से काम लें, तब तो उन्हें कहना चाहिए कि हम हिन्दुस्तानी हैं, चुनावें हमें ऐसी जवानों में पड़ाइये जो सारे हिन्दुस्तान में समझी जा सकें । और, वैसी जवान तो हिन्दुस्तानी ही हो सकती है ।

कहा जापान, वहाँ हम ?

जापान आज अमेरिका और इंग्लैंड से लोहा ले रहा है । लोग इसके लिए उसकी तारीफ़ करते हैं । मैं नहीं करता । फिर भी जापान की कुछ बातें सचमुच हमारे लिए अनुकरणीय हैं । जापान के लड़कों और लड़कियों ने यूरोप

१ ‘राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी’ पृष्ठ ११२, ११३, ११४ ।

चांग में जो कुछ पाया है ता अपनी मातृभाषा जापानी के जरिये ही पाया है अंग्रेजी के जरिये नहीं। जापानी लिपि बहुत कठिन है फिर भी जापानियों ने रामन लिपि का कभी नहीं अपनाया। उसी सारी तांगम जापानी लिपि और जापानी जवान के जरिये ही होता है। जा चुने हुए जापानी पश्चिमी देशों में खाम तस्म को तांगम के लिए भेजे जान है व भी जय आयत्यक ज्ञान पाकर श्रेष्ठ है ता अपना सारा ज्ञान अपने देववासियों का जापानी भाषा के जरिये ही देते हैं। अगर व ऐसा न करते और देश में जानकर दूसरे देशों-जैसे स्कूल और कॉलेज अपने यहाँ भी बना लें और अपना भाषा का निष्ठावृत्ति देकर अंग्रेजी में सब कुछ पढ़ने लगते ता उसमें कितना बेवकूफ और नया होनी ? इस तरफके में जापानियों नया भाषा ता सखत लजिन नया ज्ञान न सीख पात। हिन्दुस्तान में आज हमारी महात्वाकांक्षा हा यह रहता है कि हमें किस तरह कोई सरकारी नौकरी मिल जाय या हम कौशल बैरिस्टर, जज बगरह बन जाय।^१

चांग समझ कि मैं अंग्रेजी भाषा का आर अंग्रेजों का प्रेमी हूँ। लेकिन मेरा यह प्रेम चतुराई और समझदारी में माला नहीं। अतएव मैं जाना था उनके अनुरूप ही महत्व देना है। मसलान् मैं अंग्रेजी का मातृभाषा का था हमारी अपनी राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी का निरादर कभी नहीं करने देना और न अंग्रेजों की मुहज्जत के कारण मैं अपने उन देववासियों का निरादर होने देता हूँ जिनके हिना को मैं किसी भी हाता में हानि नहीं पहुंचने दे सकता। हाँ अन्तर्राष्ट्रीय कामकाज के लिए मैं अंग्रेजी के महत्व को मानता हूँ। जिन चने हुए हिन्दुस्तानियों को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने देश के हितों का प्रतिनिधित्व करना है उनके लिए दूसरी भाषा के तौर पर मैं अंग्रेजी को अनिवाय समझता हूँ। मेरी राय में अंग्रेजी एक खुली खिड़की है जिसकी राह हम पश्चिमवालों के विचारों और वैज्ञानिक कार्यों से परिचित रह सकते हैं। यह काम भी मैं कुछ चुनिन्दा लोगों को ही सौंपना चाहता हूँ और उनके जरिये यूरोप के ज्ञान का प्रचार देश में देनी भाषाओं द्वारा कराना चाहता हूँ। मैं अपने देश के बच्चों के लिए यह जरूरी नहीं समझता कि वे अपनी बुद्धि के विकास के लिए एक विदेशी भाषा का बोझ अपने सिर ढोयें और अपनी उम्र ही बर्बाद कर लें।^२ ●

१ वही पृष्ठ-११५ ११६।

२ वही पृष्ठ १२२।

शिक्षा का माध्यम

महात्मा गांधी

हमें जो कुछ उच्च शिक्षा मिली है अथवा जो भी शिक्षा मिली है, वह केवल अंग्रेजों के ही द्वारा न मिली होती, तो ऐसी स्वयमिद्ध बात को दलीलें देकर सिद्ध करने की कोई जरूरत न हानी कि किसी भी देश के बच्चों को अपनी राष्ट्रीयता कायम रखने के लिए नीची या ऊँची सारी शिक्षा उनकी मातृभाषा के जरिये ही मिलनी चाहिए। यह स्वयमिद्ध बात है कि जब तक किसी देश के नौजवान ऐसी भाषा में शिक्षा पाकर उमे पचा न लें जिसे प्रजा समझ सके, तब तक वे अपने देश की जनता के साथ न तो जोता-जागना सम्बन्ध पैदा कर सकते हैं और न उमे कायम रख सकते हैं।^१

मेरा यह विश्वास है कि राष्ट्र के जो बालक अपनी मातृभाषा के बजाय दूसरी भाषा में शिक्षा प्राप्त करते हैं, वे आत्महत्या ही करते हैं। यह उन्हें अपने जन्ममिद्ध अधिकार में वंचित करती है। विदेशी माध्यम में बालकों पर अनावश्यक जोर पड़ना है। वह उनकी सारी मौलिकता का नाश कर देता है। विदेशी माध्यम से उनका विकास रुक जाता है और वे अपने घर और परिवार में अलग पड़ जाते हैं। इसलिए मैं इस चीज को पहले दर्जे का राष्ट्रीय सक्द मानता हूँ।^२

विदेशी माध्यम में हमारे बालकों को अपने ही घर में पूरा विदेशी बना दिया है। यह वर्तमान शिक्षा-प्रणाली का सबसे कठण पहलू है। विदेशी माध्यम में हमारे देशी भाषाओं की प्रगति और विकास को रोक दिया है। अगर मेरे हाथों में तानाशाही सत्ता हो, तो मैं आज से ही विदेशी माध्यम के जरिये अपने लड़कों और लड़कियों की शिक्षा बन्द कर दूँ और सारे शिक्षकों और प्रोफेसरों में यह माध्यम तुरन्त बदलवा दूँ या उन्हें बरखास्त करा दूँ। मैं पाठ्य-पुस्तकों की तैयारी का इन्तजार नहीं करूँगा। वे तो माध्यम के परिवर्तन के पीछे-पीछे चली आयेंगी। यह एक ऐसी बुराई है, जिसका तुरत इत्जाम होना चाहिए।^३

‘शिक्षा का माध्यम’ पुस्तक से—१. पृष्ठ-१६, २. पृष्ठ-१६, ३ पृष्ठ-११,

मेरी मानुभाषा में कितनी ही खामियाँ ब्यो न हों, मैं उसमें उसी तरह चिपटा रहूँगा, जिस तरह अपनी माँ की छाती से। वही मुझे जीवन प्रदान करनेवाला दूध दे सकती है। मैं अंग्रेजी को उसकी अपनी जगह पर प्यार करता हूँ। लेकिन अगर वह उस जगह को हड़पना चाहती है, जिसकी वह हकदार नहीं है तो मैं उससे सरन नफरत करूँगा। यह बात मानी हुई है कि अंग्रेजी आज पूरी दुनिया की भाषा बन गयी है। इसलिए मैं उसे दूसरी भाषा के नाते जगह दूँगा, लेकिन युनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में, स्कूलों में नहीं। वह कुछ चुने हुए लोगों के सीखने की चीज हो सकती है, लाखों-करोड़ों की नहीं। इससे बिना अंग्रेजी के विज्ञान में इतनी उन्नति कर ली है। आज हम अपनी मानसिक गुलाम की बजह से ही यह मानने लग गये हैं कि अंग्रेजी के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। मैं काम शुरू करने से पहले ही हार मान लेने की इस निराशापूर्ण वृत्ति को कभी स्वीकार नहीं कर सकता।^१

शिक्षा का माध्यम तो एकदम और हर हालत में बदला जाना चाहिए, और प्रांतीय भाषाओं को उनका वाजिब स्थान मिलना चाहिए। यह जो फ्रांक्ले-सुजा बर्बादी रोज-ब-राज हा रही है इसके बजाय तो अस्थायी रूप में अव्यवस्था हो जाना भी मैं पसंद करूँगा।

प्रान्तीय भाषाओं का दर्जा और व्यावहारिक मूल्य बढ़ाने के लिए मैं चाहूँगा कि असाक्षरों की बाराबाई अपने-अपने प्रांत की ही भाषा में हो। प्रांतीय धारासभाओं की बाराबाई भी प्रान्तीय भाषा या जहाँ एक से अधिक भाषाएँ प्रचलित हैं वहाँ उनमें होनी चाहिए। धारा-सभाओं के सदस्यों से मैं कहना चाहता हूँ कि वे चाहें तो एक महीने के अन्दर-अन्दर अपने प्रांतों की भाषाएँ भलीभाँति समझ सकते हैं। तमिल भाषी के लिए ऐसी कोई टकावट नहीं कि वह तेलगु, मलयालम और कन्नड़ के, जो कि सब तमिल से मिलती जुलती ही हैं, मामूली व्याकरण और कुछ सौ शब्दों को आसानी से न सीख सके।^२



^१ वहाँ, पृष्ठ-१५,

^२ वही, पृष्ठ १०।

भाषा-सम्बन्धी कुछ और रायें

कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर .

बहुत वर्षों से तो अंग्रेजी ही हमारी राष्ट्रभाषा बनी हुई है, जो साधारण जनता की समझ से बिलकुल बाहर है। यदि हम प्रत्येक भारतीय के नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं तो हमें उस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करना चाहिए जो देश के सबसे बड़े भाग में बोली जाती है और जिसके स्वीकार करने की सिफारिश महात्मा गांधी ने हम लोगों से की है अर्थात् हिन्दी।

केशवचन्द्र सेन

समस्त भारतवर्ष में जितनी भाषाएँ प्रचलित हैं उनमें हिन्दी भाषा प्रायः सर्वत्र ही प्रचलित है। इस हिन्दी भाषा को यदि भारत की एकमात्र भाषा बना दिया जाय तो अनायास ही एकता का वायु शीघ्र ही सम्पन्न हो जाय। भाषा एक न होने से एकरता कभी नहीं हो सकती।

बाबू वक्तिमचन्द्र चटर्जी

अंग्रेजी भाषा के द्वारा जो भी हो, किन्तु हिन्दी का शिक्षा न देने से किसी भीति काम नहीं चल सकता। हिन्दी भाषा की सहायता से भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों के बीच जो ऐक्य सम्बन्ध स्थापित कर सकेंगे, वे ही वस्तुतः भारतवर्ष को बहलाने योग्य हो सकेंगे।

श्रीनिवास शास्त्री

यद्यपि मैं गणतन्त्र का सहायक और समर्थक हूँ तथापि प्रायः सोचा करता हूँ कि किसी तरह से यदि मेरे पास शक्ति होती तो कुछ क्षणा के लिए मैं सारे भारत का स्पिटेटर बन जाता। यदि मौभाग्यवश उक्त पद को प्राप्त कर पाता तो कितनी आदर्श योजनाएँ कार्यान्वित करता। इस सवाल में भी सबसे प्रथम और महत्वपूर्ण मेरा आदेश सारे भारतवर्ष के लिए यह होता, मैं अपनी समस्त शक्ति एवं अधिकार के साथ यह आदेश देना कि सभी विद्यालयों में, सरकारी दफ्तरों में हिन्दुस्तानी को ही कार्यवाही का माध्यम माना जाय।

—'नागरी पत्रिका से साभार

राजभाषा का सवाल

काका कालेलकर

भाषा का सवाल दिन पर दिन अधिकाधिक जटिल होता जाता है, क्योंकि लोग इसके सच्चे क्षेत्रों को नहीं पहचानते। भाषा का सवाल असल में शिक्षा विभाग का नहीं है, वह है राज्य-व्यवस्था का और सामाजिक जीवन का। वही पर उसका हल ढूँढना चाहिए।

अगर राज्यों में सारा राजकाज प्रजाकीय भाषा में याने प्रांतीय भाषा में चलाने का निश्चय किया जाय तो उसके लिए प्रजा की तैयारी करने की आवश्यकता होती ही नहीं। जो भाषा घर में, बाजार में और समाज में बोली जाती है और जिस भाषा में हमारे मिनिस्ट्रस चुनाव के दिनों में मतदाताओं से वचन करते हैं उसी भाषा में अगर उस प्रदेश का राज्य चले तो वह आदर्श स्थिति होगी। जहाँ राज्य आज अंग्रेजी में चलता है वहाँ प्रादेशिक भाषा चलाने के लिए एक दिन की भी तैयारी करनी नहीं पड़ेगी, यदि राज्य जनता के लिए चलाया जा तो।

अक्टूबर, '६७]

आज के छोटे-बड़े राज्यकर्ता कहते हैं कि हम अप्रेजी के आदी हैं, इसलिए दीर्घकाल तक राजकाज अप्रेजी में ही चलेगा। इसके मानी यह हुए कि राज्य जनता के लिए नहीं, किन्तु छोटे-बड़े राज्यकर्ताओं की सहूलियत के लिए है। इस दुर्देवी बात को स्वीकार करके हम राजभाषा व परिवर्तन के लिए एक साल की मोहलत देने के लिए तैयार हैं। लेकिन राज्यकर्ता हैं मिरजार। उन्हें एक साल तो क्या, दस साल भी बस नहीं हैं। मनदानाओं का खुदा करने के लिए पादा-शोदा राजकाज प्रादेशिक भाषा में चलना है वही लेकिन वह मनदानाओं को खुदा करके मुलाने मात्र के लिए है।

अब रहा केन्द्रीय राजभाषा का सवाल। यहाँ राज्यकर्तागण (जिसे लाकमाय तिलक नौकरशाही कहते थे) बड़े मजबूत हैं। व मन में बहुत है, "अप्रेज गये, अप्रेजा का राज्य गया। राज्य-सुन्ना भले हा दस के नेताओं के हाथ में आयी हा, हमारे बिना व राज्य चला नहीं सकते। हम बाजू पर रखने का न उनकी शक्ति है न इच्छा। इसलिए राज्य तो नौकरशाही व हाथ में ही रह्या। इसलिए हम दलीलें कुछ भी करें पार्मुला बैसा भा बना लें केन्द्रीय राज्य चण्गा अप्रेजी व जरिये ही। जयजा का राय गया किन्तु अप्रेजी का राज्य कायम है, पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। देश व नेताओं को इस परिस्थिति का पूरा ज्ञान है। राज्य अप्रेजी में चल इसमें व मन में राजा है। उनकी हिम्मत नहा कि बैसा वह। उनकी यह भी हिम्मत नहा कि आज की स्थिति में व कुछ परिवर्तन करें।

और जब तक राज्य अप्रेजी में चलनेवाला है, बच्चा के माँ-बाप चाहेगे ही कि उनका अय भाषा अब सिखायें या नहा सिखायें, अप्रेजी सिखानी ही है। अप्रेजी सिखायें, टूटी फूटी सिखायें, लेकिन अप्रेजी के बिना हमारा चलेगा नहीं।

ऐसी हालत में लोग स्याचार होकर अप्रेजी का पक्ष करने रहगे और हिन्दी को उससे नसीब पर छाड़ दिया जायगा।

राज्य चणाने की भाषा जब अप्रेजी है तब उसकी इस प्रतिष्ठा के कारण हमारे सार्वजनिक जीवन की भाषा भी अप्रेजी ही होगी।

गांधीजी ने चाहा था कि अखिल भारतीय राजभाषा के स्थान पर कोई परदेशी भाषा न रहे। राष्ट्र का हित, राष्ट्र की सहूलियत और राष्ट्र का सम्मान इसीमें है कि अखिल भारतीय भाषा कोई ऐसी स्वदेशी भाषा हो जा करोडा जनता के लिए आसान हा, नजदीक की हो।

आज के राज्यकर्ताओं का अन्दर से यह मजूर नहीं है। दबी आवाज से वे

कहते हैं कि "अंग्रेजी का प्रचलन शाना सार्वत्रिक है कि उसे स्वदेशी भाषा ही मानने में क्या हर्जा है ? (अंग्रेजी भाषा जाननेवाले लोगों की तादाद पीसदी सात या दस से कुछ अधिक क्यों न हो ?) राज्यकर्ता, अध्यापक और अधिकांश अखबार चलानेवाले अंग्रेजी को जानते हैं । और अंग्रेजी भाषा आ-मेनु हिमाचल फ़ैली है । उसीको स्वदेशी भाषा मान लीजिये । वे कहते हैं कि शादी की आमन्त्रण-पत्रिका भी लोग अंग्रेजी में छापने में अपनी शान समझते हैं । तब आप कैसे कह सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा स्वदेशी नहीं है ? अंग्रेजी जाननेवाले लोगों की सस्या भले ही कम हो, अंग्रेजी सिखाने का प्रबन्ध सर्वत्र है । इतनी बड़ी व्यवस्था आपको अन्यत्र नहीं मिलेगी ।"

दुःख की बात है कि इस तरह अंग्रेजी का पक्ष करनेवाले लोगों में हिन्दी-भाषी कम नहीं है । अगर हिन्दी राजभाषा हुई ता उन्हें एतराज नहीं है । किन्तु वे चाहते हैं अंग्रेजी का ही राज्य । अंग्रेजी का राज्य तोडने में और हिन्दी का पक्ष मजबूत करने में ऐसे लोगों ने बाज तक कुछ भी नहीं किया है ।

अंग्रेजी का पक्ष करनेवाले लोगों में बड़ा जोर है अंग्रेजी अखबारों का । नौकरशाही जिस तरह इस देश में दृढमूल है, वैसे ही अंग्रेजी अखबारवाले भारत के सार्वजनिक जीवन के जबरदस्त ठेकेदार बन गये हैं । आज भारत की राज्य-व्यवस्था और सार्वजनिक जीवन की चर्चा अंग्रेजी में चलती है—इन्हीं दो वर्गों की सहूलियत के लिए । अंग्रेजी जाननेवाले लोगों की एक जबरदस्त जमात है । उसीके हाथ में राज्य सत्ता है । जनता के हाथ में मतदान का अधिकार भले ही हो, राज्य ता अंग्रेजी जाननेवाली जमात के हाथ में ही है और उसका प्रयत्न है कि यही स्थिति दीर्घकाल तक चले । दीर्घकाल याने कम-से-कम पाँच-दस पुस्त ।

यह है देश की परिस्थिति । इस हालत में शिक्षा-तंत्र में कौनसी भाषा को हम स्थान दें और कौनसी भाषा को न दें, यह शोध बात है । सारी चर्चा शिक्षा के क्षेत्र में ले जाकर राज्यकर्ता की जमात अपने क्षेत्र को सुरक्षित रख रही है । राज्यकर्ता की जमात जब देश की एकता की बात करती है, तब वह अपनी जमात की सत्ता और संगठितता की ही सोचती रहती है । वह जमात कहती है कि राज्यकर्ता हम है । जनता तो केवल प्रजा है । उसे हमने दो हक दिये हैं—(१) चुनाव के दिन में अपने प्रतिनिधियों को पसन्द करना और (२) अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाकर उन्हें राज्यकर्ताओं की जमात में मर्ती करना ।

जब तक यह स्थिति कायम है, शिक्षा के क्षेत्र में चाहे जो कॉम्यूला मान्य अवतूबर, '६७]

करें, अंग्रेजी को अनिवार्य बनावें या ऐच्छिक, परिस्थिति में कोई फर्क होनेवाला नहीं। जनता ही कहेगी—“जब तक राज्य अंग्रेजी में चलता है और कार्टों का भी काम अंग्रेजी में चलता है तब तक हमारा जबरदस्त आप्रह अंग्रेजी के पक्ष में ही रहेगा। हम नहीं चाहते कि हमारे बाल-बच्चे नौकरी के बिना भूखों मरें और सार्वजनिक जीवन में बुद्धू जैसे दीख पड़ें।”

ऐसी हालत में जो लोग प्रजाहित चाहते हैं, स्वदेशी संस्कृति को अपमानित और कमजोर हालत में रखना नहीं चाहते, उनको समझित होकर बुलन्द आवाज से कहना चाहिए कि हम आपके राजनैतिक पक्षों में से किसीको भी नहीं पहचानते। कांग्रेस हो या जनसंघ, कम्युनिस्ट हो या स्वतंत्र, हम किसीको भी बाट नहीं देंगे। हम अपना बाट उसी पक्ष या जमात को देंगे जो वचन देगा कि तीन चार वर्ष के अन्दर सब प्रदेशों का राज्य चलगा प्रान्तीय भाषा में, अर्थात् प्रादेशिक भाषा में और केन्द्रीय सरकार का राज्य अंग्रेजी में नहीं चलेगा, किसी स्वदेशी भाषा में ही चलेगा। जो लोग ऐसा वचन देंगे और हम विस्वासा हागा कि वे लागू दिये हुए वचन का पालन करेंगे, उन्हें हमारा घोट मिलेगा।

जापान पिछड़ा हुआ देश नहीं है। उसने यूरोप और अमेरिका से पश्चिमी विद्या और विज्ञान पूरा रूप से अनायास है। तो भी जापान का राज्य अंग्रेजी या किसी यूरोपियन भाषा में नहीं चलता। वहाँ का राज्य तो गुरु से आज तक जनता की भाषा में ही चलता है। चीन जैसे बड़ देश में भी राज्य यूरोपियन भाषा में या किसी परदेशी भाषा में नहीं चल रहा है, हालाँकि वहाँ का राज्य कम्युनिस्टों के हाथ में है। इन दोनों देशों में प्रजा की दक्ति सार्वभौम है। भारत में जनता लाचार है, परदेशी भाषा के पूरे भक्त और दास बने हुए स्वदेशी राज्यकर्ताओं की जमात की मुहताज है, अधित है। उसके नेता भी प्रजा भाषा के भक्त और अभिमानी नहीं हैं। भाषाकीय क्रान्ति करके स्वदेशी सगम-संस्कृति का उद्धार करने का निश्चय जनता को करना होगा, जिसके लिए महात्मा गांधी ने पूरी-पूरी कोशिश की थी और जो उनका काम हमने अपने दुर्दैव से कमजोर किया और अचूरा रहने दिया।

जब तक भारत का राज्य जनता की भाषा में नहीं चलेगा, भारत की जनता प्राणधान नहीं बनेगी और भारत की संस्कृति में चैनन्य नहीं आयेगा।

इस तरह का प्रजा का आन्दोलन अगर हम आज से गुरु करें तो अगले चुनाव तक जनता अपना राज्य अपने हाथ में ले सकेगी।

(‘मंगल प्रभात’ १ जून, '६७ से साभार)

भारत की भाषा : भारती

प्रबोध चोवसी

भाषा के सवाल को लेकर बड़ा हंगामा हो रहा है। सब अपनी-अपनी तूती बजा रहे हैं। एक दूसरे की शायद ही कोई सुनता है। 'मेरी बात सच है', 'नहीं मैं कहता हूँ वही सच है। आग्य सबका देश की एकता से है किन्तु आग्रह सबका अपनी अपनी बात पर है। विनोबा ने सिखाया है कि वेद में युद्ध के लिए एक शब्द ही मम सत्य कह दिया है।

तरह-तरह के सवाल भाषा की गुत्थी के भीतर घुसकर उलभ गये हैं। तरह-तरह के स्वाध उसमें घोटाला किये हुए है। अलग-अलग किये बिना बात कुछ समझ म ही नहीं आती।

एक सवाल है कि इस बहुभाषी देश में सबको जोड़नेवाली लिपि (सम्पर्क) भाषा कौन हो? सबसे ज्यादा लागू हिन्दी समझते हैं ता हिन्दी को राष्ट्रभाषा माना जाय ऐसा एक गंध है। तो प्रतिपक्ष कहता है कि इससे तो हिन्दीभाषी लोगों को नाजायज फायदा मिल जायगा। नीकरी में हम पिछड़ जायेंगे। क्या हिन्दी हम पर राज करेगी? यह तो नामवर है।

अंग्रेजी समर्थकों का तर्क

दूसरा सवाल है उच्च शिक्षा की बोध भाषा (माध्यम) क्या हो? मातृभाषा आदि में अन्त तक बोध भाषा (माध्यम) रहे इसे शिक्षा विज्ञान ने श्रेष्ठ कहा है। हर एक राज्य में बहुसंख्य जनता की मातृभाषा यानी प्रादेशिक भाषा को उच्च शिक्षा की बोध भाषा (माध्यम) बनाया जाय ऐसा सकल विवक्ष्य चर रहा है। इसको लेकर अंग्रेजीवाला ने बवडर मचाया हुआ है। प्रादेशिक भाषाएँ अंग्रेजी के बराबर विकसित और समृद्ध नहीं हैं, विज्ञान और आधुनिकता चौपट हो जायगी, इधर के छात्र और अध्यापक उधर नहा जा पायेंगे, देश की एकाता टूट जायगी, दुनिया में देश विह्वल जायगा हम पिछड़ जायेंगे, इत्यादि दर्जे-जोर-शोर से की जा रही है। धामरा साहब का इस्तीफा इसी आवेग की नाक बन गया है।

और भी उलभनें गंडी हा गयी है 'यायान्य का क्या हागा? यायान्य अशुभर, ६७]

सारा-ना-सारा अंग्रेजी नमूने पर [खडा किया है, सन्दर्भ सारे अंग्रेजी में है, परिभाषा और पूर्वापर सम्बन्ध सारे अंग्रेजी में है। बिना अंग्रेजी बकालत कैसे चलेगी ? न्यायाधीशों की सेवाएँ स्थानान्तररक्षम है, सर्वोच्च न्यायालय में विभिन्न प्रदेशों के न्यायमूर्ति विराजमान हैं। बिना अंग्रेजी के यह सारा मूल्यवान् ढाँचा ढह जायगा। यह नहीं चल सकता।

हिन्दी के हामियों को, देश प्रेमियों को यह बुरी तरह अक्षरता है। अंग्रेज गये, यह अंग्रेजियत क्यों नहीं जाती ? अंग्रेजी को भगाये बिना देश की आजादी अधूरी है ; जो होना हो सो हो, अंग्रेजी को तो हटायेंगे। लोहिया साहब इस आवेश की मूर्ति हैं।

बुनियादी सवाल

माध्यम की भाषा और सम्पन्न भाषा (लिक लेंगेज) भिन्न भिन्न सवाल होने हुए भी उच्च शिक्षा के स्तर पर दानों मिल जाते हैं। उच्च शिक्षित लोग देश में इधर-उधर जाते-वसते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, बाहर की दुनिया से उन्हें सम्पर्क रखना है, विज्ञान और तकनिक इस देश में लाने हैं। उनका सुभाष स्वभावतः अंग्रेजी का बनाये रखने के लिए है। देश के यह 'ब्रीम' हैं, देश का भविष्य उनके अध्ययन और ज्ञान पर निर्भर करना है। स्वराज्य यहाँ की घरती से उगा नहीं है, अथवा इन पढ़े लिखे को सौंपकर गये हैं। अब अंग्रेजीयन बढ़ी है। बिना अंग्रेजी के चीन, जापान और रूस ने विज्ञान में इंग्लैंड को अब मात दे दी है। लेकिन भारत में हमारा आत्म विश्वास नहीं बनता। विदेशी भाषा और विदेशी विचार के आधार पर समाज की सतह पर आये हुए 'इलीत' (भद्रजनों) के लिए आत्म विश्वास भी विदेशी ही हो जाय, यह तो स्वाभाविक ही माना जायगा। परन्तु बुनियादी सवाल चन्द्र भद्रजनों के आपसी सम्पर्क का नहीं है, कोट्यावधि भारतीय जनता के सामूहिक व्यवहार और आपसी सम्पर्क का सवाल है। उन्हें अज्ञान में रखकर उनकी पीठ पर सवार बने रहना है तो अंग्रेजी अच्छा औजार है। अंग्रेजी ही चलती रही तो शासन, न्याय, शिक्षा, सम्मान अवसर आदि से देश का अवाम अछूता ही रहेगा। इस देश के वर्ग विग्रह को विभाषा व्यापक बना देगी, क्योंकि उच्च शिक्षा और ऊँचे अवसर चन्द्र लोगों का एकाधिकार बनायेंगे। इस दृष्टि से गांधी के बाद अब कोई सोचना ही नहीं है। क्योंकि स्वराज्य गरीब के लिए है, यह मुख्य बात है। भद्रजन अपनी स्वार्थी होड़ में भूल गये हैं। किन्तु क्या इतिहास उसे भूल सकता है ?

भाषा और जीवन का अटूट नाता

हिन्दी में और भारतीय भाषाओं में शब्द-समृद्धि सख्या अंग्रेजी से ज्यादा होगी। अध्यात्म, कला, संस्कृति के शब्दों और उनके पर्यायों की अपने यहाँ भरमार है, लेकिन नये विज्ञानों में पारिभाषिक शब्दों के लाले पड़ जाते हैं। जो शास्त्र जहाँ पैदा होता है, वहाँ उसकी भाषा भी साथ-साथ पैदा होती है। चमड़ी की तरह भाषा जीवनदेह से आजम जड़ी हुई है। देह बढ़ती है तो चमड़ी भी बढ़ती है। पहले चमड़ी की पूरी खाल तैयार हो जाय तब जाकर अन्दर देह सजीवन हो ऐसा न कही टुआ है न हा सकता है। विज्ञान पश्चिम में जन्मा तो उसकी भाषा भी वहाँ पैदा हुई, वेदान्त की भाषा पश्चिम को यहाँ से लेनी पड़ती है। अतः पहले पारिभाषिक कोश बने, तब भारत में विज्ञान बड़े—यह बात तो बेल के आगे गाड़ी जैसी है। इधर की भाषाओं को आवश्यकता नहीं पड़ेगी तब तक शब्दों का आविष्कार भी नहीं होगा। जब जीवन व्यवहार भाषा खोजने लगेगा तब दूसरी भाषाओं के शब्दों का संस्कार करके उन्हें भी गाद ले लिया जायगा। प्रादेशिक भाषाओं में अध्ययन-अध्यापन शुरू कर देने पर उन भाषाओं का अपने आप विकास होगा। पानी में उतरने से पहले किसने, कब तैरना सीखा है, और बिना अखाड़े में उतरे मल्ल कौन बना है ?

जीवित भाषा की विशेषता

लेकिन देश-व्यापी समान परिभाषा का क्या ? विज्ञान के विषयों में सारी दुनिया में एक ही परिभाषा चलती है। उसमें हमें मूल नाम और मूल धातु सीधे ही अपना लेने चाहिए, फिर उसमें भारतीय रंग-रंग के प्रत्यय, पूर्ववर्ग आदि बेखटके लगाकर अपना काम चलाना चाहिए। डा० कोठारी ने एक बार ऐसा सुझाव भी दिया है। सारी दुनिया में प्रचलित शब्दों का अनुवाद न किया जाय, उन्हें अपनी भाषा में सीधे ही हजम करने की ताकत दिसायी जाय। जिन्दा भाषा वह है, जिसका हाजमा तेज है।

सम्भव भाषा (लिङ्ग लेम्बेज) न हिन्दी तब की जाय न अंग्रेजी, तो वैसा रहगा ? क्या लाग बातचीत ही महा करेंगे ? देश जोना बंद कर देगा ? भाषा जिन्दागी के लिए है, लेकिन इधर ता जिन्दगीया भाषाई लड़ाई में बलि कर दी जा रही है। भारत जीने के लिए जिस एक भाषा में बालेगा उस हम 'भारती' बहे। मेरा ब्याल है, उमता संवाधारण कांचा मुछ-मुछ हिन्दी का-मा होगा, लेकिन उसमें बंगला, तमिल, तर्गु, बन्नड, मराठा, गुजराती, पंजाबी का अच्छा सासा अक्षर हागा। लिङ्ग-अचन के बारे में हिन्दी या संस्कृत के नियम प्रबन्ध, '६३]

उस पर लागू नहीं होंगे, मुहावरें भी उसमें सब भाषाओं से आयेंगे। कोई यदि भारती में लिखेगा कि 'अन नीर खायेगा (हम पानी पीयेंगे) तो उसे अगुद्ध नहीं कहा जायगा। वैसे ही ह्रस्व-दीर्घ का लोप होकर एक ही चिह्न से दोनों का बोध होगा।

भारती का आदि-सेवक भारत की सभी प्रमुख भाषाओं के समान शब्दों का अर्थ-स्वायामुक्त कोश एकत्र करेगा। यह वैश्विक भारती होगी, जिसका ज्ञान होते ही वह अपने आप चल पड़ेगी। फिर इसमें खास भाषा के खास शब्द प्रचलन-द्वारा प्रतिष्ठित होंगे, जैसे कि इस वक्त 'इटली' और 'डोसा' हो गये हैं। फिर भारती का कोशकार एक पर्याय कोश संकलित करेगा, जिसमें सभी प्रमुख भाषाओं के वैश्विक शब्द एक साथ दे दिये जायेंगे।

यदि भगड़ों से बाज आकर 'स्टेटस' को रहने दिया जायगा तो भारती स्वयमेव बनने लगेगी, ऐसा मेरा लयाल है। हिन्दी का नाहक राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेशवाले अपनी मातृभाषा कहे हुए हैं। यदि मेवाड़ी-मारवाड़ी-ब्रज-अवधी भोजपुरी मैथिली, जो बड़ी ताकतवर बोलियाँ हैं, उनके लिखित रूपा का विकास किया गया होता तो इन प्रदेशों के शिक्षितों एवं अशिक्षितों के बीच इतनी खाई न रहती, जो मातृभाषा के आग्रह का मूल कारण है। और तब अर्थ भाषिया को यह न लगता कि हिन्दी हम पर हावी होना चाहती है।

भारती का स्वरूप

राजभाषाएँ अब तक दृढ़ शक्ति से धोयी गयी हैं। मौर्यकाल में प्राकृत चली, गुप्त साम्राज्यों में दरबारी संस्कृत चल पड़ी, फिर वह पंडितों की भाषा बनी और लोग-बाग विविध प्राकृत बोलियाँ बोलने लगे। फिर मुसलमानी राज में फारसी चली, अंग्रेजी राज में अंग्रेजी चली। अब हिन्दीवालों का राज तो आया नहीं कि हिन्दी धोयी जा सके। सारे भारत की जनता का राज है, तो कुछ मिली-जुली 'भारती' ही तो बन सकती है, जो अंग्रेजी में भी भरपूर शब्द आत्ममान् करेगी। वृद्धि और गुट्टि ये भाषा विकास की दो विरोधाभासी अवस्थाएँ हैं। संस्कृत ने भी ग्रीक, हूण, शक आदि किन्हीं ही जातियों के शब्द पचा लिये थे और तब व्याकरण और अमरकोष रचे थे। भारती भी पहले तो फारसी, अरबी, अंग्रेजी, रशियन, जर्मन, चीनी-जापानी आदि जीवन-समृद्ध भाषाओं में हर तरह के उपयोगी शब्दों का हरण कर लेगी, उनसे विवाह करके नये उत्तम 'हायड्रिड' शब्द-बाजों का संवर्धन करेगी, स्वयं कल्पनातीत वृद्धि

करेगी और तब वेश्याकरणी और कोशकार लोग उसमें कटनी छटनी करके गुद्ध एव एकता की व्यवस्था लायेंगे। कोई १०० साल वृद्धि को देने हाने। तब गुद्ध 'भारती प्रगट होगी। अव्यवस्था के विना क्या कोई जम होता है? वैसे आज तो हिन्दी का लोकतन्त्र से ही विरोध आ गया है।

निर्णय लेने का लोकतांत्रिक तरीका

लोकतन्त्र में दड-मत्ता से निर्णय नहीं थोपा जा सकता, लेकिन यदि धैर्य नहीं है तो निर्णय थोपने का एक और सही तरीका है। लोकमत (रेफरेण्डम) ले लिया जाय। दो तिहाई लोग हिन्दी या अंग्रेजी को मान लेते हैं तो उसे लाजिमी कर दिया जाय। हर पाँच साल के बाद लोकमत लिया जाय। जब तक निर्णय न हो सके, जैसे थे, चलता रहे। कूपजलवाली हिन्दी या तो इस प्रकार मनवायी जा सकती है, अथवा कोई हिन्दी प्रेमी तानाशाह तख्ता फलटकर गद्दी पर बैठ जाय, उसको राह देखी जा सकती है। लेकिन सेना भी तो भाषाओं में विभाजित है अतः तानाशाही भी क्या करेगी?

हमारा सही मुकाम सुनिश्चित है

कवीर ने कहा था भाषा बहता नीर है। लेकिन क्यार गुद्धिवादी नहीं था, जीवन उपामक था, समन्वय उसकी सहज सूझ थी। गांधी ने 'हिन्दुस्तानी' कहा तब भी बात वही थी कवीरवाली। लेकिन युगुत्सुओं ने माना कि गांधी सिद्धांतवादी है उनका रास्ते से रोड़े की तरह हटा दिया। पर यह देना जो था सो रहा ही। विविधता जायगी कहां? अब फिर से बखेडा खडा है कूपजल या बहता नीर? मेरा अन्दाज है कि भाषा का नीर तो बहेगा ही, क्योंकि जीवन के माने ही है पानी का प्रवाह। देश के 'इलोट (भद्रजन) को तकलीफ तो होगी। सबसे आगे रहने की रत जिनको पड़ी है उनको एवदम 'एबाउट टन कर देना पड यह कोई मामूली बात थोड़े ही है? इस देश में मामूली लोगो का राज होना है तो ऐसा हुए बिना कोई चारा नहीं है। फिर चाहे बट पनावे से हो या धीरे धीरे। मेरा खयाल है हम थोड़ी-बहुत हाथापायी करत हुए, गडबड घाघरी और होंटला करते हुए मुकाम पर पहुँच ही जायेंगे और जैसे पहुँचे यह कभी समझ नहीं पायेंगे। भीड मला शार-गुल जोश-खरोण और 'वगलिंग अपना जाती मिजाज जो है। अनेकता में एकता, अव्यवस्था में व्यवस्था, विनेद्रितता में रसा—भारत का यह विविध, विपुल निव-वैभव भारती भी धारण करणी। 'तमयो मा ज्योतिगमय । ●

शिक्षा का माध्यम और विद्यालयों के
उपकुलपतियों का निर्णय

“अंग्रेजी चलती रहेगी” । अन्तिम दिन की प्रातःकालीन बैठक में यह तय हुआ था कि स्नातकोत्तर स्तर पर अंग्रेजी ५ वर्ष तक माध्यम रहे, परन्तु सायबालीन बैठक में अवधि की बात भी निवाला दी गयी और केवल इतना कह दिया गया कि इस स्तर पर माध्यम के सामान्य अर्थ का कोई मतलब नहीं होता और इस प्रकार माध्यम और अवधि का प्रश्न गोल-गोल और अस्पष्ट ही रखा गया । परन्तु ध्वनि यही है कि ‘अंग्रेजी चलती रहे।’

वाइस चान्सलरो का यह सुझाव प्रतिगामी कदम है, क्योंकि इसमें क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में बाधा पड़ेगी और यह काम लोकतंत्र के हित में न होगा । जाहिर है कि स्नातकोत्तर स्तर पर जो माध्यम रहेगा उसका महत्व होगा और स्नातकपूर्व स्तर के मेधावी छात्र तो निश्चय ही क्षेत्रीय भाषाओं की उपेक्षा करेंगे । विश्वविद्यालय के सभी स्तरों पर एक ही अंग्रेजी या क्षेत्रीय भाषा को माध्यम रखने की बात तो समझ में आती है, पर यह ‘आधा तीतर और आधा बटेर’ की बात तो समस्या से दूर भागने की मनोवृत्ति की मूकक है । इस निर्णय ने समस्या को और भी उलझा दिया है । शिक्षा आयोग ने खूब साच-बिचार करके, देशभर के विद्वानों और शिक्षा शास्त्रियों से चर्चा करने पूरे विश्वविद्यालय-स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं का माध्यम रखने की सस्तुति की थी । अब हम मानते हैं कि भारत भर के शिक्षा शास्त्रियों से बातचीत करके शिक्षा आयोग के जिन विद्वानों ने आयोग की रिपोर्ट लिखी है, वे अधिक सही अर्थ में शिक्षा-शास्त्री (एक्स्पैडियन्ट) हैं, वनिस्वत इन कुलपतियों के, जिनमें कल तक एक से अधिक न्यायमूर्ति और राजदूत थे ।

(२) और फिर स्नातकोत्तर और अनुसंधान स्तर पर ‘माध्यम’ के सामान्य अर्थ के समाप्त हो जाने का कुछ भी मतलब नहीं है । माध्यम का अर्थ होता है सीखने का माध्यम, कक्षा में काम करने का माध्यम, परीक्षा देने का माध्यम । स्नातकोत्तर कक्षाओं के और अनुसंधान की कक्षाओं के छात्र सन्दर्भ के लिए चाहे जिस भाषा के प्रयोग का अध्ययन और मनन करें, परन्तु परीक्षा देने के लिए अथवा अपनी थीसिस लिखने के लिए तो वे किसी एक भाषा का प्रयोग करेंगे ही । जिस भाषा का प्रयोग वे करेंगे, वही उनका माध्यम होगा । सन्दर्भ ग्रन्थों के अध्ययन-मार्ग से कुछ नहीं होता ।

ऐसी साफ-सीधी बात के विषय में विद्वानों की इस सभा के इस प्रकार कनरावर निकल जाने का एक ही अर्थ होना है—‘किसी भी विमत पर अंग्रेजी को बनाये रखना ।’ अंग्रेजी बनी रहती तो उनके विशेषाधिकार अशुण्य रहते और ‘अंग्रेजी’ में गलत हुए उठने वाले वक्त्र भी उन मुनिधारा में लाभ उठा सकते हैं, '६७]

सुवेंगे, जिनसे उन्होंने अपने जीवन में स्वराज्य के पहले ताकत, परन्तु स्वराज्य के बाद पहले में भी अधिक लाभ उठाये है। 'शिक्षा का स्तर' और 'देश के टूट जाने' की बात तो वहना मात्र है। वास्तव में यह निर्णय अशिक्षित और अमानवज्ञानिक है और देश तो क्या, राज्य का जीवन भी इसमें टूटेगा ही, जुड़गा नहीं।

(३) इसी प्रकार माध्यम-परिवर्तन के लिए अवधि-सम्बन्धी जो निर्णय लिया गया है, वह भी शिक्षा-आयोग की सन्तुतियों के विरुद्ध है। शिक्षा-आयोग ने बहुत समझ बूझकर यह सुझाया था कि 'माध्यम-परिवर्तन का यह काम जितनी जल्दी समय हो, हो जाना चाहिए और किसी भी हालत में लगभग १० वर्षों के भीतर ही होना चाहिए, क्योंकि समय बीतने के साथ समस्याएँ और भी उलझती जायेंगी।' (१-५४-२)। उच्च शिक्षा से संबंधित अध्याय में आयोग ने परिवर्तन के ढंग और अवधि को विश्वविद्यालय प्रणाली पर छोड़ने की बात कही है (११-५८), वह भी इस १० वर्षों की अवधि के भीतर ही की बात है। ऐसा महा हाना ना फिर सन्तुतियों का संशोधन करने समय पर १३४ में आयोग यह स्पष्ट न कहना कि क्षेत्रीय भाषाएँ विश्वविद्यालय स्तर पर (त्रैमिक कार्यक्रम अन्तर्गत) १० वर्षों में शिक्षा का माध्यम बना ला जायें। आयोग की सीमा रेखा १० वर्षों के भीतर है। इसके भीतर जितना सीधे काम हो जाय (सुचारु रूप में और बिना स्तरों के गिराये) उतना ही अच्छा है। इसीलिए शिक्षा मंत्रियों और पार्लियामेण्टरी समिति ने ५ वर्षों की बात की थी और पहले के क्षेत्रीय शिक्षा मंत्री भी ५ वर्षों की बात करने थे। इनका मत आयोग-सम्मत है, अर्थात् शैक्षिक दृष्टिकोण के अधिक समीप है। अतः दस या दस वर्षों से कम अवधि की बात को सरकार अथवा पार्लियामेण्टरी कमेटी या शिक्षा-मंत्रियों का 'ब्लैक-टि निर्णय' कहकर श्री छागला ने अपने त्याग-पत्र में जो धम फैलाया है, वह गलत है।

हमारा विचार है कि माध्यम और अवधि के प्रश्नों पर वाइसचान्सेलरों को शिक्षा-आयोग की सन्तुतियों के चौखटे के भीतर ही काम करना चाहिए था। चौखटे में बाहर निकलकर उठाने एक दार फिर 'विवाद और 'फूट' का रास्ता खोल दिया है। हम पूरी आशा है कि लोकतंत्र, देश की एकता और शिक्षा के हित में सरकार अथवा पार्लियामेण्ट इनके निर्णयों को नहीं मानेगी। ●

राष्ट्रभाषा का भविष्य

ताहेर वापुसवाला

हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाकर हिन्दी साहित्य को राष्ट्र-साहित्य बनाने की वृत्ति हिन्दी साहित्यकारों में जागी और उन्होंने दक्षिण में भी अपने साहित्य की लकीर पीटनी चाही, इसीसे न हिन्दी साहित्य सर्वव्यापक हुआ और न हिन्दी पूर्ण भारत में राष्ट्रभाषा का सम्मान पा सकी। दक्षिण भारत के लोगो ने हिन्दी तथा हिन्दी साहित्य के माध्यम से आर्य-संस्कृति का उनकी संस्कृति पर दबाव हो रहा है, ऐसा महसूस किया। उन्हें लगा कि हिन्दी द्वारा उत्तर हिन्द दक्षिण को दबाने का प्रयत्न कर रहा है। परिणाम यह हुआ कि सविधान में नियम बना देने मात्र से हिन्दी सही अर्थ में राष्ट्रभाषा न बन सकी। धीरे-धीरे सविधान को ही बदल देने की बात सामने आ गयी।

भाषा, साहित्य और ज्ञान

प्रश्न यह है कि इस मुद्दा को हम कैसे सुलझा सकते हैं। भाषा विचारों को प्रकट करने का तथा फैलाने का माध्यम है। भाषा में दो पक्ष होते हैं— एक, ज्ञान पक्ष और दूसरा कला पक्ष। विचारणीय मानव इन दोनों के द्वारा भाषा को प्रौढ़ करता है और सक्षम भाषा इन दोनों को प्रबल रूप दे सकती है।

हमारे देश में व्यापक रूप से समझी, बोली जानेवाली एक भाषा है, हिन्दी। इस भाषा को हमने राष्ट्रभाषा का मान दिया। दुर्भाग्य से यह वही भाषा थी, जो कि बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लोगों की मातृभाषा और साहित्य की भाषा थी और हिन्दी के राष्ट्रभाषा बनने के बाद हिन्दी साहित्य का राष्ट्रभाषा के साहित्य के नाम पर प्रचार प्रसार शुरू हो गया।

राष्ट्रभाषा हिन्दी के साथ हिन्दी साहित्य को जोड़ देने की भूल हम कर बैठे, जिससे हिन्दी साहित्य के साथ उसके साहित्यकारों को और तज्ज्वनित संस्कृति को भी राष्ट्रीयत्व का गर्व हो गया। हमने राष्ट्रभाषा हिन्दी के ज्ञानपक्ष को प्रवृत्त करने की बजाय कला पक्ष पर ही अधिक जोर दिया।

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बार-बार दाहराया था कि 'राष्ट्रभाषा हिन्दी तो अभी बनना है उसे अभी व्यापक रूप धारण करना है।' उनके विचार में, जहाँ तक मैं समझता हूँ, यही धारणा होगी कि हमने राष्ट्रभाषा के रूप में जिस हिन्दी को चुना है वह एक भाषा मात्र है आदान प्रदान का माध्यम है। जब पूरे देशवासी इस माध्यम को अपना लगे तब उसमें उसका अपना राष्ट्रीय साहित्य तैयार होगा और तब उसमें ज्ञान के बड़े-बड़े ग्रंथ भी तैयार हो सकेंगे, क्योंकि

उसमें तब तब इतनी क्षमता भी आ जायगी कि आसानी से विदेशी ज्ञान का अनुवाद हो सके ।

मैं समझता हूँ कि हम अब भी हिंदी को हिन्दी साहित्य से अलग करके देखने का प्रयत्न करना चाहिए । हिन्दी साहित्यकारों ने तथा हिंदी क्षेत्र के राजनातियों ने हिन्दा को राष्ट्रभाषा का पद मिला है इस बात का फायदा उठाकर अपने साहित्य को राष्ट्र के साहित्य के नाम पर खपाने का जो प्रयत्न किया है इससे पंद्रह साल के बाद भी उनकी हिन्दी को अखिल भारतीय मान्यता न मिल सकेगी ।

राष्ट्रभाषा का प्रचार

हिन्दा की प्रचार परीक्षाओं में पाठशालाओं की पाठ्य पुस्तकें तथा कालेज के विद्यार्थियों में सदा जगह आपसो वही हिन्दी साहित्य मिलेगा जो कि हिन्दी साहित्यकारों की देन है । फिर अहिन्दी प्रांतीय लोग ऐसी प्रांतीय हिन्दी का राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर सकने हैं ? मैं राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्षों को इन प्रश्नों पर लिख चुका हूँ परन्तु पाठ्यक्रम बनाने समय उन्होंने कभी इस बात पर सास ध्यान नहीं दिया । इस प्रचार समिति के दिल्ली अधिवेशन में मैं गया था वहाँ नेहरूजी ने पाठ्यक्रम के साहित्य के बारे में यह खास तौर से बताया था कि जिसे पता है उनका शब्द का साहित्य उच्च हिन्दी में पढ़ाया जाय ता उनके लिए हिन्दा भाषा अधिक ग्राह्य होगी ।

हमें हिन्दी भाषा का राष्ट्रभाषा बनाना है । हिन्दी साहित्य तो अपनी जगह रहेगा ही राष्ट्रीय साहित्य बाद में बनेगा ।

सबमान्य भाषा

यह हम अपना सौभाग्य समझेंगे कि अब शिक्षा का माध्यम प्रांतीय भाषा या मातृभाषा रहेगा । दूसरा स्थान हिन्दी को मिला है और तीसरा स्थान अंग्रेजी या कोई भी विदेशी भाषा का रहेगा । अहिन्दी भाषियों के लिए हमें सरमाय हिन्दी चाहिए । तब हम हिन्दी भाषी प्रांतों की मातृभाषा और राष्ट्रभाषा हिन्दी में अवश्य अन्तर करना होगा । यह हिंदी प्रयोग प्रांत में अपना भाषणीय ढाँचा लेकर जायगी और अपना रूप आकार राजसभा उस प्रांत की आवश्यकता के अनुसार सस्वर सस्वृति और उस प्रांत के लोगों के मातृभाषा सुझल वानावरण में निर्मित करेगी । हर प्रांत की हिन्दी भाषा में उस प्रांत के प्रसिद्ध साहित्य के अनुवादों की भलव मिलेगी । और प्रांतीय साहित्य को हिन्दा में गिखाने का उद्देश्य यहाँ रहेगा कि वे लोग राष्ट्रभाषा हिन्दी सीख जाय । फिर राष्ट्रीय साहित्य को अपनी देन देने के लिए हर प्रांत से आपको राष्ट्र

भाषा के साहित्यकार मिल जायेंगे। हमारे दक्षिणी भाइयों को हिन्दी राष्ट्रभाषा के रूप में सीखने में यही तो तन्त्रोपहाती है कि उन्हें सब कुछ पराया सा लगता है। उनकी सृष्टि और उनके रीति रिवाजों से हिन्दी साहित्य में नहीं खाता।

कुछ लोगों का तर्क यह है कि भाषा का साहित्य से अलग नहीं किया जा सकता तथा साहित्य के सिवाय भाषा की ऊँचाई और प्रौढ़ता को परखा नहीं जा सकता। अंग्रेजों ने भारतीयों को अंग्रेजी सिखायी तो अंग्रेजी साहित्य का ही सहारा लिया और आज भी वही हाँ रहा है। परन्तु अंग्रेज शायद वे। वे अपनी सृष्टि की श्रेष्ठता भी प्रतिपादित करना चाहते थे, इसीलिए तो भारतीय विद्यार्थियों को इंग्लैंड का इतिहास भी सीखना पड़ता था। पर हम उसी रास्ते का अनुसरण क्या करें ?

अनुवाद की व्यापकता

ग्रीक संस्कृति का साहित्य और तत्कालीन विज्ञान कला का साहित्य ईसाई धर्म धुरधुरों के विचार से खतरनाक समझा गया था। वह धर्म में बाधक माना गया था। इसलिए वह मिटाया और जलाया गया। और तब अरब में ग्रीक ग्रन्थों का अनुवाद हुआ। पूरा पुरा साहित्य अरबी में आ गया। ग्रीक का ज्ञान अंग्रेजों को अरबी द्वारा मिश्र है यह जगत् का सांस्कृतिक इतिहास हम बताता है।

और हमने आज तक भारतीय एकात्मता के नाम पर बड़ी बड़ी योजनाएँ बनायीं परन्तु अपनी पाठशालाओं में अनुवाद का महत्त्व नहीं बढ़ाया। हमने एम० ए० पास कर लिया परन्तु गुड और सुंदर अनुवाद करने की, दो भाषाओं को नजदीक लाने की, दो संस्कृतियों में आदान प्रदान प्रस्थापित करने की कला का विकास नहीं किया।

अब भी समय नहीं गया है। मातृभाषा यदि व्यक्ति के लिए माँ से प्राप्त सजाना है तो राष्ट्रभाषा नागरिक के लिए राष्ट्र से प्राप्त धरोहर है। मातृभाषा और राष्ट्रभाषा को मिलाने का साधन है अनुवाद। हर प्रातः में, हर पाठशाला में अनुवाद को एक साधन कला और आवश्यकता मानकर उसे विशेष स्थान दिया जाय और योग्यता प्राप्ति के लिए आवश्यक समझा जाय।

अनुवाद दो भाषाओं दो संस्कृतियों और दो प्रान्तों तथा देशों को मिलाने का उत्तम साधन है। वह लेन-देन और भाषनात्मक एकाग्र प्रस्थापित करने का सुवर्ण माध्यम है।

हमारी राष्ट्रभाषा का प्रश्न हल करने का यह एक उत्तम माग है। उसको न्यायिचित करने के अनेक माग हो सकते हैं। परन्तु अभी तबत यह मान लेना चाहिए कि राष्ट्रभाषा हिन्दी की स्वमायता अनुवाद के सिवाय शक्य नहीं होगी। ●

भाषा और लोकतंत्र

वृष्ण कुमार

भाषा का विवाद भारत की एकता के अस्तित्व का सवाल बन गया है। कहा जाता है कि यही सवाल १०-१५ साल पहले आसानी से हल हो जाता तो आज के विवाद से देश बच जाता। लेकिन उस समय की राजनीतिक भूल का परिणाम आज भुगतना पड़ रहा है।

जबतक कोई निर्णय नहीं हो जाता तबतक भाषा का यह प्रश्न जीवन-मरण का प्रश्न बना रहेगा। भाषा के जो फार्मूले सुभाये गये हैं, चूंकि उनको पान प्रतिशत समर्थन नहीं मिला है और न मिलनेवाला है, अतः कोई एक ऐसा समझौता करना होगा जो दोनों पक्षों को मान्य हो। भाषा के इस प्रश्न को देश की एकता के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। भाषा देश की एकता के लिए एक मुख्य माध्यम जरूर है, लेकिन देश की एकता किसी भी कीमत पर टूटनी नहीं चाहिए। एकता पहले और भाषा बाद में। एकता बनी रहेगी तो देश वाई एक भाषा जरूर ढूँढ लेगा, वह भाषा जो देश को एक सूत्र में बाँधने का काम करेगी।

भाषा-समस्या के दो पहलू

भाषा-समस्या के दो पहलू हैं—एक, शिक्षा का माध्यम और दो, सफाई-भाषा। शिक्षा-आयोग ने यह सुझाव दिया है कि प्राइमरी से विश्वविद्यालय तक की शिक्षा मातृभाषा (क्षेत्रीय भाषा) में दी जानी चाहिए। इसे राज्य के शिक्षा-मंत्रियों ने स्वीकार किया है और बाद में मसुदा की शिक्षा-समिति ने भी मान्य किया। विश्वविद्यालय के उपकुलपतियों ने मातृभाषा का शिक्षा का माध्यम स्वीकार तो किया, लेकिन स्नातक-स्तर तक ही। एम ए और शोध-कार्य में प्रत्यक्ष रूप से माध्यम के प्रश्न को टालने हुए भी अप्रत्यक्ष रूप में अंग्रेजी को मान्य किया।

मातृभाषा

कुछ लोगों का यह कहना है कि मातृभाषा का माध्यम प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा में तो ठीक है लेकिन उच्च शिक्षा में ठीक नहीं। इसमें शिक्षा का स्तर गिरेगा। मातृभाषा के माध्यम में अच्छे वैज्ञानिक, डाक्टर, तकनीशियन,

इजीनियर आदि पदा नहीं होंगे और देश में उनका अभाव हो जायगा। परन्तु ऐसा सोचनेवाले शिक्षा मनोविज्ञान से अनभिज्ञ हैं, इतना तो कहा ही जा सकता है। मातृभाषा शिक्षा का माध्यम बने तो वैज्ञानिक, तकनीसियन, डाक्टर, इजीनियर आदि ज्यादा सख्या में मिल सकेंगे, इस सभावनीय तथ्य को क्यों वे नजरअन्दाज करते हैं, इस सन्दर्भ में दूसरे देशों की ओर निगाह जानी चाहिए। जापान, फ्रांस, इटला रूस आदि देशों ने अपनी भाषा में ही प्रगति की है। स्वयं इंग्लैंड में भी 'नामन विजेताओं द्वारा इंग्लैंडवासियों पर जबरन लादी गयी फ्रेंच भाषा के स्थान पर जब अंग्रेजी को पढ़ासोना करने के लिए वहाँ की जनता ने १४वीं सदी में आवाज उठायी थी, तब प्रोफेसरों, जजों, वकीलों और उच्च अधिकारियों ने इस मूखता का फसकर विरोध किया था। उनकी दलील थी कि अंग्रेजी भाषा में राजकाज चलाने और शिक्षा का माध्यम बनाने की कुछ भी क्षमता नहीं है, क्योंकि उसमें उन दिनों तो कोई अच्छा कोश था, न अच्छा व्याकरण और न कानूनी कितारें। लेकिन जनसाधारण ने उन मुट्ठीभर समझदारों की बात अनमानी कर दी, वार फ्रेंच भाषा के स्थान पर निपट अक्षय अंग्रेजी को बिठाकर ही चैन लिया। जिस अंग्रेजी का विरोध मवाँलू करार देकर किया गया था, यही अनुकूल अवसर पाकर आज कितनी सक्षम और समृद्ध हो गया है।'

अगर १४वां शताब्दी में उन कुछ समझदार लोगों की बात मान ली गयी होती तो अंग्रेजी का इतना विकास नहीं होता और इंग्लैंड में विज्ञान का भी इतना विकास न हुआ होता।

मातृभाषा का अपमान

जो यह कहता है कि मातृभाषा हम योग्य बनाने में असमर्थ है वह मानुभूमि का अपमान करना है। माँ के दूध पर पलनेवाला बच्चा ज्यादा स्वस्थ और पुष्ट हो सकता है लेकिन अगर माँ कमजोर है तो उसे छोड़ नहीं दिया जाना, बल्कि यह वाशिग की जाती है कि वह बच्चे का पोषण दे सकने कायम सक्षम बन सके। आज उसी प्रकार अगर मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा अक्षम है तो उसे छोड़ने की या उस उपधित करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वह हमें योग्य बनाने में समर्थ बन सब इसकी वाशिग करनी है। और, यह वाशिग तभी हो सकती है जब वह आज से ही शिक्षा का माध्यम बने और जहाँ वही भी उसमें कभी नजर आये उसमें जाइन जाना है, वृद्धि करते जाया है। और, यह सब विश्वास के साथ हागा तभी सफलता मिलेगा। गांधीजी ने कहा है—'मेरी

१ विद्यापीठ हरि—'हिन्दुस्तान दैनिक' १६ सितम्बर '६७।

मानुभाषा में वितनी भी सामियाँ बयो न हा में उसमे उसी तरह चिपटा रहूँगा, जिस तरह अपनी माँ की छाती से। वही मुझे जीवन प्रदान करनेवाला दूध दे सकती है।' क्या गाँधीजी की इस भावना को स्वीकार नहा किया जा सकता ?

' दुनिया में ऐसा कोई दूसरा देश नहीं है जहाँ इस तरह मानुभाषा छोड़कर दूसरी भाषा लादी जाती हो। यहाँ के लड़का को अंग्रेजी के जरिये तालीम देने का परिणाम क्या होता है यह देखना हो तो लन्दन के लड़कों को हिन्दी के जरिये तालीम देकर देखिये। अगर लड़का पर अंग्रेजी न लादी जाय और मानुभाषा के जरिये उहे सब विषयो का ज्ञान दिया जाय तो बहुत ही कम समय में वे ज्ञान ग्रहण कर सकेंगे। प्रयोग करने से यह बान जाहिर हो जायगी। '

बाल्पनिक भय

चूँकि आज मन में बाल्पनिक भय है—जिसका कोई आधार नहा है—इसके विरोध में तमाम मनगडन्त दलालें पग की जा रही है। क्या न एक बार दृढतापूर्वक इसे स्वीकार किया जाय और प्रयाग करके देखा जाय ?

कुछ लागा वा यह मानना है कि क्षेत्रीय भाषा जब शिक्षा का माध्यम बनावी जायगी तो क्षेत्रवाद की भावना बनेगी और देश टुकड़ा में बट जायगा। यह एक ऐसी दलील है जिसमें कोई दम नहा है। आज जब कि क्षेत्रीय भाषाएँ शिक्षा का माध्यम नहीं है, क्षेत्रवाद और प्रांतवाद की भावना बयो बढी है ? इसमें भाषा का क्या हाथ है ? आर, जब क्षेत्रीय भाषा शिक्षा का माध्यम हो जायगी तब इससे ज्यादा क्षेत्रवाद और प्रान्तवाद की सम्भावना किस ओर से है ? ऐसी दलील देनेवाले राजनीति के छोटे-छोटे स्वार्थी का सोमा में से बालते हैं। राजनीति ने जिस प्रकार हर बवाल को अपने हाथ में लेकर उलभाया है उसी प्रकार भाषा के इस निर्दोष सवाल को भी—जो राजनीति नहीं शिक्षा का विषय है—उलभा दिया है। और, चूँकि यह सवाल उलभ गया है इसलिए इसका सुलभाने का काम बरी सावधानी से करना होगा। आग्रह और दुराग्रह से—चाह वह किसी भी पक्ष का बयो न हो—इसका समाधान नहीं नकलेगा।

क्षेत्रीय भाषा शिक्षा का माध्यम बने या न बने, इसका विचार शैक्षणिक दृष्टि से होना चाहिए, न कि राजनीतिक दृष्टि से।

सम्पर्क भाषा

दूसरा प्रश्न देश की 'सम्पर्क भाषा' का है। यह कुछ पेचीदा प्रश्न बन गया है या बनाव दिया गया है। करीब-करीब सौ बयों तक अंग्रेजी हिन्दुस्तान में

१ विनोबा— शिक्षण विचार पृष्ठ ३५१ सब गया सध प्रकाशन।

शासको की भाषा रही है। शासको ने जानबूझकर अंग्रेजी को हम पर लादा। हमने उसे खुशी से स्वीकारा भी। क्योंकि सत्ता में घुसने के लिए तब उसने लाभ उठाने के लिए अंग्रेजी का माध्यम जहरी था। आज स्वराज्य के बाद भी यह शासको, प्रशासको तथा बुद्धिजीवियों की भाषा रही है। और यही कारण है कि जनता और सरकार के बीच की खाई चौड़ी होती चली गयी। दुर्भाग्य ही है कि स्वराज्य में और लोकतंत्र में ऐसी भाषा सम्पर्क का माध्यम बनी हुई है जा कुछ लाभ लाग ही जानते, बोलते और समझते हैं। करोड़ों करोड़ लोग अंग्रेजी के माध्यम होने के कारण अपने ही राज्य में पराये बन गये हैं। स्वराज्य और लोकतंत्र का अर्थ तो यह होना चाहिए कि उसका हर नागरिक उसको समझ सके और उसे अपना मान सके। सिर्फ वोट का अधिकार ही तो सब कुछ नहीं होता। इस सन्दर्भ में गांधीजी ने कहा है—“अगर स्वराज्य अंग्रेजी बोलनेवाले भारतीयों का और उन्हीं के लिए होनेवाला हो तो निस्सन्देह अंग्रेजी ही राष्ट्रभाषा होगी, लेकिन अगर स्वराज्य कराडो भूखो मरनेवालो, करोडो निरक्षरो, निरक्षर बहना और दलिनो व अन्धजा का हो और इन सबके लिए होनेवाला हो, तो हिन्दी ही एकमात्र राष्ट्रभाषा हो सकती है।”

अंग्रेजी का समर्थन करनेवाले जब यह कहते हैं कि अंग्रेजी के बिना हमारा सम्पर्क दुनिया के देशों से टूट जायगा तो वे यह नहीं देख रहे हैं कि अपने देश के अन्दर का ही सम्पर्क टूटता चला जा रहा है। अगर उनका चिन्तन सचमुच देश को बचाने और देश की एकता का कायम रखने का होता तो लोकतंत्र की इस बुनियादी बात को वे नजरअन्दाज नहीं करते। उनकी सबसे पहली चिन्ता होती कि देश के सम्पर्क को न टूटने दिया जाय और उसके लिए एक राष्ट्रभाषा का विकास किया जाय। हिन्दी राष्ट्रभाषा हो सकती है। इसे देश के करीब सभी राज्य मानते हैं—विरोध है तो मद्रास और बंगाल का। मैसूर के मुख्यमंत्री ने हिन्दी के समर्थन में जा कहा है वह सही है—“हिन्दी सिर्फ उत्तर भारत के कुछ प्रदेशों की भाषा नहीं है। इसका सम्बन्ध दक्षिण से भी है। इसका विकास स्वाभाविक गति से होने देना चाहिए। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता राष्ट्र की एकता है। एकता को बढ़ावा देने में भाषा की बहुत बड़ी भूमिका है और हिन्दी इसमें मदद कर सकती है।”

गांधीजी ने कहा है—“दक्षिण भारत की सर्वसाधारण जनता के लिए, जिसे राष्ट्रीय भाषा में ज्यादा-से-ज्यादा हाथ बँटाना होगा, कौनसी भाषा मौखता

१ गांधीजी—‘राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी,’ पृष्ठ ३७, नवजीवन प्रकाशन।

आसान है—जिस भाषा में अपनी भाषाओं के बहुतेरे शब्द एक-से हैं और जो उन्हें एकदम लगभग सारे उत्तरी हिन्दुस्तान के सम्पर्क में लाती है वह हिन्दी, या मुद्ठीभर लोंगों द्वारा बोली जानेवाली सब तरह से विदेशी अंग्रेज़ों ?”

लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि जनता और सरकार का सीधा सम्पर्क हो। लोकतंत्र की यह अनिवार्य शर्त है। और, ऐसा है, इसलिए शासन का सारा कारोबार जनता की भाषा में होना चाहिए। इसके विपक्ष में चाहे जितनी भी दलील दी जाय—देश इसका खर्च नहीं बर्दाश्त करेगा, कामकाज में कठिनाई होगी—यह सब लोकतंत्र-विरोधी दलीलें हैं। जनता को हमें माफ-साफ समझना चाहिए। जिस तरह इंग्लैंड की जनता ने फ्रेंच के खिलाफ आवाज उठायी थी, उसी तरह हमें अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। करोड़ों को दबाकर अंग्रेज़ों को मान्य करनेवाले कुछ थोड़े लोगों के मोह या स्वार्थ सर्वोपरि कैसे हो सकते हैं ?

हिन्दी राष्ट्रभाषा हो सकती है। उसे मातृभाषाओं के पूर्ण विकास के साथ-साथ स्वीकार कर लेने में देश की एकता खतरे में पड़ेगी, ऐसा नहीं मानना चाहिए। हिन्दी एक क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा है, यह मानना उचित नहीं है। अंग्रेज़ों को छोड़ दिया जाय तो हिन्दी ही एक भाषा रह जाती है जो विभिन्न राज्यों के बुद्धिजीवियों में ही नहीं, सामान्य स्तर की जनता में भी सम्पर्क भाषा का काम करती है। ●

अंग्रेज़ों की भारत में दो महत्वपूर्ण स्थितियाँ अथवा पद प्राप्त कर लिये हैं। हम लोग उसकी यह स्थिति समाप्त कर रहे हैं। अंग्रेज़ों की पहली विशेषता यह है कि वह राज्यों के प्रशासन की भाषा बन बैठी है। अब यह चलने को नहीं है। प्रशासन जनता की भाषा में होना चाहिए। अंग्रेज़ों की दूसरी विशेष स्थिति यह है कि वह केन्द्रीय प्रशासन की भाषा बन बैठी है। केन्द्र में अंग्रेज़ों की समाप्ति के लिए अहिन्दी राज्यों की सहमति आवश्यक है। इस कार्य की ओर धीरे धीरे किन्तु दृढ़तापूर्वक कदम उठाये जा रहे हैं।

शेष विश्व के लिए अंग्रेज़ों खिडकी का काम करती है। हमें फ्रेंच, जर्मन, चीनी और जापानी भाषाओं को सीखकर खिडकियों की संख्या और बढ़ानी चाहिए।

केन्द्रीय शिक्षामंत्री- डा० त्रिगुणसेन

अंग्रेजी-समर्थकों का दृष्टिकोण

हिंदी के राष्ट्रभाषा होने के विरुद्ध अंग्रेजी-समर्थकों के निम्नलिखित तर्क हैं—

- १ उत्तर भारत की दक्षिण भारत पर आर्थिक और राजनीतिक प्रधानता गहरी और मजबूत होगी ।
- २ दक्षिणवालों की निराशा और बेरोजगारी बहुत बढ़ जायगी ।
- ३ व्यावहारिक रूप में प्रतिरक्षा विभाग, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और अन्य प्रशासनिक निकायों पर उत्तरवालों का एकाधिकार हो जायगा ।
- ४ शैक्षिक-स्तर बहुत नीचे गिर जायगा ।
- ५ जगह-जगह क्षेत्रवाद और सकीणवाद का बालूवाला हो जायगा । प्रत्येक राज्य को एक दूसरे के प्रति उपेक्षा और विरोधीपन की भावना बनेगी ।
- ६ विज्ञान और प्रायोगिकी की नयी प्रगति की जानकारी से हम वंचित होंगे ।
- ७ आर्थिक वृद्धि के क्षेत्र में हमारा दस बहुत पीछे हा जायगा ।
- ८ विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता बहुत कुछ समाप्त हो जायेगी और वे राजनीतिज्ञों के हाथ के खिलौने बन जायेंगे ।
- ९ एक विश्वविद्यालय का स्नातक दूसरे विश्वविद्यालय के लिए बिनाकुल अनुपयोगी हो जायगा ।
- १० अध्यापकों या शिक्षकों का एक स्थान से दूसरे स्थान का आवागमन लगभग बंद हो जायगा ।
- ११ हमारा विन्व के साथ जो सम्बन्ध है वह बहुत असी तक कम हो जायगा ।
- १२ पूरे देश में विचारों के संचार का कार्य प्रभावकारी स्वरूप में न रह जायगा । इसके कारण प्रशासन की एकता और क्षमता का ह्रास होगा ।
- १३ दक्षिण की भाषाओं का हिन्दी के कारण नुवसान होगा ।
- १४ अन्त में हिन्दी के कारण देश में विघटन पैदा होगा और वह भाषायी टापुओं में परिवर्तित हो जायगा ।^१

१ साउथ इण्डियन टीचर्स के सिन्ड्रेट अड्ड में प्रकाशित श्री के टी पोपय के स्थले ।

हिन्दी-समर्थकों का दृष्टिकोण

हिन्दी के राष्ट्रभाषा बनाये जाने के पक्ष में निम्नलिखित तर्क हैं

१—भारत के सविधान में हिन्दी को राजभाषा बनाने का निर्णय हो चुका है। उस निर्णय को बदलना ठीक नहीं होगा।

२—हिन्दी देश के बहुमह्यक लोगों की भाषा है। अंग्रेजी को छोड़ दीजिये तो आज भारतीय भाषाओं में एक वही ऐसी भाषा है, जिसमें दूसरे प्रान्त के सामान्य जन ही नहीं बुद्धिजीवी भी मिलने पर विचार-विनिमय करते हैं।

३—स्वतंत्र लोकतन्त्रात्मक देश में, जैसे राज्यों में क्षेत्रीय भाषाएँ राजभाषाएँ बनायी जायें, जिससे प्रशासन की भाषा और जनता की भाषा में साम्य हो और प्रकाशक और जनता के बीच की खाई पटे, वैसे ही सम्पूर्ण भाषा अपने देश की ही एक भाषा बनायी जाय और वह ऐसी भाषा हो जो थोड़ी बहुत सभी राज्यों में बोली-समझी जाती हो। हिन्दी ही एकमात्र ऐसी भाषा है। वह आज भी गौहाटी, शिलांग, कलकत्ता, बम्बई, पूना, बंगलोर, धीनगर, काशी, प्रयाग, पुरी, काजीवरम्, रामेश्वरम् के बाजारों में विभिन्न प्रदेशों से आनेवाले व्यापारियों और तीर्थयात्रियों द्वारा बोली और समझी जाती है।

४—हिन्दी के राष्ट्रभाषा बनाने से सही अर्थ में राष्ट्र की एकता बढ़ेगी क्योंकि वह समान रूप से सामान्य जनता और बुद्धिजीवी दोनों की सम्पूर्ण भाषा होगी। ऐसी भाषा देश को जोड़ेगी, बिखेरेगी नहीं।

५—हिन्दी के राजभाषा बनने पर जब उच्च स्तर पर उसका प्रयोग ज्ञान-विज्ञान के सभी क्षेत्रों में होने लगेगा तभी ज्ञान-विज्ञान का लाभ साधारण जनता तक पहुँचेगा और तभी राष्ट्रीय प्रतिभा का विकास होगा।

६—देश की राष्ट्रभाषा ऐसी ही भाषा होनी चाहिए जिसमें प्रयोग में आनेवाले शब्द देश की दूसरी भाषाओं में अधिक से अधिक पाये जाते हों और जिनके शब्द-समूहों का आपस में आदान-प्रदान भी हो सके। अंग्रेजी इस प्रकार की भाषा नहीं हो सकती। अतः किसी भी रूप में उसे राजभाषा बनाये रखने की बात इस राष्ट्र के लिए हानिकर होगी।

७—अन्य भाषा के व्यवहार से शिक्षा का स्तर गिरेगा नहीं, बढ़ जायगा।

अंग्रेजी पढ़ने से बालक की जिस शक्ति का अपव्यय होता है वह शक्ति जब दूसरे विषयों में लगेगी तो शिक्षा का स्तर बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं।

८—यह विचार कि क्षेत्रीय भाषाओं से आर्थिक स्तर गिरेगा, गलत है। राष्ट्र का विकास राष्ट्रभाषा के माध्यम से ही हो सकता है। पंचवर्षीय योजनाएँ, जिनमें सोवने-समझने और नियोजन बनाने की माध्यम अंग्रेजी रही है, सफल नहीं हुई है। इन योजनाओं को कार्यान्वित करनेवाले विकास-अधिकारी भारत की सामान्य जनता के साथ अपने को एक नहीं कर सके हैं। फलतः विकास न होकर ह्रास ही हुआ है।

९—हिन्दी के राजभाषा होने से उत्तर भारत की दक्षिण भारत पर राजनीतिक प्रधानता गहरी होगी—यह शका निर्मूल है। केन्द्रीय नौकरियाँ के काम करनेवाले छोटे-बड़े कर्मचारियों का, जो सभी आज अंग्रेजी जाननेवाले ही हैं, आज की राजनीति पर कितना प्रभाव है। राजनीति का संचालन जिस लोकसभा के प्रतिनिधियों के हाथों में होगा वह सभी प्रदेशों के होंगे और आज वह अंग्रेजी में बोलने हैं कठ हिन्दी में बोलेंगे तो उससे अन्तर क्या पड़ेगा ? ●

भारतीय भाषाओं के बहुमुखी विकास के लिए जोरदार प्रयास किया जाना चाहिए। हमें यह ध्यान रखना होगा कि केवल एक या दो भारतीय भाषाओं के विकास से काम न चलेगा। सभी भारतीय भाषाओं को समान अधिकार प्राप्त हैं।

हिन्दी का जिसे देश की बहुसंख्यक जनता बोलती है, विकास दिया जाना चाहिए ताकि वह देश की सम्पूर्ण भाषा बन सके। हमें उसी भाषा को (सम्पूर्ण भाषा का) महत्व देना पड़ेगा जिसे न केवल मुट्ठी भर बुद्धिजीवी ही समझते हैं बल्कि देश के करोड़ों किसान और मजदूर भी आसानी से समझते और व्यवहार में लाते हैं।

—राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन

नये ग्राहको को विशेष उपहार

श्री जयप्रकाश तारायण के जन्म दिन ११ अक्टूबर ६७ से क्रिष्णमण्ड ३२ २५ दिसम्बर ६७ के बीच की अवधि में कम से कम १ गांव के लिए ग्राहक बनने पर

नयी तालीम (मासिक) के साथ गांव की बात (पाठिका) के साथ छान, मद्रासीय विशेषता,

'भूदान-यज्ञ (छासाहित) तथा गांव की बात (मासिक) के साथ नयी तालीम का भाषा विषय विनिष्ट-अंत

सर्व सेवा सच, न्यूज रोटार (अंग जी मासिक) के साथ मापी जयती (२ अक्टूबर ६७) में देहू जयती (१४ दिसम्बर ६७) का भी अवधि में, प्रीडम पार दी मासेज और 'पीन आन अर्थ' नामक दो महत्वपूर्ण पुस्तकें

सर्व सेवा सच प्रकाशन की ओर से ग्राहको को उपहार में दी जायेगी ।

पत्रिकाएँ	मासिक शुल्क
नयी तालीम (मासिक)	६००
गांव की बात (पाठिका)	४००
भूदानयज्ञ (छासाहित)	१०००
सर्व सेवा सच न्यूजरोटार (मासिक)	१०००

दत्तोबा दास्ताने

संकाश

सर्व सेवा सच-प्रकाशन
राजघाट, वाराणसी-१

उत्तर प्रदेश की सरकार का निर्णय

उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षा-समिति ने १३ सितम्बर, १९६७ के शिक्षा-निदेशक की उस घोषणा पर गम्भीर चिन्ता प्रकट की है, जिसमें यह कहा गया है कि हाईस्कूल और इण्टर की परीक्षाओं में जो पाठ्यक्रम पहले सूनिन किये जा चुके हैं, वे सन् १९६८ की परीक्षा में ही लागू होंगे। परिवर्तन निम्न प्रकार है—

(१) हाईस्कूल की परीक्षा के लिए हिन्दी और गणित अनिवार्य विषय होंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक छात्र को तीन अन्य वैकल्पिक विषय लेने होंगे। इन वैकल्पिक विषयों में आधुनिक भारतीय (हिन्दी के अतिरिक्त) तथा यूरोपीय भाषाएँ रहेगी। हाईस्कूल की छात्राओं को इस बात की छूट रहेगी कि वे चाहें तो गणित के स्थान पर अनिवार्य विषय के रूप में गृह-विज्ञान ले सकती हैं।

(२) इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए हिन्दी अनिवार्य विषय होगी। इसके अतिरिक्त तीन वैकल्पिक विषय और होंगे। इनके अलावा हिन्दी को छोड़कर किसी दूसरी भारतीय अथवा विदेशी भाषा में एक सामान्य पत्रा, जो विद्यार्थी चाहे, वैकल्पिक रूप में, ले सकते हैं। इस पत्र में केवल ५० अङ्क होंगे और विद्यार्थियों के लिए इसमें पास होना अनिवार्य नहीं होगा। परन्तु जो इसमें पास होंगे, उन्हें अलग से प्रमाण-पत्र दिये जायेंगे।

परीक्षा-समिति ने विचार प्रकट किया है कि ये परिवर्तन राज्य के शैक्षिक स्तर के लिए हानिकारक सिद्ध होंगे और उन १५ लाख विद्यार्थियों के हितों के खिलाफ होंगे, जो सन् १९६६ तक की इन परीक्षाओं के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर तैयारियाँ कर रहे हैं। जो परिवर्तन किये गये हैं, अगर उन्हें चालू परीक्षा-वर्ष में ही लागू होने दिया गया, जब परीक्षा के कुल ५ महीने ही शेष रह गये हैं, तो यह भावी परीक्षार्थियों को दिये गये पत्रों का उल्लंघन होगा। क्योंकि बोर्ड ने १७ अगस्त को सूचना दी थी कि परिवर्तन १९६८ की परीक्षा में लागू नहीं होंगे और १९६६ की परीक्षा के लिए विभारधीन है।

अक्तूबर, '६७]

[१३४]

सरकार का यह कदम बोर्ड की स्वायत्तता में हस्तक्षेप है और परीक्षा-समिति ने उसके प्रस्ताव पर विचार करने के लिए वार्ड की इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग की है और शासन से अपील की है कि वह कानून से प्राप्त बोर्ड की पेशी (एग्जैमिक) स्वायत्तता में हस्तक्षेप न करे ।

इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में हम तीन बातों पर विचार करना है—

१—पाठ्यक्रम में परिवर्तन

पाठ्यक्रम में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जिससे छात्रों की क्षति हो । केवल कुछ विषय कम कर दिये गये हैं और कुछ को ऐच्छिक बना दिया गया है । हाईस्कूल में पहले भी ५ विषय ही लेने होते थे—३ अनिवार्य और २ वैकल्पिक, और अब भी ५ ही विषय लेने होंगे—२ अनिवार्य और ३ वैकल्पिक । परिवर्तन इतना ही हुआ है कि अंग्रेजी को अनिवार्य विषय-सूची में निकालकर वैकल्पिक विषय-सूची में रख दिया गया है । जिन विद्यार्थियों ने अंग्रेजी पढ़ी है, वे अगर चाहें तो इस विषय में परीक्षा दें । मरा विचार है कि अंग्रेजी छाड़ देने में उन्हें दूसरे विषयों को पढ़ने का अधिक अवसर मिलेगा और उनके दूसरे विषयों का स्तर बढ़ेगा ही ।

इसी प्रकार इण्टर की परीक्षा में पहले २ अनिवार्य और ३ वैकल्पिक विषय थे और अब १ अनिवार्य और ३ वैकल्पिक विषय रह गये हैं । ५ वें विषय के रूप में विद्यार्थी चाहें तो अंग्रेजी ले सकते हैं । इस तरह इण्टर की परीक्षा में अंग्रेजी का बोझ हल्का हो जाने से विद्यार्थियों को दूसरे विषयों का पढ़ने का अधिक समय मिलेगा, विशेषतः विज्ञान के विद्यार्थियों को जो अपने तीनों विषय—भौतिक-विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित अथवा जीवविज्ञान आदि अधिक अच्छी तरह पढ़ सकेंगे । ये विद्यार्थी अंग्रेजी वैकल्पिक रूप से पढ़ ही सकते हैं, अब इनका अंग्रेजी का स्तर इतना नहीं गिरेगा कि वे विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी में पढ़ाये जाने पर विषयों को समझें ही नहीं और अब तो वहाँ भी सीधे ही हिन्दी माध्यम हो जायगी ।

२—स्वायत्तता का अपहरण

शासन की इस घोषणा से बोर्ड की स्वायत्तता का अपहरण नहीं हो रहा है । बोर्ड के चेयरमैन को इण्टर एजुकेशन एक्ट धारा ६(४) के अन्तर्गत बोर्ड की मीटिंग बुलाने का अधिकार है और यह कहना इस समय ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं थी कि इस धारा का प्रयोग किया जाना गलत है । अंग्रेजी को छोड़ने, न छोड़ने पर हम स्वराज्य प्राप्ति के बाद वीम वरमा म

विचार करत आ रहे है। अत अंग्रेजी को वैकल्पिक रूप में रखने का निणय लेकर सरकार ने न तो षाड् जल्दी की है और न ऐसा कोई काम किया है जो शिक्षा क हिन के विहृद्ध हों। अंग्रेजी को बनाये रखने की आड म 'अंग्रेजी शिक्षित समुदाय हिन्दी बोलने अर समझनेवाली जनता को उनके उहज स्वाभाविक अधिकारो स वचित कर स्वराज्य के अवसरो को अपने लिए सुरक्षित रखना चाहता है। हिन्दी के अधिकार का सवाल जनता के अधिकारो का सवाल है भारताय लोकतन्त्र के विकास का सवाल है और अंग्रेजी को अनिवाय विषय सूचा स हटाये बिना हिन्दी का अपना स्थान प्राप्त नहीं होगा। हमने बीस वष तक कभी शैक्षिक स्तर के नाम पर कभी विज्ञान और टेक्नालाजी के नाम पर हिन्दी भाषी जनता को धोखा दिया है और हमारी जनता के प्रतिनिधि विधायक अग्र जादा नोकरगाहा के हाथ में खेदते रहे है। अब आज बीस वष के बाद जब एक सहा बंदम उठाया गया है तो उसे जल्मीवाजी का काम कह कर उसके माग म बोट की स्वायत्तता के नाम पर रांडा अटकाना ठीक नहीं है।



यदि शिक्षा का माध्यम धीरे धीरे बदलने के बजाय एकदम बदल दिया जाय, तो बहुत ही शीघ्र हम यह देखेंगे कि आवश्यकता को पूरा करने के लिए पाठ्य-पुस्तकें भी प्राप्त हो रही है और अध्यापक भी। और अगर हम ईमानदारी से काम करना चाहते है तो एक ही साल में हमें यह मालूम हो जायगा कि विदेशी माध्यम द्वारा सस्वृति के आवश्यक तत्व सीखने के प्रयत्न म राष्ट्र का समय और शक्ति नष्ट करने म हमें भागीदार नहीं होना चाहिए था। बेशक सफलता की शर्त यह है कि सरकारी दफ्तरो में और अगर प्रांतीय सरकारा का अपनी अदायगा पर अधिकार या प्रभाव हो तो उन अदालता में भी प्रांतीय भाषाएँ तुरत जारी कर दी जायें। यदि इस मुधार की आवश्यकता में हमारा विश्वास हो तो हम उम्म तुरत सफल हो सकते है।

—गाधीजी

नयी तालीम का नया सन्दर्भ

मनमोहन चौधरी

(गाधीजी न कहा था—अगर सब लाग मर घताये हुए रास्ते पर चले तो एक उँगली भी उठाने की जरूरत न पड़े और अग्रेच इस दश से सदा के लिए निदा हो जाय। वे हमने हमने निदा हों, म चम्पई जाकर उन्हें निदा करूँ और उनके निदा होन पर जब मैं दश की ओर मुँह मोड़ूँ तो सारा दश मुव्यवस्थित, शान्त और भग-पूरा नजर आये। गाधीजी के इस कथन का पहला हिस्सा ता पूरा हुआ और अग्रेच यहाँ से निदा हुए—रुशी रुशी निदा हुए। परन्तु उनक कथन की दूसर हिस्से में प्रकट की हुई उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई है। इसके जहाँ अनेक कारण हैं वहाँ एक यह भी है कि अपनी कल्पना का सनादय समान बनान के लिए उन्होंने दश को जो एक नयी शिक्षा-पद्धति दी थी उसको देश न ईमानदारी से नहीं अपनाया। गाधीजी के सपने का समान तन बनता जब उनकी बुनियादी शिक्षा-पद्धति पूर्व प्रारम्भिक स्तर से स्नातकोत्तर स्तर तक अपनायी गयी होती। पर ऐसा नहीं हुआ और आज हताश राष्ट्र मुट्टी भर अन्न के लिए दूसरे राष्ट्रों के सामन भिक्षापात्र लिये सटा है। हम गाधी जयंती के अवसर पर सर्व सेवा सघ के अध्यक्ष श्री मनमोहन चौधरी का लेख दे रहे हैं जिसमें दश की नयी परिस्थितियों में नयी तालीम को अपनान की सिफारिश की गयी है।—म०)

सन् १९३७ म देग क कुछ राज्या म जब कांग्रेस का सम्मेलन आया, तब गापोजी ने कांग्रेस मंत्रियों से कहा कि शिक्षण की पुरानी पद्धति व स्वान पर नयी पद्धति चालू करें, जो हमारे देग की जनता क लिए अनुकूल और अनुष्ण हा।

ऐसी नयी शिक्षा-पद्धति क्या हो सकती है, इस पर विचार करने और निर्माण करने की दृष्टि से गांधीजी ने देश के शिक्षा शालियों और विचारकों का एक सम्मेलन वर्षा में बुलाया और तब बुनियादी तालीम का जन्म हुआ। आगे चलकर उस प्रवृत्ति ने विकास और विस्तार के लिए सन् १९३८ में कांग्रेस ने 'हिन्दुस्तानी तालीम मण्डल' की स्थापना की। उस संस्था के मंत्री का काम करने के लिए गांधीजी ने श्री आयनायकमजी को चुना और उस दिन से अपने जीवन की आखिरी घड़ी तक श्री नायकमजी ने अतन्वय निष्ठा और झटूट धट्टा से उस काम में अपनी शक्ति लगायी।

गुरु म कई राज्यों म बुनियादी तालीम के विषय मे बहुत उत्साह रहा आर उल्लसनीय प्रगति भी हुई। उस समय यह आशा बंधी कि देश के स्वतंत्र हाते ही बुनियादी तालीम देश भर म फैलायी जावेगी, परन्तु वह आशा आशा ही रह गयी। स्वतंत्रता के बाद देश म शिक्षा दिन-दूनी रात चौगुनी बढी जरूर, लेकिन यह सब वही पुरानी लीक की शिक्षा थी। राज्य-सरकारों ने नयी तालीम को एकदम भुला दिया। यह बड़े दुर्भाग्य की बात थी, क्योंकि आज देश जिस दुस्स्थिति का शिकार बना हुआ है, उसका एक प्रमुख कारण यह रहा है हमने शिक्षा की गलत पद्धति का ही चानू रखा। आज हम चारा ओर उससे पुनरिगामा ना देख रहे है। अधिकांश बच्चे थोड़ी-बहुत शिक्षा पाते ही किसी भी तरह का शरीर-श्रम करने मे कतराने लगते है। कुछ ऊँची शिक्षा पानेवाले लड़के गाँव छोड़कर शहरों की ओर भाग निकलते है, ताकि वहाँ ज्यादा पैसा कमाने का कोई जरिया खोज लें। अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि का उपयोग करके गाँव को उत्थान बनाने की बात शायद ही कोई सोचता हो। यहाँ तक कि जो लाग कृषि, गो-भवा या उद्योगों की शिक्षा पाते है, वे भी उन उद्योगों पर जीवन बिताने की बात नहीं सोचते, किसी सरकारी नौकरी में आराम से जीना ही पसन्द करत है।

इस प्रकार अधिकांश ह्राशियार बच्चे गाँव छाड़ देते है। दहात की कृषि मे, गा-शासन में और देहानी उद्योगा म नये ज्ञान और विज्ञान का प्रवेश हो नहीं पाता, वे सब सदिया पुरानी पिछडी और प्राथमिक अवस्था म ही रह गये है। गाँवों में थोडा-बहुत नया शानो पहुँचाने के इरादे रा सरकार चन्द विकास अधिकांश और विशेषता आदि की नियुक्ति करती है, लेकिन वे अधिकांश शायद ही इस सब बातों की परवाह करत है, और वे जरा भी मेहतत करने का तैयार नहा है। ये ना थोड़ी दूर पैदल चल कर मुद्गर दहात म जाने को भी तैयार नहीं हान है।

आज की दुर्दशा

देश में आज हम देख रहे हैं कि ज्यो-ज्यो शिक्षित जवानों की संख्या बढ़ती जाती है, त्यो-त्यो उसी अनुपात में उनमें बेकारों की संख्या भी बढ़ती जाती है। देश में सभी चीजों का अभाव है, उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है। ये शिक्षित जवान गांव से बाहर निकल भले जाते, लेकिन शहरों में यदि किसी न किसी उत्पादन धंधे में लगते, तो भी सहन हो सकता था, लेकिन शहरों में इतने गिने हो कर रहे हैं। अक्सर ये ऐसा ही काम ढांढा है, जिसमें ज्यादा सिंग खपाना न पड़े और कम-से-कम मेहनत लगे। शिक्षित बेकारों की इस बढ़ती हुई संख्या से सरकार बहुत डरती है, क्योंकि यह संख्या बड़ी उदृष्ट है और अपने अनुत्पन्नता को जाहिर करने के लिए चाहे बिना तरह का प्रदर्शन और उपद्रव स्वयं करने में हिचकती नहीं है। इसलिए सरकार इनका कहीं न-कहीं काम पर लगाने के लिए नयी-नयी नौकरियाँ शुरू करती है। अलग-अलग ये सब नौकरियाँ बाग-बगीचा-काम की ही होती हैं, जो सरकारी दफ्तरों में बैठकर की जाती हैं। पत्न्यस्वरूप आज देश में सरकारी कर्मचारियों की संख्या ६५ लाख से ऊपर पहुंच गयी है—वास्तव में जितने लोग चाहिए, उतने यह संख्या बहुत ही ज्यादा है—और इतने लोगों के भरण-पोषण का बोझ मेहनतकश जनता पर पड़ता है।

अधिकांश लोगों का इस परिस्थिति की भयानकता भाव्य नहीं। देहाती लोग अपने लड़कों को मजूर इसलिए पढ़ाते हैं कि पढ़-लिखकर वे किसी आमजन काम में लगे, मेहनत में बचें और उन्हें भी खेत और जमीन की मर्यादा में बचावें। शिक्षण मेहनत में छूटने का मानो सिंहद्वार बन गया है।

वही पुरानी हालत

शिक्षा की आज की पद्धति और उसकी ओर देशों की लोगों की दृष्टि, दोनों वही है, जो पहले थी। हमारे देश में—और दुनिया के अधिकांश राष्ट्रों में भी—सामाजिक और राजनैतिक ढांचा कई सदियों से ऐसा रहा है कि जिसमें अधिकांश, सामाजिक और राजनैतिक सत्ता मुट्ठी भर लोगों के हाथ में केन्द्रित हो गयी है। इसकी वजह से समाज में यह भेद पड़ गया कि कुछ लोग अमीर बन गये और बहुत लोग गरीब रह गये। बड़ी संख्या में जो लोग मेहनत करने थे, वे गरीबी में ही पड़े रहे, क्योंकि एक तो उत्पादन का उनका तरीका अनादी था—जैसे आज भी भारत के अनेक गांवों में है। इस वजह से उत्पादन बहुत कम होता था और दूसरे, वे जो भी उत्पादन करते, उसका बड़ा भाग बड़े लोग हड़प जाते थे। जो सम्भदार और मुक्तिशिल लोग थे, उन्हें

इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि कृषि और अन्न उद्योगों में उत्पादन वृद्धि की समस्या हल करने में उनके ज्ञान का और विद्या का उपयोग हो। सच बात तो यह है कि उत्पादक-श्रम और श्रमिक की ओर नीची निगाह से देखा जाता था, उनसे नफरत की जाती थी। दीलत झट्टी करने का एक यही चालाकी भरा माग लोग जानते थे कि बड़बड़े जमींदार बनकर दूसरों की भेनहत्त का बेजा फायदा उठाया जाय लैन देन या व्यापार में लगा जाय या सत्ता हथियायी जाय। ज्ञान तो केवल उन लोगों के मतलब की चीज रह गया था जो दशनशास्त्र या घघ्यात्म विद्या में रुचि रखते थे। उधर सरकारी कामों में मदद करने के लिए कारखून आर अकसर चाहिएँ थे, तो उनका उस डग की शिक्षा की जरूरत पड़ी। कुछ लोगों के लिए तो शिक्षा चीन की चीज थी। बहुसंख्यक श्रमिकों के पास न तो इतना समय था न उसमें उनकी रुचि ही थी, क्योंकि वह उनकी रोज रोज की समस्या में रत्ताभर काम नहीं आ सकती थी। वे अपने भाग्य का भरोसा पर रह गये और शिक्षा—जिस रूप में वह था—उनका भाग्य बदलने में हर तरह असमर्थ था। वही वही एवाध युवन ऐसे थे जो ज्ञान का माही चढ़कर ऊँचा मजिद पर पैर रखने का सपना देखते थे।

यह भारत की पिछले जमाने की हालत थी। अन्न जाने आने साम्राज्यवाद के लायक नीकर तैयार करने के लिए स्कूल गुरु किये और बहू पढाई का काम भी वैसा ही बँटाया। उन्होंने समाज की हालत और दृष्टिकोण को बदलने का जरा भी प्रयत्न नहीं किया। उन्होंने प्रशासन का जो तंत्र खड़ा किया और उद्योगों का जो ढाँचा निर्माण किया उसमें तो सुफेदपोश लोगों का एक वर्ग बना और बुद्ध और योगों को शासक वर्ग में दाखिल होने का या देशबधुओं को फौजी पर चढ़ानेवाला के दम में शामिल होने का अवसर मिला। स्वराज्य के बाद परिस्थिति कुछ बदला लेकिन बहुत ही कम। शिक्षित लोगों की केवल संख्या बढ़ा और साथ ही समस्याएँ भी बढ़ी।

नयी शक्तियाँ

परन्तु इस घाब दुनिया में भारी परिवर्तन हुए, नया-नयी शक्तियाँ उभरने लगी, नये विचार पनपने लगे। सगार भर में मानव ऊँचा उठने लगा। वह अन्न किसी का गुनाह या हाथ का अजार भर रहना नापसंद करने लगा। अपना म्यान मान बख्शने का उमने टानी। अन्नतंत्र समाजवाद, समता, भाईचारा आदि विचारों का प्रवेश हुआ जहाँ जगत् की आग ता तरह ब फैलने लगी। बड़ा-बड़ी मान्दियाँ हूँदें और आन्तरिक व्यवस्था का बदलने लगा।

हर वचा इस धरती पर सुख से जी सकता है, बढ़िया जीवन जी सकता है। हर तरह की भौतिक आवश्यकताएँ पूरी करने लायक उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, राग दूर किये जा सकते हैं, बरबादी घटायी जा सकती है। यह सब कई राष्ट्रों में हुआ भी है और वे आर्थिक दृष्टि से हम से आगे हैं लेकिन यह सब इस बात पर निर्भर है कि लोगो को सही ढंग की तालीम मिले। गांधीजी बुनियादी तालीम से यही अपेक्षा रखते थे।

इसमें कताड़ खेती, बड़ईगिरी, लुहारो आदि उत्पादक कामो को शिक्षा का अङ्ग माना गया है। लग काम भी करते जाते है और शिक्षा भी लेते जाते है। इससे भी बड़ी बात यह कि वे काम के द्वारा शिक्षा पाते है। उनको यह शिक्षा मिलना है कि गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, भूगोल आदि का उनके नित्य जीवन में और हर काम में क्या उपयोग है, तथा इनमे वे अपने जीवन को कैसा समृद्ध और सुविधापूर्ण बना सकते है।

बुनियादी शिक्षा लोगो को नयी और नैतिक दृष्टि देने का प्रयत्न करती है, जिसमे वे साम्राज्य में दाखिल होने का न दांडे, बल्कि असपास की जनता की सेवा करने और उनकी परिस्थिति बदलने का प्रयत्न करें। वह लोगो में उत्पादक धर्म के प्रति प्रतिष्ठा जगाने की काशिश करती है।

अगर यदि अपना भाग्य स्वयं निर्धारित करने की शक्ति चाहते है, तो उन्हें आमपाम का दुनिया का ठीक में जानना चाहिए। उन्हें जाति, धर्म, भाषा आदि मनुचित और पुराने बंधनों से मुक्त होना चाहिए। विशाल मानवीय दृष्टि अपनानी चाहिए। निर्भय और मजबूत होना चाहिए और अपना हक हासिल करने की दृढ़ता उनमें आनी चाहिए। उनमें उत्साह हो, साहस करने की उमंग हो तथा दूसरो के दुख-दर्द की संवेदना हो। साथ मिलकर काम करने की तैयारी हो, लोकतांत्रिक ढंग में जीने की क्षमता हो, और इन सारे गुणा और इन सारी साम्यवादा को शिक्षाविद्या में भरने का प्रयास नयी तालीम करनी है।

जिसे घाघे में स्वतंत्रता में पुरो दिग्ग ने सब तयों त त्रे न का प्रयोग हुआ, उम्मीद इन ओशाआ की पूर्ण में बहुत हद तक सफलता मिली है। यह सही है कि इस दुनिया में कोई चीज पूरा नहीं है। पूरना पाने के लिए सतत प्रयत्न करना रहना होगा। नयी तालीम में ऐसे प्रयत्न बराबर होते रहे हैं और आज भी हा रह है कि यह बदलती हुई परिस्थितिया के अधिराधिन अनुकूल हाती जाय।

मरवार की उपेक्षा-नीति

यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे शासक लोग अपना पुरानी गयी-भुजरी मायनाओं में मुक्त नहीं हो पाये हैं। उनका मन में वास्तव में विश्वास ही नहीं है कि गरीबी पूरी-की-पूरी मिटाया जा सकती है और अमीर-भराव का भेद दूर किया जा सकता है। वे यही मानते हैं कि राजनैतिक और आर्थिक सत्ता हमेशा मुट्ठीभर लोगों के ही हाथ में रहनेवाली है और जिस तरह पुराने जमाने में ब्राह्मण रहते थे, उसी तरह निम्न और गरीब लोग कम ही रहनेवाले हैं। लोकतंत्र और चुनावों को वे लागू को बहकाकर खुद सत्ता हाथियाने का एक साधन ही मानते हैं ? दुर्दैव में सामान्य जनता भी लगभग इसी तरह की दकियानूसी मान्यताओं और विचारा में फँसा हुई है। वे ही सारी पुरानी पद्धतियाँ आज भी ज्या-की-दयो विराजमान हैं और उनके परिणाम भी हम भाग ही रह रहे हैं।

आशा की किरण

इस अन्त को देखने पर भविष्य बड़ा अंधकारमय दीखता है फिर भी आशा की एक किरण है और वह दीख रहा है—ग्रामदानी गाँवों के अन्दर। ग्रामदानी गाँवों ने एक नया समाज कायम करने का सक्ल किया है और उस दिशा में बहुत कदम भी उठाया है। मुझे सन्देह नहीं है कि इस तरह ग्रामदान के द्वारा नयी तालीम देना में अपना उचित स्थान प्राप्त कर लेगी और ग्राम स्वराज्य का स्थापना में बड़ी मददगार साबित होगी।



सम्पादक मण्डल

श्री धीरेन्द्र मजूमदार—प्रधान सम्पादक

श्री वशीधर श्रीवास्तव

श्री राममूर्ति

अनुक्रम

चागला का त्यागपत्र	६७	श्री वशीधर श्रीवास्तव
हिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषा	१०३	महात्मा गांधी
शिक्षा का माध्यम	१०७	महात्मा गांधी
भाषा सम्बन्धी कुछ आरामें	१०९	आचार्य वाका कालेलकर
राजभाषा का सवाल	११०	काका कालेलकर
भारत की भाषा भारती	११४	श्री प्रबोध चोकरी
शिक्षा का माध्यम और विश्व-		
विद्यालया के उपकुलपतियों का निर्णय	११९	श्री वशीधर श्रीवास्तव
राष्ट्रभाषा का भविष्य	१२२	श्री ताहिर कानुसवाला
भाषा और लोकतंत्र	१२५	श्री कृष्णकुमार
अंग्रेजी समर्थकों का दृष्टिकोण	१३०	
हिन्दी समर्थकों का दृष्टिकोण	१३१	
नये ग्राहकों को विशेष उपहार	१३३	
उत्तर प्रदेश की सरकार का निर्णय	१३४	
नयी तालीम का नया सन्दर्भ	१३७	श्री मनमोहन चौधरी
सूखे के बाद सैलाव		
अंग्रेजी के बाद विवाद (मुखपृष्ठ-परिचय)		श्री अनिकेत

अक्तूबर, '६७

निवेदन

- 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से आरम्भ होता है।
- 'नयी तालीम' का वार्षिक चन्दा छ रुपये है और एक अंक के ६० पैसे।
- पत्र-व्यवहार करने समय ग्राहक अपनी ग्राहकसंख्या का उल्लेख अवश्य करें।
- रचनाओं में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है।

अक्तूबर, '६७]

[१४४

डा० राममनोहर लोहिया के निधन पर सर्व-सेवा-संघ का शोक प्रस्ताव

सर्व-सेवा-संघ की प्रबन्ध समिति डा० राम-मनोहर लोहिया के निधन पर अपना हार्दिक शोक प्रकट करती है। देश के कमजोर तबके के प्रति उनकी जो समवेदना थी, सतत जूझने और विषमता-विरोध की जो लगन थी, और जीवन पर्यन्त ध्येय-निष्ठा के लिए समर्पण की भावना थी, उसके कारण देश के निराशाजनक और असंवेदनशील वाता-वरण में आशा की शक्तियों को बल मिलता था। उनके जाने से जो खिन्नता लोक-जीवन में आयी है, उसके निवारण के लिए डा० लोहिया की आदर्शवादिता से सबको प्रेरणा मिलती रहे यह हमारी प्रार्थना है। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

नयी तालीम : अक्टूबर '६७

पहले से डाक-धूप दिये बिना भेजने की अनुमति प्राप्त

नाइसेंस न० ४६

रजि सं० एल १७२३

‘भूदान यज्ञ’ साप्ताहिक

सम्पादक आचार्य रामचन्द्र

पृष्ठ सं० १६ : आकार ९" × ११"

वार्षिक शुल्क १० रुपये : एक प्रति २० पैसे

विनोबा, जयप्रकाश नारायण, धीरेन्द्र मजूमदार, दादा धर्माधिकारी आदि प्रखर विचारको के चिन्तन, देश भर में चल रहे सर्वोदय-आन्दोलन तथा वर्तमान राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय सन्दर्भ में नयी समाज-रचना के नये आधाय से सम्पर्क का माध्यम ।

सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन


पत्रिका विभाग

राजघाट, वाराणसी-१

श्री श्रीकृष्णदास भट्ट सर्व सेवा-संघ की ओर से सण्डेलवाल प्रेस एण्ड पब्लिकेशंस
मानसिंह, वाराणसी में मुद्रित तथा प्रकाशित ।

नयीं तालीम

सर्वविद्यया विद्या विद्यायाः



नवम्बर १९६७
वर्ष १६ : अंक ८

पड़ोस, पड़ोसी और पड़ोस-स्कूल

आजकल 'पड़ोस-स्कूल' पर (जिसे नेबरहुड स्कूल कहते हैं) बहुत जोर है। कहा जा रहा है कि एक पड़ोस में रहनेवाले जितने बच्चे हों वे सब, धनी या गरीब, एक ही स्कूल में जायें। धनी बच्चा के लिए आज की तरह अलग स्कूल न हो। 'पड़ोस-स्कूल' के समर्थकों का यह दावा है कि शिक्षण में यह समाजवाद की दिशा में एक कदम है। माँ-बाप तो विपमता में पल ही चुके, कम-से-कम बच्चे तो समता की शुद्ध, खुली हवा में साँस लें।

अभी उम दिन मेरे एक मित्र मिलने आये। हैं बलाकार, लेकिन कोई बड़ी कमाईवाले नहीं हैं। उनकी ८ साल की बच्ची साथ थी। मैंने पूछा 'इसे पड़ोस के किसी परिवार में रख दिया होता। बच्चों के साथ खेलती।' बोले "पड़ोस भी तो हो। किसके घर बिठा दूँ? सयोग से दाहिने-बायें कुछ सम्पन्न परिवार हैं—ठाट-धाट वाले। एक दिन मैंने देखा कि वे क्रिकेट का सामान लेकर खेलने निकले। खेल की लालच से मेरी लड़की पास चली गयी। चट पड़ोसी का छोटा लड़का बोल उठा—'तू क्या कुत्ते की तरह आ गयी।' भाई, मैं क्या कहूँ, गुस्सा पीकर रह गया। उस दिन से मैं स्कूल से आने पर इसे साथ ही लिये

वर्ष : १६

श्रंक : ४

रहता हूँ। बराबरी तो तब हो जब इसके हाथ में भी बैट और बॉल हो।”

वात उन्होंने सही कही। मैंने मान लिया कि वह ठीक करते हैं कि बच्ची को साथ लिये रहते हैं। एक बच्चे को जिन बच्चों के बीच रहकर हर वक्त आत्महीनता महसूस होती रहे, इसमें अच्छा है कि वह अलग रहे। आत्महीनता मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए पौधा का बीड़ा है। अन्दर-अन्दर खा जाता है। आत्महीनता का शिकार मनुष्य कभी सिर उठाकर चल नहीं सकता, दुनिया में अपने लिए सम्मान का स्वतन्त्र स्थान बना नहीं सकता। कुछ भी हो, बच्चे को उस रोग से तो बचाना ही चाहिए।

समाजवाद अपनी जगह ठीक है, और बच्चे का व्यक्तित्व अपनी जगह जरूरी है। बल्कि समाजवाद की अच्छाई ही इस बात में है कि मनुष्य के सही और स्वतंत्र विकास में जो बाधाएँ समाज की रचना के दोष के कारण खड़ी हो गयी हैं वे समाजवाद के द्वारा दूर हो जायँगीं। अगर यह न हो तो क्या पूँजीवाद और क्या समाजवाद, वेबल नाम का भेद रह जायगा।

एक बड़ी बात जान लेने की यह है कि समाजवाद एक पूरी व्यवस्था का नाम है जो आज की सामन्तवादी-पूँजीवादी व्यवस्था का स्थान लेगी, और जिसमें हर चीज बदल जायगी। इसलिए समाजवाद की लड़ाई लड़नी हो तो हर मोर्चे पर लड़ी जानी चाहिए। उस लड़ाई को वेबल सरकार नहीं लड़ सकती। वेबल कानून की शक्ति से समाज-परिवर्तन नहीं हो सकता। समाज की ही शक्ति समाज के परिवर्तन की आँधी बहा सकती है। कानून कुछ खात्रटे दूर कर सकता है, और समाज के निर्णय पर मुहर लगा सकता है।

इस नागरिक-शक्ति की इकाइयाँ (सेल) बननी चाहिए। हर पड़ोस एक इकाई बने, और विपमता के हर प्रदर्शन के खिलाफ हवा बनाये। साथ ही यह हवा भी बनाये कि गाँव और महल्ले की व्यवस्था अधिक-से-अधिक वहाँ रहनेवाले नागरिकों के निर्णय और सहयोग से हो। शीघ्र एक दिन वह आ जाय कि विकास और व्यवस्था का पूरा वाम नागरिक संगठन के हाथ में चला जाय।

नागरिक-शक्ति का अर्थ वह शक्ति नहीं है जो दल्पति और पूँजी-
नवम्बर, '६७] [१४६

पति की होती है। आज म्यूनिसिपैलिटी या जिग परिषद दल्पति और पूँजीपति, शासक और सेठ की सम्मिलित शक्ति से चलती है। इसलिए नागरिक की शक्ति के विकास का अर्थ है शासक और सेठ की शक्ति का ह्यम। इसी को समाजवाद की क्रान्ति कहते हैं।

समाजवाद की समग्र क्रान्ति के लक्षण क्या दिखाई दे रहे हैं ? क्रान्ति नागरिक को कहीं छू रही है ? उमकी हवा भी क्या है ? राजनाति की मत्तापरस्ती, अर्थनीति की सम्पत्तिपरस्ती और शिक्षण का नौकरी परस्ती ज्या की त्या चल रही है बल्कि बढ़ रही है। ऐसा नहीं दिखाई देता कि देश, और देश का एक-एक नागरिक एक नयी दिशा में बढ़ने के लिए तैयार हो रहा है। न नयी दिशा है न नया दशन है। समाजवाद का दल है माइन्बोर्ड है नारे हैं लेकिन समाज की बुनियादे बदरनेवाग आन्दोलन क्या है ?

पडोस के स्कूल को शक्ति और प्रतिष्ठा समाजवाद से ही मित्र गवती है। अगर बाहर समाजवाद की तेज हवा न बहती हो तो स्कूल म पडनेवागे बच्चो का बुरा हाठ होगा। सम्पन्न बच्चा का अहवार उन्हें चौपट करेगा और सामाय बच्चा की आत्महीनता उन्हें ला डागेगी। दोना बसाद हागे तो देश का भविष्य क्या होगा ?

मेरी कल्पना ऐसी है कि निम तरह मीगवने के विषयों को अलग अलग नहीं गिना, बल्कि यह माना है कि मन एक-दूसर म अत्यंत प्रोन हैं और मन एक में म ही उत्प न दृष्ट है। उसी तरह शिक्षक की भी एक ही कल्पना है। विषयवार अलग अलग शिक्षक नहीं, एक ही शिक्षक।

—महात्मा गांधी

रहता हूँ। दरावरी तो तब हो जब इसके हाथ में भी बैट और
वाँल हो।

वात उन्होंने सही कही। मैंने मान लिया कि वह ठीक करते हैं कि
बच्ची को साथ लिये रहते हैं। एक बच्चे को जिन बच्चों व बीच
रहकर हर वक्त आत्महीनता महसूस होती रहे, इससे अच्छा है कि वह
अलग रहे। आत्महीनता मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए पाँचे का कीटा
है। अन्दर-अन्दर खा जाता है। आत्महीनता का शिवार मनुष्य वभी
सिर उठाकर चल नहीं सकता दुनिया में अपने लिए सम्मान का
स्वतन्त्र स्थान बना नहीं सकता। कुछ भी हो, बच्चे को उस रोग से तो
बचाना ही चाहिए।

समाजवाद अपनी जगह ठीक है, और बच्चे का व्यक्तित्व अपनी
जगह जरूरी है। वल्कि समाजवाद की अच्छाई ही इस बात में है कि
मनुष्य के सही और स्वतन्त्र विकास में जो बाधाएँ समाज की रचना
के दोष के कारण खड़ी हो गयी हैं वे समाजवाद के द्वारा दूर हो
जायेंगी। अगर यह न हो तो क्या पूँजीवाद और क्या समाजवाद, केवल
नाम का भेद रह जायगा।

एक बड़ी बात जान लेने की यह है कि समाजवाद एक पूरी व्यवस्था
का नाम है जो आज की सामन्तवादी-पूँजीवादी व्यवस्था का स्थान लेगी,
और जिसमें हर चीज बदल जायगी। इसलिए समाजवाद की लड़ाई
लड़नी हो तो हर मोर्चे पर लड़ी जानी चाहिए। उम लड़ाई को केवल
सरकार नहीं लड़ सकती। केवल वानून की शक्ति से समाज परिवर्तन
नहीं हो सकता। समाज की ही शक्ति समाज के परिवर्तन की आँधी
वहा सकती है। वानून कुछ ख़ात्रे दूर कर सकता है और समाज
के निर्णय पर मुहर लगा सकता है।

इस नागरिक-शक्ति की इकाइया (सेल) बननी चाहिए। हर
पडास एक इकाई बने और विपमता के हर प्रदर्शन के खिलाफ हवा
बनाये। साथ ही यह हवा भी बनाये कि गाव और महल्ले की व्यवस्था
अधिक-से-अधिक वहाँ रहनेवाले नागरिकों के निर्णय और सहयोग से
हो। शीघ्र एक दिन यह आ जाय कि विकास और व्यवस्था का पूरा
वाम नागरिक संगठन के हाथ में चला जाय।

नागरिक-शक्ति का अर्थ यह शक्ति नहीं है जो दल्पति और पूँजी

पति की होती है। आज म्यूनिसिपैलिटी या जिला परिषद दल्पति और पूंजीपति, शासक और सेठ की सम्मिलित शक्ति से चलती है। इसलिए नागरिक की शक्ति के विवाम का अर्थ है शासक और सेठ की शक्ति का ह्याम। इसी को समाजवाद की क्रान्ति कहते हैं।

समाजवाद की समग्र क्रान्ति के लक्षण वहाँ दिखाई दे रहे हैं ? क्रान्ति नागरिक को वहाँ छू रही है ? उमकी हवा भी वहा है ? राजनीति की मत्तापरस्ती, अर्थनीति की सम्पत्तिपरस्ती और शिक्षण की नौकरी परस्ती ज्या की त्या चल रही है बल्कि वढ रही है। ऐसा नहीं दिखाई देता कि देश, और देश का एक-एक नागरिक एक नयी दिशा में वढने के लिए तैयार हो रहा है। न नयी दिशा है न नया दशन है। समाजवाद का दल है माइनबोर्ड है नारे हैं किन समाज की बुनियादे बदलनेवाला आन्दोलन वहा है ?

‘पडोम के स्कूल की शक्ति और प्रतिष्ठा समाजवाद से ही मिट सकती है। अगर बाहर समाजवाद की तेज हवा न बहती हो तो स्कूल में पढनेवाले बच्चो का बुरा हाड होगा। सम्पन्न बच्चो का अत्वार उन्हें चौपट करेगा, और सामान्य बच्चा की आत्महीनता उन्हें ला डायेगी। दोना बत्राद होंगे तो देश का भविष्य क्या होगा ?

मरी कल्पना ऐसी है कि जिन तरह मीग्रने के विषयों को अलग अलग नहीं गिना, बल्कि यह माना है कि मन एर-दूसर म ओज प्रोत है और मन एक में म ही उत्पन्न हुए है। उमरी तरह शिक्षण की भी एक ही कल्पना है। विषयवार अलग अलग शिक्षण नहीं, एक ही शिक्षण।

—महात्मा गांधी

आज का अमरीकी शिक्षण

श्री वे० एस० आचल

आजकल हमारे देश में सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था का मानदण्ड जीवन की आधुनिक अमरीकी पद्धति और विचारों में इतने अधिक भागवित है कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हमारी शिक्षा-पद्धति, उसके आदर्श, योजनाएँ और कार्यक्रम आज के अमरीकी शिक्षा पद्धति के प्रत्यक्ष या पराग प्रभाव में हैं।

इसलिए यह आवश्यक है कि समुक्त राज्य की आज की शिक्षा के उद्देश्य, नाय और कार्यक्रम के सम्बन्ध में कुछ ज्ञान प्राप्त हो जिससे कि हमारी शिक्षा-प्रणाली और अन्ततः हमारी राष्ट्रीय संस्कृति पर उसका जो प्रभावशाली असर पड़ना है उसका हम स्पष्ट ज्ञान हो सके।

महायुद्ध से बाद के वर्षों में अमरीका में इतनी महत्वपूर्ण घटनाएँ हुईं कि उनमें अमरीका के जीवन की नींव हिल गयी। उससे कारण ही शिक्षा-सम्बन्धी विचारों में प्रगतिवादी विचारकों द्वारा उत्प्रेरित प्रवृत्ति मच गयी। उस समय का विचार पर पूर्ण बालक की कल्पना हावी थी जिसके अनुसार किसी शिक्षा परिस्थिति में सम्पूर्ण मानवी शरीर सम्मिलित होता है। स्कूल का काम असम्बद्ध इकाइयों के टुकड़े में नहीं बाँटा जाता, बल्कि एक सम्पूर्ण इकाई में सम्मिलित किया जाता है। अनुभव में हिस्सेदारी, उत्पादक या रचनात्मक भाव प्रदर्शन सीखनेवाले का हित या स्वाथ स्कूल या समाज की सामाजिक आवश्यकताएँ—शिक्षा के नारथे। शिक्षा बालक केन्द्रित, जीवन केन्द्रित और समाज केन्द्रित थी।

सन् १९५७ का मानसिक धक्का

अमरीकी शिक्षा पद्धति के इतिहास में परिवर्तन बिन्दु आया १९५७ का पहला रूसी उपग्रह छूटने के समय से। राष्ट्र आत्मसन्तोष के वातावरण में से यह धक्का के कारण भयानक रूप में हिल उठा, जिसमें लोग गम्भीर वास्तविकता के प्रति जागृत हो गये। एक अमरीकी के लिए यह सत्य बात बड़ी लज्जाजनक थी कि अब तकनीकी ज्ञान का एकाधिकार समुक्त राज्य के हाथ में नहीं है और उसमें इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की कमी है। सोवियत रूस का एटमो शक्ति के रूप में सामने आ जाना, बाह्य अन्तराल की खोज में नेतृत्व करना, यूरोपीय नवम्बर, '६७]

उद्योग की बाढ़ और दक्षिणपूर्वी एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमरीका में स्वतंत्र राष्ट्रों की उत्पत्ति में यह डर पैदा हुआ कि मसगर का नेतृत्व संयुक्तराज्य के हाथों में फिसला जा रहा है। मारे देश में एक निराशापूर्ण विस्मय का भाव छा गया और शिक्षा-वृद्धि पर इस परिस्थिति के लिए दोषारोपण किया जाने लगा। मवाद संप्रेषण, उत्पादन, यातायात और युद्धबला के ज्ञान की स्वाज के लिए अत्युच्च विविध तकनीक की आवश्यकता ने वैज्ञानिक ज्ञान का मानवी अस्तित्व के लिए मूलभूत आवश्यकता बना दिया। नीजवानों की बोडिक विशेषताओं को उन्नति के लिए आवश्यक व्यवस्था के अभाव जैसी लगनेवाली परिस्थिति की आलोचना अनेक बुद्धिमानों ने की। प्रगतिशील शिक्षा व कुछ सिद्धान्तों की भी उद्धाने आलोचना शुरू की। इनमें से कुछ बुद्धिमानों को राष्ट्रीय सुरक्षा में शिक्षा की कोई सीधी देन न ज्ञान के कारण बड़ी चिन्ता उत्पन्न हो गयी। इसलिए प्रो० आइ० जॉन गुडनेड व शब्दों में गिना 'हमारा बलिदान का बकरा बन गयी और नये दसन, नये अर्थशास्त्र, नये समाजशास्त्र में सम्बद्ध हो गयी और शिक्षा को सारी प्रणालियाँ इस नव मसृष्टि में जाड़ दी गयी। यह माना गया कि गिना का काम राष्ट्रीय अनुशासन को सबल बनाना है।

शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान

सिद्धे २५-३० वर्षों में अमरीका की सामाजिक व्यवस्था में इनका परिवर्तन हुआ है जितना कि इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। टेक्नालाजी-सम्बन्धी और आर्थिक विकास की गति ने यह परिवर्तन ला दिया है। आज का अमरीका ३० साल पूर्व के अमरीका से बिलकुल भिन्न है। आज का परिवर्तन इनका तोत्र है कि पारम्परिक मूल्यों के संरक्षण और मसृष्टि परम्परा की रक्षा का वान आज एक पुरानी गण और भ्रम मालूम देती है। औद्योगिक व्यवस्था और भाग के अर्थशास्त्र को आज स्वमबालित यंत्रों के अर्थशास्त्र ने विद्धाड दिया है। सर्वोच्च समृद्धि ने उत्पादन की नयी तकनीक की स्वाजा का प्रात्याहित किया है। आज के तकनीकी उद्योग में अट्टाल और अर्द्धनिमित्त हस्तकौशल का कोई स्थान न होने के कारण शिक्षा राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करती है। नयी अर्थ-व्यवस्था को नये और अनुभवमिड कौशल, मनुदूर में शिक्षा के ऊँचे मानों, उच्च शिक्षित-भावमायिक मलाहकारों और मूक-बुन-वाले मेधावी व्यवस्थापकों की आवश्यकता है। इसलिए स्कूलों और कालेजों का नयी आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक प्रान्ति को कार्यरूप में लानेवाले प्रमुख साधनों के रूप में कार्य करना है।

शिक्षा के लिए निश्चित उद्देश्यों के केन्द्रबिन्दु (फोकस) में परिवर्तन सबसे अधिक मूलगामी परिवर्तन था । तीन दिशाओं में गति प्रकट थी । प्रथम, स्कूल राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति, राष्ट्रीय नीतियों के अनुसरण के प्रति अधिकाधिक अर्पित हुआ । राष्ट्रीय, राजनैतिक और सामाजिक वास्तविकताओं के प्रति अन्या वन्ते की शिक्षक में आशा न की जाती थी । पाठ्यक्रम इस विचार की ओर भुका कि शिक्षा को गतिमान राजनैतिक और फौजी उपयोगिता में अपने को सम्बद्ध रखना चाहिए । द्वितीय, बच्चों के मानसिक विकास की जगह धीरे-धीरे बौद्धिक शक्ति प्राप्त करने पर बढ़ते हुए बल में ले ली । राष्ट्रीय आवश्यकताओं में प्रमुखता प्राप्त की इसलिए मूलभूत बौद्धिक अनुशासनो—अंग्रेजी, गणित, प्रारम्भिक विज्ञान, इतिहास और विदेशी भाषा का महत्व बढ़ा । शिक्षा में मानसिक सम्पूर्णतावादी परिवर्तन की जगह शैक्षणिक परिवर्तन में ले ली । तृतीय भोगान्त के तौर पर प्रारम्भिक पढ़े की ओट हो गया ।

पहले का विचार—‘सम्पूर्ण बालक’ स्कूल आता है और शिक्षा को उसको पूर व्यक्तित्व से अपने को सम्बद्ध करना चाहिए ? पीछे छोड़कर उसकी जगह एक बढ़ता हुआ विचार जोड़ा गया कि बालक को विद्यार्थी बनने के लिए शिक्षित करना चाहिए । बौद्धिक और अनुशासनात्मक पहलुओं पर जोर दिया गया और शेष विचार पढ़े की ओट डबल दिये गये । आज की मुख्य चिन्ता देश के बौद्धिक स्रोतों का विकास करना है । फलतः विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों की छिपी भावी योग्यताओं पर अधिक ध्यान देना है और उनकी प्रगति के लिए अवसर प्रदान करने है । असाधारण बालक चाहे वे प्रतिभाशाली हों या साधारण में निम्नकोटि के हों, खोज निकाले जाते हैं और उनकी योग्यता के अनुसार विकास के अवसर दिये जाते हैं । अधिक उच्च शैक्षणिक योग्यतावाले विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए अधिक ध्यान दिया जाता है और अधिक व्यवस्था की जाती है ।

इन सब धाराओं ने स्कूल और विद्यार्थियों के प्रति शिक्षकों के कार्यों और रणों में बड़े परिवर्तन उत्पन्न कर दिये हैं । आज शिक्षक ‘शिष्यों द्वारा विषय पर अधिकार’ अपना लक्ष्य बनाता है । वह शिक्षा के किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ माना जाता है । बच्चे के बगरे में ही जानेवाली शिक्षा व अलावा कई विशेषज्ञ भर्ती करने का रुत बन रहा है । शिक्षण की जिम्मेदारी है कि टेक्नाशजी और शिक्षा में मदद करनेवाले यान्त्रिक शैक्षणिक उपकरणों द्वारा सीखने की प्रक्रिया में नयी सूक्त प्रदान करें ।

(मूल अंग्रेजी में)

प्राकृतिक वातावरण और समाय

वशीधर श्रीवास्तव

प्राकृतिक वातावरण समाय का एक कदम है। मानव प्रकृति की गोद में ही पैदा हुआ है। प्रकृति के नियमों और तत्त्वों में बालक की जिज्ञासा ही उसकी शिक्षा का प्रारम्भ है। उसकी नान रागि का बहुत बड़ा भाग प्रकृति के सहवास और साहचर्य से ही अर्जित किया गया है। प्रकृति ही उसकी आदि गुरु है। भगवान् दत्तात्रेय के मुखा में कई प्रकृति के रूप भी थे। उन्होंने पक्षियाँ से गान सीखा और पशुओं से व्यवहार और नेतृत्वता। प्रकृति के सहवास में सीखा हुआ नान मनुष्य के लिए सदा से खिंचकर रखा है। प्रकृति के अचल से दूर हटकर शिक्षा की प्रक्रिया शुरू और अप्राकृतिक हो जाती है। यूरोप में ऐसा ही हुआ था। वहाँ धीरे धीरे शिक्षा का प्रकृति में विच्छेद हो गया था। इसलिए १८वीं शताब्दी में रूस ने प्रकृति की ओर लौटो का नारा उठाया था और उसके बाद ही सभी प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्रा प्रकृति के अध्ययन और निराक्षण द्वारा बालक की शिक्षा की बात कर रहे हैं।

बालक के लिए पुस्तक का माध्यम अनोखा नहीं होता। प्रकृति का माध्यम माहक और आकर्षक होता है। गाँवों के स्कूल नगरों के विद्यालयों की अपेक्षा प्रकृति की लभावनी छटा के अधिक निकट है। इस प्राकृतिक वातावरण में नाना प्रकार के उपमाणा और बलिष्ठ पशु हैं चहचहाते हुए पक्षी हैं माहक फूल-पत्त हैं—मेढ-गोधे हैं रहस्या में भरे सूरज चाँद सितारे ग्रह और उपग्रह हैं गीतल वायु की हिलारें हैं प्रबल नदियाँ की धारा पर अठवेलियाँ करती हुई लहरें हैं उफानाता फुफकारती नदियाँ हैं—सबमक्षी सबहारा जिनका रूप है वर्षा की गीतल फुहारें हैं सावन के भूमत हुए प्रश्रयकर भेष हैं बादलों में कौबनी हुई विजली है कडकता हुआ बज्र है वन्यत की पणित मुगधित अम राइया पर कौबली की पचम स्वर की तान है गुलाभीर गजन करता हुआ समुद्र है कडक-यत्वर बालू और मिट्टा है कौबो-मकोडो का अद्भुत समार है। सभी सुन्दर और आकर्षक हैं। सभी में कुछ-न कुछ सीखा जा सकता है। परन्तु जब हम गाँव के इन स्कूलों में भी बालक की प्रकृति के इन रूपों में अलग करके बालक के जितना भी लिखी जानें हो सिखाते और रटाते हैं तो गलत करते हैं।

वास्तव में बालक को इस बात का अधिवाधिक अवसर मिलना चाहिए, कि वह अपने चारों ओर की प्रकृति का निरीक्षण करे और उसमें जा घटनाएँ घटें उनके रहस्यो का जानने का प्रयास करे ।

निरीक्षण का व्यवस्थित कार्यक्रम

हमारे स्कूलों के चारों ओर प्रकृति का अनन्त वैभव और असीम सौन्दर्य बिखरा हुआ है । इस वैभव और सौन्दर्य का वैज्ञानिक अध्ययन बालक की जिज्ञासा को जागृत करे और उसके व्यक्तित्व को अधिवाधिक गुम्पन बनाये यही दुनिमादी शिक्षा का उद्देश्य है । प्रकृति का यह रूप नित नूतन है, क्योंकि नित परिवर्तित है । अतः उसकी वैज्ञानिक सम्भावनाएँ अपार हैं । यदि वेदिक स्कूलों का प्रयाग प्रकृति का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन के लिए किया जाय तो ये स्कूल भविष्य के वैज्ञानिकों की तैयारी के आदिन्यात बन सकते हैं । इसमें लिए सबसे पहली आवश्यकता यह है कि निरीक्षण का व्यवस्थित कार्यक्रम बनाया जाय । बालक को स्वतः निरीक्षण का अधिवाधिक अवसर दते हुए भी उनको बतलाया जाय कि अमुक वस्तु या घटना का निरीक्षण के समय कौन-कौन-सी बातों को देखेंगे । निरीक्षण के लिए सप्ताह में एक-दो दिन निश्चित कर लिया जाय । अध्यापन मनमाना न हो । प्रकृति की किसी एक घटना या रूप का ले लिया जाय । निरीक्षण के लिए जाने के पहले अध्यापक निरीक्षण के समय जिन-जिन बातों का अध्ययन किया जायगा, उन्हें बता दे । फिर बालक निरीक्षण कर अपने-अपने अनुभव लिखें । स्कूल लौटकर अथवा घटनास्थल पर ही उनके कुछ विवरणों को पढ़ा जाय और बालक उनपर वाद-विवाद करे । इस प्रकार के अध्ययन द्वारा बालक प्रकृति के वास्तविक रूप और उनके नियमों और रहस्यों से परिचित हो जायेंगे । धीरे-धीरे उन्हें अखिल मृष्टि में एक सावभौमिक नियम व्याप्त मिलेगा । छोटे-छोटे में अणु में पशुओं में सबको मनुष्यत्व की एकता का अनुभव कर के प्राचीन ऋषियों के साथ कह सकेंगे, 'यत् पिण्डे तद् ब्रह्माण्डे । शेष मृष्टि के साथ तादात्म्य का अनुभव कर के अपने को प्रकृति का अभिन्न अंग मानना सीखेंगे और प्रकृति के रहस्यों और नियमों को जानकर वे अपने और मानव-जाति के सुख के लिए उनका उपयोग करना भी जानेंगे ।

प्रकृति के रहस्यों और नियमों को समझना और मानव की सुख-सम्पन्नता के लिए उनका उपयोग ही पशु से ऊपर उठकर मनुष्य बनने का इतिहास है । किसी प्रदेश की मिट्टी, जलवायु, वनस्पति और जीवजगत से अन्योन्याध्यय सम्बन्ध है । इस सम्बन्ध को समझे बिना आप मनुष्य के सामाजिक वातावरण को नहीं समझ सकते ।

भौतिक वातावरण का समंजन

प्राकृतिक वातावरण की चर्चा करते हुए शिक्षाशास्त्री डॉक्टर सेयदन लिखत हैं—

“बच्चा जीवन के आरम्भ से ही भौतिक दृश्यों और घटनाओं में घिरा रहता है। इसलिए अपने कार्यकलापों को प्रभावी रूप से संगठित करने के लिए उसका सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि वह अपनी भौतिक परिस्थितियों का पहचाने और उनके नियमों और अवस्थाओं का अनुसार अपने का ढाले। इसलिए कुदरती तौर पर पाठ्यक्रम के एक भाग का सम्बन्ध भौतिक परिस्थितियों के अध्ययन में है जिसमें बच्चे को न केवल ज्ञान ही दिया जाता है बल्कि उस ज्ञान का प्रति उससे दृष्टिवाण का भी टीका किया जाता है। स्कूल की शिक्षा में उसमें इतनी योष्यता आ जानी चाहिए कि वह अपने आस-पास के भौतिक संसार की महत्वपूर्ण विशेषताओं को और उसमें होनेवाली घटनाओं का, और जिन नियमों से वे घटती हैं उनको समझ सके, प्राकृतिक संसार के सौन्दर्य का आनन्द ले सके और उसके सौन्दर्य में प्रभावित हो उठे और इसकी कुछ महत्वपूर्ण दृश्यों का अपने काम में उपयोग कर सकें। अब बच्चे का अपने भौतिक वातावरण समंजन के लिए यह आवश्यक है कि उसका मन, उसकी भावनाओं और उसके स्वभाव में एकरूपता हो। एक उदाहरण में इसके अर्थ स्पष्ट हो जायेंगे। एक ऐसी बच्चे की कल्पना कीजिये जो गाँव में रहता है, जो किसी छोटी नदी के किनारे बसा हो। यह नदी बालक की भागालिख परिस्थितियों का भाग है, यह कैसे है इन बालक का समझाया जाय। पहला तो बच्चे का यह समझना चाहिए कि नदी क्या है? यह अपना ऐसा खेया कैसे बनाती है? इसके बहने की दिशा का निर्धारण किस प्रकार होता है और समुद्र तक पहुँचने-गहूँकने इन्ने जिन परिस्थितियों में से गुजरना पड़ता है? इस नदी के तट पर इसी गाँव या नगर की तरह कितने बड़े-बड़े गाँव या नगर हैं? ये गाँव या नगर इसके तट पर क्यों बस गये और आज भी क्यों बसे हैं? इस नदी में नावें चलती हैं, क्यों? आदि आदि। यही प्राकृतिक वातावरण के साथ सैद्धान्तिक ज्ञान का समन्वय है।”

“इस प्रकार जब बालक धीरे धीरे नदी का समझने-बुझने लगेगा तो फिर वह नदी का सौन्दर्य का आनन्द भी लेने लगेगा। तब वह समझने लगेगा कि नदी धीरे धीरे बहुत धीमी गति में मैदानों में हाकर क्या बहती है या क्यों तेज आर तूफानी गति में पहाड़ों में गुजरती है और ढलानों के नीचे बह जाती है। जब अस्त होना हुआ मूर्य अपनी किरणें उस पर डालकर उम मुनहरा सुन्दर

रूप दे देता है तो बच्चे को इस दृश्य का आनन्द देना चाहिए और उसमें अपनी इस प्रसन्नता को उचित ढंग में व्यक्त करने की योग्यता आनी चाहिए। यही बालक की भावनाओं का प्रकृति के साथ समजन है।”

“इसके बाद स्वभावतः उसे बतलाना चाहिए कि वह इस साधन का अपनी सुख-सुविधा के लिए किस प्रकार उपयोग कर सकता है। इसके लिए जरूरी है कि बालक को नदी में डरना नहीं चाहिए और उसमें नदी पार करने की क्षमता होनी चाहिए। उसे जानना चाहिए कि सिंचाई और बहनेवाली प्राकृतिक नाली के रूप में इससे क्या उपयोग है और उसमें नदी के पानी को सिंचाई के लिए खेतों तक ले जाने की योग्यता भी आनी चाहिए। बाढ़ आती है तो नदी से बहुत नुकसान होता है। अतः नदी पर बांध बांधना भी उसे आना चाहिए। यह सब प्रकृति के साथ समवाय है।”

शिक्षा के जिस पाठ्यक्रम में भी प्रकृति का यह रूप और उससे ज्ञान देने की दान को शामिल नहीं किया गया हो, निश्चय ही वह एकतरफा और दोषपूर्ण है। हमारे अधिकांश स्कूलों में पाठ्यक्रम आम तौर पर किताबी होता है अर्थात् उनका उद्देश्य मुख्य रूप से ज्ञान-सूचना देना मात्र है। वह क्रियात्मक पाठ्यक्रम नहीं होता। वास्तव में पाठ्यक्रम का उद्देश्य तो यह होना चाहिए कि वह ऐसे सन्तुलित और योग्य ध्येय पैदा करे जो अपने प्राकृतिक वातावरण में उपलब्ध वस्तुओं के विषय में जाने और अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए उनका उपयोग कर सके।



शिक्षा से त्रिविध स्वावलम्बन सधना चाहिए—एक, अपने शरीरभ्रम से जीविका प्राप्त की जा सके, दो, स्वतंत्र विचार की शक्ति विकसित हो, और तीन, आध्यात्मिक प्रगति के लिए उपयोगी ज्ञान अर्जन करने की शक्ति पैदा हो।

—विनोबा

पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में पठन-पाठन

ब्रजभूषण शर्मा

पढ़ने का उद्देश्य • अथ-बोध की शक्ति

शब्द भण्डार की अभिवृद्धि • पठन शिक्षण

भाषा शिक्षण में पठन शिक्षण का सर्वाधिक महत्त्व है। पढ़ने की गति पर ही लिखने, बोलने, समझने आदि भाषा के अर्थ अंगों तथा बालका का ज्ञान-सम्बन्धन बढ़ाने का निम्न निम्न करता है। पढ़ना शब्द अपने इसी महत्त्व के कारण इतना व्यापक बन गया है कि वह सम्पूर्ण शिक्षा का पर्याय-सहायक है—आपने कहा कि पढ़ना है? तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? आदि प्रयोग उसकी व्यापकता का ही शानक है। भाषा-सम्बन्धी अन्य क्रियाओं—समझना, बोलना और लिखना आदि का कुशलता भी पढ़ने पर ही अवलम्बित है। यद्यपि पढ़ने ही बोलने और लिखने का विषय-सामग्री प्राप्त करता है। पढ़ने का महत्त्व केवल भाषा जानने की ही दृष्टि से नहीं है बल्कि बालक के सम्पूर्ण भावात्मक एवं बौद्धिक विकास की दृष्टि से भी है क्योंकि पढ़ना नूतन ज्ञान, परिचय एवं अनुरजन ज्ञान का साधन है। पढ़ने की क्रिया से ही विषय का समझने की क्षमता बढ़ती है और वस्तुवाच की यह क्षमता केवल साहित्यिक दृष्टि से ही सीमित न रहकर अथ सभी विषयों—इतिहास, भूगोल, दान, राजनीति, सामान्य ज्ञान विज्ञान आदि में भा देयी जाती है। यदि बालक स्वयं पढ़कर समझने लगे और फिर समझने हुए पढ़ने लगे तथा पढ़ने में आनन्द का अनुभव भी करने लगे तो गति का उद्देश्य पूरा हो गया। इस प्रकार पढ़ना भाषा-ज्ञान के साथ-साथ बालक की गति एवं समस्त विषयों की ज्ञान, परिचय एवं आनन्द प्राप्ति का प्रमुख साधन है। अतः पठन के प्रति बालका में रुचि उत्पन्न करना और अधिकाधिक पढ़ने के लिए उद्युत् प्रेरित करना गति का प्रथम वनव्य हो जाता है।

पढ़ने का उद्देश्य

प्राथमिक कक्षाओं में पठन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य पढ़ने के कीर्ण में अभिन करना होता है। इस स्तर पर बालक का पढ़ने की ऐसी सामग्री

प्रदान का जाता है जिसमें बालक परिचित है और अब एव विचार का दुर्बलता एव गूढता में न उदभकर सरलतापूर्वक पढ़ने का क्रिया जानें तथा एव सामान्य गति में बंध पढ़ने योग्य। इस पढ़ने का कर्ता अभिन करने के लिए ही इस अवस्था में बालक मस्वर पठन करत है। इस अवस्था तक आला का गति भा अभ्यस्त है चुका रहता है। वस्तुतः आवा स रखने और उह उच्चरित करत जाने का क्रिया है पढ़ना है। लिपि का देयता वाणा रूप में उच्चरित करना और साथ ही साथ आगे का सामग्री का पढ़ लेना इनका तारतम्य इस प्रकार बना रहता है कि बालक और देखने में कही अंतर नहीं पढ़ना और पढ़ने का प्रवाह बना रहता है। यह कौशल प्राइमरी कक्षा तक अवश्य आ जाना चाहिए।

पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में पठन के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे—

- १ मान-पठन द्वारा अपरिचित तथा नूतन सामग्री के अवगृहण की क्षमता अर्जित करना।
- २ मानोपलब्धि।
- ३ मनोरंजन और जानकारी।
- ४ पठन रुचि की वृद्धि तथा विस्तार।
- ५ प्रभावपूर्ण भावाभिव्यक्ति के साथ मस्वर पठन।
- ६ पठन गति की वृद्धि।
- ७ मन्दम ग्रन्थों कोप अनुक्रमणिका अदि में सहायता रूप का प्रारम्भिक शिक्षा

अथ-बोध की शक्ति

प्राइमरी कक्षाओं में पठन क्रिया में प्रारम्भिक कुशलता प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य है। पूर्व माध्यमिक स्तर पर विषय-सामग्री जानने के लिए पढ़ने का प्रणिया देनी चाहिए। शब्दों के अर्थ समझत हुए पूरे वाक्य का फिर उनसे सम्बद्ध अर्थ द्वारा अनुच्छेद का और फिर पूरे प्रकरण का अर्थ जान लेना उनसे लिए अभाष्ट है।

इस स्तर पर बालक में यह क्षमता हो जानी चाहिए कि पठित सामग्री का सामान्य और सम्बद्ध अर्थ समझ सके। कुछ पाठ्य-सामग्री ऐसा भी होता है जिसका केवल सामान्य एव प्रत्यक्ष अर्थ जान पढ़ने में ही वास्तविक अर्थ नहीं पात है परन्तु और परीक्षा तथा प्रच्छन्न अर्थ के भी जानने की आवश्यकता पड़ता है। गूढ तथा क्रिया प्रधान सामग्री के पठन का प्रारम्भ हो जाता है। इन दोनों का पठन आगे के स्तर एव प्रत्यक्ष अर्थ के साथ साथ प्रच्छन्न एव

सूक्ष्म अर्थ को भी निकालने की प्रशिक्षा देनी चाहिए। अन्त कथाएँ, विषय वस्तु को समझने के लिए दिये हुए विविध चित्र, शक, तालिकाएँ एवं आवृत्तियों को देखने, समझने और विषय में सम्बन्धित करने की योग्यता भी इस स्तर पर बालकों में आ जानी चाहिए।

पठन अक्षर में सम्बन्धित सामग्री को कोष एवं महापत्रक ग्रंथों, मासिक पत्रिका आदि में ढूँढ़ निकालने की योग्यता उत्पन्न करना भी एक मुख्य उद्देश्य है, जिसमें बालकों में अधिकाधिक पढ़ने की रुचि उत्पन्न हो और ज्ञानवर्द्धन भी होता चले। बालकों में पुस्तकालय के समुचित प्रयोग की योग्यता और स्वाध्याय की प्रवृत्ति पैदा हो जाय।

पठन की गति

प्राश्मरी कक्षाओं में पढ़ने का कौशल बच्चे सीख चुके रहने है। इन्हीं कारण उम्र अवस्था में सम्बन्धित पठन पर जोर दिया जाता है, किन्तु पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में वास्तविक पठन मौन पठन ही है और मौन पठन में ही पठन की गति अधिक बढ़ भी सकती है। सम्बन्धित पाठ में ध्वनि को उच्चरित करने में जो समय लगता है, वह मौन पाठ में अपने आप बच जाता है और पढ़ने की गति बढ़ जाती है। अतः यह देखने की आवश्यकता है कि बालक बोलचाल या गुणगुणकर न पढ़ें। कक्षाओं में देखकर मन में ही शीघ्र-से-शीघ्र पढ़ने और समझने की क्षमता उन्हें प्राप्त हो जाय।

पठन गति का समझने में भी घनिष्ठ सम्बन्ध है। यदि बालक की पठन-गति तेज है तो समझने की गति भी अधिक समझी जायगी।

शब्द-भण्डार की अभिवृद्धि

इस स्तर पर पठन-शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि बालकों के शब्द-भण्डार की अभिवृद्धि हो और वे शब्दों के अर्थ निकालने तथा प्रयोग करने में अधिक-से-अधिक सुक्ष्म सिद्ध हो सकें। अर्थ जाने हुए शब्दों का भी वे उपयुक्त प्रकार में प्रयोग कर लें और जो शब्द आरिचित हो, उनका भी अर्थ प्रयोग के आधार पर निकालने में समर्थ हो। सण्ड, सन्धि-विच्छेद, समास-विग्रह, उपसर्ग-प्रत्यय एवं व्युत्पत्ति आदि द्वारा वे शब्द का अर्थ निकाल लें। पर्याय, विलोम और सहचारिता के आधार पर भी शब्दों के अर्थ अनायास निकाल आने हैं, यह क्षमता भी बालकों में होनी चाहिए।

पठन-शिक्षण

भाषा तथा उम्रके किशो भी अक्षर का सीखना एक कौशल अथवा कला

है। यह एक क्रियात्मक विषय है जिसे साखने के लिए बाउब को सतत अम्यास करने की आवश्यकता पडती है। पढने के सम्बन्ध में भी यही बात लागू हॉती है। कथा में प्रत्येक बाउक का पढने का अवसर मिलना चाहिए। अभी व्यावहारिक रूप में पठन शिक्षण नाममात्र को हा हाना है क्वाकि या ता अध्यापक पढकर सुनाना है अथवा कोई एक-दो अच्छे बालक पढत है। और कथा के अर्थ बालक केवल सुनने का काम करत है। इस प्रकार सब बालको को पठना नहीं आ सक्ता। पठना सीखने के लिए स्वयं पढने का अवसर मिलना ही चाहिए। और यह अवसर जितना ही अधिक मिले उतना ही अच्छा। पठन शिक्षण में ऐसी व्यवस्था करने का आवश्यकता है कि सब बाउका का स्वतंत्र रूप से स्वयं पढने और पढकर समझने का अवसर मिले।

पढना साखने के लिए पठन-सामग्री की प्रचुरता भी अत्यन्त आवश्यक है। हमारे विद्यालयों में भाषा शिक्षा के अंतर्गत पठन की दृष्टि से बहुत ही थोड़ा सामग्री निदिष्ट रहता है। माइकेल वुड ने मातृभाषा शिक्षण के सम्बन्ध में एक ही लिखा है कि सामान्यतः एक छोटी-सी पुस्तक नियत रहता है, जिसे कौन भी शिक्षित पुरुष एकाध दिन में आद्यापान्त पढ सकता है। भाषा का इस छोटी-सी गोली को बालक साल भर तक चबात रहने है। यह सामग्री इनकी कम रहती है कि प्रतिदिन एक पृष्ठ से अधिक पढना नहीं पडता और उसकी विधि जिसमें अध्यापक या कौन एक द्वात्र पढकर सुना देता है और बाकी द्वात्र सुनने का काम करते है पढने का नहा।

अतः बालका को अधिकाधिक पठन-सामग्री पढने के लिए उपयुक्त हानी चाहिए और उस बात की उचित प्रगिधा हो। कथा-मुक्तकालय तथा उसमें उपयुक्त सहायक पुस्तकों का रहना इस दृष्टि में परम आवश्यक है। अम्यास की दृष्टि में पठना सिखाने के लिए प्रचुर मात्रा में पढने के सिद्धांत के सम्बन्ध में जान बाटन डैना ने लिखा है— (१) पढा (२) पढा (३) बुद्ध और पढा (४) बुद्ध भी पढा (५) प्रत्येक वस्तु के विषय में पढा (६) मना राजक सामग्री पढो (७) जो तुम्हें रुचिकर हा वह पढा (८) पढो और पठन सामग्री के विषय में चर्चा करा (९) बुद्ध चाँजे सावधानी के साथ पढा (१०) अधिकांश चीजें सरसरा रूप में पढा (११) पढने के विषय में साचा मत (१२) बस पढा !

इस कथन का तात्पर्य यह है कि बालका का पढने के लिए सामग्री की प्रचुरता हा वे उन्से पढें और उसमें सम्बन्ध में चर्चा करें। यह सामग्री जितना नवम्बर, ६७] [१२८

भी अधिक व्यापक और प्रचुर होगी, बालकों की पठन-शिक्षा भी उतनी ही उपयोगी सिद्ध होगी ।

विषय-वस्तु का समझना पठन क्रिया का मुख्य अंग है और पठन के साथ-साथ ही यह बोध होने जाना चाहिए । प्रारम्भ में बालकों का सुबोध पठन की क्रमव्यतिरिक्त रूप से शिक्षा देनी चाहिए । कभी-कभी पठन-कार्य के लिए प्रश्न या समस्या दे देने से सुबोध पढ़ने में बहुत सहायता मिलती है । किसी प्रयोग अथवा शिल्प कार्य करने के पहले निर्देशों का मौखिक रूप में बनाने की जगह लिखित रूप में दे देने से भी अर्थ समझकर पढ़ने के लिए छात्र वाच्य-म हो जाते हैं । प्रश्न इस प्रकार के हो सकते हैं

“पढ़कर मालूम करो कि मधुमक्खियाँ शहद कैसे बनाती हैं ?”

“तेलसिंह ने पर्वतारोहण कैसे सीखा ?”

“०६००० फीट की ऊँचाई पर पहाड़ का क्या दृश्य होना है ?”

“अन्न में किस प्रकार नरभक्षी सिंह मारा गया ?”

पठन-कार्य के अन्त में भी वाच्य का परीक्षण जाना चाहिए और ऐसे प्रश्न होने चाहिए, जिसमें अर्थ और भी स्पष्ट हो जाय । बच्चों में अर्थ की गहरी सूझ और अन्तर्दृष्टि पैदा हो सके । व्याख्या और अर्थ-स्पष्टीकरण के साथ साथ शब्दों के अर्थ स्वयं निकाल लेने की विधियाँ भी बनाने चलना चाहिए । अधिक व्यवहार में आनेवाले शब्दों का उत्तरोत्तर रूप से उचित अनुपात में प्रयोग सिखाने का भी पठन शिक्षण में चलन है, इससे शब्दों का अर्थ-ग्रहण अधिक स्पष्ट होता है और उन पर सक्रिय अधिकार कराने के कार्य में इस व्यवहार का उपयोग करने से समय और धन की बचत भी होती है । परन्तु ये कार्य समूह अर्थ का ग्रहण करने में और विभिन्न अर्थान्वितियों का सम्बद्ध बनाने में व्यवधान न उत्पन्न करें, इसका ध्यान रहे । जो बिना सुचेष्ट प्रयत्न के पढ़ने-पढ़ने भी और विविध प्रयोगों में साक्षात् ज्ञान होने शब्दों पर अनायास अधिकार हो जाता है । यही नहीं, बल्कि अपने मद्दलेयण और विरलेयण से प्राप्त हुए अर्थ अधिक प्रमाणित और ठिकठा होते हैं ।

सारांश यह है कि इस स्तर पर पठन शिक्षण में शिक्षण का मुख्य कार्य बच्चों का विविध पठन सामग्री उपलब्ध कराना, उन्हें स्वयं पढ़ने के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन देना, सहायता और प्रशिक्षण देना एवं स्वयं प्रयत्न द्वारा गृहीत अर्थ की जाँच तथा उसकी अभिवृद्धि करना है ।

—उपप्राचार्य, राजकीय मेण्टल पेडागॉजिकल इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद

अंकगणित-शिक्षण में द्रुत मौखिक प्रश्न

आदित्य नारायण तिवारी, एम० एस०सी० एल्टी

प्राथमिक पाठशालाओं के प्रायः सभी अध्यापक अंकगणित के द्रुत मौखिक प्रश्नों से परिचित हैं। बेसिक अंकगणित में ऐसे बहुत से प्रश्न पृष्ठों के निचले भाग में दे दिये गये हैं। इन प्रश्नों का अंकगणित के शिक्षण में क्या महत्त्व है तथा इनका प्रयोग कब आरंभ कक्षा में होना चाहिए, इसी बात पर प्रस्तुत लेख में विचार विनिमय किया गया है।

द्रुत मौखिक प्रश्नों का महत्त्व

नित प्रश्नों का अन्तिम उत्तर छात्र बिना बीच के क्रमपदों को लिखे हुए मन ही मन निकाल कर दे देते हैं, उन्हें मौखिक प्रश्न कहते हैं। अन्तिम उत्तर के निकालने में काफी द्रुतता (शीघ्रता) करनी आवश्यक होती है। इसीसे ऐसे प्रश्नों को द्रुत मौखिक कहा गया है। ऐसी मानसिक या मौखिक गणना का कोई महत्त्व नहीं होता, जिसमें लिखकर गणना करने की अपेक्षा अधिक समय लगे। व्यापारी, दुकानदार, साहूक इत्यादि सभी को जीवन की ऐसी ही परिस्थितियों में काय करना पड़ता है जहाँ लिखकर गणना करना सम्भव नहीं होता। ऐसी परिस्थितियों में अधिवास वायु मौखिक-गणना पर ही आधारित होने हैं। हम प्रारम्भ से ही मौखिक प्रश्नों के सतत अभ्यास द्वारा छात्रों को ऐसी परिस्थितियों के लिए तैयार करना चाहिए।

मौखिक प्रश्नों का व्यावहारिक जीवन में तो महत्त्व है ही, ब्रह्मा विभाग में भी इनका काफी महत्त्व है। छोटी-छोटी सख्याओं का प्रयोग करने मौखिक प्रश्नों द्वारा किसी प्रकरण का सम्बोध स्पष्ट करना सुगम होता है। बड़ी-बड़ी सख्याएँ सम्बोधों के स्पष्टीकरण में बाधक हो जाती हैं। अतः विमो भी नवीन प्रकरणों को प्रस्तुत तथा विवक्षित करने के लिए द्रुत मौखिक प्रश्न बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। इन छोटे-छोटे प्रश्नों की सहायता से शिशुओं में तर्क-शक्ति सरलता से उदाहरण की जा सकती है। बालक किसी वस्तु को जिनकी ही शीघ्रता में सीखते हैं उतनी ही शीघ्रता में भूलते भी हैं। अतः मौखिक प्रश्नों के सतत अभ्यास में ही उनके ज्ञान में दृढ़ता एवं परिपक्वता लायी जा सकती है। मौखिक गणित में परिपक्वता के बिना लिखित प्रश्नों का करना शिक्षण-कार्य की दृष्टि में एक भारी भूल है।

मौखिक कार्य में शिक्षक का सामूहिक शिक्षण का अवसर मिलता है, जो बालकों के लिए रचिकर होता है एवं उनमें स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करने में सहायक होता है। शिक्षक बालकों के अधिक सन्निकट आ जाना है। प्रत्येक छात्र की प्रगति एवं कठिनाइयों का उमे बोध हो जाना है। छात्रों के प्रति इस प्रकार का ज्ञान उनकी दुर्बलताओं के निदान करने में अध्यापक के लिए आवश्यक होता है। प्रत्येक छात्र की कठिनाइयों के स्थल भिन्न-भिन्न होने हैं। इनके ज्ञान के बिना उनकी दुर्बलताओं को दूर करना अध्यापक के लिए अमभव हो जाता है।

द्रुत मौखिक प्रश्नों की शिक्षण-विधि

अकगणित के प्रत्येक पाठ में पहले ५ मिनट में १० मिनट तक मौखिक प्रश्नों का पूछना आवश्यक होता है। इससे पूर्व-ज्ञान को पुनरावृत्ति हो जाना है और बालक नवीन पाठ के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। गिनती, पहाडा, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ऐकिक नियम, आदि सम्बन्धी द्रुत मौखिक के प्रश्न छोटे बालकों में प्रतिदिन पूछना आवश्यक होता है।

मौखिक प्रश्नों का विवरण कक्षा में समान होना चाहिए। प्रत्येक छात्र को उत्तर देने का अवसर मिल जाना चाहिए। प्रायः अध्यापक हाथ उठानेवाले छात्रों से ही प्रश्न पूछते हैं। इसमें कक्षा के दुर्बल छात्रों को अवसर नहीं मिल पाना और वे दिन-पर-दिन अधिक पिछड़ने जाते हैं। सामान्यत कमजोर छात्रों से ही पहले प्रश्न पूछना चाहिए। तीव्र छात्रों से शुद्ध उत्तर प्राप्त करने के पश्चात् उन्हें पुनः शुद्ध उत्तर देने का अवसर देना चाहिए।

द्रुत मौखिक प्रश्नों के उदाहरण

द्रुत मौखिक प्रश्नों के कतिपय उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं। इसी प्रकार और प्रश्नों की रचना करके प्रतिदिन मौखिक अकगणित का अभ्यास कराना चाहिए। अभ्यास इस सीमा तक हो जाना चाहिए कि उत्तर देने में मस्तिष्क को कार्य न करना पड़े, बल्कि बिना सोचे ही जबान में शुद्ध उत्तर निकल आये।

गिनती

(१) एक-एक, दो-दो, आदि छोड़कर निम्नलिखित प्रकार की समस्या-श्रेणियों को बनवाना :—

१, ३, ५, ७, ९, ११, १३,

२, ४, ६, ८, १०, १२, १४,

१, ४, ७, १०, १३, १६,

(२) निम्नलिखित प्रकार उल्टी गिनती गिनवाना :—

१०, ९, ८, ७, ६, ५, ४, ३, २, १

२०, १९, १८, १७, १६, १५,

४०, ४९, ४८, ४७, ४६, ४५,

१००, ९९, ९८, ९७, ९६, ९५,

पहाडा

(१) निम्नलिखित सख्याओं का तीन गुना बताओ —

३, ४, ६, ७, १२, १३, १६,

(२) सात गुना बताओ —

२ का, ९ का, ११ का, १३ का, १६ का ।

(३) निम्नलिखित सख्याएँ किन सख्याओं की दुगुनी है —

६, ८, १०, १४, २२, २६, ३०

(४) ये सख्याएँ किनकी पाँच गुनी है — १०, १५, २५, ३५, ४५, ६५

जोडना

जोडने के द्रुत मौखिक प्रश्नों को कराने के लिए निम्नलिखित जोड के पहाडे का पर्याप्त अभ्यास करा देना चाहिए

+	१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८

इस पहाड़े का ज्ञान हो जाने पर जोड़ने की क्रिया मौखिक करना बड़ा ही सुगम हो जाता है, जैसे $६+७=१३$ के ज्ञान का उपयोग निम्नलिखित ढंग में सिखाया जा सकता है :

$$१६+७=२३, २६+७=३३, ३६+७=४३, \dots$$

$$१६+१७=१६+१०=२६+७=३३$$

$$२६+१७=२६+१०=३६+७=४३$$

$$७६+२७=७६+१०=८६+१०=९६+७=१०३$$

बधा में निम्नलिखित ढंग के प्रश्न पूछे जा सकते हैं —

प्रत्येक में ३ जोड़ो ४, ६, ८, १५, २५, २८

प्रत्येक में ७ जोड़ो १३, १६, २७, २९, ४६, ७८

प्रत्येक में १४ जोड़ो २१, ३५, ३८, ५५, ६३, ७७

प्रत्येक में २५ जोड़ो ३०, ३२, ४२, ५४, ६४, ७४

घटाना

घटाने की मौखिक क्रिया जोड़ने की क्रिया से ही सम्बन्धित करके सिखाना चाहिए, जैसे ८,५ सिखाने के लिए इसे $५+? = ८$ के रूप में पूछना चाहिए। जोड़ का पर्याप्त अभ्यास हो जाने में घटाने के मौखिक प्रश्न सरलता में सिखाये जा सकते हैं। उदाहरण है—

१—प्रत्येक में से २ घटाओ ४, ६, ११, १३, १७, २१, २५

२—प्रत्येक में से ७ घटाओ १०, १२, २६, ३२, ४४, ६५

३—प्रत्येक में से १० घटाओ २०, २५, ४४, ६५, ७६, ९४

४—प्रत्येक में से १५ घटाओ ३६, ५४, ६३, ७६, ८४।

गुणा-भाग

गुणा-भाग के मौखिक प्रश्नों के लिए गुणा के पहाड़े का खूब अभ्यास होना चाहिए। द्रुत मौखिक प्रश्नों के उदाहरण हैं

१—प्रत्येक में २ का गुणा करो ८, १६, २२, २४, ३२, ४०

२—प्रत्येक में ५ का गुणा करो ५, १०, १५, २०, २५, ३०

३—प्रत्येक में १० का गुणा करो : ६, १६, २१, ३४, ६५, ७८

४—प्रत्येक में १६ का गुणा करो ८, १०, १२, १६, २०, २५

५—प्रत्येक में ३ का भाग दो . ६, १८, २७, ३६, ४८, ६०

६—प्रत्येक में ७ का भाग दो . २८, ५६, ७०, ८४, ११२, १४०

इवारती प्रश्न

जाड—घटाना तथा गुणा भाग का यात्रिक ढंग से अभ्यास कराना बहुत ही आवश्यक होता है। साथ-ही-साथ छोटी-छोटी सख्यावाले ऐम इवारती प्रश्न भी पूछने चाहिए, जिनके उत्तर देने में छात्रों का सोचना पके कि जाडने, घटाने, गुणा और भाग में से कौन-सी क्रिया करनी है। इन प्रश्नों से छात्रों में चिन्तन एवं तर्क करने की क्षमता बढ़ती है।

दशमलव तथा माधारण भिन्न

दशमलव भिन्न के शिक्षण में अंकों के स्थानीय मान का पर्याप्त अभ्यास करना चाहिए। दशमलव भिन्नों के जाड घटान में बालका का अधिन कठिनाई नहीं हानी है। दशमलव के शिक्षण में १०, १००, १०००, आदि के गुणा-भाग का बड़ा महत्त्व है। इसका बालका का खूब अभ्यास करना चाहिए। कुछ प्रश्नों के उदाहरण हैं—

१ जाडा $२ + ३, ८ + ५, १५ + ६, २८ + १३$

२ घटाजा $८ - ३, १२ - ७, ३२ - १५, २ - १३$

३ प्रत्येक में १० का गुणा करा— $१२, २२५, ०३, २१$

४ प्रत्येक में १०० से भाग दा— $३, २३, ४३५, ५$

५ जाडा— $\frac{१}{२} + \frac{१}{२}, \frac{१}{२} + \frac{१}{८}, \frac{१}{८} + \frac{१}{८}, \frac{१}{३} + \frac{१}{६}, \frac{५}{६} + \frac{१}{६}$

६ घटाजा— $\frac{३}{४} - \frac{१}{४}, \frac{७}{८} - \frac{१}{८}, \frac{७}{८} - \frac{१}{८}, १ - \frac{१}{२}, २ - \frac{२}{३}$

७ सरलतम रूप में लिखा— $\frac{२}{४}, \frac{८}{१२}, \frac{१}{२०}, \frac{१८}{२८}, \frac{१२}{७२}, \frac{२५}{४५}, \frac{१३}{३५}$

माप-तौल की दशमिक प्रणाली

माप-ताड की दशमिक प्रणाली में गिदती भाषा के शब्दों की प्रचुरता के कारण प्रायः बच्चों का बखिनाई हामी है। अतः स्पष्ट कर देना चाहिए कि लम्बाई मापन की मुख्य इकाई मीटर, तालन की ग्राम और धारिता की लीटर है। इनके पहले उपसर्गों का प्रयोग होता है—इका, हक्का, किला, डेमी, मष्ठी, मिली। इका का अर्थ १०, हक्का का अर्थ १००, और किला का अर्थ १००० होता है। इती का अर्थ दसवाँ भाग, मष्ठी का गारवाँ भाग और मिली का हजारवाँ

भाग होता है। नापने तथा तोलने में काफी प्रयागात्मक कार्य करा देना चाहिए। इसमें छात्र नापों तथा बाँटों में परिचित हो जाने है और वस्तुओं की लम्बाई-भार तथा बर्तना की धारिता का अनुमान लगाने में अभ्यस्त हो जाने है। दशमलव संख्याओं का प्रयोग नाप-तोल की दशमिक प्रणाली में प्रचुरता से करना चाहिए। मौखिक कार्य में उन्हीं इकाइयों पर बल देना चाहिए, जो व्यवहार में आती हैं, जैसे—लम्बाई में किमी, मी, मेमी और मिमी। भार में कुन्तल, किग्राम, ग्राम, धारिता में लीटर।

द्रुत मौखिक प्रश्नों के उदाहरण

- १ प्रत्येक में कितना जोड़ें कि १ किग्राम हो जाय २०० ग्राम, ५५० ग्राम।
- २ दशमलव का प्रयोग करके माटर में लिखो—
३०० सेंमी, १ मीटर ५० सेंमी, ५ मीटर ७५ सेंमी, ८ ममी २ मिमी।
- ३ कुन्तल में लिखो—
७० किग्राम, ७५० किग्राम, ५ कुन्तल ५ किग्राम ६७५ ग्राम।
- ४ किमी में लिखो—
१५० मीटर, १५ मीटर, २० मीमा २ किमी, ८०० मी।
- ५ लीटर में लिखो—
१५ सेली, ५ मिली, १३ डेसीली, ३ ली ६० सेली।

ऊपर केवल उदाहरण हेतु ही कुछ प्रश्न दे दिये गये हैं। इन्हीं ढंगों के बटुन-ने प्रश्नों की रचना अध्यापक स्वयं कर सकते हैं। मौखिक गणित के लिए अलग से घण्टा निश्चिन करने की आवश्यकता नहीं होती है। गणित के प्रत्येक घण्टे में कुछ मिनट तक अभ्यास कराने में बालक द्रुत मौखिक प्रश्नों में पक हो जाते हैं। प्रत्येक अध्यापक को द्रुत मौखिक प्रश्नों का महत्त्व समझना चाहिए और प्रतिदिन के शिक्षण में इन पर बल देना चाहिए।

(गवर्नमेंट मेम्ब्रल पेडागॉजिकल इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद)

भारतीय शिक्षादर्श और आधुनिक शिक्षा

डा० त्रिभुवन भा

भारतीय मनीषियों ने मनुष्य की अन्त कला की मूलभूत वृत्तियों का गहरा अध्ययन कर मानव-जीवन के पुरुषार्थ चतुष्टय की कल्पना की थी। ये चार पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हैं। बृहदारण्यकोपनिषद् में पुत्रपेक्षा, लोकपेक्षा और वित्तेपेक्षा, इन तीन ऐपेक्षाओं का जीवन की मूल-प्रेरक शक्ति माना गया है। परन्तु उपनिषद् में ही इन ऐपेक्षाओं पर आत्म-तत्त्व की महत्ता प्रतिपादित की गयी है और इन्हें आत्म-प्रेम का निम्न रूप ठहराया गया है, क्योंकि इन ऐपेक्षाओं के मूल में आत्म-प्रेम ही कार्य करता है। आत्म-प्रेम के अन्तर्गत ही अपने को अगर बनाने की लालसा बद्धमूल है, वह चाहे पुत्र और धन के रूप में हो या ताक-बल के रूप में। इससे यह पूणतया स्पष्ट हो जाता है कि जीवन के सम्बन्ध में भारतीय दृष्टि भेदात्मक होती हुई भी अभेद भावात्मक है। अनेकत्व में एकरस (आत्मत्व) भारतीय दृष्टि की अपनी विशेषता है।

शिक्षा की अवधि

दा प्रवार के और वर्गीकरण विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। समाज की सुविधा या आवश्यकता और मनुष्य की याम्यता को ध्यान में रखते हुए भारतीयों ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सूद्र, इन चार वर्गों की कल्पना की थी— 'चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणरुमविभागशः।' इस वर्गीकरण के आधार मनुष्यों के गुण और कर्म थे। व्यक्ति जीवन की अवधि को भी उन्होंने चार आश्रमों में विभाजित किया था। ये आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास थे। इन आश्रमों की कल्पना जीवन का सुसंभालित, नियमित एवं व्यवस्थित करने के लिए की गयी थी। इसमें समाज में एक मर्यादा कायम रहनी थी। ब्रह्म-चर्याश्रम विद्याध्ययन और ज्ञानार्जन का काल था। आश्रमों और पुरुषार्थ चतुष्टय को एक साथ मिलाकर देखने से स्पष्ट हो जायगा कि धर्म की उपासना ब्रह्मचर्य-आश्रम में ही की जाती थी। जा हमें धारण करें वह धर्म होता है। अर्थान् जिनके बिना हमारा अस्तित्व सञ्चित हो और जा हमारी स्थिति का कारण हो, वह धर्म होता है। ऐसी ही धर्म की उपासना का काल ब्रह्मचर्य आश्रम था। इसी ही मूल भित्ति पर आगे का जीवन निर्भर करता था।

विद्या और धर्म की ऐकान्तिक साधना क इस काल में ब्रह्मचर्य का इतना अधिक महत्त्व था कि इस काल (आश्रम) का नाम ही ब्रह्मचर्याश्रम पड़ गया । जीवन का अवधि तब माघारणत एक सौ वर्षों का मानी गया था और इसके अनुसार एक आश्रम की अवधि २५ वर्षों का निर्धारित की गयी थी । उस समय के ब्रह्ममर्ष्याश्रम को ही आज का भाषा में विद्यार्थी-जीवन कहा जा सकता है ।

इस प्रमग में एक मौलिक प्रश्न उठ खड़ा होता है कि विद्याध्ययन और ज्ञानाजन का जीवन क प्रारम्भिक २५ वर्षों तक ही क्या सीमित किया जाय, जब सीखने की क्रिया और ज्ञानोपलब्धि आजीवन चलनी रहती है । माय ही विद्वाना ने यह भी माना है कि बच्चा जब माँ के गर्भ में आ जाता है तभी से उस पर माता के आचार विचार तथा पारिवारिक वातावरण का प्रभाव पड़ने लगता है । अतएव ज्ञानाजन और मस्कार-मचयन को एक निश्चित अवधि में परिममित करना अवज्ञानिक है । वर्गीकरण की इस अपूणता और अवज्ञानिकता का ज्ञान हमारे ऋषियों का न था सो बात नहा । ये सारे वर्गीकरण उन्होंने सुविधा को ध्यान में रखकर किये थे ।

ज्ञानाजन की ऐकान्तिक साधना

पाश्चात्य शिक्षाशास्त्रियों में रूसो का नाम विशेष रूप में उल्लेख्य है । रूसो ने शिक्षा के तीन विभाग किये थे—(क) निसर्ग शिक्षण (ख) व्यक्ति शिक्षण और (ग) व्यवहार शिक्षण । मानव के भीतर ही भीतर होनेवाली गारीरिक मानसिक और शैक्षिक वृद्धि या आत्मिक विकास ही उनके अनुसार निसर्ग शिक्षण है । बाह्य परिस्थिति से जो ज्ञान प्राप्त होता है और व्यवहार में जो अनुभव उपलब्ध होता है उस समस्त पन्थ-ज्ञान और भौतिक जानकारी रूसो के मतानुसार व्यवहार शिक्षण है । इन दोनों शिक्षणों से प्राप्त ज्ञान का उपयोग बाह्य जगत् में किस तरह किया जाय इस बारे में मनुष्या के प्रयत्नों के वाचिक शाल्य शिक्षण का उद्देश्य व्यक्ति-शिक्षण कहा था । भारत के प्राचीन शिक्षणों के अनुसार विद्यार्थियों का तीना प्रकार की शिक्षा दी जाता था न कि आधुनिक युग में शाल्य शिक्षा पर ही जोर दिया जाता था । आधुनिक युग में शाल्य शिक्षण का महत्त्व बहुत अधिक बढ़ गया है । इस मन्दम में विद्यार्थी-जीवन में हमारा तात्पर्य मनुष्य के विद्याभ्यास और ज्ञानाजन की उस ऐकान्तिक साधना में है जिसमें वह शुद्धता विद्यालयों कालजा विद्यालयों और अन्य शिक्षण-मस्थानों में नियमित रूप में मुनिश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार एक निर्धारित समय में सम्पन्न करना है ।

ब्रह्मचर्य की शिक्षा

अत्यन्त प्राचीन काल में भारत में शिक्षा गुरुबुलो अर्थात् गुरु के आश्रमों में दी जाती थी। ये गुरु स्वभाव और सस्कार, दोनों से वीत-राग थे। ब्रह्मापामना और आध्यात्मिक चिन्तन इनके जीवन के परम लक्ष्य थे। इनके आश्रम प्रायः वनो में होते थे। प्रकृति की गोद में दी जानेवाली उस शिक्षा का आदर्श उन दिनों धार्मिक एवं आध्यात्मिक था। विद्यार्थी को अपने विद्यार्थी-जीवन में गुरु के आश्रम में रहना पड़ता था और शिक्षा एक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दी जाकर समवाय पद्धति पर विविध क्रियाशीलों के द्वारा दी जाती थी। विद्यार्थी के शारीरिक विकास पर उतना ही ध्यान दिया जाता था, जितना उसके मस्तिष्क के विकास पर। कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय की शिक्षा का लक्ष्य 'अप्रतो विमल शास्त्र पृष्ठत सशर धनु' था अर्थात् उस समय के विद्यार्थी शास्त्र और शस्त्र दोनों में प्रवीण होते थे। आचार्य विशेषज्ञ ही नहीं, बहुज्ञ भी थे। आचार्य का तात्पर्य बताया जाता है 'आचिनोति, आचरति, आचार कारयति।' अर्थात् आचार्य वह है जो सब विषयों का अध्ययन करता है, गुरु आचरण करता है और दूसरों से आचरण कराता है। ऐसे आचार्य वस्तुतः देवतुल्य थे। अतः 'आचार्यदेवो भव' के अनुसार गुरु में देवत्व की कल्पना की गयी, गुरु का देवतुल्य माना गया। गुरु शिष्य की श्रद्धा की साक्षात् भूति होता है। इसीलिए 'गीता' कहती है 'श्रद्धावान् लभते ज्ञानम्।' श्रद्धावान् ही ज्ञान लाभ करता है। विद्यार्थी-जीवन की अन्तिम विशेषता ब्रह्मचर्य की साधना थी। आचार-शुद्धता का जो व्यामोह प्राचीन काल के विद्यार्थियों में था वह आज के शिक्षा-क्षेत्र में देखने को नहीं मिलता। ब्रह्मचर्य प्राचीन शिक्षा का मेरुदण्ड था।

अभी तक मैंने प्राचीन भारत की शिक्षा और उसके आदर्शों की चर्चा की है। आज के विद्यार्थी-जीवन की विशेषताओं से इनकी तुलना करने पर कई भिन्न विचारणीय बातें सामने आती हैं। प्राचीन समय में विद्यार्थियों में ज्ञानार्जन की भूख तेज थी और थी आचार्य के प्रति उनकी अखण्डित आस्था। ब्रह्मचर्य उस जीवन का मुख्य धटक था और आचार-शुद्धता का आग्रह था उसका चरम आदर्श।

विद्याभ्यास की व्यापकता

आज के जमाने में शिक्षा का लक्ष्य और स्वरूप दोनों बदल चुके हैं। आज की शिक्षा का लक्ष्य ज्ञानोपाजन न हाकर जीविकोपाजन है। विशेषीकरण के इस युग में और मरण के दृष्ट जमाने में मनुष्य जीवन का सर्वाधिक समय नष्टकर, '६७]

केवल भोजन जुटाने में लग जाता है। आधुनिक शिक्षा में विशाम्यास की व्यापकता है, किन्तु अध्ययन की गम्भीरता नहीं। विस्तार की विविधता है, किन्तु तल की गहराई नहीं। जीवन की आवश्यकताएँ भी बड़ चुकी हैं। ऐसा लगता है कि आज के जमाने में गम्भीर ज्ञानार्जन सम्भव ही नहीं है।

आधुनिक भारतीय शिक्षा एक बड़े सवट में आ पड़ी है। शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति का प्रवेश जब से हो गया है, तभी से यह स्थिति दिनादिन खराब होती जा रही है। भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि उसकी दुनिया में निश्चित, स्थिर कुछ भी नहीं। सरकार के हाथों में शिक्षा की बागडोर होने में शिक्षा प्रयागात्मक हो गयी है, यहाँ सब कुछ अनिश्चित और अस्थिर हो गया है। भिन्न-भिन्न दलों की सरकारें बनती हैं, बदलती हैं और उन परिवर्तन के साथ ही शिक्षादर्श, शिक्षा-नीति, शिक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक, शिक्षक व्यवस्था सब कुछ बदल जाता है। इस प्रकार की अनिश्चितता शिक्षा के लिए बहुत बड़ा धक्का है। राष्ट्र का एक राष्ट्रीय चरित्र होना है और वह उस देश की शिक्षा में प्रकट होना है। चरित्र का निर्माण अकस्मात् नहीं होना। वह नियमित स्कार-संरक्षण से होना है। शिक्षा ही जनता को सुसंस्कृत करती है। आज शिक्षा का जनता पर स्कार डालने तक का मौका नहीं मिलता कि वह बदल दी जाती है।

शिक्षा राजनीति से मुक्त हो

महात्मा गांधी, विनोबा आदि भारतीय चिन्तकों ने आज के इस परिणाम का अनुभव बहुत पहले ही किया था और इसीलिए उन्होंने पुस्तकीय, दाय्य शिक्षा का विरोध कर समाज-पद्धति पर दी जानेवाली बुनियादी तालीम पर जोर दिया था। इस प्रकार की शिक्षा सरकार द्वारा न दी जाकर समाज द्वारा दी जाती है। यह वाय के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने की पद्धति है। वित्तोपाकरण और केन्द्रीकरण इस युग के दो बड़े अभिशाप हैं। शिक्षा का केन्द्रीकरण नहीं होना चाहिए। बुनियादी शिक्षा या नयी तालीम में वित्तोपाकरण की कोई बात नहीं है। वह जीवन-शिक्षण है। इसलिए वह स्वभावतः राजनीति से मुक्त होगी। और रोज-बरोज बदलती राजनीति से प्रभावित भी नहीं होगी। आजादी के बाद से लेकर आज तक शिक्षा के क्षेत्र में जितने प्रयोग हुए हैं सम्भवतः उतने प्रयोग और किसी क्षेत्र में नहीं हुए। आवश्यकता अब इस बात की है कि शिक्षा का राजनीति से मुक्त कर समाज के हाथों में सौंपा जाय।

(करीम सिटी कालेज, जमशेदपुर)

खेल

आलोक प्रभाकर

खेड की अभिरुचि प्रायः सभी प्राणियों में पायी जाती है, किन्तु मानव-समाज में यह क्रिया बहुत व्यापक है। बालक-बालिकाओं, स्त्री-पुरुष युवा और वृद्ध, अमीर और गरीब सभी खेडना पसन्द करता हैं। बालिकाओं गुडिया और घोड़े बान्जर खेलते हैं। बालक बच्चों को गाली, गेंद और गुब्बो उडा खलन है। युवा हाथी, फुटबाल बाली खल, टेनिस क्रिकेट आदि दौड-भूष अथवा उद्वेगपूर्ण व खेल खेलते हैं। प्रौढ व्यक्ति ताण, पानरज और चौपड आदि गला वा खेल कर अपना माररंजन करता है।

मनुष्येत्तर प्राणियों म भी खेलने का प्रवृत्ति पायी जाता है। चिम्पाजी, धार, भालू, कुत्ता, चिल्ला बद्धे, बद्धिया शरसु और बडूतर यहाँ तक कि क्षीमक आर चोटा व समान तन् प्राणियों तक म हमें विविध प्रकार व गला व दर्शन हान है।

खेल का प्रयोजन

यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जाव जन्तुओं में खेल के प्रति स्वाभाविक अनुराग एव आकर्षण की प्रवृत्ति का क्या प्रयोजन है। प्रवृत्ति म प्रत्येक कार्य का वादन-नाँद उदरस्य अक्षर्य होता है। खेल मनुष्य-जीवन को पूण बनाने के आवश्यक अंग है। मनुष्य के भावों और सामाजिक रचना के अनुशीलन के पदचात् यह समझा जाने लगा है कि खेल बचप आमोद प्रमोद व साधन ही नहीं है, बल्कि मानव-जीवन म भी उनका महत्वपूर्ण स्थान है।

धा टेलर का मत है कि 'जहाँ वाय बरने तथा कार्य के विकास की स्वतन्त्रता हा, वही वास्तव मे खेल या प्रमोद है। व्यक्तित्व के विकास व लिए यह अति आवश्यक है। आमोद प्रमोद के साथ साथ खेल का रचनात्मक प्रयोजन भा है। वास्तव म यह न केवल जीवन के भग्न तारों का जोडता है, अपितु जावन म एक नयी मृजन शक्ति भी उत्पान करता है। खेल का सबसे प्रथम और मुख्य तत्त्व यह है कि इसका विकास क्रिया-शक्ति द्वारा हाता है और इसम रचना पुनरचना, मृजन तथा पुन मृजन का शक्ति विद्यमान रहती है।

प्रसिद्ध दार्शनिक हर्बर्ट स्पेन्सर का कथन है कि 'जब मुक्कों के शरीर में आवश्यकता से अधिक शक्ति का संचय होता है, तब वे खल-खलकर उड़ अतिरिक्त शक्ति को शरीर में बाहर निकाल देते हैं। स्पेन्सर के अनुसार मुक्कों में इतनी अधिक जोशनी-शक्ति एकत्र हो जाती है कि वे इधर-उधर उछल-बूद कर अपना शरीर के कामों द्वारा उमड़ा प्रदान करते हैं।

डा० प्रामु का कथन है कि 'खल तथा प्राणियों के बहार बल के प्रदर्शन करने की ओर उन्हीं जीवन-प्रामु क गूद और गौम्य कर्तव्या के सम्पादन के हेतु दीक्षा देता है।' खलने की क्रिया में प्राणी मदेव अपने भावी-जीवन में काम आने वाले अति सम्भार एवं जीवनयोगी उद्योगों का अनुकरण करता है।

खल के विषय प्रामु युद्ध-बौद्ध, सिंकार करना, उड़ना अथवा उछल-बूद करना आदि होते हैं। वास्तुगत परीक्षा बनाकर उमम मिट्टी के चोखा-बूट्टे बनाने हैं, चकरी बनाकर मिट्टी का आटा मानती है, शीबार्ग क अवसर पर शोषकों को छेदकर तराजू बनाती है, गुडिया-गुड्डा बनाकर उनका लिए सुन्दर-सुन्दर पाशाक मोती है और शृंगार कर उनको विवाह की गारी व्यवस्था करती है। बालक कौब की गाली, मंद, गुन्नी टंग और युवक हाकी, त्रिबेट, टनिग आदि मन्त्र हैं, जिनमें उनकी मासपशिया मसकन हाती हैं और हाथ-पैर तथा नेत्रों का एक साध काम करने का अम्पाम होता है। खली द्वारा मनुष्य क्रियाशील एवं हृष्ट-मुष्ट ता हा ही जाना है, उनमें उसके शरीर में आज और मानमिन्न स्फूर्ति की अभिवृद्धि एवं निर्माण-शक्तियों को उत्तेजना प्राप्त होती है। प्रोडावस्था में लग कुछ एम गेल खेलने हैं, जिनमें दौड़ धूम नहीं बरनी पत्नी, बलि जो उनके मस्तिष्क की तांत्रना अथवा स्मरण-शक्ति का बढाने और ध्यान का एवाग्र करन तथा मयमी बनाने में सहायक होते हैं, जैसे गवरज, चोपड, लाश, बैरम आदि।

सिबारी जानवरों के बच्च अपने पजा में पत्थरों और बाठ के टुकड़ों का आम की आर इन्वेलन है और स्वयं उन जड-पदार्थों के पीछे उमी भीति दौड़ पडन हैं, जिन भीति आगे चलकर उन्हे अपने सिवार के पीछे दौड़ना पड़ेगा। जब कोई मूर्ख पत्नी अथवा कोई अन्य पदार्थ किली के बच्च के सम्मुख पेंटा जाता है, तब अकार वह धीरे में उसमें पाग जाता है, फिर भगट कर उसकी आर बूदना है। कभी उम अपने पजों में दबाता है और कभी पांठ के बल लटकर उम अंत पेट पर खता है। इस तरह वह उम जड पदार्थों से खलकर अपना मनारजन ता करता ही है, साथ ही-साथ अपने चशुजा और मासपशियों

ता उचित रूप में प्रयोग करना भा गायना है ताकि उड़े होने पर चूड़ा की घेरने पकड़ने और मारने व पीकाट में दण हो जाय ।

चिन्ती अपने नये-नए बच्चा व गाने व लिए अथमरे चूड़े या अन्य जीव जंतुआ का पकड़ लाना है और उन उन मम्मूष छान्डी भेती है । वने उन पर आपात कर उठ पादना आर मारना मागत है । युद्ध वड़े न जाने पर गिकार का जान समय यह अपने बच्चा का भा साध ले जाती है । इस भाति व बच्चे गुल हा-खेल म आता भोजन प्राप्त करने एव आरमरक्षा व वागत म सिद्धम्न हो जान ह । चिन्ती व बच्चा का तरह घेर और बन्दर व बच्चे भा वड गिगडा हान है ।

जिन प्राणिया ता विघाता ने महारख अधग सरधान अग प्रदाा क्रिये है उनवे बच्चे खल वा क्रिया म उन अगा वा उचित समय पर उचित राति न प्रयोग करना सोवते है । गेर भेडिये और भालू अपना विगारासस्था में परस्पर लडते हुए पाये जाते है किन्तु इस क्रिया म व अपने दाता और नखा का उपयोग कभा नहीं करत । व ता खेल व वहाने गिकार की क्रिया म अम्यस्त हाना आर दुगल होना सीखत ह । गाय भैस और मृग के बच्चे माग निकलने व पूव ही आपस म दुम मारने लगते है । भला इस अवस्था में दुम मारने में उनका क्या उदम्य हा सक्ता है ? वास्तव म परस्पर यत्रवर मन भी बहलाते है और दुम मारने की कग म प्रवाण हा जान है ।

खेला म वागर अपने बल और पराक्रम का प्रदान करने में बडा हा आनन्द लेत है । यही नहीं जब के किसी काय म या खेल म कृतकाम हाते है ता अहकार और आनन्द स फूले नहीं समाने । उनकी यह प्रफुलता मल्ला की उस प्रसन्नता के तुल्य होती है, जो कुत्ती म अपने प्रतिद्वन्दी को पछाडने म उन्हें हाती है ।

खेळ द्वारा शिक्षा

खेल का शक्ति महत्व भी है । खेल से मनोरजन हाता है । इसलिए खेल म बालक की स्वाभाविक रुचि हाती है । किसी भी नये ज्ञान की सीखने की क्रिया बटित आर नीरस काम है । अत यदि सीखने की इस क्रिया को खेल मे सम्बन्धित कर लिया जाय तो सीखने का काम रुचिकर हो जाता है और खेल म सहज ही नयी बातें सीख ली जाती है । ज्ञान का बोझ हलका हो जाता है और वह सहज प्राप्त हो जाता है ।

गिषाण की क्रिया म खेल को स्थान देने का ध्य यूरोप के एक गिषक नवम्बर ६७] [१७२

हेनरा वाल्डवुल बुक को है। उन्होंने शिक्षा में खेल प्रणाली का प्रयोग किया और खेल द्वारा शिक्षा-पद्धति को मनाविज्ञान-गम्भन बताते हुए उम वाल्डा का शिक्षा देने का श्रेष्ठ पद्धति बताया। पद्धति के धष्ट होने के नीचे लिखे कारण बताये गये हैं—

१ रचि का सिद्धान्त—जैसा ऊपर कहा जा चुका है सबसे पहला कारण तो यही है कि खेल में बालक की रचि रहता है। रचि अवधान का प्रकृत है। सीखने का अर्थिचर क्रिया भी खेल का माध्यम पाकर सरस बन जाता है। रचि का यह सिद्धान्त ही खेल द्वारा शिक्षा के मूल में है।

२ स्वतन्त्रता का सिद्धान्त—दूसरा कारण है खेल में बालक अपने को बंधनमुक्त पाता है। उम पर किसी प्रकार का दबाव नहीं रहता। दबाव का न होना खेल का प्रमुख लक्ष्य है। जो खेल का वाय से अलग करता है। खेल में खेलना ही उद्देश्य है। इसीलिए खेल की प्रत्येक क्रिया के साथ उद्देश्य की प्राप्ति होती रहती है। उद्देश्य की प्राप्ति ही आनन्द है। आनन्द ही का दूसरा नाम बंधनमुक्ति है। इसीलिए यदि शिक्षा के क्षेत्र में खेल की प्रवृत्ति से लाभ उठाना है तो बालक को दबाव से मुक्त रखना चाहिए।

३ उत्तरदायित्व का सिद्धान्त—तिसरा कारण है खेल में उत्तरदायित्व अनुभव करने की भावना का सतत विद्यमान रहना। प्रत्येक खिलाड़ी जानता है कि जो खेल वह खेल रहा है वह किसी के दबाव से नहीं खेल रहा है और हारने जीतने की जिम्मेदारी उसी की है। इसीलिए वह खेलने के नियमों का पूरा उत्तरदायित्व के साथ पालन करता है। खेल उत्तरदायित्व रहन करना सिखाता है। यही खेल द्वारा शिक्षा का महत्वपूर्ण सामाजिक पहलू है।

४ अवाङ्मनीय प्रवृत्तियों का परिष्करण—खेल द्वारा बच्चा की उन अवाङ्मनीय प्रवृत्तियों का परिष्करण होता है जो असांभाजिक है। स्टेनले हाल का कहना है कि मानस विकास की अवस्था के साथ ऐसी अनेक प्रवृत्तियाँ लगी हैं जो आज के समाज के लिए वाङ्मनीय नहीं हैं। आखेट छग की लूट-मार और जिसकी लाठी उसकी भंस की प्रवृत्ति का आज के समाज में कोई स्थान नहीं है। निर्बाध सप्रह की प्रवृत्ति अब निन्दनीय है। परन्तु ये प्रवृत्तियाँ मानव के अचेतन मन में विद्यमान हैं। खेल के माध्यम से बालक इन प्रवृत्तियों की पुनरावृत्ति कर उनका परिष्कार कर लेता है। बचपन में तीर धनुष से खेलना ककड-भयंकर डकट्टा करना। लडकियों में सप्रह की प्रवृत्ति प्रबल हानी है। केवल जावन के विकासक्रम की पुनरावृत्ति मात्र नहीं है। बरिक्त अवाङ्मनीय व असांभाजिक तत्त्वा का परिष्कार भी है। यह खेल का शैक्षिक और सांस्कृतिक मूल्य है। ●

‘भूदानयज्ञ’

२६-२-६७ के अंक के माघ ही ‘भूदान-यज्ञ’ का तेरहवाँ साल पूरा हो गया। चौदहवें माघ का पहला अंक ६-१०-६७ का नये रूप में प्रकाशित हुआ है। इस अवसर पर हम देगभर में पड़े अपने माघिया, पाठवा, हितैषियों के प्रति, उनके सहयोग के गिरा हार्दिक आभार प्रकट करते हैं।

नये रूप में भूदान-यज्ञ का रूप इस प्रकार है—

- पपेद बागज
 - डबल डिमाई साइज में, १६ पृ
 - संपादक—आचार्य राममूर्ति
 - वार्षिक चन्दा—₹० १० ००
 - फुटकर प्रति— • २६ पैसे
- विविध स्तम्भ
- विनावा, जयप्रकाश नारायण, दादा धर्माधिकारी, धीरेन्द्र मजूमदार, जैने द्रकुमार आदि विचारवा के निबंध।
 - सामयिक चर्चा आन्दोलन की गतिविधि, विचार मयन, चर्चा परिषदा, रेखाचित्र आदि विविधतावा में भरपूर
 - भूदान-यज्ञ का चन्दा नये वर्ष से ८) के बदले १०) किया गया है। इसका कारण है छद्माई कर्जाजिन बागज आदि क बडे हुए भाव। ८) चंदे में यह पत्रिका घाटे में ही चल रही थी, इसलिए भी यह वृद्धि अनिवाय हो गयी है। हमारे पाठकगण आर हितैषा इस विवशता को महसूस करने उदारतापूर्वक पत्रिका का पूषवत् बनाता हार्दिक सहयोग देकर अपने मिश्री को भी इसका ग्राहक बनायग। हम ऐसी आशा करते हैं।

सप्रम जय जगत् ।

आप सबका

दत्तोबा दास्ताने

संचालक

सर्वे सेवा मद्य प्रकाशन

शिक्षा को व्यवसाय से जोड़ना होगा

डा० वी० एन० गागुली

(कान्तिमोहन ने दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति से परिचर्चा आयोजित की थी । उस परिचर्चा का कुछ अंश हम यहाँ दे रहे हैं—स०)

आयोजक—क्या आप समझते हैं कि भारतीय शिक्षा में कान्ति की आवश्यकता क्या है ।

डा० गागुली—दरअसल, पिछले अनेक वर्षों से मैं इस सवाल पर सोचता रहा हूँ, लेकिन अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पाया हूँ । यह तो मैं मानता हूँ कि हर जगह कान्ति की जरूरत नहीं होती । लेकिन इसके साथ ही यह भी सच है कि शिक्षा-जगत की हालत बहुत खराब है । एक पागल भाड़ हमारे विश्वविद्यालयों के दरवाजे खटखटा रही है और हम उह शिक्षित शिक्षित करने अपने राष्ट्र के सम्मानित और पूण सदस्य बनाने की स्थिति में नहीं हैं । यह स्थिति हमें कहा ले जायगी ? मैं इस सवाल पर मोचता हूँ तो साबता रह जाता हूँ । इसी सवाल में जुड़ा हुआ एक सवाल और है—नगरों की ओर बढ़ती हुई भीड़ । इसे रोकना होगा । रोकना ही होगा । हम शिक्षित युवकों को इस बात के लिए प्रेरित करना होगा और सारी सुविधाएँ देनी होंगी कि शिक्षा पूरा करने पर वे उसी वर्ग को, उसी क्षेत्र या अंचल को, अपनी सेवाएँ अर्पित कर सकें, जिसने उन्हें पढ़ाया लिगाया है, और जिसका उन पर अधिभार है । कान्ति की आवश्यकता हमें गायब न हो, लेकिन मैं यह जरूर महसूस करता हूँ कि आज भारतीय शिक्षा जिस बिंदु पर आ पहुँची है वहाँ हम कुछ अत्यधिक प्रगतिशील कदम उठाने ही होंगे । इसके बिना काम नहीं चल सकता ।

आयोजक—क्या आज की अमानोपजनक शिक्षा प्रणाली के लिए सरकार दोषा है ?

डा० गागुली—हाँ, मैं ऐसा ही समझता हूँ । गार्धीजी पारचात्य शिक्षा प्रणाली के विरोधी और आलोचक थे । उन्होंने इसके विकल्प के रूप में एक दूसरी शिक्षा प्रणाली—वैमिक शिक्षा—हमारे सामने रखी थी,

लेकिन राष्ट्रीय सरकार को उनका वह विकल्प मान्य नहीं हुआ। शिक्षा की पद्धति पूर्ववत् ही रही। शिक्षा, जो एक विकासशील राष्ट्र का कामयाबपलट कर सकती थी, खुद पुरानी और सड़ी-गली रुढ़ियों में फँसी रही। देश के स्वतंत्र होने के बाद जिन शक्तियों ने यहाँ काम किया, उनमें सबसे अधिक स्थिर और गतिहीन शक्ति शिक्षा ही रही है। सबसे बड़ी विडम्बना यह रही है कि शैक्षणिक प्रान्ति का सम्बन्ध व्यापक राष्ट्रीय प्रान्ति में नहा जुड़ पाया, या नहीं जोड़ा गया। यह सम्बन्ध या सम्पर्क अत्यन्त आवश्यक था। गांधीजी की नजर में यह बात बिल्कुल माफ थी। राष्ट्र विकास में शिक्षा की भूमिका क्या और कितनी महत्वपूर्ण है यह बात व अच्छी तरह समझत थे। लेकिन उनका परवर्ती राष्ट्र नियामकता में हम यह दृष्टि नहीं मिलती। राष्ट्र का आधुनिकीकरण की धुन में हम उस शिक्षा का पीछे छाड़ आये जो निसा भी सच्चे आर पुर आधुनिकीकरण का सबसे प्रबल अस्त्र है।

आयाजक—क्या आपने कभी साचा है कि अगर स्वतंत्र भारत में शिक्षा मात्र आप हात तो शिक्षा का विकास किस तरह करते ?

डा० गांधीजी—सोचा तो नहीं, लेकिन सोचने में हर्ज भी क्या है ? मैं पढ़ला काम तो यह करता कि मिडिल स्कूल के स्तर पर, और उसके बाद क समा स्तरों पर, शिक्षा का अनिवार्य सम्बन्ध राजगार और धंधा से कर देता। इस प्रकार उददेश्य हीन उच्च शिक्षा पर हानेवाली समय, शक्ति और धन की बरबादी रोकी जा सकती थी। व्यावसायगर्भित शिक्षा से राष्ट्र के आर्थिक विकास में भी अभूल्य सहायता मिलती। मैं गांधीजी की बेसिक शिक्षा को क्रियान्वित करता। मिडिल स्कूल स्तर पर ही पढाई का सम्बन्ध व्यवसाय से हो जाता तो आज उच्च शिक्षा को सीमित करने की जो समस्या मुँह फैलाए हमारे सामने खड़ी है, वह शायद पैदा ही न हुई होती। विश्वविद्यालयों की हालत आज के मुकाबिले कहाँ बेहतर होती। हिन्दी का सभी शिक्षा का माध्यम बना दिया जाता और आज वह राष्ट्रभाषा के रूप में सुप्रतिष्ठित हो चुकी होती।

—‘साप्ताहिक हिंदुस्तान से साभार

बालधर

मुशील कुमार

लोक भारती एक परिवार होन हुए भी एक छोटा-मा गाँव है। यहाँ बड़े-बड़े मकान, आफिस, स्टोर, प्रार्थना-गृहा-भवन, उद्यान-मन्दिर, लम्बी चाड़ी



हॉट की तैयारी

बच्चा के लिए एक खुली छत का हाल है।

यहाँ पर बच्चे कृषि और कनार्ड-बुनार्ड का काम रोजाना करते हैं। एक वर्ष शाप है, जिसमें मिलाई, बागज का काम, बाटुकला इत्यादि कार्यों में बालक कई भी एक काम चुनकर मालभर १ घण्टा रोजाना करते हैं। इसके अलावा शौक के तौर पर चित्र मण्डल, डाक टिकट-मण्डल आदि का काम भी बालक देखते हैं।

यह सब मामान, जो नैयार होता है, वह स्कूल का हाता है। वर्ष में एक माह ऐसा भी होता है जब कि बालक उम्र महीने में जिनकी कनाइ इतना, वह उनकी अरनी हाती है।

मुडकें, बहुत बड़ा बाग, एक अच्छा प्रदसान वदन, कुल मिलाकर बड़ा आकषक स्थल है।

नयी तालीम विद्यालय—जो एक बुनियादी शाळा है, और लोक भारती की एक संशोधित प्रवृत्ति है, जिसका आयोजन योजनापूर्वक तथा सामाजिक प्रयाजन में किया गया है।

भोपडी और पेडा के तले वर्ग चलते हैं। छात्रावास और उद्यान के लिए व्यवस्थित मकान है।

वाचनालय आफिस और



दीवाल की जुड़ाई

हमने अपने विद्यालय में कार्यानुभव के बारे में प्रयोग करने का निश्चय



किया। इस मुन्दर्भ में मार्च के अन्तिम सप्ताह में बाल-परिषद द्वारा आयोजित बाल-सभा में बालक और शिक्षको ने मिलकर यह निश्चय किया कि क्यों न बालको के लिए उनका एक निजी मकान हो, जो उनकी अपनी कल्पना का प्रतीक हो, उनकी अपनी दुनिया हो। लेकिन विद्यालय इस पर क्या कहाँ से खर्च करे? जब यह सवाल आया तो सहज ही बालको ने खुद एक छोटा-सा

जमीन समतल करते हुए मकान बनाने का निर्णय लिया और उन्होंने कहा कि हम अपने धर्म से बनायेंगे। फिर क्या था? शिक्षको को उत्साह हुआ। उन्होंने बालकों के साथ बैठकर उसकी योजना

तैयार की। बाल-दुनिया का नक्शा तैयार हुआ। पहली अप्रैल को जमीन पर नक्शा खींच दिया गया। लोक-भारती की ओर से उस समय १०० रुपये की मदद देने की घोषणा की गयी। जमीन समतल की गयी। "तूफानों की ओर बढ़ा दे नाविक निज पतवार" के मगीत के साथ नाव खोदना प्रारम्भ हुआ।



बालघर के सामने सफाई

अप्रैल के मध्य में लेकर मई के अन्त तक चिलचिलाती धूप और जलती हुई लू में बच्चे मिट्टी खोदना, ईंट बनाना, गारा तैयार करना, ईंट और मिट्टी ढोना, (देखें फोटो) आदि हर काम रोजाना २ में ३ घण्टे तक करते रहे। गर्मी के समय में जब कि आम-यास के स्कूलों में छुट्टी थी, दूसरे स्कूल के नवम्बर, '६७]

लडके छुट्टियाँ मना रह थे, फिर भी बालका की आर म कोई शिक्षायन नही, उल्साह म वाइ वमी नही । आप ताज्जुब करेंगे कि उस पुट्यार्थ और परिश्रम क परिणामस्वरूप आज बालभवन का बिना प्लास्टर और बिना सजावट किया हुआ, छप्पर मज्जिन एक मुहस्य मनारम बालभर चारा तरफ की हरियाली क बीच मस्तक उन्नत किये खडा है । वह नयी तालाम-परिवार के श्रम का प्रतीक है । पुट्यार्थ की कहानी है । किनती ममता है बालका का अपने इस अधूरे घर म । दापहर का एक घण्टे की छुट्टी हानी है ता बच्चे दाडकर अधूरे बालभर म जान है, वहाँ पर खाना खाते है, आराम करत है, खलते ह ।

गत साल इस मकान का डाँचा तडा हुआ है । अब इस साल इसको पूरा करना है, प्लास्टर—रंग—दरवाजा-खिडकी लगाना—लगाइ, सजावट आदि का काम है । इसक अलावा इसके आस-पास के मैदान म बगीचा लगाना है । काम धीरे धीरे शुरू हा गया है । नवगे का खाका नेयार है । रंग पूरना बाकी है । इस वष की १४ नवम्बर ६७ का इस घर का उद्घाटन होगा । स्वसम्मति मे बालपरिषद ने यह तय क्रिया है कि यह बालभर विश्व के समस्त वाङ्-समाज क लिए मादर समर्पित है । ये छोटे बालक विश्व का क्या समझ । मुझे लगा छाना मुँह बडी बात । लेकिन फिर मुझे लगा कि यह मन मन की सकीर्णता और छाटे-छाटे क्षयरे है । बालक ना बालक ही है । उनक सामने क्या राज्य, क्या प्रदस, क्या राष्ट्र—वे ता बालक है । उनकी आत्मा ना ईश्वर का राज्य है । इसलिए एक-एक बालक स्वय अपने आप म अनेक विविधताआ के लिए हुए स्वय विश्व ही है । इसलिए व समस्त बाल-समाज का वन्दना करें, उनकी मुकुमार भावनाआ क ही अनुकूल है ।

वाङ्भर बनाने म छात्र, अध्यापक, अभिभावक और लडक भारती के परिशर तथा बाहर के हमारे प्यारे मेहमानो, और जयपुर क जिलाधीश महोदय ने भी श्रमदान म भाग लिया है । इस मकान का तक्नीकी काम वारीगर द्वारा पूरा हागा । इस प्रकार अब तक के काम का आँकडा इस प्रकार है—

श्रमदान

नयी तालीम विद्यालय	७३०	घण्टे १२८६
लडक भारती परिवार	४८२	घण्टे ४७५
शिक्षक एवं मेहमान	२०५	घण्टे ३५६

कुल संख्या १४२६ कुल श्रमदान क घण्टे २४६७

प्रति घटा २५ पैसा क हिमाव स ६१६ ७५

बालघर में गतवर्ष का खर्च [जून १९६७ तक]

मजदूरी

जुड़ाई के	२००-००
छप्पर ढँघाई के	१५०-००

सामान

दली-मूला	८००-००
वाण	१००-००
फरवर (दरवाजा आर खिडकियों के लिए)	६०-००

अब तक का खर्च १३१०-००

शेष काम का अनुमानित खर्च

प्लास्टर	२००-००
सफेदी रंग इत्यादि	१५० ००
खिडकी-दरवाजा—जाली-रक़ा	६५० ००
	<u>१०००-००</u>

साधन स्रोत

रमोईघर के साधन (रमोई के)	२५०-००
मकान में सजावट और बिछावन	२५०-००
बाल उद्यान में खर्च	<u>२००-००</u>
	७००-००

जिसे सामाजिक सहयोग से पूरा किया जा सकेगा ।

यह है हमारा खात्पर । कार्यानुभव का एक प्रोजेक्ट नहीं तालीम की शिक्षण विधि का एक नमूना, पारस्परिक सहयोग एवं पुरुषार्थ की कहानी, बाल्या की मुकुमार कल्पनाआ का प्रतीक, नये तालीम के शिक्षकों की भावना-पूरा आकाश का प्रतिबिम्ब—

बालका का अपना घर, उनकी अपनी दुनिया
उनका अपना मूजन, उनका अपना संगीत

बालघर की समन्वित पाठ-योजना की रूपरेखा

१. बालघर की निर्माण-योजना—

धावन्वचना, उद्देश्य, स्वरूप, रूपरेखा आदि ।

२ कार्य याजना—

स्थान—स्थिति—साधन—सामग्री ।

३ कार्यक्रम की योजना—

काय विभाजन समझन वर्गीकरण त्नि दिन डायरा सचासन—ममाभा ।

४ भवन निर्माण का तकनीकी ज्ञान—

भाषा

कविता—भरह-तरह की कविताओं का संग्रह ।

उत्तर—मिट्टी का रचना मिट्टी की महिमा मिट्टी क खल गाव का कुम्हार,
तालाव नदी । दिनन्दिन कायकम-लेखन इस घर का कहाना
मरे पमन्द का काम घर क लिए मरी जिम्मदारी ।

वार्तालाप—नये शब्द संग्रह राजस्थाना वाता का चर्चा वार्ता । वालमभा
म विविध प्रमगा पर वालना ।

गणित

इस काय म गणित का बडा भारा महत्व देखा गया है । टाला क अनुसार
काम म—इन् बनाने म । टूटे हुए और ज छ इटा का प्रतिगत म । भवन म
कितने इटा का आवश्यकता है ? कितने वालक कितनी इन् बनायगे । कौन
टाला ज्यादा ईंट बनायगा और कौन टोग कम कितने काम । सुरा रेखा
त्रिभुज वृत्त आदि क सवाल इसम भरपूर है । कुल मिलाकर यह अनुभव आया
कि पहला म आठवा तक के हर प्रकार के सवाल कराये जा सकने है ।

उदाहरण—

- १ पहला टोली के ७ छात्रा न ३८५ ईटे बनायगे तो एक छात्र कितना
ईटे बनायगा ।
- २ ३२५ इटो म ५ प्रतिगत नष्ट हा गया ता नष्ट होनेवाली इटो की
संख्या बनाओ ।
- ३ बाऊपर की एक दीवाल की लम्बाइ १४ फुट चौडाई १॥ फुट और
ऊँचाइ ७ फुट हो ता घनफुट नात करा । एक इट ६ ६ ४ इच का
ता कितनी ईटा की आवश्यकता है ?
- ४ ५ लडके ३ घण्टे मे एक बबूतरा भरत ह ता १० लख कितने समय
म भरेंगे ।

१ बालघर को बीच के हॉल को लम्बाई १४ फुट और चौड़ाई १२ फुट हो तो क्षेत्रफल ज्ञात करो ।

६ बालघर बनाने का अलग अलग खर्च का हिसाब ।

सामाजिक अध्ययन

१—भौगोलिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य, कृषि प्रधान समाज के मकान । ऋतु और जलवायु के अनुसार मकान की आवश्यकता । गाँव के मकान और उनके आधार पर सस्कृति-सम्पत्ता का विवेचन । उद्योग प्रधान-आवासी ।

२—ऐतिहासिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य—

भवन निर्माण का विकासक्रम चित्र संग्रह पुरातत्त्व-म्यूजियम, पयटन, हरप्पा माहनजोदडो के प्रसंग में । जीवन की आवश्यकताओं में मकान का स्थान और महत्त्व ।

३—हमारी वर्तमान बालघर योजना—

- १ लक्ष्य भारता का परिवेष्ट ।
- २ वायानुभव की सामूहिक आकांक्षा ।
- ३ बालघर की आवश्यकता ।
- ४ प्रगति और जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव ।

४—विभिन्न देशों के श्रम की आवास निवास व्यवस्था का अध्ययन ।

सामान्य विज्ञान

- १ मिट्टी की रचना, विरुध और शुष्ण—रूपांतर, परिवर्तन ।
- २ मिट्टी और ताप का सम्बन्ध ।
- ३ मिट्टी का विविध प्रयोग और उपयोग ।
- ४ मिट्टी के मकानों का स्ट्रम्पर ।
- ५ स्वास्थ्य, सफाई, सौंदर्य, उपयोगिता, सस्कृति ।
- ६ विविध प्राणियाँ और जीव जन्तुओं, पशु-पक्षियों की आवास निवास व्यवस्था का अध्ययन ।

बाल-संगीत

चित्र—इष्ट वा, मकान वा, छप्पर का मकान के एक भाग वा, चबूतरे वा । ऐस रंगीन और रेखाचित्र बालकों ने कई बनाये हैं । मकान वा यही नाम वा चित्र तो हरेक बालक ने बनाया है उमे रंग भी भरा है ।

सामूहिक धर्म गीत—

शक्ति दा भक्ति दा हम में हे राम
मिलकर करें हम मेहनत का काम

ऐन कई गीत और सामूहिक नृत्य का अभ्यास कराया गया है। गीत के साथ काम में बालक सब कुछ भूल जाते हैं।

बालघर-वर्गपत्रिका

सत्रान्त-ममारोह के अवसर पर बालघर पर एक हस्तलिखित पत्रिका तैयार की गयी। उसमें लेख-निबन्ध रचना, चित्र-पत्रों की प्रतिलिपि, कड़ देसा के मकान के चित्र, और उससे बारीक लेख आदि लिखे गये। अब तक दिये गये और सम्भावित पाठा की एक रूपरेखा इसमें है।

यह मकान शिक्षण की दृष्टि में धर्म-स्वावलम्बन की दृष्टि में महत्त्वपूर्ण तो है ही लेकिन बालका के व्यक्तित्व, सम्मता, संस्कृति, सौन्दर्य सजावट की दृष्टि में भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना कि शिक्षण की दृष्टि में है।

हमारी सम्मता सस्कृति स्थापत्य-कला, निर्माण-कला, और विज्ञान, भवन निर्माण पर भी आधारित है। इन सबके साथ बालको का घनिष्ठ परिचय हुआ है।

यह सही है कि यह मकान अन्त में जब पूरी तौर से बनकर सज जायगा, तब इसमें कई गलतियाँ तकनीकी दृष्टि से रह सकती हैं, पर बालका के लिए यह उनकी अपनी कृति, मृज्जन शक्ति और कल्पना-शक्ति की परिचायक शिष्ट होगी। इसमें उनका गर्व है, हर्ष है और आत्म-शक्ति का अहसास है। यह बालघर बन जाने पर आस पास के छाकसू तहसील के समस्त बालको के लिए दसनीय वस्तु बनेगा। इस घर की नीनो गैलरी में यहाँ के बालका द्वारा बनायी गयी चीजें, खिलौने व उद्योग का सामान, चित्र, चार्ट्स आदि लगाये जायेंगे, जो कि एक स्थायी बाल प्रदर्शनी हो सकगी।

यह बच्चों का अपना घर और उनकी अपनी दुनिया है—सुन्दर, रमणीय और सुखद—उनकी अपनी कृति।



प्रहर शालाएँ

शिक्षा-विभाग द्वारा निरक्षरता दूर करने के अनेक प्रयत्न हा रहे है और 'स्कूल चला अभियान आदि याजनाआ के अन्तर्गत ये प्रयत्न सफल भी हुए है। किन्तु यह पर्याप्त नहीं है। दहाता मे छोटे बाळव-बालिका शालाओं म नहीं जात है। क्यों नहीं जाते ? इसका कारण जानकर उनके गृह-कार्य का समय छोडकर केवल तीन घण्टेवाली शाला-योजना हाल ही में प्रयाग क रूप में ली गयी है। इस महत्त्वपूर्ण अभियान म अपर निर्देशक, शिक्षा विभाग, निर्देशक राजस्थान शिक्षा सस्थान, उदयपुर व अय शिक्षा शास्त्री भरसक प्रयत्न कर रहे है। इनके अलावा ग्रामदान के नेतागण भी योगदान द रहे है ताकि ग्रामदानी गाँवा म प्रहर (३ घण्टे की) शालाओ द्वारा विशेष लाभ उठाया जाय। साहपुरा (उदयपुर) म यह योजना सफल रही है और नीमनाथाना म पिछले वर्ष लागू की गयी है।

प्रहर पाठशाला के दो मुख्य सिद्धान्त

इसकी सफलता असफलता कई दृष्टियो मे आँकी जा सकती है। आरम्भ म उसक असफल होने के लक्षण दिखाइ देते है किन्तु सावधानी व लगन स काय चलाने पर वही योजना सफल हाने लगती है।

प्रहर शालाओ का अस्तित्व दो मुख्य सिद्धान्ता पर निर्भर है—

(१) अध्यापक का त्याग व परिश्रम।

(२) कठार निरीक्षण व नियन्त्रण।

जिस प्रहर शाला म अध्यापक त्याग व मवा की भावना नहीं रखता, वह शाला सफल नहीं हा सकती। अध्यापक उस शाला व उस क्षेत्र का सर्वोसर्वा हाना है। वह भूल जाय कि शाला क अतिरिक्त उसका अन्य कोई लक्ष्य है। वह छोटे छात्रा वो अपना ले, सरक्षवा के हृदयो का जीत ल, ता शाला अवश्य चलने लगगी। उस अवस्था म निरीक्षण की भी आवश्यकता नहीं होगी, केवल वैभणिक मानवर्गन देना हागा। मैंने अनुभव किया है कि ऐम त्यागी अध्यापक गावा म बहुत-सा शालाआ म नहीं है और वह शाया ठीक नहीं चल पा रही है।

दूसरा पहलू कठार निरीक्षण व नियन्त्रण का है। अभी इम बात का दु ख है कि अध्यापक अधिकांश नियन्त्रण स ही काय करने है और कठार निरीक्षण अथवा सर्वेक्षण व आदी है।

प्रहर गाला की वनमान स्थिति के अनुसार अध्यापक तीन घण्टे गात्रा म रहता है व अय तीन घण्टे मरणावा से भेंट करता है । यदि इन घण्टा म वह और बाइ काम म लग जाये अथवा गात्रा म उपस्थित न हो ता मर ता पर बुरा प्रभाव पडता है । यह आवश्यक है कि निरीक्षण बार-बार किया जाय ताकि अध्यापक वा डर रह एव वह नियंत्रण म रहे । यदि अध्यापक प्रहर गात्रा म काय करते हुए दमके विरुद्ध प्रचार करे ता गात्रा कभा नही चल सकता । बहुधा देखने म आया है कि प्रहर गात्रा के स्तम्भ निरीक्षण करनेवाले अथवा अच्छे अध्यापक स्थानान्तरित हा जान हे जिसमे गालाआ के चलने म गिबिलता आ जाती है । जब तक इनम बाई बुराइ नहा दिखाई देती इनको इतना जल्द बदल देना इस योजना क लिए अनुचित होना है ।

प्रहर गालाआ का सुचारु रूप से चलाने के लिए बजट का प्रावधान विशेष तौर पर आवश्यक है । पचायत समिति तां गालाओ वा व्यय भुगत सकती है किन्तु कस्वा के लिए बठिनाइ हानी है । शिक्षा विभाग को चाहिए कि गात्राओ के खलने से पूव ही ममान किराया पर्नीचर घडी स्टेगनरी पाठन सामग्र व अनुय वग-कमचारिया के वेतन आदि के लिए बजट प्रदान कर दे । कस्वे के मेकेण्टरी अथवा हायर सेकेण्डरी स्कूल छात्रनिधि से अधिक काय नही चला सकने अत बजट स्वीकृति जल्द हानी चाहिए

नीमकायाना मे प्रहर गालाएँ

श्री अनिल बाईया अपर निर्देशक की विशेष कृपा से इस क्षेत्र मे यह याजना चलायी गयी । वे स्वय यहाँ आये थे । बाद म श्री बालगविन्द तिवारी को यहाँ भेजा । निरीशक महोदय श्री अहमदअली भी पहुँचे । सबके योगदान से यह योजना चलने लगा । मैने देखा कि कस्वे म प्रहर गात्राएँ खलने के बाद उन्नति कर रही है आर छात्र-मन्या भी अच्छी है । यह गालाएँ प्रधानाध्यापक मेकेण्टरी स्कूल के सर्वेक्षण म चल रही हैं और उनक विशेष प्रयत्न से सफल हो सकी है ।

पचायत समिति क्षेत्र म प्रहर गालाओ की स्थिति सुन्तोपजनक नहा है । ऐसा पात होता है कि अधिकारी वग का निरीक्षण व सर्वेक्षण पूरा नही है । यह क्षेत्र ग्रामतानी क्षेत्र है और यहाँ के ग्रामो म इन गालाओ का चलाया जाना आवश्यक है । शिक्षा विभाग ने १५ पोस्ट अध्यापकों को दिया है जिनका सन्तुस्योग आवश्यक है । विवास अधिकारी उपनिरीशक व प्रधान पचायत समिति को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए । यदि उदासीनता रही ता प्रहर गाला योजना समाप्त हो जायेगी ।

—ओमप्रकाश वर्मा

परीक्षा-रहित प्राथमिक शिक्षा

आई चेगेइद्जे

मे महर्षं यह कहना चाहूंगा कि यह विचार हाल के वर्षों का अत्यन्त प्रभावशाली, विवेकपूर्ण और ध्येष्ट शिक्षाशास्त्रीय विचार है।

पिछले तीन वर्षों में इस सम्बन्ध में प्रयाग चल रहा है। इस समय जाजिया में प्राथमिक स्कूलों के १०६ फार्मों (६ तीसरे और १०० पहले तथा दूसरे फार्म) में परीक्षा रहित शिक्षापद्धति लागू है। तत्कालीन प्रान्त के सभी स्कूलों में यह प्रयोग जारी है। ये स्कूल जागेबान्दनी शिक्षाशास्त्रीय अनुमोदन द्वारा संगठित प्रायोगिक शिक्षा-पद्धति प्रयागशाला के निर्देशन में काम कर रहे हैं।

इस प्रयोग की उत्पत्ति कैसे हुई? इसका उत्तर अत्यन्त सरल हो सकता है। शिक्षाशास्त्रीय विज्ञान विकसित हो रहा है, इसमें नयी प्रेरणाएँ प्रविष्ट हुई हैं और यह विज्ञान समय के साथ-साथ चल रहा है। इस सम्बन्ध में अधिक विस्तार से या कहा जा सकता है। हाल के वर्षों में डाक्टरी एवं मनावैज्ञानिक पर्यवेक्षण द्वारा प्राथमिक शिक्षाप्रणाली में परिवर्तन के लिए विपुल सामग्री एकत्रित हुई है।

उपरोक्त कथाएँ द्रुत गति वायकर्म के अधीन काम कर रही हैं। परन्तु प्रश्न उठता है कि इसका परीक्षा रहित शिक्षा प्रणाली से क्या सम्बन्ध? शिक्षा की गति में सुपरीक्षित विधियों द्वारा वृद्धि की जा सकती है, जैसे एक लाइन वाली कापी, फाउटन पेन आदि का इस्तमाल गुरु करके। संक्षेप में ऐसा समझ लीजिए कि यह एक स्वयं सिद्ध सत्य है कि द्रुत-गति में विकसित हो रहे जीवन, व्यापक सूचना-स्रोतों और इस सूचना को प्रस्तुत करने की आधुनिक विधियों के लागू होने से अत्यन्त उन्नत बच्चे स्कूलों में आ रहे हैं और उनकी माँगें अधिक हैं। इसलिए स्कूलों में भी जीवन की गति में परिवर्तन की आवश्यकता है। परन्तु यह भी आवश्यक है कि बच्चों में ज्ञान वृद्धि के साथ-साथ शिक्षा-प्राप्ति के लिए निःस्वार्थ लगन भी पैदा की जाय।

ज्ञान की इच्छा

वैज्ञानिकों का कहना है कि ज्ञानवर्धन की इच्छा मनुष्य में स्वाभाविक होती है। इस सम्बन्ध में यह तथ्य कैसे स्वीकार किया जाय कि समय के साथ

नवम्बर, '६७]

[१८६]

साथ स्कूल में प्रवेश पाने के बाद बच्चे इस सम्प्रदाय को खा बटते हैं या कम हो जाता है ? इस सम्बन्ध में स्कूलों में प्रगति का परिणाम विशेष प्रकार का है पहला चार बधाया में यह प्रगति सन्तोषजनक रहती है जब सब कुछ मुख्यतः आजापालन और परिश्रम पर निर्भर करता है। पाँचवीं छठी और सातवीं बधाया में उर्जा में कमी आती है जबकि मानसिक परिश्रम का विशेष आवश्यकता पदा होता है और बचकाना आजापालन समाप्त हो जाता है। उस समय तक अन्धी शिक्षा द्वारा नया उत्साह और उपलब्धियाँ की इच्छा विकसित नहीं हुई होती। अन्त में बधाया में पहुँच कर एक बार फिर नयी उठान आती है।

परन्तु क्या यह संभव नहीं कि प्राथमिक वर्षों में ही शिक्षा की प्रणाली इस रूप में संशोधित की जाय कि जहाँ तक हाँ इस सिद्धान्त का दृष्टापूर्वक पालन किया जा सके कि बच्चों में ज्ञानवर्धन का हार्दिक इच्छा जागृत की जाय जो अथ सभी प्रकार के उद्वेगों से मुक्त हो। स्कूल में अध्यापक को अत्यन्त कोमल एवं मृदु स्वभाववालों को संभालना होता है, इसलिए आवश्यक है कि वह डॉटन-डपटन की नीति का परित्याग करे।

परीक्षा में मिलनेवाले अंशों को बच्चे गुरु-गुरु में काँई महत्व नहीं देते (आखिर एक बच्चे के लिए अच्छे या बुरे अंक का या पाँच क्या अर्थ रखता है)। धीरे धीरे अंकों के प्रति उनके मन में एक भय-भाँघ भर कर लेता है और वह उह दूसरे के हाथ की लाठी समझने लगते हैं। यह निस्सन्देह बधाया का प्रतिश्रिया पर निर्भर करता है। अथ एक प्रकार का बहम पदा कर देते हैं।

शिक्षाप्रद निर्देश का सिद्धान्त

मे त्रिलिखी में माध्यमिक स्कूल न० १० में तीसरे फ़ाम की कक्षा में गया। यहाँ की अध्यापिका दोदा मन्ताराइने थी। रोजाना सरल पाठ पढ़ाये जाते हैं। यहाँ मैं यह भी बताना चाहूँगा कि बच्चे पाठपठने में अत्यन्त सुन्दर लिखत हैं और उहें रेखागणित-सम्बन्धी सीधे-भाँघे पाठ और फ़ारमूले समझने में भी कोई कठिनाई नहीं होती। परन्तु इन बधाया की सुदृष्टिपूर्ण विशेषता केवल यही नहीं थी। उदाहरणार्थ अध्यापिका ने बच्चों में कहा कि सम द्विबाहु त्रिभुज की अपने तौर पर परिभाषा बताय। परन्तु त्रिभुज का अनुरूप उत्तर न मिलने पर अध्यापिका ने समद्विबाहु त्रिभुज पर बनावना और बच्चों से कहा कि उस पर विचार करें और ठीक परिभाषा निश्चित करें। इस प्रकार यह पाठ सरल मूजनामक काय के रूप में चलता रहा। विद्यार्थी पूरे समय तक व्यस्त रहे। कुछ लोगों ने इस प्रकार की बधाया में अनुशासन-सम्बन्धी आजाका व्यक्त का है। वहाँ अनुशासन था। परन्तु भय

और उबानेवाली प्रतीक्षा न थी। कभी-कभी अध्यापिका के शब्द पर बच्चे गरमा जात थे परन्तु कुल मिलाकर पूरी स्थिति में बच्चे बड़ा आनन्द उठा रहे थे। अन्त में स्थान पर अध्यापिका की टिप्पणी हाता जिसे हम दूसरे शब्द में जनमत भा कह सकते हैं। क्या यह शिक्षक निदर्शन के सिद्धांत की श्रेष्ठ पूर्ति नहीं है ?

इसी वर्ष उपरोक्त तीसरी कक्षा के बच्चों ने गीतकालीन छुट्टियों के दिनों में काम किया शिक्षाशास्त्रीय अनुसंधान संस्थान की प्रयोगशाला ने अध्यापिका के उच्च प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग में जनतंत्र के स्कूलों की सभी प्रायोगिक कक्षाओं के अध्यापिका के लिए पाठ सफल किये।

हाल के वर्षों में ६ अध्यापकों द्वारा ब्रह्मज्ञानिक कर्मियों ने नये पाठ्यक्रम और कार्यक्रम पाठ्य पुस्तक और शिक्षा-साधना की रूपरेखा तैयार की और इन्हें आजमाया। इस कार्य का परिणाम वे २७० फाम है जहाँ नयी प्रणाली लागू की गयी है। यह सख्या इस कार्य का सफलता का मह बोलता प्रमाण है। इस प्रयोग के पूरे होने में अभी चार वर्ष बाकी है परन्तु प्रणाली के आधार पर शिक्षा देने की पद्धति ने अपना औचित्य सिद्ध कर दिया है।

सामान्य परिस्थितियाँ

प्रायोगिक कक्षाओं में किसी भी कक्षा के लिए असामान्य परिस्थितियाँ की रचना नहीं की गयी। ये साधारण कक्षाएँ हैं जो अक्सर जिया अफरिया, वाराणसी प्रांत काज्वेव में तथा त्रिलिसो में चल रही है और तेलाब्दा प्रांत में इस प्रकार की ४० कक्षाएँ हैं। जहाँ कक्षाओं का बड़ा हानि के कारण बाटा जा सकता था वहाँ भी ऐसा नहीं किया गया। इसका उद्देश्य यह है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी इस प्रणाली की जाय की जा सके। इसके परिणाम हर्षोत्साहक हैं। उदाहरणार्थ मुस्ली के एक स्कूल में यह प्रयोग उस कक्षा में किया जा रहा है जिसकी प्रगति बहुत धीमी चल रही थी। इस प्रयोग के पूर्ण किये जाने के एक वर्ष बाद इस कक्षा की तुलना एक उत्तम समझी जानेवाली कक्षा में की गयी। यह तथ्य हमारे लिए बड़ा हृषजनक था कि इस तुलना का परिणाम प्रायोगिक कक्षा के पक्ष में रहा।

मध्य में यह कहा जा सकता है कि अनुसंधान चल रहा है। अनुसंधान परिणामों से भरा हुआ कार्यक्रम का ढेर बनता जा रहा है। संस्थान की प्रयोगशाला में अधिक जग दिवायी देने योग्य है। अध्यापक बहुधा यहाँ सलाह देने या प्रयोग के लिए अपनी मनाएँ प्रस्तुत करने आते रहते हैं। ●

बालवाड़ी की बाल-शिक्षिका

श्री जुगताराम दवे

पूर्व-बुनियादा बालवाडा की बाल शिक्षिका कौन बन सकती है ?

हर एक ऐसी बहन जिसने दिल में बच्चों के लिए प्रेम उमड़ा पड़ा हो, बाल शिक्षिका बनने के लायक है।

इस उमड़ने प्रेम की निगानी क्या ? उमड़ने प्रेम की एक निगानी तो यह है कि बालक के साथ रहने उसका बात सुनने और उसके साथ सब कामों में सम्मिलित होने के लिए जितना धीरज जरूरी है उतना भरपूर हो।

उमड़ते प्रेम की दूसरी निगानी यह है कि वह अपने राज रोज के काम-काज में दो-तीन घंटों का समय बालको के लिए निकालने को तैयार हो इसके लिए अपनी घर-गृहस्थी के कामों का आवश्यकतानुसार समेट लेने की उसकी तैयारी हो।

उमड़ने प्रेम की तीसरी निगानी यह है कि बाल-मेवा का काम करने के बदले में वेतन लेने का विचार उसे स्वप्न में भी न आये उसे बाल-मेवा की आंतरिक लगन लगी हो उसका बदले में वेतन लेना उसे हलका मालूम होता हो वेतन की बात पूछने पर उसे अपमान-सा लगता हो अपनी आमा के सन्तोष को ही जो अपना वेतन समझनी हो बालवाड़ी में बालको को आनन्दपूर्वक खिलने देखना ही जिसका वेतन हो।

उत्तम बाल शिक्षिका कौन बनेगी ?

कोई भी चतुर और समझदार माता जो अपने बालका का लालन-पालन प्रेमपूर्वक और व्यवस्थित रीति से करना जानती है साथ ही जिसका बालप्रम अपने बालको तक ही सीमित नहीं रह सकता है बल्कि सब बातों पर ध्यान जाता है वह उत्तम बाल शिक्षिका बन सकती है। हर बस्ती में हर मुहल्ले टाले में इस प्रकार की उमड़ावाली माताएँ होती ही हैं। उनके हाथ हर मुहल्ले और हर ठोले में बालवाड़ियाँ चलनी चाहिए।

चूंकि आज इस प्रकार की बहनें सामने आती दिखायी नहीं पड़ती इसलिए हम यह नहीं समझना चाहिए कि बिना बाल प्रेम रखनेवाली बहनें ही ही नहीं हैं। कारण इसका यही है कि बालवाड़ियाँ बलात्कर अपना बाल प्रम प्रकट करने का रास्ता अभी खोज नहीं हैं। जब बच्चे उल्हाही बहनें इस रास्ते चलने

लगेगी, तो हर मुहल्ले-टोले में दबी-छिपी बाल-सेविकाएँ प्रकट होने लगेगी और समूचे देश में बालवाडियों की बाढ़-सी आ जायगी ।

इस नये रास्ते को खोलने की अपेक्षा हम वहाँ की शिक्षा-संस्थाओं से रख सकते हैं । छोटी उमर की कन्याओं की कन्याशालाएँ हो, माध्यमिक शिक्षा के कन्या विद्यालय हो अथवा उच्च शिक्षा के कन्या विद्यालय हो, सहज ही सब कहीं विद्यार्थिनियों को बाल-भगोपन और बाल-शिक्षा के पाठ पढ़ाना उनके पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग होता है । नयी तालीम तो इस पर विशेष रूप से जोर देती है ।

अगर इस तरह की हर एक मस्या अपने आस-पास के मुहल्लो-टोलो में एक या एक से अधिक बालवाडियाँ चलाये, तो मुहल्ले-टोले के बालको को बालवाडी का लाभ मिल जाय और मस्या की विद्यार्थिनियों को बालशिक्षा के काम का प्रत्यक्ष दर्शन और अनुभव प्राप्त हो जाय ।

आश्रमो, सर्वोदय मण्डलां, खादी-कार्यालयों आदि रचनात्मक संस्थाओं में भी हम यह अपेक्षा रख सकते हैं कि उनकी कार्यकर्ता वहाँ अपने नित्य के कर्तव्यों का पालन करने के अलावा मुहल्लो-टोलों में बालवाडियाँ भी चलायें । यदि वे ऐसा करेंगी तो बालको को बालवाडियों का लाभ मिलेगा और संस्थाओं को दो लोगों के साथ अपना सम्पर्क बढ़ाने का एक जीता-जागता साधन मिल जायगा ।

चूँकि यह स्वाभाविक है कि बालवाडियों का काम ज्यादातर वहाँ चलायें, इसलिए हमने बाल-निक्षिकाओं की ही चर्चा की है । लेकिन हम यह अपेक्षा रखते हैं कि बाल-सेवा का शौक रखनेवाले लोग भाइयों में भी बड़ी संख्या में निकलेंगे । अनएव रचनात्मक संस्थाओं में से उनके कुछ पुरख कार्यकर्ता भी इस काम में योग दे सकते हैं ।

औरो से हमारी अपेक्षाएँ

रचनात्मक संस्थाओं में अपेक्षा रखना तो स्वाभाविक ही है, लेकिन सरकारों के अनेकानेक विभागों में काम करनेवाले लाखों सेवक सारे देश में सार्वजनिक काम कर रहे हैं । इनमें दिन पर दिन सेविकाओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है । ऐसी सेविकाओं के साथ ही सेवा में भी यह अपेक्षा तो रखने ही है कि उनमें से बहूतेरे अपने कर्तव्यों को निवाहने के अलावा अपनी-अपनी आत्मा के आनन्द के लिए, अपने बाल-प्रेम को मनुष्य करने के लिए मुहल्लो-टोलों में जगह-जगह बालवाडियाँ चलायें । हम यह अपेक्षा रख सकते हैं कि कलेक्टर बाना कलेक्टरों को उतारकर, न्यायाधीश न्याय का 'वलोक' उतारकर और मजिस्ट्रेट, '६७]

मेनापति अपनी पोजी बर्दा उतारकर रोज सुबह-शाम दो घण्टो के लिए मुहल्लो में पहुँचें और अपने शोक की खानिर बालवाडियाँ चलायें। इसने न केवल बालवा को उच्चकोटि के शिक्षक मिलेंगे, बल्कि अधिकारियों के सर्वजनिक कामों पर भी इसका अतिशय शुभ प्रभाव पड़ बिना नहीं रहेगा।

जब समाज के अगुआ लोग रास्ता खोल देंगे, तो साधारण स्त्रियाँ भी उतनी ही सहजता से बालवाडियाँ चलाने लग जायेंगी, जितनी सहजता से आज समाज की गृहिणियाँ अपने घर की रमोई बनाती हैं।

आज ना सारा समाज बहुत बेदगा-मा बन गया है। यही कारण है कि मानाआ को अपनी अन्त स्फूर्ति में बालवाडी चलाने की कोई इच्छा हाती देखनी नहीं है। कमी-नदाम वही किसी धनवान् या विद्वान् या नेता के मन में यह इच्छा अवश्य जागती है कि अपने गाँव या नगर में बालवाडी खोली जाय। यहाँ भी विचार खुद चलाने का नहीं, बल्कि चलवाने का है। चूँकि आज की दुनिया में सभी काम तनख्वाहदार नौकरों से कराने की एक रीति-सी चल पडी है, इसलिए वे भी बाल शिक्षिकाओं और बाल शिक्षका की खोज में निकल पडने हैं और फिर लम्बी उसासे ले-जेवर इस बान का अमन्तोप प्रकट करण पाये जाते हैं कि समाज में वही ऐसी सुयाम्य शिक्षिकाएँ नहीं मिलती, जिनके दिल में बच्चा के लिए प्रेम उमडा पडता हो।

कहीं-कहीं सरकारी या गैर-सरकारी सस्थाएँ कायम होती हैं। ये सस्थाएँ भी बाल बालवाडियाँ खोलने की योजनाएँ बनाती हैं। फिर वे सरकार से बार दूसरे साधना में इनके लिए धन इकट्ठा करती हैं और अन्त में बाल शिक्षिकाओं के लिए पत्र-पत्रिकाओं में विज्ञापन छपवाती हैं। हम इसमें भी हमेशा इसी आशय के निराशासूचक उद्गार सुनने का मिलने है कि साहब, क्या करें, न तो पर्याप्त मख्या में शिक्षिकाएँ मिलती हैं और न अच्छी शिक्षिकाएँ ही मिल पाती हैं। नौकरी की तलाश में घूमनेवाली कुछ बहनें इनके विज्ञापन पडवर खिच आना हैं। फिर ये सस्थाएँ उन्हें प्रतिभित करने के लिए प्रशिक्षण-केन्द्र चलाती हैं।

भला सोचिये, इस तरोजे से वह स्थिति कैने खडी हो सकती है, जिसके कारण हर मुहल्ले-टोले में बालवाडियाँ फँस जायें और वे सब उन बहना द्वारा खलें, जिनके दिलों में बच्चा के लिए प्रेम उमडा पडता है? यह स्थिति ता नभी खडी की जा सकती है, जब, जैसा कि हम ऊपर मुफ्त चुके हैं, बाल प्रेमी बहनें आर मेविकाएँ स्वयं ही मेवा भाव से बालवाडियाँ चलाने का रास्ता खोल और उनके काम को देखकर घरों में रहनेवाली माताएँ भी अपने आन्तरिक बाल प्रेम से प्रेरित होकर मुहल्ले-मुहल्ले में बालवाडियाँ चलाने लग जायें। ●

सम्पादन मण्डल

श्री धीरेन्द्र मजूमदार—प्रधान सम्पादक

श्री वंशीधर श्रीवास्तव

श्री राममूर्ति

अनुक्रम

पडास, पडोसी और पडास-स्कूल	१४५	श्री राममूर्ति
आज का अमरीकी शिक्षण	१४८	श्री के० एस० वाचार्ल्ट
प्राकृतिक वातावरण और समवाय	१५१	श्री वंशीधर श्रीवास्तव
पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में पठन पाठन	१५५	श्री ब्रजभूषण शर्मा
अकगणित-शिक्षण में द्रुत मौखिक प्रश्न	१६०	श्री आदित्यनारायण तिवारी
भारतीय शिक्षादर्शन और आधुनिक शिक्षा	१६६	डा० त्रिभुवन भा
खल	१७०	श्री आलोक प्रभाकर
शिक्षा को व्यवसाय से जाडना होगा	१७५	डा० बी० एन० गागुली
वालधर	१७७	श्री सुशीलकुमार
प्रहरशालाएँ	१८४	श्री आमप्रकाश वर्मा
परीक्षा-रहित प्राथमिक शिक्षा	१८६	श्री आई चेखेइद्जे
बालवाडी की बाल-शिक्षिका	१८६	श्री जुगतराम दवे

नवम्बर, '६७

निवेदन

- 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से आरम्भ हुना है ।
- 'नयी तालीम' का वापिस चडा छ रगये है और एक अर ने ६० पैस ।
- पत्र-व्यवहार करने समय आहूव अपनी आहूव-गम्या का उल्लेख अवश्य करें ।
- रचनाओं में व्यक्त विचारा की पूरी जिम्मेदारी लेखक की हुानी है ।

नवम्बर, '६७]

[१६२

नयी तालीम : नवम्बर '६७

पहले से डाक व्यय दिये बिना भेजने की अनुमति प्राप्त

नाइसेंस न० ४६

रजि स० एल. १७२३

भूदानयज्ञ

(साप्ताहिक)

गांधी-निर्वाण-दिवस

३० जनवरी '६८ के अवसर पर विशेषांक

'सत्याग्रह'

उपवास से उपद्रव • प्रतिकार से सहकार
'सत्य' और 'आग्रह' के बदलते स्वरूप
पठनीय । मननीय ॥ सग्रहणीय ॥



सम्पादन

आचार्य राममूर्ति

वार्षिक शुल्क १०/०० पर प्रति २० पैस

विशेषांक

पृष्ठ संख्या ६४ • मूल्य १०० मात्र

सर्व सेवा संघ प्रकाशन

परिचाल विभाग

राजघाट, वाराणसी

हिन्दी भी और हिन्द भी

हिन्दी चाहिए भरपूर चाहिए लेकिन हिन्द भी चाहिए। अगर हिन्द ही न रहे तो हिंदी ही क्या कुछ भी नहीं चाहिए।

यही बात मैंने अपने एक मित्र से कही तो जोर से बोल उठे तो क्या आप चाहते हैं कि देश के दो फीसदी लोगो की बात चले ? अंग्रेजी पढे लिखे हैं कितने ? मैंने कहा प्रश्न दो फीसदी और ८ फीसदी का नहीं है। प्रश्न यह है कि अगर देश के कुछ राज्य अभी हिन्दी को वही स्थान देने को तैयार नहीं हैं जो हम देना और दिलाना चाहते हैं तो हम उनसे वहे क्या ? क्या यह कहे कि वे देश छोड़कर चले जायें ? और अगर वे न छोडे तो सेना भेजकर उन्हें गोली से उडा दिया जाय, या समुद्र मे डाल दिया जाय ? आखिर, मातृभाषा और मातृभूमि का मेल तो रहना चाहिए ?'

वर्ष : १६

अंक : ५

आज देश के सामने सबसे बडा सवाल है कि उसकी एकता को कायम रखते हुए सबालो को कैसे हल किया जाय। बडा देश है, विविध देश है, और कई कारणों से, जिनमे दलबन्दी की राजनीति मुख्य है आपसी विश्वास और भाई चारे की कमी हो गयी है, इसलिए जो भी काम किया जाय, बहुत समझ बूझकर किया जाय। किस किस बात को रोककर किसे

कैसे हम देश द्रोही कहते रहेंगे ? क्या एक दूसरे को देश द्रोही कहने से देश प्रेम बचेगा, बढ़ेगा ? यह रास्ता अपने घर में अपने चिराग से भाग लगाने का है। और, आज देश में वही हो रहा है। जो भी सवाल रामने आ रहे हैं उनका निवटारा सबक पर लाठी-डंडे से ही करने की कोशिश की जा रही है। तो फिर इतना खर्च करके हम असेम्बली और पार्लियामेंट के लिए प्रतिनिधि क्यों चुनते हैं ?

क्या हम नहीं देख रहे हैं कि हम हिन्दी का जितना ही उग्र समर्थन और अंग्रेजी का विरोध कर रहे हैं, कुछ अहिन्दी क्षेत्रों में उतना ही उग्र हिन्दी का विरोध और अंग्रेजी का समर्थन हो रहा है ? भारत के एक राज्य नागालैण्ड ने तो अंग्रेजी को अपनी राज्य भाषा ही घोषित कर दिया है। नागा लोगो से भारत के सम्यन्व अच्छे नहीं हैं। उनका चीन और पाकिस्तान से आना-जाना हो रहा है। भारत सरकार से भी चर्चा चल रही है। ऐसी हालत में क्या हम उनसे कहे कि हिन्दी को मान लो तब हमसे बातें करो ? यही हाल मद्रास की सरकार का है। वह राजभाषा के रूप में हिन्दी की बात ही नहीं सुनना चाहती। ऐसी हालत में क्या इस सवाल को लेकर हम देश के टुकड़े होने दें ?

साफ बात है कि हिन्द की सातिर हिन्दी प्रेमियों को अंग्रेजी के विरोध का आन्दोलन बन्द कर देना चाहिए। यों ही हिन्दी के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र खुला पड़ा है। हिन्दी का विकास हो, हर काम में उसका व्यवहार हो। वह लोक-जीवन के बरीब आये और जनता की आशाओं और आवाशाओं का वाहन बने, यह कोशिश होनी चाहिए। विरोध नहीं, अविरोध के रास्ते पर हिन्दी का भविष्य है। और उसी रास्ते पर आगे हिन्द का भी भविष्य है।

अंग्रेजी का विरोध खत्म होगा तो अहिन्दी क्षेत्रों में हिन्दी का विरोध मिटेगा और वे अपनी क्षेत्रीय भाषाओं की ओर मुड़ेगे। देशी भाषाएँ ऊपर आयेंगी तो विदेशी भाषा देश के जन-जीवन से जायगी। वह समय होगा कि बोलचाल की हिन्दी, यानी हिन्दुस्तानी, जो बरोडों की भाषा है, अपने आप देश भर में फैल जायगी और जब कई राज्यों के लोग इकट्ठा होंगे तो वे इसी भाषा में बोलेंगे क्योंकि इसे कुछ न कुछ सब समझते होंगे।

हिन्दी से हिन्द की तभी सेवा होगी जब यह प्रेम और भाई-चारे की भाषा होगी। जब उसके लिए नारा और डंडा की जरूरत नहीं होगी, और न वह कानून की शक्ति की मुहताज रहेगी।

—राममूर्ति

विद्यालयी शिक्षा और उसके प्रसार की समस्याएँ

भुवनेशचन्द्र गुप्त,

शिक्षा-आयोग (कोठारी आयोग) की स्तुति के अनुसार विद्यालय की शिक्षा को पूर्ण विश्वविद्यालय शिक्षा की एक प्रथमिक इकाई के रूप में माना जा सकता है। अब तक अनेक शिक्षाविदों ने छात्रों की अवस्था एवं उनके विकास स्तर के आधार पर शिक्षा का तीन भिन्न भिन्न स्तरों में विभाजित किया है। आयोग ने भी इन इसी रूप में बच्चे की दान्यावस्था, वचन और किशोरावस्था के आधार पर स्वीकार कर लिया है—पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, और माध्यमिक शिक्षा।

आयोग ने इस का उदाहरण देकर यह बताया है कि वहाँ विद्यालय शिक्षा के सिद्धांतों के अन्तर्गत समस्त की पाठ्यवस्तु का गठन किया जाता है, चाहे वह पूर्व प्राथमिक हो, या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा ही क्यों न हो।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा का विस्तार

स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व प्राथमिक शिक्षा नाममात्र की थी। इसकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। सर्वप्रथम सन् १९४४ ई० में 'केन्द्रीय-शिक्षा सलाहकार बोर्ड' ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा को 'राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली' का अंग बनाने की सन्तुष्टि की। स्वतंत्र भारत में भी कुछ समय तक इसकी विशेष उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई। सन् १९५० ई० में भारत में कुल ३०३ पूर्व-प्राथमिक विद्यालय थे, जिनमें २८,००० छात्र अध्ययन कर रहे थे तथा १६६ अध्यापकों के निर्देशन में यह कार्य सम्पन्न होता था। सन् १९६५-६६ ई० में इनकी संख्या क्रमशः ३,५०० और २,५०,००० हो गयी। इन विद्यालयों में ६,५०० अध्यापक कार्य करते हैं। इससे अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में भी केन्द्रीय समाज-कल्याण और विकास सचिवालयों ने उल्लेखनीय वृद्धि की है। ग्रामीण क्षेत्रों में २०,००० बालवाडियाँ पूर्व प्राथमिक शिक्षा के कार्य को निरन्तर कर रही हैं और इनमें ६,००,००० छात्र उपस्थित होते हैं।

उपरोक्त आंकड़ों से यह ता पता चलता है कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात् यद्यपि पूर्व प्राथमिक शिक्षा का विस्तार तो अवश्य हुआ, परन्तु आंकड़ों का अध्ययन करने पर निराशा ही हाथ लगती प्रतीत होती है। जिस देश की जनसंख्या लगभग ५० करोड़ के आस-पास है उसमें केवल ८ लाख बच्चों के लिए ही पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था हो सकी है, (और हमें यह भूलना नहीं चाहिए, ये बच्चे लगभग सभी सम्पन्न घरों के ही हैं) जब कि इस

(३) पूर्व प्राथमिक शिक्षा में विशेषकर प्रसार की दृष्टि से उसे कम खर्चीली बनाने के लिए प्रयोगात्मक-पद्धति को प्रोत्साहन मिलना चाहिए । इसके स्थापन के रूप में दालबीडा-केन्द्रों को पूर्व प्राथमिक विद्यालयों से अधिक से अधिक सम्बन्धित कर देना चाहिए ।

(४) पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने, उसके लिए शोध एवं अनुसंधान के आधार पर साहित्य तैयार करने, निरीक्षण एवं निर्देशन करने और निजी सस्थाओं को उदार आर्थिक सहायता देने और आदर्श पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करने के लिए राज्य को चाहिए कि वह राज्य तथा जिला स्तर पर खेल-केन्द्रों की स्थापना करे ।

(५) पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों के कार्यक्रम लचीले होने चाहिए और उनमें विभिन्न प्रकार के शारीरिक खेल, शारीरिक श्रम-साध्य कार्य एवं सीखने की क्रियाओं पर आधारित ज्ञानेन्द्रिय शिक्षा से पूर्ण वाय होने चाहिए ।

प्राथमिक शिक्षा का विस्तार

१९४७ से पूर्व प्राथमिक शिक्षा की प्रगति सतोपजनक नहीं थी । प्रथम योजना में इस ओर ध्यान दिया गया । स्वतंत्र भारत में प्राथमिक शिक्षा का रूप 'बुनियादी' माना गया था और बुनियादी शिक्षा पद्धति प्रारम्भिक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति स्वीकार कर ली गयी थी । सन् १९५५ ई० में 'बुनियादी शिक्षा असेसमेण्ट कमेटी' की नियुक्ति हुई थी । उसकी मस्तुति के आधार पर गैर बुनियादी विद्यालयों को बुनियादी विद्यालयों में परिवर्तित किया जाने लगा । सन् १९५६ ई० में बुनियादी शिक्षा का एक राष्ट्रीय इन्स्टीट्यूट खोला गया । यह इन्स्टीट्यूट बुनियादी शिक्षा के शिक्षकों एवं प्रशासकों को महत्वपूर्ण निर्देश देने का कार्य करता रहा । प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में भारत सरकार ने सर्व प्रथम सन् १८५८ ई० में सरकार का उचित परामर्श देने के लिए 'अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा समिति' की स्थापना हुई । सन् १९५७-५९ में देश में बुनियादी विद्यालयों की संख्या लगभग ५९,८४८ तथा इनके छात्रों की संख्या लगभग ५८,८७,०४८ थी । प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या १७ प्रतिशत और छात्रों की संख्या २५ प्रतिशत बढ़ी । भारत में सविधान लागू होने ही सविधान के निर्देशानुसार १० वर्ष की अवधि में १४ वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का आदेश लागू हो गया, जिससे भारत में प्राथमिक शिक्षा के विस्तार तथा मुधार की चेष्टाएँ प्रारम्भ हुईं और प्राथमिक शिक्षा का विस्तार द्रुत गति से होने लगा । सन् १९४७ ई० में भारत के प्रमुख प्रान्तों में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या १,३४,९६६ थी, जिनमें १,००,४७,३१७ छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे थे । प्रथम

१ एजुकेशनल फाइनान्स इन इण्डिया : आत्मानन्द मिश्रा ।

पंचवर्षीय योजना के अंत में भारत के प्राथमिक विद्यालया की संख्या २,७८,१३५ हो गयी तथा छात्रों की संख्या २,२९,१९७३४ हो गयी। द्वितीय योजना में शिक्षा के लिए तीन अरब सात करोड़ रुपये की धनराशि रखी गई थी जब कि प्रथम योजना में एक अरब उनहत्तर करोड़ रुपये की धनराशि रखी गई थी। किंतु प्रथम योजना में इस राशि में से प्राथमिक शिक्षा के लिए ९३ करोड़ रुपये व्यय किये गये वहीं द्वितीय योजना में यह राशि केवल ८९ करोड़ रुपये ही रह गयी। द्वितीय योजना में भी प्राथमिक विद्यालया के विस्तार की गति चलती रही। सन् १९६०-६१ ई० में इनकी संख्या क्रमशः ३४२,००० तथा ३४३४०० हो गयी। तृतीय योजना में आगा की जाती था कि ६ से ११ वर्ष की आयु के लगभग १० प्रतिशत बालक एक इसी आयु की लगभग ६२ प्रतिशत बालिकाएँ गालाओं में अध्ययन करेंगे। इस प्रकार इस आयु वर्ग के बालकों का प्रतिशत कुछ मिलाकर ७६ प्रतिशत होता। इतना होते हुए भी विधान के अनुसार शिक्षा-सम्बन्धी निर्देश को पूरा करने में देश बहुत पिछड़ गया। परन्तु उपरोक्त विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि देश में प्राथमिक-शिक्षा विकासोन्मुख अवस्था रही है। अतः प्राथमिक शिक्षा के प्रसार की समस्या के उन्मूलन के हेतु राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने निम्नांकित सस्तुतियाँ की हैं—

१ सविधान में १४ वर्ष तक की आयुवाले सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का विधान है जिसे निम्नांकित कार्यक्रम के आधार पर समस्त देश में पूरा करना चाहिए—

(क) सन् १९७५-७६ ई० तक सभी छात्रों को प्रभावपूर्ण एवं उत्तम पंचवर्षीय शिक्षण की व्यवस्था प्रदान करनी चाहिए।

(ख) सन् १९८५-८६ ई० तक ऐसा सप्तवर्षीय शिक्षण दिया जावे। इस प्रकार १९८५-८६ तक सविधान द्वारा प्रतिपादित लक्ष्य को अवश्य प्राप्त किया जाय।

(ग) अपाय एवं अवरोधन को रोकने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसमें उद्देश्य यह होना चाहिए कि कक्षा १ में प्रवेश लेनेवाले बालकों में से ८० प्रतिशत भाग ७ में वर्ष की अवधि में कक्षा ७ में पहुँच जाय।

(घ) जो बालक कक्षा ७ की समाप्ति पर भी चौदह वर्ष के नहीं होते हैं और सामान्य शिक्षा को जतने चलाने के पक्ष में नहीं हैं उन्हें इस १४ वर्ष पूरे होने की अवधि तक उनकी रुचि के अनुसार प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था कर देनी चाहिए।

(ङ) प्रत्येक राज्य एवं जिले को अपने-अपने क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा के विकास के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार

१ एजुकेशनल पाश्चात्तम इन इण्डिया आरामानन्द मिश्रा।

योजनाएँ बनानी चाहिए। इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि उनकी प्रगति अर्थ के अभाव में रुक न जाय।

२ विद्यालय शिक्षा की सामान्य सुविधाएँ—प्राथमिक शिक्षा के प्रसार का कार्य ऐसा योजनाबद्ध होना चाहिए कि निम्न प्राथमिक स्तर का कोई भी विद्यालय बालक के घर से एक मील से अधिक दूर न रहे और उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय एक से तीन मील तक के घेरे में बच्चे को मिल जाय।

३ सामान्य नामांकन—निम्नांकित तथ्यों के आधार पर एक सामान्य नामांकन कार्यक्रम साथ ही साथ सगठित करना चाहिए—

(१) कक्षा १ की वर्तमान असमानता को घटाना चाहिए और पहली कक्षा में ५ से ६ वर्ष तक के बच्चे ही लिए जाने चाहिए।

(२) विद्यालय में पूर्व नामांकन (पंजीकरण) विधि को अपनाया जाए।

(३) निम्न प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक स्तर तक स्थानान्तरित होनेवाले छात्रों की प्रगति की गति (जो कि अभी लगभग ८० प्रतिशत है) पञ्चवर्षीय योजना की पंचम योजना के अन्त तक १०० प्रतिशत तक पहुँच जानी चाहिए।

४ सामान्य अवरोधन—आगे आनेवाले दशक में जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम पूर्ण करना है, वह है प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक शिक्षा में सुधार और अपव्यय तथा अवरोधन को अधिक से अधिक घटाना। यह अपव्यय एवं अवरोधन सन् १९७६ तक लगभग अधिकांश घटाना एवं १९८६ तक सम्पूर्ण रूप से समाप्त कर देने का लक्ष्य होना चाहिए।

(१) कक्षा १ में अपव्यय और अवरोधन अत्यधिक होता है, अतः उसे इस स्तर पर घटाना ही हमारा प्रमुख कार्य होना चाहिए। इस कार्य के लिए जो भी विभिन्न कार्य अपनाये जायें, उनमें निम्नांकित तीन बातें बड़े ही महत्व की हैं—

(अ) कक्षा १ और २ (और जहाँ भी सम्भव हो, कक्षा १ से ४ तक) को एक समन्वित इकाई मानना चाहिए।

(ब) पूर्व विद्यालय शिक्षा के लिए एक वर्ष का शिक्षण लागू करना चाहिए। और

(म) कक्षा १ में खेल द्वारा शिक्षा की तकनीकें अपनायी जानी चाहिए।

(२) अन्य कक्षाओं में अपव्यय और अवरोधन विभिन्न प्रकार की पार्ट-टाइम शिक्षा, राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय-सुधार कार्यक्रम एवं माता-पिता तथा अभिभावक की शिक्षा के गुणात्मक कार्यक्रमों से घटाया जा सकता है।

(३) ११ से १४ वर्ष तक की अवस्थावाले वे बच्चे जिन्होंने प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त नहीं की है एवं जिन्होंने प्राथमिक शाला में प्रवेश नहीं

लिया है, जो व्यावहारिक दृष्टि से शिक्षित है, उन्हें साक्षरता प्रदान करनेवाली कक्षाओं में कम से कम एक वर्ष अवश्य लाना चाहिए। इस प्रकार की वक्षाएँ प्राथमिक शालाओं में ही छात्रों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर, लचीलापन लिए हुए गठित की जानी चाहिए। सर्व प्रथम उसमें आने का आधार स्वेच्छा ही लेकिन जब वे इस धारणा से परिचित हो जायें तो स्थानीय समाज पर अनिवार्यता का नियम अवश्य लगा देना चाहिए।

(४) निम्न प्राइमरी स्तर को पूर्ण कर लेने के पश्चात् उन छात्रों के लिए जो आगे भी अध्ययन करना चाहते हैं, पाठ-टाइम शिक्षा देने की व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए। उसका पाठ्यक्रम सामान्य शैक्षिक मानों के आधार पर हो या स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप कोई बड़ा व्यवसाय होना चाहिए।

प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा—सविधान द्वारा प्रतिपादित लक्ष्य की प्राप्ति के हेतु बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाय और उसे 'नेशनल कमेटी आन वुमन्स एज्युकेशन' की सस्तुति के आधार पर पढाया जाय।

६ गुणात्मक विकास—प्राथमिक स्तर पर प्रसार की सुविधाओं और सामान्य नामांकन तथा अवरोध आदि को उसके गुणात्मक पक्ष में सम्बन्धित किया जाना चाहिए। अतः विस्तार के हेतु गुणात्मक अंग की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।

माध्यमिक शिक्षा-प्रसार

माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में आयोग की नीति में प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से ही बड़ा अन्तर है। आयोग का विचार है कि आनेवाले कुछ वर्षों में घनाभाव के कारण राज्यों द्वारा जन साधारण के लिए उपलब्ध करना सम्भव नहीं हो सकेगा। इसलिए इसके विस्तार के लिए निम्नांकित सिद्धान्तों एवं उपायों के आधार पर कार्य किया जाना चाहिए —

१ आगामी २० वर्षों में माध्यमिक शिक्षा का नियमित ढंग से प्रसार निम्नांकित प्रकार से होना चाहिए —

(१) माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति एवं स्थान का चुनाव योजनापूर्वक किया जाय।

(२) प्राप्त सुविधाओं के आधार पर प्रवेश दिया जाय एवं पढाई का उचित स्तर अन्त तक धनाये रखा जाय।

(३) उत्तम छात्रों का चयन किया जाय।

२ माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए जिला स्तर पर प्रत्येक जिले की एक इकाई बनायी जाय जिसे एक दशक में पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। समस्त नयी सस्थाओं की आवश्यक स्तर या मान को सतापजनक ढंग से पूर्ण करना चाहिए
दिसम्बर, '६७]

और पूर्व स्थापित शिक्षण मस्याओं को आने शिक्षण का अर्धित स्तर निर्माण करना चाहिए ।

३ माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश के लिए आम-चुनाव के आधार पर निम्न माध्यमिक स्तर से चयन कर लेना चाहिए तथा बाह्य-परीक्षा विद्यालय-अभिलेख आदि का उच्च माध्यमिक स्तर पर आधार अवश्य बनाना चाहिए ।

४. माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या को प्रसिद्धि अध्यापकों की आवश्यकतानुसार निश्चित किया जाना चाहिए ।

५ माध्यमिक विद्यालय एवं व्यावसायिक शिक्षा—इस दृष्टिकोण से माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक बनाना चाहिए, जिसमें निम्न माध्यमिक स्तर पर २० प्रतिशत और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर ५० प्रतिशत छात्र व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर सकें ।

६ माध्यमिक शिक्षा में अवसरा की समानता पर बड़ा बल दिया गया है । इसके लिए इस स्तर पर अधिक से अधिक छात्रवृत्तियां प्रदान करने की व्यवस्था करनी चाहिए ।

७ माध्यमिक शिक्षा के विस्तार में जो अडचनें हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए ।

८ बालिकाओं, अछूत एवं जनजातियां (आदिवासियों) आदि में शिक्षा प्रसार के कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए ।

९ प्रतिभा के विकास के लिए सही रूप में और सही दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए ।

१० निम्न तथा उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर पूर्ण तथा अशकालीन व्यावसायिक-शिक्षा के लिए सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए ।

११ केन्द्रीय सरकार को विदेश अनुदान राज्य सरकारों का देने की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि वे माध्यमिक विद्यालयों को व्यावसायिक बनाने में उचित सहायता दे सकें ।

१२ माध्यमिक शिक्षा स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा

(१) बालिकाओं की शिक्षा के प्रसार के लिए अगले बीस वर्षों में ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाये जायें कि जिससे बालिकाओं और बालकों का संख्यात्मक अनुपात १ : २ तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर १ : ३ हो जाय ।

(२) माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं के लिए पृथक विद्यालय की स्थापना पर बल दिया जाना चाहिए । उन विद्यालयों में बालिकाओं के रहने के लिए छात्रावास की सुविधा होनी चाहिए । इसके अतिरिक्त बालिकाओं के लिए छात्रवृत्तियाँ एवं अशकालीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम की सुविधाएँ भी दी जानी चाहिए ।

१३ विद्यालय की स्थिति के लिए योजना

(१) नवीन माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु एक राष्ट्रीय नीति का अनुसरण करना चाहिए जिससे कि अपव्यय और दोहरान से यथासम्भव बचा जा सके । शैक्षिक सस्याबा के निर्माण के लिए द्वितीय शैक्षिक सर्वे का उपयोग उचित एवं सावधानीपूर्वक स्थान के चुनाव के आयोजन के लिए अवश्य करना चाहिए ।

(२) बड़े और उत्तम विद्यालय बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए । लोना में ऐसी धारणा के निर्माण का प्रयास करना चाहिए कि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के बालक एवं बालिकाओं के मिथिन विद्यालय चलें । ग्रामों को विद्यालय की आर्थिक स्थिति संभालने के लिए तत्पर होना चाहिए ।

(३) माध्यमिक शिक्षा स्तर पर छोटी और अनाधिक सस्याओं की स्थापना नहीं करनी चाहिए और जो भी अनाधिक विद्यालय चल रहे हों उन्हें भी आर्थिक दृष्टि से ठीक रूप दिया जाना चाहिए ।

(४) व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना व्यावसायिक या औद्योगिक केंद्रों के समीप की जानी चाहिए ।

उपसंहार

दश में बढ़ती हुई आवादी की मांग है कि शिक्षा का प्रसार अधिक से अधिक हो । बालकों के शारीरिक, मानसिक एवं भावात्मक (सवेगात्मक) विकास के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता निर्विवाद है । आयोग ने इसकी उन्नति के लिए जो सुझाव दिये हैं वे स्तुत्य हैं । इसकी आवश्यकता उन बालकों के लिए तो बरदान सिद्ध होगी, जिन्हें उपयुक्त पारिवारिक वातावरण की प्राप्ति नहीं हो पाती है । परंतु अभी तक पूर्व प्रारम्भिक शिक्षा केवल कुछ सम्पन्न व्यक्तियों के बच्चों तक ही सीमित है और इन शिशु शालाओं में जो शिक्षा दी जाती है वह भारतीय संस्कृति और भारतीय वातावरण के अनुकूल नहीं है । यह विचारणीय समस्या है, जिसकी ओर कमीशन ने कोई सकेत नहीं दिया है । पूर्व प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में दिये गये अन्य सुझाव श्रेयस्कर हैं, जिन पर आयोग ने निष्ठापूर्वक विचार किया है ।

भारतीय सविधान में इसी उद्देश्य की प्राप्ति के हेतु १४ वर्ष तक की आयु के बालक-बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का सिद्धान्त प्रतिपादन किया गया है, पर अभी तक इस ध्येय को प्राप्त नहीं किया जा सका है । अतएव, आयोग की सन्तुष्टियां को स्वीकार करते १४ वर्ष तक के बालक-बालिकाओं को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने के क्षेत्र में सक्रिय मदद उठाना चाहिए ।

[श्री० टी० टी० कालेज गांधी विद्यामन्दिर
सरदारसाहू, राजस्थान]

दिसम्बर '६७]

[२०२]

समवाय शिक्षण-पद्धति का विकास

वंशीधर श्रीवास्तव

अति प्राचीन काल में हमारे देश में ऋषियों के आश्रमों में जो शिक्षा-पद्धति प्रचलित थी उसके अन्तर्गत प्रकृति के साहचर्य में, यथार्थ जीवन के द्वारा, ज्ञान प्राप्त करना अधिक स्वाभाविक था और इस प्रकार का ज्ञान श्रेष्ठ भी माना जाता था। उपनिषद् की एक गाथा के अनुसार सत्यकाम जाबाल नाम के एक शिष्य को गुरु ने चार सौ दुबली-मतली गायें देकर कहा—“आज से इन गायों के पालन-पोषण का भार तुम पर है। इन्हें लेकर वन में जाओ। इन्हें जंगल के हिंसक पशुओं से बचाना। जब ये गायें एक सहस्र हो जायें, तब तुम मेरे पास आना। तब मैं तुमको सब विद्याओं में श्रेष्ठ ब्रह्मविद्या की शिक्षा दूंगा, क्योंकि तभी तुम ब्रह्मविद्या प्राप्त करने के अधिकारी हो सकोगे। कई वर्षों बाद ‘सत्यकाम’ हृष्ट-मुष्ट एक सहस्र गायों को लेकर वापस लाटा। उसके मुख पर स्वाधलम्बन और स्व-अर्जित ज्ञान का अपूर्व तज था।

गुरु ने कहा, ‘पुत्रक ! तुम्हारे मुख पर ज्ञान का तेज है। किससे तुमने यह ज्ञान पाया है?’ शिष्य ने कहा, ‘मुझे जो कुछ ज्ञान मिला है मनुष्य के अनिश्चित दूसरों से प्राप्त हुआ है। कुछ ज्ञान मैंने खेलों में पाया है, कुछ हंस ने दिया है। कुछ मैंने अग्नि से सीखा है और कुछ पक्षी से। परन्तु ज्ञान तो गुरु से ही प्राप्त होता है। ज्ञान तो मुझे आपकी कृपा से प्राप्त होगा।’

गुरु ने दौड़कर सत्यकाम को गले लगा लिया और गदगद होकर कहा—‘पुत्रक ! इन गायों का रक्षण और पोषण करते हुए प्रकृति के सम्पर्क में जो व्यावहारिक ज्ञान तुमने प्राप्त किया है, वह ब्रह्मविद्या से कम श्रेष्ठ नहीं है। तुम्हें अब किसी नवीन ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। मैं उस ज्ञान की पूर्ति भर सकूंगा।’ ब्रह्मविद्या की यह नवीन व्याख्या सुनकर आश्रम के विद्यार्थी चकित हो गये। सत्यकाम श्रद्धा से गुरु के चरण में नत हो गया। स्वाधलम्बन से अर्जित ज्ञान से उदित उसका मुखमण्डल मूय की भाँति उद्भासित हो उठा।

उपनिषद् की इस गाथा में ज्ञानार्जन की प्रक्रिया में हाथ और मस्तिष्क के समन्वय के सिद्धान्त की स्पष्ट स्वीकृति है। यहाँ कर्म और ज्ञान की एकता है। ज्ञानार्जन की यही पद्धति समवाय-पद्धति है। यही ‘अदि पद्धति है। यही स्वाभाविक पद्धति भी है। इसी पद्धति से मनुष्य ने अपने जीवन के प्रारम्भ में उस समस्त ज्ञान का अर्जन किया था हम जिसे आज कला, दशन और विज्ञान कहते हैं।

सम्भवतः इसी बात को ध्यान में रखते हुए श्री जी० रामचन्द्रन् ने एक

पढ़ने के रूप में आदिशाल में होता आया है परन्तु सविधिक शिक्षण-पद्धति के रूप में जिस शिक्षा-शास्त्री ने शिक्षा-जगत में उसके प्रतिष्ठापन की चेष्टा की वे हरबार्ट महोदय थे। उन्होंने शिक्षण-कला को मनोवैज्ञानिक आधार दिया और कक्षा-शिक्षण के लिए ऐसी गैली विकसित की जिससे जो कुछ बालक को पढ़ाया जाय वह उसके मानस-पटल पर सुसम्बद्ध-मुव्यवस्थित रूप में अंकित हो जाय। उन्होंने उस समय के प्रचलित 'मानसिक शक्तियों के सिद्धान्त' (फंकल्टी थियरी) का खण्डन किया और कहा कि मन को विभिन्न शक्तियों का समूह मानना गलत है। मन की तीन अवस्थाएँ—ज्ञान, संवेदन और क्रिया—अलग-अलग शक्तियाँ नहीं हैं। मानसिक प्रक्रियाएँ एक हैं और मन एक इकाई है। हरबार्ट के अनुसार चेतना के तत्त्व प्रत्यय (आइडियाज) हैं जो मन और बाह्य जगत् के सम्पर्क में वनते हैं। मन में जो प्रत्यय या विचार बन जाते हैं वे कभी नष्ट नहीं होते। प्रत्येक प्रत्यय इस बात का प्रयत्न करता है कि वह चेतना में प्रमुख बना रहे। परन्तु सभी प्रत्यय समान रूप से प्रमुख नहीं बने रहते। चेतना में प्रमुखता पाने के लिए समान प्रत्ययों में सहाय्य होता है और वे एक दूसरे को चेतना तक पहुँचाने में सहाय्यता प्रदान करते हैं। विरोधी प्रत्यय मन के लिए अप्राह्य होने हैं। हमारी चेतना में पहले से कुछ विचार वर्तमान रहते हैं। जब नये विचार मन में आते हैं तब यदि ये विचार पहले के विचारों के अनुकूल हुए तब तो मन उन्हें सरलता से ग्रहण कर लेता है पर यदि वे प्रतिकूल हुए तो मन उन्हें आसानी से ग्रहण नहीं कर पाता। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी नये विचार अथवा प्रत्यय उन विचारों अथवा प्रत्ययों के अनुसार प्राह्य या अप्राह्य होने हैं जो हमारी चेतना में पहले से ही विद्यमान रहते हैं। यही हरबार्ट का 'पूर्वानुवर्ती प्रत्यय ज्ञान का सिद्धान्त' (डाक्ट्रीन आफ अपरसेप्शन) है। इस सिद्धान्त के अनुसार हम जो कुछ देखते हैं वह बाह्य उद्दीपन (स्टिमुलस) पर अथवा द्रष्टा पर इतना नहीं निर्भर करता जितना मानसिक पृष्ठभूमि पर। इसीलिए एक ही व्यक्ति या विभिन्न व्यक्तियों को एक ही बाह्य उद्दीपन-की उपस्थिति में भिन्न-भिन्न प्रकार का प्रत्यय ज्ञान होता है।

मन की इसी दशा को ध्यान में रखकर हरबार्ट ने कहा कि बालक को जो नया ज्ञान दिया जाय उसे उसके पूर्व ज्ञान से सम्बन्धित करके दिया जाय। 'ज्ञान ज्ञान' के आधार पर 'अज्ञात ज्ञान' देना चाहिए। 'नया ज्ञान' पूर्व ज्ञान का विकासमात्र होना चाहिए। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्टाउट के अनुसार शिक्षा-सिद्धान्त को मनोविज्ञान की यह प्रमुख देन है।

'सह-सम्बन्ध' का सिद्धान्त इस 'पूर्वानुवर्ती' प्रत्यय ज्ञान के सिद्धान्त का स्वाभाविक परिणाम है। बालक को जिस विषय का ज्ञान है, उस विषय से सम्बन्धित कर यदि अन्य विषय पढ़ाये जायेंगे तो उन नवीन विषयों का ज्ञान उसे

सहज ग्राह्य होगा। इसीलिए हरबार्ट ने पाठशाला के विषयों को परस्पर सम्बन्धित करके पढ़ाने की बात भी कही। सह-सम्बन्ध की इस क्रिया को हम समवाय का प्रारम्भिक रूप कह सकते हैं।

केन्द्रीकरण

हरबार्ट का समय उन्नीसवीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। उस समय तक यूरोप में पाठ्य-विषयों का बाहुल्य हो गया था। इनमें से ऐसे अनेक विषय थे जिनका एक दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध है। परन्तु शिक्षण के लिए वे स्वतन्त्र विषय माने जाते थे और उनके अध्यापन के लिए अलग-अलग घंटे नियत थे। व्याकरण का भाषा से घनिष्ठ सम्बन्ध है। भाषा के बिना व्याकरण की सत्ता ही नहीं है। परन्तु शिक्षण की दृष्टि से भाषा और व्याकरण दो स्वतन्त्र विषय थे। इसी प्रकार अकगणित, रेखागणित, बीजगणित अलग-अलग विषय थे और इनके अध्यापन में भी किसी प्रकार के समन्वय की चेष्टा नहीं की जाती थी। इसका परिणाम यह हुआ था कि स्कूल का पाठ्यक्रम बहुत बोझिल और शिक्षण-पद्धति अस्वाभाविक बन गयी थी। हरबार्ट के सह-सम्बन्ध के सिद्धान्त ने शिक्षण-पद्धति को स्वाभाविक और मनोविज्ञान-सम्मत बनाकर पाठ्यक्रम के बोझ को हल्का किया।

हरबार्ट ने तीन प्रकार के सह-सम्बन्धों की चर्चा की है। पहला है एक ही विषय के विभिन्न प्रसंगों का सम्बन्ध, दूसरा है पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों का आपसी सम्बन्ध और तीसरा है स्कूल के विषयों का वास्तविक जगत् से सम्बन्ध। अपने तीसरे रूप में सह-सम्बन्ध जान डिवी के 'संयोजन' और 'अनुबन्धों' के सिद्धान्त के बहुत पास आ जाता है।

अपने पहले रूप में सह-सम्बन्ध का सिद्धान्त हरबार्ट के पूर्व ज्ञान का ही परिष्कृत और व्यावहारिक रूप है। किसी भी विषय को पढ़ते समय यदि उस विषय का ज्ञात प्रसंग अज्ञात प्रसंग की भूमिका बनकर आता है तो बालक के लिए नये प्रसंग का ज्ञान सरल हो जाता है। अतः किसी भी विषय के अध्यापन में जितने भी प्रसंग हों उनका पूर्वापर सम्बन्धित हो तो अध्यापन की क्रिया अधिक मनोवैज्ञानिक और रुचिकर बन जायेगी और विषय का बांध मुगम और टिकाऊ होगा।

अपने दूसरे रूप में सह-सम्बन्ध के सिद्धान्त ने 'केन्द्रीकरण' के सिद्धान्त को जन्म दिया। हरबार्ट ने मन की विभिन्न शक्तियों के सिद्धान्त का खण्डन करके मन की शक्ति के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था। केन्द्रीकरण एक प्रकार से इस सिद्धान्त का परिणाम माना था। हरबार्ट ने कहा—पाठ्यक्रम के विषयों को सह-सम्बन्धित करने पढ़ाने में शिक्षण की प्रक्रिया अधिक सरल हो जाती है। परन्तु यदि किसी एक विषय को केन्द्रीय विषय बना लिया जाय और उसीसे

माध्यम से अथवा उसीसे सम्बन्धित करके पाठ्यक्रम के अन्य विषय पढाये जायें, तो छात्रों के मन पर ज्ञान की एक सम्बद्ध-मरिच्छा छाप पड़ेगी और ज्ञान-ग्रहण की क्रिया और भी अधिक सहज बन जायगी। केन्द्रीकरण की प्रक्रिया से सारे विषय एक केन्द्रीय विषय से सम्बन्धित तो हो ही जाते हैं, वे आपस में भी सम्बन्धित हो जाते हैं और इस प्रकार छात्र को समन्वित रूप में ज्ञान प्राप्त होता है जो सर्वथा मनोवैज्ञानिक है क्योंकि मन एक इकाई है।

केन्द्रीकरण की मुख्य समस्या यह थी कि केन्द्रीय विषय कौनसा हो। चूँकि हरवार्ट चरित्र निर्माण को शिक्षा का उद्देश्य मानते थे। अतः उन्होंने ऐसे विषयों को केन्द्रीय विषय चुनने की सलाह दी जिनमें छात्रों का चरित्र निर्माण हो।

इस प्रकार केन्द्रीकरण का यह सिद्धान्त जहाँ सहसम्बन्ध का प्राकृतिक विकास या वहाँ डिबो के अनुवचन-पद्धति (को रिलेशन) का मार्ग-सूचक भी था। केन्द्रीकरण में कोई एक विषय अन्य पाठ्य विषयों का केन्द्र बनता है, जब अनुवचन के सिद्धान्त में बालकों की क्रियाएँ और अनुभव दूसरे विषयों को पढाने के केन्द्र होते हैं।

केन्द्रीयकरण के इस सिद्धान्त की यूरोप और अमेरिका, दोनों महाद्वीपों में चर्चा हुई। उसको लेकर खूब प्रयोग भी हुए। हरवार्ट के शिष्यों ने केन्द्रीकरण की कई योजनाएँ प्रस्तुत की। केन्द्रीय विषय क्या हो इस सम्बन्ध में हरवार्ट के अनुयायियों में मतभेद रहा। हरवार्ट के एक शिष्य ने चरित्र निर्माण को शिक्षा का उद्देश्य स्वीकार किया और कहा—इस काम के लिए सर्वोत्तम विषय 'इतिहास' है। इसलिए उसने इतिहास को केन्द्रीय विषय चुना और दूसरे विषयों को उसीसे सम्बन्धित करके पढाने का विधान किया। उनका विचार या इतिहास द्वारा कहानी, उपन्यास, नाटक, कविता, लेख आदि साहित्य के विषयों की शिक्षा तो स्वाभाविक रूप से दी ही जा सकती है, ऐतिहासिक किले, अस्त्र-शास्त्र, वस्त्र-गहने, वर्तन-सिक्के आदि के चित्र या रेखाचित्र बनाकर कला और ड्राइंग की शिक्षा भी दी जा सकती है। भूगोल तो इतिहास की पृष्ठभूमि ही है और अनेक ऐतिहासिक तथ्य और घटनाएँ देश की भौगोलिक परिस्थितियों को समझे बिना ठीक-ठीक समझ में नहीं आती। इतिहास को केन्द्रीय विषय रखने से गणित और विज्ञान का स्वाभाविक और सम्यक् अध्यापन नहीं हो पाता। पर जिल्लर और उनके उत्साही अनुयायियों ने ऐतिहासिक मुद्दों के हिसाब किताब रखने और भूमि प्रवन्ध और कर आदि के सिलसिले में गणित की शिक्षा की योजना भी बना ली। लेकिन जैसा स्वाभाविक सम्बन्ध इतिहास और साहित्य के कतिपय अंगों का अथवा इतिहास और भूगोल का है वैसे स्वाभाविक सम्बन्ध विज्ञान और गणित का इतिहास से नहीं हो पाया। इस अस्वाभाविक सम्बन्ध-स्थापन से सबसे बड़ी हानि यह हुई कि गणित और विज्ञान का नित्य के व्यावहारिक जीवन

से जा सम्बन्ध है उस रूप पर प्रकाश नहीं पड़ा और गणित वा शिक्षण जीवन की परिस्थितियों से दूर हा गया । इसने अच्छी स्थिति ता उसके स्वतंत्र अस्तम्बद अध्यापन की ही थी ।

इसलिए अमरिका के फ्रांसिस वनल पार्कर नाम के शिक्षा शास्त्री ने यह सम्बन्ध के लिए प्रकृति-अध्ययन और विज्ञान को केन्द्रीय विषय चुना । पार्कर महोदय शिक्षा वा उद्देश्य बुद्धि और अन्तर्दृष्टि का विकास मानते थे । उनका कथन था कि यदि सामान्य बुद्धि और अन्तर्दृष्टि का सम्यक् विकास हो जाय तो चरित्र भी उत्तम हो जायगा । अतः अध्यापक वा प्रमुख कार्य सामान्य बुद्धि वा विकास ही है । इस दृष्टि से प्रकृति-अध्ययन और विज्ञान सर्वोत्तम विषय है । क्योंकि मनुष्य जब तक प्रकृति के आधारभूत नियमों को नहीं समझेगा उसके अज्ञान वा नाश नहीं होगा । पार्कर वा कथन था कि 'विज्ञान' और प्रकृति अध्ययन के केन्द्रीय विषय के साथ स्कूल के दूसरे विषय बड़ी अच्छी तरह सम्बन्धित हो जाते हैं । इस केन्द्रीय विषय से भूगोल और प्राकृतिक अध्ययन का सम्बन्ध तो अत्यन्त निकट का है ही, गणित और ड्राइंग तथा मॉडलिंग आदि विषय भी इससे अत्यन्त स्वाभाविक रूप से सम्बन्धित हो जाते हैं । लेकिन देखा यह गया कि प्रकृति-अध्ययन और विज्ञान के पाठों और साहित्यिक विषयों के सम्बन्ध की सीमा उतनी व्यापक नहीं है और खीचातानी करके सम्बन्ध स्थापित करने से विज्ञान और साहित्य दोनों ही प्रकार के पाठ नष्ट हो जाते हैं । जो भी हो अमेरिका में केन्द्रीकरण का यह आन्दोलन खूब चला और वहाँ इस विषय पर प्रचुर साहित्य भी उपलब्ध है ।

हरवार्ट के दूसरे शिक्ष्य प्रो० डी० गार्मो ने बालक के व्यावहारिक क्षमता के विकास को शिक्षा का ध्येय माना और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भूगोल और अर्थशास्त्र को केन्द्रीय विषय मानकर अन्य विषयों को पढ़ाने की योजना प्रस्तुत की । उनका तर्क था कि 'भूगोल विज्ञान और कला के बीच की कड़ी है और 'अर्थशास्त्र जीवन-यापन की व्यावहारिक कला की शिक्षा है । वस्तुओं का उत्पादन, वितरण, क्रय विक्रय, आयात निर्यात, श्रम-विभाजन आदि अर्थशास्त्र के विषय हैं और जीवन के व्यावहारिक पक्ष से सम्बन्धित हैं । अतः अर्थशास्त्र को केन्द्रीय विषय बनाकर दूसरे विषयों को पढ़ाने से इन विषयों के व्यावहारिक पक्ष की शिक्षा हो जायगी और बालक जीवन-यापन के कुछ प्रायोगिक पहलुओं का सीख जायगा ।

इस केन्द्रीकरण के सिद्धांत के जहाँ बनेव मनोवैज्ञानिक लाभ हैं, वहाँ एक दाप यह है कि एक ही विषय को बहुत अधिक महत्व दे दिया जाता है । इसका दूसरा दाप यह है कि केन्द्रीय विषय को चढ़ाने में शिक्षा शास्त्री अपनी रुचि और जावन के अपने दसन से शासित होते हैं—बालका की रुचि से नहीं ।

आज का अमरीकी शिक्षण—२

के० एस० आचार्य

साधारण परिस्थितियों में पाठ्यक्रम के परिवर्तन पेशेवर हिस्सा लेनेवालों द्वारा संचालित उत्क्रान्तिपूर्ण विकास के नियम का अनुसरण करते हैं। किन्तु जब देश परम्परा से असम्बद्ध युगान्तरकारी राजनैतिक और आर्थिक नीतियों के जादू से प्रभावित होता है तो पाठ्यक्रम के परिवर्तन पिछली परम्परा से कोई सम्बन्ध नहीं रखते। शैक्षणिक नेतृत्व जड़मूठवाले व्यक्तियों के हाथ छीन कर राज्याधिकारियों, शिक्षाविदों और राजनैतिक नेताओं के हाथों में दे दिया जाता है। शैक्षणिक नीति और वित्त के मामले केन्द्रीय अधिकार में चले जाते हैं। शिक्षा पर बाहरी प्रभावों और शक्तियों का असर प्रकट रूप में होता है और पाठ्यक्रम पर भी केन्द्र का प्रभाव हो जाता है।

सघीय (फेडरल) राजनैतिक कारणों से प्रेरित होकर अमेरिका ने गणित, विज्ञान, अणुबल और सामाजिक ज्ञान पर बहुत जोर दिया है। सघीय स्तर पर पाँच उच्च स्तर की दस लाख डालरवाली विशेष सस्थाएँ बनायी गयी हैं— भौतिकशास्त्र अध्ययन कमेटी, जीवशास्त्र पाठ्यक्रम अध्ययन, रासायनिक शिक्षण-सामग्री अध्ययन, विद्यालयीन गणित अध्ययन ग्रुप, सामाजिक ज्ञान अध्ययन ग्रुप। इन कमेटियों को सभी दर्जों के छात्रों के लिए विशेषज्ञतापूर्ण शिक्षण-प्रकार विकसित किये हैं। पाठ्यक्रम की तैयारी में बुनियादी विचार बच्चों की विशेषताएँ, हित और बच्चों के अनुभव का नहीं है, बल्कि शैक्षणिक अनुशासन की परिपूर्णता का है।

पाठ्यक्रम-परिवर्तन का कारण

पाठ्यक्रम के क्षेत्र में इस आश्चर्यकारी परिवर्तन के क्या कारण थे ? सबसे मुख्य कारण यह भंडाफोड था कि हाईस्कूल-स्नातकों में 'भयानक गणित शास्त्रोप और वैज्ञानिक अज्ञान भरा हुआ है। राजनीतियों का विश्वास था कि 'शीतयुद्ध' को जारी रखना और उसकी सफलता, विज्ञान और गणित अधिकांश रूप में में युद्धिमान युवकों की कुशलता पर निर्भर है। दूसरा कारण महत्वाकांक्षी मध्यमवर्ग की अभूतपूर्व समृद्धि थी जो शिक्षण को एक भुँघले, पूर्णतावादी आदर्श के लिए नहीं, बल्कि इसी सप्तर में और अभी सफलता और अच्छी जिन्दगी की प्राप्ति के लिए एक खुली कुंजी समझता था।

प्रगतिवादी शिक्षाविद के विषयो के सम्मिलन और अनुभव के एकसूत्रीकरण के पाठ्यक्रम-सम्बन्धी सिद्धान्त की जगह इस नये विषयो पर बल देने के सिद्धान्त ने ले ली। जीवशास्त्र, भौतिकशास्त्र और रसायनशास्त्र को वैज्ञानिक विषयो की स्वतंत्र हैसियत मिल गयी। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, एन्थ्रोपॉलॉजी को अलग अनुशासनो का व्यवहार प्राप्त हुआ था। शिक्षाविद ही नही वरिक्त विषय के विशेषज्ञो और मानस शास्त्रियो ने विभिन्न शैक्षणिक अनुशासनो की शिक्षा के प्रश्नो पर विचार करने के लिए सम्मिलित विचार-विमर्श किया। विद्या का इच्छित आदर्श निरीक्षण से विचार की ओर जाना बन गया। किसी विषय के क्षेत्र में पाठ्यक्रम, योजना बनाने का उद्देश्य यह निर्धारित करना बन गया कि हाईस्कूल-कोर्स पूरा करने के बाद विद्यार्थी का क्या जान लेना चाहिए। और, इस अत विदु से पाठ्यक्रम प्रारम्भ की ओर ले जाकर प्राप्त समय में ठीक-ठीक बैठने लायक कदमो के बीच सारा शैक्षणिक कार्यक्रम निर्धारित किया गया। विद्यार्थी का पिछला अनुभव, मौजूदा दिलचस्पियाँ, काम के अनुभव (प्रयोगात्मक) और व्यक्तिगत भिन्नताएँ, विषय वस्तु की पुनर्रचना और पाठ्यक्रम-सम्बन्धी सुधार की मुख्य पहिचान हानी चाहिए, यह सिद्धान्त पीछे पड गया।

नयी योजना के अनुसार ज्ञान शैक्षणिक पुलिन्दो में दिया जाता है। और, साथ में अच्छी पाठ्य-पुस्तको, अनुसन्धानशालाओ की सामग्रियो, फिल्म और डूयरी कारीगरी की सहायताओ से उसमें बढ़ोतरी की जाती है। पाठ्यक्रम-सम्बन्धी कमेटियाँ सभी अनुशासनो में ऊपर से नीचे तक की योजनाएँ बनाती है।

इन सब परिवर्तना का नतीजा क्या है? पहला लाभ यह है कि प्रारम्भिक स्कूल से ऊपर सब शैक्षणिक अनुशासनो के सगठन में पहली श्रेणी के विद्वानो का सहयोग मिल जाता है। विभिन्न मानस शास्त्रीय-मदतियो और तकनीको को काम में लाकर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रारम्भिक कक्षाओ में भी जरूरी शैक्षणिक-मूल प्राप्त किया जा सकता है।

एक दूसरा नतीजा यह है कि पिछले कुछ वर्षों में विषय की आवश्यकताओ, पाठ्य विषयो की विषयवस्तु, स्कूल सगठन के विभिन्न प्रकार, समूह शिक्षा, शैक्षणिक मन्त्रों का उपयोग, भाषा अनुसन्धानशालाएँ, नापना, मूल्यांकन, समूहो-करण, निदर्शन, राय देना, माता पिता को रिपोर्ट करने के नये तरीके, स्कूल-दिन को सम्बाई, विद्यापिया द्वारा स्वतंत्र अध्ययन, घर वा काम, टेलीविजन का उपयोग, टेप रिपोर्ट, बाल्नी फिल्म की तकनीक, नये प्रकार की स्कूल दमारतें, कार्यक्रमानुसार पाठ्य-पुस्तकें, शिक्षा के रिपोर्ट, आदि शिक्षा के हर क्षेत्र में बहुत-भा सक्रिय अनुसन्धान किया गया है। यह पता लगाया गया है कि "श्राष्ट्रिय टेक्नॉलॉजी अभी भी शिक्षा समझी जानेवाली केवल मात्र दिसम्बर, '६७]

अभर बनाने और सुनने की सक्रियता से बहुत अधिक दूर तक शिक्षण के प्रभाव को पहुँचा सकती है। बटन और स्विच दबाकर बहुत-सी शिक्षा अमल में लायी जा सकती है।" (गुड लैंड)

शैक्षणिक साधन

पिछले वर्षों में शिक्षक यह स्वीकार करते थे कि स्कूल बच्चों के उचित आचरण, सामाजिक और भावनात्मक विकास में मदद करते हैं। साथ ही उनके बौद्धिक कुशलताओं जैसे तर्क करना, समालोचना के साथ पढ़ना, और रचनात्मक विचार प्रकट करना, आदि की ओर भी ध्यान देते हैं।

आज व्यक्ति, समाज, राज्य, राष्ट्र और सत्तार के सम्बन्ध में अक्षरदार निर्णय करने के लिए आवश्यक बौद्धिक दाय्यताओं, आदतों और रसों के विकास में बच्चा को शिक्षित करने के काम को अधिक महत्व दिया गया है। दर्जों के कमरे को शिक्षा, कार्य और सफलताओं का इस प्रकार संयोजन किया जाता है, जिसमें कि वे विभिन्न प्रकार की सामाजिक, शारीरिक, बौद्धिक योग्यताओं और आदतों के विनास में मदद करें। इसलिए इन शैक्षणिक अनुभवों के लिए सावधानी के साथ याज्ञता बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि अनुचित नतीजों और अकुशलता में बच सकें।

इसलिए विषयवस्तु के बाकायदा संगठन पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। आज खोज करके, प्रयोग और जाँच करके सीखने के तरीके को अधिक प्रधानता प्राप्त हुई है। हर प्रकार के शिक्षण में स्व-शिक्षण की पद्धतियाँ काम में लायी जा रही हैं। सबसे अन्तिम प्रकार का अतिप्रिय तरीका (ऐटैस्ट पैड) बहु-माध्यम पहुँच (मल्टी-मीडिया-एप्रोच) का है। भौतिकशास्त्र, जीवशास्त्र और रसायनशास्त्र सम्बन्धी कमेटियों ने अनुसन्धान-शालाओं की प्रयोग-मुस्तिकाओं जैसी सहायक पुस्तकों के साथ अनेक प्रकार की शैक्षणिक सामग्री तैयार की है। विज्ञान के अधिष्ठान की इच्छा रखनेवाले विद्यालयों के लिए विज्ञान-सत्तार पर अनेक लेख-पुस्तक-मालाएँ (सीरीज ऑफ पेपर बैकड) बुशल लेखकों द्वारा तैयार की गयी है, आदतों यह है कि विद्यालयों को पाठ्य-पुस्तकों, फिल्मों और अनुसन्धानशाला-नायों में से सर्वोत्तम दिया जाय।

कार्यक्रम-युक्त शिक्षा नाम की एक पाठ्यक्रम-युक्त संव जगह काम में लायी जा रही है। इसके अनुसार शिक्षा के अनुभव विभिन्न कदमों में संगठित किये जाने हैं और विद्यार्थी को कदम-ब-कदम आगे बढ़ने में और जैसे-जैसे वह आगे बढ़ता जाता है अपनी प्राप्त सफलता के मूल्यांकन करने में मदद की जाती है।

स्कूल-संगठन

शैक्षणिक लक्ष्यों के परिवर्तन का प्रभाव स्वभावतः स्कूल संगठन को पद्धतियों पर भी पड़ता है।

अमरीकी शिक्षा में आज तीन प्रकार की संगठनात्मक याजनाएँ परोक्षित हुई और उपयुक्त पायी गयी कही जाती है ।

१ पहली कक्षा हीन योजना (नान प्रेडिग प्लैन) है । यह याजना परम्परागत कक्षा-स्तर पाठ्यक्रम को अस्वीकार करती है । साथ ही कक्षा से कक्षा-पदोन्नति की पद्धतियों को भी अस्वीकार करती है । पहले प्रकार का कक्षा संगठन व्यक्तिगत भेदों और पाठ्य क्रमागत भेदों को दूर करने के लिए ठीक नहीं था । यह तेज सीखनेवाले बुद्धिमान विद्यार्थी को पीछे खीचता था और धीरे सीखनेवाले विद्यार्थी को अपनी शक्ति से बाहर आगे बढाता था । वर्तमान समय की कक्षा न बनाने की योजना के अनुसार विद्यार्थी निम्न गतिपाठ (खरी चढान) ऊपर चढते हैं । इसमें प्रतिवष पदोन्नति और असपलना नहीं होगी । नतीजा यह है कि तेज विद्यार्थी ऊँचे पाठ्यक्रम में पहुँच जाते हैं जब कि धीमे सीखनेवाले अपनी गति से आगे बढते हैं ।

२ स्टोडाइ की 'त्रिधा उन्नति योजना (ड्यूएल प्रासेस प्लैन) स्कूलों में किसी विद्यार्थी को प्रगति की दो स्पष्ट कक्षाएँ स्वीकार करती है । भाषा-कलाओं और सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम क्षेत्र में प्रचलित कक्षा प्रणालियों का अनुसरण किया जाता है । किन्तु गणित विज्ञान, संगीत और कला में विद्यार्थियों को कक्षा न बनाने की योजना के अनुसार शिक्षित किया जाता है ।

३ तीसरी संगठनात्मक योजना, "टीम शिक्षा योजना है जिसमें एक या दो शिक्षकों को विद्यार्थियों के समूह की जिम्मेदारी दी जाती है । शिक्षक समूह एक साथ योजना बनाता है, शिक्षण चलाता है और मूल्यांकन करता है । इसका नतीजा हुआ है—समूहीकरण में, शिक्षका के प्रयोग में और शिक्षा के साधनों में र्चोत्थान ।

सुधार-आन्दोलन की कमी

नये सुधार-आन्दोलन में क्या खराबी या कमी है ? एक प्रमुख खराबी यह है कि टेक्नालॉजी के इस युग में जब कि सामाजिक बदल-ज्ञान और सामाजिक जिम्मेदारी का भाव रखनेवाले नागरिकों की जरूरत है । शैक्षणिक विषयों पर जोर देने का नतीजा सामाजिक रहन सहन के व्यवहार पर और प्रजातन्त्र-वादी नागरिकत्व का अनुभव को लापरवाही होता है । दूसरे चंकि पाठ्यक्रम का संगठन ऊपर से नीचे की ओर है । सीखनेवाला की दिग्दर्शिकाएँ और अनुभव पीछे पडते गये हैं । पाठ्यक्रम का सुधार बाहरी आक्रमण से निकला है न कि स्वाभाविक भीतरी-विकास के फलस्वरूप निकला है । प्रगतिशील शिक्षा के दिना की मुक्त रचनात्मक और अल्पपाठ्यक्रम याजनाओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता । प्रायः समय में जो ज्ञान बच्चा को देने का उद्देश्य निश्चय किया है, उस शिक्षाकार विचारने में विषय के सामग्रियों को बड़ी रचनात्मक पर

रही है। इसका अर्थ यह है कि पाठ्यक्रम के पुराने सिद्धान्तों को भंग कर दिया गया है। उनकी उपेक्षा की गयी है। एक बड़े टाइमटेबुल की आवश्यकताएँ पाठ्यक्रम को निर्धारित करती हैं, वच्चे की शैक्षणिक आवश्यकताएँ नहीं। स्कूल-ज्ञान, जीवन-परिस्थिति, वच्चों के जीवन-अनुभव और कार्यों में बहुत कम परस्पर सम्बन्ध है। घाटे के आगे पाठ्यक्रम की गाड़ी रस दी गयी है। बहुत दिन पहले एच० डी० स्टैड ने इस परिस्थिति की विशेषता का बतलाते हुए कहा था कि यह उसी तरह है मानो यत्र विचार पर हावी हो या साधनों ने लक्ष्य का स्थान ले लिया हो।

विन्तु नये शैक्षणिक सुधार की एक अभीक्षित दिशा, शिक्षा में मार्गदर्शन को दिया जाने वाला बड़ा महत्व है जो कि हाई स्कूल के बाद की शिक्षा चाहनेवाले बच्चों में युवकों की इच्छा के कारण और शहरी स्कूलों के सामने विशिष्ट शैक्षणिक प्रश्नों पर ध्यान देने के कारण आवश्यक हो गया है। अभी तक हाई-स्कूल शिक्षा काम धार नौकरी की वांछित दुनिया में प्रवेश प्राप्त करने के लिए द्वाय सीमा थी। लेकिन टेक्नालॉजी की उत्थति के कारण तकनीक जाननेवाले लोगों की बेकारी के कारण उच्च शिक्षा के लिए माँग बढ़ गयी है। कॉलेजों में स्थान की कमी और भर्ती के लिए असाधारण दौड़ ने मार्गदर्शन के लिए सलाह देने की जाड़ की कुञ्जी से खोलना आवश्यक हो गया है। मार्गदर्शन का विशेषज्ञ पेशे सम्बन्धी सूचनाएँ इकट्ठी करता और देता है। स्कूलों में से निकल जाने वालों का विश्लेषण करता है। व्यक्तिगत और सामूहिक परीक्षा दिलाता है। उम्मीदवारों के चुनाव में सलाह देता है, नौकरी और उच्च अध्ययन के सम्बन्ध में अपने सुझाव देता है। यह कहा जाता है कि मार्गदर्शन का सलाहकार शिक्षक से अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है।

मुझे विश्वास है कि अमरीकी शिक्षा की आज की धाराओं के इस अन्य वर्णन में वे समानान्तर रेखाएँ मालूम होगी जिन पर हमारे देश की राष्ट्रीय शिक्षा आगे बड़ रही है। जिस प्रकार अमरीका ने प्रगतिशील शैक्षणिक पन्थ के शैक्षणिक सिद्धान्तों को बेहिचक लपेटकर अन्ध-महासागर में फेंक दिया है। उसी प्रकार हमारे शैक्षणिक राजनीतिज्ञों ने शिक्षा को नयी तालीम की कल्पना को एक किनारे रख दिया है। यद्यपि दो विशेषज्ञ कमीशनो ने उस पर बेहिचक प्रशंसा बरसायी थी। बालकेन्द्रीकरण जीवन केन्द्रीकरण और कार्य केन्द्रीकरण की शैक्षणिक कल्पनाएँ और सम्मिलित पाठ्यक्रम आजकल के शैक्षणिक अधिकारियों और योजनाकारों को अच्छे नहीं लगते। उनमें अनुसार राष्ट्र के नौजवानों के लिए जो महत्व की चीज है वह मानवभाषा उतनी नहीं जितनी कि विज्ञान, गणित और अंग्रेजी पर उनका अधिकार है। हमारे शैक्षणिक योजनाकार विश्वास करते हैं [कि विज्ञान किसी

तरह सुख शक्ति और वास्तविकता के क्षेत्र का दरवाजा खोल देता है यद्यपि बुद्धिमान लोग हमें सदा से आगाह करते आये है कि हमें मनुष्य प्राणियों को अधिक आवश्यकता है न कि अधिक विज्ञान की, ताकि हम अपने समय के सकट का मुकाबिला कर सकें और उसे हल कर सकें । हमारे शिक्षण में सबसे इधर का फलन पाठ्य सामग्री पाठ्य-गुस्तको मूल्यांकन, पद्धतिया और तकनीको का एक केन्द्रीय संगठन द्वारा एक सा मान निश्चित करना है ।

इससे अधिक दु संपूर्ण बात और कोई नहीं हो सकती कि एक देश जिसके प्रसिद्ध दार्शनिक समाजशास्त्री और दूसरे बुद्धिजीवी गांधीजी के अहिंसक और तालीम के सिद्धान्तों की ओर मानवता के लिए एकमात्र आशा समझ कर देना है वहां हम परदेस से ऐसे शैक्षणिक सिद्धान्तों का आयात करें जो समृद्धि के अर्थशास्त्र, पतनकारी जडवाद, युद्ध युद्धातक और युद्ध की तैयारी से जुड़ी टेक्नालाजी के भक्त हों । अगल के दिनों में उन का आयात क्षम्य हो सकता है । आवश्यक भी हो सकता है किन्तु सद्देहात्मक गुणवाले सांस्कृतिक माल का आयात करना सांस्कृतिक आत्महत्या करने से बच नहीं है ।

गांधीजी ने कहा ' मैंने हिन्दुस्तान को बहुत-सी चीजें दी हैं किन्तु नयी तालीम की यह शैक्षणिक प्रणाली अपनी टेकनिक (पद्धति) के साथ उनमें सबसे अच्छी चीज है । मैं नहीं समझता कि मेरे पास देना का देने का लिए इतने बढ़कर कोई चीज होगी । लेकिन जब कि हम इन सिद्धान्तों के प्रति केवल जबानी हमदर्दी प्रकट करते हैं, हमने गांधी जी की शिक्षा के मूलाज्ञापन की आदर के साथ फाड़कर बिथड़े कर डाला है ।

यदि हम ईमानदारी से नयी तालीम का अनुसरण करते तो वह न सिर्फ हमें बल्कि दुनिया को बचाती और मानव-समाज के इतिहास में एक नया युग प्रारम्भ करता । यदि हम अपने देगी रास्ते पर चले होते और शिक्षा के सम्बन्ध में सत्य के जोरदार अनुसरण और स्वतंत्र विचार में अपनी सारी ताकत लगाते तो हमने अभी तक लगा के सामने एक नये प्रकार के जीवन और लोभ-वत्याण के एक नये विधान का दान अवश्य खड़ा कर दिया होता ।

शिक्षा का सम्यन्ध जीवन-यापन की कला से ही नहीं, जीवन के आदर्शों से भी होना चाहिए । इसीलिए हम बेसिक शिक्षा को जीवन की शिक्षा बहते हैं, क्योंकि इस पद्धति में हम बालका को केवल जीवन-यापन के लिए उद्योगी की ही शिक्षा नहीं देते, वरन् सहकारी जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देते हैं ।

—डा० पट्टाभि सीतारमैया

शिखा में क्रान्ति

सरला देवी

आजकल हमारे देश में सब विचारशील लोग शिक्षा की परिस्थिति के बारे में चिन्तित हैं। समय-समय पर विद्यार्थी-समाज में होनेवाली विस्फोटक घटनाएँ वास्तव में चिन्ता और चिन्तन का कारण बन गयी हैं। यह देशव्यापी असन्तोष और अधीरज सिर्फ वर्तमान युवकों के विद्रोही स्वभाव के कारण से नहीं है—वह हमारे समाज में घर किये हुए और तेजी से बढ़नेवाली बुरादियों के फलस्वरूप है। जिस समाज में गरीबों और अमीरों के बीच की खाई तेजी से बढ़ रही है जिसमें न्याय के स्थान पर भ्रष्टाचार, नफ़ाखारी और घूसखोरी व्यापक पैमाने पर फैल रही है, क्या हम अपेक्षा कर सकते हैं कि ऐसे समाज में विद्यार्थी अनुशासित रहेंगे? जिस समाज में आजादी के नाम पर हर प्रकार की स्वच्छन्दता को मान्यता दी जा रही है, उसमें विद्यार्थी अनुशासित कैसे रहें?

उनके सामने अंधेरे भरे भविष्य के सिवा और क्या दीखता है? नौकरी का लक्ष्य रखकर ब्रिटिश सरकार ने नौकर तैयार करनेवाली शिक्षा-योजना रची ता थी, लेकिन जितने नौकर की आवश्यकता थी उतने ही तैयार करती थी। अतः नौकरी की उस गुलामी में भी विद्यार्थी अपने भविष्य को सुरक्षित मानने थे। परन्तु स्वतंत्र भारत में ऐसा नहीं हुआ। शिक्षा-मदति और शिक्षा का लक्ष्य पुराना ही रहा, परन्तु पढ़नेवालों की संख्या कई गुना बढ़ गयी और सबको नौकरी देना कठिन हो गया। विद्यार्थियों का भविष्य सुरक्षित नहीं रह सका। अब उनके सामने अपने भविष्य के लिए दो ही तस्वीरें उपस्थित रहती हैं—शिक्षा का भारी खर्च सहन करने के बाद भारी रिस्वत देकर नौकरी करना, अथवा ईमानदारी से रहें तो गरीबी का सामना करके आधे पेट खाना। ऐसी निकम्मी शिक्षा पाने के बाद बेईमानी के या बेकारी के सिवा और क्या भविष्य है?

तो समाज की परिस्थिति तथा अपने भविष्य की परिस्थिति देखते हुए विद्यार्थी हिंसक विद्रोह के सिवा क्या करें? युवावस्था आदर्श की अवस्था है। युवक और युवतियों का स्वभाव पुरुषार्थी होता है। ये अपने और अपने समाज के भविष्य के लिए सिर्फ स्वप्न नहीं देखते हैं, बल्कि कुद्व करने की इच्छा भी रखते हैं। वर्तमान मायूसी में जब उन्हें कोई सृजनात्मक भागदरशन नहीं मिलता है, तो ये समाज और सभ्यता के हिंसक विद्रोही बन जाते हैं। लेकिन चूंकि समाज ने उनके प्रति अपना कर्तव्य नहीं निभाया इसलिए उसका दोष विद्यार्थियों के वनिस्वत ज़्यादा समाज को देना चाहिए।

इस सिलसिले में आचार्य श्री रजनीश ने अपनी 'नये मनुष्य के जन्म की दिशा' नाम की पुस्तक में एक नयी दिशा से मूल चिन्तन किया है।

वे मानते हैं कि अब तक शिक्षा के द्वारा दुनिया पुराने मूल्यों को विद्यार्थियों पर थोप कर, उन पर विवृत्तियाँ थोप रही है। हर पीढ़ी इस अत्याचार को दोहराती रहती है, इसलिए पुराने मूल्य पूज्य माने जाते हैं, विवृत्तियाँ सस्टृतियाँ समझी जाती हैं और सेवा की आड़ में शोषण खड़ा होता है।

शिक्षा के 'वस्तु' को उतार कर, हमें उसे सचाई से जाँचना चाहिए। जब समाज और मनुष्य गलत रास्ते पर हैं, तो निश्चित ही शिक्षा सम्मत् नहीं हो सकती है। इस चिन्तन को करने के लिए निर्भय चिन्तन की आवश्यकता है। समस्याएँ जीवन में हैं, लेकिन हम उनका समाधान बुद्धि में ही खोजते हैं।

आचार्य जी पूछते हैं—क्या यह सम्भव नहीं कि हम प्रथम मनुष्य की तरह जीवन को सीधे देख सकें ?

आजकल शिक्षा चित्त को जगाती नहीं, वह उसे बढाती है। विचार देने से स्मृति भरती है विचार या विवेक का जागरण नहीं होता है। स्मृति यात्रिक है। क्या शिक्षा का लक्ष्य मौलिक विचार करना होना चाहिए अथवा भाव मूल और उच्चार विचार देकर ही तृप्त हो जाना चाहिए।

ध्रुव की जगह पर जिज्ञासा और 'सन्देह' सिखाना चाहिए। ध्रुव और विश्वास बाँधते हैं, परन्तु सन्देह मनुष्य को मुक्त कर देता है। आवश्यकता न विश्वास की है, न अविश्वास की। बल्कि सन्देह, विवेक, विचार की है। आचार्यजी मानते हैं कि सन्देह की पीढ़ी विचार के जन्म की प्रसन्न-पीढ़ी है। यदि सन्देह नहीं होना, तो खोज कहाँ से हो सकती है ?

शिक्षण के माध्यम से समाज मनुष्य के चित्त को परतंत्रताओं की अत्यन्त मूढ़म जंजीरो में बाँध रहा है। धर्म ! धार्मिक गुठ ! राजतंत्र ! समाज के स्वार्थ ! शिक्षा ने ही इस जगत को जन्म दिया है। जहाँ विचार है, वहाँ विद्रोह का बीज है। विचार अंधा नहीं है। अन्धकार मनुष्य को सब भक्ति के शोषण की भूमि बना देता है। क्या ? विचार के साथ प्राप्ति आसनी ही। इस भय से पुराने जमाने में धार्मिक संस्थाओं ने शिक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली थी। और अब चाहे पूँजीवादी देशों में, चाहे साम्यवादी देशों में, सरकार शिक्षा पर हावी है।

आगे आचार्य जी समझाने हैं कि विचार की स्वतंत्र क्षमता व्यक्तिगत या पूँजी आधार है। गीता, बाइबल, कुरान, साम्यवादी घोषणा (कॉन्फ़िस्ट मेनिफ़ेस्टो) का विचार मिलाया जाता है। शिक्षण अंधी पुस्तक को विचार कहता है। लेकिन वास्तव में समस्त ढाँचाया उ मुक्त चित्त की आवश्यकता दि.सं.बर, '६७]

है। स्वतंत्र चिन्तन का बीज हर व्यक्ति में है। वतमान शिक्षा का पूरा यत्र मनुष्य को परतंत्रता के लिए तैयार करता है। अतः जब अपवाद स्वरूप कोई इससे बचता है, तो आश्चर्य होता है।

अनुशासन के बहाने परतंत्रता सिखायी जाती है। विवेक से स्वानुशासन पैदा होना है। दमन में तो विस्फोट होना अनिवाय है।

आचार्य मानते हैं कि शिक्षा को बाध्यानुशासन से मुक्त होकर व्यक्ति में प्रसुप्त विवेक को जगाना चाहिए। इसमें अध्यानुशासन का विकास होगा। स्वतंत्रता मृजनात्मक है, स्वच्छ दत्ता विस्फोटक और विध्वसात्मक है।

'नही कहने की शक्ति पैदा होना बहुत आवश्यक है। लेकिन अनुशासन के द्वारा वह शक्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए दुनिया में हिंसा युद्ध आदि पैदा होता है और आणविक शस्त्रों के प्रयोग भी किये जाते हैं। मानव जाति के भविष्य के लिए अनुशासित बुद्धि से जितना खतरा है उतना खतरा और किमा वस्तु या यत्र में नहीं है। यदि अनुशासन का स्थान विवेक, और आशाकारिता का स्थान विचार ले लेने तो दुनिया में कितना अन्तर होना। आज धर्म पुराहितों और राजनीतिज्ञों के हाथ में हैं और वे उम्मे हिंसा और युद्ध का उपकरण बनाते हैं। स्वच्छिन्न भारत में साम्प्रदायिक दंगों का फैलाव उसका एक ज्वलन्त उदाहरण है। ये लग राट्टों की कल्पित सीमाओं के बारे में भी भगडा पैदा करते हैं। शिक्षा के द्वारा वे विवाद हर एक पीढ़ी को विरासत में मिल जाते हैं। शिक्षक ही उस प्रक्रिया का उपकरण बन जाता है। वह परम्परित धर्म हा सिखाता है और सङ्कुचित राष्ट्रीयता को पुष्टि करता है। वह विद्रोह नहीं सिखाता है। जहाँ विद्रोह नहीं होता वहाँ विकास नहीं होता। विद्रोह का अर्थ है मूल्यों में अन्तर्गत। आचार्य जी मानते हैं कि दुनिया की सारी बुराइयों की जड़ गलत जावन मूल्यों से पैदा होती है। उन शिक्षक ही विद्रोह की गंगा को पृथ्वी पर ला सकता है। लेकिन हालांकि समाज शिक्षक को भूखा मारता है तथापि वह उसके अहंकार का पोषण भी करता है। इस पोषण से वह नया पीढ़िया को विगाडने में अतीत का चाकर बन जाता है। याने वह भविष्य का शत्रु बन जाता है। अतीत पँरो के तले की भूमि अन्वय रहे, लेकिन वह सिर का बोझ कतई न बने। भविष्य के निर्माण के लिए अतीत से मुक्त चित्त की आवश्यकता है।

अतीत यात्रा का प्रारम्भ है। उसका अन्त नहीं है। लेकिन अपने अहंकार की वजह से हम अगली पीढ़ी को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। हम अतीत के पापाणों के नीचे दबे हुए हैं। शिक्षा को मनुष्य की आत्मनिभरता बगानी चाहिए। हर पीढ़ी भौतिक समृद्धि बढ़ाती है। लेकिन अतीत में अधिक बंधे हुए रहने की वजह से हम आत्मिक समृद्धि नहीं बढ़ा पाते हैं। बेटा बाप के मकान

को बढ़ायगा। लेकिन अपने पिता के विचार, बुद्धि और आत्मज्ञान को नहीं बढ़ायगा। हम समझते हैं कि गीता इत्यादि से आगे कुछ नहीं है। लेकिन आचार्य जी कहते हैं "मेरा प्रेम कहता है कि जो मेरे पीछे आ रहे हैं वे हर प्रकार न मुझसे आगे बढ़ें।" वे उन्हें मुक्त करना चाहते हैं क्योंकि जो वापना है, वह प्रेम नहीं करता, हिंसा ही करता।

शिक्षा भविष्यामुख होगी चाहिए अतीतोन्मुख नहीं। मृत के प्रति सम्मान एक बात है। उसका वाचन दूसरी बात है। अतीत का हार्दिक सम्मान तब होगा, जब अतीत का कोई दासन नहीं रहेगा।

जो बचाना का प्रसार करता है, वह ज्ञान का प्रसार नहीं कर सकता है। ज्ञान स्वयं ही मुक्ति है। वर्तमान शिक्षा भय, प्रलोभन, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा सिखाती है।

भय प्राणों का लक्षणा है, और इससे कोई अधिक भयानक बीमारी नहीं है। भय विद्रोह की समस्त शक्तता को ही नष्ट कर देता है। विचार्य कोलू के बेल की तरह परिचित पदार्थों पर दौडता है। धर्म भी नर्क का, पाप का और दण्ड का भय सिखाता है। समाज भी भय सिखाता है। शिक्षा अक्षयता का भय सिखाती है। प्रलोभन भी देती है। यह भय के सिक्के का दूसरा पहलू है। इस भय, प्रलोभन, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा की अग्नि में जीवन नष्ट हो जाता है।

शिक्षा को अभय, अलोभ, सहस और विद्रोह की शक्ति पैदा करनी चाहिए। इससे अज्ञान की चुनौती को मानने की हिम्मत पैदा होनी चाहिए। शिक्षा को ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा नहीं, प्रेम ही सिखाना चाहिए। गुलना करने की गलत पद्धति से स्पर्धा पैदा होती है। प्रत्येक वही है, जो वह है, और प्रत्येक को वही होना चाहिए। हनु राम के जैते नहीं बन सकते हैं। (हाँ, हम अक्षयते राम लीला का राम बन सकते हैं, राम नहीं।) पाखण्ड आदर्श की छाया है, प्रत्येक को स्वयं अपने जैते होना है। आदर्श को चोपने के द्वारा बहुत हिंसा हुई है। अन्य होने के प्रयास में अन्य कोई नहीं हो पाता है। लेकिन जो हो सकता था वह होने से वंचित रहता है। गुलाब गुलाब ही हो सकता है। वह चमेली नहीं बन सकता है। वह अपा हो सकता है लेकिन बदल नहीं सकता। इस विचार से आचार्यजी वर्तमान समाज के गलत मूल्यों की जड़ों पर कुल्हाड़ी मारने हैं।

हम अपना मूल्यांकन बदलना ही पड़ेगा। अध्यापक राष्ट्रपति होने से बड़ा नहीं होता है। यदि वह राष्ट्रपति पद छोड़कर शिक्षक बन जाता, तब वह बड़ा होगा और तब शिक्षा की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आजकल राजनीति की प्रतिष्ठा राजनीति ही सिखाती है। कामों के साथ पद और प्रतिष्ठा जोड़ने से महत्वाकांक्षा और विनिष्टता पैदा होती है। न आदर्श सिखाना चाहिए, न उसका अनुसरण सिखाना चाहिए। मत्कि शिक्षा से निज व्यक्तित्व पूर्णत प्राप्त होना चाहिए।

महत्वाकांक्षा से मुक्त समाज ही वर्गविहीन और शोषणरूप्य हो सकता है। आखिर, दूसरे साधियों से आगे निकलने की क्या आवश्यकता है ? दौड़ना तनाव है। दूबना विधान्ति है। विद्या दूबने की कला है, दौड़ना सिखानेवाली कथिन कला अविद्या है। आजकल सम्मान वहाँ मिलता है जहाँ पद मिलता है। पद वहाँ मिलता है, जहाँ शक्ति मिलती है। शक्ति वहाँ मिलती है जहाँ अधिकार है।

आगे बढ़ने की होड़ का जन्म शिक्षालयों में होता है, और फिर वह होड़ कबरिस्तान तक जारी रहती है। इस दौड़ का अन्तिम फल युद्ध में व्यवत हाना है। आजकल विनय के उपदेश के साथ अहंकार की शिक्षा दी जाती है। परीक्षाओं को समाप्त करके यदि प्रतिस्पर्धा की जगह प्रेम लेना है, तो सहज ही सफलता की जगह सत्य ले लेना। एक बुरे काम में सफल होने की बजाय, एक शुभ काम में असफल होना ज्यादा श्रेयस्कर है। प्रतिस्पर्धा में सफलता पाने से प्रेम में असफलता पाना ज्यादा अच्छा है। धन में सफल होने से धर्म में असफल होना ज्यादा अच्छा है।

जीवन का मूल्य मात्र सफलता में नहीं है। वह सत्य, शिवत्व और सौन्दर्य में ही है। मापदण्ड की वजह से हम उस ओर नहीं बढ़ पाते हैं। उसके लिए असफलता भी सीखनी चाहिए। सत्य के लिए हारना भी जीत है।

विजय और पराजय अपने में अयहीन है। महत्त्व का प्रश्न यह है कि ये किस मोर्चे पर हुए ? उसके लिए शिक्षा में आमूल क्रान्ति चाहिए।

आचार्य जी मानते हैं कि हम सत्य के प्रति सबसे बड़ा अपराध तब करते हैं, जब हम सत्य के सम्बंध में रुढ़ धारणाओं को बच्चों पर थोपने का आग्रह करने हैं। बुद्ध और महावीर आदि की पुनश्चिन्या में हम समस्या को और भी जकड़ा देते हैं। क्या शिक्षा छात्रों को सत्य के अनुसन्धान के मार्ग पर नहीं भेज सकती है ? उसके लिए शिक्षक को स्वयं आग्रह और पक्षपातो से मुक्त होना चाहिए। जिस शिक्षक में विद्रोह की अग्नि नहीं है वह किसी नीति किसी धर्म, या किसी राजनीति का दलाल हो जायगा। उसके भीतर चिन्तन की, विचार की, विद्रोह की जबलन्त अग्नि नहीं भलकेगी। सृजन करने से पूर्व उसे बहुत विध्वंस करना होगा।

आचार्य के ये विचार हम सब शिक्षकों के सामने बहुत स्पष्ट और सफाई में एक मानिकारी भाग का निर्देशन करने हैं। हम वहाँ तक पुराने मूल्यों को तथा अहंभावों को छोड़कर इस शैक्षणिक क्रान्ति की आरंभ बढ सकेंगे ? प्रतिद्ध अध्येक्ष शिक्षा-शास्त्री नील ने कहा कि बच्चों पर प्रेम करने का अर्थ होता है कि हम उसके पक्ष में हों। श्री आचार्य रजनीश ने हमारे सामने बहुत स्पष्ट बतलाया कि बच्चों का पक्ष लेने में हमें 'स्वत्व' को त्यागना पड़ेगा।

अपव्यय एवं अवरोधन : समस्या या प्रक्रिया

मुरेश भटनागर

शिक्षा का इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि अव्यय (धनि) एक अवरोधन सभी काल म किसी न किसी रूप म विद्यमान रहे है । सामान्यतया अपव्यय से तात्पर्य है बालक का शिक्षण काल म ही पढाई छाड देना और अवरोधन से आशय है किसी कक्षा म फेल होना ।

हर्टाग समिति का ध्यान इस समस्या की ओर पहली बार गया है । इसके पश्चात् कई अध्ययन इस सन्दर्भ म हुए है । जे० पाल लियोनार्ड ने इस समस्या के प्रति अपने चिन्तन को इस प्रकार पुष्ट किया है—“किसी समय मे विद्यालय मे उपस्थित रहने (१) समाज के उद्देश्यों की पूर्ति मे बाधक होने (६ से १४ वर्ष) (२) व्ययमाय की तैयारी के समय (३) व्यक्ति की शक्तियों के विकास की सफलता ही अपव्यय तथा अवरोधन है ।”

स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् हमने स्वतंत्र वायु म साँस लेना आरम्भ किया, विचार और कारोबार की स्वतंत्रता मिली पर शिक्षा का ढाँचा ज्यों का खो रहा । शिक्षा की समस्याएँ भी वही रही ।

शिक्षा-आयोग ने एक स्थान पर कहा है—बालक का विद्यालय से हट जाना ही अपव्यय है ।^१ अभी तक शिक्षा शास्त्री अव्यय तथा अवरोधन को समस्या मानते रहे है । हम तो इन्हे समस्या न मानकर प्रक्रिया कहते है । प्रक्रिया समाज के जीवन-काल म निरन्तर होनेवाली क्रिया है । अपव्यय तथा अवरोधन प्रक्रिया के रूप म ही रहे है, समस्या का समाधान हा सकता है, परन्तु प्रक्रिया का अन्त नहीं होता । यह तो अबाध गति से चलती रहती है, प्रवाहित होती रहती है । स्वयं शिक्षा-आयोग इसे समस्या के रूप मे स्वीकार करने म स्थिर मत नहीं हो सका है । प्रस्तुत आंकड़ो से यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस समस्या का अन्त नहीं है, उसका समाधान कैसा ?

१ लियोनार्ड पाल जे०—‘वेस्टेज इन एजुकेशन इन इण्डिया’ इन्डियन एजुकेशन—अगस्त १९६७ पृष्ठ ३

२ शिक्षा-आयोग—पृष्ठ १५४ पैरा ७ २७

अपव्यय तथा अवरोधन^१

वर्ष	१	२	३	४	५	६	७	८
१९५०-५१	६,६४८	४,३३२	३,३५३	२,६२३	१,८६८	१,२४६	१०२३	८५१
	१००%	६२.३%	४८.३%	३७.८%	२७.३%	१७.६%	१४.७%	१२.२%
१९५५-५६	९,६५८	५,५२३	४,०६७	३,२१६	२,४०३	१,६६८	१४३६	११६०
	१००%	५५.२%	४०.८%	३२.३%	२४.१%	१७.१%	१४.४%	११.६%
१९६०-६१	१३३६१	७,५१३	५,८८६	४,५६३	३,६११	२,७२७	२२२०	१७५८
	१००%	५६.३%	४४.६%	३४.३%	२७.०%	२०.४%	१६.६%	१३.१%
१९६५-६६	१८८४३	१०,६७३	८,८७५	६,६२४	६,५२२	४,४५३	३,६८०	२,९००
	१००%	५६.७%	४७.१%	३६.७%	३४.६%	२३.६%	१९.५%	१५.४%

कारण

शिक्षा आयोग ने अपव्यय तथा अवरोधन के कारण इस प्रकार बताये हैं ।^२

- १ कक्षा में विभिन्न आयु के बालकों में शैक्ष्य होना ।
- २ भारत के सभी राज्या में वर्ष भर छात्रों का विद्यालय में प्रवेश चालू रहना, जब कि यह किसी निश्चित समय तक होना चाहिए ।
- ३ उपस्थिति में अनियमितता ।
- ४ बालक तथा विद्यालय के पास पर्याप्त शैक्षिक उपकरणों का अभाव ।
- ५ कक्षा में छात्रों की अधिक संख्या ।
- ६ आवश्यकतानुरूप पाठ्यक्रम न होना ।
- ७ अध्यापक में खल द्वारा शिक्षण की विधियों का उपयोग करने की योग्यता एवं क्षमता न होना जिसमें विद्यालय के जीवन में हर्ष उत्पन्न हो ।

ये कारण भले ही साधारण हो, हमारे चिन्तन को झकझोरते हैं । शिक्षा से सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के जीवन में उपर्युक्त तथ्य स्वभाव बन गये हैं और उन पर चिन्तन करने की आवश्यकता भी प्रायः समझी नहीं जाती । समस्या को हल करने में एकाध कारण हो तो मगज भी खपाया जाय पर जहाँ आवा ही बिपदा हो तो क्या किया जाय ।

श्री टियोनार्ड के एक अध्ययन का सारांश इस प्रकार है —

- १ सन् १९५०-६० के मध्य प्राथमिक स्तर पर अपव्यय तथा अवरोधन ६५.३ प्रतिशत रहा ।

१. शिक्षा-आयोग—पृष्ठ १५५

२ वही, पृष्ठ १५७ पैरा ६.२४

२ अपव्यय तथा अवरोधन की गति प्राथमिक स्तर पर अधिक और कक्षा ८ तक कम होती गयी ।

३ अपव्यय तथा अवरोधन लड़कों की अपक्षा लड़कियों में अधिक पाया गया ।

४ मिडिल स्तर पर अपव्यय तथा अवरोधन का प्रतिशत २२ है ।

५ अध्यापकों तथा अभिभावकों के अनुसार इस अपव्यय तथा अवरोधन के कारणों में बालकों का घर के कार्यों में फँसना, निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर, छात्रों की अयोग्यता एवं गिरा हुआ स्वास्थ्य, विद्यालय तथा समुदाय के सम्बन्धों का अभाव, परिवार की शिक्षा में अल्प विद्यालय का दूषित प्रशासन एवं संगठन, दूषित पाठ्यक्रम, छात्रों के लिए उचित वातावरण का अभाव छात्रों में भावात्मक परिपक्वता का अभाव, छात्रों में प्रेरणा का अभाव प्रमुख हैं ।

६ ग्रामीण क्षेत्रों में ४३ प्रतिशत अपव्यय तथा अवरोधन प्राथमिक स्तर पर एवं ५० प्रतिशत मिडिल स्तर पर निम्न आयवाले परिवारों के बालकों में होता है और १५ प्रतिशत अतिरिक्त अपव्यय नगरों में, प्रवास के कारण होता है ।^१

यह अध्ययन भी इसी बात का द्योतक है कि अपव्यय तथा अवरोधन निरन्तर प्रगति करत रहे हैं और स्वयं समस्या न होकर समस्या की ओर संकेत करते रहे हैं ।

मानव शक्ति का नियोजन

शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन की प्रक्रिया को नयी दिशा देने की आवश्यकता है । यह दिशा तभी दी जा सकती है जब हम मानव-शक्ति के उचित नियोजन पर विचार करें । समाज में हर व्यक्ति हर कार्य के लिए नहीं बना है । हर व्यक्ति को इस प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिए कि वह समाज की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके । आर ए गोपालास्वामी ने शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन में मानव शक्ति के नियोजन के लिए शिक्षा के समन्वय पर अत्यधिक बल दिया है । उनके अनुसार—

१ उच्च शिक्षा प्राप्त जन शक्ति का अग्रिम अनुमान कर लेना चाहिए जिससे उसका उचित उपयोग हो सके ।

२ उच्च शिक्षा प्राप्त जन शक्ति किसी भी रूप में बेकार या व्यर्थ नहीं जानी चाहिए ।

३ सामाजिक परिवर्तन के अनुसार पाठ्यक्रम में परिवर्तन होना चाहिए ।

४ प्रगति के लिए प्रसार सेवाओं का आयोजन किया जाना चाहिए ।

१ लियोनाड पाल जे०—इण्डियन एजुकेशन, अगस्त १९६७ पृष्ठ ८

मानव-शक्ति के नियोजन से एक लाभ यह होगा कि व्यक्ति ने चाहे जिस स्तर की शिक्षा प्राप्त की हो, उसकी शक्तियों का पूरा-पूरा सहयोग राष्ट्र-विकास में मिल सकेगा ।

शिक्षा-आयोग ने शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन को कम करने के लिए 'कार्यानुभव' पर बल दिया है । आयोग के अनुसार—हम कार्यानुभव को किसी उत्पादक कार्य, विद्यालय, घर, कार्यशाला, खेत, फैक्ट्री या अन्य उत्पादक परिस्थितियों में सहयोग के रूप में परिभाषित करते हैं ।^१ अर्थात् अगर छात्र किसी काम में उपयोगी धन्ये में लगेगा तो अपव्यय और अवरोधन कम होगा ।

उच्च शिक्षा और अपव्यय

अपव्यय तथा अवरोधन को यह समस्या न केवल प्राथमिक अथवा माध्यमिक स्तर पर है, अपितु यह तो उच्च शैक्षिक स्तर पर भी विद्यमान है । भाषा की समस्या ने इस अपव्यय को और भी बढ़ाया है । देश का नवयुवक देश के विकास में इसलिए योग नहीं दे पाता क्योंकि उसकी विज्ञान तथा गणित में योग्यता अच्छी है, परन्तु अंग्रेजी के अभाव में वह अपनी योग्यता के प्रदर्शन का अधिकार-पत्र प्राप्त नहीं कर पाता । इसका परिणाम यह होता है कि छात्र परीक्षाओं में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करते हैं ।

डिग्री प्राप्त करके भी जब छात्रों को बेकार रहना पड़ता है तो उनमें वर्तमान व्यवस्था के प्रति आक्रोश उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है । देशव्यापी छात्र असन्तोष शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन का परिणाम है । यदि प्रक्रिया विद्यमान गति से ही प्रवाहित होती रही तो नि सन्देह यह चरम सीमा पर पहुँचेगी और उस समय कोई भी तावत इन्हे रोक नहीं सकती ।

शिक्षा आयोग ने अपव्यय और अवरोधन की समस्या को हल करने के लिए प्राथमिक स्तर पर कक्षा एक तथा दो तथासम्भव कक्षा एक से चार को एक इकाई मानने का सुझाव दिया है । इसी प्रकार जन-परीक्षा में प्रविष्ट होनेवाले परीक्षार्थियों के पास अथवा फेल की घोषणावाले प्रमाणपत्रों के स्थान पर उनके प्राप्ताङ्कवाले प्रमाण-पत्र दिये जायें । इनमें प्रत्येक विषय में प्राप्ताङ्क का विवरण हो । स्कूल-रिकार्ड साथ दिया जाय । इससे लाभ यह होगा कि छात्रों को किसी विषय-विशेष में योग्यता बढ़ाने का अवसर मिलेगा । व्यवसाय में भी हर व्यवसायी को अपनी आवश्यकता के अनुरूप कर्मचारियों के चुनाव में सुविधा रहेगी ।

व्यावसायिक शिक्षण को इस प्रकार आयोजित किया जाय जिससे छात्रों में

१. वही, पृष्ठ ७, पैरा १.२५

शिक्षा समाप्त करने पर नौकरी करने की मनोवृत्ति विकसित न हो, अपितु वे स्वतन्त्र रूप में धनापानन कर सकें ।

सुभाव

१. बाईं भी सुधार या सुभाव उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना शिक्षा को व्यक्ति के जीवन, आवश्यकता तथा आनादाओं के साथ जोड़ देना जिससे वह सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का सक्रियशाली साधन बन सके और राष्ट्रीय उद्देश्या की पूर्ति कर सके । यह तभी सम्भव हो सकता है जब शिक्षा को उत्पादकता के साथ जोड़ा जाय, सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकाता को सशक्त किया जाय, जननत्र का समूहन हो, आधुनिकता की प्रक्रिया में गति लायी जाय और सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों के द्वारा चरित्र-निर्माण पर बल दिया जाय ।

२. मानव विकास के विभिन्न स्तरों का विकास किया जाय ।

३. शिक्षा के सर्वोत्तम रूप को विकसित किया जाय ।

४. नितनी और किस प्रकार की शिक्षा-व्यवस्था किस व्यक्ति के लिए उपयोगी है इसका नियोजन किया जाय ।

५. जन-शक्ति का उचित उपयोग किया जाय ।

६. व्यावसायिक शिक्षा का विकास किया जाय ।

७. शिक्षा-आयोग के 'जीवन पर्यन्त शिक्षा' के सिद्धान्त का पोषण किया जाय ।

शिक्षा-आयोग के शब्दों में यही कहना है—“यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि सिर-दर्द तथा ज्वर की भाँति अपव्यय तथा अवरोधन रोग नहीं हैं, अपितु शिक्षा-प्रणाली में विद्यमान अन्य रोगों के लक्षण हैं, जिनमें प्रमुख हैं जीवन तथा शिक्षा में उचित तालमेल का अभाव और विद्यालयों की दूषित व्यवस्था, जो छात्रों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती ।” (पृष्ठ, १६१ ७.३५)

स्पष्ट है कि अपव्यय तथा अवरोधन स्वयं में कोई समस्या नहीं है, यह तो एक प्रक्रिया है जिसका स्रोत है हमारी दूषित शिक्षा-प्रणाली, शिक्षा के लक्ष्यों का अभाव एवं हमारे विधायक की अदूरदर्शिता जो निजी स्वार्थों की चकाचौध में वास्तविकता को विस्मृत कर बैठे है । अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या को हल करने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है इस प्रक्रिया के स्रोत की प्रकृति का बदलने की जिससे रोग के लक्षण समाप्त हो जायें और देश में प्रत्येक बालक राष्ट्रीय विकास में योग दे सके ।

(ग)	२क - ५	= क + ६
अथवा	२क - ५ + ५	= क + ६ + ५
अथवा	२क	= क + ११
अथवा	२क - क	= क + ११ - क
अथवा	क	= ११

उपर्युक्त ढंग से कई एक समीकरणों का हल करा देने से छात्र स्वयं नियम बना लेते हैं कि समीकरणों के हल करने में एक पक्ष की संख्याओं को दूसरे पक्ष में लिखकर उनके चिन्ह बदल देने चाहिए ।

निगमन प्रणाली

इस प्रणाली द्वारा विषय-वस्तु को प्रस्तुत करने में हम सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होते हैं । इस विधि द्वारा विषय-वस्तु को प्रस्तुत करने का क्रम आत्मनात्मक विधि के विपरीत होता है । इसमें 'पहले किसी' सूत्र या सामान्य नियम की सत्यता सिद्ध कर ली जाती है और फिर उस सूत्र या सामान्य नियम की सहायता से विशिष्ट उदाहरणों को हल किया जाता है । इस प्रणाली के कतिपय उदाहरण निम्नलिखित हैं—

१. मूलधन 'म' रुपये चक्रवृद्धि व्याज की दर 'द' प्रतिशत वार्षिक तथा समय 'स' वर्ष मानकर पहले निम्नलिखित सूत्र को सिद्ध किया जाय :—

$$\text{चक्रवृद्धि व्याज} = म \left(1 + \frac{द}{१००} \right)^स - म$$

और फिर इस सूत्र की सहायता से विशिष्ट उदाहरणों को हल करना, जैसे :— ८००० रुपये का ५ प्रतिशत वार्षिक व्याज की दर से ३ वर्ष का चक्रवृद्धि व्याज निकालना ।

२. पहले तर्क द्वारा सिद्ध करना कि किसी उन्नतोदर बहुभुज क्षेत्र के अन्तःकोणों का योगफल उसकी भुजाओं की संख्या के दूने समकोण से चार समकोण कम होता है । फिर इसकी सहायता से विशिष्ट बहुभुजों, जैसे—समषट् भुज, समजष्ट भुज, आदि के अन्तःकोणों तथा बहिरकोणों का मान निकलवाना ।

३. पहले सिद्ध करना कि यदि

$$कय^२ + सय + ग = ०, \text{ तो}$$

$$य = \frac{-स + \sqrt{स^२ - ४कग}}{२क}$$

और फिर इस सूत्र की सहायता से विनिष्ट समीकरण, जैसे—
 $y^2 + 6y + 12 = 0$, को हल करना ।

आपेक्षिक महत्व

छोटे बच्चों के लिए आगमन प्रणाली का प्रयोग ही मनोवैज्ञानिक है । इस अवस्था में मानसिक विकास की दृष्टि से वे निगमन तर्कों को समझने में असमर्थ होते हैं । आगमन प्रणाली का तर्क छात्रों के स्वयं के प्रयोगों एवं अनुभवों पर आधारित होता है । यह समझने में सरल होता है तथा इससे बालकों की प्रेरणा एवं सामाजिककरण की शक्तियाँ का विकास होता है । निगमन तर्कों से सामान्य मूला को मिट्टी कान्ना छोटे बच्चों की समझ के बाहर होता है और वे छवि के स्थान पर अर्थ का प्रदर्शन करने लगते हैं । फल यह होता है कि तर्कों द्वारा सूत्रों का समझने में बजाय वे इन्हें रटने लगते हैं और भूलने पर इनकी सहायता से विनिष्ट प्रणाली का हल करने में असमर्थ हो जाते हैं ।

किन्तु उच्च कक्षाओं में आगमनात्मक तक पर्याप्त नहीं होता । आगमनात्मक तर्क का प्रयोग वहाँ निगमन तर्क की तैयारी के रूप में किया जा सकता है । जैसे—वे कई त्रिभुजों के कोणों को नाप कर यह देख लें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल दो समकोण होता है । किन्तु वे यह भी उत्सुकता प्रकट कर सकते हैं कि योगफल दो समकोण क्यों होता है ? उनके इस 'क्यों' की सन्तुष्टि के लिए निगमन तर्क का प्रयोग करना अनिवार्य होता है । इसी 'क्यों' की सन्तुष्टि के प्रयास में बड़-बड़े आविष्कार हो जाते हैं । यूटन ने पेड़ से सेब को जमीन पर गिरत देखा और फिर उसने देखा कि प्रत्येक पेंकी पथी वस्तु जमीन पर गिर पड़ती है । उसके मन में 'क्यों' की उत्सुकता जागृत हो उठी और उसने गुरुत्वाकर्षण के नियम को ढूँढ निकाला । इसी प्रकार पाइथागोरस ने पग पर बर्त समकोण त्रिभुजों एवं वर्गों की सहायता से देखा कि कर्ण पर का वर्ग दोप दोनो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है । क्यों होता है ? प्रश्न करना, उसका स्वाभाविक था । इसी के उत्तर में उसने उस प्रमेय को निकाला जो आज उसके नाम से प्रसिद्ध है । अतः किसी सूत्र या नियम की सत्यता असाध्य रूप से प्रामाणित करने के लिए निगमन तर्क आवश्यक होता है । ऊँची कक्षाओं के बच्चों में इस तर्क का विकास करना परमावश्यक है । आगमनात्मक तक असाध्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिन दशाओं में कोई नियम सत्य प्रतीत हो रहा है और जिन पर प्रयोग किया जा चुका है, उनके अतिरिक्त भी सम्भव है, ऐसी दशाएँ हों जिनमें वे नियम सत्य न हों ।

कक्षा शिक्षण में दोनों प्रणालियों का समन्वय

विषय-वस्तु को प्रस्तुत करने में पहले आगमन प्रणाली का ही प्रयोग करना

चाहिए। प्रयोगों एवं प्रेरणों के आधार पर छात्रों से सामान्य निष्कर्ष निकलवाना चाहिए। किसी भी सामान्य नियम को पहले से न बताकर उसे छात्रों के सन्मुख समस्यारूप में प्रस्तुत करना चाहिए जिससे वे उत्सुकतापूर्वक प्रयोग करके सामान्य नियम को ढूँढने में रुचि लें। इस सामान्य नियम का प्रयोग पुनः विशिष्ट प्रश्नों एवं समस्याओं के हल में करना आवश्यक होता है।

आगमनात्मक कार्य के पश्चात् ही निगमनात्मक तर्क छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहिए। आगमनात्मक कार्य से उत्पन्न उत्सुकता के हेतु जब निगमन तर्क प्रस्तुत किया जाता है, तो वे इसमें रुचि लेते हैं और इसे सरलता से समझ पाते हैं। निगमन विधि से सामान्य नियम को प्रभावित करने के पश्चात् इस का अनुप्रयोग विशिष्ट प्रश्नों में अवश्य करना चाहिए।

अतः स्पष्ट है कि कक्षा शिक्षण में पहले आगमन और फिर निगमन प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए। दोनों प्रणालियों के प्रयोग के बिना गणितीय सम्बोधों को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। दोनों प्रणालियों को एक दूसरे की विरोधी न समझ कर पूरक समझना चाहिए।

—गवर्नमेन्ट सेन्ट्रल पेडागॉजिकल इनस्टिट्यूट,
इलाहाबाद

आगामी विशेषांक

'नयी तालीम' का आगामी विशेषांक 'शिक्षा-आयोग की संस्तुतियों के सन्दर्भ में विद्यालयी शिक्षा' विषय पर होगा। विशेषांक के कुछ विभिन्न पहलू—

- विद्यालयी शिक्षा का लक्ष्य
- विद्यालयी शिक्षा प्रणाली—ढाँचा और स्तर
- विद्यालयी शिक्षा के पाठ्यक्रम की विवेचना
- दुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में तुलना

—सम्पादक

समवायित शिक्षण और सामाजिक वातावरण

वंशीधर श्रीवास्तव

मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा गया है। सामाजिक वातावरण उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। बालक किसी न किसी समुदाय का सदस्य होकर जन्म लेता है। अनेक बातों को, जो उसके जीवन के लिए आवश्यक है, वह अपने समाज से अनायास ही सीख लेता है।

यह सामाजिक वातावरण क्या है? मनुष्य ने आदि काल से अपने विकसित मस्तिष्क का लाभ उठाकर अपनी नित्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति के उपादानों का प्रयोग किया है। अपने प्राकृतिक वातावरण में उसे जो उपादान प्राप्त हुए उनको उसने अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी सुविधा के अनुसार नया रूप दिया। प्रकृति ने उसे मिट्टी दी थी। उससे उसने अपने रहने के लिए मकान बना लिया जिससे उसे आँधियों से, शीत-आतप से बचाव मिला। प्राकृतिक वातावरण से उसे कपास मिली। वात-बुनकर उसने उससे कपड़ा बना लिया और अपना तन ढका। एक ओर जहाँ इन क्रियाओं से उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हुई और उसका संस्कार हुआ दूसरी ओर उसके वातावरण में परिवर्तन हुआ और प्राकृतिक वातावरण से भिन्न उसके चारों ओर एक नया वातावरण बना। यही नया वातावरण उसका सामाजिक वातावरण है।

परिवर्तन का यह सतत क्रम मानवता के आरम्भ से ही चला आ रहा है और आज भी चल रहा है। इस परिवर्तन के फलस्वरूप मनुष्य का समाज एक अत्यन्त जटिल संगठन बन गया है। आज मनुष्य जिस समुदाय में रह रहा है उसमें अनेक वर्ग हैं, जो भिन्न भिन्न प्रकार के उद्योगों में संलग्न हैं। समुदाय के ये वर्ग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक-दूसरे के पूरक हैं। हजारों-लाखा वर्षों से इन वर्गों के साथ-साथ रहने के कारण और आपस के निरन्तर व्यवहार के कारण समाज में अनेक प्रकार की परम्पराएँ बन गयी हैं। ये परम्पराएँ प्रत्येक बालक को दाय के रूप में मिलती हैं। बालक जन्म से ही इन परम्पराओं से घिरा रहता है। ये परम्पराएँ ही उसका सामाजिक वातावरण बनाती हैं जो उसके जीवन का अभिन्न अंग है। ये ही उसका भावनात्मक जीवन निमित्त करती हैं। उसका उठना-बैठना, बोलना-चालना, खाना-पीना, प्रत्येक इन परम्पराओं से ही शासित और निर्देशित होता है। इतना ही नहीं ये ही उसकी विचार-शक्ति और सौन्दर्य भावना को भी निर्देशित करती हैं।

यही कारण है कि देश और काल की भिन्नता के कारण मनुष्य की नीति और सौन्दर्य भावना में भी भिन्नता हो जाती है ।

अन बालक के सामाजिक वातावरण की सफलता में बालक के वे समस्त अनुभव सम्मिलित हो जाते हैं जिनका सम्बन्ध इन परम्पराओं से अथवा समाज के किसी भी क्रियाकलाप से है । समाज अपने को विभिन्न अभिकरणों (एजेन्सिया) द्वारा व्यक्त करता है । समाज में जो नाना प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, राजनैतिक, वैधिक (कानूनी), धार्मिक और सांस्कृतिक सस्याएँ हैं, वे इसी प्रकार के अभिकरण हैं । कुटुम्ब, विद्यालय आदि इसी प्रकार के अभिकरण हैं । ये अभिकरण अथवा सस्याएँ व्यक्ति और समाज के सम्बन्धों को व्यवस्थित करती हैं । जब उनके सम्यक् अव्ययन से ही व्यक्ति के सामाजिक जीवन को समझा जा सकता है । सम्यक् अव्ययन के लिए इस सामाजिक वातावरण का विभिन्न अभिकरणों और विभिन्न क्रिया-कलापों का वर्गीकरण कर लेना आवश्यक है ।

समाज के इन क्रियाकलापों में सबसे महत्वपूर्ण वे क्रियाकलाप हैं जिनका सम्बन्ध मनुष्य के आर्थिक जीवन से है । अपनी नित्यप्रति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य जो नाना प्रकार के उद्योग धंधे करता है, उन्हें दो वर्गों में बाँटा जा सकता है, एक मुख्य और दूसरा सहकारी । किसान का मुख्य धन्धा खेती है । लेकिन खेती के साथ वह थोड़ी सी बागवानी भी कर लेता है । मधुमक्खी पालन उसकी शहद भी बेच लेता है अथवा कुछ गाय भैंस रखकर उनका दूध-भी भी बेच लेता है । ये उससे गीण या सहकारी धन्धे हैं । एक दिन ऐसा भी था जब आखेट या वृषि के समस्त औजार आखेटक या किसान स्वयं बनाता था । पर धीरे-धीरे औजार बनानेवाले का पेशा ही अलग हो गया । वेसे ही सम्भवतः बनाए पानी रखने के लिए बरतन बनाने का धन्धा सहकारी उद्योग के रूप में ही चला पर बाद में कुम्भकारी प्रमुख धन्धे के रूप में स्वतंत्र हो गयी । यही दूसरे धंधों के विषय में भी हुआ । मनुष्य की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नये-नये धंधे भी प्रारम्भ हुए । धनियाँ या एक नया धन्धा ही प्रारम्भ हो गया । यह वर्ग स्वयं कुछ भी उत्पादन नहीं करता था । दूसरों की बनायी हुई और पैदा की हुई चीजों को एकत्र करके उस स्थान पर ले जाता था जहाँ उसकी आवश्यकता होती थी और जहाँ वे बनती या पैदा नहीं होती थी । वास्तव में इसी वर्ग का विकास पूँजीपति वर्ग में हुआ । कुछ भूमि पर अधिकार कर और मजदूर रखकर खेती कराने का धन्धा भी शुरू हो गया और जमींदार का एक अलग वर्ग बन गया ।

इसी प्रकार ज्य-ज्या मनुष्य की आवश्यकताएँ बढ़ती गयीं, उसका समाज मनुष्य और जटिल होता गया और एक दिन ऐसा भी आया जब वह अनुभव

करने लगा कि जीवित रहने के लिए उसे रोटी से अधिक कुछ और चाहिए। तब संगीत, साहित्य, कला, विज्ञान, धर्म उसकी मानवता के प्रमुख लक्षण हो गये और उसे पशु से अलग करने के चिह्न बन गये और तब उसके समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक संगठनों का विकास हुआ। साथ ही साथ उसके सामुदायिक संगठन का भी विकास हुआ। कुटुम्ब की इकाई अधिक व्यापक बनी और जाति, उपजाति, वर्ग, राष्ट्र आदि संगठनों का जन्म हुआ। इन सारे आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संगठनों का अध्ययन मनुष्य के समाज का समझने के लिए आवश्यक है।

इन संगठनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से हो सकता है .

१. आर्थिक संस्थाएँ

(क) धन्वों के अनुसार

(१) मुख्य धन्धे

(२) गौण धन्धे

इन धन्धों में प्रयुक्त होनेवाले कच्चे माल और औजार। इन्हें प्राप्त करने के साधन। तैयार माल का उपभोग और वितरण।

(ख) धन्धे करनेवालों की आर्थिक स्थिति और समाज में इनके स्थान के अनुसार

(१) जमींदार—जमींदारी एक स्वतंत्र धन्धा—सस्या का विकास और ह्रास।

(२) दूकानदार—दूकानदारी एक स्वतंत्र धन्धा। बाजार और कारखाने। आयात और निर्यात। वर्ज की संस्थाएँ—जमींदार और साहूकारी संस्थाएँ।

(३) शिल्पकार

(४) मजदूर—जमींदार और दूकानदार और मजदूर—शोपक और शोपिन।

(५) जनसेवक—नोकरी

(६) स्वतंत्र धन्धे—वकील, डाक्टर

२. सामाजिक संस्थाएँ

(१) सामुदायिक—

कुटुम्ब-ब्रीला, जाति, राष्ट्र आदि।

(२) शासकीय—

(क) शासन—गाँव-पचायत, स्थानीय परिषद, लोक-सभा, राज्य-सभा, संयुक्त राष्ट्र मण्डल।

(ख) न्याय—पचायत-बचहरो, शीवानी और फौजदारी, हाईकोर्ट, सुप्रीमकोर्ट, अन्तर्राष्ट्रीय कोर्ट।

(ग) सुरक्षा—गुलिस, फौज ।

(घ) लोक-सेवा—जन-स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण, संचरण और यातायात, शिक्षा ।

३ धार्मिक सस्थाएँ

(क) मंदिर, मठ, मस्जिद, गिरजाघर, गुहद्वारा-सगठन और कार्य-प्रणाली । मनुष्य के जीवन में इनका स्थान ।

(ख) सस्कार—जन्म से धाद तक के अनेक सस्कार । पुरोहित, मौलवी, पादरी—दूसरे वर्गों से इनका सम्बन्ध । समाज में इनका स्थान ।

टोटम, तत्र-मन्त्र, देवता-आत्मा परमात्मा ।

(ग) अन्य धार्मिक सस्थाएँ—

साधु समाज अखाडे, आय-समाज ।

४ सास्कृतिक और रजनात्मक सस्थाएँ

(क) सास्कृतिक—(ख) नाटक मण्डलियाँ—नाट्य-सस्थाएँ, भजन और कीर्तन मण्डलिया, सगीत-समितियाँ, आदि । इनके कार्य-कलाप, अभिनय और नृत्य । लोक गीत, लोक नृत्य, लोक-अभिनय, नोटकी कठपुतली, स्वाग, यात्रा, आदि । भजन-कीर्तन-कथा । (ग) गोप्टियाँ और मलय—नाय प्रणाली और कार्य-कलाप—कवि सम्मेलन, भाषण, आदि । धार्मिक और राष्ट्रीय पव—महापुरुषों की जयन्तियाँ मनाना तथा मेले और प्रदर्शनियों का आयोजन ।

(ख) रजनात्मक—

व्यायामशाला, अखाडे ।

फुटबाल हाकी, बालीबाल क्रिकेट आदि के क्लब । इनके सगठन और काय-कलाप—स्थानीय और विदेशी खेलों का आयोजन—दगल क्वडडी, खेलूद—हाकी, फुटबाल, बालीबाल, क्रिकेट, वेडमिष्टन, टेनिस टेनिस आदि ।

५ शैक्षणिक सस्थाएँ

(क) सामान्य विद्यालय—प्रारम्भिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालय । शिशु विद्यालय, प्रौढ विद्यालय बुनियादी और गैर बुनियादी विद्यालय ।

६ सगठन और कार्य-कलाप

(ख) व्यावसायिक विद्यालय, प्रशिक्षण विद्यालय, औद्योगिक विद्यालय, दजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, कृषि विद्यालय आदि ।

शिक्षा के कार्य के लिए सामाजिक वातावरण का उपयोग

शिक्षा का एक उद्देश्य बालकों की क्षमता और आवश्यकता के अनुसार सूचना देना भी है । सामाजिक वातावरण सूचनाओं का अन्वय स्रोत है । समाज की विभिन्न सांस्कृतिक परम्पराओं के विषय में, उसके आर्थिक जीवन के सम्बन्ध में, समुदाय में विभिन्न धंधा करने वाले वर्गों के जीवन और उनके भाषण सम्बन्ध

के विषय में जानकारी प्राप्त करके ही बालक अपने को समाज में सयोजित कर सकता है। अतः बालक को इस प्रकार की जानकारी दी जाय। बालक को यह जानकारी समुदाय के नाना क्रिया-कलापो में स्वयं भाग लेकर ही प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि तभी उसमें समाज के विभिन्न वर्गों के धर्म, कर्मव्या और अधिकारों को सहानुभूति पूर्ण ढंग से समझने की और तभी उनके साथ मिलकर काम करने की आदत पड़ेगी। इस प्रकार की सहकारिता और सहानुभूति की भावना जहाँ बालक के भावनात्मक सन्तुलन के लिए आवश्यक है वहाँ प्रजातन्त्रीय जीवन व्यतीत करने की सक्रिय शिक्षा भी है। इससे वास्तविक कक्षा-शिक्षण गतिशील एवं रोचक बनता है। प्रत्यक्ष अनुभव से सीखा हुआ ज्ञान और अधिक सीखने की प्रेरणा देता है।

सामाजिक वातावरण के विभिन्न क्रियाकलापों का पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों की शिक्षा हेतु सफलतापूर्वक उपयोग करने के लिए बालक की रुचि, आवश्यकता और क्षमता के अनुसार शैक्षिक योजनाएँ बना लेनी चाहिए। अध्यापकों को पहले यह निश्चय कर लेना चाहिए कि वे अमुक क्रिया-कलापों द्वारा बालकों को अमुक ज्ञान या कौशल सिखाना चाहते हैं अथवा उनमें अमुक सामाजिक गुण या प्रवृत्ति का विकास करना चाहते हैं। इसके बाद उन्हें प्रत्येक योजना (प्रोजेक्ट) को अथवा क्रिया की प्रत्येक इकाई को समस्या के रूप में लेना चाहिए और योजना-पद्धति की भाँति ही उस क्रिया को पूरा करने के लिए सामग्री और सूचना एकत्र करना चाहिए तथा क्रिया अथवा अनुभव की समाप्ति के बाद जो काम कर लिया है उसका मूल्यांकन करके देखना चाहिए कि बालक को कितनी सफलता मिली है और कितनी कोर-कमर रह गयी है। नयी दिल्ली स्थित वैश्विक शिक्षा के राष्ट्रीय संस्थान ने समवाय के ऊपर विभिन्न प्रदेश के शिक्षा-शास्त्रियों का जो सेमिनार आयोजित किया था उसमें इस काम को वैज्ञानिक ढंग से करने के लिए नीचे लिखे तरीके बतलाये गये हैं

१. निरीक्षण और सर्वेक्षण।
२. समन्वय अथवा साक्षात्कार।
३. पर्यटन, भ्रमण और यात्रा।
४. स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों और अभिभावकों से सम्पर्क।
५. ध्वज-दृश्य उपकरण का प्रयोग।
६. प्रस्तावली और सूची।

१. निरीक्षक और सर्वेक्षण

सामाजिक वातावरण के अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ टेकनिक निरीक्षण और सर्वेक्षण ही है। इस कार्य को भलीभाँति करने के लिए हमें बालकों की

कल्पना, जिज्ञासा और विवेक-शक्ति को जागृत करना चाहिए। यह काम हम निम्नांकित ढंग से कर सकते हैं

(१) योजना की जिस इकाई के विषय में सर्वेक्षण या निरीक्षण करना है उससे परिचित कराने के लिए बातचीत अथवा प्रश्नोत्तर के द्वारा।

(२) परिस्थिति का जो रुचिकर पहलू है उसकी ओर बालकों का ध्यान आकर्षित करके।

(३) बालकों को इस परिस्थिति, कार्य-कलाप अथवा घटना के विषय में और अधिक बातों को जानने का अवसर देकर।

सर्वेक्षण और निरीक्षण के अन्त में प्रायोगिक कार्य की योजना बनानी चाहिए। इस प्रकार का कार्य नक्शे, चार्ट, पोस्टर, अथवा माडल बनाना या विवरण लिखना, अथवा सम्बन्धित साहित्य पढ़ना, वाद-विवाद या अभिनय कुछ भी हो सकता है। निरीक्षण के अन्त में कुछ किया अवश्य होनी चाहिए जिससे बालकों को नये अनुभव प्राप्त हों और योजना के आगे के काम को तारतम्य प्राप्त हो।

२ साक्षात्कार अथवा समझना

समाज के अन्य वर्गों के सदस्यों और बालकों के सम्पर्क में आने और उनसे परिचित होने और उनकी समस्याओं को जानने का यह सर्वोत्तम साधन है। बालकों की सामाजिक क्षमता के विकास का भी यह एक अच्छा साधन है। इस साधन द्वारा लड़कें विचार विनिमय कर सकते हैं। आवश्यक सूचना एकत्र कर सकते हैं और समुदाय में प्रचलित यथार्थ परिस्थितियों के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त कर उन्हें अधिक सहानुभूतिपूर्ण ढंग से समझ सकते हैं। इस सम्बन्ध में बालकों को नीचे लिखी हिदायतें देनी चाहिए

(१) बालक यथासक्ति साफ-भुयरे कपड़े पहनकर आये, विनयपूर्वक बात-चीत करें और शील तथा शिष्टाचार का पालन करें तथा सदा सौजन्यपूर्ण ढंग से सजे हों, बंटें और सम्भाषण करें।

(२) प्रतिपादिता के ढंग से प्रश्न पूछें जो स्पष्ट और सक्षिप्त हों।

(३) साक्षात्कार के तुरत बाद जो सूचना प्राप्त हो, उसे लिख लें।

(४) बात में जो सूचनाएं प्राप्त हुई हों उनको वर्गानुसार एकत्र कर लिया जाय।

इसके पश्चात् अध्यापक उन सूचनाओं की यथोचित व्याख्या करें।

३ पर्यटन-भ्रमण-यात्रा

पर्यटन और भ्रमण यात्रा का स्वयं निरीक्षण और परीक्षण का अवसर प्रदान करने है जिसमें उन्हें स्वयं अपने अनुभव से सीखने का मौका मिलता है। बालकों को जिन समस्याओं से परिचित कराना है, अथवा समाज के जिस पहलू

मान कराना है, अथवा समुदाय के जिस क्रिया-कलाप का यथार्थ अनुभव देना है उसी को ध्यान में रखकर पर्यटन आदि की योजना बनायी जाय। प्रत्येक पर्यटन के सम्बन्ध में नीचे लिखी बातें होनी चाहिए।

(१) सुनिश्चित आयाजन। (२) समुचित भगठन।

(३) सम्यक पर्यवेक्षण (सुपरविजन)

(४) पर्यटन के बाद के काय की निश्चित योजना।

वैभे पर्यटन के पहले ही उस स्थान अथवा घटना के सम्बन्ध में वर्णन, चित्रण और यदि सम्भव हो तो मैजिक लैंटन अथवा सिनेमा द्वारा जिज्ञासा जाग्रत कर देनी चाहिए। यात्रा के साथ समुचित सग्रह और प्रतिदिन की डायरी भरने का काम अध्यापक की देखरेख में नियमपूर्वक होना चाहिए। यात्रा सम्बन्धी सारी व्यवस्था अध्यापक और लड़के मिलकर वांट लें।

४ स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों और अभिभावकों से सम्पर्क

बालक समुदाय के प्रतिष्ठित व्यक्तियों और स्कूल के छात्रों के अभिभावकों से मिलें। ये लोग बालक की रुचि के अनुकूल विषय पर विनोद समुदाय के उद्योग धंधे स्थानीय इतिहास सांस्कृतिक परम्पराएँ लोक मस्कृति समुदाय में प्रचलित लोक कथाआ आदि पर भाषण दें अथवा बालकों में वानचीत करें। इन भाषणों और सम्झावा का उपयोग बालक अपनी डायरी लिखने में विवरण तैयार करने में साइक बनाने में अथवा स्कूल के लिए पत्र-पत्रिका और बाल पेपर या व्लेटिन निकालने में करें।

५ सामाजिक वातावरण के अध्ययन के सम्बन्ध में श्रेष्ठ दृश्य साधनों का प्रयोग बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ है। इनसे सामाजिक वातावरण को अधिक अच्छी तरह समझने में सहायता मिलती है। इनका प्रयोग यात्रा और पर्यटन के सम्बन्ध में अथवा सर्वेक्षण के समय अधिक लाभप्रद होगा। ये अप्रत्यक्ष रूप में बालक का अनेक लिखित विवरणों को चित्रित करने की प्रेरणा भी देते हैं।

६ सामाजिक वातावरण के अध्ययन के लिए ले जाने के पहले लड़कों को तत्सम्बन्धी प्रश्नावलि और सूची जरूर दे देनी चाहिए। अध्यापक सूब अध्ययन करते इस प्रकार की प्रश्नावलि बनायें। वातावरण का अध्ययन करते बालक इस प्रश्नावलि के प्रश्नों का उत्तर दें। ऐसा करने से उनका अध्ययन पूरा होगा।

समुदाय की जिन समस्याओं का यहाँ वर्णन किया गया है बालक द्वारा उनके सम्यक अध्ययन और उस अध्ययन की शैक्षणिक सम्भावनाओं से लाभ उठाने के लिए यह जरूरी है कि इन समस्याओं के जीवन और क्रिया-कलापों को इकाइयों और उप क्रियाओं में विभाजित कर लिया जाय और फिर कक्षा की शारीरिक और बौद्धिक क्षमता के अनुरूप उन्हें वर्गीकृत कर उनके वैज्ञानिक शिक्षण की वान मोची जाय और उनमें विभिन्न विषय समवायित किये जायें। ●

वेङ्छी ग्रामीण विश्वविद्यालय

वेङ्छी (गुजरात) गांधी विद्यापीठ, जिसके समाजशास्त्र महाविद्यालय मन्दिर का उद्घाटन राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसेन ने १६ नवम्बर १९६७ को यहाँ किया। गुजरात में गांधी विचारधारा की उच्च शिक्षा का एक और सस्थान स्थापित हुआ है जो कि सूरत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों को शिक्षित करेगा।

सूरत जिले को अनेक बेसिक शिक्षा पाठशालाओं के चलाने का गौरव प्राप्त है। २७ पूर्व बुनियादी और ६७ उत्तर बेसिक पाठशालाएँ भी हैं। अबतक इन उत्तर बेसिक पाठशालाओं से निकलनेवाले विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए बहुत दूर के स्थानों, जैसे अहमदाबाद और सोनोसरा जाना पड़ता था। इस कठिनाई को दृष्टि में रखते हुए यहाँ गांधी विद्यापीठ की स्थापना की गयी है। विद्यापीठ द्वारा आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न प्रभागों के संचालन का भी प्रस्ताव है। परन्तु इस समय विद्यापीठ सामाजिक विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, प्रविधि-शास्त्र, कृषि और पशुपालन तथा मानव-विज्ञान और बनसाला के प्रयोगों पर ही विशेष ध्यान देगा।

इनमें से सामाजिक विज्ञानों का विद्यालय जो कि समाजशास्त्र महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है पहले ही खोला जा चुका है। यह प्रभाग चार वर्ष का पाठ्यक्रम रखेगा। इस समय ३४ पुरुष तथा १४ महिलाएँ, कुल ४८ विद्यार्थी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश ले चुके हैं। इन ४८ विद्यार्थियों में से ४३ विद्यार्थी निकटवर्ती पिछड़े वर्ग (आदिवासी) के हैं और ५ गुजरात के अन्य भागों के हैं।

विद्यापीठ में शिक्षा का माध्यम गुजराती होगा, परन्तु हिन्दी तथा अन्य भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने की सुविधा भी दी जायगी। सर्वोच्च नेता आचार्य काका कालेलकर इस विद्यापीठ के कुलपति हैं तथा प्रसिद्ध रचनात्मक कार्यकर्ता श्री जुगराम दवे उपकुलपति हैं।

राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसेन ने अपने उद्घाटन-भाषण में कहा—गांधी जी में साधारण व्यक्तिता और महिलाओं में नेता तैयार करने एवम् मानव-चरित्र ढालने की अनूठी प्रतिभा थी और इस प्रकार उन्होंने मुहठ नेतृत्व तैयार किया जिसने आत्मोत्थार की भावना से देश में स्वातन्त्र्य-संग्राम और रचनात्मक काम का संचालन किया।

दिसम्बर, '६७]

गांधी जी के बाद आदमी बनाने और नेता बनाने तथा मानव चरित्र का विकास करने की ओर प्रयास नहीं हुआ। आज हर लोग अपने आप में ही व्यस्त है। लेकिन गुसी की बात है कि आज भी हमारे बीच गांधी के उपदेश विद्यमान है। आज हममें से अधिकांश लोग हृदय से गांधी की सेवा नहीं करते। उनके नाम पर फायदा उठाते हैं तथा उन्होंने जो हमें सीखा दी, उपदेश दिया उसे कार्यक्रम में परिणत नहीं करते। लेकिन मैं देखता हूँ कि गुजरात के इस हिस्से में लागू गांधी जी के आदर्शों के कार्यान्वयन में तन-मन से लगे हुए हैं।

बुद्ध समय पहले मुझे लगा था कि अमूल्य म बुनियादी शिक्षा का कोई सुरारिणाम नहीं निकल रहा है। आलोचना ने उसका दूसरा अर्थ लगाया और यह राग अलापना गुरु कर दिया कि बुनियादी शिक्षा असफल रही और यह व्यावहारिक नहीं है। उन्होंने बताया कि मेरा मतलब यह था कि देश के विभिन्न भागों में बुनियादी शिक्षा का विकास के साथ कार्यान्वयन नहीं हुआ नकि यह अच्छे परिणाम देने में ही असमर्थ है।

गुजरात के मुख्यमंत्री श्री हितेन्द्र देसाई ने जो राष्ट्रपति के साथ थे, राष्ट्रपति के प्रेरणाप्रद भाषण तथा बुनियादी शिक्षा के लिए उनके अथक प्रयासों की सराहना की।

इसके पूर्व सर्वोदय नेता तथा गांधी विद्यापीठ के कुलपति बाबा कालेलकर ने बड़ी श्रद्धा के साथ गांधीजी के आदर्शों का प्रचार करने में डा० हुसैन के प्रयासों की चर्चा की। पाठशाला के १२,००० बच्चों को कक्षाई करते देख बाबा कालेलकर का दिल खुशी से उमड़ पड़ा तथा उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये बच्चे गांधीजी तथा उनके आदर्शों को जीवित रखेंगे।

उपकुलपति श्री जुगनराम दवे ने राष्ट्रपति महोदय को आश्वासन दिया कि वे विद्यालय का अपने ढंग का सर्वोत्तम बनाने की कोशिश करेंगे तथा उसकी संख्या सीमित रखेंगे ताकि उसमें अच्छे और निष्ठ स्नातक निकलें।

मूरत की जिला पंचायत सीमित के अध्यक्ष श्री पी० चिमनलाल भट्ट ने दस अक्षरों पर भाषण देने हुए मूरत जिले में हुई बुनियादी शिक्षा की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि मूरत जिले के छह तालुकों के शिक्षक और छात्र इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। इसके अलावा, २४ आधम पाठशालाओं के ५०० छात्र तथा १७ उत्तर बुनियादी पाठशालाओं के १२,०० छात्र इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि सामान्यतौर से मूरत जिला और खासनौर बालोद तालुका ने बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में असाधारण सफलता प्राप्त की है।

—'जागृति' ने साभार

अमरीका के शिक्षा-उद्यान

पालो आल्टो (कैलिफोर्निया) में विद्युदाणविक गणनायन्त्र में छात्रों को ऐसे पाठ्यक्रमों, जीवन-वृत्तियों और कालेजों का पता लगाने में सहायता मिलती है जो उनकी आकांक्षाओं और योग्यताओं के सबसे अधिक अनुकूल होते हैं।

उत्तरपूर्वी अमरीका में रोड टापू के पास छोटे से ब्लॉक द्वीप पर प्राथमिक और माध्यमिक स्कूला के छात्र टेलिफोन लाइनों और विशेष प्रकार के विद्युदाणविक उपकरणों द्वारा देश की मुख्य भूमि के अध्यापकों से गणित की शिक्षा प्राप्त करते हैं।

अटलान्टा (जॉर्जिया) में भीड़-भाड़वाले शहरी इलाकों में रहनेवाले छात्रों के लिए एक ऐसे केन्द्र की व्यवस्था है, जहाँ ५० एकड़ में फैला हुआ वन, प्रयोगशालाएँ, थैणी-कक्ष, पुस्तकालय और ३६ इंची दूरबीक्षण यन्त्र से युक्त ग्रह-नक्षत्रशाला मौजूद है।

अटलान्टा शिक्षण-केन्द्र जैसे बस्ती से दूर स्थापित शिक्षण-केन्द्र अमरीका के अनेक शहरी क्षेत्रों की प्रिय योजनाएँ हैं। इन केन्द्रों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य गनुष्य और उसके वातावरण में विद्यमान पारस्परिक सम्बन्ध और उन उपायों का प्रत्यक्ष प्रदर्शन करना है जिनके अन्तर्गत छात्र राष्ट्र के सौन्दर्य और प्राकृतिक साधनों की रक्षा करने में सहायता दे सकते हैं।

ये 'पेस' नामक कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यान्वित होनेवाली लगभग १४०० योजनाएँ हैं। 'पेस' शिक्षा के क्षेत्र में रचनात्मकता को बढ़ाने की योजनाओं की सक्षिप्त सजा है।

पहला विस्तृत कार्यक्रम

अमरीका में अपनी किस्म के विस्तृत कार्यक्रम 'पेस' को १९६५ के 'एलिमेण्ट्री एण्ड सेकेंडरी एज्यूकेशन ऐक्ट' के अंग के रूप में कांग्रेस द्वारा स्वीकृत किया गया था। अमेरिका के शिक्षा-विभाग द्वारा संचालित इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, स्थानीय स्कूलों को सघीय सरकार द्वारा धन दिया जाता है।

'पेस' की कोई भी दो याजनाएँ एक जैसी नहीं हैं। प्रत्येक याजना परम्परागत शिक्षा-माध्यम की कमी का दूर करने के लिए स्थानीय अधिकाारियों द्वारा बनायी जाती है।

अमरीकी शिक्षा-विभाग के विशेषज्ञों की रिपोर्ट में कहा गया है कि 'पेस'

की योजनाएँ प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में नये विचार और नये सिद्धान्त पैदा कर रही हैं। एक अधिकारी ने कहा 'पेस' योजनाओं ने अमरीकी स्कूलों के कुछ अत्यन्त प्रतिभाशाली लोग का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है।

परीक्षण और उत्पादकता

दक्षिणी फ्लोरिडा शिक्षा-केन्द्र में एक अन्य सूभ्रवृम्भवाले कार्यक्रम का अवलोकन किया जा सकता है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय सरकार की सहायता से नहीं चल रहा है, फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षणों और उत्पादकों का बढ़ावा देता है। ४ वर्ष पूर्व स्थापित यह केन्द्र शिक्षा पाने में बच्चों की सहायता करने के लिए नये साधनों का प्रयोग करने की दृष्टि से अग्रणी केन्द्र बन गया है।

यह केन्द्र अमरीका के प्रथम 'शिक्षा-उद्योग' के रूप में इन्विसिडस अपना नाम लिखा चुका है। इसमें प्राथमिक स्कूल से लेकर कालेज तक की शिक्षा की व्यवस्था है। इसने दो किण्डरगार्टन स्कूलों, माध्यमिक स्कूल और दो वर्षीय कालेज में अध्ययन करता हुआ एक छात्र लगातार १५ वर्षों तक वहीं रह कर अध्ययन कर सकता है और उसे वही अत्यन्त जल्द की आवश्यकता नहीं। अगले महिने नया विश्वविद्यालय खुल जाने पर छात्र और चार वर्ष वहीं रह कर अध्ययन कर सकेगा।

'नोवा' लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ है नया। यह केन्द्र के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के लिए बिल्कुल उपयुक्त नाम है। नोवा के छात्रों को उनकी योग्यता के अनुसार विषय पढाये जाते हैं। इस सम्बन्ध में उनकी आयु अथवा स्कूल में बिताये गये वर्षों को कोई महत्व नहीं दिया जाता। वहाँ आमतौर पर ऐसा देखने को मिलता है कि बोधे वर्ष के छात्र ८ वें वर्ष के छात्रों के साथ गणित पढ़ रहे हैं अथवा ७ वें वर्ष के विज्ञान के छात्र १२ वें वर्ष के छात्रों के साथ अध्ययन कर रहे हैं।

छात्र उस समय तक एक ही पाठ्यक्रम में चलता रहता है जब तक वह उसमें निपुण नहीं हो जाता, चाहे उसका जितना ही समय क्यों न लग जाय। नोवा के शिक्षक

नोवा के शिक्षक प्राध्यापक नहीं हैं। वे कक्षाओं पर हावी नहीं होते हैं। उनका मुख्य कार्य शिक्षा की ऐसी रूपरेखा तैयार करना है जिससे प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं अपना उत्तर ढूँढ़ सके और उसे स्वतन्त्र रूप से अध्ययन एवं अनुसन्धान करने का प्रोत्साहन मिले। वे अपनी योग्यता के अनुसार किसी भी विषय में आगे बढ़ सकते हैं; यहाँ तक कि माध्यमिक स्कूल में कालेज के स्तर तक पहुँच सकते हैं।

—(अमेरिकन रिपोर्टर के साभार)

नयी तालीम : दिसम्बर '६७

पहले से डाक-व्यय दिये बिना भेजने की अनुमति प्राप्त

लाइसेंस न० ४६

रजि सं० एल. १७२३

भूदानयज्ञ

शिक्षको, प्रशिक्षको, चिन्तको, शोध-कर्ताओ, नेताओ, वक्ताओ सुधारको, सेवको एव भारत के सचेत नागरिको की सेवा में अहिंसक क्रान्ति के सन्देशवाहक द्वारा प्रस्तुत हो रहा है, गांधी निर्वाण-दिवस (३० जनवरी, १९६८) के अवसर पर

सत्याग्रह विशेषांक

‘उपवास’ से ‘उपद्रव’ तक • ‘प्रतिकार’ से ‘सहकार’ तक सत्याग्रह की क्रान्तिकारी विचार-धारा के विकास का विश्लेषण, ‘सत्य’ और ‘आग्रह’ के बदलते हुए स्वरूप का विवेचन, राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय सकट-ग्रस्त परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में, प्रखर चिन्तक आचार्य राममूर्तिजी के सपादकत्व में, ६४ पृष्ठों का । पठनीय । मननीय ॥ संग्रहणीय ॥

इस अंक का मूल्य १ रु० मात्र

अपना सहयोग दीजिए • हमारा सहयोग लीजिए
अपना विज्ञापन देकर • प्रतियाँ सुरक्षित कराकर

सर्व सेवा संघ प्रकाशन

पत्रिका-विभाग, राजघाट, वाराणसी-१

श्री श्रीकृष्णदत्त भट्ट सर्व सेवा संघ की ओर से खण्डलवाल प्रस एण्ड पब्लिकेशन्स
मानमंदिर, वाराणसी में मुद्रित तथा प्रकाशित